राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] बारहवीं विधान सभा के पांचवे सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या : 19

मंगलवार

28 मार्च, 2006

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

गंगरार के भवन रहित पशु चिकित्सालय

285. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में गत दो वर्षों में किस-किस स्थान पर किस-किस स्तर के पशु औषधालय/पशु चिकित्सा केन्द्र स्वीकृत किये गए? प्रत्येक स्थान पर नियमानुसार कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने पद भरे हैं तथा कितने पद कब से रिक्त हैं? केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही है कि संचालित केन्द्रों के सरकारी भवन निर्मित हैं? यदि नहीं, तो कितने केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किराये के भवनों में संचालित पशु औषधालयों के लिए सरकारी भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(4) क्या सरकार विभिन्न स्तर के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में गत दो वर्षों में एक पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, तुम्बडिया स्वीकृत किया गया है, जिसमें एक पशुधन सहायक का पद सृजित है जो दिनांक 7.11.05 से रिक्त है।

(2) जी नहीं। गंगरार विधान सभा क्षेत्र में एक केन्द्र साडास किराये के भवन में संचालित है।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

(3) गंगरार विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सा औषधालय सरकारी भवनों में संचालित है।

(4) पशु चिकित्सा अधिकारी व पशुधन सहायक स्तर के क्रमश: 200 व 464 पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि जो भवन अभी तक नहीं बने हुए हैं और जो मरम्मत के काबिल है, कब तक मरम्मत करवा दी जाएगी और नये केन्द्र खोलने के लिए कब तक राशि उपलब्ध करा दी जाएगी? जो पशुधन सहायकों के रिक्त पद पड़े हुए हैं वह कब तक भरने का विचार रखती है सरकार?

श्री अध्यक्ष: बता दिया ना प्रक्रिया विचाराधीन है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, गंगरार विधान सभा क्षेत्र में 19 पशुचिकित्सा संस्थाएं हैं जिनमें तीन पद पशु चिकित्सक के रिक्त है1 राशमी, साडास और सियाना, पशुधन सहायक के पांच पद रिक्त है। पशु चिकित्सालय रूद्र उपकेन्द्र ऊंचा, पालका, जोजोरो के खेड़ा और कवालिया इन पदों.....

श्री अध्यक्ष: वह तो पूछ रहे हैं कब तक भर देंगे, यह बता दीजिए।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): इन पदों को भरने के लिए मैं जानकारी देना चाहूंगा 200 चिकित्सकों की भर्ती की मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकृति दे दी है और आरपीएससी को अनुशंसा भिजवा दी गई है, 464 पशु धन सहायकों की भर्ती है वह विभाग ने प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी। शीघ्र ही भर्ती होने पर इन रिक्त स्थानों पर पदस्थापन की कार्यवाही प्राथमिकता से की जाएगी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): मेरा आग्रह इतना था कि तहसील मुख्यालय है राशमी और वहां कम से कम, कितने लंबे समय से डाक्टर नहीं लगा हुआ है इसलिए मैं चाह रहा हूं कि उसको शीघ्र भरने का प्रयास करें। भर्ती के ऊपर नहीं छोड़े इसको, किसी भी प्रकार से जहां भी अधिक हो वहां से भरने का प्रयास करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा सवाल मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा। पूरे राजस्थान के अंदर गजटेड पोस्ट खाली हैं पांच सौ साठ और नोन गजटेड खाली है सवा तीन हजार। तो यह पोस्ट कब तक भरने का विचार है, नम्बर वन । नम्बर

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

ट्, भेड़ और ऊन विभाग का जब से पशुपालन विभाग के अंदर विलय हुआ है तब से उसके कोई सर्विस रूल नहीं बने और न ही काई डीपीसी हुई है पिछले पांच साल से। तो हम यह जानना चाहते हैं कि डीपीसी कब होगी, पदोन्नति कब होगी और इन पोस्टों को कब तक भरा जाएगा ?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि गजिटेड पदों की भर्ती कब तक की जाएगी। मैंने पूर्व में ही निवेदन कर दिया है कि राजस्थान में 337 पद एसवीओ के सृजित हैं उनमें मात्र 38 पद रिक्त हैं। पशु चिकित्सकों के 1404 पद स्वीकृत हैं उसमें 382 पद रिक्त हैं इन पदों को भरने के लिए जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है कि आरपीएससी को हम लोगों ने, वहां पर उनको लिख दिया है और वहां की भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई, शीघ्र ही उनको कुछ दिनों बाद भरने की कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी। दूसरा प्रश्न पूछा है कि भेड़ और ऊन विभाग का जो विलय हुआ है उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि इसके रूल बन गये हैं और शीघ्र ही डीपीसी की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री गोविन्द राम मेघवाल।

बीकानेर जिले के विद्यालयों/ग्रामों हेतु शुद्ध पेयजल आपूर्ति

286. श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बीकानेर के कितने विद्यालयों में पेयजल सुविधा नहीं हैं? सरकार इन्हें कब तक पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

(2) जिला बीकानेर के कितने गांवों में पानी खारा है ? क्या सरकार इन गांवों को पीने का मीठा पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): (1) बीकानेर जिले में विभिन्न प्रकार के 626 विद्यालयों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किया जाना बाकी है। इन सभी विद्यालयों को 31 मार्च, 2007 तक लाभान्वित किया जाना लक्षित है1

(2) बीकानेर जिले के कुल 670 राजस्व आबाद गांवों (वर्ष 1991 की जनगणानुसार) में से 237 गांवों में टी.डी.एस. (कुल घुलनशील लवण) की

(श्री सांवर लाल)

मात्रा 2000 मिलीग्राम/लीटर से अधिक है। इनमें से 112 ग्रामों को नहरी योजना से लाभान्वित किया जा चुका है एवं 14 ग्रामों को नहरी योजना से लाभान्वित करने हेतु इंदिरा गांधी नहर स्रोत लेकर स्वीकृत नागौर लिफ्ट योजना में जल मात्रा का प्रावधान ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त 31 ग्रामों की अलग-अलग योजनाएं बनाई गई है, जो स्वीकृति निर्णय पूर्व जांच की प्रकिया में है। शेष 80 ग्रामों हेतु उचित स्त्रोत की उपलब्धि पश्चात् योजना बनाई जावेगी। सही योजना बनाने पर प्राथमिकता व संसाधनों की उपलब्धि के आधार पर स्वीकृति तथा क्रियान्वयन सम्भव होगा।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि यह जो गांव वंचित रहे, खारे पानी में, मेरे नोखा विधान सभा क्षेत्र में केडली, बंधड़ा जिसमें खारे पानी की मात्रा काफी है। आप यह जो योजना बना रहे हैं उसके पास कालडी गांव है नागौर में, केडली के लिए पहले भी कालडी से पानी आ रहा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप केडली और बंधडा के लिए कालडी में जगह लेकर एक-एक, दो-दो ट्यूबवैल और बनाने की आवश्यकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस योजना में इन गांवों को यदि नहीं जोड़ा गया है तो इसमें जोड़ने का मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रस्ताव है, इस पर विचार करेंगे और परीक्षणोपरान्त व्यवस्था ठीक होती है तो हम जोड़ देंगे, कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): मेरा एक क्वेश्चन और है इसमें, मेरा आग्रह है कि तीन-चार जगह हैं जैसे गुंदूसर जीएसएस के पास, मैंने पत्र भी आपको भेजा है। मेरा आपसे निवेदन है कि गुंदुसर जीएसएस के पास ट्यूबवैल की अति आवश्यकता है और सारणों की ढाणिया उदासर यह दो जगह, ट्यूबवैल की अति आवश्यकता है, तो आप क्या इसको बनाने की मंशा रखते हैं ? इसके साथ में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने कम से कम 15 करोड़ के पेयजल की स्कीम दी उसके लिए आपका धन्यवाद भी दे रहा हूं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो एगिजस्टिग जहां पर स्कीम, हमारे अधिकारी की जिम्मेदारी है, अगर पानी के

सोर्स में पानी कम पड़ गया तो अल्टरनेट सोर्स व्यवस्था करें। चूंकि माननीय सदस्य को इस बात की चिंता करनी पड़ी और विधान सभा में उठाया, तो पहले मैं जानकारी करूंगा कि अधिकारी, अगर वस्तुस्थिति आप कह रहे हो जो है और सोर्स की जरूरत है और कार्यवाही नहीं की गई तो जानकारी कराकर कार्यवाही भी कराएंगे और उनका स्पष्टीकरण भी लेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, क्योंकि विद्यालयों का मामला है, मंत्री महोदय राजस्थान में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं है। क्या राज्य सरकार यह करने जा रही है कि कोई भी विद्यालय बगैर पेयजल सुविधा के वंचित नहीं रहे, इसके लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं, जरा निवेदन कर दीजिए ?

श्री अध्यक्ष: 626 तो अकेले बीकानेर में, जहां पानी की व्यवस्था ...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सरकारी विद्यालयों में 31 मार्च, 2000 तक पेयजल व्यवस्था सुलभ कराने की माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट भाषण में घोषणा कर दी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह व्यवस्था हम मेंटेन कर देंगे, 31 मार्च, 2007 तक कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं रहेगा जहां पीने के पानी की कोई न कोई व्यवस्था नहीं हो। सरकारी के अलावा गैर सरकारी विद्यालयों की भी मैंने सूची मंगाने के लिए, बीकानेर की, मैंने प्रयास किया लेकिन वह हमें नहीं मिली। चूंकि पानी पिलाना चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी अगर जो प्राइवेट वाले विद्यालय चला रहे हैं, उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है पीने के पानी की यह भी हम जानकारी करके, अगर उनके बूते के बाहर होगी तो उन पर भी हम विचार करेंगे।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले का मामला है, क्या डूंगरगढ़ तहसील के फ्लोराइड गांव हैं उनको भी नहर से जोड़ने की योजना मंत्री महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सारा स्पष्ट कर दिया जहां नहर से सम्भव होगा नहर से जोड़ेगें, जहां नहर दूर पड़ती है वहां वैकल्पिक अन्य योजना बनाकर शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की हम व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पीने के पानी का सवाल है।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने क्या डूंगरगढ़ के गांव लिये हैं?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह जो गांव हैं उसमें सारे गांव हैं, आप चाहे तो मैं एक-एक पढ़ भी सकता हूं क्योंकि मैं लिस्ट लेकर आया हूं। यह कोई परीक्षा वाली बात तो है नहीं।

सैद्धान्तिक रूप से बात यह है कि शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिये नहर का सोर्स अगर सम्भव होगा तो वह, बाकी अन्य सोर्स हम तलाश रहे हैं, जल्दी से जल्दी व्यवस्था करेंगे।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, यह प्राइमरी और अदर प्राइमरी विद्यालय में तो हैण्ड पम्प लगा रहे हैं, मंत्रीजी आप। लेकिन सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी में हैण्ड-पम्प नहीं लगाये जा रहे हैं। क्या सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में भी आप कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह अलग से प्रश्न है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सारे विधालय, जिसमें प्राइमरी, राजीव गांधी से ले कर जितने भी सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी, सबमें व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, चूंकि पीने के पानी का सवाल है। आपने तो अपने प्रश्न के उत्तर में जो बताया है, आपने तो सब गुड़-गोबर कर दिया, 80 ग्रामों का तो कि 80 ग्रामों में उचित स्त्रोत की उपलब्धि के पश्चात् सही योजना बनाने में प्राथमिकता व संसाधनों की उपलब्धि के आधार पर स्वीकृति होगी तो फिर बात ही खतम हो गयी। (व्यवधान) न संसाधन होने हैं, न उचित स्त्रोत मिलना।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं आपके ध्यान में...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्वेश्चन की जो टेक्निकल भाषा है, वह आप सबको मालूम है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप बैठें ना, सचेतक महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, 80 ग्रामों का मेरे कहने का मतलब यह है कि 80 ग्राम जो हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपकी सोच हो सकती है, अध्यक्ष महोदय, आप जिस तरह से चिन्ता कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूं । क्योंकि

(श्री सांवर लाल)

धरती में पानी नीचे फ्लोराइड और खारा है, इसलिये विभाग लगातार कोशिश कर रहा है ।

श्री अध्यक्ष: मैं केवल 80 ग्रामों की बात कर रही हूं, जहां सोर्स नहीं हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कहीं भी आसपास में जहां सही पानी का सोर्स मिलेगा तत्काल हम कार्यवाही करेंगे। जो पानी खारा है वहां पर भी हमने व्यवस्था कर रखी है उस पानी को भी फ्लोरोसिस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से फ्लोराइड की मात्रा कम करके पानी उपलब्ध कराने के लिये योजना चालू है। इसलिये किसी न किसी प्रकार से शुद्ध पानी मिले, राज्य सरकार प्रयत्नशील है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गुड ही गुड कर रहे हैं और पानी शुरू करके ही पिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान में डिसेलिनेशन प्लांट कितने काम कर रहे हैं, आप यही बता दो मुझे। आप कह तो रहे हैं।

श्री सांवर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊ कि एक तो डोमेस्टिक ट्रीटमेंट प्लांट हमने 500 पी.पी.एम. से ज्यादा वाले लगभग लगा दिये गये हैं। अब सूची मैं नहीं लाया, आपके पास भिजवा दूंगा। इस साल 31 मार्च तक लगेंगे वह भी सूची आपके पास भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: पीने के पानी का सवाल है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, यह बीकानेर से सम्बन्धित सवाल है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

प्रश्न संख्या—287

श्री अध्यक्ष: बस, अब अगला प्रश्न। बद्रीलाल जाट, एब्सेंट।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखें)

श्री केसर देव बाबर।

लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के वन रेंज का भौगोलिक क्षेत्र

288. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सीकर में कितने एवं कौन-कौन से वन रेंज हैं तथा इनमें कितना-कितना भौगोलिक क्षेत्र निहित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसर देव बाबर)

(2) क्या यह सही है कि वन रेंज लक्ष्मणगढ़ का पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार तहसील का पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित करते हुए वन रेंज स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां। तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): (1) जिला सीकर में 7 वन रेंज हैं। इनका भौगोलिक क्षेत्रफल वार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। वन रेंज लक्ष्मणगढ़ में तहसील लक्ष्मणगढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र समाहित न होकर पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल सम्मिलित है। जिले में रेंजों का गठन पंचायत समितिवार ही किया गया है।

(3) जी नहीं। जिले की सभी रेंजों के गठन का आधार पंचायत समिति का क्षेत्रफल ही रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जमीन का लेखा-जोखा तहसील के पास होता है, पंचायत समिति के पास नहीं । तो उसका आधार तहसीलवार माना जाए । दूसरा एक निवेदन और भी है कि इन्होंने जो क्षेत्रफल दर्शाया है जिसकी दुबारा से जांच कर ली जाए क्योंकि फतेहपुर में बहुत कम दर्शाया है और लक्ष्मणगढ़ में बहुत ज्यादा दर्शाया है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, भाषण नहीं।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूंछ रहा हूं। दूसरा मेरा यह है कि तहसील जो लक्ष्मणगढ़ है उसको सम्पूर्ण रेंज घोषित की जाए, इसकी 700 पंचायतें हैं वह फतेहपुर रेंज में हैं, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां मरुस्थलीय क्षेत्र या जिले हैं, सीकर के अन्दर 7 रेंज हैं। राजस्थान सरकार और वन विभाग की तरफ से उन क्षेत्रों में पंचायत के द्वारा जो कार्य करवाये जाते हैं और उनमें आपस में समन्वय होने के कारण इन क्षेत्रों के अन्दर पंचायत समितिवार ये क्षेत्र निर्धारित हैं, वन क्षेत्र। माननीय

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

सदस्य के फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ की रेंज है, यह 11.1.05 को माननीय सदस्य की मंशा के अनुरूप यह नयी रेंज स्थापित की गयी जहां पर वन क्षेत्र कम हैं और वन क्षेत्र के बाद पंचायत भूमि पर मरु प्रसार योजना का कार्य सम्पादित करवाया जाता है। माननीय सदस्य ने कहा कि तहसीलवार, तो इन जिलों के अन्दर तहसीलवार यह योजना लागू नहीं है। अन्य क्षेत्रों में जहां वन खण्ड अधिक हैं, वन क्षेत्र ज्यादा है, वहां तहसीलवार कार्य करवाये जाते हैं और जहां पर वन क्षेत्र कम हैं, वहां पर पंचायत समिति के समन्वय के आधार पर इस प्रकार के कार्य किये जाते हैं। इसलिये पंचायत समितिवार समन्वय के आधार पर ही यह कार्य किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र में रेंज स्थापित की।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची।

हनुमानगढ़ के लंबित शस्त्र अनुज्ञा पत्र

289. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत दो वर्षों में जिला हनुमानगढ़ के किन-किन विधायकों ने हथियारों के लिए कब-कब आवेदन किया? क्या उन्हें हथियार के लिए लाइसेंस दे दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में जिला हनुमानगढ़ में कितने व्यक्तियों को हथियारों के लाइसेंस जारी किये गये एवं कितने प्रकरण विचाराधीन हैं तथा आवेदन करने के पश्चात् कितने समय में लाइसेंस जारी किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि समस्त मानदण्ड पूर्ण करने के पश्चात् भी सरकार द्वारा लाइसेंस जारी करने में विलम्ब किया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अब विचाराधीन आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही कर हथियारों के लाइसेंस जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): (1) जिला हनुमानगढ़ में गत दो वर्षों में एक विधायक श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची, विधान सभा क्षेत्र टिब्बी ने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिनांक 17-05-2005 को हथियार लाइसेंस के लिये आवेदन किया। माननीय विधायक द्वारा वांछित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभी तक शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, वैसे सामान्यत: स्वयं के लिये विधान सभा में प्रश्न पूछना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप अपने लिये ही प्रश्न पूछ रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): स्वीकार ही कैसे हुआ।

श्री अध्यक्ष: गलती हो गयी, स्वीकार ही नहीं होना चाहिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): यह प्रश्न इसलिये नहीं पूछा, मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: गलती हुई है, यह गलती हुई है। यह विधान सभा सचिवालय और मेरी, हमारी, दोनों की गलती हुई है कि हमने इसे असेप्ट क्यों किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप चाहें तो जवाब दूं।

श्री अध्यक्ष: गलत है। चलिये आगे, श्री केसर देव।

राज्य के चिकित्सालयों में टेलीमेडिसिन चिकित्सा सुविधा

290. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): क्या उच्च शिक्षा (चिकित्सा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 2005 में सरकार एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र (इसरो) के मध्य कोई एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये हैं? यदि हां, तो एम.ओ.यू. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त एम.ओ.यू. के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों को टेलीमेडीसन योजना से जोड़ने का प्रावधान है? यदि हां, तो किन-किन चिकित्सा संस्थाओं को कब से जोड़ा जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जनवरी, 2004 से अब तक टेलीमेडीसन योजना के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय की गई तथा कितने केन्द्रों पर टेलीमेडीसन चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): (I) जी हां। 10 दिसम्बर, 2005 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र (इसरो) एवं सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राज्य सरकार के मध्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया। एम.ओ.यू. की प्रति संलग्न है।

(2) उपरोक्त परियोजना के प्रथम फेज के अंतर्गत सभी 6 राजकीय मेडिकल कालेजों, उनसे सम्बद्ध 6 अस्पतालों तथा शेष 26 जिला अस्पतालों को टेलीमेडिसिन परियोजना में जोड़ने की योजना है। जिला अस्पताल, झालावाड़ तथा सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर को दिनांक 14-02-06 को टेलीमेडीसन सेवाओं से जोड़ा जा चुका है। शेष मेडिकल कालेजों/जिला अस्पतालों को जोड़ने की कार्यवाही इसरो के सहयोग से की जा रही है, जो इसी वर्ष (2006) में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(3) इस वित्त वर्ष में इस परियोजना के अंतर्गत 3 करोड़ 50 लाख रुपये का आबंटन किया गया है। उपरोक्त राशि के उपयोग की कार्यवाही सम्बन्धित कालेजों/अस्पतालों द्वारा की जा रही है। झालावाड़ जिला राजकीय अस्पताल एवं सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के मध्य टेलीमेडीसन सेवा का प्रारम्भ दिनांक 14-02-06 से हो चुका है। शेष मेडिकल कालेजों/जिला अस्पतालों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

(एम.ओ.यू. की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी श्रीमती वसुंधरा राजेजी ने अपने बजट भाषण 2004-05 के अन्दर पेज नम्बर 24 पर लिखा था कि टेलीमेडीसन परियोजना में चुने हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जिला अस्पतालों व सवाई मानसिंह अस्पताल से जोड़ा जाएगा। मेरे खण्ड 3 के उत्तर में माननीय मंत्रीजी ने यह दिया है कि इस वित्त वर्ष में इस परियोजना के अन्तर्गत 3 करोड़ 50 लाख रुपये का आंबटन किया गया है। राज्यपाल के हर अभिभाषण में, हर बजट के अन्दर यह घोषणा की गयी कि टेलीमेडीसन से उन अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। लेकिन आज तक सिर्फ एक झालावाड़ के अस्पताल को एस.एम.एस. चिकित्सालय, 2 साल पूरे हो जाने के उपरान्त फरवरी, 2006 के अन्दर जोड़ा गया-नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष: अब भाषण नहीं, आप प्रश्न पूछें।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मेरा प्रश्न यह है कि मैंने प्रश्न में यह पूछा है कि जनवरी, 2004 से अब तक टेलीमेडीसन योजना के अन्तर्गत

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कितनी राशि व्यय की गयी। इसी जवाब में लिखा है, इस वित्त वर्ष में। मैंने तो जनवरी, 2004 से पूछा है, इस वित्त वर्ष में कैसे हुआ। पहले 2004-05 और 2005-06 में आपने कितनी राशि व्यय की, नम्बर-एक।

श्री अध्यक्ष: आप भाषण दे रहे हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): नम्बर-दो, इन्होंने जो प्रतिवेदन की कापी मेरे को दी है।

श्री अध्यक्ष: आप क्वेश्चन पूछें। In the form of question, you can ask.

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): उसमें जो इसरो का लिखा हुआ है, टोटल खर्चा होगा 16 करोड़ रुपये, आपने सिर्फ इस साल 3 करोड़ रुपये किये हैं। आप यह कहते हैं कि एक साल में इस योजना को पूरा कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अब आप भाषण पर आ गये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): जब 3 करोड़ रुपये ही दे रखे हैं तो 16 करोड़ रुपये की योजना कैसे पूरी होगी एक साल के अन्दर।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना को जब 10 दिसम्बर, 2005 को इसरो से किया गया है तो निश्चित रूप से योजना को पूर्ण करने में और क्रियान्वित करने में कुछ समय तो लगेगा ही। उसके अन्तर्गत इसरो से कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिण्टर, वीडियो कांफ्रेंसिंग इक्विपमेंट है, टी.वी. है, वी-सैट है, एक्सरे-स्कैनर है, ई.सी.जी. मशीन है, टेली मेडीसन साफ्टवेयर है, यह उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है और यहां पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।

राजस्थान सरकार को भी इसमें रोल अदा करना है, जिसके अन्तर्गत अल्ट्रा साउंड मशीन है, डिजिटल इलेक्ट्रोनिक स्टेथेस्कोप है, डिजिटल पी.एफ.टी है, डिजिटल बी.पी. इक्विपमेंट है, डिजिटल ग्लूकोमीटर है, डिजिटल माइक्रो केमरा है, यह हमने उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, बजट आबंटन प्राप्त कर इन्हें खरीदना शुरू कर दिया है। और आपको सुनकर शायद प्रसन्नता होगी कि 14 फरवरी, 06 को जब यह झालावाड़ से जुड़ा है, उसके बाद वहां के 25 मरीज जिसमें 6 तो कार्डियोलॉजी विभाग के हैं, 2 रेडियोथेरेपी के हैं, 3 चर्म एवं रति रोग विभाग के हैं, 2 न्यूरोलॉजी के हैं, 2 अस्थी रोग के हैं, 4 प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के हैं, सर्जरी विभाग के 2 हैं, मेडिसन विभाग के 2 हैं, ई.एन.टी. का एक है, शिशु रोग विभाग का एक है। इस तरह 25 मरीजों को तो 14

(श्री वासुदेव देवनानी)

फरवरी के बाद लाभ मिलना भी शुरू हो गया है और वहां के डाक्टरों को 6 इस प्रकार के विशेषज्ञों द्वारा लेक्चर भी हुए हैं तो यह प्रक्रिया शुरू हुई है। हम कोशिश यह कर रहे हैं कि अगले तीन चार महीनों में ही इसको प्रारम्भ कर दें लेकिन वर्ष के अन्त तक सभी जो 44 हमारे, 44 यूनिट्स हैं उन सबमें यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मतलब राजस्थान में पहली बार यह प्रयत्न किया है। ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा सिम्पल-सा सवाल है। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, पूछिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): जो बजट है वह है 16 करोड़ रुपये का ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्वेश्चन फार्म में पूछिये। ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): बजट का आबंटन किया है तीन करोड़, साढ़े तीन करोड़, एक साल में आप कह रहे हो कि कम्प्लीट हो जाएगा तो यह कैसे कम्प्लीट हो जाएगा, यह समझा दें। जब बजट ही इस इसरो ने 16 करोड़ रुपये का दिया है तो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह करके बताएंगे कि कैसे कम्प्लीट होता है। वह आपको कम्प्लीट करके बताएंगे कि कैसे कम्प्लीट होता है। ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): पांच साल में कम्प्लीट करने का है इसका जो इसरो का प्रोजेक्ट है वह पांच साल का है और आप कह रहे हैं कि एक साल में कम्प्लीट हो जाएगा। जब मुख्य मंत्री महोदय यह कहती हैं कि समयबद्ध तरीके से हम...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप पूछ रहे हैं कि ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे तो आप यह कहिये कि हम पांच साल में पूरा कर देंगे। तो आप यह क्यों कहते हैं कि तीन-चार महीने में ही पूरा हो जाएगा? जब बजट ही नहीं है तो पूरा कहां से होगा?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह बजट 2005-06 का है, आगे का बजट इस आबंटन में, आप प्रतीक्षा करें और योजना शुरू हो जाएगी, योजना तो कंटीन्यू प्रोसेस होती है पांच साल। एक दिन में सभी सुविधाएं देना... (व्यवधान) मिलनी प्रारम्भ हो जाएगी इसका तात्पर्य यह है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): 2004-05 और 2005-06 में कितना बजट खर्च किया गया इस सवाल का जवाब ही नहीं आया। ... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 2005-2006 का बता दिया आपको।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक छोटी-सी चीज जो मैंने पूछी है वह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दे तो दिया आपको जवाब।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): 2004-05 और 2005-06 में कितना बजट खर्च हुआ यह इसमें मेंशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बता दीजिए कितना खर्च हुआ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह योजना ही जब 2005-06 में शुरू की है तो 2005-06 में साढ़े तीन करोड़ रुपये आबंटन है 31 मार्च तक साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च हो जाएंगे।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): बस मैं यही जानना चाह रहा था। आपने घोषणा की थी 2004 में। योजना की शुरूआत की 2006 के अन्दर। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इंदिरा गांधी नहर की घोषणा 1962 में हुई।

श्री अध्यक्ष: नहीं 1958 में ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 1962 में, 58 में तो वह ... (व्यवधान) और इसको चार साल में ही पूरा होना था और आज तक चल रही है।

श्री अध्यक्ष: प्रारम्भ हो गयी थी। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो हमने टाइम से करना शुरू किया है। यह सरकार को धन्यवाद दो आप।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): महावीरजी, मैं जवाब दे रहा हूं। यह योजना इतने वर्षों में आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया और हमने प्रारम्भ किया। 2004-05 में कोई व्यय नहीं हुआ। 2005-06 में साढ़े तीन करोड़ का हुआ। आगामी वर्षों में पर्याप्त बजटीय प्रावधान करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगले प्रश्न को पुकारने से पहले मैंने अभी कहा था कि सैक्रेटेरिएट की गलती है लेकिन इसमें विधान सभा सैक्रेटेरिएट की कोई गलती नहीं है इसलिए कि प्रश्न का जब तक जवाब नहीं आता है जब तक सैक्रेटेरिएट को पता नहीं चलता है कि यह किसके लिए पूछा गया है। उन्होंने प्रश्न पूछा जब नाम आया धर्मेन्द्र कुमार मोची का, तब पता लगा कि इनके खुद के लिए ही यह प्रश्न है इसलिए मैंने जो गलत सूचना दी थी और क्षमा मांगी थी वापस ले रही हूं।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): विधायकों को लाइसेंस के लिए घूमना पड़े, वह भी गलत है। ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे के लिए कुछ निर्देशित कर दीजिए कि आगे से ऐसा नहीं हो कि माननीय सदस्य अपने बारे में थोड़े ही सवाल पूछ सकते हैं यह आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से अपील करती हूं कि वे स्वयं के बारे में कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछें जो स्वयं से संबंधित हो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है, एम.एल.एज. लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं, गृह मंत्रीजी, उनको भी थानों में जाना पड़ता है। अधिकारी बात को ध्यान से नहीं सुनते।

श्री अध्यक्ष: अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह सारे आप दिखा दें। एम.एल.एज. का हयुमेलाइजेशन होता है। अधिकारी उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनते। कृपा करके बात करें। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री जीतराम। गृह मंत्रीजी, आपने सुना नहीं, वे क्या कह रहे हैं? एम.एल.एज. को भी थानों में जाना पड़ता है। ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): थानों में नहीं जाना पड़ता है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): कोई भी एम.एल.ए को बिलकुल टाइम से नहीं मिलता है लाइसेंस।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरा खुद का थाने में भेजा और मैं कलक्टर से मिला तब मिला।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आप तो गृह मंत्रीजी, यह कह दो कि राजस्थान में जो एम.एल.ए. हैं अपने-अपने जिलों में लाइसेंस मिल जाए उनको

(श्री अशोक बैरवा)

प्राथमिकता से, सीधी-सी बात है। सत्ता पक्ष के विधायक लाइसेंस मांग रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनो उनको। आप बैठें, उन्हें सुनिये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): और भी विधायक हैं जिनके पेंडिंग है। पूर्व विधायकों के भी पेंडिंग हैं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, उन्हें सुनिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो विधान सभा सत्र में लाइसेंस को लेकर बारबार प्रश्न खड़े हुए और इसलिए हमने पिछले साल 16 अगस्त को ही पूरे डाइरेक्शन दिये थे कि 90 दिन में आपको केस डिसाइड करना होगा। उसमें से 60 दिन हमने पुलिस को अधिकार दिया और 30 दिन में जो कलक्टर के पास रिपोट आएगी, उसको यस और नो अगर रिजेक्ट करना है तो करें लेकिन अभी भी इसमें कुछ डिले चल रहा है। मैंने फिर कोशिश की है कि यह 90 दिन में इसका फैसला हो जाए। उसमें एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं है। किसी भी प्रकार से उनको किसी भी केस में कोई सज़ा नहीं मिली है तो उनके एफिडेविट को मानकर और कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें वन विभाग से भी हमको उनसे क्लियरेंस लेनी पड़ती है तो उन दोनों की क्लियरेंस आने के बाद, यस मिलेगा तो मिलेगा और अगर किसी के खिलाफ कोई पुलिस केस है, विधायक हो, कोई भी हो, तो उसे नहीं मिलेगा और अगर नहीं है तो मिलेगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय गृह मंत्री महोदय, आप अन्य प्रान्तों की जैसे विधायकों को एक-एक गन-मैन क्यों नहीं देते ताकि आपके यह लाइसेंस का चक्कर ही खतम हो जाए। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री जीतराम। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अन्य प्रान्तों में यह व्यवस्था है, आप क्यों नहीं करते राजस्थान में यह कि हरेक विधायक को गन-मैन की व्यवस्था आप कर दें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष का विधायक लाइसेंस के लिए मोहताज है और भी विधायक हैं जिनके पेंडिंग हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप मंत्री महोदय, हमारी भावना को समझेंगे 90 दिन की, विधायक आपको दरख्वास्त देता है, आप आउटस्टेंडिंग इंस्ट्रक्शन करिये, विधायक से बड़ा कौन आदमी है आपके पास?

श्री अध्यक्ष: बता तो दिया सारा आपको, बता तो दिया। ... (व्यवधान) 90 दिन का बता दिया आपको और आपके एफिडेविट से आपको जल्दी मिल जाएगा। ... (व्यवधान) आप एफिडेविट दे दीजिएगा।

पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट रोकने हेतु चल प्रयोगशालाएं

291. श्री जीतराम (मालपुरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट रोकने हेतु 'चल प्रयोगशालाओं' की योजना लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) गत दो वर्षों में ऐसे कितने प्रकरण सामने आए एवं उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : (1) जी नहीं। किन्तु राज्य में भारत सरकार की तेल कम्पनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक के नियंत्रण में चल प्रयोगशालाएं (मोबाइल लेब) संचालित हैं। वर्तमान में 2 चल प्रयोगशालाएं (मोबाइल लेब) क्रमश: जयपुर व जोधपुर मुख्यालय पर स्थित हैं। इन प्रयोगशालाओं द्वारा निम्नांकित अनुसार जिलों में जांच की जाती है:-

क्रम संख्या	मोबाइल लेब का स्थान	संबंधित जिले
1	जयपुर	जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, दौसा, भरतपुर, करौली, अलवर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, बारां, भीलवाड़ा, अजमेर, झालावाड़, धौलपुर एवं झुन्झुनूं।
2	जोधपुर	जोधपुर, बीकानेर, नागौर, उदयपुर, चित्तौडगढ़, सिरोही, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, राजसमन्द, डूंगरपुर, एवं बांसवाड़ा।

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

(2) गत 2 वर्षों में तेल कम्पनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मोबाइल लेब्स द्वारा विभिन्न तेल कम्पनियों के पेट्रोल पम्पों की जांच का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	आई.ओ सी.	एच.पी.सी.	बी.पी.सी.	आई.बी.पी	कुल
2004-05	123	59	70	18	270
2005-06	187	108	124	39	458

उपरोक्त जांच के दौरान प्रथम दृष्ट्यया मिलावट प्रकट होने वाले प्रकरण निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	पम्प का नाम	तेल कम्पनी का नाम	कारण	कार्यवाही
मार्च,05	मैसर्स न्यू राजस्थान पेट्रोल सर्विस बगरू	एच.पी.सी.	डीजल की डेन्सिटी में फर्क होने के कारण	दिनांक 1.3.2005 को कम्पनी की मोबाइल लेब द्वारा जांच करने में डीजल डेन्सिटी में सामान्य से अधिक अन्तर आने के कारण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा पम्प के डीजल टेंक संख्या-2 से बिक्री रोकी गई। दिनांक 7.3.2005 को जिला एवं सत्र न्यायालय, जयपुर नगर द्वारा प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखने तथा आगे कोई कार्यवाही नहीं करने का स्थगन आदेश दिया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि 7.4.2006 नियत है ।

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

अगस्त, 05	श्री महादेव ऑटो डीजल, बाड़मेर	बी.पी.सी.	पम्प पर पेट्रोल का सेम्पल फेल होने के कारण	पम्प पर पेट्रोल का सेम्पल फेल हुआ परन्तु जिस टेंकर द्वारा पेट्रोल सप्लाई किया गया था वह सेम्पल भी फेल हुआ, इसलिए पम्प डीलर को तेल कम्पनी द्वारा दोषी नहीं माना गया बल्कि परिवहनकर्ता को दोषी मानते हुए टेंकर को ब्लेक -लिस्ट कर दिया गया।

श्री जीतराम (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में चल प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त स्थाई प्रयोगशालाएं कहां-कहां हैं ? दूसरा, सेम्पल लेकर दोषियों पर कार्यवाही करने का अधिकार किस स्तर के अधिकारी को है? वर्ष 2005-06 में विभाग और पुलिस विभाग द्वारा मिलावट के प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

डा. किरोड़ी लाल (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चल मोबाइल्स के अलावा अचल जो मोबाइल है, एक तो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जयपुर है। एक स्टेशनरी लेब आफ आई.ओ.सी. एक्ट, सालाबास, जो जोधपुर है। दो लेब जयपुर में है। एक आई.ओ.सी. की है और एक बी.पी.सी. की सांगानेर में है और कार्यवाही करने का अधिकार मोटर स्प्रिट एण्ड हाई स्पीड डीजल रेगुलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन एण्ड प्रिवेंशन आफ मालप्रेक्टीसेज आर्डर, 1998 के खण्ड-4 में डी.एस.ओ, ए.डी.एस.ओ., एग्जिक्यूटि व मजिस्ट्रेट अप टू द तहसीलदार एण्ड पुलिस आफिसर अप टू द डीवाई.एस.पी. अधिकृत है। और जो दूसरी सूचना इंस्पैक्शन की माननीय सदस्य ने चाही है वह अचल मोबाइल्स के संबंध में है। इसलिए यह जो क्वेश्चन किया इस संबंध में यह सूचना है।

प्रश्न संख्या—292

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन श्री भरत सिंह। (अनुपस्थित)

(अनुपस्थित – कृपया आगे देखें)

श्री प्रहलाद गुंजल।

पशु पेयजल नीति

293. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार पश्चिमी राजस्थान की तर्ज पर समान पशु पेयजल नीति बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : भारत सरकार से डी.डी.पी. क्षेत्र में लागू मानदण्ड पूरे प्रान्त में एक समान लागू करने हेतु निवेदन किया गया है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जब सारे राजस्थान में आबादी के बराबर पशुधन की संख्या है। पशु पेयजल की नीति केवल मात्र पश्चिमी राजस्थान में अलग से बनाई हुई और जब पूर्वी राजस्थान में अभी हैण्डपम्प, नलकूप या डार्क जोन में टैंकर से सप्लाई का प्रश्न आता है तो विभाग द्वारा केवल जनसंख्या को आधार मानकर पशु पेयजल की आपूर्ति की जाती है। यह एक चिन्ताजनक विषय है इसलिए इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जब तक भारत सरकार से परमिशन नहीं मिलेगी, पशु पेयजल की व्यवस्था के समान प्रबन्ध के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता की है भारत सरकार के द्वारा पूरे देश के 227 जो ब्लॉक्स हैं उनमें एक विशेष प्रकार की सुविधा 40 लीटर प्रति व्यक्ति, 30 लीटर प्रति पशु के हिसाब से आदेश जारी किये हुए हैं। राजस्थान के 16 जिलों के लगभग 85 ब्लॉक्स इस क्षेत्र में आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री बनने के बाद जब जानकारी में आया तो माननीय मंत्री महोदय, भारत सरकार को मैंने चिट्ठी लिखी 4-6-2005 को और भारत सरकार के मंत्री महोदय का जवाब भी मेरे पास आया था 14 जून को कि आपने जो पत्र लिखा उसके ऊपर भारत सरकार विचार कर रही है। अब माननीय सदस्य का जहां तक सवाल है

(श्री सांवर लाल)

पश्चिमी राजस्थान में स्थिति का हम यह तो सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि कुछ एरिया ड्राई है और वहां पर विशेष खराब है। और जहां तक हैण्डपम्प लगाने का सवाल है तो यह कोई प्रति लीटर प्रति पशु हम कंसीडर नहीं करते हैं। जितना भी आपने बताया इसमें माननीय सदस्य ने जहां-जहां पर भी मांग बताई, हमने ड्रील करवाये और सैंक्शन किये हैं। इसी प्रकार अभी टैंकर परिवहन का जहां तक सवाल है उसमें हमने एक ही शब्द लिखा कि जहां पेयजल परिवहन टैंकर द्वारा करना है, आवश्यकतानुसार पानी की व्यवस्था करनी है बाकी तो पानी के लिये चिड़ा-चिड़ी के लिये भी हम पुराने जमाने के अंदर व्यवस्था करते थे। पशुओं के पीने के पानी का जहां तक सवाल है, इस क्षेत्र के अंदर भी तालाब, नाडे, एनीकट, सब भरे रहते हैं और विशेष रूप से ऐसी कोई स्थिति आयेगी तो मैं आपको नीति बने, नहीं बने, हमारी नीति यह है कि राजस्थान में जितनी आबादी है, पशुधन भी हमारी इकोनोमी की रीढ़ है इसलिए पशुओं को पीने के पानी की तकलीफ हो या उसके बिना वह नहीं रहे, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। कोई भी माननीय सदस्य हमारे यह ध्यान में लायेगा तो निश्चित रूप से कोई अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होगी तो वह करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): जो टैंकर स्वीकृत हुए हैं, वह आबादी के हिसाब से हुए। पशु जनसंख्या उसमें नहीं जोड़ी गयी, अंत: आप यह सुनिश्चित करें इस वर्ष अकाल में पशु जनसंख्या को सम्मिलित करते हुए टैंकरों की संख्या स्वीकृत की जाएगी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी, हम आपकी काबिलियत पर शंका नहीं करते हैं। हमें खुशी है कि आपने पहली दफा 20-20 नलकूप दिये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अब सवाल पश्चिम राजस्थान का नहीं रहा, मेरे जैसे क्षेत्र नैनवां में, पूर्वी राजस्थान में हैण्डपम्प बोलने लग गये, बिना ट्यूबवैल के पानी नहीं आता है। मवेशी मनुष्यों से ज्यादा पानी पीते हैं। यह आप जो डी.डी.पी. के तहत परमिशन ला रहे हो, जल्दी लायें। राजस्थान सरकार क्या कर सकती है? नदी, नाले सूख चुके हैं, तलाइयों में पानी नहीं है, बहुत कम जगहों पर है इसलिए कृपा करके आपकी काबिलियत और सरकार की काबिलियत को हम देखना चाहते हैं। सवाल आपका और हमारी पार्टी का नहीं

(श्री रामनारायण मीणा)

है, यह सदन आश्वस्त होना चाहता है कि जो गर्मियों में परेशानी आती है, पूरे राजस्थान का सवाल हो गया, जहां इंदिरा गांधी कैनाल चली गयी वहां की बात नहीं करता मैं। सवाल यह है कि आप कैसे हमारे को आश्वस्त करोगे, गर्मी में हम कैसे इस भीषण परिस्थिति से बच सकेंगे? यह मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे क्षेत्र में कहीं पानी नहीं है। अभी से जंगली पशु मरने लगे हैं तो कृपा करके हमें आश्वस्त करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है जैसे मंत्रीजी ने कहा आपने नलकूप और हैण्डपम्प तो दे दिये, लेकिन जो पशु बोल नहीं सकता, हमारे खासकर पूर्वी राजस्थान जिसमें भरतपुर, धौलपुर, अलवर की बात मैं करता हूं। वहां पिछले साल भी यह सही है कि आपने टैंकरों में कैसे भी पानी भरवाने की व्यवस्था की थी।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसलिए अध्यक्षजी, मेरा आपके माध्यम से सवाल यह है कि क्या इस वर्ष भी आप उन पोखरों में पशुओं के पीने के लिये पानी की व्यवस्था चाहे गुडगांव कैनाल के जरिये, चाहे कैसे भी हो, कोई व्यवस्था करने का प्लान आपने बनाया है क्या? उन पोखरों की सफाई करवाकर पानी की व्यवस्था कर दें।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुख्य बात है वह यह आई कि पशु के लिये अभी माननीय सदस्य ने कहा मुंह से बोल नहीं सकते तो दो साल से ही तो बोलना बंद नहीं किया। यह तो पशु हैं शुरू से ऐसे रहे हैं और इनके लिये हम व्यवस्था करते आये हैं। अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि टैंकर लगायें तो टैंकर जहां भी आवश्यकता होगी किसानों के निजी कुए भी हैं, निजी पानी की व्यवस्थाएं भी होती हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने तो यह कहा कि आपने पिछले साल भी की थी इसलिए इस साल भी कर रहे हो क्या?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): करेंगे साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हमने यह नहीं कहा कि आपने नहीं की और यह भी नहीं कि पहले की सरकारों ने नहीं की। पशु बोलते तो हैं लेकिन उनकी भाषा आप समझते हो कि नहीं, यह बता दें।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं बिलकुल, पर आपने कहा न बोलते नहीं हैं तो मैंने कहा कि शुरू से जब से पैदा होते हैं तब से ही नहीं बोलते हैं। मेरा निवेदन है कि जहां पर भी आप बताओगे, मैंने कहा कि पशु पालन राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिये राजस्थान के किसान की रीढ़ है। इसलिए निश्चित रूप से कहीं भी यह जानकारी आयेगी कि पशुओं के पानी की तकलीफ है, मैं व्यवस्था करवाऊंगा। यह निर्देश हमने जारी कर भी रखे हैं और भी हम दे देंगे। नगर के माननीय सदस्य ने यह बात उठाई है, आप बताइये उस हिसाब से जहां कहीं भी व्यवस्था हो सकती है, मैं निश्चित रूप से आपको पूरा सहयोग करूंगा। दूसरा माननीय उप नेता महोदय ने राजस्थान की चिन्ता की है, वास्तव में यह तो चिन्ता की बात है और माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जल अभियान शुरू किया तो मैं सभी माननीय सदस्यों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आने वाले समय में राजस्थान में अगर हालात सुधारने हैं तो उस अभियान में अपना सक्रिय सहयोग होना चाहिये। जो हमारे पास उपलब्ध जल है, उसका अधिकतम उपयोग हम करें और आने वाले समय में बरसात ठीक हो। जहां जहां पर जरूरी हो हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनायेंगे तो निश्चित रूप से लेवल ऊपर आयेगा। बाकी आप कह रहे हो वाटर लेवल की मेरे भिनाय क्षेत्र में भी यही हालत है। लगभग सब जगह यही है। जहां पर खारा पानी है या फ्लोराइड का पानी है वहीं अण्डर ग्राउंड वाटर थोड़ा बहुत है बाकी सब जगह खतरनाक स्थिति में है। उसमें हम सब मिलकर सामूहिक सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जनता में एक भावना पैदा होगी कि यह सरकार का नहीं अपना पानी है, अपने लिये है। इसका कंजर्वेशन और उपयोग हम ठीक ढंग से करेंगे तो आने वाले समय में राजस्थान का भविष्य पानी के हिसाब से सुरक्षित रहेगा। माननीय सदस्य, आप सारी बात जानते हैं 10 प्रतिशत एरिया अपने पास है जबकि सरफेस वाटर केवल 1.16 प्रतिशत है। ऐसे में आपकी चिन्ता और मेरी चिन्ता स्वाभाविक है। अब इसका मिलकर हम रास्ता निकालेंगे । बाकी मैं सदन को यह आश्वस्त जरूर करना चाहूंगा कि आने वाले तीन महीने के अंदर किसी प्रकार का पेयजल का संकट नहीं होने देंगे, जो भी आप चाहेंगे, उस प्रकार से सरकार पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करेगी।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री रमेश खींची (कठूमर): माननीय मंत्री महोदय, यह हमेशा व्यवस्था होती रही है।...व्यवधान

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया। अब कोई नहीं, नैक्स्ट क्वेश्चन।...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि पशुओं के पीने के लिये ...(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष: नहीं, अंकित नहीं हो। श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पढ़ा नहीं, सारा सरकुलर पढ़ लो। अभी करवा दी व्यवस्था।

श्री अध्यक्ष: Next question has been called now. आप काहे को बोल रहे हैं? नैक्स्ट क्वेश्चन।

राज्य में निजी/सार्वजनिक भागीदारी में नवीन औद्योगिक क्षेत्र

294. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विगत दो वर्षो में कुल कितने नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सार्वजनिक/निजी साझेदारी से नये औद्योगिक क्षेत्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : (1) वर्ष 2003-04 व 2004-05 में रीको द्वारा क्रमश: 5 व 7 नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन यदि सार्वजनिक/निजी साझेदारी से नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने का कोई उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर विचार किया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनकी यह मंशा है कि हर तहसील में एक औद्योगिक केन्द्र विकसित किया जाए? जैसे मावली में प्रोपर में हो सकता है, सलूम्बर में हो सकता है, खैरवाड़ा में हो सकता है, राजसमन्द जिले में रेलमगरा में औद्योगिक क्षेत्र में बनाया जा सकता है, देवगढ़ में बनाया जा सकता है, कोटड़ा और झाड़ौल में भी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा सकता है। क्या इस प्रकार की सरकार की मंशा है जिससे अधिक से अधिक लोगों को हम रोजगार पर लगा सकें?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की वह स्वाभाविक है। एम्प्लोयमेंट जनरेशन हमारा प्राइम क्राइटेरिया है अगर जिस क्षेत्र से दस एप्लीकेशंस कीननैस की कि इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र अगर खुले तो हम उद्योग लगायेंगे, ऐसे उद्यमियों के द्वारा अगर प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं, जिस जिले में भी प्राप्त होंगे उस क्षेत्र में मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 48 घंटे में, यहां रीको हैड ऑफिस में पहुंचने के, उन पत्रों के पहुंचने के 48 घंटे के अन्दर-अन्दर मैं सर्वे के लिए निर्देश जारी करके और तुरन्त कार्यवाही करवाऊंगा।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री महीपाल यादव।

कामां एवं पहाड़ी (भरतपुर) में संचालित अवैध स्टोन क्रेशर

295. श्री महीपाल यादव (बानसूर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय की याचिका संख्या 7544/2003 के निर्णय दिनांक 20 अक्टुबर, 2004 द्वारा जिला प्रशासन भरतपुर को तहसील कामां व पहाड़ी की खानों को बंद किये जाने का निर्देश दिया गया है? यदि हां, तो क्या जिला प्रशासन द्वारा उक्त निर्णय की पालना की गयी? यदि हां, तो कितनी खानों को बंद कराया गया व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील कामां एवं पहाड़ी जिला भरतपुर में क्रेशर मशीन संचालित है? यदि हां, तो कितनी? क्या सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उक्त क्रेशर मशीनें हटायी गयीं? यदि हां, तो कितनी व कब तथा नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): (1) जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय की याचिका संख्या 7544/03 के निर्णय दिनांक 20.10.04 द्वारा जिला प्रशासन भरतपुर तहसील कामां व पहाड़ी की खानों को बंद किये जाने का निर्देश नहीं दिया है। उक्त आदेश द्वारा खनन पट्टाधारियों से पर्यावरण सम्बन्धी नियमों की पालना कराने के निर्देश दिये गये थे।

(2) जी हां। कामां एवं पहाड़ी जिला भरतपुर में क्रेशर मशीनें संचालित हैं। तहसील कामां में 47 व पहाड़ी में 7 क्रेशर मशीनें संचालित हैं।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रेशर मशीनों को हटाने सम्बन्धी आदेश नहीं दिये गये हैं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मथुरा-वृन्दावन के पंडे आपसे नहीं मिले थे और उन्होंने जो ब्रज चौरासी की परिक्रमा लगाते हैं उन्होंने यह कहा है कि, साहब, यह प्रदूषण होता है, इनको खानों को बंद करो? आपने उनको आश्वस्त भी किया है और पर्यावरण के नाम पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब बेरोजगार नौजवानों ने जो पट्टे लिये हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं उनको पर्यावरण के नाम पर आप बंद करने की धमकी दे रहे हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है।

और, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि क्षेत्र के खनन बंद करने से पूर्व आपने उनसे कहा है कि हम दूसरी जगह आपको आबंटन कर देंगे? यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

श्री अध्यक्ष: आपने प्रश्न पूछ लिया। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): और पर्यावरण के नाम पर ही अगर आप चिंतित हैं तो मेरे बहरोड़ में तो इतना पर्यावरण दूषित हो गया है, आप बंद कराओगे उनको?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अश्विनी चौबे वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, इसके निर्णय के आधार पर राजस्थान में 20,758 माइंस बंद की गयीं। उसके बाद में राज्य सरकार के द्वारा, खनिज विभाग के द्वारा और वन विभाग के द्वारा एक सघन अभियान चलाकर एन्वायर्नमेंट की परमिशन दी गयी जिससे राजस्थान में 16,334 खानें प्रारम्भ की गयीं।

माननीय सदस्य ने अश्विनी चौबे वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान की याचिका का जो हवाला दिया है उस याचिका में दस डाइरेक्शन दिये गये हैं उन डाइरेक्शंस के बाद में एक राज्य सरकार के द्वारा रिव्यू पिटिशन पेश की गयी और उस रिव्यू पिटिशन के आधार पर राजस्थान में इन खानों को वापस प्रारम्भ किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ब्रज क्षेत्र के अन्दर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अन्छर ब्रज चौरासी क्षेत्र के अन्दर...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): तत्कालीन सरकार ही कह दो जी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): तत्कालीन सरकार में ब्रज क्षेत्र के अन्दर परिक्रमा क्षेत्र जो था उस क्षेत्र के अन्दर जो माइंस चलती थीं उसको बंद करने का कई बार ज्ञापन दिया गया और पुन: राजस्थान की

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री महोदय वसुन्धराजी के पास इस प्रकार के ज्ञापन। रमेश बाबा और अन्य कई साधु-संतों के द्वारा प्रस्तुत किये गये और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ और निर्देश के बाद में जहां ब्रज क्षेत्र का जो प्रस्तावित नक्शा रमेश बाबा ने जो प्रस्तावित किया था उस प्रस्तावित नक्शे के आधार पर जो ब्रज चौरासी क्षेत्र की परिक्रमा का मार्ग है उसमें 17 खानें आती थीं, उनके और वहां के आस-पास माइंस होल्डर्स की मीटिंग की गयी, वहां के जन प्रतिनिधियों को बुलाया गया। उन सब को कांफिडेंस मकें लेते हुए ब्रज चोरासी क्षेत्र की परिक्रमा के मार्ग में जो 17 खनन पट्टे थे उनको बंद करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया। उसके साथ रमेश बाबा के द्वारा प्रस्तावित 25 मन्दिर, जो उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाएं और जो स्थान चिह्नित किये थे, उनके चिह्नित स्थानों पर भी राज्य सरकार ने 500 मीटर की परिधि में कोई खनन कार्य नहीं होवें, इसके लिए भी आदेश प्रस्तावित किये थे और जो आदेश हैं वो जारी हैं।

जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की हैं ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा, उन सभी की भावनाओं का आदर करते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्देश के आधार पर उन खानों को बंद किया गया और उन 17 खनन पट्टाधारियों को हमने आश्वासित किया है कि उन लोगों को निश्चित रूप से हम अन्य स्थानों पर खान आबंटित करेंगे। ताकि जो बेरोजगार लोग हैं, जो पट्टाधरी हैं उनको समयबद्ध तरीके से उनको खनन आबंटन कर उन लोगों को रोजगार निश्चित रूप से दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री लालचंद कटारिया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, अभी मंत्रीजी ने अपने उत्तर में स्वयं जिक्र किया कि आपने जन प्रतिनिधियों सहित उन साधु-संतों की और खनन पट्टाधारियों की और श्रमिकों की खनिज भवन में बैठक बुलायी थी, मैं भी उसमें शामिल हुआ था। क्या यह सही है कि आपने उस बैठक में यह आश्वासन दिया था कि हम यहां से तुम को हटाने से पहले तुम्हारे खनन पट्टे निरस्त करने से पहले तुम को दूसरी जगह हम खान अलाट कर देंगे ताकि आप बेरोजगार नहीं रहो, आपका काम चलता रहे?

श्री अध्यक्ष: वह तो कह रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, बंद तो कर दिये, आपने दूसरी जगह उनको अलाट की क्या? और नहीं की तो कब तक दूसरी जगह उनको खनिज पट्टे आबंटित कर देंगे? यह बताइये।

श्री अध्यक्ष: प्रक्रियाधीन है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन खान पट्टाधारियों के खान बंद का आदेश राज्य सरकार का दिया गया...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 17 नहीं 29 हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 17, और राज्य सरकार की निश्चित भावना है कि उन खनन पट्टाधारियों को निश्चित रूप से खान आबंटन की जायेगी ताकि उस क्षेत्र के अन्दर जो लोग रोजगार और वहां मजदूरी करते थे उनको रोजगार देने के लिए हमने अपनी तरफ से हमारे अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। और स्थान और खनन क्षेत्र निश्चित करते ही उन लोगों को आबंटन करने के लिए हम समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया के आधार पर उस कार्य को जल्दी से जल्दी कराने का कार्य करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, जल्दी से जल्दी कब तक, माननीय मंत्री महोदय, यह तो बताओ आप। साल, दो साल में करोगे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जल्दी से जल्दी तो जल्दी से जल्दी ही होता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्दी से जल्दी तो कोई एक समय सीमा तो। उनको निरस्त कब की थी, माननीय मंत्री महोदय, आपने। आबंटन कर देंगे, यह समय सीमा तो तय हो। आपने निरस्त कब की थी, मंत्रीजी, यह खानें?

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में...

श्री अध्यक्ष: तीन तो खड़े हैं, किसका नाम पुकारूं। ...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): मेरे क्षेत्र में यह जो क्रेशर लगे हुए हैं वह क्रेशर सारे के सारे ही नियम विरुद्ध लगे हुए हैं। क्या मंत्रीजी उनको बंद करने की कोशिश करेंगे?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हजारों लोगों की रोजीरोटी का सवाल है। हम यह नहीं कहते कि आपने जो ब्रज चौरासी क्षेत्र एक धार्मिक ...(व्यवधान) उसको निरस्त कर दी।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी कह रहें हैं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लेकिन आपने खुद ने यह आश्वासन दिया था। मैं उस मीटिंग में था कि हम निरस्त करने से पहले आपको दूसरी जगह पुनर्वासित करेंगे। लेकिन आपने फिर भी निरस्त कर दी। और निरस्त करने के बाद अभी तक आप उनको आबंटित नहीं कर रहे हैं तो आबंटित कब तक कर देंगे, यह बताएं।

श्री अध्यक्ष: बता दें न, मंत्रीजी, पांच महीने, सात महीने, दस महीने। बता दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बताओं न, मंत्रीजी, अध्यक्ष महोदय कह रही हैं, अब तो बताओ।

श्री अध्यक्ष: अब एक का तो जवाब आने दीजिए।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह कहा है कि हमने कोई बंद करने के निर्देश नहीं दिये हैं ...(व्यवधान) माहिर साहब, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: बात तो वो ही आप पूछ रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं नगर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अपने जवाब में कहा है कि हमने बंद करने के कोई निर्देश नहीं दिये हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम उनको आबंटन भी कर देंगे। जो आदमी बेरोजगारी के चौराहे पर खड़ा है, आप उसके लिए यह घोषणा करो न कि कब तक उनको आबंटन करेंगे। आप पंडों के चक्कर में आकर यह कर रहे हो कुछ पंडों को राज़ी करने के लिए। कौन है यह बाबा रमेश? रमेश बाबा ले आये बीच में ही।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने याचिका संख्या 7544/2003 के बारे में जानकारी पूछी गई उस सम्बन्ध में हमने उत्तर दिया है ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): संयत भाषा नहीं बोल रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 7544/2003 ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम उस जबाव से संतुष्ट हैं आप तो यह बता दें निरस्त कब किया आपने इनको यह बता दीजिए और इनके आबंटन की कार्यवाही कब तक कर देंगे? यह दो बातें बता दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों को डाइरेक्शन दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष: तो आप जवाब यह क्यों दे रहे हैं उनको निर्देश दिया नहीं ...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): स्थान को चिह्नित करके , एक प्रक्रिया होती है, आवेदन किया जाता है, एन ओ सी ली जाती है फोरेस्ट से एन ओ सी ली जाती है, कलक्टर से एन ओ सी ली जाती है, पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद लीज आबंटित की जाती है ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह टाइम बता सकते हो क्या मंत्री जी ? तारीख बता दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): जल्दी से जल्दी करवा देंगे, आवेदन कर्ता अगर खनन पट्टा धारी समयबद्ध तरीके से समय पर अगर अपना आवेदन नहीं करेगा और आप कहते हैं कि आप निश्चित समय दे दें, कैसे दे देंगे समय, हम अपनी तरफ से जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्षजी, आप तो उत्तर पढ़ लें इनका एक तरफ तो यह कह रहे हैं 17 की निरस्त कर दी और ...(व्यवधान) दूसरी तरफ कह रहे हैं हमने खानें बंद करने के कोई निर्देश नहीं दिए। यह इर्रेलेवेंट आपका जवाब ही गलत है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं राज्य सरकार के स्तर पर हमने एक कमेटी एस एम ई की अध्यक्षता में कमेटी कांस्टीट्यूट कर दी है और कमेटी के जल्दी से जल्दी रिपोर्ट प्रस्तुत करते ही यह आबंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह तो ठीक है लेकिन आप स्वयं जवाब में कह रहे हैं कि खानों को बंद करने का निर्देश नहीं दिया, फिर आप कैसे करेंगे आबंटन? आप तो खुद कह रहे हैं कि निर्देश नहीं दिया ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): जी क्या फरमाया अध्यक्ष महोदय?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप उत्तर का खण्ड दो पढ़ें ।

श्री अध्यक्ष: आपने कहा खानों को बंद किये जाने का निर्देश नहीं दिया ये कह रहे हैं फिर आबंटन किस बात का ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप जवाब पढ़ लें।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लीगल पट्टाधारी हैं ...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003-04 में अश्विनी चौबे वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान के मामले की बात मैंने की है। इसलिए जो प्रश्न किया था अश्विनी चौबे वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान जिसका निर्णय हुआ था उसके तहत बीस हजार खानें राज्य सरकार को आदेश देकर के बंद की थी फिर बाद में एन्वायरमैंट क्लियरेंस की हमने कार्यवाही की उससे सोलह हजार खानें पुन: प्रारम्भ की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में 5711 खानें बंद हैं। यह इन्होंने प्रश्न इस अश्विनी चौबे वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान के बारे में किया था।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो 17 खानें बता रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक पर्टिकूलर प्रश्न को ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कामां और पहाड़ी का है क्या कामां और पहाड़ी में पांच हजार खानें हैं क्या ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): पूरे राजस्थान की कह रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: एक पर्टिकूलर खान को बंद करने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया उसे इन्होंने नहीं दिया था, वह हाई कोर्ट का आर्डर था।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो उस मीटिंग में थे उनको तो प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह जो 17 खानें हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ मथुरा के पण्डों से सौदा हुआ है इनका ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह केवल पण्डों की और इनकी उनकी बात करके ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): असली बात तो मथुरा के पण्डों को राज़ी करने के लिए आप कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्या हो गया राज़ी करने के लिए कर रहे हैं तो ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): रमेश बाबा कहां आ गए बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय? यह इल्लीगल तरीके से इन खानों को बंद कर रहे हैं और ...(व्यवधान) वह मजदूर कहां जाएंगे बेचारे ? इनको लीगली आबंटन हुआ है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मंत्रीजी की गलती हो गई इनको राज़ी करना चाहिए था, यह कह रहे हैं मथुरा के पण्डों को क्यों राज़ी किया?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बैठो आप बैठो ।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): क्यों बैठूं ? सुनने की ताकत रखो आप, कहने की ताकत रखते हो सुनने की ताकत भी रखो। आपको सुनने की ताकत रखनी पड़ेगी। आप कहां-कहां क्या क्या करते हैं यह निश्चित रूप से आपका... (व्यवधान) आपसे सौदा करना चाहिए था।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): आप अध्यक्ष के पद पर आकर बैठ जाएं ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आपसे सौदा करना चाहिए था यह कह रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): हम सम्बोधित अध्यक्ष को कर रहे हैं आप ख्वामख्वाह बीच में खड़े हो रहे हैं ।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आप सुनिए ना हम भी अध्यक्ष को कह रहे हैं ।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मनगढंत हमारे मंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं बगैर सबूत, बगैर तथ्य इन जैसा ईमानदार मंत्री आपको कोई जगह नहीं मिल सकता है, इतने ईमानदार व्यक्ति हैं इसके ऊपर आप आरोप लगाते हो।

एक माननीय सदस्यः यहां बेहोशी की दवा पिलाई गई थी क्या बात करते हो । ...(व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): यह पण्डे और पुजारियों को खुश करने वाली सरकार है।

एक माननीय सदस्य: कांग्रेस में आपके जो मंत्री हैं उनके कितने कितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): पण्डे और पुजारियों की जब तक सफाई नहीं होगी देश का नक्शा नहीं बदल सकता।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट प्रश्न। श्री लालचंद कटारिया, आपस में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, यह आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। माननीय मंत्रीजी ने कहा कि हमने उनके लिए जगह चिह्नित कर ली। जगह जब चिह्नित कर ली तो उसमें फोरेस्ट की एन ओ सी का कोई सवाल नहीं है वह सत्रह जो खनिज धारी हैं, पट्टाधारी हैं, यह सारी फार्मलिटी पूरी हो गयी, उनको आपको आबंटित करने में क्या दिक्कत आ रही है ? एक तरफ आप हितैषी बन रहे हो गरीब लोगों के ।

श्री अध्यक्ष: शीघ्रातिशीघ्र बता तो रहे हैं शीघ्रातिशीघ्र कर देंगे। यह कह तो दिया उन्होंने ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले के तमाम जन प्रतिनिधि उनकी बैठक आयोजित की थी उसमें नगर से आने वाले माननीय सदस्य की भी कसेंट थी कि वह खानें बंद कर दी जाएं उनकी सभी जन प्रतिनिधियों की लीज होल्डर थे, तमाम लीज होल्डरों को वहां पर बुलाया गया, उनकी सहमति से ही यह कार्य बंद किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इस आश्वासन से कि आपको पहले दूसरी जगह पुनर्वासित करेंगे, वह हमको यही तो कह रहे हैं ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): उनको चिह्नित कर जल्दी से जल्दी उनको आबंटन कर दिया जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप उनको दूसरी जगह तो आबंटित करें मेरी तो यही मांग है ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): हां कर देंगे जल्दी से जल्दी कर देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कोई एक समय सीमा तय कर लें आप साल भर ही नहीं करेंगे ।

श्री अध्यक्ष: श्री लालचन्द कटारिया ।

दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध लम्बित प्रकरणों का निस्तारण

296. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पिछले दो वर्षो में किन-किन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभिन्न पुलिस थानों में कितने केस कब-कब दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पुलिस कर्मियों द्वारा किये गये आपराधिक कृत्यों से राज्य में पुलिस की छवि पर विपरीत असर पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए इन्हें सेवा से बर्खास्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) राज्य में पुलिस बल के प्रति जनता में विश्वास जागृत करने हेतु सरकार क्या कारगर उपाय करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): (1) राज्य में पिछले दो वर्ष में 538 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध 393 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए। वांछित विवरण सूची परिशिष्ट-ए पर संलग्न है ।

(2) पुलिस कर्मियों द्वारा आपराधिक कृत्य किये जाने का पुलिस की छवि पर असर पड़ता है अत: इस प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 एवं संशोधित नियम 1983 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है तथा प्रकरण के गुणवगुण के आधार पर सेवा से निष्कासन, पदावनति आदि भी दण्ड दिए जाते हैं।

(3) राज्य में पुलिस के प्रति जनता का विश्वास जागृत करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थाना स्तर पर सी एल जी गठित की गयी है जिसमें सभी समुदायों के प्रतिष्ठित नागरिकों को सदस्य बनाया गया है। थाना स्तर पर सी एल जी सदस्यों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का निवारण आपसी समझ के आधार पर किया जाता है । प्रत्येक जिले में आदर्श थाने बनाये गये हैं। आदर्श थानों द्वारा आई एस ओ 9001 का प्रमाण पत्र लिए जाने की कार्यवाही भी जारी है ।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दो साल में आपने कितने अधिकारियों को पदावनत किया, इसका बता दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि 338 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज किये जिसमें आर पी एस भी हैं और बाकी स्तर के हैं इसमें से 198 लोगों को उनका केस कोर्ट में चालान किया है, 281 लोग हैं जिनके केस में एफ आर दी गई है। और 59 लोग अभी ऐसे हैं जिनका केस अभी भी पैण्डिंग है। इसमें कई लोगों का तो समय पर ही निलम्बन हो गया, कइयों का केस चलने के बाद निलम्बन होकर वापस सेवा में आए हैं । अलग-अलग क्योंकि 538 लोगों में से डिटेल नहीं मेरी जिले वाइज पूरी की पूरी यह 538 की ...

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): मंत्री महोदय आप तो पदावनति का बता दें कितने अधिकारियों को आपने दो साल में पदावनत किया ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने आपको कहा ना जब तक केस के बारे में डिसीजन नहीं होगा, चालान तो पेश कर दिया लेकिन चालान का निर्णय क्या हुआ उसके बाद उनके विरुद्ध जो कार्यवाही होनी है वह अलग होगी । जिनको एफ आर दे दिया वह सब मुक्त हो गये, 59 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें अभी भी पैण्डिंग इनक्वायरी है। तो मैं सोचता हूं उनको सज़ा देने का जो अवसर आएगा उसी समय जो प्रारम्भिक उनकी जो कमियां या गलती रही जो उनका केस दर्ज हुआ उस समय उनके खिलाफ जो सस्पेंशन की कार्यवाही वह तो हमने की है। लेकिन बाकी यह सारा जो निर्णय है केस पैण्डिंग है। इसलिए उनका प्रमोशन भी होगा तो उनका लिफ़ाफ़ा बंद करके रखेंगे अभी उसका निर्णय नहीं कर सकेंगे । निर्णय तो तब ही होगा जब केस डिसाइड होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप यह बताओ ना कि एक भी अधिकारी को पदावनत नहीं किया दो साल में ? आप इसी जगह से भाषण देते थे और फिगर पढ़ते थे कि एक अधिकारी को पुलिस विभाग में पदावनत नहीं किया ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सोचता हूं अभी आपने दो साल का पूछा बाकी मैंने आपको कल बताया था 91 लोगों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति देकर 76 जनों का रिकार्ड खराब था जिनके केसेज थे उनको घर भेजा है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गृह मंत्रीजी, एण्टी करप्शन डिपार्टमैंट ने जितने पुलिस अधिकारियों को पकड़ा उसमें एफ आर देने का काम हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिये पहले मंत्रीजी का। नो, नो स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कार्यवाही की तो बात छोड़ो जिसमें ट्रेप किया है उसमें एफ आर दी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अभी मेरे पास जो केस है मैं उन्हीं के तहत बात कर सकता हूं । अभी मेरे पास 538 लोगों के नामजद हैं जिलेवाइज हैं, केस नम्बर हैं, उनके खिलाफ क्या-क्या धारा लगी हुई है, कौनसे केस का चालान हुआ, कौनसा एफ आर हुआ और कौनसी अभी पैण्डिंग इन्क्वायरी है, मैंने सारी की सारी सूची माननीय सदस्यों को दे दी है, आप सभी लोग उसको देखकर फिर उसमें कोई कमी हो तो मुझे बता दें।

(समय 12.00 बजे)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): गृह मंत्रीजी, आप यह बता दो कि यह पैंडिंग इंक्वायरी कब तक पूरी करवा दोगे ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बहुत स्पेसिफिक सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है अध्यक्ष महोदय, कि दो साल में एक भी अधिकारी को किसी भी स्तर पर पदावनत किया क्या ? इतने मुकदमे हो गये, क्या मतलब हमारी जांच का स्तर क्या है ? उसका मालूम तो पड़े ना। आपने अगर जांच पूरी करवायी होती तो एक आधे को तो पदावनत करते आप।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): जो पैंडिंग इंक्वायरी है, कब तक पूरी कर देंगे आप? साल भर तो लगता है ना यहां पैंडिंग इंक्वायरी पूरी करने में... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं कल की बात को आज तक नहीं समझा पाया। यह जो सारे केसेज हैं यह केवल दो साल के केसेज हैं और दो साल के ही आप लोगों की सूची है, इससे पहले के लोगों की सूची मेरे पास नहीं है। जब वह केस में कोई निर्णय नहीं होगा तो मैं उनके खिलाफ एक्शन क्या करुंगा? जजमेंट तो चालान के बाद ही होगा, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, यह पैंडिंग इंक्वायरी कब तक पूरी करवा देंगे, कितने टाइम में ? ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब तो सुन लीजिये। वह बैठेंगे तब आप पूछेंगे ना। प्लीज स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर यह कोई आप पांच साल पुराना पूछते तब तो उसमें से कुछ लोगों को हमने पदावनत भी, नौकरी से निकालने का भी, उनका तो किया होगा लेकिन यह तो सब रेफरेंस इन दो साल के केसेज का आपने पूछा है और दो साल के केसेज का मैं बता रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करिये ... (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर आपको लगे तो यह सूची आपके पास है इसको आप आराम से बैठकर ढूंढना और ढूंढने के बाद आप और कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ लें। मैंने तो डिटेल एक-एक व्यक्ति के नाम से उसके खिलाफ लगा, मुकदमा कौनसा है, थाना कौनसा है, किसका चालान हुआ, किसका पैंडिंग है, यह सारी की सारी सूची दी है। आप इसके बाद भी एक्सरसाइज करके और मुझे आप बतायेंगे कि इसमें कहीं कोई कमी है, या और कुछ करने का है तो जरूर उसके आगे जो भी कानून के तहत कार्यवाही होगी, वह जरूर होगी।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003 में गंगापुर सिटी में हवन करते हुए कुछ लोगों के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चालन हुआ और उसमें दोषी जो अधिकारी थे उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): 2003 का नहीं है। मैं कह रहा हूं यह 2004-05 की ही सूची मेरे पास है। 2003 की मेरे पास नहीं है क्योंकि यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: अलग से है। अलग से प्रश्न है। श्री दलजीत सिंह।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): पैंडिंग इंक्वायरी कब तक पूरी करा देंगे?

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये गृह मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, जैसे उदाहरण के तौर पर दस्युओं का पीछा करते हुए गोली कांड में कोई गरीब आदमी मर जाता है पुलिसकर्मियों को बचाने के लिये, खुद उनको अपने आपका केस लड़ना पड़ता है या डिपार्टमेंट भी उनको सहयोग करता है कि नहीं करता है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह मैं नहीं समझ पाया। मेरी समझ में नहीं आया।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी): मैं आपको यह समझाना चाहता हूं पुलिसकर्मी कई दफा दस्यू, डाकुओं का पीछा करते-करते एनकाउंटर में, कुछ अपने सिविलियन भी उस गोली कांड में आ जाते हैं। उसके बाद उनके खिलाफ केस किया जाता है जो उनको अपने पैसों से लड़ना पड़ता है जबकि उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश की। उसमें आपकी क्या मदद है ? आपका क्या रोल है पुलिस का, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। क्योंकि इससे जो डिमोरलाइजेशन धौलपुर पुलिस में है, बहुत जबरदस्त डिमोरलाइजेशन आया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एनकाउंटर के नाम से अगर एनकाउंटर है और किसी निर्दोष को अगर मारा जैसे कल एक विषय उठा तो मैं सोचता हूं कि इस प्रकार के कोई केस हुए हैं जिसमें जानकारी के बाद लगता है कि एनकाउंटर नहीं था तो उसमें जरूर केस दर्ज होगा परन्तु जिन्होंने एनकाउंटर का काम किया है उनके खिलाफ कोई केस दर्ज होने का ... (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी): सब केस दर्ज हुए हैं, और उनको कई साल हो गये जो उनको ससपेंड होना पड़ा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर आपको कोई ऐसा विशेष ध्यान में है तो आप बताइये। अगर आपको कोई ऐसा ध्यान में आता है ... (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी): मैं आपको जरूर बताऊंगा। उनका यह कहना है कि हमने अपनी ड्यूटी निभायी है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्योपत सिंह, श्री पूर्व विधायक

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस सदन के पूर्व सदस्य श्री श्योपत सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

वयोवृद्ध किसान नेता, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक श्री श्योपत सिंह का जन्म हनुमानगढ़ के लखाहकम ग्राम में 29 दिसम्बर, 1929 को हुआ। आपने डी.सी. जैन कालेज, फिरोजपुर से मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री श्योपत सिंह दूसरी, तीसरी, छठी और आठवीं राजस्थान विधान सभा के लिये हनुमानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1989 में बीकानेर से नौवीं लोक सभा के लिये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

(श्री अध्यक्ष)

(मार्क्सवादी) के सांसद निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप याचिका समिति तथा जिलों के कारागृहों की सलाहकार समिति के सदस्य रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजभाषा समिति, कृषि समिति तथा कृषि मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

वामपंथी नेता श्री श्योपत सिंह वर्ष 1960-64 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य समिति के सदस्य रहे तथा वर्ष 1965 में आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), राजस्थान के सचिवालय सदस्य बने।

किसानों के हितों के लिये आजीवन संघर्षरत रहे कृषक नेता श्री श्योपत सिंह वर्ष 1960 में भूमि नीलामी आन्दोलन में भाग लेने के कारण 3 महीने जेल गये। भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत आपने वर्ष 1965-66 में करीब डेढ़ वर्ष, किसान आन्दोलन के दौरान वर्ष 1970 में एक माह तथा आपातकाल के दौरान 19 माह की जेल यात्रा की।

अध्ययन, कृषि और विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले श्री श्योपत सिंह वर्ष 1955 में ग्राम पंचायत, मक्कासर के सरपंच रहे। आप 10 वर्ष तक राजस्थान किसान सभा के महासचिव रहे। वर्तमान में आप भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष थे।

श्री श्योपत सिंह का दिनांक 26 मार्च, 2006 को निधन हो गया। श्योपत सिंह जी के निधन से राजस्थान ने मूल्यों और सिद्धान्तों की राजनीति करने वाला एक दबंग जन सेवी नेता खो दिया है। इस किसान नेता की अंतिम विदाई के समय उमड़ा जन सैलाब उनकी लोकप्रियता की एक मिसाल है।

मैं, दिवंगत श्री श्योपत सिंह जी को अपनी और से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की और से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत की आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.07 बजे 12.22 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(पुन: समवेत होने पर)

(समय : 12.22 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री हरिमोहन शर्मा एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से ग्राम पंचायत अरडावता, पंचायत समिति चिडावा के सरपंच के चुनाव लड़ने के अपात्र होने एवं तथ्यों को छुपाकर चुनाव लड़ने के संबंध में ।

हालांकि यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है, फिर भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जायेगी और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची, सदस्य की ओर से स्वामी केशवानन्द महाविद्यालय, संगरिया को कृषि विभाग से अनुदान प्रदान करने के संबंध में ।
2. श्री रामचन्द्र जारोड़ा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के घटते जलस्तर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
3. श्री सुरेश मीणा, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में गुड्स ट्रांसपोर्ट सलाहकार के पद पर संविदा पर एक सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक को नियुक्त करने के संबंध में ।
4. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य की ओर से बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल के हालात के संबंध में ।
5. श्री कैलाश त्रिवेदी, सदस्य की ओर से तहसील रायपुर एवं तहसील सहाड़ा के चरावण माता एवं भरक माता धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए डामर की सड़क बनाने के संबंध में ।
6. श्री केसर देव बाबर, सदस्य की ओर से राज्य के परिवहन कार्यालय के समस्त प्रपत्र हिन्दी भाषा में उपलब्ध करवाने के संबंध में ।
7. श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के कतिपय विद्यालयों का नाम शहीदों के नाम पर करने के संबंध में ।
8. श्री विजय बंसल, सदस्य की ओर से जिला भरतपुर में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय खोलने के संबंध में ।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री हीरालाल (निवाई), सदस्य की ओर से अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विज्ञापन जारी करने के संबंध में ।

10. श्री लालचन्द मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के गंगनहर क्षेत्र में सर्वे उपरान्त सिंचित घोषित किये जाने योग्य रकबे को सिंचित करने के संबंध में ।

11. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से लोक जुम्बिश परियोजना के कार्मिकों को सर्व शिक्षा अभियान में समाहित करने के संबंध में ।

12. श्री दाताराम गुर्जर, सदस्य की और से खेतड़ी के सिंधी व्यापारियों की दुकानों के पट्टे नगर पालिका से दिलवाने के संबंध में ।

माननीय सदस्य गण मैं चाहूंगा कि आज इसे पढ़ा हुआ माना जाये क्योंकि शिक्षा विभाग की बहुत महत्वपूर्ण मांग है। उसके अलावा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उस पर भी समय लगेगा। इसलिए इन प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति नहीं होगी और इसे पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

पर्ची, श्री गोपाल लाल धोबी । यद्यपि पर्ची के बारे में आप लोगों को कई बार निवेदन किया जा चुका है, बिना किसी वजह के, रिसेंट आक्रेंस के आप पर्ची दे देते हैं और समय जाया होता है और जो महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए सदन में, सदन उससे महरूम रह जाता है । श्री गोपाल लाल धोबी।

(295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेखों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, हमारा जो स्थगन प्रस्ताव था गो-वंश की तस्करी के संबंध में आपने उसके संबंध में व्यवस्था दी थी कि आप जानकारी लेने के बाद सदन में वक्तव्य देने का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आपको यदि अपनी पर्ची पर बोलना है तो बोलिये । उस पर व्यवस्था जो मैंने दी है वह व्यवस्था ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष: आप ध्यान किस बात पर करेंगे आकर्षित?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपने यह व्यवस्था दी थी कि गो-वंश तस्करी के संबंध में सरकार ने जो जांच के आदेश दिये थे और उसकी रिपोर्ट के बारे में आपने यह कहा था कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले पर्ची पर चर्चा हो जाने दें । उस बारे में आपको जो व्यवस्था मैंने दी है और जो सरकार का उत्तर आया है उससे आपको वाकिफ करा दूंगी ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसी तरह से जो किसानों को मुआवजा के संबंध में स्थगन प्रस्ताव था उसके संबंध में भी आपने माननीय मंत्री महोदय को वक्तव्य देने का निर्देश दिया था । वह भी आसन से उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये थे कि आज वह वक्तव्य दिया जायेगा लेकिन इसके बावजूद अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हं कि इतने गंभीर विषय पर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कौनसा नहीं दिया गया ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय ने कल निर्देश दिये थे कि आज वक्तव्य दिया जायेगा सरकार की ओर से ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर आसन ने कल कोई ऐसी व्यवस्था दी थी, आज कोई उन्होंने तिथि तय की हो या समय तय किया हो वैसे भी आप समय तय कर दें तो दे देंगे, उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं है ।

एक माननीय सदस्य: उसमें तो कल बात हुई थी ।

श्री अध्यक्ष: आज के लिए कहा था । आज के लिए कहा था वह आ जाये अभी मंत्रीजी, उसके बाद...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जी, ठीक है ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राजकीय पायलेट माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के भूमि कब्जे विषयक

श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका केकड़ी के सामने स्थित पुराना खसरा नम्बर 3086, नया खसरा नम्बर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पढ़ेंगे नहीं, आपकी पर्ची है, पर्ची पर बोलिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): देख-देखकर के बोल लो।

श्री अध्यक्ष: वैसे तो आपका विषय ही पर्ची के लायक नहीं है। इसलिए लायक नहीं है कि यह जो राजकीय पायलेट माध्यमिक विद्यालय केकड़ी का जो अध्यापक है या प्रिंसिपल जो है, उसने निजी जमीन पर स्वयं ने किया है क्या कब्जा?

श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी): राजकीय पायलेट माध्यमिक स्कूल ने किया है ।

श्री अध्यक्ष: स्वयं ने किया है या स्कूल के लिए किया है ?

श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी): स्कूल के लिए किया है ।

श्री अध्यक्ष: यह क्या बात हुई । आप ऐसे क्या प्रश्न उठाते हो । यह कोई पर्ची के माध्यम से है? स्कूल के इंट्रेस्ट में किया है । इसमें क्या बात हुई ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं ताकि उनको करना ही नहीं पड़े । मैं कर देता हूं आपकी बात को । अध्यक्ष महोदय, यह राजकीय पायलेट माध्यमिक विद्यालय केकड़ी है, खसरा नम्बर 3086, ग्राम केकड़ी रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा पर 1952 से स्कूल का कब्जा है तथा आज दिनांक तक उन्हीं का ही कब्जा है, नम्बर एक। कालांतर में कस्टोडियन में 8.8.1960 को श्री आसूदामल सिंहजी को बेचान किया जिसने आगे 12.7.1978 को मेहरचंद, बसंत कुमार व सूरजकरण को बेचान 12 हजार में किया । उक्त व्यक्तियों ने एसडीएम के यहां 10.11.1983 को दावा किया । दावा 29.12.86 को खारिज हुआ, उन्हीं के पक्ष में निर्णय हुआ । आज भी इसमें आरएए में अपील हुई है, फिर एसडीएम को रिमांड हुई, फिर आरएए के अपील हुई, फिर एसडीएम ने फैसला उन्हीं के पक्ष में कर दिया । अब रेवेन्यु बोर्ड में दिया है । आगामी तारीख पेशी 18.4.2006 है । मौके पर आज भी उन्हीं का कब्जा है तथा एसडीएम का फैसला उन्हीं के पक्ष में है, कोई आदेश विभाग के विरुद्व में नहीं हैं । इसलिए माननीय सदस्य को किसी प्रकार से भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: श्री जयराम जाटव, श्री मुरारीलाल मीणा, श्री कन्हैया लाल मीणा, इन्होंने पर्ची के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति कर्मचारियों के बैकलॉग को भरने के संबंध में पर्ची दी है, तीनों ने । समाज कल्याण विभाग की डिमाण्ड के रोज भी आप लोगों ने इस बारे में चर्चा कर ली थी, इस बारे में पहले भी पर्ची के माध्यम से मामला उठाया जा चुका है, फिर भी मैं आपको दो-दो मिनट का समय देती हूं ताकि आपका उद्देश्य पूरा हो जाए कि आपने कहा है। दो-दो मिनट का समय मिलेगा आपको। चलिए, जयराम जाटव। जयराम जाटव (अनुपस्थित)। श्री मुरारीलाल मीणा।

अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के प्रति अधिकारियों का कथित भेदभावपूर्ण रवैया

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पर्ची के माध्यम से...

श्री अध्यक्ष: अब दो मिनट खो देंगे, आप अपनी बात पर आओ।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): चार हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जिस मामले में इस सदन के जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के और अन्य सदस्य जो इन समाजों के प्रति भावना रखते हैं जो इन समाजों के प्रति दर्द रखते हैं, उन सभी का ध्यान मैं सरकार जो इस टाइम कर रही है या सरकार के पीछे जो अधिकारी या कर्मचारी इन समाजों के साथ में अत्याचार कर रही है उनकी ओर इस सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार इन समाजों के साथ में न्याय करेगी। पूर्व में जो सरकार थी उसने दो सरकूलर निकाले थे, एक, एफ/15/24/डीओपी/एII/75/3, जयपुर, 20.10.2000, दूसरा निकाला था, एफ/7/डीओपी/एII/2002, जयपुर दिनांक 10.10.2002.

श्री अध्यक्ष: आप तो देख रहे हो, बोलो न।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): इस सरकूलर के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारी तथा कर्मचारी, चाहे नई भर्ती का मामला हो, चाहे प्रमोशन का मामला हो, इसमें यह नियम है कि एस सी और एस टी के अधिकारी किसी कारणवश योग्य नहीं मिलते हैं तो उनके जो पद खाली रहते हैं। उनको हर साल आगे अग्रिम के लिए उसको वेकेट रखते हुए उनको हमेशा के लिए बेलेंस में रखना पड़ता है। जिनके लिए सरकार इन दोनों अध्यादेशों को, इन दोनों नियमों को डी ओ पी के जो अधिकारी हैं, निष्प्रभावी करने जा रहे हैं। और कई विभागों में तो यह आदेश जारी हुए थे, इनको पूर्ण रूपेण लागू नहीं किया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर डिस्काम में आरक्षित वर्ग के प्रमोशन में सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता के जो परमोशन हुए थे उनमें करीब 45 अधिशासी अभियंता के पद थे उनमें एस सी और एस टी के अधिकारियों के साथ में बड़ा घोर अन्याय किया गया और उसमें मात्र तीन अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया। इस विषय को पिछले बजट सत्र के अंदर माननीय सदस्यों ने उठाया था और उसमें मंत्री महोदय ने एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी जो गठित की गई थी

(श्री मुरारी लाल मीणा)

उसने स्पष्ट अपनी जांच रिपोर्ट में यह पाया कि इन प्रमोशनों के अंदर भारी धांधली हुई है। और वह रिपोर्ट मंत्री महोदय के पास आ चुकी है।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में सचिवालय में बड़ा घोर अन्याय हो रहा है। अभी कल की ही बात है। सचिवालय में सहायक के पदों के लिए 1996 में डी पी सी हुई थी और उसमें करीब 211 पद थे। उन 211 पदों के तहत ही एस सी और एस टी के कर्मचारी लिए गए थे। लेकिन रिव्यू डी पी सी और 1997 में भी फिर न्यायालय में भी वहां के कोई कर्मचारी गए थे उन्होंने भी यह सिद्ध कर दिया था कि यह 211 पद हैं। उसके बाद रिव्यू डी पी सी बिना किसी आदेश के कल कर दी गई। उसमें करीब 45 एस सी और एस टी के वैसे तो सचिवालय में कर्मचारी हैं, सबके साथ में घोर अत्याचार हो रहा है। लेकिन 45 कर्मचारियों के कल रिवर्सन की स्थिति आ गई। और रिव्यू डी पी सी करने का, जबकि किसी को कोई अधिकार है ही नहीं, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश लेने पड़ते हैं।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार पी एच ई डी में भी एस सी और एस टी के अधिकारियों के प्रमोशन में घोर अत्याचार हो रहा है। चाहे हम विश्वविद्यालय का मामला लें या संस्कृत विश्वविद्यालय का मामला लें, चाहे अन्य विश्वविद्यालय का। बड़े तरीके से, बड़ी सोची-समझी रणनीति के तहत एस सी और एस टी के अधिकारियों और कर्मचारियों को रोका जा रहा है। वहां पर एडहॉक पर भर्ती की जा रही है और एडहॉक भर्ती करने के बाद उनको रेगूलराइज किया जा रहा है। ऐसे ही सिंचाई विभाग में और अन्य विभागों में टोटल मिलाकर हमारे एस सी और एस टी के राजस्थान के अन्दर 70 हजार बैकलॉग के पद हैं। उन बैकलाग पदों को, दोनों नियमों को जो पूर्व सरकार ने लागू किए थे, निष्प्रभावी करके उसमें नियम हो जाएगा कि जो अधिकारी या कर्मचारी एस सी और एस टी के नहीं मिले, चाहे नई भर्ती हो, चाहे प्रमोशन का मामला हो तो उनको सवर्ण से भर लिया जाएगा। और सवर्ण वर्ग से भर कर इस सारे के सारे बैकलाग को जो सरकार कहती है कि हम समाप्त करेंगे, उसको समाप्त करना चाहती है।

एक माननीय सदस्य: एक उदाहरण तो बता दो।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): बिलकुल, मैं उदाहरण बता रहा हूं।

(श्री मुरारी लाल मीणा)

बिजली बोर्ड का मामला है, सिंचाई विभाग का मामला है, विश्वविद्यालय का मामला है, सचिवालय का मामला है।

श्री अध्यक्ष: बस, अब आपके पूरे पांच मिनट हो गए हैं। ...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। यह बी जे पी की सरकार एस सी और एस टी के खिलाफ सरकार है।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान के अन्दर बड़ी सोची समझी नीति के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ, बड़े तरीके से ऐसा लगता है कोई पीछे से बिलकुल सोची समझी नीति के तहत यह तय किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओ बी सी के लोगों को कैसे पीछे रखा जाए।

श्री अध्यक्ष: करौली से आने वाले माननीय सदस्य, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अध्यक्ष के आसन और बोलने वाले के बीच में खड़े नहीं होते। ...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, पीछे से खड़ा होकर हमारे बीच में टोकाटाकी हो, यह क्या है? उनको क्यों नहीं कहते?

श्री अध्यक्ष: वह कुछ भी करे लेकिन आप तो नियमों का पालन करिए। आप तो नियमों का पालन करिए। माननीय सदस्य, आपको पांच मिनट हो गए हैं, अब प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी मामला आता है, हम दस दिन से पर्ची लगा रहे हैं, आज पहली बार हमारी पर्ची खुली है, किसी न किसी बहाने से इसको टालना चाहते हैं। पूरे राजस्थान में पहली बार ऐसा अन्याय हो रहा है। ...(व्यवधान) बड़ी सोची समझी नीति के तहत हमारे प्रमोशन रोके जा रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी से सम्बन्धित मामला है। कार्मिक विभाग ऐसा परिपत्र जारी कर रहा है जो कांग्रेस सरकार के दौरान परिपत्र जारी हुए हैं, जिसमें एस सी और एस टी के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति में कार्मिक विभाग ने ...(व्यवधान) ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरा मामला कार्मिक विभाग से सम्बन्धित है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल मीणा, स्थान ग्रहण करिए। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण। खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। ...(व्यवधान) अंकित न हो। ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। करौली से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें।

माननीय सदस्यगण, पर्ची पर बोलने का मौका केवल उसी को मिलता है जो पर्ची देता है।...(व्यवधान) फिर वही बात। बैठ जाइए, बैठ जाइए। साधारण सा नियम है।...(व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

श्री अध्यक्ष: मिस्टर मुरारीलाल मीणा, आई से सिट डाउन।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

(श्री सुरेश मीणा, माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में जोर-जोर से बोलना)

श्री अध्यक्ष: करो, करो। करो, जो मर्जी आये सो करो। ..(व्यवधान) क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तमाशा करते हो। ..(व्यवधान) बैठिए, बैठिए, बैठिए। Go to your seats. I say, go to your seats.

आप अपने-अपने स्थानों पर जाइए। आप अपने-अपने स्थानों पर जाइए। ..(व्यवधान) मुझे मजबूर कर रहे हैं। आप मुझे मजबूर न करें। आप मुझे मजबूर न करें। (व्यवधान) पहले अपने स्थानों पर जाओ। बैठिए, फिर क्या बात है? या तो स्थान पर जाओ। (व्यवधान) प्लीज। गो टू योर सीट। अपने स्थान पर चले जाइए। अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। (व्यवधान) यह नाटक क्यों कर रहे हो? करौली से आने वाले माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्ष: आप यह क्या तमाशा कर रहे हो? क्या तमाशा कर रहे हो?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्ष: क्या अत्याचार हो रहा है? मैंने दो मिनट की जगह 5 मिनट का समय दिया। क्या अत्याचार हो रहा है? क्या फालतू की बकवास करते हो?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं सदन को 12.50 तक के लिए स्थगित करती हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.42 बजे 12.50 तक के लिए स्थगित हुई)

(पुन: समवेत् होने पर)

(12.50)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अनुसूचित जाति/ जनजाति के सदस्यों के प्रति अधिकारियों का कथित भेदभावपूर्ण रवैया

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं पर्ची के माध्यम से निवेदन कर रहा था कि सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जो आदेश दिनांक 20.10.2000 व दिनांक 10.10.2000 को जिन आदेशों के तहत एससी, एसटी के अधिकारियों व कर्मचारियों के परमोशन होते हैं, नई भर्ती होती है और उनकी जगह जो वेकेंट पोस्ट रह जाती है उनको हमेशा के लिए केरीफारवर्ड रखा जाता है। उस संबंध में उस आदेश को सरकार के कुछ गिनेचुने अधिकारियों द्वारा निरस्त किया जा रहा है, निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कल ही जो डीपीसी सचिवालय कर्मचारियों के लिए 1996 में हो गई। उस डीपीसी को कल ही रिव्यु डीपीसी करके, जबकि रिव्यु डीपीसी बिना या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का आदेश होता है तब ही की जाती है, हमारे 45 कर्मचारी अधिकारियों का रिबर्शन कर दिया गया। और सारे कर्मचारियों के साथ में ही बड़ा घोर अत्याचार हो रहा है। यह पूरे समाज के साथ में अत्याचार हो रहा है। अभी जयपुर डिस्काम के अन्दर मैंने जैसा पहले निवेदन किया था कि 45-60 सहायक अभियंताओं को अधिशासी अभियंता बनाया गया, उसमें हमारे साथ में बड़ा घोर अत्याचार हुआ। और उसकी जांच कमेटी माननीय मंत्री महोदय ने, पिछले बजट सत्र में एक माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रखा था, और उस कमेटी

ने निर्णय दिया कि इन परमोशंस में घोर अनियमितता हुई हैं उसके बारे में पुनर्विचार किया गया। कल सचिवालय की रिव्यु डीपीसी पर उसको निरस्त किया जाए। सिंचाई विभाग में हमारे जो सहायक अभियंता हैं उनको पूरे बैकलॉग के तहत, पूरे नियम के तहत परमोशन किया जाए। और जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे संस्कृत विश्वविद्यालय हो, चाहे अन्य विश्वविद्यालय हो एक सोची समझी नीति के तहत हमारे एससी, एसटी और ओबीसी के साथियों के साथ, हमारे समाज के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसमें सरकार से हमको पूर्ण संरक्षण चाहिए। और हम यह निवेदन करते हैं कि इस तरह से जो हमारे 17 हजार बैकलॉग के पद खाली हैं और उनको सरकार एक सोची समझी नीति के तहत इन दोनों परिपत्रों को निरस्त करके अब जनरल कास्ट से भरना चाहती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार ऐसा करेगी तो यह राजस्थान की जनता इनको बिलकुल माफ नहीं करेगी। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी। श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): उसी के कारण हमारे समाज के एक विधायक की, इस अत्याचार के कारण आपके सामने क्या स्थिति हो गई।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने सारी बात बता दी। ...(व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): आज सारे समाज की स्थिति, पूरे राजस्थान के समाज की स्थिति है वह यह है जो इस विधायक की स्थिति है। क्या स्थिति होगी आपके सामने, सारा समाज प्रताड़ित है, इस राज में समाज के साथ में अत्याचार हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने अगला नाम पुकार लिया है, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ...(व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): सरकार इसमें पूरा आश्वासन दे और इसमें पूरी जानकारी दे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको जो कहना था वह आपने कह दिया।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): छोटी-छोटी बातों को लेकर यह सदन कई बार स्थगित हो जाता है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): कार्मिक विभाग द्वारा ऐसा परिपत्र जारी हुआ है जो पहले कार्मिक विभाग ने 2001-02 में जारी किया है, इसको निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई नया परिपत्र जारी हो रहा है क्या ? ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें, मैंने दूसरे सदस्य का नाम पुकार लिया है। वह भी पर्ची पर इसी विषय पर बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, बोलने से मतलब नहीं है, बोल तो रोज रहे हैं। सत्ता पक्ष भी बोलता है और विपक्ष भी बोलता है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? ...(व्यवधान) ये क्या करने जा रहे हैं। (व्यवधान) कल सचिवालय में जो हुआ है उसके बारे में यहां घोषणा करें कि डीपीसी का क्या किया जा रहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह 17 हजार पद जो हैं वह इससे प्रभावित हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण मसले पर माननीय मंत्रीजी को स्टेटमेंट देना चाहिए ताकि एससी, एसटी पर जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है इसको दूर किया जा सके। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने नाम पुकार लिया है, माननीय सदस्य, श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) बी के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को चाहे भर्ती के समय या पदोन्नति के समय यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति, जनजाति का कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं पाया जाता है, वह स्थान तब तक रिक्त रहता है जब तक उपयुक्त अनुसूचित जाति और जनजाति का नहीं मिले। इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो 20.10.2000 और 10.10.2002 को समय-समय पर प्रमुख विभागाध्यक्षों को, जिलाधीशों को सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोगों के बैकलाग को उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलने पर खाली रखा जाए। और इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय से हम सब की हां पक्ष लॉबी में बात हो चुकी है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

आश्वस्त किया है कि ऐसा अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ कोई अन्याय हम करने नहीं जा रहे हैं। और हम ...(व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): हो गया, वह तो हो गया, कल ही सचिवालय में हो गया।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ऐसा कोई काम अनुसूचित जाति के खिलाफ नहीं किया जा रहा है। ...(व्यवधान) ऐसा मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ×××

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें, आप दूसरे सदस्य की बात नहीं सुनेंगे क्या ?

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई):×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। क्यों समय बरबाद कर रहे हैं आप ?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

(समय : 13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। पहले स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): संयुक्त जिम्मेदारी होती है मंत्री मण्डल की। विराजो आप। संयुक्त जिम्मेदारी होती है मंत्रीमण्डल की।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिये पहले आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण कीजिये आप। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। आप कह रहो हो, आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मेरा एक निवेदन है। माननीय

(श्री उपाध्यक्ष)

सदस्यगण, पर्ची के माध्यम से सदस्य बोल लिये और दूसरा सदस्य पर्ची के माध्यम से उसी विषय पर बोल रहा है तो यह आप लोगों का औचित्य नहीं है कि आप बीच में दूसरे सदस्य को नहीं बोलने दें। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) आप बात नहीं सुनना चाहते हैं। बीच में क्यों टोकते हैं ? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है और आप बार-बार खड़े हो जाते हैं। माननीय सदस्य, अनुसूचित जाति, जनजाति के... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सारे सदन में कोई इस बात का विरोधी नहीं है.. (व्यवधान) उनको अपनी बात कहने दीजिये। पहले माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी करने दीजिये। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अपनी बात पूरी करेंगे। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। धोद से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य इसी मुद्दे पर बोल रहे हैं। आपने अपनी बात रख दी, अब माननीय सदस्य को बोलने दीजिये। (व्यवधान) आप उस सदस्य को अपनी बात कहने दीजिये। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सबसे पहले उनको बात पूरी करने दीजिये, बीच में नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप चिंतित मत होइये। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): ... सरकार ने आश्वासन दिया है और हम सब लोगों को सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारा हक कहीं भी जाने वाला नहीं है, सरकार पूरी सुरक्षा अनुसूचित जाति और जनजाति की करेगी, ऐसा मुख्य मंत्रीजी का आ रहा है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): विराजो, बाबूलालजी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामनारायणजी...

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): ×××

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आप बात नहीं सुन रहे हैं। मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। पहले आप उनको सुनें। बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री उपाध्यक्ष: है, पूरे राजस्थान का मसला है। सब जानते हैं इस बात को। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संवेदनशील प्रश्न पर न तो सदन को पार्टी लाइन पर बंटने की आवश्यकता है और न जातीय लाइन पर बंटने की आवश्यकता है। यह संवैधानिक प्रश्न है और इस संवैधानिक प्रश्न पर मैं माननीय सदस्यों से निवेदन और आग्रह करना चाहूंगा कि दो मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं। एक मुद्दा यह उठाया गया कि 20.10.2000 को और 10.10.2002 को जो सर्कुलर निकले हैं उन सर्कुलर्स में चेंज करने की प्रक्रिया चल रही है। यह एक प्रकार की आशंका व्यक्त की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की ओर से यह स्मरण कराना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जब भारत सरकार में कार्मिक मंत्री थीं, वो ही थीं जिन्होंने बैकलॉग के लिए बिल हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में पेश किया और उन्होंने पारित कराया। और बैकलॉग के बारे में सारे सर्कुलर उनके हस्ताक्षरों से निकले थे। आज वो राजस्थान की मुख्य मंत्री हैं। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं कि कार्मिक विभाग द्वारा पत्रावली उच्च स्तर पर, किसी भी स्तर पर इन दोनों में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है राज्य सरकार का। दोनों में कोई प्रस्ताव नहीं है। और राज्य सरकार की साफ धारणा है कि 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत जो प्रमोशन में है वह रहेगा। और जब तक शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा वह खाली रहेगा। मैं इससे भी आगे बढ़कर एक बात और कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने तो वापस यह निर्णय लिया कि जनरल 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत का कोटा पूरा करने के बाद, पूरा करने के पश्चात् उस समय पर भी यदि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग जनरल लिस्ट में अपनी मैरिट में आते हैं तो उनको 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत में काउंट नहीं किया जाएगा। यह काम भी हमने तय किया है इसलिए कोई कारण नहीं है। माननीय सदस्यों को किसी विशेष विभाग के द्वारा, किसी विशेष भर्ती के लिए यदि कोई सम्भावना है, कोई शिकायत है, कोई आशंका है तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं, अभी हां पक्ष लॉबी में हमारी मंगलवार को रोज मीटिंग होती है। और माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने साफ-साफ उनको कहा था कि जब तक मैं मुख्य मंत्री हूं, संविधान के नियमों का पालन होगा और एससी, एसटी का बैकलॉग पूरा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

निश्चित रूप से भरा जाएगा। नई भर्ती के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने परसों साफ-साफ सदन में कहा था, उदयपुर विश्वविद्यालय का मामला जब आया था तो मैंने यहां रोका था, मैंने कहा था कि मैं उसकी जांच कर लेता हूं। और माननीय जोशीजी ने एक प्रश्न पूछा था कि कैटेगिरी के आधार पर होगा, उसका भी मैंने आज सारा निर्णय कराया है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। अभी मुझे यह बात कहनी नहीं चाहिए पर फिर भी मैं कह देता हूं, मैंने शिक्षा विभाग की जब यह भर्ती की और बैकलॉग का प्रश्न आया तो दो प्रकार की राय आई। एक राय आई कि जब से संविधान संशोधन हुआ है तब से आप इसको भर दीजिये तो तीन साल का होता था। एक राय आई कि पूरे को भरिये। तो उपाध्यक्ष महोदय, हमने सारे राजस्थान में 6 लाख और कुछ हजार कर्मचारी हैं उनमें से तीन लाख कर्मचारी अकेले शिक्षा विभाग में हैं और हमने सात हजार का बैकलॉग शिक्षा विभाग में भरकर के तीन लाख कर्मचारियों में पूरा कर दिया। तो उपाध्यक्ष महोदय, 'आधा मैं देवी-देवता और आधा मैं खेतरपाल' तो आधो तो काम पूरो होग्यो। आधे में तो पूरा बैकलॉग भर दिया गया और अब जो भी वैकेंसीज जहां पर निकलेंगी राज्य सरकार बैकलाग के प्रावधानों को पूरा करने के लिए कृत-संकल्प है, और करेगी। और प्रमोशन में भी जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आदमी उपलब्ध नहीं होगा, उसका वह पद खाली रहेगा। और जो मेरिट में आयेंगे उनको 12 प्रतिशत और 16 प्रतिशत में शामिल नहीं किया जायेगा। डी.ओ.पी. में किसी प्रकार का कोई भी डी.पी., किसी भी प्रकार का संशोधन का प्रस्ताव नहीं है। ये आशंकाएं सारी निराधार हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर यहां कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण का ठेका कोई एस.सी. एस.टी. के जीते हुए माननीय सदस्यों का नहीं है। हम भी जब जीतकर आते हैं तो हमारी जीत में अनुसूचित जाति और जनजाति का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए वह जितने चिंतित है, उतने ही हम चिंतित हैं। अटल बिहारीजी वाजपेयीजी अनुसूचित जाति के नहीं थे, उन्होंने बैकलाग का संविधान संशोधन पेश किया। हमारी जो मुख्य मंत्री थीं, वे भी एस.सी. की मेम्बर नहीं हैं, कार्मिक मंत्री के रूप में उसको पायलट किया तो उन जातियों के उत्थान और आगे बढ़ाने का काम हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। और इस राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए सारा सदन कास्ट लाइन से ऊपर उठकर विचार करे, हम निश्चित रूप से सब मिलकर समाधान करेंगे।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और इसके बाद में कोई थोड़ी बहुत गलती हो तो उसको ध्यान में लाये, उसको दुरस्त करने का प्रयत्न करेंगे। अंत में मैं माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से और आपको सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई गलती सरकार नहीं रहने देगी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

(समय : 13.13 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, पर्ची के माध्यम से जो विषय उठाया जाता है, उसमें कोई आवश्यक भी नहीं है कि मंत्रीजी जवाब दें। लेकिन चूंकि, बीच में नहीं बोलें, लेकिन चूंकि मामला इतना संवेदनशील था और उत्तेजित और उद्वेलित थे सारे एस.सी. एस.टी. के माननीय सदस्य। इसलिए मंत्रीजी ने उसका जवाब दे दिया। मैं समझती हूं, उन्होंने जो जवाब दिया है, वह सफिशियंट है, पर्याप्त है और उसके बाद में कोई प्रश्न पूछने की व्यवस्था भी नहीं है नियमों में। हमारे नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने जो प्रश्न पूछा है, मेरी समझ में इस समय अलग-अलग विभागों की जानकारी देने की स्थिति में माननीय

(श्री अध्यक्ष)

मंत्रीजी होंगे भी नहीं क्योंकि आखिर उसके लिए उन्हें पहले सभी विभागों से जानकारी मंगानी पड़ेगी और इसलिए इस समय वे दे नहीं पायेंगे। लेकिन जैसा उन्होंने कहा है कि इस मामले में सरकार पूरी संवेदनशील है। अब आपकी पर्ची पर पूरा तो मौका दे दिया बोलने का, अब आप और क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

श्री अध्यक्ष: आप तो माननीय सदस्य, सुबह से सबको लिये फिर रहे थे और एक वातावरण यहां क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे आप, यह बहुत गलत बात है, इस तरह से बहुत गलत बात है। क्षमा करेंगे आप मुझे।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, ऐसे हाथ-वाथ करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे करने से काम नहीं चलने वाला। स्थान ग्रहण कर लें। प्लीज प्लीज। माननीय सदस्य, आपको मैंने केवल दो मिनट का समय दिया था, फिर भी 12 मिनट तक आपने अपनी बात कही और आपको पर्याप्त मौका मिला अपनी बात कहने का और मंत्रीजी ने सब बातों का जवाब दे दिया, अब आप और क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं?

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण करें। अब आप एक साथ बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। (व्यवधान) आप दो बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। मूल पर्ची के माध्यम से जो उठाया है उन्हीं को बोलने दीजिये। हां, आप बोल लीजिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दो सर्कुलर थे, उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने हमको पूरी जानकारी से अवगत करा दिया है, हम उससे संतुष्ट हैं, जैसा उन्होंने बताया है। लेकिन उसके साथ-साथ में मैंने दो-तीन बातें और बताई थी। एक तो जयपुर डिस्काम में सहायक

अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के जो प्रमोशन हुए थे और इस बात को पिछले बजट सत्र में....

श्री अध्यक्ष: यह भी देख लेंगे मंत्रीजी, इसे भी आप देख लें।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, यह है कि...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, बी.डी.कल्ला साहब एक स्पष्टीकरण मांग रहे थे, वह दे दें थोड़ा आप।

श्री अध्यक्ष: बी.डी.कल्ला साहब के प्रश्न का जवाब देना सम्भव नहीं है। हर विभाग का मांगा है। कहां से दे देंगे?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह दे रहे हैं, वह दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: सम्भव नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने स्पष्टीकरण में बहुत साफ कह दिया था, जनरल मैंने एक जवाब दे दिया दोनों सर्कुलर के बारे में और माननीय सदस्य संतुष्ट भी हो गये। उन्होंने दो-तीन बात और कही हैं। एक सचिवालय के बारे में और एक जयपुर डिस्काम के बारे में उन्होंने जो कहा है, मैं पर्टिकुलर आज सबका जवाब देने में समर्थ नहीं हूं लेकिन उसमें किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो तो राज्य सरकार देखेगी। और इतना ही मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि जो आदेश 20.10.2000 और 10.10.2002 को निकला, उसके विपरीत कोई भी काम राज्य सरकार किसी भी कीमत पर नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष: और उसकी पालना होगी। बस खतम हो गई बात।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री महादेव सिंह खण्डेला। हो गया? खण्डेला साहब हैं नहीं। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

गौवंश की तस्करी के संबंध में

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, आपने यह अभी निर्देश दिये थे कि पर्ची के बाद में हमारे स्थगन प्रस्तावों पर आप व्यवस्था देंगी। गौ-वंश की तस्करी के सम्बन्ध में सरकार ने जो जांच करवाई थी और हमारा जो स्थगन प्रस्ताव था। इसी तरह से किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में जो हमारा स्थगन प्रस्ताव था। और आपने दोनों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय को वक्तव्य देने का निर्देश दिया था। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में आप कोई समय नियत कर दें।

श्री अध्यक्ष: ऐसा था माननीय सदस्य, गौ-वंश तस्करी के मामले में आपने, मैंने आपको बुलाया था अपने वैश्म में, आप वहां आये नहीं। और मैं इस बारे में इतना ही कह सकती हूं कि राज्य सरकार की तरफ से प्रकरण की गम्भीरता के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही की गई है और डाक्टर जुनेजा को आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और विस्तृत रिपोर्ट आप चाहें तो वह भी मैं आपको, कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं आपको वह भी पढ़ा दूंगी, दे दूंगी, वैश्म में दे दूंगी।

श्री संयम लोढ़ा: अध्यक्ष महोदय, जांच में जो शिथिलता हुई है और जांच प्रतिवेदन के बाद में भी कार्यवाही में जो शिथिलता हुई है, हम उसके संबंध में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इसलिए आपसे मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि आप कोई भी समय वक्तव्य का उस सम्बन्ध में रख दें जिससे राजस्थान की जनता की भावनाओं को जो आघात लग रहा है उसमें रोकथाम की जा सके और प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद किया जा सके।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको केवल चार-पांच लाइनें बता देती हूं कि जिससे आप संतुष्ट हो जायेंगे। दिनांक 13.3.2006 को थानाधिकारी जीआरपी, फुलेरा मय जाब्ते के भावसा स्टेशन पर पहुंचे। घटनास्थल पर ही एक रिपोर्ट श्री राजेश कुमार सेन पुत्र श्री रूपचन्द सेन ने पेश की जिस पर मुकदमा नम्बर 11/06 धारा 3, 5, 8 गौवंश पशुवध अधिनियम जीआरपी थाना फुलेरा में दर्ज किया गया। मालगाड़ी को नरेना स्टेशन पर वापस लिया गया। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, टोडाराय सिंह को मौके पर बुलाया गया। उपखण्ड धिकारी, टोडाराय सिंह ने उक्त परमिट उनके कार्यालय द्वारा जारी करना मना किया एवं यह भी बताया कि उक्त परमिट पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। पशु चिकित्सक देवेन्द्र कुमार जुनेजा को भी मौके पर बुलाया गया। उन्होंने फिटनेस प्रमाण-पत्र पर अपने द्वारा हस्ताक्षर करना स्वीकार किया। तत्पश्चात् मालगाड़ी से 1106 बछड़े उतारे गये जिन्हें कानूनी कार्यवाही के पश्चात् दूदू गौशाला, बंधा के बालाजी गौशाला एवं सूरपुरा गौशाला में भिजवाया गया। मालगाड़ी से उतारे गये 12 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या चाहते हैं आप?

श्री संयम लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान गौसेवा आयोग के अध्यक्ष ने शाम को छह बजे अजमेर के जिला कलक्टर को फोन से सूचित

(श्री संयम लोढ़ा)

कर दिया था लेकिन कोई कार्यवाही उन्होंने नहीं की और रात को बारह बजकर बीस मिनट पर यह मिलने गये तो उनसे मिलने से इनकार कर दिया और बाद में...

श्री जोगेश्वर गर्ग: अब इतनी कार्यवाही हो गई, और क्या चाहिए, इतनी सारी कार्यवाही हो गई है। हो गया न, इतना सारा हो गया।

श्री संयम लोढ़ा: कहां हो गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इतनी सारी कार्यवाही हो गई।

श्री संयम लोढ़ा: आपका स्थगन प्रस्ताव है क्या? मैं आसन की इजाजत से बोल रहा हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग: आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं, कोई इजाजत नहीं मिली है।

श्री संयम लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, शाम को छह बजे अजमेर के जिला कलक्टर को राजस्थान गौसेवा आयोग के अध्यक्ष ने....

श्री अध्यक्ष: सारी बातें तो कह दीं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत गम्भीर लापरवाही हुई है। टोडारायसिंह के एसडीएम को जब अजमेर के डीवाईएसपी ने फोन पर सूचित किया, वह शराब पिये हुए थे और रात को उन्होंनें आने से इनकार कर दिया और दूसरे दिन उन्होंने रिकार्ड देखकर ही जानकारी दी है। इन सारे तथ्यों पर सदन में चर्चा होना आवश्यक है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप मेहरबानी करके मंत्रीजी से वक्तव्य दिलवायें अध्यक्ष महोदय।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक मेरा भी निवेदन है कि गौवंश के प्रति हमारा पूरा सदन चिंतित तो रहता है लेकिन जो किसान इससे परेशान होते हैं उसकी तरफ मेरे ख्याल में किसी सदस्य का ध्यान नहीं जा रहा। गौवंश को चाहे अकाल के नाम पर और चाहे दूध न देने के नाम पर डंडा मारकर घर से बाहर निकालते हैं और वह खेतों में जाकर किसानों की फसलों को इतना नुकसान पहुंचाते हैं जिससे कि किसान मजबूरी में उनको इकट्ठा करके दूसरे गांव की तरफ मतलब धकेलने का प्रयास करते हैं अपने खेतों को बचाने के लिए। लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, और मतलब, एक तरफ बचाने की, बचाने की तो बातें हो रही

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर)

हैं लेकिन उनके खेतों को बचाने के लिए कोई भी व्यवस्था किसी की तरफ से भी नहीं हो रही है, न चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब मुझे सुन लीजिये।

श्री संयम लोढ़ा: अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, पहले मेरी सुन लीजिये। सम्भागीय आयुक्त ने जो अपनी जांच करके रिपोर्ट सरकार को भेजी है उसमें उपखण्ड अधिकारी, टोडाराय सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए भी लिखा है। डाक्टर देवेन्द्र जुनेजा को, जो पशु चिकित्सा अधिकारी सांभर के हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर ही लिया। नियमों में संशोधन किया जाकर इस बात की व्यवस्था किये जाने कि जहां ट्रेन में लदान प्रमाण-पत्र जारी होने के क्षेत्र से बाहर के स्टेशन से होना है तो परिवहन प्रमाण-पत्र जारी करने वाला अधिकारी संबंधित क्षेत्र के अधिकारी को भी सूचना देना, यह कर लिया। अब आप और क्या चाहते हैं?

श्री संयम लोढ़ा: गृह मंत्रीजी यह कह दें कि शाम को छह बजे...

श्री अध्यक्ष: अब नहीं। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा: अजमेर के कलक्टर को राजस्थान गौसेवा आयोग के अध्यक्ष में फोन से सूचित नहीं किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): केवल हंगामा खड़ा करना आपकी इच्छा हो तो मैं आपको मना नहीं करूंगा।

श्री संयम लोढ़ा: हंगामे की बात नहीं है, आप कह दीजिये नहीं किया। आप कह दीजिये फोन नहीं किया, मैं बैठ जाऊंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरी बात सुनें आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: आप कह दीजिये अजमेर के कलक्टर को शाम छह बजे फोन नहीं किया, मैं बैठ जाऊंगा। आप अपने मुंह से कह दीजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: पहले बैठो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जो चिंता है...

श्री अध्यक्ष: अब आप हठधर्मी कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जो चिंता है वह की वह सारी हम सब लोगों को भी है कि घटना छह, साढ़े छह बजे सूचना की है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब उन्होंने जिस थानेदार को, मांगलियावास वाले को भेजा और उन्होंने एक अथाराइज्ड सर्टिफिकेट जो वहां के एडीएम ने जारी किया, वह उसने दिखा दिया, डाक्टर का सर्टिफिकेट दिखा दिया, स्वाभाविक रूप से आप और मुझे भी अगर पहली बार जाये और कोई कहे कि यह सर्टिफिकेट ले रखा है तो सामान्य व्यक्ति का रिएक्शन यह होगा भई कि अगर अथाराइज्ड सर्टिफिकेट उसके पास है तो जायेगा। अब यह सर्टिफिकेट गलत है, यह बात जब तक हमारे प्रमाण, मैं सोचता हूं यह पहली सरकार ने और मुख्य मंत्रीजी ने उस एडीएम को भी वहां मौके पर भेजा और सर्टिफिकेट उसे दिखाकर के कहा कि यह सर्टिफिकेट तुमने इश्यू किया? उसने कहा यह सर्टिफिकेट मेरा नहीं है। उसके बाद जाकर के इस घटना का टर्न हुआ और यह लगा कि यह गलत सर्टिफिकेट और गलत तरीके से इन्होंने दिया, केवल डाक्टर का दोष यह था कि उसने छोटे बछड़ों को भी, वह ज्यादा उम्र के जो बछड़े बताये थे, यह सारी कार्यवाही होती उसके पहले ट्रेन आगे रवाना हो गई और आगे जाकर के ट्रेन को रोक करके इन दोनों लोगों को बुलाया मौके पर। मौके पर बुलाकर जनता के सामने इस बात की तसदीक की और उसके बाद तुरंत डाक्टर के खिलाफ मुकदमा ही नहीं, डाक्टर को गिरफ्तार किया। इस एडीएम के खिलाफ भी हमने मुकदमा दायर किया है और यह जांच के लिए सुपुर्द किया है हमने एफएसएल को कि वास्तव में यह दस्तखत इसी के हैं या यह केवल बचने के लिए इसको ना कह रहा है। यह सर्टिफिकेट इसी ने तो जारी नहीं किया? क्योंकि उसी जगह से, टोडाराय सिंह से तीन इसी प्रकार के प्रमाण-पत्र पहले भी जारी हुए हैं जो 20 तारीख को हुए, 22 को हुए। एक नहीं, वहां से तीन इस प्रकार के जारी हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह अपनी जान बचाने के लिए, केवल इसको फर्जी कहकर दूर हो जाय और अपने आप को मुक्त कर ले। हमने इस बात की भी पुख्ता व्यवस्था की कि नहीं, उसके पुराने जितने सर्टिफिकेट टोडारायसिंह से जारी हुए हैं उन सब के सारे के सारे डाकुमेंट्स की भी जांच होगी। और इन्हीं की नहीं, हमने तो यह कहा कि जो भी अब तक इस गौवंश को लदान के लिए रेलवे से जो भी बुकिंग हुई है, उन सारे डाकुमेंट्स को भी यहां मंगाकर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि निरन्तर यह इसी प्रकार से फर्जी डाकुमेंट बनाकर के और लोगों को दिखा कर निकल रहा है, यह सारे के सारे डाकुमेंट्स जांच की।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं जैसे ही आपने विषय उठाया, हमने सम्भागीय आयुक्त को दिया, सम्भागीय आयुक्त ने अपनी जांच करके जो दी, मैंने आदरणीय अध्यक्षजी को उसी समय, जैसे ही जांच प्राप्त हुई, जांच दी है। हमारे मन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, कोई अगर गलती करता है, कानून तोड़ता है तो निश्चित रूप से, जहां तक आपका कहना है कि कलक्टर को सूचना दी, कलक्टर को उस समय मौके पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसने एक स्वाभाविक रूप से उस समय जो मांगलियावास का थाना जो नजदीक था, उसको वहां भेजा। और उसने सर्टिफाई करके कहा कि इसका अथाराइज्ड डाकुमेंट इसके पास है। और इसी कारण से वह वहां नहीं रोक पाये। अगर कहीं थोड़ी-बहुत भी कमी अगर मानते हैं तो वहीं रोका जा सकता था इस आधार पर कि बछड़े छोटी उम्र के थे, वहीं से किसी डाक्टरों की टीम को भी भेजकर के इसको वैरीफाई करा लेना चाहिए था कि जो सर्टिफिकेट तीन साल से ऊपर का जो दिया हुआ है, वह सर्टिफिकेट वेलिड है कि नहीं है। हम उस चीज को भी दिखा रहे हैं। हमारे मन में यह नहीं कि हम कोई कलक्टर को बचाना चाहते हैं या और किसी को। मैं सोचता हूं कि यह पहला ऐसा एक्शन हुआ होगा कि इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ भी, हमने उनके खिलाफ सुओमोटो एफआईआर दर्ज कराई है और इस बात की जांच करा रहे हैं कि कहीं इस प्रकार के फर्जी डाकुमेंट मिल जुल करके तो नहीं बना रहे हैं। आज वह बचने के लिए कोशिश कर सकता है एसडीएम फंस गया इसलिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिला-जुला कार्यक्रम चल रहा हो। और रिकार्ड पर कहीं दर्ज ही नहीं करते हों और वैसे ही सर्टिफिकेट जारी करते हों और आगे से आगे काम जो है न, एसडीओ को भी एपीओ कर दिया, मैं सोचता हूं कि उस प्रकार जांच करी इसमें पुख्ता और अगर यह प्रक्रिया और भी जगह चली है तो उस सारी बात को भी दिखायेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह ट्रेन और बाकी अधिकारी और थाना सब मिल-मिलाकर के इसी प्रकार के फर्जी डाकुमेंट बना करके, जो जगह उन्होंने चूज की वह अपने आप में एक संदेह पैदा करती है कि ऐसी एकांत जगह पर लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, यह काम क्यों चल रहा है। तो निश्चित रूप से उसमें से यह बात निकल करके आये कि उन्होंने यह सेफ जगह ढूंढी है जहां से इस प्रकार का लदान हो रहा है तो हमने उस सारे के सारे डाकुमेंट को भी चैक कराने के लिए हमारे अधिकारियों को दिया, वह प्रकरण को देखेंगे। मैं आपकी भावना को समझता हूं। लेकिन मैं यह नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

समझता हूं कि इस कलक्टर ने साढ़े छह बजे और उसके बाद जो रात्रि को दोबारा गये, तो कलक्टर ने ठीक प्रकार से रेस्पांस नहीं दिया, बाद में वह जो कपड़ा, सोया, हुआ था, पहन करके आया। मैं सोचता हूं कि सामान्यत: आप और मेरे से भी यह गलती हो सकती है कि कोई रात को डेढ़ बजे आकर के मुझे वापस जगाये तो आप सामान्यत: यही कोशिश करेंगे कि मैं इसको अवाइड करूं। और उसने कह दिया, मैंने एसपी को टेलीफोन कर दिया, मैंने उसको बता दिया और उसके बाद वह अपने सामान्य सोने के कपड़े में ही बाहर आकर के बात की है। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कहीं कमी है, तो हमने सम्भागीय आयुक्त को जांच दी है। इसी बात के लिए दी वह इसमें से, लेकिन जो जांच है उस जांच में उसने कलक्टर को दोषी नहीं माना है, यह मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं। और मैं आप को अब भी विश्वास दिलाता हूं, केवल यही नहीं, अगर कहीं और भी आपको इस प्रकार की गलती ध्यान में आये तो हम निश्चित रूप से उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं कि संभागीय आयुक्त ने गोसेवा आयोग के अध्यक्ष के बयान लिये क्या? जिन्होंने टेलीफोन पर सूचना दी और जो घर पर मिलने गये कलक्टर को उसके बयान लिये क्या? आपने कलक्टर को ...(व्यवधान)... साथ क्यों नहीं किया? अगर आपने तय कर लिया है..।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): अध्यक्ष महोदय, मैं मौके पर पहुंच गया था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ये एमएलए साहब तो वहां स्वयं मौके पर थे ये एमएलए साहब तो स्वयं मौके पर मौजूद थे ...(व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं मौके पर पहुंच गया था मैं बताता हूं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बोलिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मौके पर पहुंच गया था। मैं इस बात की पूरे सदन को जानकारी देना चाहता हूं । एक घंटे के अन्दर, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और गृहमंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वहां की जो जनता जिस तरह से

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

कंट्रोल करने के लिए उन्होंने तुरन्त प्रशासन को एसपी और कलेक्टर जयपुर के पन्द्रह मिनट लेट पहुंचे तुरन्त सीएम साहब ने उनको भेजा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बात अजमेर कलक्टर की हो रही है। बात अजमेर कलक्टर की है आप विषय को डाइवर्ट मत कीजिये। और आपने फैसला कर लिया कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करोगे तो ठीक है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आप सुनिये तो सही। संयम जी, सुनिये तो सही पूरी बात तो सुनिये। आप पहले पूरी बात तो सुनिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो यह कहें कि गोसेवा आयोग के अध्यक्ष के बयान क्यों नहीं लिये संभागीय आयुक्त ने? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने अगर जांच बैठायी ...(व्यवधान)...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): एक साथ बारह सौ बछड़ों को पकड़ कर ...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर जांच बैठायी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, विराजें रहें आप। नहीं अब आप नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...(व्यवधान)... कलक्टर को शाम को फोन किया और रात को मिलने गये तो संभागीय आयुक्त ने बयान क्यों नहीं लिये उनके। उनके बयान क्यों नहीं लिये फिर ?

श्री अध्यक्ष: अब आप आसन को सुनें। गलत बात है। स्थान ग्रहण करें आसन को सुनें ...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लीपापोती करना चाहते हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... पकड़े गये फुलेरा में अजमेर कलेक्टर इसमें क्या करेगा?

श्री अध्यक्ष: आसन को सुनें अब आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान)... ये थौप रहे हैं कार्यवाही तो हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अजमेर कलक्टर इसमें क्या करता यह बतायें आप? बछड़े टोडारायसिंह के पकड़े गये वो फुलेरा में अजमेर कलक्टर का क्या कसूर है जबरदस्ती घसीट रहे हो आप। जबरदस्ती घसीट रहे हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान)... प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप अपने सदस्यों को संभालिये ।

श्री अध्यक्ष: आसन को सुनेंगे अब आप। आप स्थान ग्रहण करें प्लीज-प्लीज। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आपने स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस विषय को उठाया था स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दे दी गयी है लेकिन चूंकि ये गोवंश से और गोतस्करी का सवाल था, इसलिए सरकार को कहा गया था कि सरकार इस बारे में अपना वक्तव्य दें। वक्तव्य दिया, रिपोर्ट आयी और रिपोर्ट में जो कुछ दोषी थे उनके खिलाफ सारी कार्यवाही कर ली गयी। उसके बाद मंत्री जी ने फिर आपको कह दी। सारी बातें मैंने बता दी उसके बाद क्या नये नियम, कौनसे नियम के अंदर आप इसके ऊपर पुन: अपना प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब जांच की अध्यक्ष महोदय, घोषणा हुई है।

श्री अध्यक्ष: Please sit down. I say, please sit down. यह बहुत गलत बात है आप यहां पर कोई पहली बार नहीं आये हैं। आप मेहरबानी करके पूरी बात आसन की तो सुन लिया करें उसके बाद खड़े हुआ करें। आप बहुत उत्तेजित होकर के खड़े हो जाते हैं। अब इस विषय पर चर्चा नहीं होगी पूरी चर्चा पूरी व्यवस्था की जा चुकी है । अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सुनिये आपको पुकारा गया but you were absent. आप सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए आपने अपना चांस खो दिया।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): मैं इस होहल्ले में पानी पीने अन्दर गया था इतनी देर भी नहीं जा सकता? इतनी ही देर में आपने तो इसको कर दिया। मैं तो कितने दिन से प्रयास कर रहा था ।

श्री अध्यक्षः जब आपका बिजनेस के अन्दर...।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही चली ही नहीं।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): कार्यवही चली ही नहीं।

श्री अध्यक्षः कार्य सूची के अन्दर जब आपका लगा हुआ था और आपको मालूम था कि पर्ची के बाद आपका आएगा तो आपको बैठना चाहिए, सदन में उपस्थित रहना चाहिए।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, मैं तो लगातार दस दिन से प्रयास करता रहा हूं आपने एक मिनट में ही खारिज कर दिया ये तो पर्ची के अन्दर तो होहल्ला हो रहा था।

श्री अध्यक्षः खारिज नहीं किया । मैंने तीन बार नाम पुकारा आपका।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप इनको क्षमा करें और अलाऊ करें। इनको क्षमा करके अलाऊ कर दें।

श्री अध्यक्षः आपका नाम पुकारने के बाद तो कम से कम बीस मिनट तक चर्चा हुई सदन के अन्दर आपको तो बुलवाया गया है आप तो उठाने के लिए इच्छुक ही नहीं थे। आप तो उठाना नहीं चाहते थे। आपको तो बुलाया गया है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से पिछले दस दिनों में इनको तीसरा मौका दिया गया है पिछली बार भी एब्सेंट थे ये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कोई बात नहीं । आप क्षमा करके अलाऊ कर दीजिये। आपको सारे अधिकार हैं। आपको अधिकार है कृपा करके।

श्री अध्यक्षः खैर आप चूंकि बहुत कम बोलते हैं ... आप प्लीज-प्लीज। चूंकि आप बहुत कम बोलते हैं इसलिए मैं आपको विशेष अनुमति दे रही हूं कृपया तीन मिनट में अपनी बात कह दीजिये। केवल आपको तो अपना प्रस्ताव पढ़ना है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

खण्डेला में घरेलू बिजली की व्यावसायिक दर से वसूली

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत मैं खंडेला कस्बे में घरेलू उपयोग में ली जा रही विद्युत का चार्ज विभाग द्वारा व्यावसायिक दर पर वसूलने से जनता को हो रही परेशानी के संबंध में ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बस हो गया विराजें।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, आपसे जैसा मैंने अर्ज किया था ये तीसरी बार पिछले दस दिनों में आपने जो परमीशन दी है खंडेला कस्बे के बारे में जो प्रोब्लम्स हैं हमने जो भी जवाब दिया है। मुझे खंडेला कस्बे के बारे में वहां के लाइनमेन से ज्यादा ज्ञान हो गया है । अब मैं आपको इन्होंने जो ध्यानाकर्षण किया है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि इनके टोटल कस्बे के अन्दर 561 एनडीएस कनेक्शंस हैं।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): 661

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 561, इसके अन्दर 350 कनेक्शन गोटा मशीन से काम करने वालों के हैं यदि वो चाहें तो टैरिफ फोर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 2004 के नियमानुसार इसको डोमेस्टिक कनेक्शन में कन्वर्ट करा सकते हैं लेकिन इसके लिए तीन शर्तें हैं। एक तो उनको दो सौ रुपये एप्लीकेशन फार्म भर कर जमा कराने हैं । दूसरी यह कनेक्शन दो किलोवाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए । तीसरी सैल्फ एम्प्लोयमेंट पर्सन होना चाहिए उसका यह नहीं होना चाहिए कि दो तीन एम्प्लोई हैं। सैल्फ एम्प्लोइड पर्सन हो और लास्ट यह है कि रेजीडेंशियल एरिया के अन्दर होना चाहिए। ये कनेक्शन कन्वर्ट हो सकते हैं इन्टू डोमेस्टिक कनेक्शन।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना चाहता हूं जब आपके विभाग ने यह मान लिया कि जो कनेक्शन लिये गये थे गोटा का बहुत बड़ा उद्योग था वह उद्योग बिलकुल खतम हो गया और जो लघु उद्योग थे वो चल नहीं रहे हैं । आपका विभाग मान रहा है इस बात को और जो कनेक्शन लघु उद्योग के लिए लिये गये थे उन्हें वो अपने डोमेस्टिक कनेक्शन में काम ले रहे हैं तो क्यों नहीं वो कनेक्शन को आप उन्हीं में तब्दील करके और उनसे जो घरेलू कनेक्शन का जो चार्ज लिया जाता है वो क्यों नहीं लिया जाए? ऐसे आपके इन कनेक्शनों से बहुत से गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है इसलिए उन बेचारों के साथ न्याय करने के लिए आप ऐसा आदेश जारी करें कि उन्हीं कनेक्शनों को घरेलू कनेक्शनों में परिवर्तन कर दिया जाए । हां मैं यह जरूरी निवेदन करूंगा कि खंडेला में कस्बे के अन्दर ही सारे के सारे कनेक्शन हैं खंडेला से बाहर कोई कनेक्शन नहीं है। दो किलोवाट के कनेक्शन की जरूरत भी नहीं है इतने गरीब से गरीब लोग हैं जहां ज्यादा से ज्यादा हर घर में दो-दो, तीन-तीन बल्व ही जलते हैं इसलिए आप एक ऐसा सार्वजनिक

(श्री महादेव सिंह)

आदेश जारी करें जिससे सारे उपभोक्ताओं को फायदा मिले और इसी कनेक्शन को आप घरेलू कनेक्शन में कन्वर्ट करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, प्रोसेस बहुत सिम्पल है। और आप खुद ही फरमा रहे हैं लोड दो किलोवाट से कम है तो इसमें समस्या क्या है? साधारण प्रोसेस है दो सौ रुपये जमा कराके एप्लीकेशन फार्म देना है। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई कठिनाई हो तो आप मुझे बताइये। आपकी मदद करेंगे।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): मेरा निवेदन यह है कि दो सौ रुपये देने लायक भी नहीं हैं वो लोग।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीन जो शर्तें बतायी हैं आपने खंडेला में गोटा के काम करने वाले ये तीन शर्तें सम्पूर्ण पूरी करते हैं फिर इनको बदलने में कहां दिक्कत है वो ही कनेक्शन है दो सौ रुपये किस बात के? वो गरीब जिनके रोजी-रोटी ही नहीं है आप दो सौ रुपये किस बात के लिए ले रहे हो? आपके सप्लाई एंड एलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रोविजन स्पष्ट है जो सैल्फ एम्पलोयड हो उनके लिये घरेलू लगेगा तो फिर क्यों नहीं आप यह लगाते हैं?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): यह वन टाइम ही तो है दो सौ रुपये यह हर महीने थोड़े ही देने पड़ते हैं। एप्लीकेशन फार्म के साथ तो अपने नियम और कानून होते हैं वो थोड़े न बदल सकते हैं।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, इनके सप्लाई रूल्स में बाकायदा है कि जो अपने घर में सैल्फ एम्प्लोयमेंट के लिए कोई भी धंधा करता है उसके घरेलू ही लगेगा उसके एनडीएस नहीं लगेगा। फिर जबरदस्ती आपने लगा रखा है वो जो गोटे का काम करने वाले सैल्फ एम्प्लोइड हैं किसी दूसरे को एम्प्लोई नहीं रखते हैं। उसी एरिया में आबादी क्षेत्र में अपने घर में लघु कुटीर उद्योग हैं । इनके सप्लाई एक्ट में स्पष्ट प्राविजन होने के बाद जबरदस्ती एनडीएस का लगा रखा है। इसमें कहीं प्राविजन नहीं है एप्लीकेशन देने के लिए जो भी दुकान होगी गोटे की होगी जिसमें सैल्फ एम्प्लोई होगा दूसरा मजदूर नहीं रखते हैं उनके एनडीएस की रेट नहीं लगती है। जबरदस्ती आपने लगा रखी है। क्या आप इसको हटाने का इरादा रखते हैं क्या?

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): विभाग खुद मान रहा है कि वो कोई भी गोटा की मशीन नहीं चल रही है आपका विभाग खुद मान रहा है और यह सारी जानकारी होते हुए भी जब आप इसमें अपने यहीं से जारी कर देंगे तो वो ही कनेक्शन घरेलू कनेक्शन में हो जाएंगे । हम तो यही निवेदन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जब वो हर महीने एनडीएस के हिसाब से चुका रहा है तो दो सौ रुपये क्या मुश्किल है?

श्री अमराराम (धोद): नहीं जबरदस्ती ले रहे हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: चुका रहे हैं न? तो दो सौ रुपये में क्या बात है?

श्री अमराराम (धोद): पचास यूनिट है वहां दो रुपये यूनिट लगना चाहिए वहां पाँच रुपये यूनिट का लग रहा है. दो रुपये यूनिट की जगह।

श्री अध्यक्ष: 200 रुपये का फार्म भरिए, 200 रुपये जमा कराइए हो जायेगा बात इतनी सी है ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, यह बात हमें नहीं कह कर आप ऊर्जा मंत्री जी से कहें 200 रुपये लेने से ही क्या बड़े आदमी हो जायेंगे आप । आप उन्हीं को कन्वर्ट क्यों नहीं कर देते । आप यह बात उनसे क्यों नहीं कहते । जो गरीब एक पैसा भी नहीं दे सकता उनको तो आप अपनी तरफ से ही व्यवस्था दे रहे हैं कि हम उनसे 200 रुपये जमा करें ।

श्री अध्यक्ष: एनडीएस की रेट तो आप चुका रहे हो आप 200 रुपये नहीं दे सकते।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है कि आप मंत्री जी को ऐसी बात कहें जिससे कि यह व्यवस्था हो और इन कनेक्शन को रेगुलर कर दिया जाये और घरेलू कनेक्शन में इनसे पैसा लिया जाये, यही मेरा निवेदन है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष: ध्यान तो आकर्षित कर दिया उन्होंने ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आजकल बच्चों की परीक्षा चल रही है। और बांसवाडा जिले में विशेष तौर से मैं निवेदन करना चाहूंगा वहां पर रात को बिजली नहीं मिलती है । बच्चों को पढ़ने में काफी व्यवधान हो रहा है । मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कोई न कोई व्यवस्था कराइए, आजकल विद्यार्थियों के परीक्षा का समय है, मंत्री जी बताने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी करिए व्यवस्था । (व्यवधान) पहले उनका जवाब आने दीजिए, नहीं गलत बात है ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, बच्चों की पढ़ाई के लिये बिजली देना हमारी प्राथमिकता है और बांसवाडा में जो आपने बताया उस मामले को मैं देख लूंगा और इस समस्या का हल तुरन्त कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, आप तो यह बता दें खंडेला में जो आपने 300 बताये हैं, इनको एनडीएस में ...

श्री अध्यक्ष: वह तो संतुष्ट हो गये ध्यानाकर्षण करने वाले, आपको क्या तकलीफ हो रही है ।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मेरे को यह फील हो रही है 2 किलोवाट कि इन्होंने जो शर्त बताई है, जो साढे तीन सौ कनेक्शन आपने बताये हैं, यह दो किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन ले रखे हैं क्या? जब विभाग मान रहा है कि दो किलोवाट से कम का कनेक्शन है, घरेलू कनेक्शन है जो गोटा बनता था वह बंद हो गया । आप तीनों शर्तें फोलो कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं डीएल में कन्वर्ट करते हैं।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के गांवों में करोडों रुपये बकाया है और हमारे क्षेत्र में थोडे भी पैसे होते हैं तो पुलिस भेज देते हैं । मंत्री जी बतायें क्या अपने क्षेत्र में जमा कराना चाहते हैं? मंत्री जी के क्षेत्र में किसानों में करोडों रुपये बकाया है और इनके गांव में तो करोड़ों रुपया बकाया है । अपने क्षेत्र झुंझुनूं जो गरीब क्षेत्र है उसमें अगर बीस हजार रुपये भी जमा नहीं होते हैं तो कनेक्शन काट देते हैं । मंत्री जी इस बात को खुद स्वीकार करते हैं कि हमारे क्षेत्र में पैसे बकाया है ।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, क्या आपके इलाके में दो करोड़ बकाया है ?

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मैं कोई असत्य थोडे ही बोल रहा हूं, करोड़ों रुपया बकाया है। और हमारे लोगों का कनेक्शन काट दिया आपने ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, न ही तो किसी अधिकारी को बोला गया है कि मेरे क्षेत्र में या आसपास के क्षेत्र से पैसा वसूल नहीं किया जाये, नियम कानून पूरे राजस्थान के लिये एक है ।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): नियम कानून एक तो लूज होते हैं एक टाइट होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): क्या चीज लूज होते हैं टाइट होते हैं, मैंने इतने भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड करवाया है। मेरे क्षेत्र में एईएन, जेईएन को किया है यह कैसा आरोप लगा रहे हैं आप? मैंने खुद ने किया है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): हमारे लोगों का ट्रांसफारमर नहीं बदला जाता है और नहीं बदला जाता है तो मजबूर होकर जमा कराना पड़ता है । अध्यक्ष महोदय, ऐसा होता है या नहीं, आप जमा नहीं कराते हैं और दूसरों का जमा करवाते हो । खुद तो हलवा खाते हैं और दूसरों को खीर खिलाते हैं ।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी । विधायी कार्य ।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष: डा. एन. एस. गुर्जर (अनुपस्थित) डा. बुलाकीदास कल्ला।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बुलाकीदास जी इसमें आपका ही किया हुआ है, मेरा थोड़े ही है ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, 6 फरवरी को राजस्थान सरकार ने आर्डिनेंस लाकर संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश लेकर आये और 28 तारीख को असेंबली शुरू हो गई । 22 दिन में ऐसी क्या आवश्यकता पड गई कि नाम परिवर्तन के लिये आपको एक आर्डिनेंस लाने की जरूरत पड़ गई? मैं चाहता हूं कि आप प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट बाई एम.एन. काल एण्ड एस.एल. शक्धर के पृष्ठ 610 में पं. जवाहर लाल जी नेहरू ने स्पीकर को जो रिप्लाई दी थी वह मैं कोट करना चाहूंगा –

"I think, all of my colleagues will agree with you that the issue of Ordinances is normally not desirable and should be avoided except on special and urgent occasions. As to when such an occasion may or may not arise, it is a matter of judgment. Not only the Government of a State, but private members of Parliament are continually urging that new legislation should be passed. Parliamentary procedure is sufficient to give the fullest opportunities for consideration and debate and to check errors and mistakes creeping in. That is obviously desirable. But, all this involves considerable delay. The result is that important legislation is held up. Every parliament …."

श्री अध्यक्ष: वह तो पहले ही आ गया, आर्डिनेंस वाला तो ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): '' ... in the world has to face this difficult problem and various proposals have been made to overcome it."

उसके बाद 13 नवम्बर, 1973 को स्पीकर लोकसभा ने जो आब्जर्व किया वह मैं आपको कोट करना चाहूंगा–

"Ordinances by themselves are not very welcome, specially so when the date (for session of the House) is very clear. It is not only clear but is also near. In such cases, unless there are very special reasons, Ordinances should be avoided. This is the ruling which I gave on 22nd November, 1971 – and the same was given by my predecessors."

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह कहना है जब विधान सभा की तिथि क्लीयर हो और बहुत नीयर हो ।

श्री अध्यक्ष: आपके इस आरोप का जवाब दे देंगे जब वह बोलेंगे, आपको देना चाहिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, इस समय ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई यह आर्डिनेंस लाना पड़ा?

दूसरी बात मैं आपके सामने यह लाना चाहता हूं कि जब नाम परिवर्तन किया जायेगा तो सारी जगह स्टेशनरी चेंज होगी। और इसी प्रकार इसमें जगह जगह जो विश्वविद्यालय के नाम लिखे हुए हैं उनमें भी परिवर्तन आयेगा तो इसमें कितना खर्चा होगा । आपने कोई वित्तीय ज्ञापन इसमें नहीं दिया । कितना खर्चा आयेगा आपने क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसकी स्वीकृति ली यदि नहीं ली तो मैं समझता हूं यह विभाग की गलती रही है । वित्तीय ज्ञापन आपको इसके साथ प्रस्तुत करना चाहिये ।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं जब कोई भी प्रकार का यहां आर्डिनेंस बिल के रूप में आता है तो विश्वविद्यालय के पूरे ढांचे के बारे में सोचा जाता है । अध्यक्ष महोदय, यह विश्व विद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर न तो पूरा स्टाफ है, न वहां पर रिसर्च की कोई प्रोपर व्यवस्था है । मैं जानना चाहता हूं कि आप अपना उत्तर दें तो शिक्षा मंत्री जी यह बताये वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में अब तक कितनी रिसर्च हुई है । ऋग्वेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन सब में ऋचाएं जिनके पास है वह ऋचाएं लुप्त हो रही हैं । विद्वान जैसे-जैसे 100 वर्ष प्राप्त करते हैं वैसे-वैसे अपने साथ उन ऋचाओं को लेते जा रहे हैं । क्या आपने इन वेदों की ऋचाओं को संकलित करने के लिये कोई उपाय किये हैं ।

श्री अध्यक्ष: यह यूनिवर्सिटी तो आपके समय ही बनी थी यह तो नाम ही परिवर्तन कर रहे हैं ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप जानते हैं जब जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाता है तो विश्वविद्यालय के बारे में हम इन बातों को बोल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन वेदों की ऋचाओं को संकलित करने के लिये क्या उपाय किये गये। आपकी लायब्रेरी की क्या पोजिशन है। लायब्रेरी में कितनी पुस्तकें हैं, मैं समझता हूं अब तक एक लाख पुस्तकें भी इस लायब्रेरी में नहीं है और जिस मन से हमने इस विश्व विद्यालय को बनाया था उसके आधार पर इसका डवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसका बजट मैं समझता हूं सबसे कम है और स्टाफ भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। स्टाफ को स्ट्रेंथन करने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में कितना स्टाफ है और आप इसका किस प्रकार से डवलपमेंट करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग तो ओप डेपुटेशन पर हैं और डेपुटेशन के अलावा जो लोग लगे हुए हैं वह बहुत कम संख्या में हैं। पूरी फैकल्टी नहीं है और कुल मिलाकर संस्कृत विश्वविद्यालय अपनी आखेट अवस्था में है । इसका कोई डवलपमेंट नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि एक तो मंत्री जी यह बताये कि इस अध्यादेश को केवल उद्घाटन के लिये लाना पडा, क्या कारण रहे जिसके कारण आप 22 दिन तक भी इंतजार नहीं कर सके और एक आर्डिनेंस लाकर आप यह नाम परिवर्तन जैसे काम को जो बहुत साधारण से लेजिसलेशन के माध्यम से लाया जा सकता था इसके लिये आप आर्डिनेंस लाये। यह आर्डिनेंस का दुरुपयोग है यह दुरुपयोग रुकना चाहिये और सरकार को इस विश्व विद्यालय को डवलप करने के लिये उपाय करने चाहिये। और इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल, अनुपस्थित। श्री हरिमोहन शर्मा, अनुपस्थित। श्री चन्द्रशेखर वेद, अनुपस्थित। श्री सी.पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाम परिवर्तन का मंत्री जो विधेयक लाए हैं, कल्ला साहब ने कहा कि उचित होता कि ओरडिनेंस लाने की आवश्यकता भी नहीं होती। जब हाउस आ गया था तो विधेयक के रूप में लाते। पर इस अवसर का लाभ उठाकर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 98 में जब एक्ट बना तब इसमें लिखा था कि-

"An Act to provide for the establishment of a Sanskrit University in

(डा. सी. पी. जोशी)

the State of Rajasthan for the purpose of prosecution of elaborate studies in and for the teaching of Sanskrit literature in its entirety and to provide for continued specialized research and other matters ancillary thereto and presenting with practical interpretation of the complex and occult knowledge and science contained in the Sanskrit literature in the simple research based scientific manner as also for bringing results and achievement of other important research into light."

अध्यक्ष महोदय, उचित होता कि 98 में जब यह एक्ट बना, और 2006 में जब हम नाम परिवर्तन करने के लिए बिल लेकर आ रहे हैं, तो 98 और 2006 के बीच में यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे जो मंशा थी, एक उद्देश्य था उसको भी रिव्यू कर लिया जाता और उसको कम्प्रीहेंसिव बिल के रूप में परिवर्तन करके लाते तो मैं समझता हूं कि इसका नाम परिर्वतन के साथ इसकी सार्थकता भी होती। आज नाम परिवर्तन तो हम करना चाहते हैं एक बड़े व्यक्ति के नाम पर और यह कहकर करना चाहते हैं कि उन्होंने डोनेशन के रूप में यूनिवर्सिटी को एस्टेबिलिश किया।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी यूनिवर्सिटी और संस्कृत यूनिवर्सिटी, दोनों के बीच भी साम्यता रखना चाहते हैं तो जो परपज है, संस्कृत यूनिवर्सिटी का परपज है वह डिफिट हो जाता है। संस्कृत तो फिर ह्यूमेनिटीज, सोशल साइंसेज की यूनिवर्सिटी है उसी के परपज की नीड को कैटर कर रही है। Why are we opting for this? हम क्यों टेक्नीकल यूनिवर्सिटी पर जा रहे हैं, क्यों मेडीकल यूनिवर्सिटी पर जा रहे हैं, क्यों संस्कृत यूनिवर्सिटी पर जा रहे हैं? यदि संस्कृत की एक अपनी महत्ता है उसके संबंध में हम ध्यान नहीं देंगे तो एक डिपार्टमेंट के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाकर इसके उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते है तो मैं समझता हूं कि यह उद्देश्य, इसको ठीक ढंग से जो यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे वह काम नहीं कर पायेंगे।

मैं मंत्री महोदय आपका ध्यान यह भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इस एक्ट के क्लाज सात में लिखा है- ''University open to all classes." इसमें लिखा है। मैं समझता हूं कि इसको भी समझना आवश्यक है। क्या हम इस तरह की यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे जो मंशा थी, जो प्रोवीजन रखा था उस प्रोवीजन के अन्तर्गत क्या हम कान्स्टीटयूशन में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सोचकर रखा था या यह रखा था कि नोलेज का एक सब्जैक्ट है उसकी आगे जाकर उपादेयता सोसाइटी में ला सकें। इसमें लिखा है- "The University shall, subject to the provisions of the Ordinance and statute, be open to all per-

sons irrespective of their caste, creed, race, class or sex." यह कभी नहीं हुआ। आगे इसमें लिखा है- "Provided that no religious instruction or training shall be imparted in an academic institution affiliated to or recognized by this University which is wholly maintained or aided by the State Fund unless the consent of the student, in the case of his being a major, and of the guardian, in the case of a minor, has been obtained."

माननीय अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी बनाते समय यूनिवर्सिटी की जो कल्पना रखी थी, संस्कृत यूनिवर्सिटी में, उसमें यह प्रोवीजन रखा था, किसी और यूनिवर्सिटी में आज दिन तक आप देख ले, जितनी यूनिवर्सिटी बनी है उसमें प्रोवीजन नहीं रखा। इस प्रोवीजन के पीछे मंशा यह थी, मैं जो समझ पाया हूं कि संस्कृत विधा की जो एक हमारी संस्कृति रही है उसको पढ़ने के लिए माइनर यदि बच्चा है तो पेरेंटस की कन्सेंट, मेजर है तो उसकी खुद की कन्सेंट चाहियेगी। ऐसी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर व्यवस्था नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए हम करना चाहते हैं, मैं समझता हूं इसका भी माननीय मंत्री महोदय आपने ध्यान दिया, नहीं दिया लेकिन इसकी आवश्यकता है। इस संबंध में भी आप देखते कि सरकार की, हमारी मंशा क्या है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): पूरा कोरम नहीं है1

श्री अध्यक्ष: कोरम है, आप निश्चित रहिये। 20 का होता है कोरम, 20 है, 20 से ज्यादा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, तीसरा ध्यान मंत्री महोदय का सैक्शन 21 पर भी आकर्षित करना चाहता हूं.

"Research Centre. (1) The University shall establish a Research Centre for continuing specialized investigation and research in different subjects of Sanskrit literature and for addition and publication of rare works.

(2) The constitution of the Research Centre, its composition and working system shall be regulated by the statutes.

(3) The results and special achievements of the research shall be brought into light and the editing and publication thereof as also of the rare works shall be done as per the directions of the Executive Council." 98 से 2006 हो गया, मंत्री महोदय, क्या रिसर्च सेंटर का प्रोवीजन है विश्वविद्यालय एक्ट के अन्तर्गत किया है उसके उद्देश्य की हमने प्राप्ति की है? मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय हम केवल मात्र राजस्थान में एक one more feather in our cap, हमारी सरकार ने भी किया, 1998 में हमारी सरकार थी, बिल लेकर

(डा. सी. पी. जोशी)

आई थी। संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाने का श्रेय भी जाता है तो कांग्रेस की सरकार को जाता है। आपको श्रेय जाता है कि आपने नाम बदलने का काम किया। यह श्रेय भी इसलिए जाता है कि सरकार के कन्सोलिडेटेड फण्ड से पैसा नहीं गया है। पैसा दूसरों ने खर्च किया। नाम लेने का श्रेय आपको मिल रहा है यह आपको वेलिड जाती है। आपने उनको मोटीवेट किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की हमारे में इच्छा है, जैसे जयपुर को दूसरी काशी कहते हैं, यह दूसरी यूनिवर्सिटी से डिफरेंट यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी तो मैं समझता हूं कि उपादेयता पूरी नहीं होगी। मुझे बहुत खुशी होती, ढाई साल सरकार बने हो गए, आप काम्पीटेंट मंत्री है और काम्पीटेंट मंत्री बनने के बाद आपने यह रिव्यू नहीं किया, 98 का एक्ट बनाया, कांग्रेस की अच्छाई या बुराई तो आपने देखी पर 98 की कांग्रेस की जो अच्छाई, बुराई थी यूनिवर्सिटी बनाने में उसमें हमने कितना अचीवमेंट किया उसको भी कभी एसेसमेंट किया।

1998 के बाद मैं समझता हूं कि मंत्री के रूप में हमने रिव्यू नहीं किया। इसलिए मेरी मान्यता है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी आपको बनाना है तो जो पैटर्न आपने किया है चाहे एकेडमिक काउंसिल का किया हो, चाहे आपने एग्ज्युक्युटिव का किया हो चाहे आपने कम्पोजिशन किया है यह पूरी की पूरी नकल की है। अगर पूरी की पूरी नकल करके बनाना है और नाम बदलना है तो मैं समझता हूं कि संस्कृत विश्वविद्यालय को बंद कर देना चाहिये। इससे ज्यादा अच्छा होता कि अलग-अलग यूनिवर्सिटी में चेयर स्थापित करते, रिसर्च करवाते और काम करने के बाद सोसाइटी में, जनता के बीच में उन चीजों को लाते, पापुलर करते, कैसे संस्कृत पापुलर हो सके, तब तो हम उस उद्देश्य को पूरा करने का काम कर सकते हैं लेकिन यह काम आपने नहीं किया।

केवल मात्र हमें एक नाम बदलना है, 98 से 2006 में नाम बदलने का काम किया, अब 2020 में जाकर काम करेंगे, संस्कृत यूनिवर्सिटी का रिव्यू किया हमने। मंत्री महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि, नाम बदले आपने क्योंकि आपने लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट का कमिटमेंट था, कमिटमेंट को ओनर किया आपने किया उसके लिए बहुत सादुवाद, धन्यवाद। यह तो आपने किया, कमिटमेंट ओनर किया पर कमिटमेंट ओनर करने के नाम पर यदि रिव्यू करके संस्कृत विश्वविद्यालय को यूनिक यूनिवर्सिटी बनाने का काम करते

(डा. सी. पी. जोशी)

तो मैं समझता हूं कि बडी सोसाइटीज में आपका कन्ट्रीब्यूशन होता। आज रिसर्च, टीचिंग, एक्सटेंशन तीन मेजर काम है। संस्कृत में आप टीचिंग इम्पार्ट करना चाहते हैं। टीचिंग का काम केवल लोगों को जॉब अपोरच्युनिटी अवेल, लेकिन संस्कृत पापुलर होकर समाज का अंग बने इसका काम यदि यूनिवर्सिटी नहीं करेगी तो एक डिपार्टमेंट में नौकरी करने का काम संस्कृत से करा जाता है। रिसर्च, मैं समझता हूं कि आज कपूरचंद जी कुलिश हमारे बीच नहीं है, लेकिन राजस्थान पत्रिका ने पापुलर किया वेद को, राजस्थान पत्रिका के माध्यम से। आज आठ साल होने को आये क्या ऋग्वेद, जो हमारे रिसर्च हैं उसको पापुलर करने के लिए लोगों के बीच में गये? आज आपकी हिन्दी ग्रंथ अकादमी है लोगों को हम छोटी-छोटी किताबें रखकर सामान्य भाषा में बात कर सकते हैं, हम पापुलर करते हैं, हमारी चीज क्या है, मैं समझता हूं कि यह काम भी हमने नहीं किया।

जर्मन में सबसे ज्यादा काम संस्कृत के ऊपर हुआ है। जर्मन में काम करने के बाद उन्होंने उसका उपयोग लिया। मैं समझता हूं कि यह काम भी हमने नहीं किया। सबसे बड़ी आवश्यकता है, आप थ्रस्ट करें रिसर्च के ऊपर। कैसे हमारे संस्कृत की जो चीजें है उपलब्ध हैं जिसमें ज्ञान है, विज्ञान है उसको हम कैसे समाज के उपयोग में ला सके यह काम करने का काम विश्वविद्यालय ने किया, हमने वाइस चांसलर बना दिये, वाइस चांसलर की पे दे दी। हमने टीचर बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, यह काम आपने कर दिया। लेकिन एक सबसे बड़ा काम रिसर्च का था वह एक यूनिक फीचर होता है कि राजस्थान में 3-6 साल में यूनिवर्सिटी ने ऐसा काम किया रियर ग्रंथ को पापुलर करके पालुलेज करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि उस उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हो सकती। मैं चाहूंगा कि दुबारा रिव्यू करें कि क्या राजस्थान में संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम पर उस एक्ट के सारे प्रावोजन रखने की आवश्यकता है, जो एक्ट के प्रोवीजन हमने दूसरे विश्वविद्यालयों में रख रखा है। टीचिंग फैकल्टी का रिक्रूटमेंट, माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं भी विश्वविद्यालय में हूं। एक विश्वविद्यालय में 25 साल का नौजवान आदमी लैक्चरर बन जाए और 60 साल तक वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम करे, अपनी नोलेज को अपडेट नहीं करें तो किस तरह की एजुकेशन बच्चों के साथ इम्पार्ट करेगा। क्या संस्कृत में यह व्यवस्था हो सकती है? संस्कृत में तो दूसरा काम है। संस्कृत में विद्वान सोसाइटी में

(डा. सी. पी. जोशी)

उपलब्ध है, उन विद्वानों के ज्ञान का उपयोग हम समाज में कर सकें इसलिए आपको रिक्रूटमेंट की पालिसी में भी समाज के दूसरे विश्वविद्यालयों से अलग सोचने की आवश्यकता है। अपाइंटमेंट लोगों को दे, उनकी उपादेयता, उनको कन्टीन्यू करे, नहीं रहे तो उनको मार मार कर बात करे लेकिन इसमें भी हमने रिक्रूटमेंट के वो ही प्रोवीजन रखे जो दूसरे विश्वविद्यालयों के अंदर रखे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं आप निश्चित तौर पर दुबारा रिव्यू करें। रिक्रूटमेंट पालिसी इस विश्वविद्यालय की डिफरेंट होनी चाहिये दूसरे विश्वविद्यालय की। सबसे ज्यादा थ्रस्ट दे रिसर्च के ऊपर।

आज मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्री जी ने मिड डे मिल स्कीम में अलग-अलग लोगों को जोड़ा, मेंहदीपुर बालाजी के लोगों के जोड़ा, आप कोशिश करिये कि यह जितने भी चेरीटेबल इन्स्टीटयूशन है यह पैसा देकर चेयर स्थापित करें।

(समय 14.00 बजे)

और चैअर स्थापित करके वह सारा खर्चा चैअर से हो और इस तरह का काम करके पापुलर करने का काम करें, इस विद्या को जगह देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इन सब चीजों के सम्बन्ध में सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने हेस्ट में यह काम करने का, अपनी एक रुटीन में जो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार कमिटमेंट करके गयी, 2 महीने में बिल्डिंग बना दी, इसलिये हम इसका नाम परिवर्तित कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अच्छा होता कि इस नाम का उपयोग लेकर इस सम्बन्ध में भी सोचने की कोशिश करते।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मेरे मन में एक कल्पना थी कि जनमत जानने के पीछे मंशा मेरी थी कि यदि इसमें कोई कमी और खामी रह गयी है तो इसको अपडेट कर हम बिल लेकर आते तो हमारे सदन की गरिमा भी बढ़ती और संस्कृत के बारे में हमारा कमिटमेंट है, उसके बारे में भी परिलक्षित होता। मैं आपसे आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप निश्चित तौर पर सदन को यह आश्वस्त करेंगे कि आपने अपने कमिटमेंट को ऑनर किया, इसका नाम उनके नाम पर रखा, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन इस विश्वविद्यालय के एक्ट और स्टेट्यूट में आमुलचूल परिवर्तन करें। संस्कृत के ज्ञान का लोगों को लाभ मिल सके और राजस्थान में हम यह कह सकें कि संस्कृत विश्वविद्यालय बनाकर हमने एक ऐसा अनोखा काम किया है, जिस अनोखे काम से समाज में उसका लाभ मिल सके। यदि यह काम हम कर सके, अध्यक्ष महोदय तो

विश्वविद्यालय बनाने की जो हमारी कल्पना है वह हमारे लिये सबसे उपयोगी और समाज में ठीक ढंग से, हम जो सोचते हैं, उसे लागू कर पाएंगे। ऐसी मेरे मन में कल्पना है।

इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा होता कि हम इन सब चीजों को ध्यान में रखकर यदि कम्प्रेहेंसिव बिल लाते तब तो मैं समझता हूं कि सरकार का यह जो कमिटमेंट है, और खास तौर से, संस्कृति की रक्षा करने की जिम्मेदारी, संस्कृति को बनाये रखने की जिस पार्टी की विचारधारा हो वह पार्टी केजुअल-वे में विश्वविद्यालय के बिल को लेकर आये। फिर यह कौनसा कमिटमेंट है, किस तरह का कमिटमेंट है। इसमें तो प्रतिबद्धता परिलक्षित होनी चाहिए कि इस पार्टी की प्रतिबद्धता इस लेवल की है कि दूसरी पार्टी से इनका अन्तर था। 1998 में कांग्रेस पार्टी बिल लेकर आयी जो विश्वविद्यालय बनाया, उसमें खाली नाम परिवर्तन की अपनी प्रतिबद्धता को करना चाहते थे तो मुझे लगता है कि हमारी लिप सैम्पेथी है संस्कृति के बारे में। हमारी संस्कृति के प्रति कमिटमेंट नहीं है। जब तक यह कमिटमेंट नहीं होगा उस विचारधारा के आधार पर हम लोगों से बात कर सकते हैं लेकिन एक्शन बताते हैं कि हमारे एक्शन उस तरह के नहीं हैं जिस एक्शन के बारे में हम समाज को यह कहना चाहते हैं कि इस तरह की बातें हैं। मुझे पूरी आशा है, आपसे कि यह सरकार जो विचारों की बात करती है, यह सरकार जो संस्कार की बात करती है, यह संस्कार और विचारों को इस संस्कृत विश्वविद्यालय में कोई जगह देते और जगह देने के बाद इस बिल को लाते, यह काम करने में असफल रही है। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रचारित किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दोनों माननीय भूतपूर्व विद्वान शिक्षा मंत्री और माननीय सदस्यों ने जो राय दी है, उससे मैं सहमत हूं। बिल को प्राथमिकता हमेशा ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देनी चाहिए। आर्डिनेंस कभी-कभी निकालने की आवश्यकता पड़े तो निकालना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां विद्यमान थीं कि जिन लोगों के साथ बातचीत की थी इस विश्वविद्यालय में रुपये लगाने की, उद्घाटन का भी अवसर था और बाकी काम भी पूरे करने थे। उन्होंने कहा कि आपका जो कमिटमेंट हुआ है उसको आप पूरा करिये, तब हम काम पूरा करेंगे। इसलिये उस

(डा. सी. पी. जोशी)

आर्डिनेंस की आवश्यकता पड़ी। इस कारण से विश्वविद्यालय को लाभ ही हुआ है। जो खर्च उनको करना था, वह खर्चा उन्होंने किया। लेकिन मैं सिद्धान्ततः इस बात से सहमत हूं कि विधान सभा अगर नजदीक हो तो आर्डिनेंस के बजाय बिल से ही हमेशा करना चाहिए, यह मैं आपकी बात से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय, 2-3 बातें बहुत प्रमुखता से यहां कही गयी हैं, यह एक बार मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि इस बिल को कम्प्रेहेंसिव बिल के रूप में, अगर बिल को पढ़कर सिस्टम करके लाते तो बहुत उचित रहता। मुझे मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैंने इस पूरे बिल को ईमानदारी से कम्प्रेहेंसिव बिल लाने के हिसाब से नहीं देखा। उस समय एक पाइण्ट आया था कि यह नाम बदलना है। नाम बदलने की बात भी तत्कालीन संस्कृत शिक्षा मंत्री श्रीमती कमलाजी ने त्रिवेणी के जो नारायणदासजी महाराज हैं, उनके साथ मिलकर सरकार ने एक अनुबन्ध किया था, जिनके आधार पर हमने यह काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितना बढ़िया काम इस संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ है, और एक मामला जो आपने वित्तीय ज्ञापन का उठाया है, वह इसलिये नहीं है कि इसका सारा खर्चा वहन करने का काम नाम परिवर्तन से सम्बन्धित जो भी है, वह संस्था जो अपने को अनुदान दे रही थी, उन्होंने किया है। राज्य सरकार की ओर से कोई नहीं है, इसलिये वित्तीय ज्ञापन इसमें नहीं लगाया गया।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इसका काम किया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने भी प्रयत्न किया है और हम एक अलग से विश्वविद्यालय बने, इस बात से मैं जोशी साहब से पूर्णतः सहमत हूं। जो प्रक्रियाएं अन्य विश्वविद्यालयों की हैं उन प्रक्रियाओं के अन्तर्गत यदि संस्कृत विश्वविद्यालय को चलाया गया तो हम जो काम करना चाहते हैं, वह काम नहीं कर सकेंगे। इसलिये हमने सबसे पहला काम इसमें किया, अनुसंधान केन्द्र, जो उसके रिसर्च की आवश्यकता थी, उसकी बहुत बढ़िया बिल्डिंग भी बन गयी और उसकी स्थापना भी कर दी और इसके लिये मानव संसाधन मंत्रालय ने 5 करोड़ रुपये का अनुदान भी दिया और डेढ करोड़ रुपये का राज्य सरकार ने भी, इस प्रकार से उस अनुसंधान केन्द्र का हमने काम किया।

दूसरी बात जो आपने उठायी, मैं उससे भी बिलकुल सहमत हूं। हमको यह धीरे-धीरे ऋचाओं के ज्ञाता, 1135 प्रकार की ऋचाएं थीं वेदों की जो गायी जाती थीं, जो लोग बोलते थे, जो पद्धतियां थीं, वह आज गायब होकर सिर्फ 33 बीच हैं, 1135 में से 33 बची हैं उनको भी इतने बड़े आदमी हैं वे, उनको

(डा. सी. पी. जोशी)

भी सही प्रकार से पढ़ने-पढ़ाने का काम 4-4 वर्षों में नहीं किया तो इनको भी लुप्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा और इसके लिये, इस सारे को संरक्षित करने के लिये, जयपुर छोटे काशी के रूप में भी और जयपुर के आसपास गांवों में भी, शेखावाटी में भी, मेवाड़ में भी, बीकानेर के क्षेत्र में भी, संस्कृति के कुछ पुराने विद्वान हैं उन विद्वानों को करके इस विद्या के संरक्षण के लिये हमने 8 पीठों की स्थापना की। ये 8 पीठ हैं, अनुसंधान पीठ के रूप में एक जगद् गुरु भगवदाचार्य, वेदान्त पीठ की स्थापना की है। सवाई जयसिंहजी, जयपुर के जो संस्थापक थे और ज्योतिष के विद्वान थे, उनके नाम से ज्योतिर्विज्ञान पीठ की स्थापना की है। वेद वाचस्पित मधुसूदन ओझा, जिनके बारे में अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि राजस्थान पत्रिका ने उनके लेखों को लिखकर वेदों को आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, वह वेद वाचस्पित मधुसूदन ओझा के नाम से वेद-विज्ञान पीठ की स्थापना की। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, जयपुर में मधुसूदनजी ओझा जैसे विद्वान, शायद हिन्दुस्तान में इस शताब्दी में बहुत कम लोग हुए हैं, वह आदमी 25 पेपर..लगाकर घूमते रहते थे और 25 सब्जेक्ट्स पर एक साथ लिखते रहते थे। उन्होंने जितना काम किया है वेद-विज्ञान में खोज का, वह बहुत बढ़ा काम था। एक उनके नाम से वेद-विज्ञान पीठ की स्थापना की । महामहोपध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, व्याकरण के हिन्दुस्तान के सबसे बड़े प्रकाण्ड विद्वान थे, जयपुर में रहने वाले थे, उनके नाम से व्याकरण पीठ की स्थापना की गयी। आपको भी मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, व्याकरण पीठ में झुंझुनूं के ही जो खेतड़ी के शास्त्रीजी हैं, जिनकी उम्र 80 साल के ऊपर है, आज राजस्थान में व्याकरण के केवल वही बद्रीप्रसादजी एक उनका नाम है, जो पपरना के रहने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष: पपरना नहीं, पपुरना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, पपुरना के। उनको लाकर वहां रखा है और उनसे सारी उनकी वीडियो-आडियो फिल्म बनायी जा रही है ताकि जो दूसरे टीचर्स हैं वे उसको समझ सकें। इसी प्रकार से भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, जो साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, यह साहित्य पीठ की स्थापना की गयी है। पद्मभूषण पट्टाभिराम शास्त्री के नाम से मीमांसा पीठ की स्थापना की गयी है। पण्डित नित्यानंद शास्त्री के नाम से आधुनिक संस्कृत पीठ की स्थापना की गयी है और महाकवि ज्ञान सागरजी के नाम से जैन दर्शन पीठ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की स्थापना की गयी है। इन पीठों के माध्यम से हम चाहेंगे कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय फले-फूले और आगे बढ़े। अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से अब इसमें बहुत गहन अनुसंधान की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, कल किसी ने टेलीविजन पर देखा हो तो टेलीविजन पर एक बहुत बड़ा वाद-विवाद और शास्त्रार्थ आया था। नोबल पुरस्कार विजेता, रसायन शास्त्र के, वे चलकर आये थे और योग के बारे में उनका रामदेवजी महाराज का शास्त्रार्थ बहुत, एक से डेढ घण्टे तक चला था। एक हजार आदमियों ने देखा। उसके बाद आज सुबह मेरी उनसे बात हुई थी रामदेवजी महाराज से। तो उन्होंने कहा कि जो रसायन शास्त्र के विद्वान थे, उन्होंने कहा कि आपने एक नयी दिशा दी है, रामदेवजी महाराज को, और हम इस पर चिन्तन करेंगे। तो रामदेवजी ने कहा, मैंने कोई नयी दिशा नहीं दी है। मैंने जो लिखा हुआ था, उस लिखे हुए के आधार पर उसको प्रकाशित करने का प्रयत्न किया है। तो मैं इस बात से सहमत हूं योग के बारे में, संस्कृत के बारे में इन सब के बारे में अनुसंधान की अत्यधिक आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष: ज्योतिष के बारे में?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, ज्योतिष के बारे में भी। राज्य सरकार चाहेगी कि निश्चित रूप से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह रहस्योद्घाटन है, खुद बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, खुद बहुत अच्छी रेखाएं देखने, इनको खुद की अपनी रेखाएं देखने में जरुर थोड़ी दिक्कत आती है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने अपनी रेखाएं दिखाई कि नहीं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, वह अपनी रेखाएं देखने में भूल कर जाते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरी गलती यह है कि जो पड़ौस वाले हैं उनकी रेखाएं ठीक से नहीं पढ़ पाता हूं।

श्री अध्यक्ष: उनकी रेखाएं नहीं देख पाते हैं आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं देख पाता हूं, उनके हाथ में कुछ और, अन्दर कुछ और है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान, आज भी कुछ ऐसे विद्वान बचे हुए हैं, उन विद्वानों को लेकर हमने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तैयार किया है। एक दूसरी योजना हमने और तैयार की है जिसमें हमको उनका सहयोग मिला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे यह कहने में, संस्कृत पर बहस हो रही है, मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि राजस्थान में संस्कृत विभाग में आज सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स शिड्यूल्ड कॉस्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के हैं । मैं अभी आंकड़े प्रस्तुत कर दूं और हमारी संस्कृत में जितनी नियुक्तियां हैं उनमें आज एक भी बेकलॉग शिड्यूल्ड कॉस्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का नहीं है, यह काम हमने पूरा किया और भी पूरा करेंगे लेकिन अब यह ज्यों-ज्यों शिड्यूल्ड कॉस्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब तक, आम आदमी तक यह संस्कृत जाएगी। ... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): बांसवाड़ा में पद रिक्त जरूर चल रहे हैं संस्कृत के।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय मंत्री महोदय, इस पाठ्य-पुस्तक में, संस्कृत में वास्तुशास्त्र का भी थोड़ा उल्लेख करिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वास्तु शास्त्र का भी करेंगे। वास्तु शास्त्र का विचार जहां तक पहुंचता हो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यूनिवर्सिटी का मामला है, यूनिवर्सिटी का मामला है वह तो।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): मेरा तो निवेदन है आपसे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): तो यह जो संस्कृत, मेरा कहने का मतलब यह है कि संस्कृत जब आम जन तक जाएगी तो उसकी विधाओं का विस्तार होगा, प्रचार होगा। यह कुछ पंडितों तक या कुछ विद्वानों तक सिमट कर रह जाए, उससे इसका कल्याण नहीं होगा और इसकी जो नयी खोज है वह खोज भी नहीं हो पाएगी। सरकार पूरा प्रयत्न करेगी संस्कृत विश्वविद्यालय एक यूनिक रूप में मिले। और जिनके नाम से नाम परिवर्तन किया है उनके बारे में अगर मैं बात नहीं कहूंगा तो मैं न्याय नहीं करूंगा। श्री रामानन्दाचार्य एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने 700 वर्ष पहले छुआछूत के खिलाफ आन्दोलन चलाया था। छुआछूत के खिलाफ आन्दोलन चलाने के अगर सबसे बड़े जनक थे तो वे थे। रेदासजी उनके शिष्य थे। कबीरदासजी उनके शिष्य थे। धन्ना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जाट थे वे उनके शिष्य और उसी प्रकार से यह सारे बड़े-बड़े जो काम उन्होंने किये वे सारे उनके शिष्य थे और 12 उनके जो, इसलिए वहां जो खण्ड बने हैं, रेदासजी के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार बनाया गया है वह रेदासजी के नाम से रखा गया है। उसी प्रकार जो 12 उनके शिष्य थे उनके नाम से अलग-अलग खण्ड बनाये गये हैं ताकि जितनी जो भ्रांत धारणाएं जो समाज को विघटन करने वाली हैं, उन धारणाओं को समाप्त किया जा सके। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय वास्तव में संस्कृत विश्वविद्यालय बने। उसकी तरक्की हो और जो कमियां दोनों माननीय सदस्यों ने बतायी हैं उनको मैं ठीक करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नाम बदलने से ही हो जाएगा क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नाम बदलने से एक भावना आती है। बाकी सरकार प्रावधान करेगी। इस बार भी प्रावधान है। पिछली बार भी प्रावधान है और बाकी माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी मैं इस संबंध में राय मशविरा कर लूंगा और जैसा आप लोग कहेंगे वैसे ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या कर लेंगे? राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय है उसका नाम मिटाकर आप एक व्यक्ति विशेष पर ले जा रहे हो। वह कितना भी बड़ा विद्वान हो। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या बात करेंगे आप ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन यह राजस्थान हमारी मातृभूमि है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): राजस्थान का नाम तो है ही।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप इसका मिटा रहे हो न ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, नहीं मिटा रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो क्या कर रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इसका नाम है- रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो क्या वह राजस्थान से भी बड़ा है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, राजस्थान से तो कोई बड़ा नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, तो फिर क्या एडजेक्टिव जोड़ दिया पहले?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने राजस्थान नहर का नाम बदला है कि नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसको पीछे बोल लो। राजस्थान तो छोटी बात है, हिन्दुस्तान के पीछे वह जोड़ दो। क्या बात कर रहे हो?...(व्यवधान)

यह तो आप सम्प्रदायवाद फैला रहे हैं। सम्प्रदायवाद आप फैला रहे हैं संस्कृत विश्वविद्यालय में। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह तो बहुत बुरी बात है कि आप सम्प्रदायवाद फैला रहे हो। यह तो बेजा बात है कि सम्प्रदायवाद फैला रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को, मैं आपकी बात का कोई जवाब ... (व्यवधान) नहीं-नहीं, कोई देने की आवश्यकता नहीं है। कोई सम्प्रदायवाद नहीं फैलाएंगे। राष्ट्रवाद ही फैलाएंगे और राष्ट्रवाद के आधार पर ही काम करेंगे और रामानन्दाचार्य जो हैं वह रामानन्द सम्प्रदाय के बहुत बड़े संत और सामाजिक समरसता के प्रतीक थे तो उनके नाम से रखा है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी बातें जो आयी हैं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान का नाम मिटा नहीं है। यह भी उन्होंने बता दिया है कि राजस्थान का नाम मिटा नहीं है। राजस्थान तो आगे लगेगा ही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय नाम रहेगा और माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी जो बातें आएंगी आज संस्कृत पर भी डिमांड है, उस समय मैं उसका सारा जवाब दे दूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अभी विचारार्थ नहीं है। सुनिये।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जाने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

अब आप विचारार्थ के लिए कहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैंने रख दिया पहले ही।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

अब खण्डश: विचार। खण्ड-2 ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी समय दीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप थर्ड रीडिंग पर बोल सकते हैं। थर्ड रीडिंग पर बोल सकेंगे। ... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): थर्ड स्टेज ही तो है।

श्री अध्यक्ष: नहीं गलत बात है। अब खण्डश: विचार है। आप लास्ट में बोलिएगा।

खण्ड-2 पर आपका अमेंडमेंट है, श्री बुलाकीदास कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा में पहले भी तीन विधेयक आये थे जिनमें जिन स्थान पर यूनिवर्सिटी बनती है, उसके स्थान के नाम हटा दिये गये थे। मैंने आपकी कृपा से उन बिलों में अमेंड कराया था। भैरोंसिंहजी शेखावत उस समय मुख्य मंत्री थे। हिन्दुस्तान और विश्व में कहीं भी विश्वविद्यालय जो बनते हैं, उसके बाद विश्वविद्यालयों के नाम के साथ उस शहर का नाम लगा हुआ होता है। जैसे आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आक्सफोर्ड, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, केम्ब्रिज, लन्दन।

श्री अध्यक्ष: अब आप वहां का, विदेशों का उदाहरण दे रहे हैं, अब तो आप भारत का दो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का दे रहा हूं। राजस्थान का दे रहा हूं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर इन नामों को भी इन्होंने परिवर्तन करके बीकानेर का, उदयपुर का इनका नाम भी हटा दिया गया था तो मैंने इसी विधान सभा में अमेंड करवाया था कि आप इसको कर दें नहीं तो हम राज्यपाल महोदय से या प्रेसिडेंट साहब से रिक्वैस्ट करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप कल्पना करें कि जैसे इन्होंने इस विश्वविद्यालय का नाम रखा है अभी जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय । अब यह मान लीजिए कि बाहर से कोई कहीं पत्र आयेगा, इंडिया लिखा होगा तो वह इंडिया में कहां पर भेजेंगे इसको ?

श्री अध्यक्ष: बात तो सही है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): रविन्द्र विश्व भारती, केवल विश्व में ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा मेरी जानकारी के आधार पर ऐसा कोई विश्व में विश्वविद्यालय नहीं है जहां पर स्थान का नाम नहीं लिखा हुआ हो। तो मेरा बहुत सिम्पल सजेशन है कि आप इसको जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पश्चात् 'जयपुर' शब्द और जोड़ दें, ताकि जयपुर में डाक आ सके । नहीं तो यह पता ही नहीं लगेगा कि यह विश्वविद्यालय हिन्दुस्तान में कहां पर है इसलिए जयपुर का नाम जोड़ना आवश्यक है। जयपुर का नाम यदि आप नहीं जोड़ेंगे तो यह डाक कहां जाएगी, कैसे जाएगी, मैं समझता हूं कि इसका कहीं कोई अता-पता नहीं रहेगा और आपको यदि मेरे पर विश्वास नहीं हो तो मैं खण्डश: विचार करते-करते आपको पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज की सूची यहां पर दे सकता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी ही तरह श्री हरिशंकरजी भाभड़ा, विश्वविद्यालय से संबंधित जब मैंने अमेंडमेंट्स दिये थे तो वे अध्यक्ष की सीट पर विराजमान थे। उन्होंने भी यह कहा था कि इन शहरों के नामों को जोड़ना उपयुक्त रहेगा। उससे पहले तो मुझे कह रहे थे कि लेजिस्लेटिव वर्क में अड़ेंगेबाजी नहीं करें। तो मैंने उनको यह कहा था कि आप ही तो कहते हैं कि विधायी कार्य में विधायकों को सबसे ज्यादा रुचि लेनी चाहिए। और कानून

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

गलत बन जाए तो मैं समझता हूं कि पूरी विधान सभा की बदनामी होगी और लोग एडिटोरियल लिखेंगे कि राजस्थान की सरकार एक नाम परिवर्तन का, एक लाइन का संशोधन लेकर आयी और वह भी इस सरकार को करना नहीं आया और उन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें और जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पश्चात् 'जयपुर' शब्द जोड़कर इस विश्वविद्यालय की सार्थकता को पूरा करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैंने भी सुबह-सुबह जब इनको पढ़ा तो मुझे भी लगा कि यह काम होना चाहिए। लेकिन उसके बाद इन्होंने देखा तो जो विश्वविद्यालय एक स्थान के लिए बनते हैं उनमें उस स्थान का नाम होता है बाकी का एक्ट के अन्तर्गत, उसके किस स्थान पर होगा, उसका नाम है। उदाहरण के लिए यह राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 जो आपके समय में पारित हुआ, इसमें जोधपुर नाम कहीं नहीं लिखा। लेकिन इसमें इसका जो सेक्शन-3 है, उसमें 2 पर लिखा है कि विश्वविद्यालय का मुख्यालय जोधपुर में होगा। यह आपके समय में आपने ही पारित किया है। इसी प्रकार से अभी यह अपने मेडिकल विश्वविद्यालय का जो बिल पास किया था, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान अधिनियम का, उसका भी अपन ने जो अपना सेक्शन है, उसमें विश्वविद्यालय का मुख्यालय जयपुर में होगा जो कुलपति का मुख्यालय भी होगा, उसमें किया है।

श्री अध्यक्ष: यह भी मूल रूप से इन्होंने जो किया था इसमें नाम नहीं है जयपुर? यह भी जो मूल रूप से इन्होंने किया था उसमें नाम नहीं है जयपुर?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, नहीं है। और मूल में भी नहीं था और इस मूल में जो नाम था वह था कि विश्वविद्यालय का मुख्यालय जयपुर में होगा। यह मूल अधिनियम में आपने जो पारित किया था, उसमें भी यही था। इसलिए कारण क्या है इसका माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मेडिकल यूनिवर्सिटी सारे राजस्थान के लिए है, संस्कृत यूनिवर्सिटी सारे राजस्थान के लिए है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी सारे राजस्थान के लिए है इसलिए इनकी जो डेफिनेशंस हैं, जो क्लाजेज हैं उनके अन्तर्गत इसका मुख्यालय कहां होगा उस पर वर्णन है। तो इस विश्वविद्यालय का भी जयपुर में वर्णन है। आयुर्वेद

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विश्वविद्यालय का जोधपुर में वर्णित है और मेडिकल विश्वविद्यालय में जयपुर का वर्णित है। और जो मूल बिल था, मूल विधेयक में भी राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय था, जयपुर नहीं था। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर है। मैं समझता हूं अगर यह रहता भी तो भी कोई दिक्कत नहीं थी और जब डेफिनेशन में दिया हुआ है सैक्शन के अन्तर्गत, इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: क्या दिक्कत है? ..(व्यवधान)..

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। आप पुराने जितने भी विश्वविद्यालय हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के आगे जयपुर लिखा हुआ है। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर लिखा हुआ है। इसी प्रकार मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर लिखा हुआ है। उनके शहरों के नाम आपने हटाये थे और मैंने ही अमेंडमेंट देकर शहरों के नाम जुड़वाये थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह भी महाराज, आपका ही किया हुआ है।..(व्यवधान)..

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट, हमारा किया हुआ है तो..(व्यवधान)..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): राजस्थान विश्वविद्यालय संस्कृत, यह भी आपका किया हुआ है। आयुर्वेद वाला भी आपका ही किया हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप जयपुर का नाम नहीं लगाओगे, आपकी यूनिवर्सिटी की मोहर लगकर जाएगी जगदगुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय इंडिया के नाम से जाएगी।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने कोई गलती की तो ..(व्यवधान).. क्या दिक्कत है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इंडिया भी नहीं लिखा। इसमें जाएगा जयपुर, जो लिखेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यूनिवर्सिटी के नाम में जयपुर नहीं होगा तो कैसे जाएगा? वह क्या एक्ट पढ़कर एड्रेस करेंगे।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इसलिए जाएगा कि मेरा जो मकान है उसका नाम राम पथ है, राम पथ जयपुर लिखूंगा क्या मैं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आलरेडी है इसमें।..(व्यवधान).. मैं एक्ट की बात नहीं कह रहा हूं। सैक्शन 4(6) में है- "The Headquarters of the University shall be at Jaipur."

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं इसमें नहीं पड़ रहा। आप क्या एक्ट भेजोगे क्या कोरसपोंडेंस करोगे तब? आज मान लो यह विश्वविद्यालय कैलीफोर्निया यूनिवर्सिटी, कैलीफोर्निया से यदि कोरसपोंडेंस करते हैं तो वह एक्ट साथ भेजोगे क्या? एक्ट पढ़कर वह एड्रेस करेगा वहां पर? आपके जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रपत्र छपेंगे, स्टेशनरी छपेगी, उसमें जयपुर का नाम नहीं होगा तब निश्चित रूप से वह वहां पर यह होगा कि हम जगदगुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, राजस्थान यह लिखकर भेजेंगे तो राजस्थान में वह कहां भेजेंगे डाक को, इसलिए उस शहर का नाम लिखना जरूरी है। मैंने आपको कहा भले ही आप दस मिनट एडजोर्न कर दें। मैं यूनिवर्सिटी की सारी की सारी हैण्डबुक आपको लाकर रख देता हूं। हर यूनिवर्सिटी के आगे उस शहर का नाम लिखा हुआ होता है। कोई भी विश्वविद्यालय आपका एक्ट पढ़कर आपसे कोरसपोंडेंस नहीं करेगा। इसलिए यह विश्वविद्यालय के हित में है कि आप उसके आगे उसका शहर का नाम जहां पर वह यूनिवर्सिटी है, उसका नाम आप जोड़ें। आज जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के आगे जोधपुर का नाम क्यों है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के आगे उदयपुर का नाम क्यों है? यह सारी चीजें इसलिए रखी गयी हैं कि वहां पर आपके विश्वविद्यालय की मोहर के आधार पर कोरसपोंडेंस होती है और उसी के आधार पर चिट्ठियां आती हैं। यदि आप यह नाम नहीं लगायेंगे तो यह अपने आप में बहुत त्रुटि होगी। उसको फिर हमें आगे जाकर महामहिम राज्यपाल महोदय से संशोधन कराना पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया जो विश्वविद्यालय प्रोपर एक स्थान के लिये हो, उनमें नाम है। एक्ट और डेफिनेशन के अन्तर्गत सैक्शन में जब उसके मुख्यालय का नाम है तो उस मुख्यालय का नाम दिया हुआ है। इस प्रकार आयुर्वेद विश्वविद्यालय का है। इसी प्रकार मेडिकल विश्वविद्यालय का है और विश्वविद्यालय के नाम के आगे जयपुर लिखने के लिये किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत नहीं है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर लिखा हुआ है वहां भी और जो सील बनेगी उस पर भी लिखेंगे और जो लैटर पेड़ छपेगा, उस पर भी लिखेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको निरस्त किया जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बिना अमेंडमेंट किये जयपुर का नाम इसके ऊपर कैसे लिख सकते हो? आप बताइये शिक्षा मंत्रीजी कि बिना अमेंडमेंट किये उस पर जयपुर का नाम कैसे लिख सकते हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मेरे घर के आगे मैं लिखता हूं घनश्याम तिवाड़ी, राम पथ, जयपुर।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): घनश्याम तिवाड़ी के लिये एक्ट लाने की जरूरत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जगदगुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर नहीं लिखेंगे। इसका मुख्यालय जयपुर जब एक्ट में दिया हुआ है तो इसलिए लिखेंगे और किसलिये लिखेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह दुनिया के लोगों को क्या पता है कि आपके एक्ट में लिखा हुआ है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): दुनिया के लोग जयपुर को जानते हैं। पिंकसिटी है जयपुर।

श्री मोहनलाल गुप्ता: माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं भी विश्वविद्यालय के नाम में पता अलग होता है, नाम अलग होता है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय सदस्य, यह जो जोधपुर, उदयपुर का कह रहे हैं, उदयपुर रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी बनी थी। जोधपुर उस समय रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी बनी थी। इसलिए उसके आगे नाम लिखा गया था। पूरे राजस्थान की उस समय नहीं थी।..(व्यवधान)..

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा राज्य मंत्रीजी को बोलें कि शिक्षा राज्य मंत्री होकर आप दूसरी जगह से बोल रहे हैं। आप थोड़ी मर्यादाओं और परम्पराओं का तो ध्यान रखिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पहले एक मिनट मैं कर लूं। आप बिराज जाएं। आप बोल नहीं सकते इसके ऊपर। आपको बोलने का अधिकार नहीं है।..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वह अध्यक्ष महोदय कहेंगी, आप नहीं कहोगे।..(व्यवधान)..

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं कह रहा हूं न आपको।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वह तो अध्यक्ष महोदय कहेंगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं तो अध्यक्ष महोदय को कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले तीन बिलों पर जब मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का नाम हटाया था तो मेरे संशोधन पर उस संशोधन को स्वीकार किया था। इसी प्रकार राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के आगे बीकानेर का नाम हटाया था उसको भी सरकार ने स्वीकृत किया था और उस अमेंडमेंट को स्वीकार करके बीकानेर का नाम जोड़ा था और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के आगे जोधपुर का नाम हटाया था तो हमारे अमेंडमेंट के आधार पर इन्होंने जोधपुर का नाम जोड़ा था। आपको जयपुर के नाम से इतनी क्या नफरत है कि आप इसके आगे जयपुर का नाम नहीं लगाना चाहते और किस आधार पर फिर आप मोहर के ऊपर लिखेंगे। जब अमेंडमेंट ही नहीं किया है तो जयपुर का नाम कैसे जोड़ सकते हैं? इसको आप प्रेस्टिज पाइंट न बनाकर कानून का जो लेकुना है, कानून में जो गलती रह गयी है, इसको ठीक करते हुए आप इसके आगे जयपुर का नाम जोड़ें ताकि कोरसपोंडेंस करने वाले को दिक्कत न हो और न कोई कन्फ्यूजन हो कि यह यूनिवर्सिटी कहां पर बनी हुई है? जगदगुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, राजस्थान करके आप भेज देंगे, मोहर लगाकर भेज देंगे, लोग राजस्थान में भेज देंगे, अब डाकिया ढूंढता रहेगा कि यह कुचामन में है या नावां में है या कहां पर यह यूनिवर्सिटी लोग खोजेंगे। इसलिए आपसे मेरा कहना है कि मोहर पर, स्टेशनरी पर और इनके ऊपर आप एक्ट में तो सभी में प्रावधान है। जब मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर लिखा हुआ है कि इसका हैडक्वार्टर उदयपुर में होगा, लेकिन जब नाम परिवर्तन आप करने जा रहे हैं तो आप जिस स्थान पर यूनिवर्सिटी है, उसका नाम लिखने की परम्परा रही है। इसलिए इसको स्वीकार करते हुए आप इसको निश्चित रूप से इसमें जोड़ें। मैं समझता हूं इसमें सरकार की कोई हेठी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: क्या दिक्कत है इसमें?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हेठी और न हेठी का सवाल नहीं है। मूल जो बिल आया था उसमें था राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम।..(व्यवधान)..

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मूल में तो खामी रख दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): खामी नहीं, बाद में 6 में लिखा विश्वविद्यालय का मुख्यालय जयपुर में होगा। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं इसके अलावा जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय बना था आपके समय में, आज जो कल्ला साहब, जब शिक्षा मंत्री थे उस समय बना। उसमें भी लिखा राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 और उसमें भी सैक्शन 3 में लिखा गया विश्वविद्यालय का मुख्यालय जयपुर में होगा। इसमें न तो यह कानूनी त्रुटि है और जयपुर तो निश्चित रूप से कि मुख्यालय जयपुर में होगा तो डाक का पता भी जयपुर होगा, लिखा भी है, जयपुर जाएगा । इसलिए मैं समझता हूं इस प्रकार के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए इसको निरस्त किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़: निरस्त कराओ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं तो अभी भी कहता हूं कि लॉ डिपार्टमेंट के लोगों से मैंने राय की थी, उन्होंने कहा जयपुर का नाम जोड़ने से ठीक रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा और सरकार को बाद में यह लाना पड़ेगा। हमारे वक्त कोई गलत कानून बन गया तो इसका मतलब आप भी गलत कानून बनाएंगे।..(व्यवधान)..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): विचार कर लेंगे। बाद में कोम्प्रेहेंसिव लाएंगे तब देखेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बाद में क्या विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष: यह तो आपके पद चिन्हों पर चलेंगे, बोलो आपको क्या कहना है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, तो चले। हमारे पद चिन्हों पर अच्छे कामों में भी चले ना।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड–2 में जो संशोधन डॉ0 बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(अस्वीकार)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकार)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकार)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-4, डा. बुलाकीदास कल्ला, आपका संशोधन है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, सरकार जो होती है वह एक तरह से लचीली होती है, जो भी अच्छे संशोधन होते हैं, उन्हें स्वीकार करती है। लेकिन मुझे यह लगता है कि सरकार के साथ विधि विभाग का भी राजस्थान में भट्ठा बैठ गया है। विधि विभाग में लोग सही राय नहीं दे रहे हैं इसके कारण गवर्नमेंट अपनी हठधर्मिता के ऊपर चल रही है। बहुत सीधा सिम्पल मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया था कि आप संसार की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम तो बताएं रविन्द्र विश्व भारती के अलावा, जिसमें शहर का नाम नहीं है। एक भी नाम आप नहीं बता सकते। रविन्द्र विश्व भारती के अलावा, जिसमें उस जगह का नाम नहीं लिखा हुआ हो, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता के आधार पर चूंकि यह संशोधन बीकानेर से आने वाले माननीय विधायक ने दिया है इसलिए सरकार इसके ऊपर गौर नहीं करके जयपुर का नाम इसके आगे नहीं जोड़ना चाह रही है। जयपुर में भी कई यूनिवर्सिटीज हैं, अब आप तकनीकी शिक्षा की यूनिवर्सिटी का सेण्टर संभवतया यहां बनाने जा रहे हैं, यहां राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आलरेडी है तो ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपकी यह राय मान लेंगे, यहां नहीं बनायेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तो आप डाक दें वो अलग-अलग जगह की अलग-अलग चली जायेगी। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में जो डाक आनी चाहिए थी वह चली जायेगी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में

क्योंकि मोहर यदि लगी हुई होगी तो मोहर में आप जयपुर बिना इसमें अमेंडमेंट किये जयपुर नहीं लगा सकते।

इसीलिए जब पूर्व में मैंने यह संशोधन दिये थे तो पहले शुरू-शुरू में स्पीकर साहब उस समय आपके मत के होने के कारण यह कह रहे थे कि, नहीं, सरकार ठीक कर रही है लेकिन उसके बाद जब थर्ड रीडिंग आयी तो उन्होंने स्लिप भेजकर कहा कि यह सेक्शन सही है, इस सेक्शन को मान लीजिए नहीं तो इससे बड़ा भारी कन्फ्यूजन हो जायेगा।

आज राजस्थान का यह विश्वविद्यालय मैं समझता हूं कि कहीं पर भी दुनिया में, शिक्षा मंत्रीजी, आप जब मेरा उत्तर दें तो यह बताएं कि हिन्दुस्तान में कौन-कौनसे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें नाम परिवर्तन जो हुए हैं अभी वर्तमान में नाम चल रहे हैं वहां पर शहर के नाम नहीं हैं? ऐसे दो-चार नाम बता दें मैं कन्विन्स हो जाऊंगा।

(समय 14.34 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस छोटे से अमेंडमेंट के लिए आप जिद मत कीजिए और मैंने आपको जैसा कहा, दस मिनट के लिए विधान सभा को स्थगित कर के जितनी भी हिन्दुस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं उनकी यहां पर लिस्ट मौजूद है और विश्व की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी भी लिस्ट मौजूद है। सभी जगह उस यूनिवर्सिटी के आगे उस शहर का नाम लिखा हुआ है। यदि यह बात सही है तो आप मान लीजिए और यह सही नहीं है तो मेरे अमेंडमेंट को आप रिजक्ट कर दीजिए।

इसलिए मेरा पुन: आपसे आग्रह है कि जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के आगे जयपुर जोड़ कर इस यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तन पूरा कीजिए नहीं तो यह नाम परिवर्तन अधूरा रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है, यह देव भाषा है और इस भाषा को संक्षिप्तीकरण में अंग्रेजी से भी इसमें अच्छे-अच्छे उदाहरण हैं। रामायण को चार पंक्तियों में कहने वाली, हमारे 18 जो पुराण हैं उनको दो लाइनों में कहने वाली यदि कोई भाषा है तो वह संस्कृत भाषा है।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

'अष्टादस पुराणेशु, वासस्य वचनम् द्वयम्,

परोपकार: पुन्याय: पापाय पर-पीड़नम्।'

18 पुराणों का सार यह है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरे को कष्ट और पीड़ा पहुंचाने से बड़ा पाप नहीं। आप बहुत बड़े पाप का काम कर रहे हैं जयपुर का नाम हटा कर के। इसलिए आप अपनी जिद को छोड़ कर विधान सभा की प्रोसिडिंग उठा लीजिए और उसमें तीनों जो मैंने आपको बताया, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर और राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर इनके आगे भी आप नाम परिवर्तन का एक-एक लाइन का अमेंडमेंट लेकर आये थे, वह तीनों अमेंडमेंट आपने स्वीकार कर और इसके आगे उन शहरों का नाम लिखा था नहीं तो जयपुर की जनता भी आपसे नाराज होगी। एक तरफ तो कहते हो कि जयपुर छोटी काशी है और जयपुर के नाम से आपको इतनी नफरत है, इस विश्वविद्यालय के आगे आप जयपुर का नाम नहीं जोड़ना चाहते। पता नहीं आपको सीकर से इतना क्या प्रेम है और जयपुर से इतना क्या आपके एक तरीके से द्रोह है कि आप जयपुर के नाम को इसके साथ जोड़ना नहीं चाहते।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह तो यहां से जीतने के बाद स्थिति है इनकी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसलिए यह आपकी संवैधानिक त्रुटि रही हुई है और इससे न जाने परेशानियां हैं, एक डाक जो एक माह या एक वर्ष लेट जायेगी उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए मेहरबानी कर के इस संशोधन को स्वीकार करें और जयपुर का नाम इसके आगे जोड़ें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन कर दिया था कि मैं केवल नाम परिवर्तन का बिल ला रहा हूं। जो नाम पहले आपने पास किया था राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय उसमें भी आपने जयपुर नहीं लिखा और उसमें आपने सेक्शन में आगे जाकर लिखा कि इसका मुख्यालय जयपुर में होगा।

तो मैं केवल इतनासा अमेंडमेंट लेकर आया हूं कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पीछे रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय नाम हो और इसके जो सेक्शंस हैं उनमें मैंने बताया। यह एक उदाहरण नहीं है, तीन उदाहरण मैंने बताये हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित हुआ, मेडिकल यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थापित हुई और, माननीय कल्ला साहब, यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मुझे जयपुर से प्रेम नहीं होता तो मैं दोनों यूनिवर्सिटी का हैडक्वार्टर जयपुर में नहीं बनाता। मैंने मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी और इस रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का भी जयपुर में बनाया है और मेरे लिए ज्यादा समय मेरा जयपुर में निकला है सीकर से।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): बालिका यूनिवर्सिटी खोलें तो सीकर ही नाम रखना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, वो करा देंगे, महादेवजी, वह मुझे ध्यान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारी बातों का मैं जवाब दे चुका।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की उनकी दुविधा से चिंतित हैं। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): पोस्ट ऑफिस की चिंता नहीं है, आजकल फैक्स आता है, साहब, इन्टरनेट चलता है, बहुत पुराने जमाने के आदमी हैं कल्ला साहब। और उन्होंने कहा संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें दो, मैं कहता हूं सही है- परोपकार: पुन्याय: पापाय पर पीड़नम्', यह ठीक है। लेकिन तुलसीदासजी ने इसका अनुवाद हिन्दी में भी कर दिया 'परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई'। तो उन्होंने भी कर दिया तो संस्कृत से निकली हुई भाषाओं में भी इस प्रकार की ताकत है तो दोनों प्रकार से चलती है।

अब मैं आदरपूर्वक, आपकी भावनाओं का आदर करते हुए कहना चाहता हूं, फिर कभी आवश्यकता होगी तो आपसे विचार-विमर्श कर लिया जायेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कब कर लेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कर लेंगे, जब भी आप कहेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अभी जयपुर जोड़ दो, खतम हो जायेगी बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं नहीं, जयपुर ही रहेगा, जयपुर में ही स्थित है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो दोनों के बीच बाबा रामदेव और नोबल पुरस्कार विजेता के बीच में भी इतना शास्त्रार्थ नहीं हुआ जितना इनके बीच में हो रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट को अस्वीकार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में जो संशोधन डा. बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 स्वीकार किया गया।

खण्ड-5, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 स्वीकार किया गया।

अनुसूची।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड-1, डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड-एक में उप-खण्ड एक में अभिव्यक्ति विश्वविद्यालय के पश्चात् एवं नाम परिवर्तन के पूर्व शब्द 'जयपुर' जोड़ा जाए, यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। इसके पीछे मेरा सिर्फ यह है कि राजस्थान के तमाम विश्वविद्यालय जो बने हुए हैं उनमें, माननीय शिक्षा मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय के आगे जोधपुर का नाम नहीं रहा तो यह त्रुटि रही है, इसको भी आपको ठीक करना चाहिए। और मेडिकल यूनिवर्सिटी के आगे जयपुर का नाम नहीं जोड़ा है तो इसके आगे भी आपको जयपुर का नाम जोड़ कर संशोधन लाना चाहिए। अब एक कोई कानून बन रहा है तो उस कानून में कोई अच्छा सुझाव आता है, आपको यदि यह लगे कि यह सुझाव मैंने दिया है तो मैं इसको विथड्रा कर लेता हूं। आप ले आइये। सरकारी संशोधन ले आइये, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह जो आप गलती कर रहे हैं निश्चित रूप से इसको आपको दुरुस्त

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

करना पड़ेगा और जयपुर का नाम आपको इसके आगे जोड़ना पड़ेगा नहीं तो जो कन्फ्यूजन होगा और जो दिक्कतें होंगी उसको निश्चित रूप से आपको फेस करना पड़ेगा। और यह बात भी निश्चित है कि अख़बार वाले आपके खिलाफ एडीटोरियल लिखेंगे कि कोई भला आदमी आपको सुझाव दे रहा था कि इस यूनिवर्सिटी के आगे जयपुर का नाम जोड़ दीजिए और आप जिद कर के जैसे राजहठ, बालहठ और त्रियाहठ, यह तीन प्रकार के हठ होते हैं, राजहठ है वह बहुत खतरनाक होता है। राजा जो हठ कर लेता है न वह कामयाब नहीं होता है। इसलिए, शिक्षा मंत्रीजी, 'विद्या ददाति विनियम् और विद्या विनयीन शोभत'। इसलिए विद्या विनय को शोभा देती है, आप विनयशील बन कर जो मैंने उपयोगी सुझाव दिया है उस सुझाव को मानते हुए, रामानन्दाचार्यजी का और जयपुर का बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है और जिन लोगों ने पैसे खर्च किये वह भी जयपुर के रहने वाले हैं ...

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): कल्ला साहब, आज एक हठ और जुड़ गया 'कल्ला हठ'।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): यह तो ब्राह्मण हठ है जो हम सभी सुन रहे हैं और क्या है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, मेरा कोई हठ नहीं है, मैंने तो मेरा अमेंडमेंट दिया है उसमें मुझे बोलना है। विधायी कार्य है, कम से कम नये लोग भी सुनेंगे कि खण्डश: विचार कैसे होता है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): आई एग्री।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजहठ को छोड़कर और यह विनयशील बन कर एक शिक्षा मंत्री के रूप में काम करें और संस्कृत शिक्षा के मामले में खास तौर से संक्षिप्तीकरण की जो शैली है उसको नाम में नहीं लगायें, नाम जितना आप संक्षिप्त करेंगे उतना कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आप राजस्थान में पर्टिकूलर जगह किस जगह पर यह विश्वविद्यालय है, उसकी लोकेशन आप नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से महामहिम राष्ट्रपतिजी, महामहिम राज्यपाल महोदय भी इसके ऊपर आब्जैक्शन कर सकते हैं। हम विधिवत रूप से यदि आप नहीं सुनेंगे तो हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको ज्ञापन देंगे । मुझे याद है कि हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

संबंधित एक बिल के बारे में आपको सुझाव दिया था आपने नहीं माना। उसके बाद वह वहां से दुबारा लौटकर आया तब जाकर के आप अमेंडमैंट लेकर आए। इसलिए मैं चाहता हूं इस प्रकार की शिक्षा विभाग की दुर्गति नहीं हो और आप मेरे इस उपयोगी सुझाव को मानकर जो मैंने आपको अमेंडमैंट खण्ड-1 के लिए दिया है उप खण्ड-1 में विश्वविद्यालय के पश्चात एवं नाम परिवर्तन के पूर्व शब्द जयपुर जोड़कर इस विश्वविद्यालय के नाम को पूरा करें और संस्कृत विश्वविद्यालय को एक पूरा विश्वविद्यालय बनाएं । बाकी विचार जब थर्ड रीडिंग होगी तब व्यक्त करूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी कहा गया वही बात है तो मैं राज हठ में नहीं हूं लेकिन ..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ब्राह्मण हठ में तो आप ही आ रहे हो बकौल राजवी साहब के ब्राह्मण हठ में आ रहे हो । राजवी साहब ने कहा यह ब्राह्मण हठ है तो उधर भी यही है ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने कहा कि मैंने तो नये सदस्यों को सिखाने के लिए किया है तो अमेंडमैंट तो आपने पहले पेश कर ही दिया तो आप हठ नहीं करके विथड्रा इसमें नये माननीय सदस्य यह भी सीखेंगे वापस लेने का प्रावधान भी है ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप उसको नहीं रखने का हठ क्यों कर रहे हो, इनसे नहीं कह रहे हो क्यों, आप पक्षपात करते हो ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आवश्यक हो तो इनको करें लेकिन जब इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं तो ट्रेनिंग देने के लिए ही कर रहा हूं तो ट्रेनिंग का एक हिस्सा यह भी है कि इसमें वापस लिया जा सकता है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप ऐसा करो विधि विभाग से राय ले लो यह कर रहे हो यह सही कर रहे हो क्या ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): विधि विभाग ने तो वीडियो कान्फ्रेंसिंग में भी राय दी थी इनको भी विधि विभाग तो वही है कोई दूसरा थोड़े ही है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, दोनों बिल जो पहले आयुर्वेद विश्वविद्यालय वाला बिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी वाला बिल

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राज्यपाल महोदय के पास जाकर आ गये हैं इसलिए आपकी वह संभावना तो खतम हो गई है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वह तो किसी ने आब्जर्व नहीं किया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप राज्यपाल महोदय के पास जाकर इसकी शिकायत करो तो वह एक चांस तो आपका बंद है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा मैं धन्यवाद दूंगा कल्ला जी को उन्होंने अन्त में यह बात कही कि मैं नये सदस्यों को यह लेजिस्लेटिव असेम्बली है इस लेजिस्लेशन के खण्डश: विचार में किस प्रकार से संशोधन किये जाते हैं उस धर्म का आपने पालन किया आपने अध्यापक होने के धर्म का वह उस ट्यूटरशिप के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर भारी बहस हो चुकी है और इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं और जो खण्ड-1 जिसमें प्रस्तावना, सूत्र, नाम आदि हैं उसको स्वीकार किया जाए।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): शिक्षा मंत्री जी, मैंने भी कल्ला साहब से एक प्रेरणा प्राप्त की है इन्होंने नाम शार्ट किया खुद का डा. बी. डी. कल्ला इसलिए मैंने भी कर लिया डा. एन. एस. गुर्जर, यह प्रेरणा इनसे मैंने प्राप्त कर ली है ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-1 में जो संशोधन डा. बुलाकीदास कल्ला सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन बिल 2006 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाए।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं दो मिनट, मैं सुझाव देना चाहता हूं। यह जो माननीय शिक्षा मंत्री जी लेकर आए हैं नाम परिवर्तन यह बहुत अधिक प्रेरणादायी नाम है और जितनी विशेषताएं बताई हैं अभी 700 वर्ष पहले जिस व्यक्ति ने सामाजिक समरसता के लिए काम किया, छुआछूत के विरूद्ध काम किया उनके नाम से लाएं तो यह प्रेरणा प्राप्त होगी। लेकिन मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि हमारे यहां संस्कृत में बहुत बड़े-बड़े ग्रंथ यहां रहे हैं आज वह विलोपित हो गए बहुत सारे तो । हमारे यहां कहा तो यह भी जाता है कि जब रामाकृष्णजी ने विवेकानंद जी को ज्ञान दिया तो केवल अंगूठा टच किया उसके बाद वह बेहोश हो गए। जब वह खड़े हुए तो कई लैंग्वेजेज और वह जितना ज्ञान था उन्होंने कहा मैंने जिन्दगी का जितना ज्ञान अर्जित किया था, वह परिवर्तित कर दिया है विवेकानंद को कहा। तो इस तरह के हमारे यहां बहुत ग्रंथ थे । सिंकदर ने जब यहां अटेक किया हरियाणा के पास बहुत बड़े महर्षि थे, महर्षि का मतलब प्रोफेसर हुआ करता होगा। उनके पास बहुत सारे ग्रंथ थे। तो सिकंदर को जब पूछा कि क्या लेने आए हो, तो उन्होंने एक बात सबसे इम्पोर्टेंट यह बताई हिन्दुस्तान में, क्योंकि यह विश्व गुरु कहलाता था, तो यहां ग्रंथ हैं। शैक्षणिक ग्रंथ हैं संस्कृत के, मैं उनको लेना चाहता हूं। और उन्होंने बताया यह यहां हैं उनको बुलाकर के लाओ । कहा यह जाता है कि रात भर में वह अपने बच्चे को रटा-रटा कर जो रटा सकते थे रटा गये बाकी को उन्होंने जला दिया, बाहर जाने से रोका।

आज जर्मनी में, अमेरिका में हमारे जितने पुराने ग्रंथ हैं उनको ले जाकर के वहां रिसर्च करके विज्ञान के अन्दर नई-नई चीजें वह ला रहे हैं विश्व के सामने। और जितने वेद हैं, मुझे कोई बता रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रोफेसर, कि वेद क्या हैं। उन्होंने बताया कि एक वेद हैं जो केवल एटमिक एनर्जी हैं उसके ऊपर पूरी एटमिट एनर्जी के जितने चल रहे हैं वह वेदों के आधार पर वह ज्ञान पहले के हैं विद्वान हैं । यह हमारा इलैक्ट्रोनिक जो सिस्टम है या जो हमारी ऊर्जा है यह सारी चीजें पहले तीन ही वेद हुआ करते थे चार वेद नहीं होते थे । एक वेद बाद में आया, तो मैं आपसे यह चाहूंगा कि पूरे देश में जहां-जहां हमारे जो ग्रंथ हैं या तो विलोपित हो गए या कहीं उसमें मिल सकते हैं रिवाइव हो सकते हैं उनका सबका ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सुनिए मेरी बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वेद चार ही थे और चार हैं पहले तीन नहीं थे वेद चार ही थे ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): चार होंगे ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इस बात को कि कोई बात आपके रिकार्ड में गलत नहीं आ जाए इसलिए बीच में खड़ा हुआ हूं कि वेदों के बारे में यदि अधिक ज्ञान नहीं हो तो आवश्यक नहीं है बोलें जो चार वेद हैं वह चारों वेद हैं ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): शायद मैं उनको समझा नहीं पाया, मैंने यह नहीं कहा था, मैंने यह नहीं कहा कि वेद चार नहीं हैं मैंने कभी नहीं कहा कि वेद चार नहीं होते हैं ...(व्यवधान) मैंने यह नहीं कहा ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): आपने कहा तीन वेद थे चौथा वेद बाद में आया ऐसा नहीं है चारों वेद ईश्वर प्रदत्त हैं और एक साथ हैं चारों वेद।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई द्विवेदी था, कोई त्रिवेदी था कोई चतुर्वेदी था, आप चतुर्वेदी हो सकते हैं यह त्रिवेदी हैं आप क्यों बीच में बोलने लगे इस प्रश्न पर ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): वेद को लेकर के इतना मखौल नहीं बनाएं वेद बहुत पवित्र ग्रंथ हैं इसमें प्रदत्त ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): वह पूरी बात मेरी सुन लेते तो शायद यह पाइंट रेज नहीं करते । मुझे किसी प्रोफेसर ने बताया कि जो अथर्व वेद है यह अथर्व वेद लास्ट में आया और वह क्यों आया उसका कारण भी है लेकिन मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता । मैं तो चारों मान रहा हूं ना, मैं झंझट कहां कर रहा हूं। मेरा सुझाव केवल इतना सा है और मैंने यह भी कहा कि मुझे एक प्रोफेसर ने बताया मैं कोई मेरे ज्ञान के लिए मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं। इसलिए आप अगर पूरी बात सुन लेते तो, मैं कोई विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता, चार मान रहा हूं मैं भी कह रहा हूं चार हैं वेद फिर क्या है मैंने तो कहा एक अथर्व वेद के बारे में कहा जाता है कि वह बाद में आया लेकिन एक साथ आ गया होगा इसमें क्या फर्क पड़ता है? चार वेद हैं तो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): व्याख्या भी कर दो ना अथर्व वेद की थोड़ी।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मेरा सुझाव यह है आप चाहेंगे तो मैं एक प्रोफेसर ने बुक लिखी है इस पर कि किस-किस वेद में किस किस विज्ञान की कौन-कौनसी विधा का वर्णन है और क्यों आया और अब यह एटम बम बना रहे हैं यह भी वेदों की देन है। मैं बताऊंगा ।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): यह कौनसे वेद में है ?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय सदस्य, क्योंकि यह बहस दूसरी चल रही है आप उस पर बहस करेंगे उस दिन मैं लाऊंगा बुक और आपको कोट करके बताऊंगा कि किसमें हैं । आप खुद शिक्षक रहे हैं आपको समझना चाहिए। मैं जब बोलता हूं ना तो यूं ही नहीं बोलता हूं यह ध्यम्न रखा करो आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह तो ऋगवेद में है मेरे जैसे को ही पता है बता दो ना ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूं मैं कोई वेदों पर यहां बहस कर रहा हूं क्या, मैंने पहले ही कह दिया मैं बहस नहीं करना चाहता इस बात पर वरना आप किसी दिन इस पर बहस रख लेना उस दिन पता लग जाएगा कि गाय है या भैंस है । आप तो गुरु रहे हैं, शिक्षक रहे हैं उसके बाद भी ...

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मैं तो यह पूछ रहा हूं कि कौनसे ऋगवेद में है पर यह आपको ध्यान नहीं रहा ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मुझे सब ध्यान है आप चाहेंगे तो सारी बता दूंगा किस वेद में क्या है लेकिन मैं वेदों पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं तो हट रहा हूं वह भी उलझ रहे हैं उनसे भी बच रहा हूं ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ब्राह्मणों का विषय है गुर्जर साहब ...(व्यवधान) कर रहे हैं खुशी की बात है यह अच्छी बात है ब्राह्मणों के विषय को गुर्जर साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैंने वेदों की व्याख्या भी पढ़ी है और जो साइंटिफिक रिसर्च वेदों पर हुई है वह भी पढ़ी है और वह बुक तो मेरे पास है भी। हिन्दी में भी है, इंगलिश में भी है और आपको भी भेंट कर दूंगा चाहेंगे तो।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): फेल हो जाओगे आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस पर बहस में नहीं जाना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे ग्रंथ पुराने, आज जर्मन के अन्दर जो वेदों के अन्दर जो संस्कृत में हमारे अलग-अलग ग्रंथ हैं अलग-अलग जगह, कहीं भी मिलें, अलग-अलग चीजों पर उन सबको आप कलेक्ट करवा कर किसी तरह से रिवाइव करके अगर नष्ट हो गये हो तो ला सकें और उनका शोध करवा सकें तो यह बहुत अच्छा होगा। इसके लिये आप कोई इसमें व्यवस्था कर दें। मैं तो मेरे सुझाव देना चाहता हूं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे संस्कृत्त में फिल्म बनायी है हमने। मुझे उसमें काम करने का मौका मिला। जर्मन गवर्नमेंट से, जर्मनी से उसके ऊपर हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके पास डिमांड आयी कि आपकी यह फिल्म हमको भेजिये। तो जब जर्मन गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। जब अमेरिका में कई यूनिवर्सिटीज हैं। उन्होंने साउथ एशिया स्टेडी सेंटर बना रखा है। वहां वह ऐसा कर सकते हैं तो हमारे यहां जो ग्रंथ विलोपित हो गये और जिनमें हमारा अथाह भंडार ज्ञान का भरा हुआ है, उनको रिकलेक्ट करके, रिवाइव करवा कर अगर उन पर शोध कार्य करवा कर आगे बढ़ायेंगे तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कल्ला साहब, डिमांड पर बहस होगी। डिमांड भी है। डिमांड बहुत बड़ी है आज।

श्री उपाध्यक्ष: काफी कह लिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): थर्ड रीडिंग पर तो कोई भी माननीय सदस्य भाग ले सकता है। थर्ड रीडिंग पर इस सदन का कोई भी सदस्य जिसने अमेंडमेंट नहीं दिया हो, बोल सकता है ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बोल सकता है लेकिन आप न बोलो यह कह रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तो आप बोलने के अधिकार पर ताला क्यों लगाना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं लगा रहे हैं।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव मेरा है। एक सुझाव मैं देना चाहूंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप मेरे बाद में बोलें। बिराजे आप।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): मान्यवर, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव है, मैं इतनी जिद नहीं करता। हमारे सम्पूर्ण ज्ञान की कुंजी संस्कृत है और जब हम इंगलिश को पहली क्लास से कम्पलसरी बना रहे हैं। आज विश्वविद्यालय का नाम कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं तो क्यों नहीं संस्कृत को पहली क्लास से हमारे यहां कम्पलसरी बना दिया जाए ? मान्यवर, यह बहुत इम्पोर्टेंट मसला है कि हम जब विश्वविद्यालय की बात तो कर रहे हैं और पहली क्लास से संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं। मुझे 45 साल की अवस्था में, क्योंकि मैं शुरू में तो इंगलिश पढ़ा था इसलिये जब मैं गीता पढ़ने लगा तो मुझे गीता समझ में नहीं आयी इसलिये मुझे अब संस्कृत पढ़नी पड़ रही है। जब हमारा सारा वेद संस्कृत में है, हमारा ज्ञान, भगवान कृष्ण की वाणी संस्कृत में है तो हमें पहली क्लास से ही संस्कृत को कम्पलसरी बनाना पड़ेगा यदि हमको भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है तो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड रीडिंग में बहुत संक्षिप्त में आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यहां वेदों की, ऋचाओं की और इनकी बात कर रहे हैं लेकिन किसी ने वेद की ऋचा, माननीय मंत्रीजी ने अभी तक कोई बतायी नहीं, मैं आपको वेद की एक ऋचा सुनाना चाहता हूं। 'अयम् निज परोवेत्ति गणनाम् लघुचेतसाम्, उदारचरितानाम् वसुधैव कुटुम्बकम्' तेरा और मेरा, यह भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति उदार चरित्र वाली है जिसमें पूरा संसार एक कुनबे की तरह है लेकिन आप इस संस्कृत यूनिवर्सिटी को एक कुनबा क्यों बना रहे हो ? पूरे राजस्थान का सेंटर। जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, राजस्थान, यह बनाकर आप कह रहे हो कि एक्ट में यह प्रावधान कर दिया कि यह यूनिवर्सिटी का हैड क्वार्टर जयपुर रहेगा। आपका जो लैटर पैड जायेगा उस लैटर पैड के ऊपर जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, राजस्थान लिखा हुआ होगा। इसमें यदि आपने जयपुर शब्द प्रयोग कर लिया तो यह एक्ट के अनुसार गलत होगा। आप उसकी मोहर में जयपुर जब तक नहीं लिख सकते जब तक आप इसके नाम परिवर्तन के साथ जयपुर का नाम नहीं जोड़ोगे। आपके लैटर पैड पर केवल जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, राजस्थान होगा, तो क्या कोई एक्ट पढ़कर आपसे पत्राचार करेगा ?

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसलिये मैं आपसे पुन: इस थर्ड रीडिंग के ऊपर आग्रह करता हूं कि आप विश्वविद्यालय के आगे जयपुर का नाम जोड़ दीजिये ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो और केवल मात्र एक्ट में परिवर्तन के बाद आप सील और मोहर में कभी भी उसके आगे जयपुर नहीं लिख सकेंगे। सील और मोहर आप देखते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की मोहर है तो उसमें आगे जयपुर लिखा हुआ है तब ही आप जयपुर का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि नाम परिवर्तन में जयपुर शब्द नहीं जोड़ा तो आप केवल मात्र राजस्थान लिखेंगे और राजस्थान लिखेंगे तो यह कंफ्यूजन का एक तरीके से आधार होगा। इसलिये मेरा आपसे पुन: पुरजोर आग्रह है कि इसके आगे जयपुर शब्द जोड़कर इसकी सार्थकता को मजबूती दें और इस पूरे नाम का परिवर्तन सही रूप में करें। नहीं तो आप केवल कंफ्यूजन को जन्म देंगे और यह डाक आपकी रूलती रहेगी, इधर उधर चलती रहेगी और किसी को पता नहीं लगेगा कि यह राजस्थान में कहां इस डाक को भेजना है।

मेरा आपसे पुन: आग्रह है जैसे मेरे माननीय साथियों ने आपको सुझाव दिया था जब आप बिल लाएं तो आप आर्डिनेंस के माध्यम से बिल नहीं लाएं। नाम परिवर्तन का बिल यदि आर्डिनेंस से आयेगा तो मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र में इसका दुरुपयोग होगा। और इसके साथ-साथ आप काम्प्रीहेंसिव बिल ले आइये ताकि संस्कृत में शोध, संस्कृत में अलग-अलग वेदों की ऋचाओं का संरक्षण और संस्कृत में हमारी जो मेनस्क्रिप्ट है, हमारे बीकानेर में दस हजार हस्त लिखित ग्रंथ हैं उनके लिये सरकार क्या कर रही है ? उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए जहां-जहां हस्त लिखित ग्रंथ हैं उनको संरक्षण, देने के लिये आप उपाय कीजिये और इस विश्वविद्यालय को दुनिया में ऐसा विश्वविद्यालय बनाइये ताकि वह सारी दुनिया को शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा दे सके।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बाहेती जी, बहुत हो गया, अब बस। डिमांड पर बहस कब करेंगे ? डिमांड अब बहुत बड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बाहेती जी, आपका नाम आये तो ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): एक मिनट ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): थर्ड रीडिंग पर तो कोई भी सुझाव दे सकता है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत खुशी की बात है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी पर चर्चा हो रही है..

श्री उपाध्यक्ष: नाम परिवर्तन पर ज्यादा है बात अभी इसलिये ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): कि यह संस्कृत विश्वविद्यालय इस काम का सिद्ध हो कि जिस प्रकार अभी माननीय विद्वान सदस्य कह रहे थे के वेद के अन्दर वह सब ज्ञान है, वह सब व्यवस्था है, वह सब ट्रीटमेंट है जिसकी कि हमें आवश्यकता है। आज जब हम बात कर रहे हैं संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन की और यदि हम नाम परिवर्तन को लेकर इतना रिजीड हैं, संस्कृत का पहला गुण है सरलता, विनम्रता और एडजस्टमेंट 'सुसंस्कृता परिमार्जिता दोष रहिता भाषाएन संस्कृत:' संस्कृत सामान्य बात नहीं है। संस्कृत के लिये हमारे ऋषि मुनियों ने कई जन्म लिये हैं और संस्कृत ने प्राणी मात्र के कल्याण का काम किया है। तो यदि किसी नाम के परिवर्तन में ईगो हर्ट नहीं होता है। जब हम आ जाते हैं फ्लोर पर तो ईगो नहीं होता है। यह होता है कि किस बात में क्या दम है और क्या तथ्य है। उसके आधार पर बात माननी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी जो कि विद्वान हैं संस्कृत विश्वविद्यालय में ब्राह्मण ग्रंथों को कोर्स में लिया जाए। वेद भाष्य जहां दूसरे पढ़ाते हैं, वहां स्वामी दयानन्द और वेद भाष्य भी आप इसमें पढ़ाएं ताकि लोगों को पता पड़ सके कि वेद जन सामान्य के लिये हैं। आप जिस मनु की बात करते हैं उस मनु ने साफ कहा है कि –

'जन्मना जायते वै शूद्र:,संस्कारा द्विज उच्यते,

वेदपाठी भवेत् विप्र: ब्रह्म जानाति ब्राह्मण:'

ब्राह्मण कोई ब्राह्मण के घर में पैदा होने से आदमी नहीं होता है। अपने कर्म, संस्कार, अपनी विद्या से होता है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि संस्कृत विश्वविद्यालय को जिस गंभीरता से हम बना रहे हैं उसी गंभीरता से इसको हमें लेना चाहिये और जो इसके कोर्स, जैसा अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे आपको कि संस्कृत विश्वविद्यालय के कोर्स को आप सामान्य यूनिवर्सिटी से नहीं जोड़ सकते। सामान्य यूनिवर्सिटी और संस्कृत विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा अंतर है। यहां का विद्वान आपको 80 साल

का व्यक्ति मिलेगा, कोई ऐसा नहीं कि आप 32 के ऊपर हो गये, आपकी नौकरी नहीं हो सकती है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): इंटरफियर नहीं कर रहा हूं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): नाम परिवर्तन के साथ कोर्सेज को आप एक बार फिर रिव्यू करें। और इस कोर्सेज के अन्दर आप पूरे देश के संस्कृत विद्वानों को बुलाकर उनसे राय लेकर जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है, प्राण हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद्, वेद, पुराण, यह सब आपके कोर्स में होने चाहिये। इसमें कोई साम्प्रदायिकता नहीं होती है क्योंकि न रामायण में साम्प्रदायिकता है, न वेद में साम्प्रदायिकता है, न ब्राह्मण ग्रंथों में साम्प्रदायिकता है, जब हमने कह दिया कि 'जन्मना जायते वै शूद्र' हाँ व्यक्ति जन्म से शुद्ध होता है, कोई जाति से शुद्ध नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मो और अपने संस्कार से होता है। यह हमने बाद में कर दिया। तो मेरा आपसे निवेदन है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें। प्रश्न यह है ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। क्योंकि कल्ला साहब ने उठाया, आप खाली चैक कर लें। शायद हो भी सकता है क्योंकि दोनों ही एक्ट में नीचे हैड क्वार्टर का प्रोविजन लिख रखा है। चैक कर लें कि जब कल्ला साहब ने पाइंट आफ आर्डर उठाया तो कहीं उस समय क्लाज में प्रोविजन था या नहीं ? मेन जो मुझे समझ में आया वह यह है कि तकनीकी शिक्षा में भी, आयुर्वेद में भी, ला में भी नीचे सैक्शन में हैड क्वार्टर का प्रोविजन लिख रखा है..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 1982 में, जब कल्ला साहब ने प्रश्न उठाया क्या उस समय क्लाज था या नहीं ? चैक कर लें आप खाली जिससे उनकी जो भावना है, यदि मान लो उस समय क्लाज नहीं था तो नाम एड करने का समझ में आता है लेकिन नीचे यदि क्लाज में आपने इन्सर्ट कर दिया है तो मैं समझता हूं कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसको चैक कर लें अन्यथा आपने जो बात की उसको ही देख लें आप।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): एक मिनट रुकिये उपाध्यक्ष महोदय। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य, टोड़ारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, कल्ला साहब और जोशी साहब ने जो बात कही है मैं इसको चैक कर लूंगा।

(समय 15.00 बजे)

अभी हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं,जो सारे राजस्थान को कवर कर रहे हैं, उनके खंड में उनके मुख्यालय का नाम दिया हुआ है और 1998 में इन्होंने जब उठाया था उस समय था तो मैं उसको चैक कर लूंगा । मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं । कोई हठ के कारण से मैं नहीं कर रहा हूं । मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा है कि आपका इसका आदेश किस प्रकार का होगा तो हमने इसमें जो संकाय कायम किये हैं उसमें ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, माध्यनंदिनी शाखा, शुक्ल यजुर्वेद कार्णवसाखिय, कृष्ण यजुर्वेद तैतिरीय शाखीय, सामवेद कौथून शाखीय, सामवेद जैमिनी शाखीय, अथर्ववेद पुरोहितय:, वेद निरूक्त प्रक्रिया, वेद विज्ञान, गणित ज्योतिष, सिद्वांत ज्योतिष, फलित ज्योतिष, सामुद्रिक ज्योतिष, वास्तु विज्ञान, धर्म शास्त्र, नव्य व्याकरण, प्राच्य व्याकरण साहित्य, प्राचीन राजनीतिक शास्त्र, सामान्य दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, निम्बार्क दर्शन, वल्लभ दर्शन, योग दर्शन, रामानंद दर्शन, रामानुज दर्शन, जैन दर्शन, बौद्व दर्शन, प्राकृत जैन आगम एवं अपभ्रंश इनके साथ अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, राजनीति विज्ञान ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इतने सारे दर्शन ले लिये तो आर्य समाज से क्या परहेज है आपको । स्वामी दयानंद जी को जरूर लीजिये इसमें। स्वामी दयानंद जी के गौकरणा निधि, उनका सत्यार्थ प्रकाश भी लीजिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बोल तो रहा हूं, बोलने तो दीजिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उनकी संसार विधि भी लीजिये आप ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप अजमेर से आते हैं । महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्मस्थली से, मैं देख लूंगा उसको, अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा, कल्ला साहब । जैन दर्शन का भी और महर्षि दयानंद सरस्वती तक हमारा...(व्यवधान) इसमें अगर महर्षि दयानंद सरस्वती का भी हो, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में भी हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यद्यपि मैं सनातनी हूं लेकिन मैं संकीर्ण विचारों का आदमी नहीं हूं इसलिए सत्यार्थ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रकाश पर भी चर्चा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और अन्य शास्त्रों पर भी चर्चा हो तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाथूसिंह जी को कहना चाहूंगा कि हम इस प्रकार का पूरा प्रयत्न करेंगे कि जो हमारे वेदों में, हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, जगपथ ग्रंथों में जितने भी ग्रंथ हैं, अभी अभी कल्ला साहब ने मुझे याद दिला दिया कि दस हजार हस्त लिखित ग्रंथ बीकानेर में हैं । यह मैं कल्ला साहब को धन्यवाद दूंगा कि दस हजार अभी बीकानेर में सुरक्षित हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे। संस्कृत अकादमी के माध्यम से भी, संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से भी। जयपुर भी एक ऐसी जगह है जहां पोथी शाला बनी थी और उस समय जयपुर में एक बहुत बड़ा काम किया है, जयपुर में काम यह किया था कि जिस समय इन ग्रंथों को जलाया जा रहा था उस समय जयपुर में इन ग्रंथों को लाकर के संरक्षित किया गया। मध्यकाल के सारे ग्रंथ जयपुर की पोथी शाला में संरक्षित है । जयपुर का ग्रंथों को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय को बनाने में, माननीय सदस्यों ने जितने भी सुझाव दिये हैं उन सुझावों को ध्यान रखूंगा और रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर जिसका मुख्यालय है । जयुपर जो छोटी काशी है। उस जयपुर में इनको इस प्रकार का बनाने का प्रयत्न किया जायेगा उसके लिए एक स्कीम हमने सोची है। हमने कहा है कि हम विज्ञापन करेंगे। तीन सौ विद्यार्थियों को भर्ती करेंगे। उनका सारा खर्च विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से व्यय करेंगे और पाँच साल तक वह लड़के इंटरव्यू के आधार पर इस विश्वविद्यालय में रहेंगे। उनके खाने-पीने की व्यवस्था करेंगे। उनको पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। इसके आधार पर पाँच साल बाद में वह जब विद्वान बनेंगे तब हमको पता लगेगा कि हमने इनका संरक्षण किया है। इसी प्रकार से हम यह जो आठों खंड हैं इसमें हम सभी बुजुर्ग आदमियों को बुलाकर उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे । उनके माध्यम से टीचर्स को पढ़ाने का काम करेंगे और आडियो-विडियो रिकार्डिंग भी हम करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि यह विश्वविद्यालय अपने वास्तविक स्वरूप में आये और कंप्रेहेंसिव बिल के बारे में और आर्डिनेंस के बारे में मेरी यह गलती रही है कि मैं पूरा पढ़कर इसको नहीं आ सका वरना कांप्रेहेंसिव बिल भी ले आता। फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो इस प्रकार का काम किया जायेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक, 2006 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक, 2006 पारित किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी, शिक्षा मंत्री अनुदान की मांग संख्या 24 विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47 अरब, 77 करोड़, 81 लाख, 84 हजार तक की राशि प्रदान की जाये।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

मांग संख्या—24 पर विचार

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज शिक्षा विभाग की मांग संख्या 24 पर अपने कुछ सुझाव और माननीय यशस्वी शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किये गये प्रयासों की भूरी-भूरी प्रशंसा करना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मानव इतिहास में आदिकाल से शिक्षा अपनी तरह से विकसित होती रही है और मानव समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप, अपनी सामाजिक परंपरा के अनुरूप, अपनी सामाजिक संस्कृतियों के अनुरूप शिक्षा को विकसित करता रहा है। साथ ही साथ समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रत्येक प्रांत अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली को विकसित करता है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास में बुनियादी आवश्यकता रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियां, दूर-दूर बिखरी हुई आबादी, संसाधनों में कमी, जनसंख्या की सामान्य से अधिक वृद्वि,

(श्रीमती अनिता भदेल)

वंचित वर्ग और महिला वर्ग के शैक्षणिक वातावरण के अभाव, निरंतर पड़ने वाले अकाल आदि के कारण से शिक्षा के प्रयास और शिक्षा पर होने वाले विकास के खर्च में कई बार कटौती करनी पड़ती है । मैं यशस्वी शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देती हूं कि इन सवा दो साल के कार्यकाल में अभी आपने जो 31 मार्च, 2007 को खत्म होने वाले वर्ष में जितने आंकड़े आपने अभी पढ़कर सुनाये हैं शिक्षा पर खर्च के लिए वह वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम है ।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1951 में यदि हम शैक्षणिक परिदृश्य देखें तो यह 8.5 से बढ़कर के वर्तमान में 61.03 तक पहुंच गया है और वह राजस्थान के शैक्षणिक प्रगति का द्योतक बना है। हमारे देश की पुरातन शिक्षा जिसको हम कहते हैं, लगभग एक अरब की जनसंख्या वाला यह राष्ट्र जिसमें राजस्थान की जनसंख्या लगभग आठ करोड़ के बराबर है और यदि यह मानव संसाधन शिक्षित नहीं हो, कुशल नहीं हो, यदि उसका व्यक्तित्व उस विकास के अवसर उपलब्ध नहीं हो तो यह नव शिक्षित राष्ट्र के उपयोग के लिए नहीं हो सकता है। यदि हमें इस मानव संसाधन को राष्ट्र के लिए उपयोग बनाना है, समाज के लिए कल्याणकारी बनाना है तो हमें आवश्यकता है शिक्षा पर अपने बजट का अधिक से अधिक प्रतिशत खर्च करने की और ऐसी योजनाओं को विकसित करने की जिनके प्रभाव में शिक्षा का विकास हम कर सकें और जो हम सार्वजनिक शिक्षा की बात करते हैं जिनको हम वास्तव में कार्यशील करें। उसका हम वास्तव में विस्तार करें। मैं आज शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री ने जो प्रयास किये हैं प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनकी कुछ बानगी प्रस्तुत करना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा महासंबल अभियान के आधार पर शिक्षा की योजनाओं को ठीक समय पर क्रियान्वित करना, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विद्यालयों को क्रमोन्नत करना, हर गांव और ढाणी में स्थित विद्यालयों को क्रमोन्नत कर वहां के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना और शिक्षा में बालकों का नामांकरण निश्चित करने के लिए प्रवेशोत्सव के माध्यम से कार्यक्रम संचालित करना, बालक विद्यालय में आयें, रूचि से आयें, वहां रूकें, पढ़ने के लिए प्रेरित हो, इसलिए मिड डे मील की योजना को लागू करें और उस योजना के माध्यम से बालकों के ठहराव को सुनिश्चित करें। यह कुछ ऐसी क्रियाएं हैं यह कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हमने

(श्रीमती अनिता भदेल)

बालकों के नामांकरण में वृद्धि की है। बालकों के ठहराव को सुनिश्चित किया है। ये तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हम बालकों को आकर्षित करके विद्यालय में लाना चाहते हैं। लेकिन विद्यालय का वातावरण कैसे बने, विद्यालय में मौजूद शिक्षक का शैक्षिक स्तर किस प्रकार का है, क्या वह बालक के अधिगम स्तर तक जाकर बालक को शिक्षा देने का प्रयास करता है, क्या वह बालक के अधिगम स्तर को पहचानता है, क्या वह बालक के आईक्यू की जानकारी रखता है, बालक के सामाजिक वातावरण की जानकारी रखता है, बालक के परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखता है, ऐसे शिक्षकों को तैयार करना ताकि वह बालक के स्तर पर जाकर के नहीं बालक सामाजिक वातावरण में जाकर बालक को शिक्षित कर सके। कई बार शिक्षा में बहुत-बहुत, नए-नए नवाचार हुए हैं और उन नवाचारों को हम हमारे शिक्षकों तक पहुंचाए उन शिक्षकों तक पहुंचाए जो ऐसे बालकों को शिक्षा देते हैं या वह बालकों के साथ काम करके बालकों को शिक्षा के योग्य बनाते हैं। इस क्षेत्र में सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं, मैंने कुछ प्रयास बताएं हैं और बहुत सारी ऐसी सूची है, यदि मैं उनको पढ़ने लगूं तो एक घण्टे का समय इस सदन का लगेगा, इतनी बड़ी सूची इस सरकार के कार्यकाल में किए गए कामों की है जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के यशस्वी, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने बहुत अच्छे-अच्छे प्रयास किए हैं और न केवल प्रयास किए हैं वरन उन योजनाओं को सुनिश्चित कर समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का लक्ष्य भी प्राप्त किया है।

बालिकाओं की शिक्षा की यदि हम बात करें तो कक्षा प्राथमिक से लेकर कक्षा बारहवीं तक बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, उनको स्कूल तक नि:शुल्क आए जाएं ऐसी यातायात व्यवस्था करना, बालिका यदि अच्छे अंकों से पास हो तो गार्गी पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत करना और यदि बालिका गरीब परिवार से है और उसको शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो आपकी बेटी योजना के माध्यम से उसको शिक्षा के लिए प्रेरित करना, यह कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके आधार पर मैं यह कह सकती हूं कि यह सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली है, जिसका प्रमाण आने वाले समय में देखने को मिलेगा।

मैं यह कहना चाहती हूं कि माध्यमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर, किसी भी स्तर पर यदि हम शिक्षा का वातावरण तैयार कर सकते हैं,

(श्रीमती अनिता भदेल)

बालक को शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारा नामांकन भी बढ़ता है, हमारा ठहराव भी बढ़ता है और हम ऐसा वातावरण विकसित कर सकते हैं जो शैक्षणिक वातावरण कहलाता हो। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिए, विद्यालय कक्षा कक्ष की मरम्मत के लिए प्राथमिक विद्यालयों में भवन उपलब्ध हो, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवन उपलब्ध हो, ऐसा वातावरण बनाया है और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से उन विद्यालयों को बजट आवंटित कर बालकों को शैक्षिक वातावरण उपलब्ध करवाने के अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पिछली बार के बजट में घोषणा हुई कि तकनीकी शिक्षा के 5 पॉलोटेक्निक कॉलेज और 59 आईटीआई राजस्थान के विभिन्न जिलों में जहां इस प्रकार की शिक्षा सरकारी स्तर पर उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देती हूं कि दक्षता के स्तर पर आईटीआई प्रथम स्तर है, जहां पर गरीब बालक अपने आर्थिक संचालन के लिए, आर्थिक स्थितियों पर पार पाने के लिए, आर्थिक सुदृढ़ता के लिए हम उन बालकों को दक्ष करें और उन बालकों के माध्यम से तकनीकी कौशल युवा पीढ़ी में विकसित करें। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने इन्जीनियरिंग कॉलेज, अजमेर के भवन निर्माण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, भवन का निर्माण प्रारम्भ हुआ है। मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित कर मेडिकल के क्षेत्र में भी विशिष्टता प्रदान करने के लिए आपने प्रयास किए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विभिन्न जिलों में जो यूनिवर्सिटीज संचालित हैं, उनमें कई स्वायत्त शासी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें सरकारी स्तर पर कोई दखलंदाजी नहीं होती। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, आने वाले समय में यहां से निकलने वाले बालक उच्च शिक्षा की ओर जाएंगे। यदि हम आज ही उच्च शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देंगे तो उन बालकों के लिए जो आने वाले अवसर हैं वह या तो बहुत कम हो जाएंगे या प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ जाएगी कि हम उन बालकों को उन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से या महाविद्यालयों में प्रवेश के अवसर नहीं दिला पाएंगे। इसलिए आज ही इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में जो पद रिक्त हैं, यदि उन पदों की संख्या को देखें तो कुल रिक्त पदों की संख्या 1484 है। और इनके अगेंस्ट में आपने तदर्थ नियुक्तियां या अस्थायी नियुक्तियां कर शिक्षा की व्यवस्था की है। परन्तु फिर भी कई बार यह आग्रह रहता है कि यदि स्थायी शिक्षक रहता है तो वह मन लगाकर पढ़ाता है और अपने अनुसंधान कार्यों को पूर्ण करता है। जब तक उच्च शिक्षा में अनुसंधान कार्यों को प्रगति नहीं देंगे, अनुसंधान कार्यों को एप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हम उच्च शिक्षा में जो आवश्यकताएं हैं, हम चाहते हैं कि हमारे समाज के अनुरूप कुछ ऐसे अनुसंधान सामने आए जो हमारे समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो। तो ऐसे अनुसंधान कार्यों के लिए यूनिवर्सिटीज में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, स्थायी व्याख्याताओं की नियुक्ति आवश्यक है।

आज सुबह प्रश्नकाल के दौरान काफी वाद विवाद हुआ कि शिक्षकों के बैकलॉग के विषय को लेकर, तदर्थ नियुक्तियां जो हुई हैं और उन तदर्थ नियुक्तियों में जितने पद एससी और एसटी के थे, उन एससी और एसटी के पदों के विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियों में अन्य स्वर्ण कास्ट या दूसरे समाज के लोगों को उसमें समायोजित किया गया और उनको नियमित करने के लिए कुछ समय पूर्व कार्यवाही भी प्रारम्भ हुई। उस कार्यवाही को उच्च न्यायालय की रोक के कारण रोक दिया गया इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि आप बहुत सक्षम हैं और आप सहानुभूति रखते हैं सभी वर्गों के प्रति तो आप इन वर्गों के प्रति भी सहानुभूति रखते हुए एससी और एसटी का जो बैकलॉग यूनिवर्सिटीज में है उसको पूरा करेंगे और जो तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं, उनको भी आप कैसे समायोजित करें, यह आपके सोचने का विषय है कि आप इनको कैसे समायोजित करके एससी और एसटी के हितों की रक्षा करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम पिछले एक सप्ताह से राजस्थान दिवस समारोह मना रहे हैं। जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, यहां जयपुर में राज्य स्तर पर भी बहुत बड़े-बड़े कलाकारों को बुलाकर बहुत अच्छे-अच्छे कार्यक्रम कराए हैं। राजस्थान के लोक नृत्य, लोक संस्कृति, लोक वाद्य और बहुत सारे ऐसे लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां इस कार्यक्रम के माध्यम से मिली हैं। मैं इस विषय में एक जानकारी देना चाहूंगी कि राजस्थानी भाषा जो

(श्रीमती अनिता भदेल)

राजस्थान प्रान्त के निर्माण की जननी है जिसको कह सकते हैं कि राजस्थानी भाषा के कारण ही इस प्रान्त का नाम राजस्थान पड़ा और हम राजस्थान दिवस मना रहे हैं। यदि हम राजस्थानी भाषा और संस्कृति अकादमी के बजट का अवलोकन करने लगें, मैं पिछले तीन बजटों का यहां उल्लेख करूंगी। वर्ष 2001-2002 में 18.75 लाख रुपए आयोजना मद में और 5.75 लाख रुपए आयोजना भिन्न मद में, वर्ष 2002-2003 में 4.99 लाख रुपए आयोजना मद में और 7.10 लाख रुपए आयोजना भिन्न मद में, वर्ष 2003-2004 में 15 लाख रुपए आयोजना मद में और 7.85 लाख रुपए आयोजना भिन्न मद में रखा गया। सबसे मजेदार बात यह है कि यह जो बजट है, इस बजट का 70 प्रतिशत भाग अकादमी के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर खर्च होता है, और शेष बजट भवन की मरम्मत, स्टेशनरी की खरीद और जो हमारा आवश्यक कार्य है उसमें पूरा हो जाता है और हमारा यह बजट खत्म हुआ। कितनी मजेदार बात है कि राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति के संवर्द्धन के लिए जिस अकादमी की स्थापना की गई वह अकादमी हमारे लिए बोझ बन गई और आज हम सिर्फ इस अकादमी को ढोने का काम कर रहे हैं।

कोई भी भाषा किसी व्यक्ति के विचारों की वाहक होती है, उसकी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बनती है। इसके अतिरिक्त हम भाषा के माध्यम से उस व्यक्ति की संस्कृतियों की पहचान भी करते हैं। संस्कृति शब्द एक बहुत व्यापक अर्थ में लिया जाता है। इसके अंतर्गत पूरा उस व्यक्ति का खान-पान, रहन-सहन, वेशभूषा, उसके आचार-व्यवहार, उसके दैनिक क्रियाकलाप, उसके लोक नृत्य, उसकी लोक संस्कृति के बारे में जान पाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यह कहूं कि राजस्थानी व्यक्ति, तो राजस्थानी व्यक्ति के नाम से एक ऐसा व्यक्ति चित्रित होता है जिसने धोती-कुर्ता पहन रखा है और उसके ऊपर साफा पहना हुआ है। तो इसके मायने यह हुआ कि राजस्थान का मतलब है कि राजस्थानी संस्कृति। राजस्थानी भाषा का मतलब है राजस्थान से जुड़े हुए लोग। तो इस तरह हम कह सकते हैं भाषा संस्कृति की संवाहक होती है और भाषा नहीं तो आपकी संस्कृति नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि राजस्थानी भाषा नहीं रही तो राजस्थानी संस्कृति भी समाप्त हो जाएगी और हम ढूंढते रह जाएंगे कि राजस्थानी व्यक्ति की पोशाक क्या थी, राजस्थानी लोगों का खान-पान क्या था और राजस्थान के लोक-नृत्य क्या थे।

(श्रीमती अनिता भदेल)

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। राजस्थान में गुलाबो कालबेलिया नृत्य के कारण से अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस हुई। वह एक अनपढ़ महिला है, अजमेर के कोटड़ा क्षेत्र की रहने वाली महिला है। और चूंकि उसको इस कला में महारत थी, राजस्थान की इस कला के आधार पर हम कह सकते हैं राजस्थान की कलाओं में बहुत भव्यता है, वे व्यक्ति को आकर्षित कर सकती हैं। और यदि किसी अनपढ़ महिला को वो अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक ख्याति दिला सकती है तो निश्चित रूप से राजस्थान में बहुत सारी कलाएं मौजूद हैं जिनके विकास की आवश्यकता है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं किसी साधारण भाषा की बात नहीं कर रही हूं, मैं उस भाषा की बात कर रही हूं जो आठवीं शताब्दी से प्रारंभ हुई और बारहवीं शताब्दी से जिस भाषा के ग्रन्थ लिखित में हमें मिलने शुरू हुए। यदि हम इस भाषा में यह कहें कि इसमें विज्ञान नहीं है, इसमें ज्योतिष नहीं है तो यह कदापि असत्य है। इस भाषा के विज्ञान, कला, संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष इत्यादि अनेक भाषाओं के विषय, अनेक विषयों के ग्रन्थ इस भाषा में मिलते हैं।

हम कहते हैं कि राजस्थान का प्रमुख व्यवसाय खेती है। मैं खेती नहीं करती इसलिए खेती की टर्म्स मालूम नहीं है, शहरी क्षेत्र की रहने वाली हूं, लेकिन आप जानते हैं जो व्यक्ति किसान है, जो खेती करता है वह जिस भाषा का उपयोग करता है वह राजस्थानी भाषा का उपयोग करता है। और कई ऐसी टर्म्स हैं जिनको वह सिर्फ राजस्थानी में ही समझता है और बोलता है। उसको हिन्दी या अंग्रेजी में हम नहीं बोल सकते, न उसको समझा सकते हैं। तो ऐसी भाषा, जिस भाषा का हमारा किसान प्रयोग करता है, जिस भाषा में खेती करता है, जिस भाषा में वह पशुपालन करता है, यदि हम इस भाषा के विकास की बात नहीं करेंगे, कई बार यह कहा जाता है, शिक्षाविद यह कहते हैं कि बालक को यदि सिखाना है तो आप उसको अपनी मातृभाषा में सिखाइए। यदि आपने उसको मातृभाषा में सिखाया तो उसके अधिगम का स्तर चार गुना बढ़ता है और यदि आपने किसी दूसरी भाषा में उसको सिखाने का प्रयास किया तो वह सिखाते हुए भी नहीं सीखता। यह प्रायोगिक रूप से सिद्ध है, बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े-बड़े विद्वानों ने इस बात को सिद्ध किया है।

हमारी मातृभाषा राजस्थानी है। और इस सदन ने दलीय स्थिति से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से इस भाषा की मान्यता के लिए एक संकल्प पारित

(श्रीमती अनिता भदेल)

किया, मैं इसके लिए सदन को बधाई देती हूं। पर संकल्प पारित करने मात्र से हमारा काम नहीं चलता। हमारा काम है कि इस भाषा के विस्तार के लिए, इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, इस भाषा को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास करें।

मुझे बड़ा अफसोस होता है यदि मैं इंडियन करेंसी का कोई नोट देखती हूं तो उस नोट के ऊपर नेपाली में लिखा हुआ होता है। यदि वह 100 रुपये का नोट है तो उस पर लिखा हुआ है 100 रुपये। दूसरी भाषाओं में भी 11, 15 जितनी भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन सब भाषाओं में लिखा हुआ होता है। पर आठ करोड़ लोग जो इस राजस्थान में रहते हैं उनकी भावनाओं को ठेस लगती है जब वे उस नोट को देखते हैं। राजस्थानी भाषा में उस नोट पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। नेपाल जैसे राष्ट्र के लिए जहां हम यह कहते हैं कई भाषाएं ऐसी भाषाएं हैं जो लेंग्वेज विदआउट लैण्ड के नाम से जानी जाती हैं। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन बोली जाती है। लेकिन यहां नेपाल तो दूसरा राष्ट्र है और वहां की भाषा को यहां मान्यता मिली हुई है, बंगला भाषा को मान्यता मिली हुई है, लेकिन राजस्थानी भाषा में ऐसी कौनसी कमी है जो इस भाषा को हम आज तक मान्यता नहीं दिला पाये।

हम यह कहते हैं कि हम हमारे इतिहास पुरुषों के माध्यम से हमारी नौजवान पीढ़ी को तैयार करेंगे। यदि हम अपने बालकों में वीरता का पुट जगाना चाहते हैं, उनको वीरता के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो हमें पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को पढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि राजस्थानी भाषा नहीं रहेगी तो हम पृथ्वीराज चौहान का इतिहास कैसे पढ़ा पाएंगे? हम नहीं जान पाएंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने कैसे-कैसे युद्ध किये और अपने राष्ट्र की भक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए कैसे समर्पित रहे। यदि हम यह इतिहास नहीं पढ़ा पाएंगे तो निश्चित मानिए दूसरे देशों से जिन पाठों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं अब्राहम लिंकन जैसे लोगों को यहां शामिल करते हैं तो हमारी पीढ़ी उससे प्रेरित नहीं होगी। हमारी पीढ़ी को यदि प्रेरित करना है तो हमारे पूर्वजों की कथा-कहानियों को ही उनको सुनाना होगा।

हम लोक देवी-देवताओं की बात करते हैं। हम तेजाजी की बात करते हैं, हम रामदेव पीर की बात करते हैं। जो हमारे लोक देवता हैं, हमारी माननीय

(श्रीमती अनिता भदेल)

मुख्यमंत्रीजी देवी-देवताओं में बहुत विश्वास करती हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी भी देवी-देवताओं में बहुत विश्वास करते हैं।, लेकिन यदि हमें रामदेवजी के बारे में जानना है, तेजाजी के बारे में जानना है तो हमें राजस्थानी भाषा के बारे में जानना आवश्यक है।

हम मीरा को भूल गये हैं, मीरा को यदि किसी ने जिंदा रखा है तो उसके भक्तों ने जिंदा रखा है या साहित्यकारों ने जिंदा रखा है। जिस मीरा के साहित्य को आज से 90 साल पहले पूर्वी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जिनके साहित्य को अपनी बंगला भाषा में उन्होंने परिवर्तित किया, उसमें लिखा। आज तक हम उस मीरा के साहित्य का संवर्द्धन नहीं कर पाये, उसका संकलन नहीं कर पाये, क्यों नहीं कर पाये क्योंकि पैसों का अभाव था। अकादमी के इतने से बजट को हम देखें तो हम इस बजट में क्या-क्या करें, कुछ करना संभव ही नहीं हो सकता। वहां बंगाल में कहते हैं कि यदि रवीन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य किसी घर में नहीं मिलता तो उस घर को वे मशाण कहते हैं, मशाण का मतलब श्मशान, लेकिन हम मीरा के बारे में यह नहीं सोच सकते। यदि राजस्थानी भाषा अपने ही प्रदेश में बजट के अभाव में इस तरह तरसती रहेगी तो दूसरे प्रदेशों से कल्पना नहीं कर सकते कि वो प्रदेश आगे आकर राजस्थानी भाषा का विकास करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम राजस्थान के लोग हैं, हम राजस्थान के नाम से पहचाने जाते हैं, राजस्थानी के नाम से पहचाने जाते हैं इसलिए इस भाषा के संवर्द्धन की आवश्यकता है।

हम यह कई बार कहते हैं कि यह भाषा व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण नहीं है, इस भाषा में बहुत सारी कमियां हैं। यदि इस भाषा में व्याकरण की दृष्टि से कमियां हैं तो मध्यकाल में जो हमारे हिंदू राजा हुए हैं उन्होंने इस भाषा का प्रयोग करके कैसे अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय किया, कैसे भक्ति के माध्यम से अच्छे-अच्छे गन्थ लिखे, भक्ति के माध्यम से अच्छे-अच्छे भजन लिखे। क्या मीरा ने जो भजन लिखे उनमें कोई कमी आपको दृष्टिगत होती है? नहीं होती है।

हम अभी एक उदाहरण लें, विजयदान देथा, जो राजस्थानी भाषा के कवि हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिए प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, चूंकि आपको आधा घण्टा हो गया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): यदि हम उनकी बात करें तो मात्र 17 हजार कहावतें एक कवि द्वारा संकलित हुई हैं तो जो हमारे गांव और ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो इस भाषा को बोलते हैं, अपनी भाषा में कहावतों का उपयोग करते हैं, यदि पूरे राजस्थान भर में घूमते हैं, चाहे नागौर देखें, शेखावाटी देखें, चाहे हाड़ौती देखें, चाहे मारवाड़ देखें, चाहे मेवाड़ देखें, यदि हम पूरे राजस्थान में घूमते हैं तो अरबों की संख्या में ये कहावतें संकलित होंगी और हम यह कह सकते हैं राजस्थानी भाषा अपने आप में सक्षम भाषा है और यदि इस भाषा का विकास किया जाए तो हम राजस्थान की संस्कृति का संवर्द्धन कर सकते हैं। राजस्थानी भाषा में जो पाण्डुलिपियों में जो ज्ञान है उस ज्ञान को हमें संचय करने की आवश्यकता है। यदि 500 साल तक कोई सड़क नहीं बनी और एक साल भी यदि वह सड़क नहीं बनेगी तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 500 सालों से जो पाण्डुलिपियां हमने संरक्षित करके रखी हैं यदि एक साल बाद उसमें दीमक लग गई तो फिर वह ज्ञान हमें वापस नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस अमूल्य ज्ञान के संवर्द्धन के लिए इस अमूल्य ज्ञान के संचय के लिए अति आवश्यकता है कि इस अकादमी के बजट को बढ़ाया जाए।

मैं आपको उदाहरण देती हूं दिल्ली प्रदेश की पंजाब अकादमी का बजट एक वर्ष का तीन करोड़ रुपया है।

और यदि हमारी सारी अकादमियों का बजट हम उठा कर देख लें तो टोटल, कुल मिलाएं तो भी उस एक अकादमी के बजट की तुलना में वह बराबर नहीं बैठता है। तो यदि हमने अकादमी बनाई हैं और यदि हम दिल से चाहते हैं कि इन भाषाओं का संवर्द्धन हो, इन भाषाओं का साहित्य लिखा हुआ है वह संरक्षित किया जाए तो हमें आवश्यकता होगी कि इन अकादमियों के बजट को बढ़ाया जाए। मैं राजस्थान सरकार की सदाशयता के लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने नई अकादमी की घोषणा की है, पंजाब अकादमी की घोषणा की है परन्तु सिर्फ अकादमी की घोषणा करने से काम चलने वाला नहीं है। यदि हम वास्तव में इन अकादमियों को सक्षम बनाना चाहते हैं, इन अकादमियों के माध्यम से भाषा और साहित्य के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, साहित्यकारों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको कहना चाहूंगी कि यदि किसी एक पुस्तक की लागत एक से डेढ़ लाख रुपये है और राजस्थानी भाषा में कोई साहित्यकार उस पुस्तक को लिखता है तो राजस्थान सरकार या राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी के

(श्रीमती अनिता भदेल)

माध्यम से उसको हम सहायता कितनी देते हैं? दो से ढाई हजार रुपये तक की। यह कोई मजाक नहीं है क्या कि ढाई हजार रुपये की सहायता देकर उसकी हम इतिश्री कर लेते हैं? यह सरासर उस साहित्यकार के साथ मजाक है। इसीलिए इसकी राशि को बढ़ाया जाए, इस राजस्थानी भाषा और साहित्य के बजट को बढ़ाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वास्तव में हम राजस्थानी भाषा के लिए काम करना चाहते हैं। जिस तरह से हम राजस्थान दिवस मना रहे हैं, राजस्थान दिवस पर 21 तारीख से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है उसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। और जो ये लोकल स्तर के कलाकार हैं उनको इससे प्रोत्साहन मिला है, राजस्थान के जो कलाकार हैं, राजस्थानी फोक गाने वाले कलाकार हैं, राजस्थानी फोक डांस वाले जो कलाकार हैं, उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला है। तो यह हमारे राजस्थान की परम्परा, राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाने में यह कार्यक्रम तो सहायक सिद्ध होगा ही। परन्तु हम इन अकादमियों के बजट को भी बढ़ाकर अपनी सदाशयता का परिचय दें और राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं तकनीकी शिक्षा के विषय में कुछ बात कहना चाहूंगी। तकनीकी शिक्षा के विषय में मुझे एक ज्ञापन मिला है उस ज्ञापन के आधार पर मैं अपनी बात को रखना चाहूंगी। तकनीकी शिक्षा में यह कहा गया है कि जो आईटीआई हैं उनको हम निजी हाथों में सौंपने जा रहे हैं। और उनको निजी हाथों में सौंप कर उनका संचालन निजी हाथों के माध्यम से करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार के ऊपर इसका बहुत बड़ा भार पड़ रहा है परन्तु ये दो विरोधाभासी चीजें हैं। एक ओर तो हम नई आईटीआई खोल रहे हैं और उनके भवनों की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके साजो सामान की व्यवस्था कर रहे हैं और दूसरी ओर हम जो संचालित आईटीआई हैं उनको निजी हाथों में सौंपने जा रहे हैं, यह बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो कृपया शिक्षा मंत्री जी जब जवाब दें तो यह स्पष्ट कर दें कि वास्तव में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है।

एक अन्त में, एक बात और कहना चाहूंगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति राजनीति रूप से होती है उस आधार पर चूंकि हम इसमें कई बार योग्यता को भी देखते हैं कि योग्य व्यक्ति हमको मिला या नहीं। और योग्य व्यक्ति हमको मिलता है तो

(श्रीमती अनिता भदेल)

उसकी नियुक्ति करने का प्रावधान इसमें है। मैं यह बात इसलिए कहना चाह रही हूं कि बीकानेर यूनिवर्सिटी सहित चार पांच यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स के पद खाली होने जा रहे हैं। और जिन लोगों को इन पैनल में लिया गया है, जिस चयन प्रक्रिया के माध्यम से उनको चुनना है उन लोगों की कुशलता उनका निजी अनुभव और वे किन-किन पदों पर कितने-कितने सालों तक रहे, क्या-क्या अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, यदि हम ये सारी चीजें देखेंगे तो एक अच्छे कुलपति को नियुक्त कर पाएंगे जिससे जो यूनिवर्सिटीज हैं वे ठीक ढंग से संचालित हो। और जितना भी बजट उनके पास आता है वह उसका पूरा का पूरा लाभ उठा पाएं, पूरा का पूरा उनको सहयोग मिल सके।

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें हैं उनको कहना चाहूंगी। वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व कार्य हुआ है परन्तु फिर भी कुछ और करने की हमें आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 10-15 स्कूल ऐसे हैं जो अपने भवन के अभाव में, भवन हैं तो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं और कई भवनों में कक्षा कक्ष उपलब्ध नहीं हैं, कई स्कूलें ऐसी हैं, उच्च माध्यमिक स्कूल ऐसी हैं जिनमें विषय बहुत कम हैं और 2-3 किलोमीटर की दूरी पर वह विद्यालय है। यदि हम आदर्श नगर बालिका विद्यालय की बात करें तो उसमें सिर्फ कला विषय ही है, साइंस और वाणिज्य विषय उसमें नहीं है तो वहां यदि हम शिक्षकों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, यदि हम शिक्षकों को....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, देवनानी जी देख लेंगे, आप बता देना इनको। श्री मोहन लाल गुप्ता का नाम मैं पुकार रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट में मैं अपने वक्तव्य को समाप्त कर रही हूं, बस लास्ट बोलना चाह रही हूं।

यदि हम यह बात कहें कि शिक्षक ठीक ढंग से विद्यालयों में जाएं, समय पर विद्यालयों में जाएं, पूरे ध्यान से बालकों को पढ़ाएं तो हमको यह आवश्यक लगता है कि, कई बार पर्टिकूलर उस विद्यालय के विषय पर बात कहना चाहूंगी कि दसवीं कक्षा की बताएं कि प्रिंसिपल ने इतनी मेहनत की की उस विद्यालय की 30 लड़कियां जिसमें से 10 लड़कियों ने गार्गी पुरस्कार प्राप्त

(श्रीमती अनिता भदेल)

किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दसवीं तक वह विद्यालय है। और यदि बारहवीं कक्षा में बालिकाएं प्रवेश चाहती हैं तो सिर्फ कला विषय ही उस विद्यालय में है तो जो बालिकाएं साइंस की या वाणिज्य में प्रवेश चाहती हैं वे उस विद्यालय से निकल कर दूसरे विद्यालयों में चली जाती हैं। तो जो वे क्रीम तैयार करती हैं इतनी मेहनत करके आठवीं से लेकर दसवीं तक वह बहुत प्रयासरत रहती हैं कि हम इन बालिकाओं को एक विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करेंगी, उन बालिकाओं के लिए तो उनको हतोत्साहन मिलता है। तो यदि हम उस विद्यालय में वाणिज्य और साइंस विषय भी खोल देते हैं तो निश्चित रूप से बालिकाएं वहीं रहेंगी और बालिकाओं का जो जुड़ाव होता है शिक्षक के साथ, क्योंकि नये विद्यालय में जाने से एक नई बालिका नया शैक्षिक वातावरण उसको मिलता है उसको एडजस्ट करने में आधा साल लग जाता है। तो यदि हम इन छोटे-छोटे बिन्दुओं पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा में जो हम प्रयास कर रहे हैं उसके अपेक्षित परिणाम हमको मिल सकेंगे, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जयहिन्द, जय भारत।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): पाइंट आफ इन्फार्मेशन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जीरो ऑवर में करौली से आने वाले माननीय सदस्य की यहां पर सदन में हालत खराब हो गई थी, ना पक्ष लॉबी में उनका ईसीजी हुआ और उनको आईसीयू, बांगड़ अस्पताल में थर्ड फ्लोर पर भर्ती हैं वे, मैं अभी उनसे मिलकर आ रहा हूं। मेरे साथ भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य विजय बंसल जी भी पधारे थे। उनकी हालत बहुत खराब है। उन्होंने मुझे शिकायत की कि मेरी हालत खराब है, मैं तबीयत ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं, डाक्टर मुझे संभाल नहीं रहे हैं। वे कोई डाक्टर मधोक हैं, उनकी यूनिट में हैं, मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि उच्च शिक्षा मंत्री जी को आप निर्देशित करें कि उनके लिए वहां अस्पताल में कहें और उनको संभालें और उनका ठीक ढंग से इलाज हो, मेरा आपसे यह निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, इस सूचना के आधार पर उनका न केवल इलाज बल्कि इलाज के लिए जो भी आवश्यक होगा, जिन-जिन चिकित्सकों को दिखाना होगा, सब को दिखाया जाएगा और उनका इलाज का पूरा प्रबंध किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: मोहन लाल गुप्ता।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): नहीं, उनको कोई संभाल ही नहीं रहा है, वहां ऐसे साधारण व्यक्ति की तरह पटक रखा है।

श्री अमराराम (धोद): संभाला जाएगा, एक माननीय सदस्य यहां के हास्पिटल में हों और वह यह शिकायत करे, यह अस्पताल की कार्य क्षमता की हालत है, जब एक विधायक को ही नहीं संभाल रहे हैं तो आम मरीज का हाल क्या होगा उस एसएमएस में यह चिंता का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष: तो शिकायत यह थोड़ी कर रहे हैं कि संभाल नहीं रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): और क्या कह रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): दौसा से आने वाले माननीय सदस्य यही शिकायत कर रहे हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): मैं खुद देखकर आ रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां कोई संभालने वाला नहीं है उनको एक माननीय सदस्य की इस तरह से पूछ है तो आम जन का वहां क्या होता होगा उस अस्पताल के अन्दर यह बहुत गंभीर बात है।

श्री अमराराम (धोद): एक माननीय सदस्य भर्ती है और दूसरे यहां आपके सामने उनके बारे में कह रहे हैं और सरकार की यह हालत है कि देख लेंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): हमारे सब के सोचने की बात है यह।

श्री रमेश खींची (कठूमर): उपाध्यक्ष महोदय, यह भा.ज.पा. वाले अनावश्यक रूप से उसकी वाहावाही लूटना चाह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कोई विवाद की बात नहीं है।

श्री रमेश खींची (कठूमर): मैं स्वयं और अशोक जी बैरवा भर्ती कराने गये हैं उनकी डाक्टर देखभाल कर रहा है। फिर भी आवश्यक है तो उनकी सही ढंग से देखभाल की जाए यह तो अनावश्यक रूप से, ठीक है समाचार लेने गये हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): आप तो भर्ती कराके आए हो, मैं तो बाद में मिलने गया हूं।

श्री रमेश खींची (कठूमर): एक भी आदमी उनको देखने नहीं गया, ना ना पक्ष लॉबी में उनको कोई देखने गया और अब यह कह रहे हैं कि साहब उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): जैसे ही मुझे पता चला मैं अस्पताल जाकर आया हूं, आप तो भर्ती कराने गये होंगे।

श्री रमेश खींची (कठूमर): अब जहां तक देखभाल का सवाल है, निश्चित रूप से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उनकी देखभाल कराएंगे, मेरा यह आग्रह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कोई विवाद का विषय नहीं है, यह सदन के माननीय सदस्य हैं उनकी अगर तबीयत खराब हो गई तो सरकार निश्चित तौर पर चिंता करेगी, उनकी अभी देख लेंगे, कर लेंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग की मांग के समर्थन में जो कि मांग संख्या–24 और 47 अरब रुपये के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसी के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी पढ़े, साक्षरता बढ़े, प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में, कालेजों में उच्च शिक्षा में हमारे राजस्थान के ही नहीं वरन अन्य छात्रों को भी निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो।

इसके लिए 47 अरब रुपये से ज्यादा की व्यवस्था की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को संकुचितता से निकालकर, उसके सीमित दायरे से निकालकर उसको विकसित करना, धर्म, आध्यात्म, योग, व्यायाम, व्याकरण, गणित और विभिन्न प्रारंभिक शिक्षाओं के साथ-साथ उच्च शिक्षा प्रदान करके उसे अच्छा नागरिक बनाने का होता है। हमारे राजस्थान के छात्र में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहे उसमें उसका सर्वांगीण विकास हो, इस बात का हम शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रयत्न कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक जितने शिक्षा मंत्री बनते थे, जहां तक मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से उनको तबादला मंत्री कहा जाता था। शिक्षकों के तबादलों में वो इतना जूझ जाता था, इतना परेशान हो जाता था कि वो यह समझता था कि तबादला के अलावा शिक्षा विभाग में कुछ है ही

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

नहीं। कांग्रेस के जमाने में तो तबादला एक उद्योग हो गया था, तबादला एक व्यापार हो गया था और उसी तबादला के उद्योग और व्यापार के आधार पर मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार बदल गई है और कांग्रेस की सरकार बदलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शिक्षकों ने लाया है, शिक्षार्थियों ने लाया है, राजस्थान की जनता लाई है। वो तबादला नीति से परेशान हो गई थी, तबादला उद्योग से परेशान हो गई थी। आज मैं कहना चाहूंगा कि हमारा शिक्षा मंत्रीजी तबादला मंत्रीजी नहीं है, यह एम्प्लायमेंट जनरेट करने वाला मंत्री है, लोगों को रोजगार देने वाला मंत्री है, शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने वाला मंत्री है। शिक्षित लोगों को रोजगार देने वाली हमारी मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने 60 हजार से अधिक लोगों की नियुक्तियां की हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर यही रफ्तार रही तो निश्चित रूप से आपको भी कुछ रोजगार मिल जाएगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): राजेन्द्र जी का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से कुछ प्रमोशन भी होगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि रोजगार की एक नई दिशा, शिक्षित लोगों को रोजगार की एक नई दिशा हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने प्रदान की है। सारे कोर्ट केसेज को खतम कर सारे इसमें जो आने वाली लीगल बाधाएं थीं उनको दूर करके 60 हजार से ज्यादा लोगों को नियुक्तियां दे दीं और उसके साथ-साथ संवेदनशीलता यह है कि विधवा महिलाएं हैं उनको नियुक्तियां दी हैं और 4117 और 2158 विधवा महिलाओं को नियुक्तियां देने जा रहे हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आज शिक्षा का जिस प्रकार का वातावरण है, प्राथमिक शिक्षा का जिस प्रकार का वातावरण हमारे राजस्थान में है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे, टांगाटोली करके स्कूल में बच्चों को ले जाते थे। चार साथी टांगाटोली करके ले जाते थे और मां-बाप उस बेचारे को जबरदस्ती स्कूल में धकेलते थे। लेकिन आज शिक्षा का वातावरण इस प्रकार से है कि बच्चा उठता है सवेरे, मां-बाप को जगाता है और यह कहता है कि मम्मी, मुझे स्कूल पहुंचाओ, पापा मुझे स्कूल पहुंचाओ। इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है। जबरदस्ती बच्चों को नहीं ले जाया जाता है। उसका कारण क्या है ? उसका कारण घूघरी नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। उसका कारण है मिड-डे मील, कारण है गरम-गरम रोटी और सब्जी। उसमें एक

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

जिज्ञासा जगी है कि वह गरीब बच्चा वहां जाएगा तो उसको मिड-डे मील मिलेगा, स्वाद भरी रोटी मिलेगी और उसी के साथ-साथ शिक्षा भी प्राप्त हो सकेगी। गरीब, मजदूर और किसान, कच्ची बस्ती में रहने वाला व्यक्ति, आदिवासी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति सोच ही नहीं सकता कि मैं अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकूं लेकिन यह जो नई योजना, घूघरी वाली के अलावा गरम रोटियां, मिड-डे मील की व्यवस्था के कारण टांगाटोली करके बच्चों को नहीं ले जाते हैं बल्कि मां-बाप को बच्चा यह कहता है कि मुझे स्कूल में भर्ती कराओ। इस प्रकार का एक अच्छा वातावरण हमारे प्रदेश में पैदा हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अंग्रेजी की शिक्षा पहली क्लास से लागू कर दी। उसी के साथ-साथ योग की शिक्षा प्रारम्भ की, बैकलाग खतम किया। विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां कीं और माध्यमिक शिक्षा में जिस प्रकार से परिवर्तन किये हैं, 12वीं तक की कक्षा की पुस्तकों की री-राइटिंग कर ली गई हैं, कम्प्यूटर एडेड शिक्षण प्रोग्राम हमने निश्चित किया है। उसी के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, तीनों विषयों के लिए तथा उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान संकाय की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित व जीव विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय में लेखा शास्त्र के कुल पांच विषयों के ई-कैरीकुलम तैयार कर लिये गये हैं। कम्प्यूटर की शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं, बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा का स्तर भी बढ़ा रहे हैं। उसी के साथ-साथ 10वीं में 2006 से ग्रेडिंग की व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसी के साथ-साथ 10वीं क्लास में वैदिक गणित की शिक्षा हम किस प्रकार से दे सकें क्योंकि हमारा वैदिक गणित है उसके आधार पर आधुनिक गणित का निर्माण हुआ है, उस वैदिक गणित की शिक्षा हम दे रहे हैं। पर्यावरण विषय को हमने शामिल किया है। 11वीं कक्षा से जीवन कौशल शिक्षा को हमने प्रारम्भ किया है।

उसी के साथ-साथ प्रश्न पत्र को साल्व करने का जो ढाई घंटे का पीरियड है उसको आधा घंटा और बढ़ाने का भी हमने निर्णय लिया है ताकि यह तीन घंटे का प्रश्न पत्र हो सके जिसमें आधा घंटा केवल प्रश्न पत्र पढ़े और ढाई घंटे में उसको साल्व करे, इस बात की भी हमने व्यवस्था की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दीक्षांत समारोह आयोजित करना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, माध्यमिक शिक्षा में यह एक इस प्रकार की

अनूठी योजना हमने प्रारम्भ की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं और विभिन्न प्रकार के आयाम हमारे शिक्षा विभाग ने, शिक्षा मंत्रालय ने दिये हैं। यह बात सही है कि बहुत सारी कमियां हमारे यहां हैं और उन कमियों को हमको निश्चित रूप से दूर करना चाहिए। कम्प्यूटर की शिक्षा हो उसके लिए 8 एम ओ यू साइन किये हैं। इन स्कूल के माध्यम से विभिन्न बच्चों को माइक्रोसाफ्ट, अजीम प्रेमजी के माध्यम से और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, एन जी ओज के माध्यम से हमने 8 एम ओ यू साइन किये हैं ताकि बच्चों को कम्प्यूटर की शिक्षा प्राप्त हो सके और बच्चा आगे प्रतिस्पर्धी हो सके।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, घनश्याम तिवाड़ी जी, जवाब तो ये ही सारा दे रहे हैं फिर आप क्या बताओगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ये पूर्णतया तैयार हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपकी जगह लेने के लिए ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, बिलकुल और मैं भी प्रसन्न होऊंगा अगर ले लें तो।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि समय का शुरू से ही ध्यान रखा जाए क्योंकि पहले वालों को तो आधा घंटा, यह डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, कम से कम इसको तो आप समाप्त करें।

श्री उपाध्यक्ष: करेंगे।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): कई लोग तो आधा-आधा, पौन-पौन घंटा बोल लेते हैं और हमारा नम्बर ही नहीं आता। बाद में कह दिया जाता है कि घर पर जवाब पहुंच जाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर तो शुरू से ही ध्यान दें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको हमारी बात पच नहीं रही है। हमारी उपलब्धियां पच नहीं रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्लीज कन्क्लूड।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): शिक्षा मंत्री जी की उपलब्धियां पच नहीं रही हैं, मुख्य मंत्री जी की उपलब्धियां पच नहीं रही हैं। इन्होंने राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं उनको हमने खतम कर 1500 के अध्यापक को

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

पांच हजार, सात हजार रुपये दे रहे हैं वो उनको पच नहीं रहा है। मिड-डे मील इनको पच नहीं रहा है। केवल यह कह रहे हैं कि ज्यादा टाइम क्यों ले रहे हैं। सुनो, हमसे सीखो और सीखकर के कुछ काम करने का प्रयत्न करो। आलोचना करो तो...

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): मिड-डे मील तो सैण्ट्रल गवर्नमेंट का है, आप पचाओ, हम तो पचा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील यह तो सैण्ट्रल गवर्नमेंट का है, आप पचाओ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सैण्ट्रल गवर्नमेंट तो सभी को दे रही है, केवल राजस्थान को ही नहीं दे रही है। सैण्ट्रल गवर्नमेंट हमको नहीं दे रही है, सैण्ट्रल गवर्नमेंट तो आपको भी दे रही थी, आपने क्यों नहीं किया ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ये मिड-डे मील का सारा पैसा सरकारी खरीद में जो आप पचा रहे हो वह तो चर्चा का विषय है। संसदीय समिति बनी हुई है, आपने खूब पचाया लेकिन अब तो मत खाओ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बच्चों को खिला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपको तकलीफ है बच्चों को गरम-गरम खिला रहे हैं और आप कभी आकर देखिये कि किस प्रकार की अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने की है, हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है। उसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि आप आलोचना कीजिये लेकिन सही काम की आलोचना कीजिये, जो काम अच्छा कर रहे हैं उनकी निश्चित रूप से प्रशंसा कीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने कहा कि सही काम की आलोचना कीजिये, यह कहो कि गलत की आलोचना कीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सही चीज की आप लोगों को प्रशंसा भी करनी चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय घनश्याम जी ने अच्छा काम किया है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अच्छा काम किया है। लोगों को अपाइंटमेंट दिया है, टेम्परेरी लोगों को नहीं रखा, 1500 रुपये में टीचर नहीं रखा है। आप लोगों को इस बात के लिए एप्रिसियेट करना चाहिए। यह सैण्ट्रल एड तो आपको भी मिलती थी, आपने क्यों नहीं दिया ? यह सैण्ट्रल एड तो आपके समय भी थी, आपने क्यों नहीं मिड-डे मील की व्यवस्था की ? यह

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

बहुत सारी व्यवस्थाएं आपके समय में भी थीं, आपने क्यों नहीं कीं ? यह क्या सिर्फ राजस्थान को मिलता है ? राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों को भी मिलती है सैण्ट्रल एड। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे समय में मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा, आप जरा दो मिनट मेरी बात सुन लें तो शायद अच्छा लगेगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इनको खराब यह लग रहा है कि मिड-डे मील तो अच्छा किया है लेकिन ये ब्राह्मण आदमी हैं, इनके लिए तो कुछ करिये आप, इनको तो आप कुछ खिला ही नहीं रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अच्छा, ब्राह्मणों को कुछ खिलायें ठीक है, ब्राह्मण का आशीर्वाद ही काफी है। माननीय हरिमोहन जी का आशीर्वाद चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा में दो विश्वविद्यालय स्थापित किये राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय और मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जयपुर शहर में ही शिक्षा का केन्द्र बनाया। मैं कहना चाहूंगा कि आज जो शिक्षा में विभिन्न प्रकार की भी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी स्तर पर है, एन.जी.ओ. कर रहे हैं, प्राइवेट लोग कर रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपने एक अच्छा तंत्र दे दिया। उस तंत्र के साथ-साथ इन सरकारी विद्यालयों की स्थिति को ठीक करने के लिए निश्चित रूप से कुछ कदम उठायें। आज कई जगहों पर हम जाते हैं तो जो यह टीचर्स हैं, वे स्वेटर बुनती रहती हैं, पढ़ाई नहीं कराती हैं। तो मैं चाहूंगा कि उन टीचर्स की भी एक रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स कर दें आप, अब आप गुणवत्ता पर जायें। आपने बहुत स्कूल खोल दिये, बहुत सारी योजना बना दी। लेकिन मेरा विनम्र सुझाव है कि जो टीचर्स जिनका रिजल्ट कम होता है, उनकी एक एकाउंटेबिलिटी तय करें और उनको दूर फेंके। वह स्वेटर नहीं बुनकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें। उसी के साथ-साथ टीचर्स में भी अनुशासन की भावना पैदा हो, उसके लिए भी कुछ आप काम करें। हमारे टीचर्स में जब कभी हम सरकारी विद्यालय में जाते हैं और कभी प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं तो टीचर्स में दोनों तरह की हालत देखकर आप उसे कम्पेरिजन करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

होती है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर्स चप्पल पहनकर आते हैं और उनका कोई ड्रेस कोड नहीं है, उनमें अनुशासन नहीं है। आपसे यह निवेदन है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले टीचर्स का एक ड्रेस कोड तय करें, उनमें अनुशासन की भावना पैदा हो, वह इस प्रकार की बात हो कि वह क्लास में बच्चों को पढ़ायें, पेरेंट्स-टीचर्स की मीटिंग ले, बच्चों व अभिभावकों के साथ में निरन्तर सम्पर्क रखें, बच्चे का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो सकता है, उसकी निश्चित रूप से व्यवस्था करे। और उस बच्चे में क्या-क्या कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए उसके अभिभावकों के साथ में एक बातचीत करते हुए, उसके संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विधाओं के क्षेत्र में वह बच्चा किस प्रकार से विकसित हो सकता है, उसके बारे में निर्णय लें। केवल मात्र स्कूल में आ जाना और अपने कोर्स को पूरा करवा देना या बच्चे को बोर्ड पर कुछ लिखकर देना और कुछ बात कर देना, इससे शिक्षा का मकसद पूरा नहीं होगा। माननीय शिक्षा मंत्रीजी बहुत चिंतित हैं इस बात के लिए कि...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी शिक्षा का स्तर बढ़े, विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों का स्तर बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्रीजी को कि प्रत्येक जिले में एक आप आदर्श स्कूल बनायें। प्रत्येक जिले में ही नहीं, प्रत्येक शहर में एक ऐसा आदर्श स्कूल बनायें कि उसमें प्रवेश लेने के लिए आपके पास सिफारिश करें। हम लोग सिफारिश करें कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इस स्कूल में तो मेरे बच्चे का एडमिशन कराइये ही कराइये। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, उनको अच्छी तनख्वाहें हम देते हैं। हमारे यहां अच्छे-अच्छे भवन बने हुए हैं लेकिन थोड़ा सा स्तर का ध्यान रखें तो अच्छे व्यक्ति भी निश्चित रूप से और कुछ गरीब लोगों को, अच्छे लोग भी वहां पर पढ़ने के लिए आपके पास में एप्रोच करे, आपके पास राजनेता एप्रोच करे, ब्यूरोक्रेट्स करे, पत्रकार एप्रोच करे कि इस सरकारी स्कूल में, कालेज में मेरे बच्चे को पढ़ाइये तो यह गर्व महसूस हो तब जाकर के आप अच्छे शिक्षा मंत्रीजी बाजेंगे, तब जाकर के आप अच्छे शिक्षा मंत्रीजी के रूप में आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे। जिस प्रकार से आपने मानव संसाधन विकास मंत्रीजी और

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

केन्द्रीय मंत्रालय में अपना झंडा गाड़ा है और वहां अपनी विद्वता का परिचय दिया है, उसी प्रकार से अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का परिचय देते हुए और हर जिले में अच्छे से अच्छा स्कूल आप खोलें, अच्छी से अच्छी व्यवस्था आप करें, तब हम जाकर के कुछ मानेंगे। निश्चित रूप से आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप अच्छे प्रशासक हैं, बहुत अच्छे विद्वान भी हैं, निश्चित रूप से हैं, लेकिन इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान दें।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि विभिन्न जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको जमीन का आबंटन बहुत रियायती दरों पर किया जाता है और वह बहुत तरह से लूट उन्होंने मचा रखी है। आखिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके मां बाप कितने परेशान होते हैं। प्रवेश के समय से ही उनमें लूट होती है और वह प्रवेश के समय से लेकर अन्त तक जब तक वह परीक्षा नहीं ले लेते हैं, जब तक वह छात्र परीक्षा नहीं दे देता है, उसके अभिभावक परेशान रहते हैं। इसी प्रकार से जिन लोगों को हमने रियायती दरों पर भूखण्ड आबंटन किया है, उनकी फीस का स्ट्रक्चर कैसा हो, उनमें पढ़ने वालों के साथ कोई लूट नहीं हो, उनमें सही ढ़ंग से पढ़ाई की व्यवस्था हो और उसी के साथ-साथ वहां पर कुछ गरीब लोगों के पढ़ने की भी व्यवस्था हो। उनका भी आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। हमारा गरीब बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है उसके लिए कुछ अगर वह बीपीएल धारी व्यक्ति है तो वह छात्र उसका पिता बीपीएल धारक है तो प्राइवेट स्कूल में जाये। जिन लोगों को हमने रियायती दर पर भूखण्ड आबंटन किया है, मेरे पास लिस्ट है। रूकमणी देवी बिड़ला स्कूल को एक रुपये में और जयपुर स्कूल को 105 रुपये वर्गमीटर में, स्प्रिंगफील्ड स्कूल को 144 रुपये में, आई.आई.एस. मानसरोवर को 225 रुपये वर्गमीटर में और एन्सलम को 218 रुपये में, नीरजा मोदी स्कूल को 545 और 770 रुपये में और आकाशदीप स्कूल को 770 रुपये में और टैगोर पब्लिक स्कूल को पांच रुपये में और 75 रुपये में, ब्राइटलैण्ड स्कूल को 75 रुपये में और ज्ञान विहार स्कूल और रेयोन स्कूल को 590 रुपये वर्गमीटर में, इस प्रकार से जमीन की कीमत उस समय थी, उससे भी बहुत कम दरों पर इन स्कूलों को हम लोगों की सरकार ने जमीन दी है। चाहे वह कांग्रेस की सरकार ने दी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी हो, लेकिन उन पर हमारा किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि उन स्कूलों में कोई लूट नहीं हो और उन स्कूलों

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

को आप इस बात के लिए पाबंद करें कि स्थानीय स्तर पर जो लोग आसपास की कालोनी में रहने वाले हैं, उनको एडमिशन दें, वह कहां-कहां से एडमिशन लेते हैं और बच्चों को किस प्रकार से परेशान करते हैं। आप जरा उसका अंदाजा लगा लीजिये कि आपका बच्चा फेल हो गया, पहली क्लास में बच्चा फेल हो गया, और बच्चे पास हो गये और पहली क्लास में, प्रेप में पढ़ने वाला बच्चा क्या तो फेल होगा, क्या पास होगा, कैसे अंक आयेंगे, क्या अंक नहीं आयेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। इस बारे में हाई-कोर्ट में भी लोग गये हैं और हाई-कोर्ट ने भी निर्देश दिये हैं कि इस प्रकार से आप बच्चों को नहीं पढ़ायें, इस प्रकार से आप बच्चों को परेशान नहीं करें, अभिभावकों को परेशान नहीं करें। मैं समझता हूं कि उनके ऊपर भी नियंत्रण लाने के लिए एक विधेयक उनकी फीस का, दाखिले का, परीक्षा का, यह सब विधेयक आप लेकर आयें।

राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी और विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से छात्रों को शिक्षा दी जा रही है और जो शिक्षक हैं, जो अस्थाई शिक्षक हैं, उनको स्थाई करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको स्थाई करें। लेकिन साथ-साथ हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाई का स्तर है, वह बहुत गिरता जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति को आप लागू करें। टीचर्स के प्रति सम्मान हो और टीचर्स को आप यदि स्टेबिलिटी देंगे और टीचर्स को यदि पाबंद करें कि विद्यार्थी कक्षा में क्यों नहीं आ रहे हैं, आज यूनिवर्सिटी में जाकर हालत देखते हैं तो यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों की उपस्थिति 20-25 प्रतिशत है। आखिर इतना बड़ा हमारा पैसा, 40 करोड़ रुपया राजस्थान विश्वविद्यालय पर खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इन बड़े बड़े स्कूलों-कालेजों में खर्च हो रहा है, सरकारी महाविद्यालयों पर खर्च हो रहा है। लेकिन पढ़ाई और उसके नाम पर जिस प्रकार से ट्यूशन लोग-बाग कर रहे हैं हमारे टीचर्स, उनको निश्चित रूप से आपको पाबन्द करना होगा कि कक्षा में वह पढ़ाये, विद्यार्थी कक्षा में आये, इस प्रकार से एक वातावरण बनाये। सरकारी विद्यालयों में पढ़ नहीं रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन प्राइवेट ट्यूशन सेन्टर्स में, प्राइवेट कोचिंग सेन्टर्स में बैठने को जगह नहीं है, पंखा नहीं है, टीचर्स का वेतन कम है, उसके बावजूद भी वहां भीड़ है, उसके बावजूद भी वह व्यक्ति वहां पढ़ रहा है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे विद्यालय में,

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

हमारे महाविद्यालय में अच्छी तनख्वाह है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, फीस भी कम है, उसके बावजूद भी पढ़ने वालों का टोटा है। बच्चे पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट मस्ती करने जाते हैं। अभिभावक सोचते हैं कि बच्चे कालेज में गये हैं लेकिन कालेज में जा नहीं रहे हैं, उपस्थिति कम है, यह एक चिंता का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कन्क्लूड कीजिये। कन्क्लूड कीजिये आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): निश्चित रूप से यह चिंताजनक बात है, इस विषय को भी गम्भीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय की गरिमा को कायम करें। मेडिकल यूनिवर्सिटी आपने कायम की है। संस्कृत विश्वविद्यालय का आपने काम किया है। इंजीनियरिंग कालेज में विभिन्न प्रकार के काम किये हैं। आज शिक्षा का केन्द्र बनता जा रहा है राजस्थान। आज शिक्षा का केन्द्र बनता जा रहा है जयपुर। आज शिक्षा का केन्द्र बनता जा रहा है हमारा यह राजस्थान, इसके लिए आवश्यक है कि हमारी जो यह सरकार की शिक्षा है, इस पर हम करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, उसको एकाउंटेबल बनाया जाये। उसको एकाउंटेबल बनाये बिना हम शिक्षा के स्तर को ठीक नहीं कर सकते, अपने विद्यार्थी के स्तर को ठीक नहीं कर सकते हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कालेज खोल दिये, ला कालेज खोल दिये, निश्चित रूप से उन पर भी नियंत्रण आवश्यक है। मेडिकल कालेज पर भी नियंत्रण आवश्यक है, इंजीनियरिंग कालेज पर भी नियंत्रण आवश्यक है। और इन सब पर नियंत्रण करते हुए निश्चित रूप से आप इनके टैस्ट, फीस, आचरण और विभिन्न प्रकार की व्यवस्था उनके लिए ठीक ढंग से हो सके, इसके लिए भी आप निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे। जयपुर शहर में आपने एस.एम.एस. अस्पताल में बहुत अच्छा विकास किया है। मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उच्च शिक्षा का विभाग अलग किया है और पहले यह चिकित्सा मंत्री के हाथ में था। लेकिन मैं एस.एम.एस. मेडिकल कालेज और हमारे विभिन्न प्रकार के मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज शिक्षा मंत्रीजी के हाथ में आये हैं, एक शिक्षाविद् के हाथ में आये हैं। वहां अच्छी पढ़ाई हो और नियंत्रण अच्छा हो, गुणवत्ता की पढ़ाई हो और वहां से लोग कुछ सीखकर जायें।

(समय 16.00 बजे)

अच्छे डाक्टर्स बनें, अच्छे इंजीनियर्स बनें, इसके लिए उच्च शिक्षा मंत्रीजी के नियंत्रण में यह विभाग रखा है और मैं समझता हूं कि उच्च शिक्षा मंत्रीजी के नियंत्रण में जब से यह विभाग आया है, शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ है और मैं समझता हूं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाद में इस प्रकार से एसएमएस मेडिकल कालेज में भी इस प्रकार से...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री मांगी लाल गरासिया। माननीय सदस्य, आप समाप्त करें। मैंने नाम पुकार लिया दूसरा। काफी ज्यादा टाइम ले चुके हैं। माननीय सदस्य बहुत बोलने वाले हैं।

श्री मोहनलाल गुप्ता : आपने अच्छी व्यवस्थाएं की हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं और लोगों को सीखने का काफी मिल रहा है। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मांगी लाल गरासिया।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डैगाना): कल आप ही आसन पर विराजमान थे और आपके यहीं से व्यवस्था हुई, माननीय मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं ओलावृष्टि पर, तो वक्तव्य दिलवाओ आप ओलावृष्टि पर।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, जब यह चार बजे का टाइम तय हुआ, आपकी इजाजत मिल जाय तो मैं वक्तव्य दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष: दे दीजिये।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान में वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसल खराबा विषयक

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस महीने असामान्य वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसल में खराबा हुआ है और उस फसल के खराबे के कारण 21 जिलों की 55 तहसीलों में फसल प्रभावित हुई है जिसमें 505 गांव ऐसे हैं जिनमें पचास प्रतिशत से नीचे का खराबा है और 416 गांव ऐसे हैं जिनमें पचास प्रतिशत से ऊपर का खराबा है। ऐसे 921 गांवों की 41143.75 हैक्टेयर फसल पर असर हुआ है जिसमें तीन जान गई हैं और 11 पशुधन को नुकसान हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न जिलों में दिनांक 8 से 15 मार्च,

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

2006 के दौरान जो वर्षा हुई, उसकी सूचना आप उचित समझें तो मैं रख दूं जिलेवाइज।

एक माननीय सदस्य: जिलेवाइज तो जरूरत नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : जिलेवाइज बता दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : जिलेवाइज बता देता हूं। अजमेर में 0.7, अलवर में 5.9, बांसवाड़ा में 8.9, बाड़मेर में 35.0, बारां में 6.9, भरतपुर में 6.7, भीलवाड़ा में 6, बीकानेर में 8.8, चित्तौड़गढ़ में 1.4, चूरू में 12.9, श्रीगंगानगर में 20.2, हनुमानगढ़ में 3, जयपुर में 7, झालावाड़ में 7, जैसलमेर में 7.5, झुंझुनूं में 6.2, जोधपुर में 0.6, कोटा में 19.5, पाली में 4.9, सवाई माधोपुर में 7.0, सिरोही में 21.1, उदयपुर में 3.2 और नागौर में 5 । इस ढंग की बरसात, उपाध्यक्ष महोदय, हुई है और इसके कारण से जो नुकसान हुआ है, नुकसान भी मैं जिलेवाइज बता देता हूं। टोटल जो नुकसान हुआ है वह गेहूं का हुआ है 0.33 प्रतिशत, जौ का हुआ है 0.16 प्रतिशत, चने का हुआ है 0.09 प्रतिशत, सरसों का हुआ है 0.43 प्रतिशत, धनिये का हुआ है 0.36 प्रतिशत, जीरा का हुआ है 21.32 प्रतिशत और ईसबगोल का हुआ है 32.85 प्रतिशत। यह फसल का खराबा है और इसमें जिलेवाइज बताऊं, जिलेवाइज अजमेर में गेहूं का है 0.12 प्रतिशत, जौ का है 0.20, चने का है 0.08 प्रतिशत, सरसों का है 0.10 प्रतिशत, धनिया, जीरा, ईसबगोल निल है। बाड़मेर में बाकी का सब निल है और जीरा 42.64 प्रतिशत, ईसबगोल 79.49 प्रतिशत। बारां में गेहूं का है 0.18 प्रतिशत, जौ, चना निल है, सरसों का 0.78 प्रतिशत, धनिया का 3.75 प्रतिशत, जीरा निल है और ईसबगोल भी निल है। भरतपुर में गेहूं का है 0.84 प्रतिशत, जौ निल, चना 5.67 प्रतिशत, सरसों 1.98 प्रतिशत, धनिया निल, जीरा निल, ईसबगोल निल। इसी ढंग से चित्तौड़गढ़ में 0.61 प्रतिशत, जौ निल, चना 0.32 प्रतिशत, सरसों निल, धनिया निल, जीरा, निल, ईसबगोल निल। झालावाड़ में 2.31 प्रतिशत, जौ निल, चना निल, सरसों 1.33 प्रतिशत, धनिया निल, जीरा निल, ईसबगोल निल। जालौर में गेहूं निल, जौ निल, चना निल, सरसों निल, धनिया निल, जीरा है 4.97 प्रतिशत, ईसबगोल है 10.97 प्रतिशत। करौली में गेहूं 1.32 प्रतिशत, बाकी का सब निल है। कोटा में 1.62 प्रतिशत, सरसों 5.01 प्रतिशत, धनिया 0.88 प्रतिशत। पाली में जीरा 9.58 प्रतिशत और ईसबगोल है 10

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

प्रतिशत। सवाई माधोपुर में गेहूं 0.06 प्रतिशत और सरसों 0.04 प्रतिशत। सीकर में गेहूं 0.76 प्रतिशत, जौ 0.33 प्रतिशत, चना निल, सरसों 0.49 प्रतिशत। सिरोही में जीरा 44.44 प्रतिशत, ईसबगोल 85 प्रतिशत। टोंक में गेहूं 3.03 प्रतिशत, जौ 5.14 प्रतिशत, चना निल, सरसों 0.63 प्रतिशत, धनिया 0.36 प्रतिशत, जीरा निल, ईसबगोल निल। इस ढंग का यह फसल का खराबा है।

श्री रमेश खींची : अलवर तो बताया ही नहीं आपने।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अलवर में है नहीं खराबा।

श्री जितेन्द्र सिंह : अलवर में नहीं बताया। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि अलवर में नुकसान हुआ है तो अलवर का तो आपने कोई पढ़कर सुनाया ही नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : एक मंत्रीजी, सिरोही में सरसों में भी नुकसान हुआ था, वह बताया नहीं आपने।

श्री जितेन्द्र सिंह : अलवर के अंदर सरसों के अंदर, गेहूं के अंदर भारी नुकसान हुआ है, अस्सी प्रतिशत तक नुकसान हुआ है।

श्री संयम लोढ़ा : मंत्री महोदय, सिरोही में सरसों का आपने नहीं बताया।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अभी जस्ट बता देता हूं। सिरोही में गेहूं में खराबा नहीं है। जौ में खराबा नहीं है। चने में खराबा नहीं है। सरसों में खराबा नहीं है। जीरा और ईसबगोल में खराबा है।

श्री संयम लोढ़ा: कटी हुई फसल तो खराब हुई है सरसों की।

श्री जितेन्द्र सिंह: अलवर के बारे में, अलवर के बारे में क्या हुआ मंत्रीजी।

श्री संयम लोढ़ा: जो फसल कटी हुई थी वह तो खराब हुई न।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : कटी हुई फसल को हम इसमें काउंट नहीं करते।

श्री संयम लोढ़ा: वहीं पड़ी थी जो खेत में।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : नहीं, कटी हुई फसल है नहीं मापदण्ड में।

श्री जितेन्द्र सिंह: अलवर के बारे में बतायें, अलवर के बारे में क्या कितना नुकसान है।

श्री रमेश खींची : मंत्री महोदय, अलवर का बता दें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : नुकसान हुआ है तो अभी बता देता हूं। ओलावृष्टि से फसल खराबे के मामले में की गई कार्यवाही- हाल ही के मौसम बदलाव के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में ओलावृष्टि हुई है। जिला कलक्टरों से प्राप्त सूचना के अनुसार ओलावृष्टि से राज्य के 18 जिलों में, यह 21 जिले बता दिये मैंने, यह सारा पर्सेंटेज बता दिया, भरतपुर जिला बता दिया, सवाई माधोपुर जिला, यह गांववाइज अलग-अलग बताना है क्या।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो कम्प्रीहेंसिव बता दो।

श्री हरिमोहन शर्मा : बूंदी जिले की केशोरायपाटन और बूंदी जिले का, उनका क्या हुआ, उस दिन भी आप बूंदी भूल गये थे और आपसे कहा था कि बूंदी में पड़े हैं, केशोरायपाटन में पड़े हैं जहां से माननीय बाबू लालजी साहब, मंत्री महोदय विराज रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: यह तो आप गड़बड़ ज्यादा करते हैं इसलिए मैं बूंदी जान बूझ कर भुला देता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : तो मैं बैठ जाता हूं, फिर तो बता दो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: बूंदी का, पहले बूंदी का बताता हूं।

श्री मदन दिलावर : इनका बूंदी से क्या लेना-देना? यह तो जाते ही नहीं हैं। बूंदी की बात तो ममताजी करेंगी, आपका क्या लेना-देना है?

श्री हरिमोहन शर्मा : बूंदी जिले की बात कर रहा हूं मैं। आपकी तरह मंत्री बनकर भी जो आपके दकियानूसी विचार हैं न, वैसे मेरे नहीं हैं।

श्री मदन दिलावर : ममताजी के विधान सभा क्षेत्र में जबरदस्ती हस्तक्षेप मत करो।

श्री हरिमोहन शर्मा : पूरे जिले की क्या, राज्य की बात करेंगे। आप मंत्री होते हुए भी अटरू की बात करते हैं या दुर्भावना पैदा करने की बात करते हैं, इससे अधिक आप कुछ नहीं करते।

श्री मदन दिलावर : अभी यहां नहीं हैं, इसलिए हस्तक्षेप कर रहे हो, आने दो उनको।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : हाल ही के मौसम बदलाव के कारण जो राज्य के विभिन्न जिलों में ओलावृष्टि हुई है उसमें कितने गांव प्रभावित हुए हैं मैंने आपको बता दिये। जिला कलक्टर, कोटा से प्राप्त सूचना के अनुसार कोटा

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

जिले के 59 गांवों में ओलावृष्टि हुई जिसमें से 27 गांवों में पचास प्रतिशत से कम खराबा हुआ तथा 32 गांवों में पचास प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ। कोटा जिले को राज्य सरकार द्वारा एक करोड़ रूपये इनपुट सब्सीडी राशि वितरण हेतु रिलीज कर दी गई। दीगोद में लगभग कृषि आदान सहायता का वितरण हो चुका है तथा रामगंज मंडी तहसील कृषि आदान सहायता का वितरण जारी है।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): मंत्री जी, हमारे अलवर के जो किसान हैं पहले तो वहां ओला पड़ने से सर्दी से अस्सी प्रतिशत नुकसान उसके अन्दर हो गया जो काश्तकार हैं वो बिलकुल जमीन पर आ गये हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अलवर के बारे में कृषि विभाग से सूचना प्राप्त होगी, ले लेंगे।

श्री रमेश खींची (कठूमर): आपके पास सूचना नहीं है इतना भारी नुकसान हुआ है पाला पड़ने से ओलावृष्टि से ...(व्यवधान)...

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप निश्चिंत रहें।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): उसके बाद ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है और राज्य सरकार के पास इसकी जानकारी ही नहीं है।

श्री रमेश खींची (कठूमर): मंत्री महोदय, जब इक्कीस जिलों की आ गयी तो अलवर की कैसे रह गयी?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): दरअसल में ऐसा है...।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): ये बहुत शर्म की बात है कि वहां के जो काश्तकार वो सब ...।

श्री रमेश खींची (कठूमर): सारे इक्कीस जिलों के आ गये अलवर के नहीं आये राज्य सरकार क्या कर रही है ?

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अलवर के नहीं है आपके पास आपके माननीय सुरेन्द्रपालसिंह जी टीटी साहब वहां पहुंचे हैं आप खुद मीणा समाज की शादी में वहां पहुंचे थे थानागाजी आप खुद पहुंचे थे मैं भी आपके साथ था मंत्री जी, आपके सामने वहां लोगों ने शिकायत की थी कि हमारी फसल सारी नुकसान हो गयी है और आपने उसके बारे में ...।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसमें ऐसा है दो तरह का है हमारे डिपार्टमेंट का काम है राहत देना और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सूचना देता है फसल खराबे की और रेवेन्यु डिपार्टमेंट खराबे की हमको रिपोर्ट भेजता है। यह किसी कारण से रह गयी होगी आप निश्चिंत रहें हम मंगाकर जो राहत बाकी जिलों में हम दे रहे हैं वो हम अलवर में भी देंगे।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): मंत्री जी एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह कोई गलती से रह गयी होगी इसको करेक्ट कर लेंगे।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): मंत्री जी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब वहां आपके राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीजी आकर आश्वासन दे गये कि वहां जो पाले से नुकसान हुआ है सर्दी से नुकसान हुआ है सरसों का उसका हम सर्वे करवायेंगे और कंपेसेशन देंगे।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं मैं ओला पर दे रहा रहा हूं मैं स्टेटमेंट ओला पर दे रहा हूं।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): हां मुझे मालूम है। लेकिन आप राहत मंत्री हैं, इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूं कि आपके मंत्री आकर वहां आश्वासन दे गये उसके बाद भी आपने सर्वे नहीं करवाया। ओला होने की बात तो अब आयी है सामने। आपने पढ़कर भी सुना दिया उसके बाद आपके पास जानकारी नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ऐसा है आप पाले की बात बोल रहे हैं। पाले के लिए जो सीआरएफ के नार्म्स हैं उनमें मदद दी जाती नहीं है भारत सरकार के मापदंडों में सीआरएफ के नार्म्स में पाले का मापदंड नहीं है इसलिए उसको मैंने यह इन्क्लूड नहीं किया । पर चूंकि स्टेटमेंट ओलावृष्टि पर है ।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): नहीं तो फिर आपके मंत्रीजी आकर वहां क्यों आश्वासन दे गये? क्यों टेलीविजन के अन्दर आश्वासन दे गये, अखबारों में, प्रेस कांफ्रेंस में दे गये?

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में माननीय मुख्य मंत्री जी और स्वयं मंत्रीजी तीन बार आश्वासन दे आये अधिकारियों को निर्देशित किया है और वहां के अधिकारियों ने आज तक आपको रिपोर्ट नहीं भेजी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसमें ऐसा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि एक आपदा है और इस आपदा का भारत सरकार ने जो सीआरएफ का मापदंड तय कर रखा है हम उसमें मदद देने के हकदार हैं और हम केवल ओलावृष्टि में ही मदद दे सकते हैं जो पैकेज आज मैं अनाउंस करने वाला हूं मैं उसकी सदन में घोषणा कर दूंगा। पाले में या सर्दी पड़ने के कारण अगर फसल नष्ट हो जाती है तो सीआरएफ की गाइड लाइंस में कहीं है नहीं कि उसमें मदद दी जाए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान सहायता कोष जो सरकार ने बनाया है उसकी क्या गाइड लाइन है?

श्री अमराराम (धोद): उसमें से दे दो सीआरएफ में नहीं है तो। जब राजस्थान की मुख्यमंत्री जी...।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी ये राजस्थान सहायता कोष जो बनाया है यह इसीलिए बनाया गया है कि जो सीआरएफ में नहीं आते हैं उनको इसमें मदद दी जाए। अब राजस्थान सहायता कोष से मदद क्यों नहीं देते आप? माननीय मंत्रीजी, राजस्थान सहायता कोष किस लिए बनाया है?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ये तो डिटेल में बहस कर लेंगे एक दिन।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं डिटेल बहस की बात नहीं है जब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं और सीआरएफ नार्म्स को बेस बना रहे हैं तो राजस्थान सहायता कोष बनाया ही इसीलिए गया है कि जो सीआरएफ के नार्म्स में कवर नहीं होते हैं उनको इसमें लिया जाए और किसानों की तकलीफ में साझेदार बनाया जाए।

श्री रमेश खींची (कठूमर): वो चाहे पाले से हो चाहे सर्दी से हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और अगर इसमें कमी पड़ रही है तो आप पांच करोड़ से पचास करोड़ करो न बजट।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, अलवर को तो राज्य सरकार ने अछूता कर रखा है उसको राजस्थान में नहीं मानते मैं पहले भी कह चुका हूं कि उसको पाकिस्तान में जोड़ रखा है क्योंकि सात विधायक और एमपी यहां से आये हैं। स्कूल बनती है तो अलवर में नहीं खुलती है रोड बनती है तो अलवर के बाहर बनती है कोई इंडस्ट्री लगती है यूनिवर्सिटी बनती है तो अलवर के लिए सरकार का कोई प्रावधान बजट के लिए नहीं होता।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, अकाल के संबंध में आपदा प्रबन्धन के संबंध में तो पूरी बहस होगी उसके अन्दर मंत्री महोदय सरकार की तरफ से जवाब देंगे। आज केवल मात्र ओलावृष्टि से संबंधित सूचना पर दे रहे हैं।

श्री रमेश खींची (कठूमर): उपाध्यक्ष महोदय, अकाल का नहीं है यह फसल खराबे की बात है चाहे वो पाले से होती हो चाहे ओलावृष्टि से होती हो किसान का तो नुकसान हुआ है।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है वो पूरी बहस एक दिन के लिए है तो सब लोगों को अपने-अपने जिले की जो भी रिपोर्ट देनी है ...(व्यवधान)...

श्री रमेश खींची (कठूमर): माननीय सदस्य ने सिरोही से आने वाले ने कहा है कि आपके यदि गाइड लाइंस सेन्टर गवर्नमेंट की नहीं है तो आप राजस्थान का जो आपदा कोष बनाया है उसमें ...।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है आप उसको अवलोकन कर लें हमने बहुत स्पष्ट लिखा है कि राजस्थान सहायता कोष जो बनाया गया है उसमें पांच करोड़ का प्रावधान रखा है स्थगन प्रस्ताव में। हमने सरकार से यह भी कहा है कि पांच करोड़ से बढ़ाकर पचास करोड़ किया जाए। और कोष का निर्माण भी इसीलिए किया गया है कि जो सीआरएफ नार्म्स में कवर नहीं होता, किसानों की ऐसी कठिनाई में सरकार भागीदार बन सके तो हमारे स्थगन प्रस्ताव का पार्ट है यह मंत्री जी को बताना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, उसके ऊपर व्यवस्था यह दी गयी थी कि यह सारा अकाल राहत और प्रबंधन के लिए जो एक दिन का समय दिया जाएगा उस पर सारा विस्तृत से जवाब दिया जाएगा।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीआरएफ से जो राशि आयी है वो मेरे ख्याल से पर्याप्त होगी।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): आपको कुछ मालूम नहीं है। पर्याप्त होती है उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप बैठ जाओ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार आसन के निर्देशों को किस साधारण तरीके से लेती है यह इसका उदाहरण है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): सरकार का जो आपदा कोष है वो रहने दो अभी सीआरएफ भारत सरकार वाली तो बांट लो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आज आसन को निर्देश दिये हुए आठ दिन हो गये कि इस पर वक्तव्य देना है तब भी मंत्रीजी पूरी तैयारी से नहीं आये। अलवर की जानकारी लेकर नहीं आये आठ दिन हो गये आपको निर्देश दिये हुए।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): इतना इम्पोर्टेंट जिला है अलवर । सरकार की मंशा यह दिखती है कि, अलवर की तरफ क्या भावना है सरकार की ?

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर सभी जिलों की जानकारी नहीं हो तो कल पर रख लें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां कल पर रख दो आप।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ऐसा कुछ नहीं है आप विराजें।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हमारे जिले का तो जिक्र ही नहीं है।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): आप पूरी तैयारी करके आयें और यह सरकार यह जवाब दें यहां कि आपके जो माननीय मुख्य मंत्री वहां ...।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): ...घोषणा कर गई हैं जब आपके मंत्रीजी घोषणा कर गये हैं तो उसके बाद पता नहीं क्या मंशा है अलवर जिले के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? यह बतायें।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): माननीय मंत्री महोदय, मैं अलवर की जानकारी दे रहा हूं सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर में जो ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसमें दस-बारह लाख रुपये किसानों को मिल चुके हैं। यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह जानकारी मंत्रीजी को भी तो होनी चाहिए माननीय सदस्य, आपको जानकारी है बहुत अच्छी बात है । सरकार जवाब दे रही है सदन के अन्दर और मंत्री जी को यह भी नहीं पता कि अलवर जिले में क्या हुआ है? प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है?

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): हो सकता है राजगढ़ में मिल गयी हो लेकिन किशनगढ़वास और खैरथल के इलाके में नहीं मिली है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप जो ये बात कर रहे है ओलावृष्टि की नहीं कर रहे हैं। ये बात।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): नहीं हम दोनों बात कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप यह बात कर रहे हैं पाले की।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): नहीं-नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात कर रहा हूं पाले की तो मैंने बात बाद में रखी । पहले ओलावृष्टि की बात रखी है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह बात कर रहे हैं पाले की।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): नहीं ओलावृष्टि की बात कर रहा हूं पहले ओलावृष्टि का जवाब दे दें मंत्रीजी जवाब दे दें अलवर के बारे में छोड़िये पाले की बात । सरकार झूठ बोलने लग जाती है तो वो बात छोड़िये अलवर के बारे में बता दीजिये ओलावृष्टि के बारे में ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अब ये फालतू का शोर-शराबा मचा रहे हैं इन्होंने कांग्रेस के राज में तो एक टके की मदद की नहीं किसी को।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उससे क्या लेना देना आप तो अभी की बात करो न।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : लेना देना क्यों नहीं है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप अभी की बात करो।

श्री रमेश खींची (कठूमर): ...(व्यवधान)... अकला का प्रबंधन कितना बढ़िया रहा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया आप अपना जवाब तो दें। आप बतायें तो सही जवाब।

श्री रमेश खींची (कठूमर): उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले का किसान दोहरी मार झेल रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जब जवाब नहीं बने तो कांग्रेस को याद कर लिया करो आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हर मामले में कांग्रेस को कोसने से काम नहीं चलेगा मंत्री जी।

एक माननीय सदस्य : ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा पर चर्चा कराओ अकाल और बिजली पर सारे दिन भर चर्चा होनी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): यह कोई जवाब है कि आपकी सरकार ने नहीं दिया तो हम भी नहीं देंगे। यह कोई जवाब है आपका? यह जवाब हुआ क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार की तैयारी नहीं है तो आप कल का टाइम फिक्स कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: दे रहे हैं जवाब। दे रहे हैं जवाब। माननीय सदस्य।

श्री बद्रीलाल जाट: आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से बताया है कि भारत सरकार द्वारा रिलीफ में एक भी पैसा नहीं मिला उसके बावजूद राजस्थान सरकार ने काम करने का प्रयास किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि से 921 गांवों का मामला है एक एक गांव का सवाल पूछने लग गये तो कैसे बतायेंगे। बाकी तो ये बताने को तैयार हैं बता रहे हैं और कह दिया कि तैयारी से नहीं आये।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): नहीं हम अलवर का पूछ रहे हैं राजेन्द्रजी।

श्री रमेश खींची (कठूमर): जिले की बात कर रहे हैं अलवर जिले की सूचना ही नहीं है अलवर जिले की सूचना ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सूचना बता रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बैठो न अभी बता देता हूं अभी बता रहा हूं।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): हम अलवर जिले के बारे में पूछ रहे हैं आप गुमराह मत करिये हाउस को।

श्री उपाध्यक्ष: बता रहे हैं माननीय सदस्य सुनिये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : बैठिये। अलवर जिले की तीन तहसील ...(व्यवधान)... अलवर जिले की तीन तहसीलों में पचास प्रतिशत से नीचे का खराबा है 59 गांवों में और पचास प्रतिशत से

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

ऊपर का खराबा है 21 गांवों में। टोटल अस्सी गांव हैं जिनमें 378.24 हैक्टेयर फसल प्रभावित हुई है।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): बतायें कौनसी तहसील तहसीलों के नाम बताओ गांवों के नाम बताओ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अब आप पाले की पूछना चाहते हैं।

श्री रमेश खींची (कठूमर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी बता रहे थे कि मेरे पास कोई आयी ही नहीं सूचना ही नहीं आयी।

श्री उपाध्यक्ष: आपको बता रहे हैं।

श्री रमेश खींची (कठूमर): अब इतनी देर में झूठी बता रहे हैं बता दें तहसीलवाइज

डा. किरोड़ी लाल मीणा: (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): तसल्ली से बैठो आप हल्ला मत करो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बाबूलाल जी जो राज्य मंत्री हैं सह भी कांग्रेस में शरीक हो गये क्या, उनकी कांस्टीट्युएंसी में ओले पड़े जो, बात कर रहे हो । पूरे राजस्थान की बात करो । बाबूलाल जी भी कांग्रेसी हो गये क्या ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): खैरथल में भी ओले पड़े हैं क्या खैरथल में कांग्रेस है क्या ?

श्री महीपाल यादव (बानसूर): राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे यहां तो मिल गये । तो यह कांग्रेस में है क्या?

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): ... ओले पड़े हैं पीछे समर्थ लाल जी बैठे हुए हैं वह होकर आये हैं जिलाध्यक्ष के नाते । (व्यवधान) समर्थ लाल जी आप तो कुछ बोलो।

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में तो पहले पड़ गये अब तो बीजेपी में पड़ने वाले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अलवर में 50 परसेंट से नीचे 6 गांव और 50 परसेंट से ऊपर 3 गांव, टोटल 9 गांव हो गये और लक्ष्मणगढ में 50 परसेंट से नीचे 20 गांव और ऊपर कोई गांव नहीं है । राजगढ में 50 परसेंट से नीचे 33 गांव और 50 परसेंट से ऊपर 18 गांव है, यह तीनों तहसीलों का है ।

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

जिला कलक्टर कोटा से प्राप्त सूचना के अनुसार कोटा ज़िले में 59 गांवों में ओलावृष्टि हुई है जिसमें से 27 गांवों में 50 प्रतिशत से कम खराबा हुआ है तथा 32 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है । कोटा जिले को राज्य सरकार के द्वारा 1 करोड रुपये कृषि आदान सहायता राशि वितरण हे्तु रिलीज कर दी गई है। दीगोद में लगभग कृषि आदान सहायता का वितरण पूर्ण हो चुका है तथा रामगंजमंडी तहसील कृषि आदान सहायता का वितरण जारी है ।

जिला कलक्टर बारां की रिपोर्ट के आधार पर बारां जिले की 5 तहसीलों में हुई ओलावृष्टि से 70 गांवों में से 48 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक हुआ है तथा 22 गांवों में 50 प्रतिशत से कम खराबा हुआ है । ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि अदान सहायता हेतु 1.91 करोड़ रुपये की सहायता राशि रिलीज कर दी गई है । रुपये 82 लाख की राशि का वितरण अभी तक हो चुका है बाकी भुगतान 31 मार्च तक हो जायेगा ।

बूंदी जिले की तहसील केशोरायपाटन के 16 ग्रामों में ओलावृष्टि हुई है जिनमें से 9 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक तथा 7 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम फसल खराबा हुआ है । कृषि आदान सहायता वितरण हेतु 5 लाख रुपये की राशि रिलीज कर दी गई है इसके वितरण की कार्यवाही जारी है ।

इसी प्रकार झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील के 3 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक व 22 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम खराबा हुआ है । कृषि आदान सहायता वितरण हेतु 10 लाख रुपये की राशि रिलीज कर दी गई है जिसके वितरण की कार्यवाही जारी है ।

चित्तौडगढ़ जिले के अरनोद तहसील में 4 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम फसल खराबा हुआ है ।

भरतपुर जिले की बयाना तहसील में कुल 35 ग्रामों में ओलावृष्टि हुई है जिसमें 8 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक एवं 27 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम फसल खराबा हुआ है । कृषि आदान सहायता वितरण हेतु 20 लाख रुपये की राशि रिलीज कर दी गई है, इसके वितरण की कार्यवाही जारी है ।

सवाईमाधोपुर जिले की सवाईमाधोपुर एवं खंडार तहसील के 17 ग्रामों में हुई ओलावृष्टि 50 प्रतिशत से कम है ।

अजमेर जिले के 28 ग्रामों में ओलावृष्टि हुई है जिसमें 15 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक एवं 13 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम फसल खराबा

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

हुआ है । कृषि आदान सहायता वितरण हेतु 2 लाख की राशि रिलीज कर दी गई है, जिसके वितरण की कार्यवाही जारी है ।

बाड़मेर जिले में 232 गांवों में ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक खराबा ईसबगोल की फसल में हुआ है, जिसमें बाड़मेर के 12 गांव, चौहटन के 88 गांव, गुढामलानी के 112 गांव एवं बायतु के 20 गांवों में ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा हुआ है । इस क्षेत्र का दौरा माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने भी किया है । ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान सहायता के लिए 1.50 करोड़ रुपये की राशि रिलीज कर दी गई है । 59 लाख की राशि का वितरण अभी तक किया जा चुका है 31 मार्च तक इस पूरी राशि का वितरण कर दिया जायेगा ।

बीकानेर जिले की कोलायत एवं छतरगढ़ के 3 ग्रामों में ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से कम फसल खराबा हुआ है ।

जयपुर जिले की फागी, चाकसू एवं शाहपुरा तहसीलों के 9 ग्रामों में ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा हुआ है । ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान सहायता के लिए 5 लाख रुपये की राशि रिलीज कर दी गई है ।

करौली जिले में 65 ग्रामों में ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से कम फसल खराबा हुआ है ।

सीकर जिले की श्रीमाधोपुर एवं नीमकाथाना तहसीलों के 17 ग्रामों में ओलावृष्टि हुई है जिसमें 3 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक एवं 14 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम फसल खराबा हुआ है । ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान सहायता के लिए 2 लाख रुपये की राशि रिलीज कर दी गई है ।

अलवर जिले की 3 तहसील के 80 ग्रामों में ओलावृष्टि हुई है जिसमें से 21 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक एवं 59 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम फसल खराबा हुआ है । ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान सहायता के लिए 10 लाख रुपये की राशि रिलीज कर दी गई है ।

भीलवाड़ा जिले के 14 ग्रामों में ओलावृष्टि हुई है जिसमें 2 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक एवं 12 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम फसल खराबा हुआ है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान सहायता के लिए 2 लाख रुपये की राशि रिलीज कर दी गई है ।

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

झुंझुनू जिले की बुहाना तहसील के ओलावृष्टि से 6 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा हुआ है । ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान सहायता के लिए 9.50 लाख रुपये की राशि रिलीज कर दी गई है।

टोंक जिले की टोडारायसिंह तहसील के 41 ग्रामों में ओलावृष्टि हुई है जिसमें से 9 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक एवं 32 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम फसल खराबा हुआ है । ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान सहायता के लिए 5 लाख रुपये की राशि रिलीज कर दी गई है ।

नागौर जिले की 5 तहसीलों के 38 गांवों में ओलावृष्टि हुई है जिसमें 14 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक तथा 24 गांवों में 50 प्रतिशत से कम खराबा हुआ है । सहायता हेतु 5 लाख रुपये की राशि रिलीज कर दी गई है ।

हनुमानगढ़ जिले की हनुमानगढ़ एवं पीलीबंगा तहसील के 30 गांवों में 20 प्रतिशत से कम खराबा हुआ है क्योंकि 80 प्रतिशत फसल सरसों की किसानों द्वारा काट ली गई है ।

गंगानगर जिले की रायसिंहनगर तहसील के 2 चकों 24 आरबी तथा 22 आरबी (2 गांव) में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है तथा 127 चकों में 10 से 15 प्रतिशत का नुकसान हुआ है ।

इस प्रकार ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को अब तक कृषि आदान सहायता हेतु 5.17 करोड रुपये की राशि विभिन्न जिलों को रिलीज कर दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, अब यह पैकेज है यह स्पेशली राजस्थान सरकार ने गत बार भी दिया था ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में अब की बार भी दिया है और यह घोषणा करके मेरे को प्रसन्नता है कि किसान आपदा में आया और आपदा में सरकार किसान के साथ खड़ी रह गई । इन्होंने सहायता नहीं दी उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता इन्होंने क्या-क्या किया जब ही तो यह परिणाम है कि उधर बैठे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक फसलों में खराबा हुआ है उन्हें अभावग्रस्त घोषित किया गया है और अभाव ग्रस्त घोषित करते ही राजस्व लगान स्थगित कर दी गई । सहकारी अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

कर दिया । आबियाना मतलब सिंचाई शुल्क, माफ कर दिया है । अकाल राहत कार्य शुरू कर दिये हैं । लघु एवं सीमान्त किसानों की भांति अन्य किसानों को भी जोत की सीमा तक 2 हैक्टेयर कृषि आदान सहायता उपलब्ध करवाई गई है । असहाय लोगों को 50 किलो गेहूं तथा 50 रुपये प्रतिमाह जून,2006 तक उपलब्ध करवाया जायेगा ।

माननीय सदस्यों ने ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों के कृषि आदान सहायता को बढाने की मांग की थी । माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने केन्द्र सरकार के गृह मंत्री एवं कृषि मंत्री को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर निम्न निवेदन किया है :-

वर्तमान में लघु एवं सीमांत कृषकों को असिंचित क्षेत्र में कृषि आदान सहायता की दर 1000 रुपये प्रति हैक्टेयर को बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपये प्रति हैक्टेयर की जावे तथा सिंचित क्षेत्र में कृषि आदान सहायता की दर 2500 रुपये प्रति हैक्टेयर को बढाकर कम से कम 7500 रुपये प्रति हैक्टेयर की जावे । कृषि आदान सहायता लघु एवं सीमांत कृषकों के अलावा अन्य कृषकों को 2 हैक्टेयर तक अनुमत की जावे, जिसमें वर्तमान में लगातार दूसरे वर्ष गंभीर आपदा की स्थिति की शर्त को हटा लिया जावे ।

मेरे द्वारा भी माननीय गृह मंत्री एवं माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर मांग की गई है और इनपुट सब्सिडी के नार्म्स में छूट देने की प्रार्थना की है ।

इसके अतिरिक्त जो हमने एक किसानों को राहत दी है यह हमारे स्टेट रिसोर्सेज से है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गत दो वर्ष की भांति इस वर्ष भी सीमांत एवं लघु कृषकों के गत दो माह के बिजली के बिलों को माफ कर दिया जायेगा ।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार बता रही है वह बिलकुल गलत रिपोर्ट है । लगता है मंत्रीजी को उनके अधिकारियों ने सही रिपोर्ट नहीं दी है । मैंने 8-9 तहसीलों का दौरा किया है इसमें उन तहसीलों का नाम ही नहीं है ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि पीलीबंगा में कौनसी फसल कट गई अब से पहले?

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि रायसिंह नगर तहसील के दो गांव 52 आरबी, और 74 आरबी में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। मुखलावा के क्षेत्र में भी 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ। वहां भी कृपा रखी जाए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारा निवेदन यह है कि जब सीआरएफ से आप सारी सहायता दे रहे हैं, सेन्ट्रल रिलीफ फण्ड से...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब आप मान रहे हैं कि 1000 से बढ़ाकर 3000 रूपया प्रति हैक्टेयर करना चाहिये और सिंचित क्षेत्र में 2500 से 7500 प्रति हैक्टेयर करना चाहिये, तो आप राजस्थान सहायता कोष से भी तो उनको कुछ दीजिए, आप सारा सीआरएफ से पैसा दे रहे हो। फिर राजस्थान सहायता कोष बनाया किसलिए है ? (व्यवधान) फिर दो महीने की आप बिजली की बात कर रहे हो...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण मेरा आपसे यह निवेदन है कि पूरी विस्तृत बहस के लिए आज समय उपयुक्त नहीं है। एक दिन पूरा इसके लिए अगले सप्ताह रखा जाना है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ओलावृष्टि के संबंध में जो स्टेटमेंट दिया गया है वह काफी है। अब और इस पर चर्चा नहीं होगी। श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री महोदय तैयार है तो दिला दीजिए ना।

श्री उपाध्यक्ष: मौटे तौर पर बता दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर यह राजस्थान विकास कोष से पैसा दे रहे हैं तो (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, वह तैयार हैं, खड़े हो गए, वह देने के लिए तैयार बैठे हैं, किसान का भला हो जाएगा, आप भी किसान हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कर दिया ना उसमें, एड और कर देंगे। माननीय सदस्य, शुरू कीजिए, मांगों पर (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं तो सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि पीलीबंगा में कौनसी फसल कट गई अब से पहले ?

श्री उपाध्यक्ष: आप पूछ लेना।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): कल तो चर्चा हो रही थी कि फसल कटी नहीं अभी तक।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मांग संख्या—24 पर विचार

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 24 शिक्षा कला एवं संस्कृति पर बोलने के लिए समय दिया और कटौती प्रस्तावों पर अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मानवता के विकास का प्राथमिक सौपान है और शिक्षा मानव जीवन के विकास का दर्पण भी है। कहा भी गया है According to Indian Philosophers/Educationists; means "around development of mind, body and spirit." उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मानव जीवन के सर्वागीण, नैतिक, मानसिक और बौद्विक विकास को परिपक्व करने में सार्थक सिद्ध होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर शिक्षा का स्तर देखा जाए और शिक्षा किस तरह से राजस्थान में चल रही है इस प्रकार दृष्टिगत ध्यान रखा जाए तो मालूम होता है कि...

(समय 16.33 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

वर्तमान की शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा के रूप में नहीं है। सभापति महोदय, देखा जाए तो शिक्षा रोजगारोन्मुख से परे होकर लोगों को, जो व्यक्ति अध्ययन करता है और बाद में उसे रोड पर इसलिए घूमना पड़ता है कि उसको अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी गई, रोजगारोन्मुख शिक्षा नहीं दी गई। शिक्षा प्राप्त करके भी उसे बेरोजगार के रूप में भटकना पड़ता है।

विशेष तौर से प्रशिक्षित अध्यापक हैं वह नहीं लगने के कारण, आज प्राइवेट स्कूलों में कई इस तरह के अध्यापक हैं जो बीएड, एसटीसी नीं होने के द में केवल इसलिए लगाये जाते हैं कि फोरमल्टी के तौर पर शिक्षा दी जाए। इस शिक्षा से शिक्षा की हालत पंगू होती जा रही है। इसकी चिंता पूरे राजस्थान को तो है ही परन्तु पढ़ने वाले अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के जीवन पर भी एक सवालिया निशान लग जाता है।

केवल विद्यार्थी शिक्षा पाकर केवल पास होने की जिज्ञासा को लेकर पढ़ाई करने की ओर प्रेरित किया जाए तो मैं मानता हूं कि वह शिक्षक अपने

(श्री मांगीलाल गरासिया)

बालकों के पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। इस तरह की शिक्षा से बहुत बड़ी समस्याएं ग्रामीण आदिवासी अंचल में उन लोगों को उठानी पड़ती हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा में यदि एक आंकड़ा उठाकर देखा जाए और जनजाति क्षेत्र में, बालक पहली कक्षा से लगाकर 5वीं, 8वीं और 10वीं आते आते जिस तरह से बालक के आगे की कक्षाओं में गिरावट आती है, गिरावट के आंकड़े इस तरह से हो जाते हैं, कालेज करते हुए उच्च शिक्षा हासिल करते हुए और भी उन कक्षाओं में कमी आती है और यह कमी का बहुत बड़ा अंतराल जिस तरह होता है वह एक चिंता का विषय भी है।

दूरगामी क्षेत्र आदिवासी अंचल में एससी, एसटी परिवार के बालक बालिकाएं जो शिक्षा प्राप्त करते हैं और अन्तोगत्वा जब हायर एजुकेशन में जाते हैं उनकी संख्या नगण्य हो जाती है। पूरा परिवार उनके सर्वागीण दृष्टिकोण विमुख हो जाता है। गत 2004-5 में 13946 उच्च शिक्षा में थे और 2005-6 में 14402 अध्ययन के तौर पर उच्च शिक्षा में बालक रह जाते हैं, वृद्धि हुई 3.76 प्रतिशत की।

माननीय सभापति महोदय, जब शुरूआत में देखा जाए तो इस तरह की कमी खामी केवल हजारों में आकर टिक जाती है इसलिए दूरगामी क्षेत्रों में शिक्षा में जिस तरह से आज पढ़ाई की आवश्यकता है और किस तरह से बालक अपने आपको आगे लाकर शिक्षा में स्थापित हो सके और शिक्षा अध्ययन कर सके। दूरदराज के एरिया में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति कोटडा जो दूरगामी क्षेत्र का एरिया है, गोगुंदा भी दूरगामी क्षेत्र का एरिया है, भारत सरकार के शिक्षा के सार्वजनीकरण होने के बाद में और तात्कालिक मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने और सी.पी. जोशी जी शिक्षा मंत्रीजी थे तब गांवों और ढाणियों में जिस तरह से स्कूलों को राजीव गांधी स्कूलों और प्राथमिक विद्यालयों को खोलकर शिक्षा की अलख जगाई गई। शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात करी गई। अभी दो साल में सभी स्कूलों में इस तरह से शिक्षा में गिरावट आ रही है और स्कूल बंद हैं वह चिंता का विषय भी है।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि प्राथमिक विद्यालय कनवेरिया,

(श्री मांगीलाल गरासिया)

प्राथमिक विद्यालय थल, पदमावड़ी, जालरा, पलायापिपला, साम्भरपाल, राई और चाम्पा के नाव का एरिया प्राथमिक विद्यालय कुंतीकलेवा, प्राथमिक विद्यालय पाटिया, गोगारून और सिवडिया बेकरिया में

दर्जनों स्कूल बंद पड़े हैं। मुझे यह देखकर बड़ा अफसोस होता है। जब मैंने गांव में पैदल 25-25 किलोमीटर चलकर देखने का काम किया, 20-20 किलोमीटर जब गांव देखने का काम किया तब लगा कि किस तरह से शिक्षा को बढ़ावा मिल पायेगा। और यह दर्जनों स्कूल बंद होने के साथ ही मैं निवेदन करुंगा कि 500-600 विद्यार्थियों के भविष्य का क्या होगा। वह बालक-बालिकाएं न तो उधर शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं और न घर का काम कर पा रहे हैं। सभापति महोदय, पोषाहार जिस तरह से उन विद्यालयों में बराबर लुट रहा है और उधर विद्यालय बंद हैं। इस प्रकार की स्थिति को देखकर असमंजस होता है कि उन आदिवासी एरिये में, दूरदराज के एरिये में किस तरह से शिक्षा को बढ़ावा देने की बात एक तरफ की जा रही है एक तरफ जहां पर शहरों में जिस तरह से शिक्षा को बढ़ावा देने का काम बड़े-बड़े इंजीनियरिंग कालेज खोलकर, महाविद्यालय प्रतिस्थापित करके और शहरों में जिस तरह से आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करके और एक तरफ उस ग्रामीण आदिवासी अंचल में शिक्षा से बालक-बालिकाएं वंचित रह रही हैं। इस बात को माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करुंगा कि समझने की आवश्यकता है। यदि इस अंतराल को, इस खाई को समतुल्य नहीं किया गया, बराबर नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा परिवर्तन उस ग्रामीण और शहरी अंचल में होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करुंगा जहां पर सर्व-शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कई विद्यालय भवन के मरम्मत करने के काम भी हो रहे हैं । भारत सरकार ने जिस तरह से पैसा दिया है, पैसा देने के बाद में किस तरह से राजस्थान में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्मित करने का काम हो रहा है, परंतु सभापति महोदय, उसमें भी बहुत बड़ी कमी और खामी हो रही है।

श्री सभापति: आप अब कन्क्लुड कीजिए।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): सभापति महोदय, मैं निवेदन करुंगा कि एक अध्यापक ही ठेके पर काम शुरू कर रहे हैं। मुझे उसमें लग रहा है, सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने आश्वस्त किया कि हम जांच कराएंगे। मैं मानता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी जांच कराएंगे, मुझे कोई ज्यादा

(श्री मांगीलाल गरासिया)

कहने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां पर दूरदराज के एरिये में पैराटीचर जो काम कर रहे हैं और जो पैराटीचर और शिक्षाकर्मी अध्यापक हैं वे भी बहुत लम्बे समय से..।

सूचना

झारखण्ड के मुख्य मंत्री आदि की सदन में उपस्थिति विषयक

श्री सभापति: एक मिनट, मैं सदन को सूचित करता हूं कि झारखण्ड के मुख्य मंत्री, उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगी और विधान सभा के सदस्यगण सदन में उपस्थित हैं।

मांग संख्या –24 पर विचार

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, मैं बात कर रहा था, पैराटीचर्स अध्यापकों की। मैं निवेदन इस तरह से करना चाहूंगा कि 22 हजार पैराटीचर हैं और कई शिक्षाकर्मी विद्यालय में अध्यापक हैं। वर्षों से शिक्षा प्रचार-प्रसार का काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटी-छोटी ढाणियों में, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का काम कर रहे हैं। और उन पैराटीचर्स को तृतीय वेतन शृंखला देने की बात नहीं की जा रही है। इसलिये सभापति महोदय, उनके साथ में भी घोर अन्याय हो रहा है। इसलिये मैं विशेष तौर से अनुरोध करुंगा कि उन पैराटीचर्स को भी तृतीय वेतन शृंखला के अन्तर्गत लेते हुए उनको समकक्ष मानते हुए, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। सभापति महोदय, मेरा जो दूरदराज का एरिया गोगुन्दा और कोटड़ा का एरिया है, आप देखें, उस एरिये के लिये कि पूरी पंचायत समिति कोटड़ा और गोगुन्दा में अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं। पद रिक्त पड़े रहने के कारण वहां पर अध्यापन कार्य में भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। केवल एस.डी.आई. ही लगा दिये जाएं तो मैं मानता हूं कि पर्याप्त नहीं हैं और वहां पर पूरे के पूरे अध्यापकों में देखा जाए तो रोड पर जितने भी विद्यालय हैं उन रोड वाले विद्यालयों को भर दिया जाता है और दूरदराज के एरिये में एक-एक अध्यापक और वह भी कभी मिल जाए, कभी नहीं। जब पूरा स्कूल जिस तरह से खाली रहता है, वह एक चिन्ता का विषय है। इस तरह से चिन्ता का विषय उस आदिवासी एरिये के उन लोगों के लिये और जो मेहनत करके अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने का काम जो मां-बाप करते हैं, उनके दिल पर हाथ रखकर, यह विचार किया जाए कि वास्तव में उन बालकों का किस तरह से आगे बढ़ावा मिल सकेगा। मैं नहीं सोचता हूं कि वह गरीब कुछ कर पायेगा।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां संस्कृति और कला को जिस तरह से राजस्थान में बढ़ावा मिल रहा है और किस तरह से पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने कला और संस्कृति पर किस तरह से कुठाराघात कर रही है। आज संस्कृत शिक्षा के लिये अनुरोध करुंगा कि संस्कृत शिक्षा का बढ़ावा गांव, ढाणी और दूर के एरिये में भी हो तब जाकर संस्कृति को बचाये जाने का बहुत बड़ा काम हो पायेगा। संस्कृत शिक्षा पाकर के लोग गौरवान्वित महसूस कर पाएंगे। मैं मानता हूं, सभापति महोदय कि जो राजीव गांधी संस्कृत पाठशाला एक हमारे वहां पर भी है। संस्कृत पाठशाला होने के नाते वहां पर संस्कृत का अध्यापक आये नहीं और 2-2 बार संस्कृत पाठशाला चाकरिया करके है और वहां अध्यापक कभी जाएं ही नहीं और 2-2 बार ग्राम सभा का प्रस्ताव लाया जाए और ग्राम सभाओं में प्रस्ताव लाने के बाद में भी पुन: नहीं हटाया जाए तो इससे और दु:ख किस तरह से हो सकता है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दूरदराज के एरिये में आज शिक्षा का प्रतिशत जिस तरह से गिर रहा है वह चिन्ता का विषय है। इसलिये मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करुंगा कि इस तरह के एरिये में विशेष तौर से शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही उन एरियाज में...

श्री सभापति: अब आप वाइण्ड-अप करें।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): उन एरिया में, एक आमूलचूल शिक्षा जगत में परिवर्तन करने की नीति को प्रारम्भ करें जिससे उस एरिये को बढ़ावा मिले, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री जोगेश्वर गर्ग। (अनुपस्थित) माननीय श्री दाताराम गुर्जर।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा व्यक्ति के जीवन का शृंगार है और शिक्षा ही है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, शिक्षा पर किया गया व्यय विनियोजन है। अत: शिक्षा में किया गया विनियोजन हमें सुनहरे कल की ओर ले जाती है। सभापति महोदय, किसी देश का वर्तमान देखना हो तो वहां के शिक्षकों को देख लीजिए और किसी देश का, किसी प्रदेश का भविष्य देखना हो तो उस देश के, उस प्रदेश के विद्यार्थियों को देख लीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारे शिक्षित-

(श्री दाताराम गुर्जर)

दीक्षित शिक्षा मंत्रीजी को। शिक्षा की दीक्षा गांव-गांव में, ढ़ाणी-ढ़ाणी में दे रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): शिक्षित तो समझ में आया, दीक्षित क्या है आप समझा दो। ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आपस में बात नहीं करें।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): शिक्षा की दीक्षा दे रहे हैं न। शिक्षा के क्षेत्र में दो साल में बहुआयामी कार्य किये और गांव-गांव में और ढाणी-ढाणी में शिक्षा क्रांति जाग्रत की। हर गांव का व्यक्ति शिक्षा से जुड़े, हर ढाणी का व्यक्ति शिक्षा से जुड़े।

हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना से और अब तक अगर किसी भी सरकार ने शिक्षा के प्रति इन दो वर्षों में जितना भी ध्यान दिया उतना ध्यान दिया जाता तो आज हम शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि कोई नई टेक्नोलाजी के क्षेत्र में कार्य करते तो आज इस सदन में यह आवाज नहीं उठती कि हमारे गांव में मिडल स्कूल नहीं है, हमारे गांव में सैकण्डरी स्कूल नहीं है। हमारे गांव में सीनियर स्कूल नहीं है। यह कमी रही है और हमारा दुर्भाग्य रहा है कि बहुत लम्बे सालों तक, लम्बे समय तक ऐसी पार्टी का शासन रहा जिन्होंने राजस्थान में शिक्षित हर व्यक्ति को देखना अच्छा नहीं समझा। और उनके मन में कोई ऐसी कल्पना रही होगी कि राजस्थान का हर व्यक्ति शिक्षित अगर हो जाएगा, हर व्यक्ति सम्पन्न हो जाएगा। तो हमारी झूठी बातों के ऊपर जो शासन चल रहा है, जो सिर्फ किताबों और फाइलों में जो कार्य किये जा रहे हैं उनका राजस्थान में विरोध हो जाएगा और इस बात से डरते हुए आज अभागे राजस्थान में बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है, जहां पर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। और हमारी सरकार ने दो वर्षों में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों की कोई कमी नहीं रखी। अगर इनके पिछले पाँच सालों की तुलना की जाए तो भी दो साल का हमारा शासन कहीं बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है। गत सरकार ने 550 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जबकि हमने दो वर्षों में ही 3343 नये प्राथमिक विद्यालय खोले। गत सरकार ने पाँच वर्षों में 2989 मिडल स्कूल खोले जबकि हमारी सरकार ने दो साल में पाँच हजार से अधिक स्कूल खोले। और इस वर्ष के बजट में मिडल स्कूल करने का जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है जब आगामी बजट पेश होगा

(श्री दाताराम गुर्जर)

तो शायद इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य यह मांग नहीं रखेगा कि मुझे मिडल स्कूल की जरूरत है।

पिछली सरकार ने जो राजीव गांधी के नाम से विद्यालय खोले उनको हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में सभी को जो कि 16000 के लगभग हैं, राजकीय में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ-साथ ही विद्यालय ही नहीं खोले बल्कि राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों को जिन्होंने डिग्रियां लेकर काफी लम्बे समय तक यह सपना देखा था कि हम भी कभी विद्यालय में शिक्षक बनकर जाएंगे, पचास हजार से अधिक शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देकर पूरे देश में एक मिसाल कायम हमारी सरकार ने की है।

पचास हजार से अधिक परिवारों को शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियां देकर ही नहीं बल्कि महिलाओं को, परित्यक्ता महिलाओं और विधवा महिलाओं को भी रोजगार देने की हमारी सरकार ने व्यवस्था की है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): करना पड़ेगा नहीं तो वे भागे हैं वैसे ही भागना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वे भागे हैं वैसे ही भागना पड़ेगा।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): यह तो दो-तीन साल और है, बाद में तो शायद 56 भी नहीं रहोगे, भागोगे ही और कहां जाओगे?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मैं नाम थोड़े ही ले रहा हूं, मजाक तो कर ही सकते हो।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): राज्य में पहली बार 15 जुलाई से 15 सितम्बर, 2005 तक मुख्य मंत्री शिक्षा सम्बल महा-अभियान जो चालू किया इसके तहत 14 लाख बच्चों का नामांकन किया और 21 लाख पौधे विद्यालयों में लगाये गये और एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों के मेडिकल कार्ड बनाये गये। यह भी राजस्थान में पहली बार हुआ है। आज तक कोई व्यक्ति खुद का मेडिकल नहीं बनवाता। उनकी सरकार के टाइम में ऐसी व्यवस्था नहीं थी और आज हमारी सरकार ने विद्यार्थियों का जीवन स्वस्थ रहे, विद्यार्थी स्वस्थ रहे और अपने स्वास्थ्य के प्रति वे सचेत रहे, इसके लिए मेडिकल कार्ड की व्यवस्था करके एक बहुत अच्छा कदम उठाया है।

बालिकाएं जो दूरदराज के गांवों में रहती हैं, उच्च शिक्षा के लिए उनको जाने के लिए रोडवेज की बसों की नि:शुल्क यात्रा की जो सुविधा हमारी

(श्री दाताराम गुर्जर)

सरकार ने प्रदान की है, निश्चित रूप से छात्राओं की संख्या में इससे वृद्धि हुई है। और पहले गांवों में जब उच्च शिक्षा का कोई साधन नहीं था तो महज अभिभावक यह सोचकर कि लड़कियों को कहां भेजा जाए, स्कूल की व्यवस्था है नहीं और छात्राओं की शिक्षा में कमी रही थी। इस बात पर हमारी मुख्य मंत्रीजी ने और शिक्षा मंत्रीजी ने देखते हुए और छात्राओं की शिक्षा को ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी व्यवस्था की है। ट्राइबल बेल्ट में छात्राओं की शिक्षा की वृद्धि के लिए साइकिल पहली बार मुहैया करवायी गयी। विद्यालयों में नामांकन बढ़े तथा विद्यार्थी छुट्टियों का सदुपयोग कर सकें इसके लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही नव सत्र का प्रारम्भ किया। यह भी पहली बार हमारी सरकार ने किया है।

श्री सभापतिः अब आप समाप्त करें।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): इसी तरह से शिक्षा के साथ सभी क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास हुआ है। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और एक बात के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

शिक्षित विकसित राज्य बनेगा, होगी जन-जन मुस्कान।

आने वाली पीढ़िया सदा याद रखेगी घनश्याम।।

श्री सभापतिः धन्यवाद। माननीय श्रीमती राजकुमारी शर्मा।... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): इनको तो याद रखेंगे पक्की बात है लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः अब आपको तो कल्ला साहब कोई याद करता नहीं है। अब घनश्यामजी को ही करेगा याद।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): घनश्यामजी को तो याद रखेंगे, कोई डाउट नहीं है लेकिन आप यह नीचे वाले क्या करवा रहे हो, यह बता दो? नीचे वाले क्या करवा रहे हो? ... (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय श्रीमती राजकुमारी शर्मा । (अनुपस्थित)

माननीय श्रीमती वंदना मीणा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): स्कूलों में कोई मास्टर जाए तो जाए और नहीं जाए तो नहीं आये। वह बात बताओ सब इनको। अंधेरे में मत रखा करो। पूरी बात बताया करो।

(समय : 17.00 बजे)

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 पर बोलने का मुझे अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के बारे में कुछ अवगत कराऊंगी। हमारी सरकार ने दो साल के कार्यकाल में निरक्षरता का अभिशाप झेला है और उस अंत:व्यथा से उबरते हुए साक्षरता में प्रगति की है व देश-विदेश में एक नई छाप छोड़ी है। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची (कठूमर): कांग्रेस की तरफ से एक भी नहीं आया। (व्यवधान) एक आया है और आपने क्रम तोड़ दिया। तीसरे माननीय सदस्य जोगेश्वर गर्ग थे, आपने उनका नाम बोला, वह नहीं हैं। थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखते हुए (व्यवधान)

श्री सभापति: ऐसा है माननीय सदस्य, दाताराम जी गुर्जर बोले हैं, उसके पहले इधर से माननीय सदस्य बोले हैं।

श्री रमेश खींची (कठूमर): आपने गर्ग साहब का भी लिया है नाम। उसके पहले आपके माननीय सदस्य बोले हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: नाम लेने से बोल लिये क्या?

श्री रमेश खींची (कठूमर): नहीं हैं, अनुपस्थित हैं तो उसकी कोई बात थोड़े ही है।उनको तो काउंट करना पड़ेगा ना।

श्री सभापति: दो माननीय सदस्य इधर से बालेंगे, एक माननीय सदस्य इधर से बोलेंगे।

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा न बोलते हुए बहुत कम बोलूंगी। आपको भी अवसर मिल जाएगा, चिन्ता न करें।.

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): दो उधर से और एक इधर से, तो अब एक अनुपस्थित हैं तो हमारा दोष थोड़े ही है।

श्री सभापति: अब आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह होता है संख्या के अनुसार। सभापति महोदय, आसन ने बंटवारा किया है संख्या के अनुसार।.. (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): बात ठीक कायदे की हो।..(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराज जाएं माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): बीच वालों के लिये भी तो है न टाइम?

श्री सभापति: माननीय महिला सदस्य बोल रही हैं, उनको बोलने दें।..(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): तो महिला ही विरोध कर रही हैं, हम क्या करें? महिलाओं में लड़ाई आपस में रहती है।

श्री सभापति: अब आप टाइम क्यों खराब कर रहे हैं बीच में?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहली बार आई हैं यह।

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने दो साल के कार्यकाल में शिक्षा की दृष्टि से इतिहास में राजस्थान में एक अच्छा काम करके दिखाया है यह वाकई में तारीफे काबिल है। हमारी सरकार ने पहली बार एक से बारह तक नि:शुल्क पुस्तकें वितरित की हैं। यह योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार चालू की है। इसी तरह हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा की दृष्टि से व स्वास्थ्य की दृष्टि से चिन्तन करते हुए विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें व नि:शुल्क इलाज के लिये जो योजना बनाई है वह जनजाति एरिये में बालिकाओं के लिये जो 75 प्रतिशत नम्बर लाती हैं उनके लिये साइकिल वितरण किया। यह भी पहली बार जनजाति एरिये में किया है। मैं सदन की नेता को व माननीय शिक्षा मंत्रीजी को पूरे ट्राइबल जोन की ओर से व वहां की जनता की ओर से आभार व्यक्त करती हूं कि वाकई में पहली बार जनजाति बच्चों के लिये ऐसा काम किया है, वह कभी नहीं भूलेंगे ढाणी वाले बच्चे।

इसके साथ-साथ गरीब बच्चों को जो गरम खाना चालू किया है इसके लिये भी हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का व शिक्षा मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं। यह ऐसा प्रावधान रखा है कि मैं समझती हूं इससे बड़ा धर्म का कार्य कोई नहीं होगा।

इसके साथ ज्यादा न कहते हुए कहूंगी कि अभी सामने वाले माननीय सदस्यजी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने राजीव गांधी पाठशाला खोलकर शिक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी उन पाठशालाओं को प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करके एक जनजाति क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ाया है। वाकई में यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की एक सोच,

(श्रीमती वन्दना मीणा)

एक चिन्तन जो किया है, वह बहुत अच्छा काम किया है। जो राजीव गांधी पाठशाला चालू की थी जनजाति एरिये में, उससे शिक्षा का स्तर काफी गिरा था और वहां जो टीचर थे या तो आठवीं पास थे या दसवीं पास थे तो आप मानो कि उन बच्चों को क्या पढ़ाएंगे जिनको पूरी तरह जानकारी नहीं। चाहे गणित में हो, चाहे हिन्दी में हो। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने अभी राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है। इसके साथ-साथ मिडल स्कूल भी काफी क्रमोन्नत किये हैं। उदयपुर संभाग में भी सैकण्डरी स्कूल, सीनियर सैकण्डरी स्कूल काफी क्रमोन्नत किये हैं, इसके लिये भी मैं आभार व्यक्त करती हूं।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है, सरकार ने ट्राइबल एरिये में स्कूल क्रमोन्नत किए हैं, बच्चों का ठहराव भी है, अभी टीचरों की नियुक्ति भी की है पर जनजाति एरिये में कोई टीचर्स नहीं जाते हैं । मेरा यह निवेदन है कि उन टीचरों को पाबन्द किया जाए और वहां रहकर जनजाति के बालकों को आठवीं शिक्षा देवें। मान्यवर, शहर में बच्चों को काफी सुविधा मिल जाती है, चाहे ट्यूशन हो, चाहे पढ़ाई के मामले में और भी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जनजाति एरिये में इन सुविधाओं के न होने से काफी बच्चे परेशान भी हैं इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए।

इसके साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कुछ विद्यालयों में विषय खोलने के बाबत् मैं कुछ मांग भी रखूंगी। उदयपुर ग्रामीण में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पानेरू की मादडी, जहां एक लाख की आबादी है और वहां पर विज्ञान विषय नहीं है। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां के सभी ग्रामवासी उपकरण भी उपलब्ध करवाएंगे, वहां पर कमरा भी बना हुआ है और जमीन भी काफी पर्याप्त में है। ऐसी स्थिति में विज्ञान विषय खोला जाए, ऐसी मेरी मांग है।

इसी तरह एक-दो विद्यालय और हैं, मैं लिखित में अवगत करा दूंगी। परन्तु यह मामला बहुत गंभीर है, हम जनजाति एरिये से चुनकर आये हैं, हमें भी जनता ने यहां चुनकर भेजा है, जनता की काफी उम्मीदें भी हैं, अगर यह छोटी-मोटी सुविधाएं हो जाएं तो जनता बहुत याद करेगी, ऐसी मेरी मंशा है।

इसके साथ दूसरा ओर निवेदन करना चाहूंगी कि उदयपुर में SCERT के बारे में कहना चाहूंगी। SCERT की स्थापना 1978 में हुई थी।...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह अपनी सीट पर नहीं हैं और आपका संरक्षण प्राप्त है इनको।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपके शिक्षा राज्य मंत्रीजी कहां बैठे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपका संरक्षण प्राप्त है इनको। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अपने शिक्षा राज्य मंत्रीजी को तो बताओ, वह कहां है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह तो अपनी ड्यूटी के अनुसार दोनों मंत्रीजी साथ हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उनको अपनी जगह से बोलना है।..(व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां बोलेंगे वहां, पर ऐसा नहीं हो सकता कि प्रतिपक्ष के नेता के संरक्षण में यह कुछ भी बोलते रहें।..(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठें-बैठें नहीं बोलें।

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं SCERT जो उदयपुर में स्थापित है। यह संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अकादमिक कार्य करती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति: माननीया, अब आप समाप्त करें।

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं पहली बार बोल रही हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलो न फटाफट।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास: महिला बोले तो आप थोड़ा रिलक्सेशन दिया करो।

श्री सभापति: पूरा रिलक्सेशन है, आप तो बोलो।

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण): इस संस्था के द्वारा काफी वहां काम होते हैं और इस संस्था ने पूरे भारतवर्ष में एक अपनी पहचान बनायी है। यह संस्थान एक जान है और मेरा यह निवेदन है कि इस संस्था को उदयपुर में यथावत रखा जाए। यह मेरा माननीय मंत्री महोदय से, हमारी

(श्रीमती वन्दना मीणा)

यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस संस्था को उदयपुर में ही रखा जाए, वहां से जयपुर नहीं लाया जाए। यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए बहत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद, धन्यवाद। श्री महादेव सिंह खण्डेला।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर आज सदन में जो चर्चा हो रही है उसमें अपने आप को सम्मिलित करता हुआ निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। सभापति महोदय, आज गांवों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार और मां-बाप की अपने बच्चों के प्रति जो पढ़ाने की भावना है वह बहुत ज्यादा तेज गति से आगे आ रही है। पहले गांवों में अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए कोई नहीं भेजता था लेकिन आज हर मां-बाप की मंशा है कि हमारे बच्चे और बच्चियां साथ-साथ स्कूल में जाएं और शिक्षित हों लेकिन गांवों में माध्यमिक शालाएं और उच्च माध्यमिक शालाओं का बहुत बड़ा अभाव है। शहरों में आने-जाने के लिए बच्चियों के लिए साधन नहीं हैं, बच्चे तो फिर भी किसी तरह से जाएं लेकिन दूरदराज की बच्चियों के माता-पिता दूर शहरों में आने-जाने के साधन के अभाव में इनको भेजने में बहुत ही ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी बच्ची किस साधन से जायेगी लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब की बार हमारे बजट में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए और माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए प्रस्ताव ही नहीं रखा गया है।

मेरा इस मौके पर सम्माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा माध्यमिक शाला और ज्यादा से ज्यादा उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की कृपा करें जिससे गांवों के बच्चे और बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का मौका मिले। मैं तो इस समय यह कहूंगा कि हर पंचायत हैडक्वार्टर पर कम से कम उच्च माध्यमिक विद्यालय तो अवश्य हो। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय तो जरूर हो लेकिन इसके साथ-साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि उप-खण्ड स्तर पर, तहसील स्तर पर यदि महिलाओं का कॉलेज भी आप बनायें तो हमारे बालिकाओं को पढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा।

(श्री महादेव सिंह)

सभापति महोदय, पूर्व में भी जितने स्कूल क्रमोन्नत किये गये थे उनमें भी आज अध्यापकों का बहुत बड़ा अभाव है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गांवों में बच्चों को शिक्षा देने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा विद्यालय क्रमोन्नत करें और जो क्रमोन्नत अभी आपने किये हैं उनमें अध्यापकों की पूर्ति करवाएं। क्रमोन्नत तो आपने किये हैं कुछ जगह लेकिन आज बहुत सी स्कूलों में प्रधानाध्यापक है तो बाकी स्टॉफ नहीं है। यदि एक पी.टी.आई. और एक प्रधानाध्यापक है तो स्टॉफ के और अध्यापक नहीं हैं। गांवों में अध्यापक जाना पसंद नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहां सब्जैक्ट के टीचर भी नहीं मिलते हैं। गणित पढ़ाने के लिए हिन्दी का अध्यापक जा रहा है और विज्ञान पढ़ाने के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्यापक जा रहा है। सभापति महोदय, एक रोज की बात है, एक अध्यापक से चलाकर मैंने पूछा, वह अध्यापक तो विज्ञान का था और हिन्दी पढ़ा रहा था, मैंने पूछा कि साकेत के लेखक कौन हैं, कामायानी के लेखक कौन हैं तो उन्होंने दोनों का ही नाम तुलसीदासजी बताया। सत सैया के लिए मैंने पूछा, बिहारी की सत सैया जिसके कि

'सत सैया के दोहरे, ज्यूं नाव के तीर,

देखन में छोटे लगे और घाव करे गम्भीर'

उस सत सैया के बारे में उन्होंने कहा कि इसके कवि मैथलीशरण गुप्त हैं। तो मेरा आपसे इस मौके पर यह निवेदन करना है कि आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी को यह आदेश दें कि जिस स्कूल में जिस सब्जैक्ट के अध्यापक की जरूरत हो उसी सब्जैक्ट के अध्यापक को वो लगाये जिससे विद्यार्थियों को सही शिक्षा मिल सके।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों की नियुक्ति में भी आपने दोहरा मापदण्ड अपनाया है। कुछ लोग को नियमित वेतन शृंखला में आपने वहां अध्यापक बना रखा है लेकिन बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने कोर्ट से स्टे लिया और कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दे दिया उसके बावजूद भी आज तक उनको नियमित वेतन शृंखला अध्यापक की तनख्वाह नहीं दी जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे अध्यापक कुंठित हो रहे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए जिससे वो बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें।

(श्री महादेव सिंह)

शिक्षा के बजट में जो प्राथमिक विद्यालयों का बजट था उसके अन्दर आपने अध्यापकों को नियुक्ति दी लेकिन जो अध्यापक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे उनको आपने उच्च माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में डेपुटेशन कर दिया जिससे प्राथमिक विद्यालय के अन्दर स्थान रिक्त हो गये और उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने शिक्षा के आधार पर, उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर बड़ी स्कूलों में डेपुटेशन तो कर दिया लेकिन प्राइवेट स्कूलों के अन्दर अध्यापकों की पूर्ति करवाएं जिससे हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की पूर्ति हो सके।

माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो शहरों में तो एक-एक स्कूल में एक-एक सब्जैक्ट के दो-दो, तीन-तीन अध्यापक बैठे हैं और अगर उनकी नियुक्ति भी नहीं है तो बाहर गांवों में लगे हुए अध्यापक भी डेपुटेशन करवा कर के शहरों में आ जाते हैं और गांवों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए अध्यापक नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों की स्कूलों में अध्यापक की पूर्ति करवाएं और शहरों के अन्दर जो ज्यादा अध्यापक बैठे हुए हैं उनको गांवों की तरफ लगाने की कृपा करें।

आपने पैराटीचर्स के बारे में जब आपकी सरकार नहीं थी तब आपने पैराटीचर्स के बारे में नियमित वेतन शृंखला देने का तय किया था लेकिन जब सरकार बन गयी उसके बाद नियमित वेतन शृंखला न देकर आपने उनको पुलिस से पिटवाया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): महादेवजी, एक मिनट।

सभापति महोदय, राजस्थान की गोरवशाली परम्परा के रूप में इन अतिथियों का वैसे तो हम सम्मान करते हैं लेकिन जो काला विधेयक झारखण्ड की विधान सभा में पारित कर के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास इन्होंने किया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और राजस्थान की सरकार इस रूप में पाप की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ××× ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, माननीय सदस्य

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है । माननीय सदस्यों से निवेदन है अपने राजस्थान की परम्परा रही है अतिथि देवो भव: ।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप इस प्रकार से उत्तेजना में न बोलें और आप बीच-बीच में खड़े नहीं होवें । आप बिराज जाएं ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऑन ए पाइंट आफ आर्डर ।

श्री सभापतिः बैठे-बैठे नहीं ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप खड़े हैं तो मैं बैठा ही रहूंगा ।

श्री सभापतिः बोलिए क्या है पाइंट आफ आर्डर ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसीलिए मैंने कहा है पाइंट आफ आर्डर ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रमेश खींची (कठूमर): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री सभापतिः माननीय सदस्यगण अंकित नहीं हो रहा है आप विराजें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री सभापतिः माननीय राजसमंद से आने वाले सदस्य से मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार उत्तेजना में नहीं बोलें । आप बार-बार अपनी कुर्सी से खड़े नहीं होवें, आसन पैरों पर है ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजें। यह राजस्थान का सर्वोच्च सदन है शालीनता से पेश आएं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा। आप बार-बार बीच में खड़े नहीं होवें। आप विराजें। आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है?

व्यवस्था का प्रश्न

आसन से 'अंकित नहीं हो' आदेश व माननीय सदस्यों के बोलने का अधिकार

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि कोई भी माननीय सदस्य यहां पर अपने विचार रखता है आपकी इजाजत से उनको अंकित न हो वही होता है जो असंसदीय होता है । इसलिए कृपा करके जो माननीय सदस्य बोलें, यदि किसी मंत्री को उसका जवाब देना है जवाब दे दे लेकिन जो बोलने की हमारी स्वतंत्रता है उसके ऊपर आघात नहीं होना

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

चाहिए। इसके ऊपर मेरा आपसे निवेदन है अंकित वही शब्द नहीं होगा जो असंसदीय होगा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, कैसे बोल सकते हैं ? नियमों में बोलेंगे ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लेकिन जो संसदीय मर्यादाओं के अनुसार बोलते हैं उनके शब्दों को आप अंकित न हो, कर दें यह मैं उचित नहीं मानता हूं इस पर आप पुनर्विचार करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अंकित क्या खड़े भी नहीं होंगे, आसन की बिना इजाजत के कोई खड़ा ही नहीं हो सकता।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बिना आसन की इजाजत के खड़ा होना उचित नहीं है । आसन की बिना आज्ञा के बोलना उचित नहीं है । आपने न तो मेरे से परमीशन ली और बिना बात जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं और नियम और प्रक्रिया बनी हुई है उसके आधार पर आप आइये ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पाइंट आफ आर्डर पर ...

श्री सभापतिः काहे का पाइंट आफ आर्डर, कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं कहा बीच में यूं ही खड़े हो गये वह । कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं था और आपने बीच में ...(व्यवधान) आप बार-बार खड़े नहीं होंगे । माननीय महादेव सिंह खण्डेला ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं । माननीय सभापतिजी, एक मिनट यह प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, पाइंट आफ आर्डर भी और जिन बातों पर ...

श्री सभापतिः इसलिए आपका पाइंट आफ आर्डर रिजेक्ट किया जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मुख्य सचेतकजी, पाइंट आफ आर्डर डिसाइड कर दिया। फरमा दिया कि कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है । माननीय सदस्य को बोलने के लिए कह दिया इसलिए ख्वाम ख्वाह बोल रहे हैं ।

मांग संख्या—24 पर विचार

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आपकी सरकार बनी उससे पहले आपने पैराटीचर्स को नियमित वेतन देने का वादा किया था लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बाइस हजार पैराटीचर्स और उनके परिवार का एक अहम सवाल है जिनको आपने नियमित वेतन तो दिया ही नहीं और पुलिस वालों से पिटाई करवाई । मेरा इस मौके पर आपसे निवेदन है कि इन बाइस हजार पैराटीचर्स को नियमित वेतन दिलवाने की कृपा करें। मैं इस मौके पर आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि अध्यापकों के द्वारा शैक्षणिक कार्य के अलावा और भी अनेक कार्य ऐसे करवाए जाते हैं जिससे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत कम समय दे पाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब भी और अन्य सरकारी कामकाज में अध्यापकों को लगाएं तब स्कूलों में भी अध्यापकों का बंदोबस्त करके ही अन्य कार्यो पर लगवाएं जिससे विद्यार्थियों का कोर्स पूरा हो सके और उनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मिल सके। मैंने शुरू में भी कहा था कि आज हमारे गांवों में बच्चियां पढ़ने के लिए दूर दराज के गांवों में जाती हैं । बालिका शिक्षा को अगर बढ़ावा देना है तो ज्यादा से ज्यादा गांवों में माध्यमिक शाला और उच्च माध्यमिक शाला खोलें और उप तहसील, तहसील और उप खण्ड स्तर पर बालिका महाविद्यालय बनवाएं । मेरा इस वक्त निवेदन है कि श्री श्री 1008 श्री विशम्भरजी बाबा महाराज बालिका महाविद्यालय होद को इसी वर्ष खोलने की कृपा करें जिससे श्री माधोपुर और खण्डेला के आसपास की बच्चियों को पढ़ने का मौका मिले ।

सभापति महोदय, हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में शिक्षाविद् डा. राधाकृष्णन राष्ट्रपति रहे हैं और वर्तमान में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. अब्दुल कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति हैं । इसीलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे इलाके में जाजोत, दादियारामपुरा, आबावास, कोटिदालाना इन बड़े-बड़े गांवों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलवाएं और पनियारास, गंगासागर, कासरडा इन गांवों में माध्यमिक विद्यालय खुलवाएं।

श्री सभापति: अब आप कन्क्लूड करें।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री भंवरलाल राजपुरोहित। श्री एन एस गुर्जर।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए तो बहुत धन्यवाद । मैं दस मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा।

शिक्षा के ऊपर यदि हम प्रारम्भ से ही ध्यान देते तो आज हमको शिक्षा के ऊपर बहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभापति महोदय, देश की आजादी के दस साल बाद 1960 तक यदि हम एजुकेशन का टार्गेट पूरा कर लेते तो देश की तस्वीर आज दूसरी होती। 1986 में शिक्षा नीति आने के बाद और ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत के लिए आवश्यक हो गया कि यहां साक्षरता बढ़े क्योंकि जब तक कोई भी देश शिक्षित नहीं हो सकता तब तक वह विकसित भी नहीं हो सकता । हम विकसित राष्ट्र नहीं हैं, विकासशील राष्ट्र हैं। इसलिए विकसित राष्ट्र बनने के लिए, डवलपिंग कंट्री की जगह डवलप्ड कंट्री बनाने के लिए आवश्यक है कि केन्द्र सरकार ने भी राज्य सरकारों ने भी शिक्षा के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया । मुझे खुशी है कि उसके बाद चाहे इनकी सरकार रही हो चाहे हमारी सरकार रही हो, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, उत्तरोत्तर धीरे-धीरे बजट में वृद्धि होती गयी। यह अलग बात है कि हमारे समय, उस समय जब हम सरकार में थे तो हम कोई नयी योजनाएं लाये, ऐसा नहीं है, कोई आसमान से लाये । हम भारत सरकार के थ्रू बाहर से जो विदेशों से धन आ रहा है उसके थ्रू शिक्षा में आंकड़े मैं नहीं देना चाहता। औसत वार्षिक बजट इनका करीब 344 करोड़ रहा और हमारा 533 करोड़ औसत वार्षिक बजट पिछले दो साल में रहा। इनका कम रहा। इसका कारण अब यह कहेंगे कि केन्द्र सरकार बहुत पैसा दे रही है। यह सही है लेकिन केन्द्र सरकार कहां से ला रही है और केन्द्र सरकार कौनसा इतना ज्यादा पैसा दे रही है। उसमें स्टेट का शेयर भी देना पड़ता है। मुख्य रूप से शिक्षा का विस्तार क्यों हुआ ? शिक्षा का विस्तार होने के दो कारण हैं। यह कोई अकेले राजस्थान में ही हम नहीं, राजस्थान में हमने थोड़ा अधिक शिक्षा का विस्तार किया तेजी से। केरल का हम आज भी मुकाबला नहीं कर पाये। कई राज्य ऐसे हैं जो हमसे बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय बहुत लगेगा। कई राज्य हमारे से पीछे, कई राज्य आगे हैं लेकिन वास्तव में राजस्थान में 1993 के बाद में जो शिक्षा में क्रान्ति आयी है, 1991 की जनगणना के आधार पर हमारा जो साक्षरता का प्रतिशत था वह एवरेज 38 परसेंट था। महिला साक्षरता तो 20 प्रतिशत थी और जब 2001 की जनगणना आयी तो यह साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर महिला साक्षरता में 20

से बढ़कर 47-48 परसेंट के आस पास पहुंच गया। राष्ट्रीय औसत 54 प्रतिशत था महिलाओं की साक्षरता का। पुरुष साक्षरता और जनरल साक्षरता, कुल मिलाकर करीब स्त्री और पुरुष दोनों की 38 प्रतिशत से बढ़कर राजस्थान में 65 परसेंट के ऊपर हो गयी और पुरुष साक्षरता में तो हम राष्ट्रीय औसत को भी पार कर गये। राष्ट्रीय औसत पुरुष साक्षरता में 75 प्रतिशत, हम लोग 76 प्रतिशत के पास पहुंच गये।

सभापति महोदय, साक्षर तो हम होते जा रहे हैं और चूंकि यह दो योजनाएं आयीं। डी.पी.ई.पी. और सर्व शिक्षा अभियान, यह दोनों योजनाएं ऐसी आयी जिसके कारण राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा। अब यह कहेंगे कि केन्द्र सरकार से बहुत पैसा मिला। आपने भी लगाया लेकिन केन्द्र सरकार से इतना पैसा मिल गया, कई भाषण में बोलेंगे और बोले भी थे। जिस दिन एक्स फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे थे यहां तो मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं वह आया कहां से ? डी.पी.ई.पी. में तो वर्ल्ड बैंक, एक यू.के. की संस्था और यूनिसेफ आपको पैसा दे रही है और सर्व शिक्षा अभियान में वर्ल्ड बैंक, वही यू.के. की संस्था, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन मिशन आपको पैसा दे रहा है। उस पैसे में हर स्टेट को, जितना स्टेट अपना शेयर मिलाकर, मैचिंग ग्रांट मिलाकर ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको उतना ही ज्यादा प्रतिशत मिल रहा है। एक फार्मूला बना हुआ है। इसके तहत राजस्थान को सर्व शिक्षा अभियान में ए ग्रेड मिला जिसके कारण राजस्थान को ज्यादा पैसा मिला। यह कोई मेहरबानी नहीं है केन्द्र सरकार की। सभी स्टेट के लिये एक फार्मूला बना हुआ है और मुझे खुशी है कि जिस समय नरसिंहा रावजी प्राइम मिनिस्टर थे, राजस्थान में हमारी सरकार थी। प्राइमरी एजुकेशन मेरे पास थी, उस समय मैं भी मंत्री था। डी.पी.ई.पी. में केवल तीन स्टेट उन्होंने सलेक्ट की। आन्ध्र प्रदेश, एक कोई और स्टेट थी और उसमें राजस्थान को उन्होंने सम्मिलित किया था राजस्थान की परफोरमेंस को देखकर। उस समय सबसे पहले हमने दो किलोमीटर से ढाई किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल खोलने की योजना बनायी थी और हमने खोले। आज वह घट करके एक किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल हम खोल रहे हैं। मुझे खुशी है, मैं बधाई देना चाहता हूं मंत्रीजी बैठे हैं। इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं। एक किलोमीटर पर हमने स्कूल खोलना शुरू कर दिया। हमारे पास स्कूल भवन नहीं होते थे, भवन बनाना शुरू कर दिया। शिक्षक कम होते थे, शिक्षकों

(डा. एन. एस. गुर्जर)

की नियुक्तियां ज्यादा करना शुरू कर दिया, प्रारम्भ कर दिया। मैं आंकड़े नहीं देना चाहता क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जायेगा। यह सब क्यों हुआ ? देश के अन्दर ग्लोबलाइजेशन के बाद एक आवाज चली कि अगर विकसित राष्ट्र बनना है हमको तो मेन पावर जो यूज करना है, मेन पावर, आज हम आर्थिक शक्ति, विश्व में चौथे नम्बर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आये हैं आज। किसकी गलत नीति थी ? हम 40 साल तक क्यों नहीं बना पाये ? 50 साल तक क्यों नहीं बना पाये ?

1990 के पहले समाजवाद के रास्ते पर आप चले और आपने भारत के चारों तरफ चीन की दीवार की तरह बंद रखा। आपने टाटा, बिड़ला की गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी हिन्दुस्तान में बनने ही नहीं दी। आपने एजुकेशन गरीबों तक पहुंचने ही नहीं दी ताकि वह अन-एजुकेटेड रहें। आपने केवल कह कर कि विकास का मांडल समाजवाद है और ज्योंहि ग्लोबलाइजेशन आया, इसमें मैं कोई मेरी पार्टी को ही श्रेय नहीं देना चाहता, इसमें आपकी पार्टी के भी कई माननीय सदस्यों का योगदान है। नरसिंहाराव जी को मैं याद करना चाहूंगा, मनमोहन सिंहजी अब हैं उनको याद करना चाहूंगा, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा और ऐसे कई लोग हैं जो उस समय पार्टी से ऊपर उठ कर राष्ट्र के बारे में सोचते रहे। उन्होंने विश्व के परिदृश्य को देखकर नयी-नयी योजनाएं शुरू की। आज यह उसका परिणाम है कि चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत विकसित हुआ है। कोई ताज्जुब नहीं, वह दिन दूर नहीं जिस दिन जापान को पीछे छोड़कर हम विश्व में तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़े होने वाले हैं। यह बहुत जल्दी होने वाला है। इसलिये हमारे देश के लिये जरूरी हो गया कि हम शिक्षा पर जोर दें और यही कारण है कि चाहे प्रदेश हो, चाहे केन्द्र सरकार हो... **(मोबाइल घंटी)**

श्री सभापति: मोबाइल किसका बोल रहा है ? मोबाइल लाकर रख दो यहां। यह अच्छी बात नहीं है। आप सभी माननीय सदस्यों से कहा हुआ है कि मोबाइल बंद करके फिर एंटर हों।

(माननीय सदस्य श्री भंवरलाल राजपुरोहित ने मोबाइल सदन पटल पर रखा)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): सभापति महोदय, तो यह जरूरी हो गया कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिये शिक्षित होना बहुत जरूरी है। केन्द्र सरकार का भी जोर है। शिक्षा नीति आयी। केन्द्र सरकार का भी जोर, राज्य

(डा. एन. एस. गुर्जर)

सरकारों का भी जोर, विदेशों की सहायता कुछ भी करना पड़े लेकिन एक बार सबको साक्षर किया जाए।

सभापति महोदय, लेकिन मैं यहां एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम भूल गये हैं हमारी पुरानी परम्पराओं को। साक्षरता के साथ हम संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। हम केवल साक्षर तो कर रहे हैं। साक्षरता की हम दर तो बढ़ा रहे हैं, साक्षरता की तरफ बढ़ा रहे हैं लेकिन संस्कारहीन शिक्षा, यह भी देश में फैल रही है, मैं आपसे चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हैं, विवेकानन्दजी, हमारे भारत को विश्व गुरु किस रूप में माना जाता था? विश्व गुरु भारत को इसीलिये माना जाता था कि यहां शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हमारे यहां दी जाती थी और इसलिये कहते तो यह भी हैं कि ईसा मसीह भी भारत के अन्दर आये थे, अभी रिसर्च नयी-नयी हुई है, वह भी भारत में आकर रहे थे। ऐसे-ऐसे लोगों ने उस समय भारत में आकर शिक्षा ग्रहण की और धीरे-धीरे हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गयी। यही कारण था कि उस समय हम लोगों ने शिक्षा का इतना उच्च स्तर, इतने उच्च स्तर पर ले गये कि गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, संस्कारों पर जोर रहता था, मानवता पर जोर रहता था और हम लोग भारत विश्व गुरु इसलिये कहलाता कि शिक्षा उच्च गुणवत्ता वाली, उसका आधार जो था वह नैतिकता था, मानवता था। संयम, समन्वय और संस्कारों पर आधारित शिक्षा थी इसलिये हमारी शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि हर देश हमारी शिक्षा के सामने नत मस्तक होता था। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम भौतिक युग में प्रवेश कर रहे हैं। आज हमें बहुत पीड़ा होती है जब हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि फलां स्कूल का अध्यापक बालिका के साथ कुकर्म कर रहा था। फलां स्कूल का अध्यापक शराब पीकर स्कूल के अन्दर आ गया और छात्रों की पिटाई की। जब गुरु की यह स्थिति हो जाए तो विद्यार्थी, पढ़े-लिखे विद्यार्थी, जो यह अपराधी पकड़े जाते हैं।

(समय : 17.39 बजे)

(श्री रामनारायण, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पता लगता है यह शिक्षित बेरोजगार है । किसी ने चोरी करना शुरू कर दिया, किसी ने डाका डालना शुरू कर दिया, किसी ने कार चुराना शुरू कर दिया, किसी ने मादक पदार्थों की तस्करी करना शुरू कर दिया है, तो यह संस्कारहीन शिक्षा का परिणाम है। यदि उन व्यक्तियों को ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उनके सामने बोलो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके सामने नहीं, मैं उपाध्यक्ष महोदय से ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जब आप यह जानते हो कि किधर बोलना है तो उधर क्यों जा रहे हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप ही आसन को संबोधित नहीं करोगे तो कौन करेगा?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आसन को संबोधित करके ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): कहां कर रहे हो ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): रिकार्ड उठाकर देख लो ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मुंह से उधर है, एन.एस. गुर्जर साहब की तरफ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): रिकार्ड यह है कि मैं आसन से संबोधन कर रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो डाक्टर एन.एस. गुर्जर का जो धारा प्रवाह भाषण चल रहा था और वह आपको कुछ अखरने लगे थे क्योंकि नैतिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा में मूल्य सरकार स्थापित नहीं कर रही है इसलिए आप खड़े हो गये ।

श्री उपाध्यक्ष: गुर्जर साहब और इनका व्यक्तिगत मामला है।आप क्यों बीच में खड़े हो गये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं तो कारणों में जाना चाह रहा था कि यह जो गिरावट आयी है वह फिल्मी जगत से आयी है। फिल्मी जगत में माननीय सदस्य काफी सक्रिय रहते हैं । यदि यह थोड़ा सा फिल्मी जगत में प्रवेश कर जाये नैतिक शिक्षा ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह क्या बोलेंगे यह गाइड आप नहीं कर सकते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरी तो यह प्रार्थना है कि उनका काफी प्रभाव है फिल्मी जगत में इसलिए वह नैतिक शिक्षा का उसमें प्रवेश करवा दें तो बच जायेगा...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): उपाध्यक्ष महोदय, सदन का 25 प्रतिशत समय...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी आप फिल्म सिटी क्यों बनाना चाह रहे हैं । अगर फिल्मों से ही गिरावट पैदा हुई तो फिर यह बड़ी गिरावट क्यों कर रहे हैं आप यहां । फंस गये आप ही ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा युवा संस्कारहीन शिक्षा के कारण से, मैं कोई एक की बात नहीं कर रहा हूं । हमें उस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा । सबको बैठकर के हमारे शिक्षाविदों को विचार करना पड़ेगा कि इस संस्कारहीन शिक्षा के कारण वह भौतिकता की अंधी दौड़ में शामिल हो गया है । जो डवलप कंट्रीज हैं, वह भौतिकतावादी हो गये और आज वहां से परेशान होकर के हमारे योगा की तरफ लौट रहे हैं । आज हमारी तरफ देख रहे हैं और हमारे युवा भी उसी भौतिक अंधी दौड़ में शामिल हो गये हैं । आज वह केवल पैसे के लिए सब कुछ करने पर उतारू हो गये हैं । अपराध जगत में प्रवेश कर गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हमें वापस हमारे विश्व गुरु होने के जो कारण थे उनको खोजना होगा और शिक्षा व्यवस्था में एक आमूल परिवर्तन करना होगा और आमूल परिवर्तन के लिए हमारे ऋषि-मुनियों ने, हमारे शिक्षाविदों ने कई दिशा-निर्देश दिये हैं। महात्मा गांधीजी ने शिक्षा के बारे में कहा, उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि किस तरह से शिक्षा हमको दी जानी चाहिए । इतने सारे विद्वान लोग हैं और विद्यार्थियों के जो एक तरह से मॉडल माने जाते हैं विवेकानंदजी, उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा कि थ्री एच पर आधारित शिक्षा दी जाये । यह थ्री एच पर आधारित शिक्षा क्या है। उन्होंने कहा कि थ्री एच का मतलब है हैड, हैंड तथा हार्ट, उनका मतलब था कि बुद्धि को तीक्ष्ण करें, बुद्धिजीवी बनायें, हैड का मतलब बुद्धिजीवी, बुद्धि को धारदार बनायें, यह शिक्षा दी जाये । हैंड का मतलब जो आपको रोजगार प्रदान करे वह शिक्षा दी जाये और हार्ट का मतलब है कि जो नैतिकता और मानवता पर आधारित हो । जो समन्वय और संयम पर आधारित हो । यह शिक्षा दी जाये। हार्ट का मतलब फीलिंग्स हैं। व्यक्ति की फीलिंग्स ही मर जायेंगी तो व्यक्ति ही

(डा. एन. एस. गुर्जर)

मर जाता है । राष्ट्र की फीलिंग्स मर जाती है तो राष्ट्र मर जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम शिक्षा का विस्तार तो कर रहे हैं लेकिन इस विस्तार के साथ हमें शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करते समय शिक्षा मंत्रीजी बोल रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में सब कुछ समाविष्ट है। यदि हम उन पर शोध करें, उन्हें रिवाइव करें और शिक्षा में कुछ आमूलचूल परिवर्तन कर सकें तो देश का नक्शा बदल जायेगा और जो हम आज केवल इस मैन पावर के आधार पर भारत आज मजबूत बन गया है। जो पहले हमारा नेगेटिव पाइंट समझते थे, जो हमारी जनसंख्या वह ही आज हमारा पाजिटिव पाइंट हो रहा है। यहां पर बाजार इतना बड़ा हो गया है। यहां पर मैन पावर इतनी ज्यादा हो गयी है। आज विकसित राष्ट्रों में एक समस्या हो गयी है उनको मैन पावर नहीं मिल रही है इसलिए आज चीन क्यों मजबूत हुआ। भारत की तरफ क्यों बार-बार कभी आस्ट्रेलिया आता है, कभी अमेरिका आता है, कभी रूस आता है, कभी चाइना हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। फोरेन इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है? because of this manpower. इसलिए इस मैन पावर को जब तक हम ट्रेंड नहीं करें, शिक्षित नहीं करेंगे और उनमें सिविक्स पैदा नहीं करें हम साक्षर तो कर पायेंगे लेकिन सिविक्स सेंस का मतलब यह है कि हम चाहे जहां कचरा डाल देंगे, जहां चाहेंगे हम सड़क को तोड़ देंगे, जहां चाहें हम पानी बहा रहे हैं तो बहाना देंगे, सिविक्स सेंस का मतलब है कि हमारा जो संसाधन उपलब्ध है उनका दुरूपयोग नहीं सदुपयोग करें आप और सरकारी संपत्ति को स्वयं की संपत्ति समझें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे पढ़े-लिखे युवा भी आज वह चाहे कोई भी हों, मैं देखता हूं कि सरकारी संपत्ति को ऐसा समझते हैं कि जैसे दूसरे की संपत्ति है। यह सिविकस सेंस में आता है । इसलिए मैं समझता हूं कि सफाई से नहीं रहते हैं, बीमारियां फैलती हैं। आज यह अपराध बढ़ रहें, शिक्षित बेरोजगार अपराध कर रहे हैं क्योंकि उन को मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा नहीं मिली है । इसलिए इतना पैसा लॉ एंड आर्डर पर ज्यादा खर्च हो रहा है । यदि हम थोड़ा सा डाइवर्ट कर दें तो हमारा बहुत सारा पैसा जो लॉ एंड आर्डर पर खर्च हो रहा है। जो हमारा हास्पिटल पर खर्च हो रहा है, बीमारियों में, बीमारियों की दवा देने में यह सारा का सारा पैसा बचेगा ।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्रीजी आप बहुत योग्य हैं, अनुभवी हैं। हम साथ-साथ बहुत बार विधान सभा में रहे, आप प्रोसीजर भी जानते हैं। विभाग पर पकड़ भी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी चाहती हैं कि शिक्षा में बहुत अच्छा सुधार हो आप मूल्य के आधार पर ऐसी व्यवस्था करिये कि शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ जो मैंने सुझाव दिये हैं यह सब चीजें भी उसमें सम्मिलित हों तो आप राज्य का बहुत बड़ा भला कर देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं है कि आज हम नजारा देखते हैं विधान सभाओं के अंदर, यह क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, शर्म आती है कहते हुए, अभी मैंने किसी नगर निगम का नजारा देखा टी.वी. पर, वहां पर विधान सभा की तरह नारे लग रहे थे। महापौर बजट प्रस्तुत कर रहे थे। नारे लग रहे हैं । मैं बता रहा हूं, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं बहुत। यहां वैल में आकर के नारे लगाना, हर बात पर यहां धरना देना, गलत, ओछे शब्द प्रयोग करना, चाहे अनपार्लियामेंट्री नहीं होंगे लेकिन ऐसे शब्द विधान सभा में आप बोलेंगे जो दूसरों को अच्छे नहीं लगे । जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह स्थिति क्यों है । यह शिक्षा में कहीं न कहीं कमजोरी रही है। उसमें से कक्षाओं के अंदर जा रहे हैं वह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़े होंगे। कोई अच्छा गुरु नहीं मिला होगा। कहीं आपको मानवीय आधार पर संस्कार युक्त शिक्षा नहीं मिली होगी। यह उसका असर झलकता है हाउस के अंदर।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय सदस्य, आप बुरा नहीं मानेंगे। उस समय आप मंत्री थे, उस समय हम एम.एल.ए. हुआ करते थे। आप कहते थे टाइम कम है, मंत्री बनने के बाद में टाइम शोर्ट हो जाता है और बाद में बुद्धि ठीक होती है तो समय निकल जाता है। इसलिए मैं माफी चाहूंगा कि आप उनको ज्ञान दें। आप भी ऐसे ही करते थे और समय निकल जाता है। समय की प्रतीक्षा नहीं करें। प्रशिक्षण दिलवाये, प्रशिक्षण में आप इंटेलीजेंट हो। लेकिन जब आप बने थे तो मेरे को कहते थे कि समय नहीं है यार, कहां बात करते हो। समय कम हो जाता है इसलिए हम भी उस क्लास में नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप आदमी इंटेलीमेंट हो पर समय कम था आपके पास ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आपकी बड़ी विद्वतापूर्ण सलाह के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । ऐसा विद्वान आदमी पैदा हो जाये तो फिर तो सारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हो जायेगा ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हो जायेगा, अपने आप ही हो जायेगा । इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छी सलाह दी । बाकी लोगों को भी आपकी सलाह देना उचित होगा और उस दिन होते तो यह हाउस में नौबत ही नहीं होती।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): इन्होंने माना नहीं, यह मानते नहीं थे । नारे लगाते थे, यह कहते थे वह गॉड है । यह भी गॉड के नारे लगाते थे । मानते नहीं थे यह भी । मैं भी यही बराबर कहता था कि गॉड मत कहो, काम की बात करो पर सुनते नहीं थे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब उनकी सलाह मानने के बाद में क्या रह गया कहने के लिए?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, एक बात रह गयी है । कहने के लिए थोड़ा बहुत तो रह ही गया है मेरे पास । ऐसी बात है इर्रेलेवेंट बोलूं तो रोक देना आप । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए कहा है "It is a mind..." मैं सारे सदन के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि हम राजनीति में है, सरकार भी बनाना चाहते हैं । सत्ता भी प्राप्त करना चाहते हैं । कभी-कभी विरोध में भी रहते हैं । रूल भी करना चाहते हैं । लेकिन रूल का कायदा है ''It is a mind which rules not the muscle.'' यह कहा गया है ''It is a mind which rules not the muscle."

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा खुलकर के बताओ । समझें न, इट इज क्या कहते हो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हां, हां बता रहा हूं, बिराजें । उपाध्यक्ष महोदय, ''It is a mind which rules not the muscle." यह बुद्धि है, यह दिमाग है जो शासन करता है, शरीर नहीं, शारीरिक ताकत नहीं। इसलिए आज हमारे से वन थर्ड पापुलेशन है लेकिन आज वर्ल्ड में कंट्रोल कर रहा है । किसके आधार पर? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां नीतियां बनती है विश्वविद्यालयों में और लागू करती है सरकार।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अमरीका तो खोपड़ियां खरीद रहा है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप भी वहां चले जाएं तो बहुत अच्छा हो, आपका भी उपयोग कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी वहां चले जाएं तो आपकी बुद्धि का फायदा भी वे उठा लें।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हम शिक्षित तो करते जा रहे हैं लेकिन दीक्षित नहीं कर रहे। पहले हमारे यहां शिक्षा के बाद दीक्षा दी जाती थी, शिक्षा के साथ-साथ दीक्षा भी दी जाती थी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। श्वेतकेतु, एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, ऋषि उद्दालक के पुत्र। जब वह पढ़कर आए तो उन्होंने कहा पिताजी, मैं दर्शन शास्त्र में गोल्ड मैडलिस्ट, विज्ञान में गोल्ड मैडलिस्ट, गणित में गोल्ड मैडलिस्ट, ज्योतिष में गोल्ड मैडलिस्ट, यह-यह इसमें गोल्ड मैडलिस्ट। लेकिन पिताजी ने जब सारे गोल्ड मैडल देखे, उसके बाद उन्होंने कहा कि वापस जाकर शिक्षा ग्रहण करो। उन्होंने कारण पूछा। उन्होंने कहा कि तुम शिक्षित तो हो गए लेकिन दीक्षित नहीं हुए हो, इसलिए वापस जाओ और शिक्षा दुबारा ग्रहण करके आओ। वह वापस गए और वापस, उस समय कोई जाति नहीं हुआ करती थी, उन्होंने एक एक्जेक्ट वर्ड यूज किया, वह मैं यहां बोलना नहीं चाहूंगा, वरना कोई आपत्ति करे। लेकिन इतिहास की बात है इसलिए मैं उसको ज्यादा एलेबोरेट नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा, दीक्षा ग्रहण करके आओ और दुबारा, पुन: पढ़कर आओ। कहा मैं गोल्ड मैडलिस्ट तो हूं इतने सब्जैक्ट्स में उसके बाद क्या पढ़ने जाऊं? उन्होंने कहा कि जाओ, वह वापस गए और वापस आए। श्वेतकेतु, उसके बाद में बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति बने, बहुत बड़े ग्रंथ लिखे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसकी सोच डवलप होती है, उसमें एक नई चेतना डवलप होती है। और हम देखते हैं कि शिक्षित व्यक्ति, आज अमेरिका में चले जाएं, आप जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें चले जाएं, वहां हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है। वहां यदि एक होटल में बिजली चैक करने वाला व्यक्ति है या एक नल चैक करने वाला व्यक्ति है, आपको एक नल खराब नहीं मिलेगा, बिजली का एक लट्टू खराब नहीं मिलेगा क्योंकि रोज सुबह आकर वह सबको चैक करता है और यदि आपने टोक दिया कि मेरे कमरे का नल खराब है तो वह इन्सल्ट समझता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि मेरी जो ड्यूटी थी उसमें इफ एण्ड बट लग गया। आज हमारे यहां भी कोई यह जिम्मेदारी समझता है? आज हर आदमी अधिकारों की बात तो कर रहा है लेकिन कर्तव्यों के बारे में कौन सोचता है। संविधान में अधिकार भी दिए हैं, कर्तव्य भी दिए हैं लेकिन अधिकारों की हर कोई बात करता है, कर्तव्यों की कोई बात नहीं करता है क्योंकि हमने शिक्षा के अन्दर यह सब चीजें सम्मिलित की ही नहीं।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना चाहूंगा कि शिक्षा का विस्तार हो। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि 120 करोड़ की पुस्तकें इन्होंने बांटी, नए-नए टैक्नीकल सब्जैक्ट्स खोल रहे हैं, टैक्नीकल यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, कालेज बहुत ज्यादा खोल रहे हैं, बजट बढ़ा रहे हैं, शिक्षा के ऊपर, स्कूल खूब खोल रहे हैं, नई-नई भर्तियां कर रहे हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा, नए-नए आयाम स्थापित कर रहे हैं । राजस्थान में शिक्षा में, कई चीजें, कम्प्यूटर शिक्षा, एक किलोमीटर पर स्कूल और मैंने कहा सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय प्रबन्धन हेतु प्रदेश को 'ए' ग्रेड मिलना, ज्यादा कालेज खोलना, ज्यादा सब्जैक्ट्स खोलना, राजकीय एवं निजी विद्यालयों में 7447 जो यहां पर एवरेज सीटें होती हैं, इन्होंने बढ़ाकर 34 हजार सीटें की। यह कुछ अलग-अलग आइटम्स के आंकड़े मेरे पास हैं, मैं ज्यादा इनमें पड़ना नहीं चाहता।

इनके लिए तो मैं सरकार को बधाई देता हूं लेकिन इसके साथ-साथ मैनें जो सुझाव दिए हैं उन पर आप गौर करिए ताकि अपराधों में कमी हो, समाज में सुधार आए, सिविक सेंस पैदा हो, संयम, संस्कार, समन्वययुक्त शिक्षा देंगे तो एक शांतिप्रिय भारत बनेगा, शांतिप्रिय प्रदेश बनेगा फिर भारत विश्व में अपने विश्व गुरु का दर्जा पुन: प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24, शिक्षा और कला के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। अभी-अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, ने संस्कारों वाली शिक्षा के बारे में कहा। निश्चित रूप से संस्कारों वाली शिक्षा की आज हम लोगों को बहुत आवश्यकता है। यह कहीं-न-कहीं मैं मानती हूं कि मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति लागू की, आज हमारे जो युवा भटक रहे हैं, उसकी वजह से भटक रहे हैं। मैकाले ने अपने अंग्रेज अधिकारियों की सेवा के लिए, उनके सहयोग के लिए भारत में सिर्फ बाबू पैदा हो ऐसी सोची समझी चाल के तहत शिक्षा नीति बाई और उस शिक्षा पद्धति से पढे हुए हमारे युवा आज संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, उद्देश्य विहीन होते जा रहे हैं। यह उसी का कारण है उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। हालांकि समय-समय पर कई आयोग

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

बने और शिक्षा में सुधारों का पूरे देश और पूरे राज्य में वातावरण बना मगर फिर भी अभी भी संस्कारों वाली शिक्षा की बहुत आवश्यकता है।

मैं अपने पाली जिले के जाडन गांव के विश्व दीप गुरूकुल का यहां दृष्टांत देना चाहती हूं। वहां पर आए हुए महेश्वरानन्दजी, आप सभी ने भी नाम सुना होगा, बहुत ही विद्वान और गुणी साधु हैं, वे विश्व दीप गुरु कुल अभी जाडन में चला रहे हैं। वहां इसी पद्धति से, अपनी पुरानी गुरु कुल पद्धति से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है और आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार की तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा भी बच्चों को मिलनी चाहिए उसका समावेश करके उनको गुरु कुल पद्धति के संस्कार वाली शिक्षा आज भी दी जा रही है। मैं इस सदन में मांग करना चाहूंगी कि इस प्रकार के जो गुरुकुल हैं, स्वयं माननीय शिक्षा मंत्रीजी भी वहां पधारे हुए हैं, वह भी इस बारे में जानते हैं । मैं कहना चाहती हूं कि वास्तव में हमें आज ऐसे गुरूकुल की आवश्यकता है। जैसा कि टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, हमारा देश विश्व गुरु रहा है, इसी वजह से रहा है, यहां के तक्षशिला और नालन्दा विश्वविद्यालय, विश्वविख्यात रहे हैं और यहां विदेशी भी शिक्षा अर्जन करने के लिए आते थे। आज उसी गुरुकुल पद्धति को हम अपनाए तो निश्चित रूप से युवाओं में जो भटकाव आ रहा है, वह निश्चित रूप से दूर होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बालिका शिक्षा के बारे में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि बालिका शिक्षा की स्थिति राजस्थान में आज बड़ी गम्भीर है। आजादी के पूर्व बालिका शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उस समय जो स्कूलें चलती थी उनमें बालिकाओं की संख्या नगण्य थी। आज भी सरकार काफी प्रयास कर रही है फिर भी बालिका शिक्षा की ओर ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। मैं समझती हूं कि कहीं-न-कहीं ग्रामीण परिवेश में बसे हुए हमारे अभिभावकों की सोच, लड़के और लड़की में फर्क करने की, उसकी वजह से शायद बालिका शिक्षा पर कुप्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए हम सभी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं।

(समय 18.00 बजे)

हम अपने-अपने क्षेत्र में पूरे राजस्थान में घूमते हैं। अपने-अपने क्षेत्र में भी और पूरे राजस्थान में भी जाते होंगे वहां पर इस प्रकार की सोच अपने उद्बोधन में कहें कि बालिका शिक्षा के प्रति ग्रामीण क्षेत्र में जो मन:स्थिति है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है तभी मैं समझती हूं कि सरकार के

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

द्वारा जो बहुत अच्छे निर्णय किये जा रहे हैं उसमें जब तक सामाजिक सोच परिवर्तित नहीं होगी तब तक बालिका शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा।

सन् 1951 में राज्य की महिला साक्षरता दर 3 परसेंट थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 44.35 परसेंट हो गई है। राज्य में महिला साक्षरता की दर हेतु आज के समय में काफी प्रयास हो रहे हैं, मैं इसके लिए सरकार को, शिक्षा मंत्रीजी और माननीय सदन की नेता को धन्यवाद देना चाहूंगी कि कक्षा एक से स्नातकोत्तर शिक्षा को शुल्क से बालिकाओं को मुक्त रखा गया है। कक्षा एक से बारहवीं तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य में 363 राजकीय माध्यमिक और 399 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केवल बालिकाओं के लिए संचालित हैं। 14 से 17 आयु वर्ग की 5.97 लाख बालिकाएं विद्यालयों में नामांकित हैं। शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बीएड और शिक्षाशास्त्री हेतु स्वीकृत 8340 सीटों में भी 20 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा भी महिलाओं को शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 6450 सीटों पर प्रवेश हेतु विशेष महत्व दिया गया है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा संभागीय मुख्यालय पर 50-50 की क्षमता से 6 बालिका छात्रावास राज्य के 32 जिलों में से 31 जिलों में निर्मित हो चुके हैं।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा में 75 परसेंट व उससे अधिक प्राप्तांक लाने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार योजना, जो कि सन् 1997 में लागू हुई थी भैरोंसिंहजी के समय में और आज की तारीख में अब तक 10804 छात्राओं को इससे लाभान्वित किया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को नि:शुल्क बस पास की सुविधा भी हमारी सरकार ने प्रथम बार की है इसके लिए भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में चार करोड़ का बजट रखा गया है। मैं समझती हूं कि यह सब चीजें बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए हैं, मगर फिर भी सामाजिक ढांचा है, अभिभावकों की जो धारणा है उसमें भी परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है।

हमारी सरकार ने वर्ष 2005-06 में प्रारंभिक शिक्षा के अंदर 1905

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित किया, 950 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले, 1600 विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया और आगामी वर्ष 2006-2007 में 16 हजार राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। पांच हजार .. (व्यवधान) आपके पास है तो आप पढ़िए और उस पर गुणिये। मारवाड़ी में एक कहावत है ''बणियो, मगर गुणियो कोनी''। तो उसको पढ़िए और उसको गुणिये और उसको लागू करने की कोशिश कीजिए। सरकार ने तो यह सब योजनाएं प्राथमिकता के साथ लागू करने का मानस बना लिया है, आप विधान सभा सत्र खतम होने के बाद अपने क्षेत्र में जाइए और उसकी कितनी उपलब्धि आप करवा सकते हैं उसके लिए चिंतित रहिए।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आपने मानस ही बनाया है।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आप मुझे बीच-बीच में टोकिए मत। मैं समझती हूं यह आपकी संस्कारविहीन शिक्षा शैली का नतीजा है, इसलिए आप टोकते हैं। हम तो आपको बीच में टोकते नहीं। यह मैकाले की शिक्षा पद्धति है इसमें सुधार कीजिए, इसलिए ये बीच-बीच में बार-बार टोकते हैं .. (व्यवधान)

पांच हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। गांवों में आठवीं तक की स्कूल में पढ़ने से पहले ही लड़कियां ड्राप आउट हो जाती थीं, आपको भी अपनी कांस्टीट्युएंसी में परेशानी आती होगी, मेरे यहां तो परेशानी आती है। ग्रामीण इलाके में आठवीं तक हर गांव में स्कूल हो जाएगी तो वहां पर बालिकाओं के लिए सहूलियत होगी और अभिभावकों की जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन धीरे-धीरे कर सकेंगे। लड़के और लड़की में भेदभाव करने की मानसिकता है अभी भी गांवों में है, इसलिए जो भ्रूण हत्या होती है, कन्याओं की हत्या होती है वो इसलिए होती है कहीं न कहीं अभिभावकों का भी दोष होता है। इसके लिए सरकार हर जगह जिम्मेदार नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि पांच हजार स्कूलों को आठवीं में क्रमोन्नत करने का जो निर्णय सरकार ने लिया है वास्तव में मैं समझती हूं बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है उससे आठवीं तक बच्ची शिक्षा प्राप्त कर लेगी और ड्राप आउट नहीं होगा और गांवों में जो मानसिकता है कि लड़के को तो पढ़ाते हैं और लड़की को सुविधा नहीं मिली तो दूर भेजते नहीं हैं, गांव में

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

उसको आठवीं तक स्कूल मिल जाएगी ताकि कम से कम आठवीं तक की शिक्षा तो वह बालिका कर लेगी और उससे बहुत सहूलियत मिलेगी, इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

साहब बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: बस हो गये 10 मिनट। 10 मिनट हो गये, अब और कोई मांग करनी है तो वह कर लीजिए। पहले से ही आपके उधर बहुत खोल दिये। खूब स्कूल पहले से ही शिक्षा मंत्रीजी ने खोल दिये और कोई विशेष रह गया तो बताओ।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): और मांगनी है। पिछले दो वर्षों में 60 हजार नियुक्तियां शिक्षा विभाग में दी गईं उसमें 2732 परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को भी तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रूप में नियुक्ति दी गई है। आगामी वर्ष में भी थर्ड ग्रेड के 26 हजार व सेकण्ड ग्रेड के 5 हजार, कुल 31 हजार शिक्षकों को नियुक्त करने का रखा गया है। आप देखते थे पहले स्कूल क्रमोन्नत हो जाते थे, स्कूल क्रमोन्नत होने के साथ स्कूलों में टीचर्स का भट्टा आप लोगों ने बिठाया है, आपने आठवीं पास विद्यार्थियों को पैराटीचर बना दिया। आपके बच्चे तो पढ़ें पब्लिक स्कूलों में और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों को आठवीं पास शिक्षक के द्वारा पढ़ाएं। उस आठवीं पास लड़के को क्या ज्ञान हो सकता है आप जो चाहते हो आपकी जो सोच है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला बालक शिक्षित नहीं हो सके उसका ज्ञान कम रहे। अभी उधर के माननीय सदस्य बोल रहे थे कुछ सवाल पूछे, उस शिक्षक को आये नहीं, पता कीजिए वह आपका लगाया हुआ ही पैराटीचर होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती ममता शर्मा।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी ..(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय सदस्या, आपका बच्चा कहां पढ़ता है आप बताओ। हमारा बच्चा तो पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, आपका बता दो ना।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): मैं माननीय मंत्री महोदय को

धन्यवाद देना चाहूंगी इन्होंने आते ही दो वर्षों में 25 करोड़ की योजना के द्वारा एक हजार विद्यालयों में पूरे राजस्थान में स्कूल क्रमोन्नति के बाद कक्षा कक्ष और शौचालय, पेयजल हेतु व्यवस्था की है और आगामी वर्ष में लगभग 27 करोड़ का प्रावधान शौचालय, पेयजल के लिए विद्यालयों में और अतिरिक्त कक्षा कक्ष के लिए रखा गया है। इससे बहुत ही रिलीफ मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती ममता शर्मा। माननीय सदस्या। ..(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): मुझे अभी तो मेरी मांग रखनी है।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने नाम पुकार लिया श्रीमती ममता शर्मा।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी सरकार की मुख्य मंत्री साहिबा और शिक्षा मंत्रीजी को जिन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि समस्त उपखण्ड पर जहां राजकीय कालेज नहीं है वहां पर निजी सहभागिता से महाविद्यालय संचालन हेतु राज्य सरकार नि:शुल्क भूमि और भवन निर्माण में 50 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध कराएगी। मैं मांग करती हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र के देसूरी और सादड़ी कस्बे में देसूरी तो उपखण्ड कस्बा है सरकार के इस निर्णय के अनुसार सहयोग करें हम आपसे मांग करते हैं निजी सहभागिता से वहां पर राजकीय महाविद्यालय खोला जाए। मैं सरकार के इस कदम का भी स्वागत करती हूं कि महिला पोलोटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण कराकर दिया जाएगा, इससे महिलाओं को बहुत रिलीफ मिलेगी।

इसके अलावा, एसटी क्षेत्र की 12255 बालिकाओं को नि:शुल्क जैसा कि उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि ट्राइबल एरियाज में 12255 जो लड़कियों को साइकिलों का वितरण किया गया है जिससे क्षेत्र में शिक्षा के प्रति उनकी लगन बढ़ेगी और निश्चित रूप से उन्हें प्रेरणा मिलेगी और लड़कियों को बालिका शिक्षा का जो स्तर है वह उसमें बढ़ेगा। वनवासी क्षेत्र में निजी स्कूल की मान्यता हेतु आधा शुल्क ...

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य में आपकी बेटी योजना और वर्ष 2005-06 में बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत शारीरिक अक्षमता वाली बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार के साथ ही मूक बधिर और नेत्रहीन

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार की योजना प्रथम बार प्रदेश में तकनीकी शिक्षा हेतु पृथक से कोटा में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय कम समय में ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): 112 पंचायत समितियों में जहां पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं, खोले जाएंगे ताकि रोजगार की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब रिकार्ड नहीं होगा।...(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती ममता शर्मा।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): नहीं, मैं बीच में बोल नहीं रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि पक्ष विपक्ष के कम से कम 15 माननीय सदस्य बोल लिए पर 15-20 बैठे हैं एक नाम पुकारा नहीं आपने।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दीजिए, हमारे माननीय सदस्य भी बोलेंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा तो फिर बैठना ही बेकार है। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है आप समय नहीं देते हैं तो मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं बाहर चला जाता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं आपका नम्बर आ रहा है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): इसमें सहयोग देकर हमें भी करना पड़ेगा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): नम्बर आ रहा है आपका, बैठो। ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): नहीं, जाने वालों को क्यों रोकते हो ? जाने दो न कल बोला नहीं क्या?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप तो रोज बोलने वाले सदस्य हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): इस विधान सभा में दिन भर ड्रामे ही होते हैं और होता ही क्या है ? कोई गिर जाता है, कोई खड़ा हो जाता है।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): बैठे रहिए, क्या फर्क पड़ रहा है ?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यही ड्रामा करने के लिए बैठे हैं न, अख़बार में नाम आ जाएगा।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा, कला एवं संस्कृति की मांग संख्या 24 पर कटमोशन हैं। मैं मेरी बात बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महिला सशक्तिकरण करके और यह वर्ष सशक्तिकरण के लिए रखा है तो मैं चाहती हूं कि महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। और जितने भी विद्यालय क्रमोन्नत हो रहे हैं, अगर कन्या विद्यालय सिर्फ क्रमोन्नत करने का इस वर्ष में एक लक्ष्य बनाया जाए तो मैं सोचती हूं कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। कोई भी राष्ट्र हो लेकिन जब तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि शिक्षा का प्रचार प्रसार पूरी तरह से न हो। मुगल काल में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एक गतिहीनता आई वह इसीलिए आई कि उस समय शिक्षा का कोई प्रचार और प्रसार नहीं हुआ और उस समय में लोग मुगलकालीन वह अशिक्षित रह गये। हमारा जो आज तक के काल हैं, उनको तीन खण्डों में अगर हम बांटें तो वैदिक काल जो कालोनियल कहलाता है उसमें एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा बोलबाला रहा। खेती होती थी। और इसके बाद जो दूसरा काल आया, वह राजा राममोहन राय का आया और उस समय हमारी जो नेत्री हुई बड़ी-बड़ी सरोजनी नायडु हुई, विजयलक्ष्मी पंडित हुई। और जो तीसरा काल हमारा आया, उसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसी महिलाओं ने जन्म लिया। क्योंकि इस समय शिक्षा का प्रचार प्रसार पूरी तरह से स्वतंत्रता के बाद का जो काल था उस समय पूरी तरह से शिक्षा और साक्षरता का प्रचार प्रसार हुआ। हमें देखना चाहिए कि प्रदेश के जो गांव हैं, प्रदेश के गांवों की जो आबादी है उनमें बौद्धिक क्षमता का तो कहीं अभाव है नहीं। लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता का अभिव्यक्ति कराने के लिए अगर राज्य सरकार पूरा-पूरा प्रयास करे तो मेरा मानना है कि हम इन साधनहीन बच्चों को आगे ला सकेंगे और शिक्षा पूरी-पूरी दे सकेंगे। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां सामंतवादी परम्परा के कारण महिलाएं पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई। और पर्दा प्रथा और इसकी वजह से आज भी अगर आप देखें तो कई गांव ऐसे हैं जहां

(श्रीमती ममता शर्मा)

बच्चों को लोग पढ़ाना भेजना पसंद नहीं करते। और खास समस्या तो यह आती है कि पांचवीं तक की शिक्षा ग्रहण कर ली उसके बाद 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नहीं जाएंगे। अब हम आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं और यह कहते हैं कि राजीव गांधी पाठशाला जो खुली लेकिन इसका तो आपको एक क्रेडिट देना पड़ेगा पिछली सरकार को। और वो ट्राइबल क्लास के बच्चे जिन्होंने कभी कागज और पैन की शक्ल नहीं देखी थी वह आज तीसरी और चौथी क्लास में आ गये। कभी-कभी कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि हमारी सरकार उनको आठवीं क्लास का करने जा रही है, बहुत खुशी की बात है, आप आठवीं कर रहे हैं, दसवीं और बारहवीं हम कर देंगे, आप चिंता नहीं करिए, आठवीं तो करिए। इन महिलाओं के शोषण के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आज भी शोषण है इसमें संविधान में जब तक कोई न कोई प्रावधान नहीं होगा तब तक मैं नहीं मानती कि कोई नया सुधार आ पाएगा। क्योंकि गतिशील जो एक पीरियड चल रहा है, इस वक्त जिस तरह की जो टेक्नोलोजी आ रही है, हमें उसी आधार पर बात करनी चाहिए कि अब इन महिलाओं में किस तरह से इतनी जागृति आए। और जिस तरह से हम उनके नाम करते थे और करते हैं क्यों देवी देवताओं को हमारे देश में भुलाया नहीं जा सकता उसी पर यह दुनिया यह संसार टिका हुआ है। ...(व्यवधान) ऐसा है महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है और शिक्षा से महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): प्रतिपक्ष की नेता बनने वाली हैं, आपको क्यों जलन हो रही है ? ...(व्यवधान) हरिमोहन जी जब ममता जी यहां नहीं थी तो बूंदी के बारे में पता नहीं क्या-क्या कह रहे थे, हमने कहा था कि वह आएं तब आप क्यों नहीं कहते हो ?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मंत्रीजी आप दुःखी मत हो, बोलने के लिए बहुत आए हुए हैं। मैं यह कह रहा हूं कि लक्ष्मीजी कह रही थी कि गांवों के अन्दर बच्चे नहीं पढ़ते, ये तो खुद नहीं पढ़ाती हैं, मैं इनसे ही पूछना चाहता था कि आपका बच्चा कहां पढ़ रहा है ? यह भाषण तो देने के लिए बनी हैं, खुद पर लागू करने के लिए थोड़े ही बनी हैं। ...(व्यवधान) कौन सा स्कूल है ?

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): महावीर में।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): महावीर कौन सा है ?

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): हां।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): प्राइवेट है ना ?

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): प्राइवेट है तो मान्यता प्राप्त है न।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सरकारी स्कूल में भेजते हो क्या ?

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): सरकारी स्कूल में डाल देंगे आप कहेंगे तो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): भाषण देने के लिए बने हैं, लागू करने के लिए नहीं बने हैं। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और चिंता का विषय है कि शिक्षा का कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप डिस्टर्ब करके लिंक तोड़ रहे हैं।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टाइम मेरे टाइम में से माइनस करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): श्रवणजी को मना लो, हम तो इधर चुपचाप सुन रहे हैं आपका।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): ये माननीय सदस्य श्रवणजी हैं ये बार-बार आपको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं इसलिए उनके समय में से काटना, इनको मत बुलाना, आज आप नहीं बोलना। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ... ज्ञान बांटते हो और स्कूल में जाकर के क्या करते हो, मैं बताऊंगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): राजस्थान और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए आते हैं इसलिए आप प्राइवेट में मत पढ़ाना। (व्यवधान) आप प्राइवेट में पढ़ाकर मन खुश कर लेना बाकी सरकारी स्कूल नम्बर वन है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ... आपके कहने से ही कोई रुकने वाले नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये पढ़ायेंगी या आप पढ़ाओगे यह तो समय ही बतायेगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं कह रहा हूं, सांवरमलजी, श्रवण कुमार जी, घनश्यामजी तो गांवों में पढ़े हुए हैं लेकिन आपकी बात करो न। भाषण देने से काम चल जाएगा क्या ? इम्प्लीमेंट करिये न। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप ममता जी को पढ़ रहे हो क्या? ममताजी आपका पढ़ायेंगी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): गांवों के अन्दर कौन पढ़ाता है ? इतने एम एल ए बैठे हैं, एक का बेटा भी पढ़ रहा है क्या गांव की स्कूल में ? एक का भी नहीं पढ़ रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह सौभाग्य की बात है कि हमारी चीफ मिनिस्टर ही कान्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, आप उसकी आलोचना क्यों करते हो? देखो व्यक्तित्व क्या निखरा है वहां पढ़ने से। आप इधर गली-गली में पढ़ाना चाहते हो बच्चों को।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): और अब तो संस्कृत विश्वविद्यालय खोल रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी, तो संस्कार भारती तो वैसे ही हो जाएंगे सब।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या बड़ी गंभीरता से बोल रही हैं, आप बीच में मत बोलो। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): मैं सभी माननीय सदस्यों को एक बात और बताना चाहूंगी कि नारी में दो मात्राएं नर से ज्यादा हैं। एक 'आ' की और एक 'ई' की। तो नारी तो हमेशा भारी ही रहेगी। मनु ने एक बात और कही है। मनु ने यह कहा है कि आप कितना ही अच्छा काम कर लें, अगर आप नारी को गाली देंगे और नारी को कुछ अपशब्द कहेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वह सारा कार्य भ्रष्ट और नष्ट दोनों ही है। इसलिए कम से कम इन सब बातों पर ध्यान दें कि महिलाएं क्या बोल रही हैं और किस सन्दर्भ में बोल रही हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ममताजी, उसका कारण समझ गये क्या, सरस्वती भी नारी है न।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): श्रवण कुमारजी तो एक ही नारी से डरते हैं दुनिया में और वो अपनी धर्म पत्नीजी से। दूसरी किसी नारी से नहीं डरते हैं।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वैश्विक संघर्ष में राष्ट्र को आगे लाने के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा के लिए

(श्रीमती ममता शर्मा)

नये आयाम शुरू हों तब कहीं काम चलेगा। दूसरे जो महाविद्यालय हैं इनका स्तर और ऊपर आप बढ़ायें और इनमें इस तरह की शिक्षा उपलब्ध करायें कि जिससे राष्ट्र ऊपर आ सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि इन्होंने यह घोषणा की है कि राजस्थान में कन्या विश्वविद्यालय खुलने वाला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको घोषणा कर देनी चाहिए कि यह कब कन्या विश्वविद्यालय खोलने वाले हैं, उसका सबको इंतजार है। महिला क्या कन्या ही होगा, कन्या विश्वविद्यालय कब खोलेंगे ? कन्या से ही आगे महिला बनेगी। तो कम से कम कन्याओं को शिक्षा प्राप्त होगी। तो मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि मंत्री महोदय, आज इस बात की घोषणा अवश्य करें।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, हमें निर्धनों के लिए, ट्राइबल्स के लिए अगर हम ज्यादा से ज्यादा कुछ कर पायें तो ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घोषणाएं तो बहुत हो जाती हैं, चाहे सरकारें कोई सी भी हों, हमारी हो या ये हो या इनसे पहले वाली सरकारें हों। लेकिन जब तक क्रियान्विति नहीं होती तब तक किसी तरह की उन्नति और प्रगति के लिए हम सोचें तो काम नहीं हो सकता। मेरा एक सुझाव है कि इसके लिए आप कोई न कोई मानीटरिंग कमेटी जरूर बनायें। आप इतनी योजनाएं दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या हमने भी दीं लेकिन उनके लिए जैसे पैराटीचर्स हैं, पैराटीचर्स की बात तो कर दी कि आठवीं क्लास को पैराटीचर बना दिया, हमने रोजगार तो दिया न उस 8वीं क्लास को। वो रोता तो नहीं फिरा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। (व्यवधान) कोई शोषण नहीं हुआ। 8वीं क्लास का पढ़ा हुआ बच्चा पहली क्लास, दूसरी क्लास और चौथी क्लास को आराम से पढ़ा सकता है। ये सब बेकार की बातें हैं। आज वो जो पैराटीचर है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):...उसकी जो मंथली पगार थी वह 1500-1600 रुपये थी तो क्यों नहीं हुआ ? उनका मानसिक शोषण भी हुआ और आर्थिक शोषण भी हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कह रही हूं कि हमारी गलतियों को आप सुधार दो, आप नियमित कर दो। मैं तो यही रिक्वेस्ट कर रही हूं आपसे कि आप उन्हें नियमित कर दो, हमें और क्या

(श्रीमती ममता शर्मा)

कहना है, हमें और ज्यादा कुछ थोड़े ही कहना है आपसे। जब-जब चाहे पैरा टीचर्स हों चाहे अनुदानित शिक्षाकर्मी हों, जब-जब आये हैं तो आपने लाठियां बरसाई हैं, जमकर लाठियां भांजी है उनके ऊपर और उन्हीं शिक्षकों ने आपको हमारे सामने बिठाया है, उन्हीं शिक्षकों ने बिठाया था तो कृपा करके यह न भूलें और उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो मांगें हैं वो पूरी करने का कष्ट करें। हम यहां बैठे हैं उन्हीं की वजह से लेकिन आज फिर भी उनकी पैरवी कर रहे हैं कि हमारी गलतियों को आप सुधारें। मैं सोचती हूं कि बहुत बड़ी बात होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तबादलों की बातें और टीचर्स की कमी की बातें, यह आम चली आ रही है। मैं तो तबादला नीति पर भी एक बात कहूंगी कि अगर शिक्षक जहां का रहने वाला है उसके 10 किलोमीटर के एरिया में उसका ट्रांसफर करेंगे तो शायद वह रेगुलर जाएगा और बच्चों को शिक्षित करके आयेगा क्योंकि गांवों की आज भी स्थिति जो है वह यही बनी हुई है कि शिक्षक नहीं आते हैं। जब उनसे पूछें तो कहते हैं कि बहुत दूर से आता हूं। हफ्ते में एक बार आया, दो बार आया, हाजिरी लगाकर के चला गया और बच्चो से टाटा, बॉय-बॉय कर गया। तो यह जो नीति है इसमें अगर आप बदलाव लायेंगे कि शिक्षक वहां का है वहीं के आस-पास अगर उसको रख दिया जाए तो मैं सोचती हूं कि बहुत अच्छा काम करेंगे।

दूसरी बात, एक नीति और बननी चाहिए कि गांवों के जितने भी स्कूल हैं, जिस गांव में हम जाते हैं, हमसे एक ही डिमांड की जाती है कि साहब, बाउंडरी वॉल नहीं है, हैण्डपम्प नहीं है तो कम से कम पानी की टंकी का प्रावधान हो, बाउंडरी वॉल का प्रावधान हो, यह भी अत्यंत आवश्यक है।

आपने कहा कि हमने शिक्षा फ्री कर दी है, कन्याओं की शिक्षा फ्री कर दी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गरीब एकल महिलाएं हैं जो अकेली हैं वो चाहे सुश्री है, चाहे वो विधवा है, चाहे वो परित्यक्ता हैं इनकी बच्चियों के लिए भी आप अलग से प्रावधान करें। इन्होंने कई जगह आपको भी लिखकर के भेजा, राहत कार्यों में भी उनकी ज्यादा पर्सेंटेज बढ़ाई जाए और फीस भी उनकी माफ की जाए। देश में करीब 8 प्रतिशत महिलाएं एकल हैं। जिस तरह के आंकड़े हैं उसमें 8 प्रतिशत महिलाएं एकल हैं। तो मैं यह चाहूंगी आपसे कि उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें अगर उनकी कोई डिमांड्स हों तो आप जरूर उसे पूरी करें।

(श्रीमती ममता शर्मा)

पुस्तकालय की बात है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि बूंदी एक ऐतिहासिक जगह है। और बूंदी में अगर आप पुस्तकालय का भवन जमीन अलॉट करके बनायेंगे तो सरकार का भी नाम रहेगा, बूंदी का भी नाम रहेगा। और मैं मानती हूं कि बूंदीवासियों के लिए जिस तरह का टूरिस्ट वहां आ रहा है, कला और संस्कृति की बात हो रही है तो हमारी संस्कृति को टूरिस्ट को बताने के लिए एक लाइब्रेरी अत्यंत आवश्यक है जहां बच्चे भी जा सकते हैं, बूढ़े भी जा सकते हैं, बुजुर्ग भी जा सकते हैं और आने वाला जो टूरिस्ट है वह कुछ ज्ञान प्राप्त करके जा सकता है। तो मेरा यह आपसे निवेदन है कि आप जरूर करें।

बूंदी की एक बात मैं पहले कह दूं कहीं मेरे दिमाग से न निकल जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी में तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी ललित किशोरजी चतुर्वेदी थे तो उन्होंने बूंदी कॉलेज का भवन प्रोपर बूंदी से सात किलोमीटर दूर बनवा दिया था। भवन भी तैयार है, सब तैयार है लेकिन वहां आज तक एक भी दिन कालेज नहीं लगा। उसका कारण यह है कि आज जिस तरह की हरकतें चल रही हैं, गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। तो अपनी युवा बच्चियों को इतनी दूर भेजने के लिए कोई भी अभिभावक तैयार नहीं हैं और अभिभावकों ने एक यूनियन बना ली है कि हमारी बच्चियां इतनी दूर नहीं जाएंगी। तो इसका कोई न कोई उपाय हम अपनी सरकार में भी नहीं निकाल पाये। लेकिन मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि कोई न कोई एक ऐसा उपाय निकालें कि उन बच्चियों के लिए आपके जो सरकारी दफ्तर किराये के मकानों में चल रहे हैं उनको शिफ्ट कर दें। इस तरह का प्रपोजल है। आप कलक्टर से मंगवा लें और ऐसे किसी भवन में उस कालेज को शिफ्ट किया जाये जहां बच्चियां ठीक से पढ़ सकें, मेरा आपसे बहुत-बहुत अनुरोध है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल्चर्ड और एजुकेटेड महिला बनाने के लिए हमारी जो प्राकृत है, उसको संस्कृत बनाना पड़ेगा। तो जब तक यह चाहे पुरुष हो और चाहे महिला हो, दोनों की बात तो सब करते हैं, कोयले से हीरा आप कैसे बनायेंगे, यह बिना मोनेटरिंग के नहीं होगा। जब तक मोनेटरिंग नहीं होगी, तब तक यह काम नहीं होगा। प्रयास हम भी करते हैं, प्रयास आप भी कर रहे हैं और आपने भी कई योजनाएं निकाली हैं, हमने भी कई योजनाएं

(श्रीमती ममता शर्मा)

निकाली थीं लेकिन एक तो आज भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक समाया हुआ है, उसको किसी न किसी तरह से आप कम करें। नीचे लेवल पर तो इस कदर है कि हम भी थक चुके हैं। अपनी तरफ से तो हम थक चुके, हम ब्यूरोक्रेट्स को भी कहते हैं यह बात। और हम आपको भी निवेदन करेंगे चाहे वह गृह विभाग हो चाहे वह शिक्षा विभाग हो चाहे वह इर्रिगेशन विभाग हो। इर्रिगेशन विभाग की हालत आप देखिये। केवल मिट्टी और कंक्रीट मिला मिलाकर नहर की लाइनिंग हो रही है तो कई जगह तो इस तरह से जो भ्रष्टाचार है, इनको बन्द करें, यह मैं आपसे निवेदन कर रही हूं। और शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का मतलब तो यह है कि हम गति देने के बदले गतिहीन कर रहे हैं। गतिशील करने के बदले हम व्यक्ति को गतिहीन कर रहे हैं और उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं जो बच्चा जमीन पर कदम रख रहा है। यह भी एक भ्रूण हत्या है। यह छात्र की, छात्रा की भी है तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस पर पूरी-पूरी निगाह रखी जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी, राजस्थान सरकार की जो अनुदान नीति है, जिसमें कुछ एडेड संस्थाएं हैं जिनकी आपने 2004-2005 को मिलाकर 20 प्रतिशत की कटौती कर दी। यह बात मैंने उस दिन भी कही थी। आपने जो 20 प्रतिशत की कटौती की थी तो क्या आप इन अनुदानित संस्थाओं को बन्द करना चाहते हैं? अगर आप बन्द करना चाहते हैं तो बन्द कर दीजिये। लेकिन इसमें जो काम कर रहे हैं, उनको आप नौकरी पर रख लीजिये। और आप यह भी सोचें कि जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, वह चाहे लड़की हो या लड़का हो, उनके भविष्य का क्या होगा, वह कहां जायेंगे? हजारों बच्चे इनमें पढ़ रहे हैं और इस तरह के 914 संस्थान आज राजस्थान में चल रहे हैं। 75 प्रतिशत कालेज एडेड होना कोई मामूली बात नहीं है और इनका बन्द होना भी मामूली बात नहीं रहेगी। जितना बजट सरकारी संस्थाओं को दे रहे हैं, इनको भी एड इतनी तो दीजिये ताकि वह आसानी से चल सके। और नहीं दी जाती है तो जो कटौती कर रहे हैं वह तो मत करिये। तो यह इनकी जो पीड़ा है, इसको आप समझने की कोशिश करिये। जब हमारी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उन्होंने इन लोगों की बिलकुल भी कटौती नहीं की थी। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इनको पूरा-पूरा अनुदान जो आप दे रहे हैं, आप बल्कि बढ़ाने का

(श्रीमती ममता शर्मा)

प्रयास करें। एक तरफ तो हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षित करना है, यह करना है और बड़ी-बड़ी बात करते हैं और दूसरी तरफ हम जैसे शिक्षण संस्थान चल रहे हैं उनको बन्द करने की बात करते हैं।

इसी प्रकार से जो अनुदानित शिक्षाकर्मी हैं, उनकी उचित मांगों के लिए जब वे लेने आये, यह पेपर की कटिंग है, आप देखिये, आपने इतनी लाठियां भांजी कि वे चुपचाप यहां से चले गये। मुख्य मंत्रीजी से आपने नहीं मिलवाया, वे चुपचाप यहां से चले गये तो कम से कम इस तरह से जो लोग आते हैं, उनको मिलवाइये, उनकी सुनिये तो सही कि वह क्या कहना चाहते हैं। उनकी कोई गलत मांग नहीं थी। उन्होंने 10 प्रतिशत की कटौती जो आपने की है, उसको वह मांग रहे थे। और दूसरा, वे यह कह रहे थे कि जो भी वेकेंट पोस्ट है शिक्षण संस्थाओं में, संस्कृत शिक्षण संस्थानों में, उनको भरें और इन सब कामों के बदले आपने उल्टा उनको रिवार्ड में लाठियां दीं। मैं कहना चाहती हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में आज जितने आप्शन खुले हैं, हम बात करते हैं टैक्नोलोजी की, कम्प्यूटर्स की, इंटरनेट की, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि हम गांव में यह शिक्षा दे पायेंगे? हम प्रयास तो पूरे कर रहे हैं लेकिन वहां कम्प्यूटर आपरेट भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए वह सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले डवलप करना पड़ेगा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं तो मेरा मानना है कि जिस टैक्नोलोजी युग में हम कदम रख रहे हैं, आप केरल का उदाहरण लीजिये, वहां अपने दो-चार आफिसर्स को भेजिये, उनकी ट्रेनिंग करवाइये। और उनसे पूछें कि वहां क्या हो रहा है। क्योंकि यहां कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस मामले में। और आपकी जो महिला टीचर्स हैं, उनको हम गांव से 10-10, 15-15 किलोमीटर तक, मैन सड़क से दूर उनकी पोस्टिंग कर देते हैं। आखिर एक महिला की भी समस्या है। इतनी दूर से तो पहले वह बस से जाती है और उसके बाद में वह पैदल जाती है तो कई प्रोब्लम्स हैं, यह आपको समझनी पड़ेगी, मेरा इतना ही कहना है।

दूसरा, मैं एक बहुत अहम डिमांड कर रही हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, सिर्फ यह आखिरी डिमांड है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे कोटा की, जोधपुर की, उदयपुर की, जयपुर की हो, इनके जिम्मेदारी आप यह डाल दीजिये कि इनके यहां जो ट्राइबल एरिया है, उनकी शिक्षा में कुछ न कुछ प्रावधान ये रखें, उनका खर्चा भी ये यूनिवर्सिटी वहन करें तब कहीं जाकर बदलाव आ पायेगा।

(श्रीमती ममता शर्मा)

हम एस.सी. एस.टी. की बात करते हैं। इनको प्रताडित किया जाता है, वह इसलिए किया जाता है कि ये अशिक्षित हैं। इनको यह नहीं पता है कि एफ.आई.आर. में इनका नाम, किसका नाम दर्ज हो रहा है। जो हो गया, सो हो गया। जो करना था वह कर दिया। इनको कोई ज्ञान नहीं है और अगर मान लीजिये, एक ट्राइबल का व्यक्ति या एस.सी. का व्यक्ति अस्पताल में जाता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको छह-छह आफिसों में घुमा दिया जाता है। और कई बार तो हालत यह हो जाती है कि मैं खुद गई हूं साथ में और डाक्टर से मिलवाकर आई हूं तो यह हालत तो कोई एक जगह पर नहीं है, यह बूंदी ट्राइबल की है। पूरे राजस्थान के जो ट्राइबल्स हैं, उनकी है तो इनकी शिक्षा के लिए हमें यूनिवर्सिटीज को पूरी-पूरी जिम्मेदारी देनी चाहिए, आप यह जिम्मेदारी लें। यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है। अगर आपने किया तो मेरा मानना है कि हम कहीं न कहीं जरूर आगे बढ़ें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने छात्राओं की बात की है। मैंने पहले भी डिमांड की थी, यह केवल बूंदी की डिमांड नहीं है। आपके जितने भी जिला हैडक्वार्टर हैं, उनमें आप कन्याओं के लिए पोलीटैक्नीक कालेज का प्रावधान कर दीजिये ताकि उनको भी किसी न किसी छोटी-मोटी टैक्नीकल शिक्षा उन बच्चियों को मिल सके जिनके मां-बाप सक्षम नहीं हैं उनको दूर भेजने में और अगर दूर भेजने में सक्षम भी हैं तो यह जमाना खराब है कि लोग भेजना नहीं चाहते। होस्टल की जो पद्धति है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ये ज्यादा लम्बा नहीं बोलतीं।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): तो होस्टल की जो पद्धति है, वह भी गरीबों के लिए इनके काम नहीं आती, बड़े-बड़े होस्टल हैं और ये भेज नहीं पाते, ये उनका खर्चा वहन नहीं कर पाते। हालांकि हमारे यहां प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बच्चियों के लिए छात्रावास बने हुए हैं। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें छोटी-छोटी बच्चियां जाती हैं, उसके बाद जब टैक्नीकल एजुकेशन का नम्बर आता है और हायर एजुकेशन का नम्बर आता है तो वह लड़कियां बिना पढ़े-लिखे रह जाती हैं। तो मेरा आपसे यह सुझाव है और मैं यह मानती हूं कि आप इन सुझावों को मानेंगे। इतनी बात कहकर, मेरा समय समाप्त हो गया है, मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर अपनी बात कहना चाहूंगा। सभी माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव इस सदन में दिये हैं। सबसे पहले तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी, निश्चित रूप से आपकी विद्वता पर हमें गर्व है। जिस तरीके से राजस्थान में पिछले दो वर्ष में क्रांतिकारी कदम इस शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ शिक्षा का मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मैं ज्यादा भूमिका बांधने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा पूरा सदन, बांसवाड़ा जिला हो, डूंगरपुर हो, हमारे ट्राइबल सब प्लान का एरिया हो, राजस्थान के अन्य हिस्से में रहने वाले आदिवासी दलित, इन सब के प्रति सबकी चिंता है। चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और स्वाभाविक रूप से चिंतन करना भी जरूरी है। मैं चाहूंगा कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने हमारे उदयपुर संभाग में भी अच्छी पहल करके शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया है, मैं इस बांसवाड़ा जिले की एक झलक माननीय शिक्षा मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगा। आपने स्कूलें खोलने में कोई कसर नहीं रखी है, पाठ्य पुस्तकों का वितरण करने में कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी पहल से काफी कुछ परिवर्तन हुआ है और यह कमियां, खामियां आज की नहीं हैं, इन दो साल की नहीं हैं, इससे पहले शासन की बागडोर जिन्होंने भी संभाली हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, आज बांसवाड़ा जिले के अंदर हमारे शिक्षा विभाग का जो प्रयास चल रहा है, जिन पदों को रिक्त हुए आज कम से कम पांच साल से ऊपर का जो समय हो रहा है। और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, बांसवाड़ा जिले के अंदर वर्तमान परिस्थितियों में राजीव गांधी पाठशालाओं में जिन अध्यापकों का आरपीएससी में चयन होने के बाद में जो जगह खाली हैं, 474 पद रिक्त हैं। प्राथमिक विद्यालय 470 पद खाली हैं। भविष्य में दिशा परिवर्तन करने वाली माध्यमिक शिक्षा, जो बच्चे का भविष्य निर्धारित करती है कि मुझे किस दिशा में जाना है, वरिष्ठ अध्यापकों के 162 पद रिक्त हैं। इतना ही नहीं, प्राध्यापकों के 168 पद रिक्त हैं। थर्ड ग्रेड अध्यापक के 104 पद रिक्त हैं। बांसवाड़ा जिले के अंदर प्रधानाचार्य के 8 पद रिक्त हैं। प्रधानाध्यापकों के 18

(श्री जीतमल खांट)

(समय 18.43 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

पद रिक्त हैं और माननीय अध्यक्ष महोदया, इतना ही नहीं, उद्देश्य व सफलता अर्जित कराने वाली शिक्षा, महाविद्यालय, जो बांसवाड़ा जिले के अंदर तीन महाविद्यालय हैं। दो महाविद्यालय जिला मुख्यालय पर और एक कुशलगढ़ में, कुल पद 110, जिसमें से 40 पद रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, कुल मिलाकर बांसवाड़ा जिले में डेढ़ हजार पद रिक्त हैं। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि हम कितनी भी स्कूलें खोल दें, हम शिक्षा सम्बल महा अभियान चलायें, हम मिड डे मील प्रोग्राम चलायें, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कर दें, यह स्वागत योग्य है, यह बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। लेकिन जिनका भविष्य, जो प्राथमिक विद्यालय से लगाकर हायर एजुकेशन है, डेढ़ हजार पद रिक्त होना हम सब के मन में एक पीड़ा है, सब के मन में एक सोच है कि हम आहत व्यक्ति है इसको राहत देने का प्रयास करें। गांव, ढाणी, मजरों में जिस तरीके से हमारे गरीब की झोंपड़ी से निकला हुआ वह आदिवासी का बालक उस विद्यालय में पहुंचे और सिर्फ मिड डे मील का उसको लाभ मिल करके वह एक टाइम का गर्म भोजन लेकर के वापस अपने घर तक पहुंचे। और उसके हाथ में, उसको मालूम नहीं है, वह अबोध बालक है लेकिन उसके मां-बाप को जब बच्चा आठवीं और नवीं और दसवीं तक पहुंचते-पहुंचते उसको उसके हाथ में रिजल्ट जीरो मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, हम सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष सभी को सोचने की जरूरत है, चिंतन और मनन करने की जरूरत है। यह मैंने मात्र एक बांसवाड़ा की झलक आपके सामने दिखाई है, पूरे उदयपुर सम्भाग के अंदर यह स्थिति है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा और आपको मैं साधुवाद भी देना चाहूंगा कि पिछली गवर्नमेंट ने या कांग्रेस के राज में हम बार-बार इस बात को उठाया करते थे। इस सदन के अंदर हमारे विचार व्यक्त करते थे कि घूघरी खाकर के हमारे बालक किस तरीके से पेट भरते थे, घूघरी उसके पेट में किस तरीके से चुभती थी, गेहूं को सिर्फ उबाल कर खाते थे, उसको कितनी पीड़ा होती थी। लेकिन मैं हमारे वर्तमान के शिक्षा मंत्रीजी और सरकार को धन्यवाद देना

चाहूंगा कि इस घूघरी से मुक्ति दिलाकर हमारे राजस्थान के गरीब झोंपड़ी में पलने वाले उस बालक-बालिका के भविष्य की तरफ आपने नजर दौड़ाई, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं, अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा और विशेष तौर पर राज्य की मुख्य मंत्री महिला हो, राज्य की हमारी अध्यक्षा महिला हो, राज्य की हमारी गवर्नर महिला हो। मैं माननीय शिक्षा मंत्री, विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के अंदर इतनी पोस्ट वेकेंट होते हुए जिन महिलाओं को आपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर की पोस्टिंग न करके उसको पूरे राजस्थान के अंदर आपने नियुक्ति दी है। मैं आपके माध्यम से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, छोटे-छोटे बच्चे लेकर के आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में जिनको आपने पदस्थापन किया है, आज बांसवाड़ा, डूंगरपुर की विभिन्न जिलों के अंदर जिनकी पोस्टिंग की, आज आप अपने उत्तर में, सब लोगों ने यह बार-बार मांग की है। हमारे यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर से माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, आज आपसे हम विनम्र शब्दों में आग्रह करेंगे कि साल, डेढ़ साल के अंदर वह कम से कम वापिस बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, पद खाली हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह बात होती थी कि भई बांसवाड़ा में बाहर के लोग आ गये हैं। अब मुझे खुशी है कि बांसवाड़ा की महिलाएं बाहर आकर पढ़ा रही हैं। आप चाहेंगे तो वापस बांसवाड़ा चली जायेंगी।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय शिक्षा मंत्रीजी, सवाल बांसवाड़ा का नहीं है, क्योंकि अपनी नीति से भी झलकता है कि आदिवासी क्षेत्र से पढ़े हुए आदिवासी लड़कियां और लड़के एस.टी. या बी.एड. हैं, उनको एक लक्ष्य बनाकर उस जिले से बाहर फेंका गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी पुत्री को राजसमंद लगाया गया है और मैंने जब शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन किया तो इन्होंने यह कहा कि अभी तो प्रतिबंध है, थोड़े दिन बाद कर देंगे और आज मेरी बच्ची मेरे घर में बैठी हुई है, एम.ए., बी.एड.।

श्रीमती ममता शर्मा: तब जी.ओ. कराते आप।

श्री नन्दलाल मीणा: जी.ओ. करायें कि पी.ओ. करायें, वह तो बाद की बात है, स्थिति की बात कर रहा हूं। आज इस बात को आप मजाक में मत लीजिये। आज डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, उदयपुर हो, प्रतापगढ़ हो या

(श्री नन्दलाल मीणा)

सिरोही डिस्ट्रिक्ट का आबू रोड तालुका है, वहां के पढ़े-लिखे, शिक्षित आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा: सलूम्बर के विधायक महोदय की पत्नी को धरियावद लगाया है, पारसोला, आपकी जानकारी के लिए।

श्री अध्यक्ष: यह क्या अपनी पत्नी और पुत्री की बात है।

श्री जीतमल खांट: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका भी रवैया इस सदन के प्रति बड़ा उदार रहा है। और माननीय मंत्रीजी ने भी आज घोषणा ही कर दी है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर यानि कि पूरे ट्राइबल सब प्लान से जहां भी बाहर गई हैं उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लगायेंगे, इसके लिए तो मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही माननीय मंत्रीजी, आपके ध्यान में लाना चाहूंगा इसलिए कि यह छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन हो सकता है कहीं आपके ध्यान में किसी ने नहीं लायी हो। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि कक्षा 6 से लगाकर 8 तक पढ़ने वाले बालकों को आप पन्द्रह रुपये देते हैं छात्रवृत्ति के रूप में और बालिका को आप बीस रुपये प्रतिमाह देते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, या तो इस सिस्टम को सुचारू रूप से आप चलाओ और जो छात्रवृत्ति मिलती है वो समय के अनुसार बारह महीने के अन्दर बारह महीने बीत जाय और उसको छात्रवृत्ति नहीं मिले इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है या तो इस सिस्टम को खतम कर दीजिये या फिर विधिवत रूप से इस सिस्टम को चलाओ। क्योंकि जहां भी वाक पीठें होती हैं बार-बार यह समस्या उभर करके सामने आती है।

मैं एक बात और कह देना चाहूंगा कि पूरे बांसवाड़ा जिले की मैं कहूंगा। जिले में 3207 विद्यालय राजीव गांधी पाठशालाओं से लगाकर यूपीएस तक में दो लाख तीस हजार विद्यार्थी मिड डे मील का लाभ ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जिस विद्यालय के अन्दर प्राइमरी है वहां कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस प्राइमरी विद्यालय में एक ही अध्यापक है, न उसके पास में चपरासी है वो खुद अपने हाथ से वहां पर आग लगाता है वहां पर इस मिड डे के सारे प्रोग्राम को तैयार करके और बच्चों को भोजन परोसने का काम करता है। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जहां पर एक ही शिक्षक काम कर रहा है वहाँ कम से कम आप चपरासी की व्यवस्था करें या मानदेय पर पहले जलधारी चलते थे कम से कम

(श्री जीतमल खांट)

वहां कोई न कोई व्यवस्था कराने का प्रयास करें। दूसरा इसी परिप्रेक्ष्य में जहां पर मिडिल स्कूलें हैं कक्षा एक से लगाकर आठ तक के बालकों का वहां पर अध्ययन होता है। और वहां पर कक्षा एक से लगाकर पांच तक के छात्रों को तो वहां पर भोजन परोसा जाता है 6 और 7 और 8, मेरा आग्रह है कि सात और आठ कक्षा में पढ़ने वाले बालकों को भले ही आप इस मिड डे मील से नहीं जोड़ें। लेकिन कक्षा छह में पढ़ने वाला जो बालक है जिसने पांचवीं कक्षा पास करके छठी कक्षा में प्रवेश लिया है कम से कम हमारा तो निवेदन है कि उस प्रोग्राम को एक से लगाकर छह तक तो आवश्यक रूप से जोड़ा जाए ताकि वो कक्षा छठी में पढ़ने वाला भी, कई सारे ऐसे बालक हैं ऐसे छात्र अबोध हैं। कम उम्र के बालक हैं। और माननीय मंत्री जी सभी तरीके के व्यंजन वहां तैयार होवें दाल रोटी बने और हर तरीके की सब्जी बने और किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। आप और हम भी अगर पास में बैठे हों और कोई खाने वाला, हम जानते हैं कि ट्रेनों में बैठ करके खाना खाते हैं। और हमें भी अगर सवेरे से भोजन नहीं मिला और पड़ोसी अगर खायेगा तो हमारे मुंह में पानी अपने आप स्वत: ही प्रक्रिया है। तो कम से कम यह प्रोग्राम कक्षा एक से लगाकर आठ तक कर दिया जाए ऐसा मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है।

मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि आपने जिस पारदर्शिता के साथ राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाये हैं, मेरा अंत में एक ही आग्रह है कि शिक्षा का जितना भी आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा में जितना भी ठहराव था जितना भी प्रबंध था बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। लेकिन एक एक ग्रामीण पंचायत के अन्दर दस-दस, बारह-बारह प्राइमरी स्कूलें बन गईं, दो-दो, तीन-तीन मिडिल स्कूलें बन गईं। माननीय मंत्रीजी, हम अगर हमारे बालक को किसी पड़ोस के अगर सात, पन्द्रह किलोमीटर की दूरी पर हमारे सैकेण्डरी स्कूल हैं सीनियर सैकेण्डरी स्कूल हैं वहां अगर हम एडमिशन दिलाने के लिए जाते हैं तो वहां के अध्यापकों का काफी रोष होता है। और उस रोष का सामना करना पड़ता है अभिभावकों। को और कहते हैं कि हमारे पास में बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है कमरा नहीं है। और माननीय मंत्रीजी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सर्वशिक्षा अभियान के तहत जिन यूपीएस को जिस तरीके से जोड़ने का काम किया आप उन सैकेण्डरी और सीनियर सैकेण्डरी को भी जोड़ने का काम करें। आज हालत ऐसी है कि मिडिल स्कूलों से निकले हुए बालक जाएंगे कहां?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सतरह मिनट हो गये हैं आपको बोलते।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): बस एक मिनट में समाप्त करूंगा। आप भी सहृदय व्यक्तित्व की धनी हैं ...

श्री अध्यक्ष: इसीलिए आपको सतरह मिनट दिये मैंने।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ... और मंत्रीजी भी, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हर ग्राम पंचायत में एक सैकेण्डरी स्कूल आप खोल दें तो राजस्थान में आपका नाम हमेशा के लिए अजर अमर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जयहिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: डा. भंवरलाल राजपुरोहित, क्या आपका बैग चोरी हो गया था जो आप चले गये यहां से?

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): हां साहब।

श्री अध्यक्ष: आपने लिख कर दिया कि बैग चोरी हो गया।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): हां हो गया वास्तव में हो गया।

श्री अध्यक्ष: ऐसा कैसे हो सकता है ?

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): ऐसा ही हुआ है साहब आज तो ।

श्री अध्यक्ष: अब मिल गया?

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): नहीं कुछ नहीं मिला मैंने नोट्स तैयार किये हैं मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: अभी नहीं मिला?

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): नहीं नहीं मिला अभी नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष: हाइली ऑब्जेक्शनेबल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कहीं बाहर रख कर भूल आये होंगे।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): नहीं-नहीं, मैं नहीं भूला साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन के अन्दर इस तरह की बात आज पहली बार सुन रहे हैं इनको कहना भी नहीं चाहिए।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): मैं कदाचित् नहीं भूला यहीं छोड़कर गया था साहब।

श्री अध्यक्ष: यह आपकी जिम्मेदारी है। यहां किसी सदस्य की चोरी होती है यह जिम्मेदारी आपकी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं जिम्मेदारी तो मेरी है इसीलिए तो मुझे चिन्ता हो गयी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह सरकार की कानून व्यवस्था का सर्टिफिकेट है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह है पारदर्शिता का प्रमाण।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये भूल भी जाते हैं।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): ये मेकाले की शिक्षा पद्धति का है युवा चोरियां कर रहे हैं और नशेपते में लिप्त हैं इसलिए ...(व्यवधान).

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ये पारदर्शी सरकार का प्रमाण पत्र है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): भूल गये होंगे कहीं।

श्री अध्यक्ष: आप क्या कहना चाहते हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो हाउस में कभी नहीं हुआ सब छोड़कर चले जाते हैं ये तो श्री तगारामजी से पूछा जाए कि उन्होंने तो कहीं मजाक तो नहीं कर ली है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): नहीं, भूला नहीं हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: बात बहुत गलत है सदन में से कोई चीज चली जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं जांच कमीशन बैठाऊंगा इस पर। इस तरह माननीय सदस्यों का बैग चोरी हो जाए जांच कमीशन बैठाऊंगा इस पर।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): हां बैठाना चाहिए।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री की जिम्मेदारी है और ये पारदर्शिता का प्रमाणपत्र जो आपके सदस्य की चोरी हुई है।

श्री अध्यक्ष: आपको जांच करनी चाहिए। जांच कमीशन बैठा दीजिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वो रखकर भूल गये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वो रहा अध्यक्ष महोदय, वो रहा देखिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब अध्यक्ष महोदय, मिला किसके पास है आप अंदाजा लगा लें अध्यक्ष महोदय, मिला किसके पास है कन्हैयालालजी मीणा के पास।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): मैंने नहीं चुराया।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) इनको बैग का होश नहीं है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): यह मेरा नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): जांच कमीशन की बात होते ही इनका बैग मिल गया ये तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का प्रभाव की बात है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये तो कन्हैयालालजी ने खुद का बैग दिया है सरकार की बदनामी बचाने के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ऐसा है चोरी हो जाती है तब पुलिस वाले देखते हैं कि कोई वीआईपी है तो अपने पास से बरामदगी करके दे देते हैं ताकि मामला बने नहीं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह आपने भिजवाया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक बार दौलतरामजी की जेब कटी तब आठ सौ रुपये दिये थे कि नहीं दिये थे घनश्यामजी को भी याद है रामनिवास बाग़ में रैली थी तब ऐसा ही कुछ न कुछ हुआ है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह तगारामजी ने मजाक की लगती है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ये तगारामजी से पूछा जाए तगाराम जी से । यह सही बात है ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी शर्मनाक बात है यह सचाई तो सामने आनी चाहिए।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): नहीं मिला, नहीं मिला। छोड़ो प्लीज समय मत खराब करो।

श्री अध्यक्ष: चलिये आप प्रारंभ कीजिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): अध्यक्ष महोदय, आज इस पवित्र हाउस में शिक्षा के विषय पर बहुत बड़ी चर्चा हो रही है शिक्षा मतलब

विद्या। विद्या का महत्व बताते हुए मैं अगली बात कहूंगा। 'विद्या नाम नरस्य रूपं ... विद्या विहिनं पशु'

श्री अध्यक्ष: सही है। बोलिये शिक्षा मंत्रीजी।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित: अध्यक्ष महोदय, जिस देश के अन्दर, यह देश जो राजगुरु कहलाता था जगतगुरु कहलाता था उस देश में यह विद्या नहीं होने की वजह से आज हिन्दुस्तान बहुत पीछे रहा। सैकड़ों-सैंकड़ों वर्षों तक पीछे रहा और हमारी बड़ी-बड़ी जो एक मान्यता है देश की, पिछड़ने के बाद जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ आजाद हिन्दुस्तान होने के बाद में यदि सरकारें आज जितना जोर दे रही हैं, 1947 और 1950 के समय से यदि हिन्दुस्तान की सारी सरकारें और राजस्थान की कोई भी स्टेट की सरकारें

(समय 19.00 बजे)

यदि शिक्षा पर जोर देती कि शिक्षा विहीन पशु, यानि बिना शिक्षा के हम पशु के समान हैं । पशुता को मिटाने के लिये सरकार बजट का उपयोग शिक्षा पर करती तो आज यह दिन हमको देखना नहीं पड़ता । अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों ने ध्यान दिया होगा और पिछली सरकारों के पास कोई लाखों का ही बजट था और आज हमारी राजस्थान सरकार का 48 अरब का बजट है । पिछले साल 46 का था अब 47 का है मेरे ख्याल से । इतना बड़ा बजट राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार के रूप में यहां बैठाया है और उसकी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी बनी और उसकी कैबिनेट में एक कर्मयोगी, कर्मठ और एक विद्वान व्यक्ति के हाथों में यह शिक्षा का विभाग दिया गया। और आज जो रूप देखने में आया है हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं यह तो सेंट्रल का पैसा है । मान्यवर, आप सबको पता है यह पैसा चाहे सेंट्रल ने दिया होगा, हमारे शिक्षा मंत्रीजी के व्यक्तित्व में कितनी बडी बात थी वहां कांग्रेस की सरकार में अर्जुन सिंहजी जैसे मंत्री से इतने अरबों रुपये ले आना और राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में उस पैसे का उपयोग बता देना इसी कार्य क्षमता के कारण उन्हें पैसा प्राप्त हुआ और उनको अध्यक्ष बनाया गया । आज यही दिन है और यही कारण है कि सरकार को इतना पैसा मिला, जनता को पैसा मिला । आज गांव-गांव में नहीं आज तो ठेठ पहाड़ के पास भी यदि 10-5 किसी के घर हैं तो वहां भी आज हमारी प्राथमिक स्कूल है । खाली प्राथमिक स्कूल ही नहीं है मकान बन गये । यह कोई सोचता ही नहीं था, मुझे खुद याद है आज से 4-5 साल पहले तो ऐसी स्थिति थी कि स्कूल में जो टीचर लिये जाते थे यह मेरे सामने की बात है मैं पंचायती राज से संबंधित हूं,

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

15-20 हजार रुपये लिये बिना कोई मास्टर का अपाइंटमेंट नहीं होता था मैं इसका प्रत्यक्ष साक्षी हूं। और उसके बाद बदलाव यह आया कि हमारी सरकार के मंत्रीजी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पब्लिक सर्विस कमीशन से अध्यापक लिये गये। और जो 40 हजार से ऊपर अध्यापक लिये हैं और उसमें एक पैसे का हेर फेर नहीं हुआ मैं उसमें सबसे बड़ी सफलता इस बात को मानता हूं । अभी भी कौनसा बजट कम है, कौनसा अध्यापकों का लेना बंद हो गया। 2-3 हजार तो सरकार अभी मिडिल स्कूल खोल रही है और राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राइमरी में कन्वर्ट कर रही है उसमें भी अरबों रुपया लगेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को साधुवाद देता हूं और यह स्कूल बनने के कारण हमारे शिक्षा मंत्रीजी की दूरदृष्टि है। पहले स्कूलों में जो लडके नहीं आते थे, बच्चों की एन्ट्री क्यों नहीं होती थी एक अटरेक्शन पैदा किया गया इस मिड डे मील से जिससे बच्चे आने लग गये । उनको हर चीज देने लगे । ऐसी चीजें प्राप्त होने के बाद अपने आप झुकाव आया । नहीं तो शिक्षा के नाम से दुकाने खुल गई थीं और धडल्ले से वह स्कूलें बढ गई थी और एक बहुत बड़ा व्यापार टाइप का हो गया था । आज स्थिति यह है कि आज हमारी स्कूलों में जो लडके पब्लिक सर्विस कमीशन से सलेक्ट हो कर आये हैं उसमें इतने विद्वान लडकों का सलेक्शन हुआ है, इतना बढ़िया सलेक्शन इस सरकार ने किया है जिससे आज बच्चे स्कूल में वापस जाने लग गये । यह प्रगति है और इससे 15 से 25 परसेंट का इन्क्रीज प्रवेश में आया है यह सबसे बड़ी हमारी सरकार की सफलता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आंकडों में नहीं जाना चाहता कि कितना प्रतिशत क्या हुआ, कितना प्रतिशत क्या हुआ । मैं एक जानता हूं कि हर क्षेत्र में कालेजों में क्या, प्राइवेट कालेजो में क्या, मिडिल कालेजों में क्या, प्राइवेट कालेजो में जो उन्होंने अनुमति दी है इससे भी एक झुकाव आया है । इससे लडकों की एन्ट्री होना शुरू हो गया । अंत में चूंकि मेरे पास कहने को बहुत कुछ था लेकिन मैं संक्षिप्त में इतनी ही बात कहना चाहूंगा मैं मेरी मांग ही पेश कर रहा हूं हमारे नागौर जिले में 3-4 सब डिवीजन है और तीनों सब डिवीजन में शिक्षा मंत्री जी कालेज है । कुचामन में कालेज, नागौर में कालेज, डीडवाना में कालेज, मेडता में कालेज । मकराना और परबतसर कोई हमारी दो नंबर की तहसील थोडे ही है । हम दो नंबर के नागरिक थोडे ही हैं जो आप हमारे यहां कालेज नहीं खोलते । हम एक नंबर में हैं हमारी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये । मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं वहां इंडस्ट्रीयल एरिया है, सबसे

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

ज्यादा पापुलेटेड एरिया मकराना और परबसर का एरिया वहां भी आज कालेज नहीं है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा हमारे साथ न्याय होना चाहिये आप हमारे यहां कालेज खोलिए । हमारे यहां पोल्ट्री कालेज की हां भरी थी लेकिन मंत्रीजी ने आज पोल्ट्री कोलेज भी नहीं खोला । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरा क्षेत्र कई कारणों से उपेक्षित रहा है यह मैं इस सदन में नहीं कहना चाहता हूं । जान बूझ कर शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल नहीं खोली गई । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी को कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में 52 स्कूलें खोल दी । मैं इनका जिंदगी भर एहसान मानूंगा। मकराना के एरिया में 52 प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलें खोल दी । मुझे गर्व है और हम सबको इस बात का गर्व है । यदि यह सरकार और शिक्षा मंत्रीजी नहीं होते तो हम कार्यकर्ता गांवों में नहीं घुस सकते थे, क्या कह कर जाते। आज हमको उन एरिया में जाने जैसा रख दिया ।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी बहुत पक्षपात करते हो ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): शिक्षा मंत्रीजी अकेले मकराना में 52, कमाल कर दिया आपने साहब, वाह वाह आपका नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा ।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा इसलिए लिखा जायेगा कि मैंने शिक्षा मंत्रीजी से कहा था कि मेरा मकराना एरिया जहां मैं बीसों वर्षों प्रधान रहा हूं मुझे उपेक्षित रख दिया ।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, एक तरफ 52 स्कूल खुली हुई है और एक तरफ अलवर में एक भी नहीं है यह दिखाता है कि सरकार कितना पक्षपात करती है ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): इनको याद नहीं होगा 12 खुली होगी । (व्यवधान) आपको याद नहीं है 12 खुली है 52 का आपको गलत आंकडा याद है । 12 खुली है 52 कहां खुली आपके यहां ।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): मेरे है ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): नहीं, 12 खुली है दो साल में । आप 52 की गलत कह रहे हो कुल 12 खुली है ।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): नहीं गलत कह रहे हो आप ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अटैची का क्या हुआ ?

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): अटेची आप ले गये होंगे मुझे ऐसा लगता है । मान्यवर, 52 इसलिए खुली हैं मैं इसका एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । मैंने शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से कहा था कि मान्यवर मेरा मकराना क्षेत्र जिसका मैं बीसों वर्षों से प्रधान रहा हूं हमेशा उपेक्षित रहा है । मेरे यहां स्कूलें जान बूझ कर नहीं खोली गई हैं इसलिए बैकलोग पूरा कीजिए । मेरे तो बैकलोग पूरा किया गया था । नागौर की पूरी पंचायत तहसीलों में 2-4 हाई स्कूलें थी इन्होंने उस बैकलोग को पूरा किया है। मेरे वहां प्राइमरी स्कूलें खोली ही नहीं थी, इन्होंने बैकलोग को पूरा किया है। मेरे साथ न्याय किया है । ऐसा नहीं है कि मैं कोई इनका बहुत ही नजदीकी व्यक्ति हूं या कोई विशेष व्यक्ति हूं, मेरे साथ तो न्याय किया गया है । मेरे यहां जो कमियां थी उसको पूरा किया गया है । इसलिए मैं सदन में आपको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता और मैं निवेदन करना चाहता हूं और पूरे हाउस की भी यह मांग है कि हमारे यहां हाई स्कूलें भी खुलनी चाहिये और सीनियर हायर सैकण्डरी भी खुलनी चाहिये । यह मांग है, मोर का तो काम है बोलने का और बरसात करने का काम इन्द्र का है । इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीलाल खटीक ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि बीच में नहीं टोके ।

श्री अध्यक्ष: आप तो इस नियम का पालन करते हैं नहीं और आप इनसे अपेक्षा रखते हैं कि यह पालन करें । आप भी इसका पालन किया करो। खैर, आसन सबसे अपील कर रहा है कि इनके व्यवधान नहीं डाले शांतिपूर्वक इनकी बात सुन ले । लेकिन आप भी कोई ऊल जुलूल बात नहीं कहेंगे ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन में माननीय सदस्यों को जो आपने मेरे लिये आदेश दिया कि बीच में नहीं टोके वास्तव में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं एक मात्र मैं एक सदस्य हूं जिसके लिये आपने इस प्रकार कहा । यह आपका आशीर्वाद है इसको मैं मेरे जीवन में सदन की प्रक्रिया और नियमों में रहते हुए इसको मैं स्वीकार करता हूं, आपके आदेशों को शिरोधार्य करता हूं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप व्यवधान नहीं डालें ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा, कला और संस्कृति की मांग पर आज इस पवित्र सदन में चर्चाएं हो रही है । किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा की, और सर्वांगीण विकास यदि अपने जीवन में हो तो मैं समझता हूं कि अपने जीवन में सौ तालों की एक ही चाबी होती है। और वह है शिक्षा। सौ ताले वह बता रहा हूं समस्या और शिक्षा है सर्वांगीण अपने जीवन की सफलता का, यदि सर्वांगीण विकास किसी का करना है, किसी क्षेत्र, किसी परिवार, किसी देश, किसी प्रान्त का तो उसमें शिक्षा का सर्वांगीण विकास होना चाहिये।

शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता। डकैत डकैती नहीं डाल सकता। यह ऐसा धन है जो दिनो-दिन बढ़ता है। शिक्षा को जितना खर्च करें उतना अपने जीवन में यह धन बढ़ता है। इस पवित्र सदन में मैं आप सबसे एक ही आवहान करना चाहता हूं कि अपने-अपने क्षेत्र में शिक्षा के प्रति...

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़): इनसे पूछिये कौनसे स्कूल से शिक्षा ली है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये, मैंने आपसे पहले ही अपील की थी कि उनको व्यवधान न डाले।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाद में मैं बाध्य हो सकता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बड़े अफसोस की बात है कि सदन के सदस्य पालना नहीं कर रहे हैं आसन की व्यवस्था का। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्यों छेड़ते हो उनको (व्यवधान) अब सबने ठेका ले लिया क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, वह माननीय सदस्य उस स्कूल की भूमि को जाकर वंदन करना चाहते हैं जहां इन्होंने अध्ययन किया है।

श्री अध्यक्ष: वह करें चाहे न करें आप जरूर कर लेना वंदन।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं उस भूमि को भी लाख-लाख वंदन करता हूं कि जिस विद्यालय में संयमजी पढ़े हैं। हर्ष का विषय है कि आज पक्ष और प्रतिपक्ष में से सबके मन खुश है और वह भी मेरे पक्ष में। अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशों की पालना करूंगा, ज्यादा समय मैं

(डा. बंशीलाल खटीक)

व्यतीत नहीं करूंगा। समय 7.12 हो चुका है, 54 सैकण्ड हो चुके हैं। मेरा यह निवेदन है बीच में मेरी इस निरन्तरता को घटाये नहीं, बाद में मैं पटरी पर से उतर गया तो मेरा दोष नहीं।

श्री अध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं करें अब आप। पटरी से नहीं उतरने दे। अब आप उनको बोलने दे। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इसमें मैं दोषी नहीं रहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में कह रहा था कि शिक्षा हर जीवन में आवश्यक होती है और सभी दुखों का समाधान, यदि शिक्षा पूरी हो तो स्वत: अपने जीवन में कष्टों का समाधान हो जाता है। जिस जीवन में शिक्षा की परिपूर्णता हो तो उसके परिवार के व्यक्ति का विवेक उस शिक्षा की सम्पूर्णता से एक सही दिशा की ओर जाता है। एक परिवार में यदि एक व्यक्ति सम्पूर्ण शिक्षा ले लेता है तो मैं समझता हूं कि परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों का उस शिक्षा की ओर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या तमाशा बना रहे हैं आप? मकराना से आने वाले सदस्य आप बिलकुल उनके सामने और क्या तमाशा कर रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, ना जाने क्या मेरा भाग्य है, चोरी भी होना तो मेरे सामने, व्यवधान भी होना तो मेरे सामने, खैर प्रभु को जो मंजूर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, अब तो आप थोड़ा कड़ा रूख अपनाइये।

श्री अध्यक्ष: हां बिलकुल कठोर रूख। अब यदि कोई बोलेगा तो मुझे उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही करनी होगी, बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार इन दो साल दो महीने और 26 दिन में, शिक्षा का जो भारतीय जनता पार्टी के राज में काम हुआ है मैं समझता हूं कि बीते कांग्रेस के राजों में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। इनके 50 साल और हमारे आने वाले 5 साल। यह मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, जो सत्यता है सत्यता ही कहूंगा, सत्यता के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा।

(श्री बंशीलाल खटीक)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीति सब करते हैं। राजनीतिक दल है तो राजनीति करना आवश्यक होता है, पर राजनीति भी ऐसी करनी चाहिये जो देश के हित में हो, प्रान्त के हित में हो। प्रान्त और देश के हितों को ध्यान में रखते हुए राजनीति करनी चाहिये। चंद वोटों के कारण यदि कोई वोट देश हित में ठीक नहीं है। तो पहले देश हित...

श्री अध्यक्ष: अब आप पटरी पर से उतर रहे हो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नाम नहीं लिया। दोषी जब बनता हूं जब किसी दल का नाम लिया हो। (व्यवधान) अपने आप समझे, चोर की दाढी में तिनका, इसका मेरे पास कोई इलाज...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय) : बंशीलालजी की तरफ पांच मिनिट तक देख लें तो पूरे सदन को लड्डू खिलाऊंगा।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): भाई संयमजी, संयम रखिये। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मामले में हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा अग्रसर रही है। और मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय शिक्षा मंत्रीजी का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में इस प्रकार की, मेरा विधान सभा क्षेत्र जिला मुख्यालय है। और उस जिला मुख्यालय पर पोलीटेक्नीक कालेज, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र और कई ऐसे बड़े-बड़े काम किये, महिला महाविद्यालय, तीन बड़ी उपलिब्धयां, मेरे जिला मुख्यालय पर शिक्षा मंत्रीजी ने, शिक्षा राज्य मंत्रीजी ने, माननीय मुख्यमंत्रीजी ने, पूरे मंत्रिमण्डल ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा। इसके लिए मैं इस अवसर पर सबको बधाई देना चाहता हूं, पूरे मंत्रिमण्डल को पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीनों विद्यालय खोले इसके लिए तो बधाई देता हूं, जो कि आज वर्तमान की आवश्यकता है। जिला मुख्यालय पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने की बहुत आवश्यकता है। जिला मुख्यालय अकेले मेरे विधान सभा का नहीं है1 जिला मुख्यालय पूरा जिला है उसमें चार विधान सभा हैं। मैं चारों की बात कर रहा हूं, चारों विधान सभाओं का स्वार्थ निहित है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि केन्द्रीय विद्यालय वहां खोले। एक सैनिक

(श्री बंशीलाल खटीक)

विद्यालय हो। संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत हमारी देव भाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए जिला मुख्यालय पर संस्कृत महाविद्यालय की अपने वक्तव्य में ही घोषणा कर दें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बालिका शिक्षा को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, तो बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय हमारे काकरोली और राजनगर में और रेलमगरा में है उसमें विज्ञान संकाय और भूगोल संकाय नहीं है, यह विषय वहां खोले जाए ताकि बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमंद विधान सभा के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत भारी कमी है, कई पद रिक्त है। राजसमंद विधान सभा के रिक्त पदों की सूची मैंने माननीय शिक्षा मंत्रीजी की सेवा में पेश की है। आपकी सुविधानुसार, आपके पास संसाधन हो उसी के अनुसार ज्यादा से ज्यादा इन रिक्त पदों को भरा जाए ताकि वहां की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि इस पवित्र सदन में, हम हिन्दी को अपनी मातृ भाषा समझते हैं। पर इस सदन में भी कई, मैं बुराई नहीं करता अंग्रेजी की, पर ऐसी व्यवस्था तो आप करें कि यदि कोई अंग्रेजी में अपना उद्बोधन दे रहा हो तो उनको हिन्दी में अनुवाद करने के लिए बाध्य करें। ताकि हमारे माननीय सदस्य और जो कम पढ़े-लिखे हुए हैं, इंग्लिश को नहीं समझने वाले हमारे माननीय सदस्य हैं, उसमें मैं भी सम्मिलित हूं, मैं मेरी यह भावना व्यक्त कर रहा हूं। यह कोई कमजोरी नहीं है कि मैं मेरी कमजोरी बखान कर रहा हूं तो मैं छोटा हो जाऊंगा। मेरी कमजोरी यह नहीं है कृपया इस मात्र भाषा हिन्दी को यदि बढ़ावा देना है तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इंग्लिश शब्द का, अंग्रेजी शब्द का यहां बखान ही नहीं करें। सब, सम्पूर्ण जितने भी माननीय मंत्री महोदय हैं, जितने भी माननीय सदस्य हैं वो हिन्दी में ही बोलें ताकि हम किसी योजना को समझ सकें, अब डी.पी.ई.पी. है, अब कोई जाने ही नहीं डी.पी.ई.पी. क्या है। यह अलग-अलग शब्द हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे हैं जो अंग्रेजी में बोलने से हमें ऐसी स्कीमों का, ऐसी योजनाओं का हमें ध्यान नहीं पड़ता कि किस के अन्तर्गत क्या योजनाएं हैं। यदि हिन्दी में उसका उच्चारण किया जाए तो मैं समझता हूं कि वह अच्छा रहेगा और यह आज ही लागू करायें, कम से

(श्री बंशीलाल खटीक)

कम इस पवित्र सदन में तो आज से ही लागू करें। अपने वक्तव्य में हिन्दी को बढ़ाना देने के लिए आप आदेशित करें, मेरा ऐसा निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति इस हिन्दुस्तान की संस्कृति एक बहुत ही विश्व विख्यात संस्कृति रही है तो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहां वैदिक विद्यालय खोलना चाहिए। हमारे वेदों को हम भूलते जा रहे हैं। वेदों की ऋचाएं क्या होती हैं, वेदों में क्या है, वेदों की जो भावनाएं हैं हम उसको समझ सकें। हमारे क्षेत्र में वैदिक विद्यालय खोला जाए ताकि हमारी संस्कृति को कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी भुला नहीं दे और इस मैकाले पद्धति में लोग वशिभूत होकर अपना स्तर दिखाने के लिए न जाने इंग्लिश बोल लेते हैं जबकि जरूरत भी नहीं होती इंग्लिश की और अपनी होशियारी दिखाने के लिए इंग्लिश बोल देते हैं तो कि वास्तव में अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैंने पहले ही कह दिया था।

श्री अध्यक्ष: 15 मिनट हो गये बोलते आपको। 15 मिनट।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, बस यह दो-तीन बातें जो मुख्य-मुख्य बाते हैं, पूरे राजस्थान की बातें हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको ज्यादा समय दे दिया ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): एक निवेदन करना चाहूंगा। सर्व शिक्षा अभियान में हमारे यहां कमरों का निर्माण होता है इसके लिए तो मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। पर सभी विद्यालयों में इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत कोई विद्यालय की चारदीवारी नहीं हो तो उसको भी जोड़ा जाए, हम चारदीवारी उस सर्व शिक्षा अभियान में नहीं करा सकते।

श्री अध्यक्ष: आपको 60 लाख रुपये मिलते हैं, उसमें बनवा देना चारदीवारी।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जोड़ दिया जाए तो ठीक रहेगा। और एक अब मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष: अब आप प्लीज, प्लीज। ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): मैं मेरा करबद्ध निवेदन करता हूं आपसे। मेरी मांग है कि भामाशाह सम्मान योजना यहां थी हम उस भामाशह सम्मान योजना को भी बढ़ावा दें ताकि उन भामाशाहों को हम प्रेरित कर सकें

(श्री बंशीलाल खटीक)

कहीं भवन नहीं है तो उनके सम्मान के लिए भी हमारे योजना होनी चाहिए और उसमें हमारे कई भवन निर्माण हम करा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैदिक विद्यालय, मातृ भाषा हिन्दी के लिए मैंने आपसे जो अनुरोध किया है उसको यहां लागू किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया और आपने महति कृपा की मेरे लिए इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आप सब के उज्ज्वल भविष्य की बार-बार कामना करता हूं। वन्दे मातरम। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा ही।

श्री अध्यक्ष: नहीं, धन्यवाद प्रतिपक्ष के नेता को दो, उन्होंने नाम भेजा है इसलिए मैंने नाम पुकारा है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): कल भेजा था, कल नहीं दिया न।

कहा करते हैं कि 'चिंता श्री शोषणम, मातृ श्री पोषणम, विद्या श्री भूषणम' ।

श्री अध्यक्ष: क्या बात है, क्या बात है। यहां तो आज एक से एक विद्वान बोल रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): यह झुन्झुनूं के विद्वान हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): इसके बाद सरस्वती मां के लिए कहा 'मां, तेरी उपमा सूरज से करूं, कहा, नहीं मां, सूरज में गर्मी है तू ठण्डी है। कहा, मां तेरी उपमा चांद से करूं, नहीं मां, चांद में दाग है तू पवित्र है। कहा मां, तेरी उपमा समुद्र से करूं, नहीं मां, समुद्र का पानी खारा है तू मीठी है। जिस सरस्वती पर आज हम उपमा करने जा रहे हैं इसकी किसी से उपमा नहीं की जा सकती, यह सरस्वती मां अपने आप में मां है।

श्री अध्यक्ष: क्या बात है। आपने कभी सरस्वती मां की ऐसी व्याख्या सुनी? ...(व्यवधान) आज तो कमाल कर दिया।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप बोलने का मौका देते नहीं, कमाल कहां करेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गूजरों ने तो वेदों की पूरी व्याख्या करी है यहां पर।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): बोलने का मौका ही नहीं देंगे तो हम बखान कहां करेंगे।

श्री अध्यक्ष: यहां जातीयता के आधार पर आप कुछ नहीं कहेंगे किसी के लिए। किसी को भी जातीयता के आधार पर ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): जब मौका ही नहीं मिलेगा बखान कहां करेंगे, मौका मिलेगा तो बखान करेंगे। सत्यता से मुकर मत जाना, सत्यता की बात को सुनने में उसका इम्प्लीमेंट करना।

माननीय घनश्यामजी, मैं मानता हूं आपने शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी है पर इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ममताजी बोल रही थीं, महिला ही बजट है, महिला ही सब कुछ है, मैं महिला के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता पर मैं यह भी कहना चाहता हूं जिस दिन से इस शिक्षा में महिला आयी है शिक्षा का भट्ठा बैठ गया है।

श्री अध्यक्ष: क्या बात कही है आपने?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विरोध करता हूं इसका।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मेरी पूरी बात सुनने की कोशिश करो। सुनते क्यों नहीं हो। सुनने की क्षमता रखो।

श्री अध्यक्ष: आज का गुड़-गोबर कर दिया ...(व्यवधान) संस्कृत के श्लोक का गुड़-गोबर कर दिया।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): यह इनकी महिला विरोधी मानसिकता का परिचायक है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पूरी बात सुनिये उसके बाद परिचायक है कि नहीं, सुनने की क्षमता रखिये न, इतना भावुक क्यों हो रहे हैं?

मैंने शिक्षा के बारे में बहुत गहनता से देखा है, महिलाओं को आज बाड़मेर में लगाया गया है चाहे जैसलमेर में लगाया गया है। हमारे पूर्व मंत्रीजी अभी उत्तेजित होकर बोल रहे थे कि आदिवासी महिलाओं को राजसमन्द लगा दिया गया। जब शिक्षा बांटने का मौका ही मिला है तो क्या बाड़मेर, क्या जैसलमेर, क्या जालौर, क्या भीलवाड़ा, क्या सिरोही, क्या पाली। जब हमें मौका मिला है काम करने का हमें इच्छा-शक्ति रखनी पड़ेगी, हमें यह नहीं देखना पड़े

(श्री श्रवण कुमार)

कि मेरे घर के पास स्कूल हो। आज महिला को हमारी पंचायत समिति में लगाते हैं, उसको सबसे बड़ा नजदीक शहर होता है उसके पास ...

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सम्पन्न परिवार की कोई महिला अपना घर छोड़ना नहीं चाहती है, जो ढाणी, मजरों और पहाड़ों में रहने वाली महिला कहां पहुंच रही है उस पर चिन्तन और मनन करने की जरूरत है आपको।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पर यह बात भी सोचें उसका मर्द कमाऊ होता है तो महिला क्यों करती है नौकरी? आप क्यों आते हैं इस विचार के अन्दर? पहली बात तो सबसे पहली तो कमजोरी सिद्ध करते हो, यह हमारा काम ही नहीं था औरतों को नौकरी कराने का। एक तरफ तो नौकरी कराना चाहते हो, एक तरफ कहते हो अकेली महिला कहां जायेगी। महिला अकेली क्या होती है? महारानी झांसी अकेली थी, लड़ी नहीं थी क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वाह भाई वाह।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या बात करते हो? अब बातें करते हो, महिलाओं की बात करते हो बड़ी-बड़ी और बात करते हो कायरता की।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): महिलाओं की पैरवी की तो आपने ममताजी का विरोध क्यों किया नेता प्रतिपक्ष के लिए?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैंने कहां किया, ममताजी का मैंने तो विरोध किया ही नहीं, खुद ही अपने आप में विरोध की बात बोल रही थीं, मैं क्या करूं।

अभी कोई थोड़ी देर पहले घनश्यामजी की बढ़ाई कर देता है और फिर मांग कर देता है। सत्यता कहो न जिसमें किसी को बुरी लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे।

मैं कहना चाहता हूं, घनश्यामजी -

'महफिल भी क्या जिसमें शमा ना हो,
दिल में ना आग वो दिल भी नहीं,
होठों में हो हंसी और आंखों में हो नफरत,
ऐसी मोहब्बत का तो मैं कायल भी नहीं हूं'।

श्री अध्यक्ष: आज तो कमाल कर दिया। क्या संस्कृत, उर्दू, क्या बात है। ऐसा भाषण आज किसी का नहीं हुआ।

एक माननीय सदस्य: आज यह बड़े शगुन से बोल रहे हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष: हां, सदन के सितारे बनेंगे तो कल।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मुझे सितारा नहीं बनना है, मुझे सत्यता को प्रदर्शित करना है। झुन्झुनूं जिले में शिक्षा अपने आप में एक नम्बर पर है और वो भी कौनसा क्षेत्र, पिलानी जो पूरे हिन्दुस्तान में अपने आप में शिक्षा के नाम पर जाना जाता है। और वहां का एम.एल.ए. कौन? श्रवण कुमार और फिर शिक्षा पर नहीं बोले, वो जब बरसात हो और आँगन नहीं भीजे, हवा चले और पत्थर नहीं हिले तो हवा भी किस बात की।

श्री अध्यक्ष: वाह भाई वाह, क्या बात है, कमाल है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): श्रवणकुमार बोले और शिक्षा का पूरा अर्थ नहीं निकले तो पिलानी भी क्या। आज तो पूरा प्रदर्शन कर दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें बहुत प्रतिभा छिपी हुई है, इनको तो मौका ही नहीं मिला आसन की तरफ से। आज पहली बार मिला है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): प्रतिभा नहीं छिपी हुई होती तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही मान लो, पिलानी से कोई एक बार से दो बार जीता नहीं है, तीसरी बार श्रवणकुमार ही आया है। प्रतिभा छिपी है जब ही तो तीसरी बार आया है। और चौथी बार भी बड़े आराम से आयेगा। ...(व्यवधान) पिलानी से नहीं आयेगा सूरतगढ़ से आयेगा, आयेगा।

'हक के सौदाई नाहक को मिटा देंगे,
गर्दिश दौर भी आये तो दौर को भी बदल डालेंगे'।

इसमें चिन्ता नहीं है कि कौनसी बदल गयी और कौनसी परिसीमन में आ गयी। सूरतगढ़ आ गयी इसकी चिन्ता हमें नहीं है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि थोड़ी देर पहले बड़ी चर्चा हो रही थी कि स्कूलें बड़ी खोलीं। मैं इस बात को मानता हूं या तो घनश्यामजी इस बार आपने जो बजट में सैकण्डरी और सीनियर नहीं ली या तो आप कोई आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके दिमाग पर कोई आदमी टिप्पणी नहीं कर सकता। आपने या तो ऐसा किया कि सारी सैकण्डरी स्कूल सीनियर करेंगे आप और सारी मिडल ही सैकण्डरी करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब क्या बोलेंगे बाद में बोलेंगे पर आपने एक भी नहीं लिया और चुप बैठे हो तो आपने जरूर कोई न कोई बड़ा हथियार अपना रखा है। इस बात की तो मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि जरूर कुछ न कुछ नया

(श्री श्रवण कुमार)

फार्मूला लेकर आओगे जिससे पूरे राजस्थान में एक तहलका मचेगा। सुन तो लो आप। बड़ाई मत करो। ... (व्यवधान) इन्हीं कुर्सियों पर बड़ाई करता हुआ दुबारा नहीं आता है। बड़ाई मत करो। हमारे लोगों ने बड़ी बड़ाई की थी अशोकजी को महान बताते थे, एक भी नहीं आया अब की बार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिलकुल सही है। ... (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): और मैं कहता था कि झूठी बढ़ाई मत करो। काम की बढ़ाई करो। मैं कहता था न? अब आज पानी की बात करते हो। मैं आज दावे के साथ में कह सकता हूं कि सांवरलालजी ने पानी के अन्दर जो आमूलचूल परिवर्तन किया है वह कोई भी नहीं कर सकता। नहीं, यह इनकी बढ़ाई की बात नहीं है। जिस आदमी ने पार्टी पर ध्यान नहीं दिया। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मीठे को खारा बना दिया क्या आमूलचूल परिवर्तन करके? पानी में परिवर्तन कर दिया, मीठे को खारा बना दिया या खारे को मीठा बना दिया क्या

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मीठा नहीं बना दिया, सुनो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मीठे को खारा नहीं कर दिया पर जो आत्मा को शांति दे दी उसका दिल मीठा हो गया। इन्होंने यह नहीं किया कि यह एम.एल.ए. खिलाफ का है या पक्ष का है। इन्होंने कहा कि पानी की कहां कमी है और होना भी यही चाहिए अगर राज करने वाला, 5 करोड़ 70 लाख जनता के भाग्य का जो फैसला करता है उसमें पार्टीबाजी की भावना नहीं होनी चाहिए। यह दरवाजे की बाहर की बातें होती हैं। यहां जो इस सदन में बैठता है उसमें इस बात की गरिमा होनी चाहिए कि मैं जिस देश की जनता का भला करने के लिए आया हूं वह पार्टीबाजी में न पड़े। अगर मैं मेरा स्वार्थ सिद्ध करना चाहता हूं तो उसमें नहीं करना चाहिए पर मैं सदन के अन्दर किसी देश और विदेश के बारे में बात सत्यता की कर रहा हूं तो किसी मंत्री को इस बात पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए अगर वह करता है तो मैं कहता हूं कि इस पांच करोड़ जनता के साथ धोखा कर रहा है।...(व्यवधान) क्यों बुरा लग रहा है क्या? बोलने में कम है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय को नहीं लग रहा है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? मेरी पार्टी के लोग कह रहे हैं और कुछ बचा है क्या आपको क्या तकलीफ हो रही है?

श्री अध्यक्षः सच्चाई का बयान कर रहे हैं। फिर चाहे वह शिक्षा मंत्री का हो और चाहे जल प्रदाय मंत्री का हो, किसी का भी हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): उसमें शिक्षा मंत्रीजी नाराज हो तो नाराज हो और राज़ी हो तो हो जाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी ने स्कूलें खोलीं, सीनियर भी बनायी पर आज भी मैं कहता हूं कि गणित के व्याख्याताओं की कमी है, वरिष्ठ अध्यापकों की कमी है। विज्ञान का, जैसा कि महादेव सिंहजी कह रहे थे कि विज्ञान का अध्यापक हिन्दी पढ़ा रहा है। फिर ऐसी शिक्षा देने से क्या फायदा जो आदमी जाने ही नहीं। किसी ने कहा, वह स्कूल में चला गया। वह कह रहा कि आज स्कूल में शिक्षा का स्तर डाउन जाने का कारण क्या हुआ। पूछा, वह बोलें, राम का धनुष किसने तोड़ा? इंस्पैक्टर आ गया। खड़े होकर बतायें कि किसने तोड़ा तो एक बच्चे ने कहा कि गुरूजी, मैंने तो नहीं तोड़ा। मेरा तो हाथ ही टूटा हुआ है। मैं कैसे तोड़ता? दूसरे को कहा कि तू खड़ा हो तो वह बोलता है कि गुरूजी मैं तो तीन दिन से स्कूल में ही नहीं आया था। मैं कहां से तोड़ता तो उस इंस्पैक्टर ने कहा कि गुरूजी आप ही बताइये कि किसने तोड़ा तो वे बोलें, इंस्पैक्टर साहब, मेरे पर ही डाउट हो गया क्या आपको? इन बच्चों को हटाकर मेरे पर ही डाउट कर दिया। मैंने तोड़ा है क्या? तो इंस्पैक्टर ने कहा कि जिस चीज को नहीं जानते हो वह पढ़ानी भी नहीं चाहिए तो मैं कह रहा हूं कि जिनके पास अध्यापक नहीं होते हैं तो उनको स्कूल खोलनी भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास पूरी सामग्री है तो युद्ध के लिए तैयार होइए वरना आप युद्ध मत करिये। आपके यहां पर सामग्री है नहीं और युद्ध करने के लिए चल दिये। आपके पास अध्यापक हैं नहीं और स्कूल खोल दी। प्राइमरी के अध्यापकों को आपने कहा, यह बी.एससी. है, बी.एड. है क्या, इसको सैकण्डरी भेज दो। आपको मालूम है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात का कि इन्होंने क्या किया? प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को सैकण्डरी में लगा दिया और सैकण्डरी के अध्यापक की पोस्ट खाली पड़ी है आज भी। ... (व्यवधान) क्यों भेजा? उनको तनख्वाह तो देंगे आप थर्ड ग्रेड की और काम करवाएंगे सैकिण्ड ग्रेड का, नो।

श्री अध्यक्षः आपको बोलते हुए पूरे दस मिनट हो गये हैं, कृपया कनक्लूड कर दें।... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष: मैं सबका समय लिखती हूं। आपने शुरू किया था 7.24 पर और 7.34 हो रहे हैं, प्लीज कनक्लूड करिये। ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : आप डी.पी.ई.पी. की बात करते हैं। डी.पी.ई.पी. में मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला है कि प्रधानाध्यापक स्टोर से कॉपियां लेकर आते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं किसी से छुपाता नहीं हूं। माननीय मंत्रीजी चले गये, आ गये क्या? मंत्रीजी, आपकी डी.पी.ई.पी. का बड़ा घोटाला है। एक अध्यापक, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं, ऐसे अध्यापक हैं जो 8890 रुपये का चैक देकर आये और स्टोर से 7000 रुपये की कॉपियां लेकर आये हैं। आप देखिये कि 8890 रुपये में 1890 रुपये का गबन कर सकता है वह अध्यापक। 25 परसेंट का सीधा ही गबन कर रहा है और ऐसे अध्यापकों को पनिशमेंट नहीं मिला तो यह शिक्षा के नाम पर यह कलंक हो जाएगा। जिस देश की शिक्षा कमजोर है, वह देश कमजोर है। वह समाज कमजोर है और वह व्यक्ति कमजोर है इसलिए ऐसे अध्यापक को मैं आपको बाई नाम, बाई स्कूल के और प्रमाणित करवाऊंगा कि ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने यह चोरियां की हैं। इस डी.पी.ई.पी. पर आप ध्यान दीजिए। यह सर्व शिक्षा अभियान जो आपने चला रखा है। अध्यापकों को आपने शिक्षा से हटाकर जनगणना पर लगा दिया। आज वे बीमारों की संख्या जोड़ रहे हैं। अध्यापकों को बीस काम अलग-अलग बांट दिये तो अध्यापक काम कहां से करेगा? स्कूल में कहां से जाएगा? कुछ तो अध्यापकों की कमी है। मेरे साथी बता रहे थे कि 1500 अध्यापकों की कमी चल रही है। अध्यापकों की हमारे कमी नहीं है पर इनको शिक्षा से हटाकर दूसरी तरह उनका मूवमेंट बना दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि वह स्कूल शिक्षा से अधूरी रह जाएगी। बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में बहुत जाते हैं। प्राइवेट में जाएंगे न। कितने एम.एल.ए. ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी स्कूलों के अन्दर कुर्सियां बनाकर दीं?

श्री अध्यक्ष: कृपया, समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): कितने एम.एल.ए. ऐसे हैं जिन्होंने स्कूलों में बिजली लगवाई? कितने एम.एल.ए. ऐसे हैं जिन्होंने लाइट की व्यवस्था करवाई? कहेंगे कि श्मशान घाट की चारदीवारी बना रहे हैं। क्या मुर्दा उठकर भाग रहा है क्या? क्या मुर्दा उठकर भाग रहा है, जो उस श्मशान की चारदीवारी बनायें?

श्री अध्यक्ष: आप कृपया समाप्त करें। कटमोशन आपका है नहीं। प्रतिपक्ष के नेता ने नाम लिख दिया इसलिए मैंने बुला दिया। मेरी व्यवस्था के विपरीत बुला दिया क्योंकि मेरी व्यवस्था दी हुई है कि जो पहले कटमोशन देंगे उनको बुलवाया जाएगा। ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): कल दिया था मेरे कटमोशन पर ... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि सभी एम.एल.एज. इस बात की हमदर्दी रखते हैं। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उसके बाद भी ... (व्यवधान) कृपया, आप अपना स्थान ग्रहण करें, बहुत हो गया। ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सभी एम.एल.ए. इस बात की भावना रखते हैं तो स्कूलों में आप कुर्सिया बनवाइये। लाइट लगवाइये। पंखें भी लगवाइये। स्कूलों में कमरा बनवाओ और स्कूल का प्राइवेट स्कूलों से उनका मूवमेंट हटाइये और उनको ऐसे स्कूलों से ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। कृपया, स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो। ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, अब आप ध्यान रखा करें। ... (व्यवधान) थोड़ा आप भी ध्यान दें। ज्यों-ज्यों उनके कटमोशन आते हैं, यह व्यवस्था इस आसन से हो चुकी है। नहीं ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। इस आसन से मैंने यह व्यवस्था दी हुई है कि जो लोग कटमोशन, जो माननीय सदस्य कटमोशन देंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद जो नहीं दिये हुए हैं कटमोशन, उनको उसके बाद बुलवाया जाएगा। उसके विपरीत आपने इनका नाम लिया। अब यह कहना नहीं मान रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठ नहीं रहे हैं। ... (व्यवधान) 13 मिनट हो गयी है इनको और उसके बाद भी नहीं बैठ रहे हैं। आपका भी कहना नहीं मान रहे हैं। क्या करूं इनका फिर अब कहना तो मानना चाहिए उनको। ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अध्यक्ष: दे दिया धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमराराम (धोद)

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर जो चर्चा हो रही है, मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं और जहां तक शिक्षा का मैं समझता हूं कि सार्वभौमिकरण हो इसके लिए विशेष तौर से जो स्थिति हमारे राजस्थान में है वह इस रूप में बहुत ही भयंकर स्थिति है। हमने स्कूलें बहुत खोली हैं, लगातार खोलते जा रहे हैं लेकिन उन स्कूलों की व्यवस्था की हालत जर्जर होने का नतीजा है कि वहां मजबूर होकर अभिभावक जो है उनको अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजना पड़ता है। आज भी आपने जो प्रगति पत्र दिये हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य, बैठे-बैठे बात नहीं करें।... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों में 33624 और माध्यमिक विद्यालयों 17221, कुल मिलाकर 50845, शिक्षक की जो पोस्ट आपने सैंक्शन कर रखी है उसमें भी पचास हजार से ज्यादा पोस्टें वेकेंट हैं और जितने भी विद्यालय अभी दो साल में खोले गये हैं शायद उनमें तो अभी पोस्टें आपने ज्यादातर सैंक्शन नहीं की हैं अगर जितने विद्यालय आज की तारीख में खोल रखे हैं उनकी सैंक्शन पोस्ट करेंगे तो एक लाख से ज्यादा पोस्ट वेकेंट होंगी और इन वेकेंट पोस्ट होने का सबसे ज्यादा नुकसान उन इलाकों को होता है, सबसे पहले ग्रामीण इलाकों को, जहां शिक्षा का स्तर आज की तारीख में भी राजस्थान के उन जिलों से शिक्षा का स्तर कमजोर है। क्योंकि वहां के लोकल शिक्षक नहीं होते। अगर लग भी जाते हैं तो ट्रांसफर करवाकर वहां आ जाते हैं और सबसे बड़ा नुकसान राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में जो जिले और क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, उनको सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और आज की तारीख में लगातार मैं नहीं समझता कि आज इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी है, जब आपकी सैंक्शन है, बजट है और राजस्थान में पढ़ाने लाखों की संख्या में बी.एड. और एस.टी.सी. ट्रेंड हैं और फिर भी रिक्रूटमेंट नहीं होता। तो मैं समझता हूं यह केवल वाहवाही लेने का यहां प्रयास कर रहे हैं। बाकी असल में जो विद्यार्थी पढ़ने के लिये सरकारी विद्यालय में उसी परिवार का विद्यार्थी आता है जो निजी विद्यालय की फीस नहीं दे पाता है और उसी की हमें चिन्ता करने की जरूरत है। और यह जो एक लाख से ज्यादा विद्यार्थियों से पद रिक्त हैं, मैं समझता हूं सही होगा कि विद्यालय पर विद्यालय हम खोलते जाएं लेकिन उसमें पढ़ाने वाले नहीं हैं और विशेष रूप से सब्जैक्ट टीचर तो हैं ही नहीं। मैं समझता

(श्री अमराराम)

हूं सबसे ज्यादा दयनीय हालत हमारी होगी। शिक्षा में हम राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के आधार पर आज हालत क्या है हमारी शिक्षा की, जो दस साल से लॉ कालेज चल रहे थे पाँच विधि महाविद्यालय, जो सरकारी क्षेत्र में थे, बार कौंसिल ने उनकी मान्यता रद्द कर दी। वह सुविधाएं जो पाँच-पाँच साल से, दस-दस साल चल रही हैं, विधि महाविद्यालय जहां से विधि की शिक्षा प्राप्त करके आ रहे हैं, उनके नोर्म्स हैं, उनको आज तक हम पूरा नहीं कर पाये और उसी का नतीजा यह हुआ कि बार कौंसिल ने पाँच विधि महाविद्यालय सीकर, गंगानगर जो बड़े-बड़े ..(व्यवधान).. सरकारी, प्राइवेट की भी की है और सरकारी श्री कल्याण महाविद्यालय, सीकर ..(व्यवधान)..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं की।

श्री अमराराम (धोद): अब वापस आने कर दी तो मैं कह नहीं सकता लेकिन जो हालत शिक्षा के क्षेत्र में हमारी हो रही है और राजनैतिक आधार पर मैं समझता हूं कोई मापदण्ड नहीं है। हमारे आज, चाहे आप सत्ता में बैठे हैं, प्रतिपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य हैं, कम से कम शिक्षा के मामले में राजनीति नहीं हो। विद्यालय क्रमोन्नत करने के कोई मापदण्ड होने चाहिये। मैं समझता हूं प्रतिपक्ष के नेता के विधान सभा क्षेत्र में मलसीसर, जिस गांव की आबादी 14 हजार है और 57 साल की आजादी के बाद सरकारें बदली हैं और आज की तारीख में भी राजस्थान में पहला गांव होगा जिसकी 14 हजार से ज्यादा आबादी हो और आज तक वहां सैकण्डरी स्कूल नहीं हो। इससे बड़ा उदाहरण मैं समझता हूं और क्या हो सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, पूरी पंचायत समिति में महिला सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं थी, आपने उसको कर दिया, लेकिन यह ऐसे उदाहरण हैं कि पूरी की पूरी पंचायत समिति में एक महिला हायर सैकण्डरी स्कूल, सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं हो 14 हजार की आबादी होने के बावजूद भी। आपके मुख्य मंत्रीजी से मिलने भी जाएं, चार बार मुख्य मंत्रीजी से मिलने के लिये गये। एक ही उत्तर मिलता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइये। भारतीय जनता पार्टी में भी हो गये, कांग्रेस में भी हो गये, मैं समझता हूं यह आपका दृष्टिकोण हो किसी भी गांव की स्कूल को खोलने के लिये, यह आपकी प्राथमिकताएं और मापदण्ड हो कि वह सरकार, जो पार्टी सत्ता में बैठी है, उस पार्टी में शामिल होने पर ही खोलेंगे, मैं समझता हूं आम जनता के साथ न्याय नहीं होगा।..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: यह तो आपकी बात गलत है, मुख्य मंत्रीजी ने तो कांग्रेस के सात-सात स्कूलें खोली हैं एक–एक क्षेत्र में। यह तो गलत बात है आपकी।..(व्यवधान)..

श्री अमराराम (धोद): नहीं, अध्यक्ष महोदय, मलसीसर की जहां 14 हजार की आबादी है।

श्री अध्यक्ष: आप थे क्या उस डेलीगेशन में? आप शामिल थे क्या जो डेलीगेशन ग्रामवासियों का गया था, उसमें आप भी शामिल थे क्या?

श्री अमराराम (धोद): नहीं, मैं शामिल था कि नहीं था, लेकिन 14 हजार की आबादी में आज की तारीख में सैकण्डरी स्कूल नहीं है।..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आपके क्षेत्र में ही पाँच-छह खोली हैं।..(व्यवधान)..

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मेरे क्षेत्र में खोली तो हैं लेकिन सब ऐसी खोली हैं, उनका मैं वर्णन नहीं करूंगा। यह जो बता रहे हैं माननीय सदस्य..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: वर्णन तो करना चाहिये, कर दो।..(व्यवधान)..

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सी.पी.एम. वालों को जानकारी नहीं है, वहां पर 10+2 की स्कूल है। वह गवर्नमेंट से 80 प्रतिशत एडेड है।

श्री अमराराम (धोद): वह एडेड होगी लेकिन सरकारी स्कूल आज की तारीख में नहीं है, सरकारी स्कूल (व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, आज की तारीख में 10+2 है।

श्री अमराराम (धोद): माननीय नेता महोदय, आप तो वह बताइये सरकारी स्कूल मलसीसर में है? आज राजस्थान के (व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): देखिये, आप गलतबयानी मत करिये। आप मलसीसर के मामले में, मंडावा के मामले में गलतबयानी मत करिये। मलसीसर के अंदर 10+2 गवर्नमेंट की नहीं है, लेकिन वह गवर्नमेंट से एडेड है।

श्री अध्यक्ष: वह इनका क्षेत्र है, आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): मैं यही तो कह रहा हूं और मैं क्या कह रहा हूं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 80 प्रतिशत एड है उसको। (व्यवधान)...

श्री अमराराम (धोद): 100 प्रतिशत कर दीजिये न आप उसको। (व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सुनो तो सही बात। गांव वाले चाहते नहीं हैं। गांव वाले तो यह चाहते हैं कि उसको टेक-ओवर करो।

श्री अमराराम (धोद): हां, तो यह कर दो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): टेक-ओवर करवा दो, हम तो तैयार हैं। (व्यवधान)...

श्री अमराराम (धोद): प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप मंत्री रहे पाँच साल तक आपने टेक-ओवर नहीं किया और यह भी नहीं करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सुनिये आप, उस वक्त मैं था जब नहीं था। यह बिड़ला जी चलाते थे। बिड़ला जी ने अब अपनी ग्रांट इन एड विद्-ड्रा कर ली इसलिये मुश्किल हो गयी उनकी। मैं जब मंत्री था तब बिड़ला जी उसको पूरी एड देते थे इसलिए वह अच्छी चल रही थी, गवर्नमेंट से भी अच्छी चल रही थी। घनश्याम जी वह हायर सैकण्डरी स्कूल उनसे अच्छी चल रही थी, आज भी अच्छी चल रही है। लेकिन बिड़ला जी के विद्-ड्रा करते ही उनके कमजोरी आ गयी। (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलेंगे आप, गलत बात है।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल इसमें राजनीति की जा रही है बल्कि राजस्थान के 32 जिला मुख्यालय हैं जिनमें चार जिला मुख्यालय ऐसे हैं जहां आज भी सरकारी महिला महाविद्यालय नहीं हैं। जब हम समानीकरण की बात कर रहे हैं जहां जिला मुख्यालय पर नहीं होकर राजनैतिक कारणों से आप दूसरी जगह एक नहीं चार महाविद्यालय खोले हैं, विधि महाविद्यालय खोले हैं। लेकिन प्रमुखता जिला मुख्यालय को नहीं होगी। जहां सरकारी और 80 प्रतिशत एड का सवाल है, सीकर में भी 75 प्रतिशत महिला महाविद्यालय है लेकिन अगर फीस आप देखेंगे तो सरकारी महाविद्यालय से दस गुनी फीस वहां है। वहां सरकारी महाविद्यालय की फीस और निजी महाविद्यालय की फीस अगर बराबर है तो कहां दिक्कत है, लेकिन दस गुना फीस है। आज भी समानीकरण की सबसे ज्यादा आवश्यकता है।

श्री अध्यक्षः दस गुना से भी ज्यादा है।

श्री अमराराम (धोद): इससे भी ज्यादा है, लेकिन उन विद्यार्थियों की सोचना है। होने को तो सीकर में मोदी इंस्टीट्यूट है जहां एक बच्चे की फीस डेढ़ लाख रूपये सालाना देने वाले हैं, उनकी क्या चिन्ता करनी है। हमें तो उनकी चिन्ता करनी है जो फीस नहीं दे सकते, जो विद्यालय नहीं जा सकते, उन महाविद्यालयों में नहीं जा सकते। उस वर्ग के बच्चों और बच्चियों की शिक्षा की चिन्ता करने की जरूरत है। यह पूरा का पूरा बजट महिला सशक्तिकरण के लिये है लेकिन उन चार जिला मुख्यालयों पर सरकारी महिला महाविद्यालय खोला जाए । राजस्थान में कम से कम सीकर जिला मुख्यालय पर खोलें। नीमकाथाना में सरकारी महिला महाविद्यालय है। हम राजनैतिक कारणों से जब तक हम शिक्षा में राजनीति करेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की आम जनता के साथ न्याय नहीं होगा। यही राजस्थान में पैरा-टीचर की बड़ी बात करते थे। अभी मंत्रीजी कहेंगे हम उनको कन्टीन्यू रखेंगे। लेकिन जो अतिरिक्त पैरा-टीचर गंगानगर में थे, 32 जिलों में केवल गंगानगर के पैरा-टीचर जो अतिरिक्त पैरा टीचर थे, राजस्थान में 31 जिलों में नहीं हटाये, लेकिन गंगानगर के अतिरिक्त पैरा-टीचर थे, क्योंकि उन्होंने आपके सामने प्रोटेस्ट कर दिया। आपके ही विभाग ने दिया है कि अतिरिक्त पैरा-टीचर मंत्रीजी जवाब दें जब बता दें, राजस्थान में 32 जिलों में केवल गंगानगर के अतिरिक्त पैरा-टीचर हैं उनको हटाया गया जो 250 के करीब थे। आज उनकी वेदना है। अभी कह रहे हैं कि आठवीं पास आ गये, दसवीं पास आ गये, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में यह जो स्थिति बनी हुई है, मैं समझता हूं उनके लिये हम जब तक इस बात को नहीं देखेंगे राजनीति के आधार पर और हम हमारी राजनीति टीचर से चलाना चाहते हैं। आज तक भी हम कहना चाहते हैं राजस्थान में शिक्षा को राजनीतिक आधार से चलाना चाहते हैं। आज भी शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति को हम कार्य रूप नहीं दे पाये। बढ़िया से बढिया शिक्षक है, उसकी स्कूल की सबसे बढिया व्यवस्था है, लेकिन अगर वह हमारी राजनीति के अनुसार सही सलामत नहीं है तो उसको सबसे बढिया इनाम उसको स्थानान्तरण का मिलेगा और राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारी पूर्ति करता है, चाहे वह स्कूल में एक दिन भी नहीं जाये। हजारों टीचर ऐसे होंगे अध्यक्ष महोदय, जो एक दिन भी विद्यालय में नहीं जाते।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वह नेताओं के हाजिरी देते हैं और इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं

(श्री अमराराम)

होती है। मेरा आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि शिक्षा को हम राजनीति से दूर रखें। राजस्थान की आम जनता को शिक्षित करने के लिये इस बजट का अधिकतम उपयोग जब ही होगा, जब हम सच्चे दिल से राजस्थान की जनता की जो आवश्यकताएं हैं और जो समानीकरण, अध्यक्ष महोदय, आज भी शहरों में दस विद्यार्थी हैं और पाँच टीचर हैं। ढाई साल हो गये आपको कहते हुए कि हम समानीकरण कर देंगे। एक तरफ तो 500 लड़के हैं, सीनियर स्कूल है, उसमें दो टीचर हैं। एक शहर में पांचवी तक की स्कूल है 20 विद्यार्थी हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और आठ टीचर हैं। जो हैं उनका भी सही उपयोग, जब तक हमारी राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं होगी, राजनीतिक दबाव आएंगे, बहुत से नेताओं के परिजन हैं। उनको निश्चित रूप से लें जो कुछ भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं वह आम जनता के हक में हो, राजनीतिक कारणों से नहीं हो। तो निश्चित रूप से जो शहरों में समानीकरण गांवों में और आज तो स्थिति यह कर रखी है कि एक पंचायत समिति में बैठे हुए, एक-एक पंचायत समिति में बीसियों स्कूलों पर ताला लगा रहता है। वहां का आपका ब्लाक शिक्षा अधिकारी, बी.डी.ओ., इधर से उधर करने का दो साल में कोई नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष: 12 मिनट हो गये बोलते-बोलते, प्लीज कन्क्लूड ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बोलने दीजिए, अच्छा बोल रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: पौन घण्टा तो लगेगा बुलेटिन के बाद में और दो मंत्रीजी जवाब देंगे। अभी बोलने वाले कम से कम भी 10 बाकी हैं। मेरी मजबूरी है। आपके लिये तो सब अच्छा बोलेंगे। जो अच्छा बोलते हैं, उनको नहीं बोलने दो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): मैं तो समाप्त कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है, सरकार से, मंत्रीजी से कि दृढ़ होकर जो कुछ हमने टीचर लगा रखे हैं उनका सही उपयोग हो और जो रिक्त पद हैं उनको जब तक हम नहीं भरेंगे, केवल हम ऊपरी बात करेंगे, राजस्थान की आम जनता को शिक्षित करने में हमारा योगदान नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। माननीय सदस्या, मैं आपसे निवेदन करुंगी कि अब समय को देखते हुए, दो मंत्री जवाब देंगे, बुलेटिन के बाद पौन घण्टा लगेगा और 5-5 मिनट मैं चाहूंगी सबको मौका मिले। आप 5 मिनट में अपनी बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वह रख दें। नाम बता देना।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): जैसा आप कहती हैं, वैसा ही करुंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में मांग नम्बर 24, शिक्षा और कला के बारे में मेरे विचार रखना चाहती हूं। आपने कहा उस तरह से कहती हूं, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूं कि इन्होंने मेरे क्षेत्र के अन्दर जिस तरीके से ही स्कूलों का विस्तार किया है मैं इसके लिये इनको बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री अध्यक्ष: बधाई और धन्यवाद के बजाय जो काम करवाना है, वह गिना दो आप तो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, काम की बात तो यह है कि स्कूलों की हालत बहुत जर्जर है वह स्कूलों की मरम्मत होना अति आवश्यक है। क्योंकि राजा-महाराजाओं के टाइम के स्कूल हैं। फतेहपोल है, एक-एक स्कूल का नाम गिनाऊं तो बहुत सारी स्कूल हैं शहर के अन्दर, उनकी मरम्मत होना अति आवश्यक है। मंत्रीजी ने स्वयं चलकर के सारे स्कूलों का निरीक्षण किया है। अपने साथ सारे अफसरों को बुलाया और देखा है कि स्कूलों की क्या स्थिति है। मैं चाहूंगी, मेरा कटमोशन भी यह है कि उन स्कूलों की मरम्मत हो, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो, मेरा कट मोशन भी यही था।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी और सदन की नेता को भी बधाई देती हूं। शिक्षा सम्बल के अन्दर जिस तरीके से कार्य करवाया है और मैं चाहूंगी उसमें और आगे बढ़ोतरी हो, ऐसा कार्य है। अब मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से, क्योंकि मेरे को आपने ऐसा कह दिया कि बहुत सोचना पड़ रहा है कि क्या बोलूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो महत्वपूर्ण बातें कहूंगी। क्योंकि शिक्षा में जो टीचर्स होते हैं उनको हर काम के अन्दर लगाया जाता है तो मेरी एक मांग है, अगर राशन कार्ड बनेंगे तो टीचर जाएगा, जनगणना होगी तो टीचर जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि टीचर्स को हर समय उनका उपयोग लिया जाता है । मैं यह चाहूंगी इसके अन्दर आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए ।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

क्योंकि और कई डिपार्टमेंट हैं, ये सारे इन्हीं लोगों को लेते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि बच्चे आते हैं कि मास्टर साहब तो राशन कार्ड बनाने के अन्दर गये हैं। तो कम से कम इसके ऊपर आपका विचार होना अति आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी। कल की ही बात बता रही हूं। यह समझ लो 80-85 साल की महिलाएं 5-7 आयीं और बाकायदा लकड़ी लिये हुए आयीं। मैं घबराई हुई थी कि वह आकर मेरे को यह कहें कि हमारे यहां पानी नहीं आता है। मेरे को सबसे ज्यादा डर यह लगता है। उन्होंने कहा कि नहीं, पानी तो हमारे खूब आता है। हमारे स्कूल तो बहुत बढ़िया हैं, हमारे मास्टर बढ़िया हैं, मगर हमारे स्कूलों में बच्चे जाते हैं तो बहुत डर लगता है। हमारे स्कूल ठीक होने चाहिए। आप बाईजी से कह दें, बाईजी कौन, राजमाता साहब की बेटी । मैंने कहा ठीक है, आपने यह सही बात कही । तो साथ वाली ने कहा बेटी नहीं महारानीजी। तो महारानीजी कह दें, कुछ कह दो लेकिन स्कूलों का काम, मैं वास्तव में सही बता रही हूं, यह स्कूलों की और मैंने अभी भी यह बात कही कि स्टेट के समय के स्कूल हैं, बहुत जीर्ण-शीर्ण हैं, उनके लिये कोई स्पेशल फण्ड की व्यवस्था हो। पिछली कांग्रेस सरकार ने तो बहुत लम्बा राज किया लेकिन शिक्षा के बारे में इतना नहीं सोचा और स्कूलों की मरम्मत के लिये कोई विचार नहीं किया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि राजमहल स्कूल, आपने तो सुना होगा कि इतनी जबरदस्त स्कूल है कि उसमें 4 स्कूल और हों तो भी कम है। इतनी बड़ी स्कूल है। मगर उनकी मरम्मत की आवश्यकता है। आज फतेहपोल स्कूल है। इतनी बड़ी स्कूल है, यदि शिक्षा मंत्रीजी कॉलेज खोल दें तो भी चल सके। इतने बड़े-बड़े स्कूल हैं, कोतवाली स्कूल है। ऐसी स्कूलें हैं जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है। और आपने इतनी स्कूलें क्रमोन्नत की हैं कि इस तरह से स्कूलें आज तक क्रमोन्नत नहीं हुई हैं। आपने क्रमोन्नत किया इसके लिये बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कला और संस्कृति के बारे में माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि कला और संस्कृति को जिंदा रखने के लिये ऐसे ऐसे महानुभाव हैं, जो अच्छा-अच्छा गायन करते हैं। इतनी अच्छी-अच्छी जगह हैं, मंदिर हैं, मगर उनकी भी वही स्थिति है, उसके बारे में भी विचार किया जाए। जो कला प्रस्तुत करने वाले हैं उनके लिये ऐसे फण्ड की व्यवस्था की जाए। एक जमाने में नगर-निगम वाले व्यवस्था करते थे, अब

गणगौर आयेगी। अपने कई सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं उनमें यह प्रावधान रखें। मेरी यही मांग है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी और विशेष तौर से राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय एक बात और है, 4 मिनट ही हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: आपको 5 मिनट दिये थे, 5 मिनट हो गये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद इस बात के लिये भी दूंगी कि दो सालों के अन्दर 50-60 हजार लोगों को नौकरियां दी हैं। आज तक हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद कभी इतनी नौकरियां नहीं दी गयी हैं। इसके लिये इस सरकार, शिक्षा मंत्रीजी और सदन की नेता, माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरीसिंह रावत।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 के अन्तर्गत शिक्षा एवं कला, संस्कृति के सम्बन्ध में निवेदन है, किसी राष्ट्र या प्रदेश को अगर समृद्धशाली बनाना हो तो उसके लिये शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न होना जरुरी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी संवेदनशील मुख्य मंत्रीजी एवं हमारे विजिलेंट माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो कदम उठाया है वह जग-जाहिर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बजट में, 2006-07 का अनुमानित बजट पेश किया वह दूरदराज के अत्यंत गरीब से लेकर शहर के सम्भ्रांत व्यक्ति को दिल को छूने वाला बजट पेश किया है। वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के सपनों को मूर्त रूप देने के लिये जो अध्याय प्रारम्भ किया है, वह तो एक ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष 2006-07 की वार्षिक योजना का आकार, योजना आयोग ने 8501 करोड़ 41 लाख रुपये निर्धारित किये, बजटीय प्रावधान इससे कुछ अधिक 8562 करोड़ 54 लाख रुपये है जो कि वर्ष 2005-06 के संशोधित आकार से 407 करोड़ 31 लाख रुपये अधिक है जो हमारी सरकार की एक उल्लेखनीय उपलब्धि कहना न्यायोचित है। अध्यक्ष महोदय, आज उसी मांग के अन्तर्गत हमारी सरकार कई ऐसे आयाम कायम करने जा रही है जिसके अन्तर्गत पहली कक्षा से लेकर अंग्रेजी शुरू की तो आज के इस विकासशील युग और नये युग में शिक्षा में अंग्रेजी का होना निहायत जरुरी है। क्योंकि आज का जमाना कम्प्युटर युग है। और इस टाइम कोई आधुनिक ऐसी

(श्री हरीसिंह रावत)

संस्कृति पैदा हुई है जिसके अन्तर्गत इंग्लिश को महत्व दिया गया है। यह बहुत सराहनीय कदम है। दूसरा है, स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना, राज्य के मुक्त विद्यालय, 325 संदर्भ केन्द्र संचालित कर अभी तक 28 हजार विद्यार्थियों को इसका लाभ दिलवाया है। यह भी एक रिकार्ड नामांकन हुआ है।

(समय 20.00 बजे)

यह भी एक रिकार्ड नामांकन हुआ है इसके लिए। विकलांग एवं मंद बुद्धि छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति, दूसरा सेकण्डरी, सीनियर सेकण्डरी के छात्रों को 50 परसेंट बस भाड़े में रियायत दिलाना, यह भी हमारे गरीब बच्चों के लिए एक सराहनीय कदम है। प्राथमिक विद्यालय के सभी एक करोड़ छात्र-छात्राओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाना, यह भी हमारे गरीब बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। सरकारी विद्यालयों का कम्प्यूटर शुल्क 50 परसेंट कम किया और इसका जो होगा, 50 परसेंट सरकार वहन करेगी। वनवासी क्षेत्र में निजी स्कूलों की मान्यता के लिए आधा शुल्क लिया जिससे प्राइवेट स्कूलों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सभी 4117 पात्र विधवा आवेदकों को नियुक्ति दी और 2158 की नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं और शेष की नियुक्ति भी शीघ्र हो जायेगी।

तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी सरकार ने किसी भी तरह से कहीं भी कोई कमी नहीं रखी है।

श्री अध्यक्ष: आप कट मोशन पर तो बोल नहीं रहे हैं और सरकार की तरफ से जैसे जवाब दे रहे हों मंत्री ऐसे बोल रहे हैं।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमिका तो बनानी पड़ेगी न।

श्री अध्यक्ष: यह क्या भूमिका हुई? कट मोशन के लिए कोई आवश्यक थोड़ी होता है भूमिका बनाना। अपने कट मोशन पर आइये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा पर मेरे कट मोशन पर आता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने तो कुछ ऐसे कदम उठाये नहीं जिसकी वजह से आज हमारे 57 साल में, देश आजाद हुआ उसके बाद जो आयाम, जो काम हमारी सरकार ने दो, सवा दो साल में किये हैं वह एक कीर्तिमान है। मेरा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसमें टोटल 105 स्कूलें खोली हैं जो एक रिकार्ड है। जो भंवरजी के लिये भी बोल रहे थे कि, साहब, झूठ बोल रहे हैं। यह सत्य है, इसमें मैं आपको बता दूं कि नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले करीबन 41...

श्री अध्यक्ष: खोली सो तो खोली, गलती उन्होंने की सो की आप बताओ तो मत सब को।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): तो बतायेंगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा कि हमने क्या किया। इन्होंने कुछ नहीं किया इसलिए वहां बैठे हैं। वह बतायेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, आगामी भविष्य में भी लगभग 16 हजार राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन किया जा रहा है, यह भी हमारे लिए एक सराहनीय सरकार का कदम है।

श्री अध्यक्ष: बढ़िया। यह बातें तो कहेंगे शिक्षा मंत्रीजी कि कितनी खोली, क्या किया आप काहे को कह रहे हो यह बातें?

श्री हरीसिंह रावत (भीम): दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मिड डे मील पर जरूर थोड़ा बहुत प्रकाश डालना चाहता हूं। मिड डे मीलके अन्तर्गत, पूर्ववर्ती सरकार ने जो घूघरी, गेहूं उबाल कर खिलाते थे, वो हमारी गाय-भैंस ब्याती है तब उनको वह उबाल कर खिलाया करते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रख कर के 6 दिन का मेन्यू बनाया। 6 दिन के मेन्यू के अन्तर्गत एक दिन दाल बाटी, एक दिन सब्जी रोटी, एक दिन खीचड़ी। मतलब 6 दिन के खाने में स्वास्थ्य के लिए पूरा ध्यान दिया और पूर्ववर्ती सरकार ने इसके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया। इसके लिए हमारी सरकार ने 120 करोड रूपये खर्च किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा, हमारे एस.टी., एस.सी. के बंधू बोलते हैं कि हमारे यहां पर बच्चों को शिक्षा दिक्षा नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज कन्क्लूड करें। 7.57 पर शुरू किया था 8.03 हो गये, बस, मेहरबानी कर के कन्क्लूड करें।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रोटेक्शन चाहूंगा कि मेरा जो बोलना है वो तो बाकी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह तो बोलना रहने दीजिए, न तो कट मोशन पर बोल रहे हैं। न कोई कट मोशन आपका न कोई कट मोशन पर बोल रहे हैं आप।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): नहीं, कट मोशन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सातवां नम्बर है, आप कैसे बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप कट मोशन पर बोल तो रहे नहीं हैं, बोल तो आप रहे हैं कुछ और। जो बोलना चाहिए मंत्रीजी को वो बोल रहे हैं आप।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, विकलांग के सम्बन्ध में मैं कुछ आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में करीब 150 विकलांग बच्चे हैं जिनका अभी 6 महीने के लिए एक कैम्प चल रहा है, मैं चाह रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में एक विकलांगों की समाज कल्याण के माध्यम से वहां स्कूल खोली जाए क्योंकि हमारे विकलांग बच्चे हैं वह 6 महीने के बाद कहां जायेंगे, अगर वहां स्कूल खोल कर इसको कन्टीन्यू किया जाए तो कम से कम 150 बच्चे जो विकलांग हैं उनका भविष्य संवर सकेगा।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक मगरा क्षेत्र है और वहां की भौगोलिक स्थिति भी बड़ी दयनीय है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में भी एक कॉलेज खोली जाए, कॉलेज और वो भी सरकारी कॉलेज होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: अब आपको जो बात कहनी थी वो तो आपने कही नहीं और आप करते रहे और बातें, सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहे। अब आपका टाइम खतम हुआ। ...(व्यवधान)... बात खतम हो गयी।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

दूसरा, मेरे वहां आई.टी.आई. खुलवानी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है।

श्री अध्यक्ष: आप पहले क्यों नहीं बोले?

श्री हरीसिंह रावत (भीम): दूसरा, मेरे क्षेत्र में कम से कम 50 हजार से भी ज्यादा सैनिक हैं तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वहां पर भी एक सैनिक विद्यालय खोला जाए ताकि वहां के बच्चे अच्छे ढंग से शिक्षित हो सकें। इसी के साथ जय भारत। धन्यवाद।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): इसके बाद मेरा है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा है। राकेश मेघवाल का है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री मंगालराम गोदारा।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 पर आज मेरे को बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: छोड़ो यह, वही बातें, आप इस पर आओ।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में काफी लम्बी चौड़ी चर्चाएं मेरे से पहले हुई है, मैं तो मंत्रीजी का ध्यान मेरे क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्कूलें तो बहुत खोली है, मंत्रीजी ने, कोई माननीय सदस्य 105 गिना रहे हैं, कोई 52 गिना रहे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ही स्कूल नहीं खोली है।

श्री अध्यक्ष: अन्याय किया। ...(व्यवधान)...

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): एक स्कूल लालगढ़ में खोली है वह अपने शहीद के नाम से खोली है, मंत्रीजी, आप देख लेना। एक स्कूल आपसे मैं मिला था और वह क्रमोन्नत हुई थी, उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गयी और आपने आश्वासन दिया कि मैं इसको खोल दूंगा, इसके लिए तो आपको धन्यवाद है बाकी और भी थोड़ा ध्यान करें। मेरे क्षेत्र में आपने नहीं खोली है स्कूल, एक भी स्कूल नहीं खोली है। काफी लम्बा चौड़ा क्षेत्र है। स्कूलें हैं उनमें अध्यापक नहीं हैं, कोई ऐसी स्कूल नहीं है जिसमें अध्यापक है, पूरे अध्यापक नहीं हैं।

दूसरा, बालिका विद्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ही विद्यालय है डूंगरगढ़ में उसमें भी सात टीचर कम हैं, और भी बालिका विद्यालय अगर मेरे क्षेत्र में खोलेंगे तो बढ़िया रहेगा, लम्बा चौड़ा क्षेत्र है, आप बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं।

दूसरा, यह मिड डे मील आपने चालू कर रखा है इसमें जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं उन बच्चों के लिए अगर आप यह उनके घर पर ही व्यवस्था कर दो तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो हालात यह हैं कि यह गेहूं है, बाजरा है कोई टीचर है, सारा इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है और बच्चों के लिए भी खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे यह खाने से व्यवस्था खराब ही होगी, आगे के लिए सारे बच्चे अपाहिज हो जायेंगे और व्यवस्था खराब होगी। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप इस व्यवस्था को इनके घर पर ही पहुंचा दें तो बढ़िया रहेगा नहीं तो इसमें आधे से ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है।

दूसरा, मेरे यहां सर्व शिक्षा अभियान से जो आपने मिडल स्कूलें

(श्री मंगलाराम गोदारा)

खोलने की घोषणा की है, सेण्टर का पैसा है, आप खोलेंगे बहुत बढ़िया है बाकी मिडल स्कूल गांवों में खोलने से कोई फायदा नहीं होगा। खाली आप मिडल ही मिडल स्कूल खोल दोगे तो वहाँ पर कोई वह बच्चे आगे नहीं बढ़ सकेंगे, यह गांवों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। आप कम से कम हायर सेकण्डरी, सेकण्डरी कहीं स्कूल खोल कर अगर वहां टीचर लगा कर आप व्यवस्था करोगे तो वहां के बच्चे पढ़ेंगे। अब जैसे राजीव गांधी पाठशाला के लिए है, मेरे से पहले माननीय सदस्य कह रहे थे कि स्कूलों में आपने पढ़े-लिखे टीचर नहीं लगाये। अभी आप मिडल स्कूल खोल रहे हो, गांवों में हायर सेकण्डरी, सेकण्डरी दे नहीं रहे हो तो वह बच्चे पढ़ेंगे कहां से? कहां से शिक्षक तैयार होंगे? जैसा मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जैसे माननीय सदस्य कह रहे थे कि जैसे झुन्झुनूं है, सीकर हैं यहां पर काफी शिक्षक हैं और हमारे यहां शिक्षक नहीं हैं। आप जहां कहीं कोई शिक्षक को लगाते हो वापस कोई माध्यम से ट्रांसफर करवा कर झुन्झुनूं या कहीं भी वो शिक्षक है वापस अपने नजदीक स्थान पर आ जाता है। बीकानेर से आप शिक्षक लगाते हो, या तो वो आता ही नहीं है, छुट्टी लेकर घर पर बैठ जाता है और अगर मजबूरन आना भी पड़ता है तो वह बस से या ट्रेन से, कोई साधन से आता है हफ्ते में दो या तीन दिन तो इसीलिए स्कूलों में बड़ी भयंकर अव्यवस्था हो रही है इसलिए इसका भी आप थोड़ा बहुत ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): एक मिनट में मेरी बात पूरी कर दूंगा।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप जो राजकीय पाठशाला में लगे हुए शिक्षक हैं उनके सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं । आप कम से कम यह व्यवस्था कर दें शिक्षक जो लगा हुआ है वह गवर्नमैंट स्कूल में ही अपना बच्चा पढ़ाएगा तो उससे भी सुधार होगा बहुत बड़ा। शिक्षक दूसरे के बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है वह स्कूल में जाना नहीं चाहता है जैसा मेरे से पहले माननीय सदस्य बता रहे थे कि बैठकर कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है वह अपने बच्चे को तो वह आदतें डालना नहीं चाहता है बच्चा भी उनका खराब ही हो जाता है वह भी सही नहीं रहता है। वह अपने बच्चे को तो प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है

(श्री मंगलाराम गोदारा)

और दूसरे जो बच्चे हैं उनको वह पढ़ाते नहीं हैं। इसलिए कम से कम यह व्यवस्था करें कि जो शिक्षक के बच्चे हैं उनको उनकी स्कूल में पढ़ाया जाए और गवर्नमैंट स्कूल में पढ़ाया जाए, चाहे कालेज में पढ़ाया जाए चाहे सैकण्डरी में पढ़े चाहे मिडिल में पढ़ाए, कम से कम वह तो शिक्षक है। उसका बच्चा अपने पास ही पढ़े उससे उसकी मानसिकता में थोड़ा चैंज आएगा। और अपना बच्चा है वैसे ही वह दूसरे के बच्चे को समझेगा तो वह आगे के लिए फायदा होगा

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: थैंक्यू। श्री राकेश मेघवाल, पाँच मिनट में समाप्त करनी है बात आपको।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): जैसी आपकी आज्ञा। माननीय अध्यक्ष महोदय, परबतसर, मकराना, नावां सीमावर्ती क्षेत्र हैं एक दूसरे की सीमा लगती है । विधायक चुनकर मैं परबतसर से आता हूं, निवास करता हूं मकराना में वहां महिला कालेज नहीं है । इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि सैंतालीस अरब का जो बजट मांग संख्या 24 कला एवं संस्कृति और माननीय यशस्वी मंत्री माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी जो राजस्थान में एक देश में होनहार शिक्षा मंत्री हैं। जो पूरे राजस्थान के शिक्षा मंत्रियों के अध्यक्ष भी हैं और बाहर से नई शिक्षा नीति, नई टेक्नोलोजी लेकर आए हैं और गांव-गांव ढाणी-ढाणी में इन्होंने स्कूल खोले उसके लिए भी तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ-साथ ही माननीय शिक्षा मंत्री जी आगे गांव गांव ढाणी-ढाणी में स्कूल खोल रहे हैं। और माननीय सांवरलाल जी जाट वहां स्कूल में हैण्ड पम्प खोद रहे हैं, पेयजल योजना का पानी पिला रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से आभार ।

श्री अध्यक्ष: पेयजल कहां आ गया यहां ?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): जिस मकराना, परबतसर और नावां की मैं बात करता हूं वहां पर एक मंगलाना होकर मकराना और नावां मेगा हाईवे जाएगी वहां जमीन भी उपलब्ध है। और पहले इनके कांग्रेस के राज में गहलोत जी वहां घोषणा करके गए थे कि मकराना में यहां कालेज खुलेगा लेकिन राज कांग्रेस का था और मैं चुनाव हार गया था । वहां इनको हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन नहीं दी इसलिए कालेज का सपना अधूरा रह गया । मैं

(श्री राकेश मेघवाल)

माननीय तिवाड़ी जी शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसी स्थान पर 500 बीघा जमीन है चाहे जितनी जमीन लीजिए और वहां मकराना, परबतसर और नावां के लिए एक कालेज खोलने की कृपा करें।

दूसरा क्या है मैं कहना नहीं चाहता था आज मेरा विधान सभा में प्रश्न था। माननीय तिवाड़ी जी ने मेरे साथ में थोड़ा भेदभाव बरता है वह मैं कहना नहीं चाह रहा था। लेकिन मेरे साथी विधायक मकराना से आने वाले माननीय भंवरलाल जी राजपुरोहित वह भी उसी गांव में रहते हैं और मैं भी उसी गांव में रहता हूं तो दोनों के विधान सभा क्षेत्र मकराना के चारों ओर मेरा विधान सभा क्षेत्र है । कल के रोज अख़बार की न्यूज और यह जो चर्चा अभी कर रहे थे वह पढ़ेंगे तो कल के रोज कहेंगे कि राकेश मेघवाल कमजोर विधायक हो गया। पहले जब भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में पावरफुल विधायक था आज राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कमजोर क्यों हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है और माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी पूरा आशीर्वाद है। लेकिन थोड़ा बहुत इन्होंने भेदभाव जरूर किया है। लेकिन जितना आप कांग्रेस वाले यह कह रहे थे कि घनश्याम जी ने बहुत भेदभाव किया है, 54 स्कूलें खोल दीं, यह सब गलत है । यह आंकड़े सरकारी हैं मेरे नहीं हैं । मैं इन आंकड़ों में जाना चाहता हूं । नागौर में 1999-2001, 2002, 2003,2004 एक भी स्कूल नहीं खोली और 2004-05 में 13 और 2005-06 में 5 और आज तक टोटल दो साल में माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 स्कूलें खोली हैं । नागौर प्रोपर जो नागौर के यहां माननीय मंत्री जी हैं । इसी तरह खींवसर में 2004 में 17, 2005-06 में 3 टोटल 20, मेडता में 2004-05 में 25, 2005-06 में 3 टोटल 28, डेगाना में 3 और 2 पाँच, जायल में 3 और 4 सात, डीडवाना में 5 और 5 दस, लाडनूं में 2 और 1 तीन, परबतसर में 8 और 5 तेरह और मकराना में 18 और 2 बीस ।

श्री अध्यक्ष: तो राकेश मेघवाल कमजोर कहां हुआ फिर ?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आपने सुना नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना में जो अभी कह रहे थे कि 54 स्कूलें खोली वहां 54 नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बीस स्कूलें खोली हैं और नावां में 34 स्कूलें खोली हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या झगड़ा करते हो?

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): मेरे पास पूरी लिस्ट है ... (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह मैं नहीं कहता, माननीय शिक्षा मंत्री जी के आंकड़े कहते हैं। यह विधान सभा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष: आप मेहरबानी करें मकराना से आने वाले माननीय सदस्य, आप क्यों चोट दे रहे हैं उन्हें ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह मेरे बनाए हुए आंकड़े नहीं हैं।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): यह बिल्कुल गलत है । ... (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप कहो तो टेबल कर दूं, टेबल कर देता हूं । विधान सभा प्रश्न है । इसलिए मेरे सात खोलीं और मकराना में 20 खोलीं । मेरे 13 और मकराना में 20, तो सात तो ये लेऊंगा और बाकी....

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): मेरे पास लिस्ट है 51 की, आप कहो तो मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): नावां में 34 खोलीं, यह भी आपने फर्क रखा । नावां में और मेरे भी फर्क रखा ।

श्री अध्यक्ष: पाँच मिनट हो गये आपको । यह भी कोई चुनौती का विषय है ।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ू में वाणिज्य संकाय खोलने का निवेदन करता हूं। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय हरनावां में विज्ञान संकाय खोलने का निवेदन करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा राजस्थान का मसला है । राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में ....

श्री अध्यक्ष: हां, वह ठीक है ।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हां, सदन के माध्यम से सम्मिलित किया जाए । पुराने भवनों को...

श्री अध्यक्ष: मुद्दे की बात कह दी आपने, बस ठीक है । अब आप का समय बीत गया है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आपने समय दिया धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष: श्री बद्रीलाल जाट ।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): मेरा भी कटमोशन है और पर्ची है।

श्री अध्यक्ष: कटमोशन है, आपको भी समय मिलेगा, सब्र रखिये ।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24 पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और शिक्षा जगत में जो भारत विश्वगुरू कहलाता है इसके माध्यम से अपनी बात प्रारम्भ करना चाहूंगा – गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागूं पांय । बलिहारी गुरुदेव आपकी गोविन्द दियो बताय । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में सरस्वती का ज्ञान नहीं है वह मानव जीवन में ....

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी गुरु हैं या गोविन्द हैं, यह तो बता दो ।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ये तो तीनों ही रूप हैं । व्यक्तित्व होने के बाद भी वह पशु के समान अपना खण्ड काटता है। परन्तु खुशी इस बात की है कि राजस्थान की धरती में जो जो भी व्यक्तित्व जन्म लेता है निश्चित रूप से वह अपने व्यक्तित्व का धनी स्वयं बनता है और उसमें यह राजस्थान की कल्याणकारी सरकार शिक्षा जगत में अभूतपूर्व कदम उठाने का प्रयास कर रही है। मैं यह कहने का प्रयास करूंगा कि पूर्व में यह कहा करते थे व्यक्ति कि पहले जय जवान जय किसान जय विज्ञान । उसके बाद आया श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और आज के युग में शिक्षा क्रांति आयी है। राजस्थान एक अग्रणी राज्य बने इसके लिए मैं आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी को एवं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया को अन्तर्हृदय से और किसानों की ओर से एवं प्रत्येक वर्ग की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या कर रहे हैं डा. भंवरलाल राजपुरोहित, क्या करते हैं आप ?

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): अपनी वाणी को कहने का प्रयास करूंगा कि 'पचास हजार को दी नौकरी पचास हजार के घरों में ठाठ, अठारह हजार स्कूलें बनायी है, अब नहीं सोलह दूनी आठ'। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक ढाणी एवं जो हमारे भाई बहन थे वह कहीं निरक्षर न रह जाएं, साक्षरता के रूप को परिपूर्ण अपने जीवन में उतारें और साक्षर बन कर न रह जाएं, अपने जीवन के व्यक्तित्व को निखार अपने इस युग को, अपनी दुनिया को, अन्य समाजों के साथ उसका भी व्यक्तित्व जुड़े और अपने भविष्य को

(श्री बद्रीलाल जाट)

निखारें। मैं मुख्य मंत्री महोदया और शिक्षा मंत्रीजी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने एक अभूतपूर्व कदम उठाया । एक ऐतिहासिक निर्णय लिया मिड डे मील के माध्यम से। मन में मातृत्व शक्ति के भाव से उनको भोजन, पौष्टिक आहार प्रदान कर इतिहास रचने का प्रयास किया है। मैं यह कहकर अपनी वाणी को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा कि 'ढाई साल में ढाई अक्षर, बच्चे पढ़ रहे हैं प्रेम से पाठ' राज्य शिक्षा में शिखर पहुंचा और निश्चित रूप से अग्रणी राज्यों में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहे हैं।

शिक्षा जगत में जो उपलब्धि हासिल की है, राजस्थान वह शत-प्रतिशत नामांकन प्राप्त कर चुका है । हमारे जो विद्यालय हैं, राजीव गांधी पाठशालाएं जो हमारे राजस्थान में एक कलंक था, काला इतिहास था उसको यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया एवं हमारे राजस्थान के यशस्वी शिक्षा मंत्री महोदय ने सोलह हजार जो हमारी राजीव गांधी पाठशालाएं शेष बची हैं उनको प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तन करने का इस सदन में आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से एक इतिहास कायम होगा।

प्रत्येक ढाणी एवं कस्बे में मुख्यमंत्री शिक्षा सम्बल योजना द्वारा प्रत्येक भाई बहन को जोड़कर उनके साथ मानवता का जो निर्णय किया, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया ताकि वह हृष्ट-पुष्ट बन सकें, मानसिक रूप से परिपूर्ण रहें एवं उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते रहें। उनके किसी प्रकार की कोई बीमारी न रहे।

आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी जो कि एनरजेटिक हैं, उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में चाहे भवनों के निर्माण की बात हो, चाहे विद्यालय खोलने की बात हो, चाहे अन्य प्रकार की हमारे क्षेत्र की मांग हो, तहेदिल से समर्थन देकर हमें आशीर्वाद देने का प्रयास किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में निम्न समस्याएं अभी भी अपना मूल स्वरूप लिये हुए हैं। आपके होते हुए यदि हमारी समस्याएं शेष बचती हैं तो इसमें किसी न किसी प्रकार की कमी न रहे इसलिये मेरे विधान सभा क्षेत्र कपासन में महाविद्यालय हैड क्वार्टर पर यदि आपके द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो एक इतिहास कायम होगा।

सांवलियाजी राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में विख्यात हैं। वहां पालीटैक्निक महाविद्यालय खोला जाए तो निश्चित रूप से कारगर साबित होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। छह मिनट आपने आलरेडी ले लिये और आपका कोई सब्मिशन है नहीं, जल्दी खतम करें।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): एक सैकिंड। बालिका माध्यमिक विद्यालय बांसवाड़ा एवं सीनियर हायर सेकेंडरी, मूंडला को कर दिया जाये तो मेरे क्षेत्र की जनता के लिये बहुत कारगर साबित होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में चाहे निशुल्क पाठ्य पुस्तकें हो, चाहे साइकिलें दी हो, चाहे स्कूटी दी हो, चाहे अन्य प्रकार की कोई भी हो परन्तु जो शेष बची हुई समस्याएं हैं, जो जीर्ण-शीर्ण भवन हैं, जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनको सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जोड़कर एवं मेरे जो भाई बहन हैं उनके जो उत्तीर्ण परीक्षा परिणाम होते हैं वह प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के स्थान पर यदि ग्रेडिंग प्रारम्भ कर दी जाए तो उनका मनोबल बढ़ेगा एवं कम्प्यूटर शिक्षा के जगत में एक इतिहास कायम होगा ।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): अन्त में मैं कहूंगा, एक सैकिण्ड।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें । तो पहले तो भूमिका बनाते रहे और अब कटमोशन पर आ गये ।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): 'हम पढ़ें सब बढ़ें, अमीर गरीब की खाई पाट । मिलकर हम राजस्थानवासी चमकाएंगे भारत का ललाट ।' जय हिन्द ।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा । श्री संयम लोढ़ा ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा की मांग पर सत्ता पक्ष के सदस्यों के विचार सुनने के बाद यह महसूस हुआ कि माननीय शिक्षा मंत्री की बांसुरी में वे बहुत मस्त हो रहे हैं । लेकिन प्रतिपक्ष का एक सदस्य होने के नाते मैं चाहूंगा कि राजस्थान की असली तस्वीर आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री के सामने लाऊं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में न बोलें ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अभी अभी कपासन से आने वाले माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्री महाभियान का जिक्र किया था । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के सदस्य जिन महारानी साहिबा का यशोगान करते नहीं थकते और जिस धौलपुर रियासत की महारानी आज राजस्थान की मुख्य मंत्री है, इस चीफ मिनिस्टर शिक्षा सम्बल महाभियान में

श्री अध्यक्ष: यहां से यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि आप महारानी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे । उन्हें सदन की नेता या मुख्य मंत्री के रूप में सम्बोधित करें, यह दी जा चुकी है आसन की व्यवस्था । आप बार-बार फिर महारानी महारानी कहते हैं । किसने कहा है यहां महारानी ? किसी ने नहीं कहा ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं धौलपुर के दो आंकड़े आपके सामने लाना चाहता हूं। चीफ मिनिस्टर शिक्षा सम्बल महाभियान में ड्राप आउट की क्या प्रोग्रेस है? धौलपुर जिले की उपलब्धि है सात परसेंट । नैवर एनरोल चाइल्ड में धौलपुर जिले की उपलब्धि है मात्र दो परसेंट । यह मैं नहीं कह रहा, मुख्य मंत्री शिक्षा सम्बल अभियान में आपका दिया हुआ यह आंकड़ा कह रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिसमें राजस्थान सरकार को 2005 में राज्य अंश के रूप में 21.8 करोड़ रुपये जारी करने थे और आपने जारी कितने किये ? मात्र 13 करोड़ रुपये । इसी तरीके से द्वितीय चरण में आपको राज्य अंश के रूप में कितने जारी करने थे 2005 में ? 12 करोड़ 16 लाख रुपये । और आपने जारी कितने किये ? 7 करोड़ 92 लाख रुपये । इसी तरीके से सर्व शिक्षा अभियान में 2005 में राजस्थान सरकार को अपने अंश के रूप में कितने रुपये जारी करने थे ? 208 करोड़ तीन लाख रुपये और आपने जारी कितने किये ? 75 करोड़ ।

श्री अध्यक्ष: यह जारी से मतलब आपका खर्च और प्रावधान से है क्या ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): रिलीज । स्टेट गवर्नमेण्ट का कंट्रीब्यूशन इतना बनता था और किया इतना है ।

श्री अध्यक्ष: अच्छा ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह तस्वीर अपने आप में जाहिर करती है कि राजस्थान सरकार शिक्षा को लेकर किस रूप में कितनी सीरियस है । इसके साथ मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जनवरी 2006 तक की आपके विभाग की प्रगति रिपोर्ट मेरे पास है, सर्व शिक्षा अभियान में जनवरी तक आपने जो खर्चा किया है वह है मात्र 60 परसेंट । डीपीईपी फर्स्ट में आपने जो खर्चा किया है वह मात्र है 68 परसेंट। डीपीईपी सैकिण्ड में आपने खर्चा किया है जनवरी 2006 तक मात्र 50 परसेंट। मतलब आपके पास पैसा प्रचुर है लेकिन इसके बावजूद आपकी इच्छाशक्ति नहीं

(श्री संयम लोढ़ा)

है। आपके पास सोच नहीं है, आपके पास प्लानिंग नहीं है । और यह मैं नहीं कह रहा, भारत के महालेखाकार ने जो अपनी आडिट रिपोर्ट दी है वर्ष 2004-5 की, आपने कितना अमाउण्ट सरेण्डर किया ? रेवेन्यू वोटेड ओरिजिनल में एक करोड़ 96 लाख आपने सरेण्डर किये मार्च 2005 में । चार्ज्ड ओरिजिनल सप्लीमेण्टरी में आपने एक लाख 80 हजार रुपये सरेण्डर किये । कैपिटल वोटेड में आपने 13 लाख 35 हजार रुपये मार्च 2005 में सरेण्डर किये । पैसा होने के बाद राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए उसका उपयोग नहीं कर सके आप। एलीमेण्टरी एजुकेशन में जो असिस्टेंस जिला परिषद की और उसका जो हैड है ''Entire provision of Rs. 7 crore 60 lakhs under the above head was surrendered on 31st of March because of change in classification of pay and allowances by the State Government."

ये रुपये आपने सरेण्डर किये । इसी तरह प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना में आपने, "Entire provision of Rs. 5 crore 30 lakhs was surrendered on 31st of March 2005 due to reduction in plan ceiling."

इसी तरीके से वीमेन पैरा टीचर्स में,

"Provision of Rs. 4.96 crore under the above two heads was surrendered on 31st of March, 2005 due to release of less grants." जिसका मैंने जिक्र किया है

"Reasons for the final excess of Rs. 3.05 lakhs under the head 2202 have not been intimated."

इसका मतलब मार्च तक जो पैसा उपलब्ध था, अगस्त तक तो आप यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि आपका पैसा आया उपयोग नहीं हुआ । इसी तरीके से ब्वायज स्कूल मामले में आपने 18 लाख 13 हजार रूपये सरेंडर किये, गर्ल्स स्कूल के मामले में 59 लाख 72 हजार रूपये आपने सरेंडर किये "Anticipated saving of Rs. 66.80 crores under the above two heads was attributed mainly to posts remaining vacant and reduction in plan ceiling." पद आपने भरे नहीं, आपने कटौती कर दी और आपको पद सरेंडर करने पड़े। "And reasons for this final saving of 1.37 crore under the above two heads have not been intimated till August, 2005." अब यह सब यशोगान का क्या करें । हमारे पास करोड़ों रूपये होने के बाद हालत यह बनी हुई है । एडल्ट एजुकेशन में आपकी क्या स्थिति रही, "Anticipated saving of Rs. 73.78 lakhs was attributed mainly to reduction in 46 training campaigns for adult educa-

(श्री संयम लोढ़ा)

tion." 46 ऐसे प्रशिक्षण शिविर आप नहीं लगा सके और आपने वह अमाउंट सरेंडर किया । यह 2005 की आपकी उपलब्धि है ।

संस्कृत स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में "Anticipated saving of Rs. 6.96 crore was attributed mainly to posts remaining vacant and less expenditure on ..." अध्यक्ष महोदय, डिस्टिक्ट्र एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कें पद खाली रखे । प्रशिक्षण शिविर लगाये नहीं और पैसा आपके सरेंडर करना पडा । इस तरह से अरबों रूपयों के फीगर भारत के महालेखाकार ने 2004-05 में आपके बताये हैं कि पैसा होने के बाद भी आप उसका उपयोग नहीं कर सके । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने तस्वीर लाना चाहूंगा कि राजस्थान में हम किन हालात में खड़े हैं । इस तरह से प्रशस्ति गान करने से राजस्थान की उन वास्तविकताओं में हम बहुत परे हट जायेंगे और मैं चाहता हूं कि आपके ध्यान में वह वास्तविकताएं आयें । आपका शिक्षा निदेशालय हर वर्ष अपना जो एजुकेशनल एनालेसिस जारी करता है, 2005 का कायदे से अक्टूबर-नवम्बर में जारी हो जाना चाहिये था वह आज तक नहीं हुआ है आपका । लेकिन उसके फीगर मेरे पास में है, enrolment at primary stage, 2003-04 की स्थिति क्या थी । 52 लाख 5 हजार लड़के एनराल हुए थे, 2004-05 का आपका फीगर है 51 लाख 18 हजार और लड़कियों में जरूर थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई है और दोनों का अगर फीगर मिलाकर के देखें तो 2003-04 में जो 94 लाख 89 हजार का फीगर है उसकी तुलना में 2004-05 में 94 लाख 21 हजार बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है । अब यह प्राइमरी लेवल की तुलना हम अपर प्राइमरी से करें तो यह बीच के 94 लाख 21 हजार बच्चे प्राइमरी से हम कर रहे हैं वह 31 लाख 56 हजार में पहुंच गये । अपर प्राइमरी में यह 50 लाख का जो गैप है, यह गैप कहां गया । जब तक हम उस खाई को नहीं पाटेंगे । राजस्थान के बच्चों का भविष्य बनने वाला नहीं है। यह जो रिटेंशन की बात है या ड्राप आउट की बात है । इसमें जब तक हमारी स्थिति खराब रहेगी हम यह दावा नहीं कर सकते हैं कि हम राजस्थान को किस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं । आज क्या ड्राप आउट है 2004-05 में ब्वायज का टोटल ड्राप आउट 54 प्रतिशत और लड़कों का है 52 प्रतिशत और लड़कियों का 56 प्रतिशत है । प्राइमरी से अपर प्राइवरी में ड्राप आउट का यह लेवल होने के बाद...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 5-10 मिनट का समय... (व्यवधान) मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष: सब का समय पाँच-पाँच मिनट का है, यदि समय देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन फीगर लाना चाहता हूं । अनरालमेंट ऑफ एस.सी. एट...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह ठीक बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): शिक्षा मंत्री जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: यहां सब ठीक बोलते हैं लेकिन समय सबके लिये तय है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): Enrolment of Scheduled Castes at primary stage, 2003-04 में ब्वायज का 10 लाख 20 हजार और 2004-05 में 10 लाख 9 हजार आपका लड़कियों में 15 हजार बढ़ा है । लेकिन लड़कों में 11 हजार घटा है । फिर हम क्या अपनी तारीफ कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ एस.टी. के अंदर भी बहुत मामूली बढ़ोत्तरी हुई है । इसको आप जैसा यशस्वी शिक्षा मंत्री अपनी उपलब्धि माने तो मैं समझता हूं कि किसी भी तरह से ठीक नहीं है । अब देश की तुलना में राजस्थान कहां खड़ा हुआ है । रूरल मेल नान लिटरेट का प्रतिशत हिन्दुस्तान का एक हजार में 377 है और राजस्थान का 406 है । अपर प्राइमरी में मिडिल लेवल पर रूरल मेल का प्रतिशत एक हजार पर आल इंडिया का आपका 150 है और राजस्थान का 118 है । सेक्ण्डरी के लेवल पर ऑल इंडिया का फीगर है 128 राजस्थान का लेवल 98 है । इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी राजस्थान की शिक्षा की डगर बहुत संघर्ष और चुनौती भरी है । यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इसी तरीके से, per 1,000 distribution of persons by general education level by State and U.T. General education level रूरल फीमेल में नॉन लिटरेट हिन्दुस्तान का फीगर है 565 और हमारा है 695 । इसी तरीके से मिडिल लेवल पर हिन्दुस्तान का फीगर है 94 और हमारा है 37 रूरल फिमेल में, और सैकण्डरी लेवल पर हिन्दुस्तान का फीगर है 62 एक हजार के पीछे और राजस्थान में फीमेल का है 27 । इसी तरह से अरबन मेल में। हिन्दुस्तान का फीगर है नान लिटरेट का 203 और हमारा है 221 । मिडिल स्कूल में हिन्दुस्तान का फीगर है 179 और राजस्थान का है 145, और सैकण्डरी एंड अबोव में हमारी स्थिति अरबन मेल में ठीक है 323 हिन्दुस्तान

(श्री संयम लोढ़ा)

का फीगर है और हम 325 पर खड़े हैं। लेकिन अरबन फिमेल में वापस जाकर के हिन्दुस्तान का फीगर है 243 और हम मात्र 192 पर टिके हुए हैं । इसी तरीके से मिडिल लेवल पर हिन्दुस्तान का फीगर 153 है और हम 104 पर टिके हुए हैं । नान लिटरेट में अरबन फिमेल में हिन्दुस्तान का फीगर है 315 और हम टिके हुए हैं 409 पर ।

श्री अध्यक्षः अब आप समाप्त करें ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, पाँच मिनट, जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्य ने प्राइमरी स्कूलों में मरम्मत करने की बात की है।

श्री अध्यक्षः अब आप समाप्त करें ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने अपने बजट में 2006-07 में मात्र 55 लाख का प्रावधान प्राइमरी शिक्षा में मरम्मत के लिए किया है ।

श्री अध्यक्षः बहुत माननीय सदस्य हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): स्कूलें हैं 64195 और इसका मतलब 80 रूपये प्रति स्कूल करा लो मरम्मत, अस्सी रूपये में एक साल के लिए, एक स्कूल को 80 रूपये मरम्मत के लिए दे रहे हैं और आपके पास तो बड़ा बजट है और राजस्थान सरकार के तो अफलातून धन की वर्षा हो रही है । फिर आपने निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण में पिछले साल में 52 करोड़ 38 लाख रूपये की किताबें आपने बांटी थी । इस साल में आपने मात्र 36 करोड़ का क्यों किया । पुस्तकालय के लिए 2004-05 में 4 करोड़ रूपये आपने जो खर्च किये थे । 2005-06 में यह घटकर के आपने एक हजार क्यों रखा ?

श्री अध्यक्ष: Please conclude your speech.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : 2006-07 में एक हजार रूपये ही क्यों रखे?

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, अब आप कह रहे हैं तो मैं वाइंड अप करता हूं । दो बिन्दु और मैं रखता हूं । अब मैं जयपुर की बात कर रहा हूं...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय बहुत इंट्रेस्टेड फीगर है, आज जयपुर में इस तरह के प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं नाम सहित आपको बताता हूं, यह मथुरावाली की हवेली अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि इस प्राइमरी

(श्री संयम लोढ़ा)

स्कूल में खाली पाँच बच्चे-बच्चियां हैं, इसी प्रकार से खानिधा बंधा इसमें 15 बच्चे-बच्चियां हैं । सिंधी बस्ती आगरा रोड़ मात्र सात बच्चे-बच्चियां हैं और जागृति बस्ती में मात्र 11 बच्चे-बच्चियां हैं और यह महावत नगर में मात्र 14 बच्चे-बच्चियां हैं । यह पाचवीं तक के स्कूल हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही जिले में 114 स्कूल ऐसे हैं जहां माननीय शिक्षा मंत्री जी एक भी टीचर नहीं हैं । प्राइमरी स्कूल हैं । सीपीएम ब्लाक के अंदर 10, सिरोही ब्लाक में 15, आबू रोड ब्लाक के अंदर 13, पिंडवाड़ा ब्लाक के अंदर 42 और रेवदर ब्लाक में 34, एक भी टीचर नहीं है । आप किस बात का गुणगान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने यह झांकने की कोशिश नहीं की कि राजस्थान की गांव और ढाणियों में बैठा हुआ वह बच्चा कैसे पढ़ रहा है? उसकी शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है? अगर आप जरा भी इसके प्रति गंभीर होते तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप समानीकरण करते हुए आप शहर में बैठे हुए टीचर को उस गांव में भेजते । गांव में उस गरीब आदमी का बच्चा जिसके लिए यह स्कूलें खोली गयी हैं। उसने भी राजस्थान की सरकार बनाने में हमारी मदद की है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम हमारे सदस्यों को कैसे रोकें, समय की सीमा है । क्या बारह बजाना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं दो बिन्दु और ले रहा हूं । माननीय सचेतक महोदय मैं बैठ जाऊंगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें माननीय सदस्य ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सिर्फ दो बिन्दु और कहूंगा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अच्छा बोल रहे हैं लेकिन समय की सीमा है..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं निवेदन करना चाहता हूं सर्व शिक्षा अभियान का जो प्लान है आपको 2003-04 में 11066 शिक्षकों की भर्ती के लिए पैसा मिला, आपने कितना खर्चा किया । मात्र दस करोड़ और 2004-05 में आपको 28640 शिक्षकों की भर्ती के लिए पैसा मिला । आपने खर्च कितना किया मात्र 77 करोड़ और 2005-06 में आपको 40910 शिक्षकों का पैसा मिला और आपने खर्च कितना किया मात्र 210 रुपये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने पैसा होने के बाद भी पैसा बचाने का

(श्री संयम लोढ़ा)

काम किया है और अब एक अन्तिम बात मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर कहना चाहता हूं। जो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल लाए थे उस समय इसी सदन में मैंने आपको आगाह किया था कि आप बहुत खतरनाक रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो और ऐसी-ऐसी संस्थाएं कुकुरमुत्ते की तरह आ जाएंगी कि राजस्थान के लोगों का, नौजवानों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): छत्तीसगढ़ में यह बहुत सेंसिटिव मामला है, छत्तीसगढ़ की जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिनको निरस्त किया गया उन यूनिवर्सिटीज के सेंटर आज राजस्थान के अन्दर चल रहे हैं। आपने, शिक्षा मंत्री जी, पिछले साल यह आश्वासन दिया था कि एक को भी चलने नहीं दिया जाएगा और आज चल रहे हैं और 13 जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए आपने इंडेंट साइन किया है उसमें यह वह आदमी भी है अशोक चौंहान जिसके नाम पर इंटरपोल का वारंट है, आप किस तरह के लोगों को प्राइवेट शिक्षा दिलाना चाहते हो, यह इससे जाहिर होता है। आपने, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दिया इसके लिए धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष: श्री केसरदेव बाबर।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से मांग संख्या 24 पर चर्चा हो रही है, प्रदेश की मुख्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री जी का जो गुणगान दोनों तरफ से हो रहा है, यह कोई यों ही नहीं हो रहा है, वाकई में इन्होंने काबिले तारीफ काम किया है। इनकी नई सोच है और नई सोच से प्रदेश को एक नई जागृति मिली है। जब शिक्षा मंत्री जी पूर्व में ऊर्जा मंत्री थे तब भी इनकी नई सोच से प्रदेश को एक नई दिशा दी थी। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि इनकी नई सोच से प्रदेश के जो गरीब परिवार के छात्र हैं उनको निशुल्क शिक्षा मिली, निशुल्क पाठ्यक्रम मिला। यह आंकड़ों का मायाजाल है, पूर्व में माननीय सदस्यों ने सभी वक्ताओं ने बता दिया और जो इनकी जो नई सोच कि प्रथम कक्षा में जो बच्चा गरीब का पढ़ेगा वह भी अंग्रेजी बोलेगा। बहुत अच्छी बात है कि पहली कक्षा से अंग्रेजी को लागू किया और इनके परिणाम भी सार्थक आ रहे हैं जब प्राइवेट स्कूल में पहली कक्षा से ही बच्चा अंग्रेजी पढ़ सकता है तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं? इन्होंने प्रदेश में नई स्कूल खोले, स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया, नये शिक्षकों की भर्ती

(श्री केसरदेव बाबर)

की? और जो नये शिक्षकों की भर्ती की उसमें हमारा भी ध्यान रखा गया। बैकलॉग का पूरा ध्यान रखा गया। और आज प्रदेश में कोई भी बी.एड. या एस.टी.सी. डिग्रीधारी किया हुआ एससी में तो शायद नहीं मिलेगा, मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री जी और आदरणीय मंत्री जी को कि हमारा इन लोगों ने ध्यान रखा। पूर्व सरकार ने राजीव गांधी के नाम से स्कूल खोले और ये सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इन्होंने हमारा ध्यान नहीं रखा। उन्होंने राजीव गांधी पाठशालाओं में जो पैराटीचर रखे उनमें एस.सी. एस.टी. का कोई आरक्षण नहीं था। और उसी की ढाणी के आसपास या उसी वार्ड का कोई छात्र चाहे वह आठवीं फैल हो या दसवीं फैल हो उनको उन्होंने पैराटीचर के रूप में रखा और वैसी ही वहां पढ़ाई हुई। तो मैं तो यही कहता हूं कि इन्होंने जो राजीव गांधी स्कूल में टीचर्स रखे उनमें एस.सी. और एस.टी. का एक भी अध्यापक नहीं लिया, यह हमारे साथ ठीक नहीं था इनका।

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी मूल बात पर आता हूं। सरकार ने स्कूलों में भवनों की व्यवस्था की शौचालयों की व्यवस्था की, अतिरिक्त कक्षा कक्ष की व्यवस्था की, थोड़ा इसमें सुधार की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत डी.पी.ई.पी. में जो स्कूलों में कमरे बने और जो उनका नक्शा था वह नक्शा जैसे कोई क्वार्टर होता है, 'एच' टाइप इस टाइप के क्वार्टर्स के नक्शे के हिसाब से वह मकान बने, वह ऐसे नहीं लग रहे थे कि स्कूल भवन के हिसाब से बने इसमें कोई न कोई मापदण्ड तय होना चाहिए। क्योंकि नक्शा होना चाहिए कि वह स्कूल के काम आ सके, वह एक एकांत में एक क्वार्टर जैसा दिखाई देता है। उसमें शायद तीन मकान या स्टोर जो भी बने। लेकिन वह स्कूल के हिसाब से ही बने, कई जगह देखने को मिलता है कि यह स्कूल प्राइमरी है लेकिन वहां मकान 10 हैं। मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि पैसा खर्च करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि जितने भी मकानों की आवश्यकता स्कूल को है उतने ही मकान बनें उससे ज्यादा नहीं बनें। यदि पांचवीं से आठवीं होती है पीएस से यूपीएस अगर सरकार करती है तो एक्स्ट्रा कक्षा कक्ष मिलते हैं। इसलिए पांचवीं स्कूल हो और उसमें मकान 10 हों ऐसा नहीं हो। इस तरह की एक व्यवस्था हो कि एक पांचवीं स्कूल में कितने मकान होने चाहिए, आठवीं स्कूल में कितने मकान होने चाहिए।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, इनका बैग मिल गया,

(श्री श्रवण कुमार)

पूछो उनको। क्यों जी आपका बैग मिल गया न ? ...(व्यवधान)... हम यहां बैठे ध्यान रखते हैं इनका।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अब यहां मिला है इनको।

श्री अध्यक्ष: क्या यह बात सही है कि आप केवल बोलने के लिए ही बहाना बना रहे थे बैग चोरी का ? ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अब बताइए, कितने बड़े दुःख की बात है ? ...(व्यवधान)... अगर यह बात मैं कह देता तो आप बड़े नाराज होते।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): यह यहां मिला है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): कार्यवाही में आ गई यह बात।

श्री अध्यक्ष: चलिए, चलिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, यह यहां बैठने की जगह यहां बैठ गये और भूल गये।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं है।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कई स्कूलें ऐसी देखी हैं जो प्राइमरी स्कूल हैं कमरे उसके 10 हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आज आप बहुत बढ़िया बोल लिए, अब बिराजे रहो।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): इसलिए नये स्कूल में चाहे विधायक कोष से कमरा बने, चाहे सांसद कोष से कमरा बने, चाहे डी.पी.ई.पी. से कमरा बने लेकिन उस कमरे की सुनिश्चितता हो सरकार की कि इन स्कूल में कमरे की आवश्यकता है या नहीं है, पैसा जनता का है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। 6 मिनट हो गये, आप 6 मिनट बोल लिये।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): पैसा सरकार का है इसलिए चाहे किसी भी कोष का हो लेकिन मकान बनाते समय इस बात की सुनिश्चितता हो कि इन स्कूलों में मकान की जरूरत है। मैं अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की दो बातें और कह देता हूं। लक्ष्मणगढ़ में संस्कृत कालेज है।

श्री अध्यक्ष: टाइम हो गया आपका।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है, दिन में संस्कृत पर चर्चा हो रही थी।

श्री अध्यक्ष: महत्वपूर्ण था तो पहले कहना चाहिए था।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, संस्कृत कालेज लक्ष्मणगढ़ में अनुदानित चालू है और उस कालेज की जो बिल्डिंग है वह करीब 5 करोड़ रुपये की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के जो मालिक सेठ साहूकार हैं वह उसको बंद करने पर तुले हुए हैं और सरकार उसको ले नहीं रही है। मेरा आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्रदेश की सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने का मानस रखती है, तो इस स्कूल को सरकार ले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: ठीक है, हो गई बात आपकी।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): और एक ग्राम नैछवा में भी इस तरह की संस्कृत स्कूल चल रही है, यह दो स्कूल जो संस्कृत की चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री नानाराम अहारी।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): इन स्कूलों को, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और, इन दोनों स्कूलों को ...

श्री अध्यक्ष: ऐसे काम नहीं चलेगा, एक एक मिनट में, टाइम तो हो गया।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, अब की बार महिलाओं का मामला है। अध्यक्ष महोदय, एक मेरा आपसे निवेदन और है।

श्री अध्यक्ष: तो आपको पहले किसने रोका था ? पहले तो आप बनाते हो भूमिका और अंत में आते हो बात पर।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, भूमिका बनाई ही नहीं, मिनट 4 हुए हैं अभी। मोदी शिक्षण संस्था नाम की एक संस्था लक्ष्मणगढ़ में चल रही है। इस संस्था को जमीन सरकार ने अवाप्त करके दी है और यह जो संस्था है यह करीब लाख रुपये से कम इस स्कूल की फीस नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कृपया, अब समाप्त करें।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्षः श्री नानालाल अहारी। अब आप स्थान ग्रहण कर रहे हैं ? बस बहुत हो गया।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या–24 पर आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी ने करीब 74 स्कूल, इन दो, सवा दो साल में खोले हैं, एक महाविद्यालय भी खोला, पाँच सैकण्डरी और तीन सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोले।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा अन्याय है, कोई 72 बोल रहा है, कोई 74 बोल रहा है, पूरे झुन्झुनूं जिले में एक नहीं खोला।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया, स्कूल तो खोलने ही थे।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा): शिक्षा मंत्रीजी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो क्रांतिकारी काम किया, आमूलचूल परिवर्तन किया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अभी गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य राजीव गांधी पाठशालाओं की चर्चा कर रहे थे। विपक्ष के अन्य सदस्य भी इन विद्यालयों की चर्चा कर रहे थे, उस समय कह रहे थे कि शिक्षा के प्रति कुठाराघात किया, बच्चों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, इस प्रकार का गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया। मैं कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी पाठशालाएं इन्होंने खोली और वहां पर केवल बारह सौ रुपए का एक अध्यापक लगाया, वह भी आठवीं और दसवीं कक्षा पास, वह भी केवल दो घण्टे पढ़ाने जाता था और केवल घूघरी बनाकर खिलाता था। अगर शिक्षा के प्रति खिलवाड़ किया, कुठाराघात किया और बच्चों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी तो तत्कालीन सरकार ने मारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जब भैरोंसिंहजी की सरकार थी और गुलाबचन्दजी कटारिया शिक्षा मंत्री थे, उस समय पहली से पांचवी और पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले बालक-बालिकाओं को किताबें फ्री देने की घोषणा की, उसके बावजूद कांग्रेस सरकार राज में आई, इन्होंने इसको बढ़ावा नहीं दिया और वर्तमान में जब वसुन्धराराजे सिन्धियाजी राजस्थान में मुख्य

(श्री नानालाल अहारी)

मंत्री बनी तो उन्होंने पहला काम किया कि पहली से लेकर बारहवीं तक पढ़ने वाले बालक-बालिकाओं को फ्री किताबें दी।

(समय 12.52 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

कांग्रेस सरकार ने हमेशा एस टी और आदिवासी बालकों के साथ में अन्याय किया है। हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने काफी इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया है। कई राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है। मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि कई वर्षों से शारीरिक शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं की गई हैं। विद्यालयों की अगर कोई देखभाल करता है तो प्रधानाध्यापक या शारीरिक शिक्षक ही करता है। इसलिए इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। कई शारीरिक शिक्षक अपनी डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऋषभदेव और खैरवाड़ा में विज्ञान विषय के पद रिक्त हैं। माननीय गृह मंत्रीजी नया गांव में पधारे थे, उन्होंने वहां शत प्रतिशत रिजल्ट देने के लिए कहा और उन्होंने घोषणा की कि अगर शत प्रतिशत रिजल्ट दिया जाएगा तो वहां विज्ञान विषय खोलने के लिए शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, इसलिए वहां विज्ञान विषय खोला जाए। उदयपुर में 72 लाख से लड़कियों का एक छात्रावास बनाया जा रहा है, डूंगरपुर में भी 72 लाख से छात्रावास बनाया जा रहा है, बांसवाड़ा में भी बनाया जा रहा है, इससे हमारे एसटी की बालिकाओं को पढ़ने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। इस प्रकार का कार्य हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है, शिक्षा मंत्रीजी ने किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री सुभाषचन्द्र शर्मा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर मेरे कट मोशन पर बोलते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी, माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। शिक्षा मंत्रीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अभिनव प्रयास किए हैं उनके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है और निश्चित रूप

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

से शिक्षा के क्षेत्र में जो अभिनव प्रयोग राजस्थान में हुए वह बधाई के योग्य हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किए, उन क्रांतिकारी परिवर्तनों को वह लगातार जारी रखेंगे और आने वाले 3 सालों के अन्दर निश्चित रूप से समग्र विकास की धारणा राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में पूरी कर पाएंगे। मैं मेरी तरफ से दो-चार सुझाव निवेदन करना चाहूंगा। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने आने के बाद 55 हजार से ज्यादा शिक्षकों की जो भर्ती की है, निःसंदेह अद्वितीय कदम है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले पाँच साल जब पूरे करेंगे तो डेढ लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी होगी जो एक बड़ा कदम होगा।

मिड डे मील कार्यक्रम चलाकर बालकों के ठहराव की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, वह भी सराहनीय है। बच्चों का जो ड्रॉप आउट था इससे उसमें कमी आई है और बच्चों के ड्रॉप आउट में कमी में मिड डे मील योजना का बड़ा योगदान है। शालाओं के अन्दर बालकों का ठहराव शत प्रतिशत हो, ऐसे प्रयास हम सबको करने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बालकों के शालाओं में ठहराव और शत प्रतिशत ठहराव और शिक्षा का समग्र विकास हो, ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए, एक भी बालक शिक्षा से वंचित न रहे, यह भी हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। शैक्षिक वातावरण बनाएं ताकि बालक और बालिकाओं को नवाचारों के साथ वर्तमान युग की शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाकर शिक्षा का समग्र विकास किया जा सके।

मेरे सुझाव निम्न प्रकार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जहां पर भी महिला महाविद्यालय खोले जाएं, चाहे वह उप खण्ड स्तर पर हो, चाहे वह तहसील स्तर पर हो, चाहे वह उप तहसील स्तर पर हो, अगर राजस्थान में किसी भी स्तर पर महिला महाविद्यालय अगर खोला जाता है तो उनको प्रोत्साहन के रूप में अगर भूमि उपलब्ध कराकर देते हैं तो राजस्थान में एक क्रांतिकारी कदम होगा महिला शिक्षा के क्षेत्र में। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि महिला महाविद्यालयों को निश्चित रूप से भूमि उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम होगा।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय जब तक राजस्थान में नहीं देंगे तब तक राजस्थान में शिक्षा का समग्र विकास नहीं हो पाएगा। आज हमारे बालक बालिका आठवीं कक्षा के बाद जब उनको नवीं कक्षा में और दसवीं के बाद ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने की सुविधा जब तक उपलब्ध नहीं होगी तो निश्चित रूप से वह बच्चे ड्राप आउट होते हैं, शिक्षा का जो सर्वांगीण विकास हम राजस्थान में करना चाहते हैं वह नहीं हो पाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय की पद्धति को लेकर आएं जिससे राजस्थान का विकास हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की रुचि का विषय नहीं होता, कहीं विज्ञान विषय नहीं होता, कहीं कॉमर्स विषय नहीं होता, कहीं अन्य विषय नहीं होता और केवल आर्ट्स फैकल्टी के विषय होने से बच्चों का जो सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और रोजगारोन्मुख शिक्षा हम उनको दे सकते हैं, वह उनको नहीं मिल पाती है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन विद्यालयों के अन्दर विज्ञान और कॉमर्स जैसे विषय भी खोलें निश्चित रूप से राजस्थान के बालकों में शिक्षा में अग्रणी स्थान पाने के लिए मौका दें।

अध्यापकों को शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्यों में लगाते हैं, राष्ट्रीय प्रोग्रामों में लगाते हैं, इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे अन्य विभागों के कर्मचारियों को इन योजनाओं में लगाकर शिक्षण कार्य के लिए शिक्षकों को रखा जाए तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा कदम होगा।

एक महत्वपूर्ण सुझाव माननीय शिक्षा मंत्रीजी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। कई बार प्राथमिक विद्यालय खोलने, उसको उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को सैकण्डरी और उसको सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की मांग की जाती है। आप केवल दो सेट अप बनाएं, केवल दो सेट अप। आप जो प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं, उनको आप मिडल स्कूल तक खोलें, आज पांचवीं तक खोला पाँच साल बाद उसको छठी, सातवीं, आठवीं में क्रमोन्नत करने की मांग शुरू हो जाएगी तो आप आठवीं कक्षा तक के ही विद्यालय खोलें, पहली से आप उसमें एडमिशन करें, यह बहुत उपयोगी सुझाव

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

है। एक पहली से आठवीं कक्षा तक का सेटअप और दूसरा नवीं से बारहवीं कक्षा तक का सेटअप। आप सैकण्डरी स्कूल में क्यों क्रमोन्नत करते हैं? उसको सीनियर सैकण्डरी में ही क्रमोन्नत कीजिए जिससे नवीं में पढ़ने वाला बालक जब दसवीं कक्षा में आएगा तो अपने आप ही बारहवीं कक्षा तक की स्कूल में चला जाएगा। इसलिए केवल दो सेटअप पहली से आठवीं तक, और नवीं से बारहवीं तक खोले तो राजस्थान में शिक्षा का स्तर अपने आप बढ़ता चला जाएगा और आने वाले दो साल, पाँच साल में प्राय: विद्यालयों को क्रमोन्नत करने

(समय 21.00 बजे)

का जो मामला चलता रहता है, वो निश्चित रूप से अपने आप में ठीक हो जाएगा। इसी के साथ एक और विशेष बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जितनी भी नई भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में ऐसी महिलाएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, एक साल, दो साल, तीन साल तक के बच्चे हैं। वे महिलाएं गृह जिले को छोड़कर दूसरे जिलों में पदस्थापित हो गई हैं। मानवीय आधार पर इस पर भी थोड़ा विचार करें कि ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे हैं ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: माननीय डा. श्रीगोपाल बाहेती।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): जो छोटे बच्चों को छोड़कर दूसरे जिलों में नहीं जा पा रही हैं वे अपने जिले को छोड़कर वापस गृह जिले में आयें इसके लिए थोड़ा प्रयास करके आप कदम उठाएंगे तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बात होगी।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे कोटपूतली की आईटीआई में नई ट्रेड खोलकर उसमें सीटें बढ़ाने की कृपा करेंगे तो मैं समझता हूं बच्चों को रोजगार के क्षेत्र में हम आगे बढ़ा पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से कालेजों का आपने सर्वांगीण विकास करने के लिए और कालेज शिक्षा को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया है प्राइवेटाइजेशन के साथ यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है जिससे राजस्थान की शिक्षा का जो स्तर है वह निश्चित रूप से बढ़ेगा और हमारे बालक जो महाविद्यालयों के अभाव में शिक्षा से वंचित रहते थे वे ग्रामीण क्षेत्र में महाविद्यालयों के अंदर शिक्षा अध्ययन कर पाएंगे।

एक और बड़ी बात है शहीदों की गाथाएं बालकों को एक्स्ट्रा एक्टीविटीज के माध्यम से स्कूलों के अंदर दी जाएंगी तो हमारे राजस्थान का बालक का उन्नयन होगा और उनका मानसिक स्तर बढ़ेगा। आपने मुझे समय

दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अद्वितीय प्रयोग करके राजस्थान को अग्रणी राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राष्ट्र के स्तर पर नहीं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24, अब आपने समय बहुत कम कर दिया, सबने कहा शिक्षा मंत्रीजी शिक्षित, दीक्षित, परीक्षित हैं और मुझे ऐसा पता है कि ये पढ़े-लिखे आदमी हैं तो मंत्रीजी आपने यह श्लोक पढ़ा होगा

विद्या ददाति विनयम्। विनयाद्यति पात्रताम्।

पात्रताम् धनमाप्नोति, धनम् धर्म ततः सुखम्।

आपने यह पढ़ा होगा, लेकिन मुझे लगा कि आपके एक्शन में विनय कहीं भी नहीं है। आपने बैठते ही क्या काम किया कि राजीव गांधी शिक्षा संकुल को राधाकृष्ण संकुल करने का काम किया। आपको लगा कि राजीव गांधी का नाम बदलने से शिक्षा में क्रान्ति हो जाएगी। आप यह भूल गये कि राजीव गांधी ने आईटी में क्रान्ति की। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी को भारत रत्न से नवाजा गया। यह सब आप भूल गये और आप यह बात भी भूल गये कि हम जिस संस्कृति की बात करते हैं जिस सभ्यता की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने साफ-साफ कहा है कि जिस शिक्षा में नैतिकता नहीं है, नैतिकताविहीन शिक्षा पाप है वो शिक्षा कोरा ऐसा हथियार है जो किसी पर प्रहार कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब 16 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं प्राथमिक स्कूल में बदल रहे हैं उसका नाम आप राजीव गांधी प्राथमिक स्कूल रखेंगे क्योंकि आप पढ़े-लिखे, शिक्षित, दीक्षित हैं। ..(व्यवधान).. दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री सभापतिः आप बैठे-बैठे बात नहीं करेंगे माननीय सदस्य।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जो बात मंत्रीजी से कहना चाहता हूं अभी आपके सामने अधिकांश विधायकों ने भी कही कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। जब आपने इतने शिक्षक भर्ती कर लिए उसके बाद स्कूलें खाली पड़ी हैं तो जिस विद्यार्थी के लिए हमने टीचर्स भर्ती किये हैं इसके मायने यह है कि आपने बहुत कम काम किया है। यह काम ऐसा नहीं है जिसकी आप इतनी प्रशस्ति बांचें और वो सब भर्तियां जो की हैं वो भर्तियां आपने ऐसी कोई नहीं की हैं जो आपकी सेंक्शंड

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

पोस्ट के अगेंस्ट हैं। जो रिटायर हो रहे हैं वे पोस्टें खत्म हो रही हैं। आपने जो भर्ती की हैं वे सर्व शिक्षा अभियान के तहत भर्ती कर ली हैं। चलो आपने अच्छा किया, लेकिन उसमें आप समायोजन के नाम पर आप गांव की स्कूलें खाली न करें। गांव की स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं यदि आप गांव में शिक्षक का ठहराव चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि गांव के शिक्षक को, गांव के जो दूसरे सरकारी कर्मचारी काम करते हैं उनको आप ग्रामीण भत्ता दीजिए ताकि व्यक्ति गांव में रह सके, गांव में रहकर गांव के बच्चों को पढ़ा सकें। आपने अभी जो समायोजन किया है, समानीकरण के नाम पर, उसमें आपने क्या किया कि जो शहर में बैठे हुए हैं उन्हें आपने नहीं छेड़ा, क्योंकि वो विशेष विचारधारा के हैं और जो गांव में लगे हुए थे उन स्कूलों को आपने पूरी खाली कर दी।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं पूरा स्कूल खाली कर दिया। 10 के 10 टीचर आपने बदल दिए समानीकरण के नाम पर बदली कर रहे हैं, ये पूल के टीचर हैं, पूल के शहरों में बैठे हुए हैं उन्हें गांव में लगाएं अगर आप खाली करते हैं। चाहे विद्यार्थी गांव का है, चाहे विद्यार्थी शहर का है उसको अध्यापक चाहिए। अभी आप बात कर रहे थे आपने बहुत किताबें बांटी हैं। मैं आपको ताजा उदाहरण देता हूं किशनगढ़ का। इसके पास एक गांव है जिसमें कुछ लोग गये थे, उस गांव में 18 बच्चे ऐसे थे जिनके पास किताबें नहीं हैं फ्री बांटने के बाद भी। तो यह बात आप देखें कि जो सरकार स्कीम बना रही है गोया विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस विद्यार्थी को जो पढ़ने आ रहा है उसको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं एडेड स्कूलों की तरफ। एडेड स्कूलों की आपने जो ग्रांट इन एड कम की है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने आश्वासन देने के बाद भी कि मैं कम नहीं करूंगा और कम भी आपने इस स्तर तक की है 10 परसेंट कम करने के बाद ..(व्यवधान).. यह आपका आर्डर है तो आप घोषणा कर देना हाउस में कि आपने एड कम नहीं की है। यह मेहरबानी आप करना क्योंकि इन्होंने आपसे लाठियां खायी हैं, आपके डण्डे भी खाए हैं और उसके बाद आप यह कल्पना कीजिए कि आपको शिक्षा विभाग में एडेड स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा के स्तर से भी और पढ़ाने के स्तर से भी। इसलिए आप ऐसा न करें।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

मैं आपका ध्यान उच्च शिक्षा की ओर आकृष्ट करता हूं। मुझे लगता है कि आपने उच्च शिक्षा को तो एक प्रयोगशाला बना लिया है। आपको एक-दो उदाहरण देता हूं राजकीय महाविद्यालय अजमेर का।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में एलएलएम की क्लासेज स्ववित्तपोषित कोष के तहत खुलीं। उसमें आपने पहले कोर्डिनेटर एक लॉ के लेक्चरर को बनाया। उसके बाद आपने उसको बदलकर एक विशेष विचारधारा के टीचर को जो लॉ का नहीं है उसको बना दिया। स्थिति देखिए कि कालेज ने 40 पोस्ट की सैंक्शन मांगी, यूनिवर्सिटी ने 50 पोस्ट की दी। उस एलएलएम की स्थिति यह है कि वहां पर आज तक कोई गैस्ट फैकल्टी नहीं आया। आप विडम्बना देखिए कि एससी, एसटी के जो लड़के भर्ती हुए उन लड़कों का फार्म सोशल वेलफेयर को फारवर्ड करना था ताकि उन बच्चों को वहां से फीस मिलती। एक भी फार्म फारवर्ड नहीं किया। इस प्रकार देखिए किस प्रकार से दुर्गति कालेजेज की हो रही है। अब आप नया प्रयोग करने जा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): दो मिनट और लूंगा। अब आप नया प्रयोग और करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट कालेज, अजमेर जो शताब्दी से पुराना कालेज राजस्थान का है और जिसका अपना इतिहास है उस कालेज को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। आपने उस कालेज में एक लॉ कालेज अलग करके ठीक किया, गर्ल्स कालेज अलग करके ठीक किया, लेकिन अब उसको फैकल्टी के नाम पर तोड़ रहे हैं। मेहरबानी करके जो आर्टस, कामर्स, साइंस फैकल्टी हैं उसे आप मत तोड़िए। उससे कालेज का स्वरूप बिगड़ेगा और कालेज की जो प्रतिष्ठा है उस पर आंच आएगी। मैं सोचता हूं कि इसमें आप ध्यान देंगे।

एमडीएस यूनिवर्सिटी का हाल यह कर रखा है स्वयं वहां के रजिस्ट्रार साहब का यह बयान है हमारे यहां पर बहुत पोस्ट वेकेंट पड़ी हैं उन्हें भरिए। गत बजट सेशन में माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर में पोस्ट भर देंगे, वहां आज भी पोस्टें खाली पड़ी हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें प्लीज। माननीय श्री बाबूलाल खराड़ी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मेरा आपसे

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

निवेदन है कि एमडीएस यूनिवर्सिटी को आप प्रयोगशाला न बनाएं और जब आपने पूरे राजस्थान के अंदर आरएएस अफसर रजिस्ट्रार लगा दिया तो ऐसी क्या बात है कि एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने रजिस्ट्रार नहीं लगाया? धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं जिस प्रकार से आज प्रतिपक्ष ने आरोप, प्रत्यारोप लगाये मैं जहां तक समझा इस पक्ष में अधिकतर समय प्रतिपक्ष रहा है और आज जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं आज जो पद खाली हैं, स्कूलें नहीं खुलीं या उनका सारा श्रेय है तो प्रतिपक्ष को है। आज बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। आज इस सरकार ने जब-जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी उसने विकास के आयाम स्थापित किये हैं इन्हीं का प्रतिफल है कि आज सब लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्रीजी को सराहा है।

श्री सभापति: मुद्दे पर आ जाओ।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया): मैं बिलकुल आ रहा हूं। आज स्कूल खोले हैं, अध्यापकों की भर्ती की है। आज मेरे क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं। मान्यवर, इसका भी दोष इनको है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये वर्षों से पद रिक्त हैं। गांव और गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है पर अध्यापकों के अभाव में वो पढ़ नहीं पाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी, इन पदों को भरें।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गांवों में डाक्टर बने, इंजीनियर बने, हम भी चाहते हैं लेकिन वहां पर वाणिज्य, विज्ञान, ये वर्ग नहीं हैं और ये वर्ग नहीं होने की वजह से वहां प्रतिभाएं तो हैं लेकिन उस शिक्षा से वंचित रहते हैं इसलिए वहां का आज डाक्टर नहीं बना है, न कोई इंजीनियर बना है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटड़ा में हमारे दो-ढाई साल से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त है और शिक्षा प्रसार अधिकारी तीन हैं, तीनों पद रिक्त हैं। माननीय सभापति महोदय, अगर जहां पर सुपरविजन

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

स्टाफ नहीं हो उस क्षेत्र का क्या भला होगा, अध्यापक गोते लगायेंगे। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी लगायेंगे, निश्चित रूप से ऐसे बैकवर्ड क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में पहली प्राथमिकता देते हुए इनको लगायेंगे तो निश्चित रूप से वहां से परिणाम आयेंगे और परिणाम आयेंगे तो गांव और गरीब का विकास होगा।

माननीय सभापति महोदय, आज प्रतिपक्ष के सदस्य गांव और गरीब की चिंता करते हैं। आप लोगों ने स्कूल खोले थे, स्कूल खोले तो गांव के एहसान पर खोले थे। गांव के मुखिया को कहा था कि मुखिया जी, आपके यहां स्कूल खोल रहे हैं, आप सब मिलकर के स्कूल का टापरा बनाना। कोई केलू लाना, कोई डंडे लायेंगे, कोई दीवारें खड़ी करेंगे और उसमें स्कूल चलेगा। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत आये और उनके आने के बाद में गांव में भैरोंसिंह जी ने कहा कि गांव के एहसान पर स्कूल नहीं चलेगा, सरकार के खजाने का पैसा लगेगा। इसी के तहत गांवों में सरकारी बिल्डिंगें बनने लगीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। आज स्कूलें खोलीं और खोलने के साथ ही उस भवन के लिए डी डी भी साथ में दिया। इसके लिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। जय भारत, धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। माननीय श्री तगाराम जी।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति जी, मैं एक सूचना देना चाह रहा हूं। इस सदन के तीन माननीय सदस्य एस एम एस हास्पिटल में एडमिट हैं। एक तो नाथूराम जी अहारी, एक सुरेश जी मीणा आज भर्ती हुए और एक थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य श्री कांतिलाल जी मीणा। तीनों को मैं देखकर के आया हूं, तीनों की स्थिति बिलकुल ठीक है क्योंकि पहले किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि वहां पर उनकी देखभाल नहीं हो रही है। सब बिलकुल संतुष्ट हैं, बिलकुल अच्छी स्थिति में है, कोई खतरे की बात नहीं है।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग

संख्या 24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति के बारे में चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करते हुए...

श्री सभापतिः अब आप पाँच मिनट में जो कुछ कहना है मेहरबानी करके बिना भूमिका के कहें। धन्यवाद।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): इसमें थोड़ा सा तो मेरा निवेदन मानना पड़ेगा। धैर्य की भी कोई सीमा होती है, इंतजार की भी कोई सीमा होती है और उम्र की भी होती है। पहली बार आया हूं और फिर आप मेरे लिए ही इतना करते हो तो या तो आप बोलने दीजिये या फिर मैं अनुशासित सिपाही हूं इसलिए मैं मान लूंगा कि मैं बोल गया।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आपके लिए नहीं कह रहा हूं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): तो क्या आज्ञा है ?

श्री सभापतिः हां, बोलो, समय जाया मत करो, आप बोलो।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मान्यवर, आज का जो शिक्षा का विषय है-

विद्या भलपन समुद्र जल और ऊंच तणै आकाश ।
उत्तरै पंथ देहि गत जेरो पार नहीं पायो पृथ्वीराज।।

आज का जो यह विषय है, बड़ा विशाल समुद्र और आकाश, जिससे इस शिक्षा की तुलना की गई है। शिक्षा के बगैर मानव जीवन अधूरा है। मैं पशु नहीं कहता, मैं तो कहूंगा मानव जीवन अधूरा है। ऐसे अवसर पर मेरे जैसे गांव के व्यक्ति को, किसान को भी अवसर मिलना चाहिए हमारी बात कहने के लिए। जो देरी से मिला तो भी मैं तो कहूंगा कि मैं तो आभारी हूं आपका कि आपने मुझे समय दिया।

मैं सबसे पहले तो क्योंकि समय के भीतर रहते हुए निवेदन करूंगा कि माननीय वसुंधरा जी मुख्य मंत्री बनने के बाद में, घनश्याम जी तिवाड़ी साहब शिक्षा मंत्री बनने के बाद में और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से लेकर आज तक शिक्षा की अलख जगा रखी है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो है मुख्य मंत्री शिक्षा सम्बल महा अभियान 2005, उसके अन्तर्गत मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं छोड़ी, कोई नगरपालिका वार्ड ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर कि इस शिक्षा सम्बल के 13-14 बिन्दु थे उन पर पूरे तौर पर, पूरी तरह से बड़े हर्षोल्लास के

(श्री तगाराम चौधरी)

साथ में उन सभी बिन्दुओं पर चर्चा की। और विशेष रूप से उन बिन्दुओं की क्रियान्विति भी एक तरह से की। उसके तहत मुझे ऐसा लगा कि शिक्षा के प्रति हमारी जो आम जनता है, हर जाति, हर वर्ग, वो कितना उत्सुक है और कितना प्रसन्न है। बहुत प्रसन्न थे। जगह-जगह मेले लग रहे थे और जो इन दो वर्षों में शिक्षा का विस्तार हुआ, शिक्षा का सुधार हुआ, शिक्षा का स्वरूप बहाल हुआ उनको देखकर के सभी इस तरह से हर्षोल्लास में हैं। परन्तु एक बात जरूर देखी गई, जो नई स्कूलें खुली हैं वहां तो बहुत राज़ी थे कि इतने वर्षों बाद हमारी स्कूल 5वीं से 8वीं हो गई। इतने हर्षोल्लासित हुए थे उस अभियान में परन्तु एक बात मैं जरूर कहूंगा मेरे क्षेत्र के बारे में कि पहली से 5वीं, 5वीं से 8वीं, संख्या मैं नहीं बोलूंगा परन्तु बहुत स्कूलें मुझे मिली। इस बात के लिए मैं शिक्षा मंत्री जी और विशेष तौर से मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे वहां पर पहले से ऐसे-ऐसे पदों पर रहे मेरी जगह, उनका मन था कि इनको अनपढ़ रखो, इनको प्यासा रखो, इनको भूखे रखो तब जाकर के ये हमको वोट देते रहेंगे। ऐसी प्रवृत्ति के लोग रहे थे। अब बैकलॉग कहते हैं, बैकलॉग कब का है ? बैकलॉग वाली बात में हमारा प्रतिपक्ष बहुत ही आतुर था कि बैकलॉग भरो, बैकलॉग भरो। है कब का, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है, मैं एम एल ए पहली बार बना हूं...

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): विधायक बनता उनको पता रहता है, बाहर वाले को क्या पता रहे। है कब का, पता ही नहीं है मुझे तो। कोई प्रजातंत्र शुरू हुआ तब से लेकर के इसी तरह से नहीं रहा है जो पूरा का पूरा इन दो सालों में भरने के लिए...

श्री सभापति: माननीय श्री रामचन्द्र जी सराधना।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मैं तो इस बात से तो बहुत ही प्रसन्न हूं कि आप लोग हमको जितना दबायेंगे, उतना ही हम पक्के होंगे और उतना ही विकास अधिक होगा। इस बात पर तो मैं बिलकुल खुशी जाहिर करता हूं कि हमको जितना दबाया जायेगा, लोहा जो स्टील बनता है, सोना है वह भी आग में पड़ता है तब वह 100 टंच का होता है। इसलिए मैं तो यह फिक्र कर रहा हूं क्योंकि अभी प्रतिपक्ष के नेता महोदय बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही शालीन स्वभाव के नेता हैं परन्तु एक बात जरूर है, आपके सामने नहीं,

(श्री तगाराम चौधरी)

लोढ़ाजी और जोशीजी कहां गये, ये हमारा सहयोग कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। आंकड़ों सहित...

श्री सभापति: अब आप समाप्त कीजिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): अभी तो आपने छूट दी है और फिर बोलने ही नहीं देते हो।

श्री सभापति: नहीं, छुट्टी नहीं है, अब आप समाप्त कीजिये प्लीज, आप बिराजिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ...क्योंकि राशन की व्यवस्था है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। समय की सीमा है। (व्यवधान) अब आप समाप्त कर दें। बैठे-बैठे बात नहीं करें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): हां, मैं बाड़मेर की बात करूंगा। मैं कह रहा हूं, आप सहयोग कर रहे हैं। बाड़मेर के लिए मैं निवेदन करूं, उस अभियान के तहत शिक्षा मंत्रीजी, आप ताज्जुब करेंगे कि 50 से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जो कई वर्षों से आठवीं है और उसको 10वीं करना है और जब बालिका शिक्षा की अपन बात करते हैं और हकीकत में सब होना चाहिए....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें प्लीज। अब आप बिराजिये। माननीय श्री रामचन्द्र जी सराधना।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): क्या समाप्त करूं, शुरू ही तो किया है, अब क्या समाप्त करूं? बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा देना है और बाड़मेर जैसा सीमांत जिला, सीमांत क्षेत्र, रेगिस्तानी है जहां नहर के पानी का नामो-निशान नहीं है, मीठे पानी का अभाव है।

श्री सभापति: आपने 10 मिनट ले लिये।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): सबसे बैकवर्ड शिक्षा में है इसलिए तो ये बातें कर रहे हैं यह।

श्री सभापति: अब आप मंत्रीजी, अपनी सीट पर आकर बोलिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): वहां पर बहुत ही उपेक्षित रहा है शिक्षा से।

श्री सभापति: बिराजिये आप।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): कम से कम 50 सैकण्डरी स्कूल, और

(श्री तगाराम चौधरी)

आप देखते तो आप वास्तव में उसी जगह घोषणा करते क्योंकि इतनी तो बालिकाएं पढ़ रही हैं और इतने ही बालक पढ़ रहे हैं। और वर्षों से वह उपेक्षित है तो करूं क्या? और अब वह जाकर के इस बजट में तो पता नहीं, अब आप क्या करेंगे, मुख्य मंत्री महोदय से भी प्रार्थना की थी परन्तु उम्मीद है कि वह दिलवायेंगे क्योंकि उनका दिल भी बहुत बड़ा है। शिक्षा मंत्रीजी बहुत योग्यता रखते हैं और पूरे भारत में भी शिक्षा मंत्रियों के अध्यक्ष हैं।

श्री सभापतिः धन्यवाद। अब हो गया। आप बिराजिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): हो क्या गया, शुरू ही तो हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सैकण्डरी स्कूल और उसके बाद सीनियर सैकण्डरी और दूसरा, मेरे नगर में महाविद्यालय नहीं है। एक महाविद्यालय तो है...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आप इनको क्यों प्रोवोक कर रहे हैं? अब आप बिराजिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): वहां दूसरा महाविद्यालय है, वह है महिला महाविद्यालय, उसमें विषय ही तो स्वीकृत करने है। वहां पर वाणिज्य का खुलवायें, विज्ञान का खुलवायें, जीव विज्ञान का खुलवायें, तब जाकर के बालिका है वह डाक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी।

श्री सभापतिः अब आप समाप्त करें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ...आगे पढ़ेगी। आज महिला चिकित्सकों की बहुत कमी है। चिकित्सा मंत्रीजी अभी मेरा समय ले रहे हैं, पहले कोई सूचना दे देते तो जो मेरे पांती आया समय पहले दे देते, वह कम हो गया। महिला चिकित्सकों की बहुत कमी है, कहीं मिलती नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः अब आपस में बात नहीं करें। माननीय सदस्य, आप बिराजें प्लीज।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): दूसरा, मैं निवेदन करूंगा, आज का जो बजट है, कला, शिक्षा और संस्कृति...(व्यवधान) मेरे से पहले एन.एस. गुर्जर साहब तो घंटों ले लिये, उनके लिए तो कुछ नहीं और मुझे गांव का आदमी देखकर, तो गांव वालों से घृणा है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापतिः अब आप समाप्त करें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): तो मेरे बायतू में संस्कृत विद्यालय है, उसको आप महाविद्यालय करवायें।

श्री सभापति: अब आप बिराजिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): और अब मैंने अभी जो...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, माननीय सदस्य इतनी गम्भीर बात कर रहे हैं और मंत्री महोदय बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। रेतीले धोरों की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति: अब आप बिराज जायें माननीय सदस्य। माननीय सचेतक महोदय, इनको बैठाइये। 12-13 मिनट हो गये इनको।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आज जो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनके मुंह से यह निकल गया कि हमने शिक्षा का भट्ठा बैठा दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, ये ऐसे विधायक हैं, इनका आज आखिरी भाषण है यह, फिर ये मंत्री बनने वाले हैं, बोलने दो आज इनको।

श्री सभापति: अब आप बिराज जायें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): नहीं नहीं, यह नहीं, आखिरी होगा आपका, मैं इन बातों में आने वाला नहीं हूं, आप कृपया मेहरबानी रखें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, फिर आप मंत्री बनेंगे ना।

श्री सभापति: माननीय श्री सराधनाजी। माननीय सदस्य, अब आप बिराजें प्लीज। आप मुझे मजबूर नहीं करें। माननीय सदस्य, अब आप बिराज जायें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): तो मैं यूं कहूंगा, मैं दो बातों की तुलना की बात कहूंगा। राजीव गांधी विद्यालय इन्होंने खोले और किसको रखा? रखने में क्या गया? मैं यह कहूं कि..

श्री सभापति: अब आप बिराज जायें। अभी आप कहोगे कि मेरे बुढापे की लाज नहीं रखते।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): लेकिन तुलना तो करनी पड़ेगी ना। राजीव गांधी विद्यालय में रखा किसको है? अपने किसी चहेते को रखा है। चाहे बच्चा कितना ही पढ़ा-लिखा हो या नहीं हो, उनको रखा है और लिखकर कुछ नहीं दिया, कोई आदेश नहीं गया, आदेश-वादेश कुछ नहीं। मैंने तो बहुत ताज्जुब किया उस समय कि यह राज्य की नीति है तो बजट मंजूर करते हैं

(श्री तगाराम चौधरी)

और आदेश होते हैं तो बगैर आदेश के भी उन्होंने वह शुरू कर दिया, केवल नाम लिखने के लिए और वाहवाही लेने के लिए कि राजीवजी का नाम ढाणी-ढाणी तक लिख दिया, यह किया।

श्री सभापतिः अब आप बिराज जायें प्लीज।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): उसका अन्याय यह हुआ कि नींव जिसको कहते हैं कि...

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो। इनका अंकित नहीं हो। माननीय श्री रामचन्द्र जी सराधना।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ×××

श्री सभापतिः इनका अंकित नहीं हो। आप बिराज जायें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ×××

श्री सभापतिः मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर दी। (व्यवधान) आप बिराज जायें। मंत्री महोदय। (व्यवधान) अब आप बिराज जायें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ×××

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ×××

श्री सभापतिः माननीय सचेतक महोदय, आप माननीय सदस्य को बैठाइये। अब आप शुरू करें। इनका अंकित नहीं हो। आप बार-बार आसन की अवहेलना कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बैठ जायें। मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर दी। मेरा निवेदन है आपसे, आप बिराज जायें।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, इनको बिठाओ साहब। सदन को आर्डर में तो लाओ साहब।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ×××

श्री सभापतिः मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप बिराज जायें प्लीज। समय की सीमा है। सभी माननीय सदस्य इस आसन के लिए बराबर हैं। 15 मिनट आपको दे दिये। 15 मिनट हो गये आपको।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ×××

श्री सभापति: अब आपने घूघरी की तुलना कर दी। आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप क्यों प्रोवोक कर रहे हैं इनको?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, यह लू के थपेड़ों का सीधे शरीर पर मुकाबला करने वाले किसान हैं, आपसे बैठने वाले नहीं है ये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, आप किसी माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, यह प्रजातंत्र के अंदर क्या हो रहा है?

श्री सभापति: माननीय श्री रामचन्द्र सराधना।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़: माननीय सभापति महोदय, अब प्रोफेसर बीरूसिंह राठौड़ भी बोलना चाहता है।

श्री संयम लोढ़ा: संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय सभापतिजी, मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा इस बात के लिए कि मेरी पूरी बात सुनेंगे और मुझे पूरा समय देंगे। मांग संख्या 24 शिक्षा पर विचार चर्चा है, इस परिचर्चा में मैं भी मेरे विचार रख रहा हूं। शिक्षा हमारे जीवन के लिए अनिवार्य अंग है, शिक्षा से मनुष्य का बौध्दिक, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। माननीय सभापतिजी, आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रदेश में भी बहुत काम हुए हैं। जहां दस और पन्द्रह किलोमीटर की दूरी पर प्राइमरी स्कूल नहीं मिलते थे, बीस किलोमीटर तक मीडिल स्कूल नहीं मिलते थे, पच्चीस-तीस किलोमीटर तक सीनियर सैकण्डरी, सैकण्डरी स्कूल नहीं मिलते थे और कालेज भी कोई खास-खास कस्बों में और शहरों में थे। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए यह महसूस होता है कि इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम हुआ है। लेकिन यह सब कुछ काम होने के बावजूद भी आज भी शिक्षा पर काम होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा बाकी है और उसके कई कारण हैं। आज जिस आधुनिकता से शिक्षा की अवधारणा के बदलते स्वरूप को पुनर्निर्धारण करना है, आबादी के दवाब को देखना है, शिक्षा में विज्ञान की विविध विधाओं का समावेश करना है। और शिक्षा को, आज से पहले केवल शिक्षा को पढ़ने-लिखने के लिए माना करते थे, माननीय सभापतिजी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चार केबिनेट मंत्री बैठ करके गपशप मार रहे हैं। यह ऐसे क्या कर रहे हैं आप? अपनी-अपनी जगह बैठें, डिस्टर्ब मत करें, या मैं बैठ जाऊं।

श्री राजेन्द्र राठौड़: नहीं-नहीं, आप।

श्री सभापति: आप अपनी बात कहें।

श्री रामचन्द्र सराधना: आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, आपको हम सुनाना चाहते हैं। मेरा निवेदन यह था कि आज से पहले शिक्षा जो ली जाती थी, केवल पढ़ने और लिखने की बात थी, वहीं तक सीमित थी। लेकिन आज शिक्षा का स्वरूप यों बदलता जा रहा है कि जब तक शिक्षा व्यावसायिक नहीं होगी तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। मान्यवर, शिक्षा का स्तर प्राथमिकता से शुरू होता है, प्राइमरी एजुकेशन से शुरू होता है और प्राइमरी एजुकेशन में गुणात्मक सुधार करने के लिए सन् 1986 में केन्द्र में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उसी की अवधारणा को लेकर के राजस्थान में डाइट का एक केन्द्र शुरू किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग के नाम से एक इंस्टीट्यूट बना और यह सोचा गया उसमें कि इसमें ट्रेंड टीचर होंगे, विषय के टीचर होंगे, वहां एजुकेशन के जितने भी टीचर आयेंगे उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे। लेकिन मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डाइट की स्थिति और डाइट की दुर्दशा यह हो गई है कि आज जो भी टीचर जिसके लिए सबजेक्ट स्कूल में नहीं है, उसको ले जाकर डाइट में लगा देते हैं। जो अपनी टीचिंग में फेल हो जाता है, असफल रहता है उसको डाइट में ले जाकर के वेटिंग करने के लिए वहां लगा देते हैं, कहीं पर ट्रांसफर हो जाता है और वह जाना नहीं चाहता, तो उसको वहां ले जाकर एडजस्ट कर देते हैं। डाइट की जो मूल धारणा थी वह डिस्टर्ब हो गई है।

मान्यवर, मैं अब यह भी निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आपने समय बहुत कम देना शुरू कर दिया है, शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए, सुधार करने के लिए या राजस्थान में साक्षरता को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम थे, साक्षरता का, अनौपचारिक शिक्षा का, प्रौढ़ शिक्षा का, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का, शिक्षा मित्र योजनाएं, कई तरह की योजनाएं चल रही थीं। सन् 1998 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई और उसके शिक्षा मंत्री डा. सी.पी. जोशी को यह शिक्षा का विभाग दिया गया। उनकी सोच थी कि इन सब योजनाओं को एक रूप देकर के एक जगह एक आइडेंटिफाई सेंटर बना दिया जाय। जो शिक्षाकर्मी योजना, शिक्षा सहयोगी योजना, अनौपचारिक शिक्षा जो चलती थीं, उनका मालूम नहीं था कि कौन आदमी पढ़ाता है, कौन क्या काम करता है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी धारणा ली, एक अच्छी भावना थी उनकी और

(श्री रामचन्द्र सराधना)

राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के नाम से उन्होंने शुरूआत करी। यह बात सही है कि राजीव गांधी पाठशाला में शिक्षा सहयोगी जो चुना गया था वह इस भावना के साथ चुना गया था कि टीचर आयेंगे नहीं, टीचर जगह पर पहुंचते नहीं हैं, स्कूलों में नहीं पहुंच पाते इसलिए वहीं का टीचर, वहीं के लोग, वहां की भाषा को समझने वाला, वहां की विधाओं को समझने वाला, वहां के वातावरण को समझने वाले लोगों को, पंचायत के लोग उसका सलेक्शन करें और उसको पढ़ाने के लिए दें। यद्यपि यह भी बात सही है कि बारह सौ रूपये मानदेय पर कांग्रेस की सरकार ने उनको रखा, यह ठीक बात नहीं थी लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि साक्षरता बढ़ाने के लिए, शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिए राजीव गांधी पाठशालाओं को दिया और राजीव गांधी पाठशालाओं ने ठीक काम किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बजने लग गई क्या? मान्यवर, यह भी सही है कि आज से पहले राजस्थान में जब-जब स्कूल खुले या कालेज खुले, स्कूलों की बात मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, दो-दो, तीन-तीन साल तक पेड़ के नीचे चलते थे, कच्ची झोंपड़ी में चलते थे, किसी के मांगे हुए मकान में चला करते थे, राजीव गांधी पाठशाला एक ऐसी बनी जिसका पहले भवन बना और फिर उसके बाद उसमें स्कूल शुरू की गई। इसके बाद आपकी सरकार आई, आपने सैंतीस हजार टीचर भर्ती किये। माननीय शिक्षा मंत्रीजी बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि सैंतीस हजार शिक्षक हमने भर्ती किये, वस्तुत: आपने किये। मैं यह नहीं कहना चाहता आपने सर्वशिक्षा का पैसा लेकर के इसमें किया, करना चाहिए था, सर्वशिक्षा का पैसा भी अपना ही है, केन्द्र भी अपना ही है, केन्द्र का पैसा भी अपना ही है, कोई बुरी बात नहीं थी लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जो प्लान का पैसा था उसका आपने उपयोग नहीं किया और प्राइमरी एजुकेशन को आपने हलका सोचा और इस पर ध्यान नहीं दिया, इसके महत्व को आपने कम आंकलन किया। और उसका नतीजा, एक यही नहीं किया कि आपने प्लान के टीचर्स नहीं भरे, आपने यह भी किया कि इस सर्वशिक्षा अभियान के पैसे से आपने प्राइमरी एजुकेशन के लिए, एलीमेंट्री एजुकेशन के लिए टीचर्स भर्ती किये। और उन टीचर्स को हायर एजुकेशन जो लिये हुए टीचर थे उनसे प्राइमरी एजुकेशन को लाभ मिलने की बजाय आपने सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी में ट्रांसफर कर दिया। अब आपने वापस उनको प्राइमरी में भेज दिया, आपने काम निकाल लिया सीनियर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूलों से और प्राइमरी एजुकेशन को आपने वहां का वहां रख दिया।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, प्लीज।

श्री रामचन्द्र सराधना: नहीं साहब, ऐसे कैसे हो जायेगा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं।

श्री सभापति: समय की सीमा है, छह मिनट हो गये आपको, एक मिनट में आप अपनी बात बता दें।

श्री रामचन्द्र सराधना: अब एक मिनट में तो होगा नहीं, मैं बैठ जाऊं फिर आपका काम चल जाये तो। नहीं, मेरे ही कारण आपको सोने में देरी हो रही ...

श्री सभापति: क्या?

श्री रामचन्द्र सराधना: मेरे ही कारण परेशानी हो रही है, मैं तो बैठ सकता हूं...

श्री सभापति: सुनिये, सुनिये माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र सराधना: मेरे कहने से कोई फायदा तो होगा नहीं। मैं भी जानता हूं, सरकार भी नहीं समझेगी इसको + + +। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि आपने युवकों को ठीक रोजगार दिया.. (व्यवधान) कोई बात गलत निकल गई हो तो मैं वापिस ले लूंगा।

श्री सांवर लाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आसन के लिए कि आपके भी दिमाग में नहीं आ रही, इसको कार्यवाही से निकालें सभापति महोदय।

श्री रामचन्द्र सराधना: नहीं-नहीं, मैंने खेद प्रकट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं साहब, इसमें कोई..

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह कोई दिमाग की बात है क्या, आपको नींद आ रही है तो।

श्री रामचन्द्र सराधना: मेरी बात दिमाग में नहीं पहुंच रही, यह कह रहा हूं मैं। तो दिमाग आपका भी हो सकता है, सब का हो सकता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन: अच्छा, दिमाग में नहीं पहुंच रही आपकी।

श्री रामचन्द्र सराधना: मैं निवेदन यह कर रहा था, आपने युवकों को रोजगार दिया, इसमें कोई बुरी बात नहीं करी। आपने प्लान के टीचर्स की भर्ती नहीं करी, वह भी आपने ठीक किया, कोई बुरी बात नहीं करी। आपने विधवाओं और परित्यक्ताओं को रोजगार दिया, वह भी बहुत अच्छा किया।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

मान्यवर, आपने यह नहीं देखा कि विधवाओं और परित्यक्ताओं को आपने दूसरे डिपार्टमेंट में क्यों नहीं भर्ती किया, उनको कहीं एलडीसी लगा देते, इनको कहीं बाबू बना देते, वह भी अपना ठीक काम, परिवार चला लेती और यह स्कूल का भट्ठा भी नहीं बैठता कि अपन ने अनट्रेंड टीचर्स को लगाकर यहां पर प्राइमरी एजुकेशन को साफ कर दिया। यह भी आपका प्राइमरी एजुकेशन के प्रति आकलन सही नहीं था, उसको भी आपने गिराने की कोशिश की है।

श्री सभापतिः अब आप।

श्री रामचन्द्र सराधना : एक निवेदन और करना चाहूंगा। जो-जो शिक्षा मंत्री आते हैं, वह अपनी बात जरूर निश्चित रूप से छाप छोड़ कर जाते हैं और नया प्रयोग करना चाहते हैं। माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया जब शिक्षा मंत्री थे, सारे राज्य में एक ड्रेस दी थी सब को। वह आज भी सब मानते हैं कि एक ड्रेस थी सारे राज्य में, सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं की एक पोशाक थी। आप यह प्राइवेट और सरकारी वालों की एक ड्रेस कर देंगे तो उनकी तरफ से जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है टाई लगाकर के और वेल ड्रेस दिखा करके जो लड़कों को आकर्षित कर रहे हैं और सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है तो उससे भी निजात मिलेगी उनको।

श्री सभापतिः धन्यवाद। माननीय श्री जगसी राम कोली।

श्री रामचन्द्र सराधनाः माननीय सभापतिजी, दो मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाय।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि आज की कार्य सूची पूरी हो तब तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या-24 पर विचार

श्री रामचन्द्र सराधना: माननीय सभापति महोदय, आपसे मैंने दो-तीन मिनट के लिए पूछा है, मैं निवेदन यह करना चाह रहा था...

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, प्लीज। नौ। माननीय श्री जगसी राम कोली। माननीय श्री समाराम गरासिया।

श्री जगसीराम कोली (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, आज की राज्य की सरकार में मुख्यमंत्री यशस्वी श्रीमती वसुन्धरा राजे जी सिंधिया के सवा दो साल के कार्यकाल में यशस्वी श्री घनश्याम जी तिवाड़ी शिक्षा मंत्री जी द्वारा पूरे राज्य भर के अन्दर शिक्षा का जो एक संदेश जो पहुंचा है मैं तहेदिल से मेरे रेवदर विधान सभा क्षेत्र की तमाम जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि जो शिक्षा रेवदर विधान सभा क्षेत्र जो है गुजरात बॉर्डर पर आया हुआ है वहां पर शिक्षा का क्षेत्र जो है वहां पर एससी/एसटी के लोग ज्यादातर रहते थे। वहां पर शिक्षा की बहुत कमी थी। लेकिन सम्माननीय शिक्षा मंत्री जी आदरणीय तिवाड़ी साहब को भी जब भी मैं सदस्य जरूर नया बना था लेकिन जब जब भी मैंने आपसे आग्रह किया उसी समय मेरी बातों को आपने ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी के अन्दर विद्यालय खोले हैं। प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय मांग के अनुसार खोले हैं। मैं इस बात पर मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा और रेवदर विधान सभा क्षेत्र जो गुजरात सीमा पर आया हुआ है वहां पर शिक्षा की बहुत कमी है रेवदर, मंडार और जेतावड़ा जो है सिरोही से लगभग नब्बे किलोमीटर आया हुआ है आबू रोड से भी नब्बे किलोमीटर आया हुआ है।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि रेवदर के अन्दर एक महाविद्यालय खोला जाए ताकि वहां के किसान वर्ग के लोग जो रहते हैं और शिक्षा से बहुत वंचित हैं। मेरा निवेदन है कि रेवदर के अन्दर महाविद्यालय खोला जाए और इसके अलावा रेवदर में विद्यालय के अन्दर जो 1982 के अन्दर विज्ञान विषय जो खोला था उसके उपरांत 1992 में बंद कर लिया है वहां पर सारे उपकरण पर्याप्त हैं तो वहां पुन: विज्ञान विषय को खोला जाए। रेवदर विधान सभा क्षेत्र में जो शिक्षकों का पहले काफी अन्तर है ज्यादातर शिक्षकों की भर्ती कर ली है और जो रिक्त पद जो हैं वहां की क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करना

(श्री जगसीराम कोली)

चाहूंगा कि जो स्कूलों में अध्यापकों की कमी है उनको भरवाने की कृपा करावें। और अंत में मैं पुन: एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय पर महाविद्यालय आवश्यक है। और मैं मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो सवा दो वर्ष का कार्यकाल जो है शिक्षा के क्षेत्र में वहां की जनता की वाहवाही और बहुत सराहनीय आपका रहा है। और इस अवसर पर जहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय जो हैं वहां पर जो मिड डे मील व्यवस्था हो रही है उसके अन्दर बालकों को जो गरम-गरम भोजन की व्यवस्था हो रही है। वहां एससी/एसटी के बच्चों के लिए बहुत पुन: सराहनीय अवसर जो है वहां की जनता इस विषय पर और मैं शिक्षा विभाग को मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर से तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जब भी मैंने आपको बताया उस समय में मेरी बात पर ध्यान दिया। और मैं आपसे मंशा रखता हूं कि हम नये सदस्य होने के नाते जो आपसे निवेदन करना चाहेंगे उन पर विशेष ध्यान देंगे, यह कहते हुए मैं मेरे शब्दों को यही छोड़ता हूं। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री समाराम गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा): सभापति महोदय, मांग संख्या 24 में शिक्षा के प्रति चर्चा हो रही है मैं घनश्याम जी तिवाड़ी जो अपने शिक्षा मंत्री हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि वास्तव में ऐतिहासिक जो कदम उठाये हैं जो पचास साल में कांग्रेस सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाये थे जो वास्तव में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में गांव ढाणियों में ऐसी स्कूल खोली गयीं है जो वास्तव में लोग कहते हैं कि अगर मंत्री जी अगर जो भाजपा सरकार में जो घनश्याम जी तिवाड़ी ने स्कूल खोली है। और शिक्षा जीवन के लिए अति आवश्यक है।1 और मैं वास्तव में यह कभी भी सपने में लोग नहीं सोचते थे कि इतनी सारी नौकरियां लगेंगी। एसटी के लोग बिलकुल बेचारे बेरोजगार पड़े हुए थे जो पूर्व सरकार ने बिलकुल नौकरियों के बारे में ध्यान नहीं दिया था और स्कूलों की इतनी रिक्त जगह है। लेकिन हमारे बहुत ही शिक्षा के प्रति ध्यान देने वाले मंत्री जी बहुत ही सुचारू रूप से चालीस हजार पोस्टें दी हैं। लेकिन इकत्तीस हजार पोस्टें और भी देने की घोषणा है और मैं विश्वास देता हूं कि वास्तव में हमारी सरकार ने ऐतिहासिक जो कदम उठाये हैं ऐसे कदम किसी पूर्व सरकार ने नहीं उठाये हैं। सेवानिवृत्त होने वाली पोस्टें जरूर खाली की खाली रही। लेकिन अभी तक वास्तव में हमारे मंत्री जी बहुत ही जागरूक

(श्री समाराम गरासिया)

और पहली बार हम भी नये सदस्य होने के नाते यहां विधान सभा में पहली बार मुझे भी मौका मिला है। और मैं वास्तव में यह एक शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति नहीं है। तो सभापति जी से मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि वास्तव में शारीरिक शिक्षक अगर जो होगा तो शारीरिक शिक्षक हमारे आदिवासी बेल्ट में बहुत ही जागरूक और तीरंदाजी जैसे इस प्रकार से कला में बहुत ही भाग लेने वाले हैं। लेकिन ये पोस्टें जल्दी से जल्दी भरी जाएं तो मैं समझूंगा कि वास्तव में इस देश का भी नाम रोशन होगा। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा और हमारे घनश्यामजी तिवाड़ी साहब को धन्यवाद दूंगा कि हमारे सिरोही जिले में पहली बार कॉलेज तो था ही। लेकिन बालिका कॉलेज अलग से खोला है मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारा विधान सभा क्षेत्र गरासियों का बिखरा हुआ एरिया वास्तव में हमारे गरासिया भी इस बात से जान चुके हैं कि अगर झूठ बोलकर अगर किसी सरकार ने यह वादे अगर वास्तव में सही आश्वासन देकर के हमको अगर चुनकर भेजा है। तो एक एक गांव-गांव में वास्तव में जो अस्थायी लोग, जो हमारे पिंडवाड़ा में भिखमंगे भी विचार करते हैं उनके लिए भी एक स्कूल सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वास्तव में दस बारह घर जो जोगियों के थे वहां भी स्कूल मंत्री जी से मैंने निवेदन किया था, अलग से खोला मैं बहुत वास्तव में धन्यवाद देना चाहूंगा। और कृषि कॉलेज की भी आवश्यकता है क्योंकि हमारे कृषि आदिवासियों का मूल धन्धा खेतीबाड़ी का भी है कृषक लोग हैं। कृषि कॉलेज अगर हमारे पिंडवाड़ा में हो जाए तो बहुत ही मैं समझूंगा कि हमारी सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाये। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने वास्तव में अगर जो एक जनवरी से बस यात्रा भी फ्री कर दिया 9 से 12वीं तक के लिए और हमारी सरकार ने नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें और की हैं तो पहली उपलब्धि हमारी सरकार में हुई है और मैं पुन: हमारी जनता ने हमें चुनकर भेजा है। और मैं मंत्री महोदय जी को हमारी मौलिक भाषा में धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में वो हमको भी यह धन्यवाद देते हैं कि वाह घनश्याम साहब वाह थे मने घणो धणो ब्यालो अबजो कि हमरे कौम मा खूब खूब स्कूल खोल ली खूब खूब मास्टराई लागरज्या खूब खूब थेमरे वहलू अबजो न आगली ती आगली मंत्री बनता हे जो। इन्हीं शब्दों के साथ में वन्दे मातरम। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी।

मांग संख्या-24 का पारण

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज सुबह से मांग संख्या 24 शिक्षा पर अपन विचार कर रहे हैं माननीय सदस्यों द्वारा 237 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उनके जवाब में शीघ्र ही दो-तीन दिन में ही माननीय सदस्यों को लिखित में भिजवा दूंगा। तीस माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं बहुत बहुमूल्य सुझाव दिये हैं और आज की डिबेट मैं यह कहूं कि एक तरह से प्रदेश के हित में जो-जो सुझाव आ सकते थे वो सारे सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय सदस्यों के लिए, और आभार प्रकट कर रहा हूं मैं दो व्यक्तियों के लिये। एक राजस्थान की मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा जी के लिये और एक भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी के लिये । दोनों को मैं आभार प्रकट इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान की मुख्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री के नाते जो शिक्षा में जो पैसा दिया है वह अभूतपूर्व है। और भारत सरकार ने अभी तीन दिन पहले मानव संसाधन मंत्रालय की मीटिंग की उसमें सारे राज्यों के शिक्षा सचिवों और सबको बुलाया और उनके बीच में यह कहा कि राजस्थान में जितना बजट चाहेंगे हम राजस्थान को बजट देंगे। और इसके लिये राजस्थान को 1337 करोड़ रुपये का इस साल का बजट मिला है सर्व शिक्षा अभियान में जो अभूतपूर्व काम है ।

सभापति महोदय, जो आज सारा धन्यवाद दिया गया इसके लिये मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है। योगदान है तो माननीय सदस्यों का है, योगदान है तो हमारे स्टाफ का है, हमारे अधिकारियों का है। वह चाहे प्रिंसिपल सैक्रेटरी हैं, सैक्रेटरी हैं, चाहे डाइरेक्टर्स हैं सब लोग लगे रहते हैं और विशेष रूप से आप सभी माननीय सदस्यों को भी इस बात की जानकारी होगी कि हमारा जो पर्सनल स्टाफ है मैं उसके प्रति भी आभारी हूं। वह केवल 10 से 5 तक ही काम नहीं करते वह पूर्ण समय काम करते हैं और उन सबके सहयोग के कारण से हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर पाये हैं । माननीय सभापति महोदय, जब मैं शिक्षा मंत्री बना उस समय राजस्थान में विभिन्न योजनाओं में जिसमें लोक जुम्बिश भी थी, जिसमें डीपीईपी भी थी, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान था 2003-04 में 419 करोड़ का प्रावधान था। 2004-05 में 840 करोड़ का हुआ, 2005-06 में 1012 करोड़ का हुआ और 2006-07 में 1337 करोड़ रुपये का और डीपीईपी का सारा जोड कर 1400 करोड़ रुपये व्यय होगा । अगर दो साल में 400 करोड़ से बढकर हम 1400 करोड़ तक पहुंच सकते हैं तो इससे बडी उपलब्धि कुछ होगी नहीं ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(समय 21.50 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं यह केवल बजट नहीं किया गया है इस बजट का जो खर्चा हुआ है उसके बारे में अभी माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न उठाया था, वह किताब पढ कर सुनाई थी। मैं आपको आंकडे दुरुस्त करना चाहता हूं डीपीईपी फर्स्ट फेज में इस बार 100 प्रतिशत पैसा बजट का रिलीज किया है । डीपीईपी सैकिण्ड फेज में भी 100 प्रतिशत रिलीज कर दिया और एसएसए स्टेट शेयर को भी हमने 100 प्रतिशत रिलीज कर दिया । आज तक जो फरवरी की एसएसए की प्रोग्रेस है वह 85 परसेंट है और मुझे आशा है कि मार्च के अंत तक हम इस लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा करेंगे ।

एक मामला यह भी उठाया गया था कि आपकी किताबों का पैसा इस साल कम रखा गया है । कम नहीं रखा है । हमने जब किताब वितरण की बात की तो पहला राजस्थान राज्य है मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप इस बात को देखें, यह कहा गया था कि कुछ शिड्यूल्ड कास्ट के गरीब बच्चों को किताब दी जाये हमने कुछ को नहीं सबको दी । फिर कहा कि कुछ शिड्यूल्ड ट्राइब को दी जाये, हमने कहा कि कुछ को नहीं सबको दी जाये। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने इस बात को सोचा कि ड्राप आउट पीरियड कैसे कम हो । मैं जानता हूं गांव में स्कूल में जब मास्टर कहता है कि सात दिन में किताब लेकर आओ और जब वह किताब लेकर नहीं आता है तो कहता है कि कुर्सी पर खड़ा हो जा, मेज पर खड़ा हो जा और तीन-चार बार खड़ा होने के बाद में शर्म के मारे वह बच्चा स्कूल में नहीं जाता है । इसलिए हमने कहा कि बच्चा चाहे वह किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, चाहे जाट के, चाहे राजपूत के, खाती, कुम्हार, हिन्दू, मुसलिम किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो जो राजस्थान में बच्चा पैदा हुआ है उसको किताब हम फ्री देंगे और इसलिए पहला स्टेट राजस्थान है जिसने 120 करोड़ रुपये की किताबें मुफ्त में दी । इस साल पैसा इसलिए कम हुआ है क्योंकि हमने पाठ्य पुस्तक मंडल में दो संशोधन किये थे एक तो प्रिंटिंग में हमने कुछ चेंज किया और एक हमने कागज का पूरा टेंडर किया इसके कारण से हमारा जो खर्चा था वह खर्चा कम हुआ है। इस बार भी हम किसी भी प्रकार से किसी भी किताब को कम नहीं देंगे। जहां तक ड्राप आउट की बात थी, ड्राप आउट का सर्वे भी मैंने नहीं किया, एनसीईटी ने सर्वे किया है और एनसीईटी भारत सरकार ने कहा है कि राजस्थान में दो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वर्ष पहले जो 53 परसेंट ड्राप आउट थे वह घटकर अब 23 परसेंट हो गये हैं। 237 ब्लाकों में इस प्रकार की बात करने की बात कही है । लेकिन मैं इसको बडी बात नहीं मानता हूं । मैं नहीं मान रहा हूं कि इसके कारण से हम सारे के सारे काम पूरे कर देंगे । अभी माननीय सदस्यों ने कुछ शिकायतें की हैं, मैं क्षमा चाहूंगा बहुत सी जगह मेरे मन में किसी भी माननीय सदस्य के प्रति यह नहीं थी कि उनके यहां स्कूल नहीं खुले । या तो माननीय सदस्य ने मेरे पास देने में ही कोताही की होगी । अब अगर कमी रही है तो मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि शिक्षा में मैं राजनीति नहीं करूंगा । हमारा नारा है कि शिक्षा में राजनीति नहीं, राजनीति में शिक्षा की जरूरत है । तो वह शिक्षा की जरूरत हम करना चाहते हैं । इस बार जो कमी रही है उसको विपक्ष के माननीय सदस्यों की भी पूरी करेंगे । जितनी भी राजीव गांधी पाठशालाएं हैं उनको क्रमोन्नत करके राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक पाठशालाओं में बदलेंगे । हर पाठशाला में एक थर्ड ग्रेड का टीचर पूरे वेतन का रखेंगे । आवश्यकतानुसार संसाधन उपलब्ध करायेंगे । दो लाख रुपये हर राजीव गांधी पाठशाला में नये भवन के लिये देंगे और पेयजल और टायलेट की व्यवस्था करने के लिये अतिरिक्त पैसा उनको उपलब्ध करायेंगे । इस प्रकार सदन के सभी माननीय सदस्यों के लिये यह व्यवस्था होगी । सुभाष जी नहीं है, उन्होंने एक प्रश्न रखा था अध्यक्ष महोदय, मैं भी वह प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं । आजादी के 60 साल करीब होने को आये, 58 साल हो गये एक बात बार-बार लोग कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में एससी औरे एसटी के लोगों को पढाने की हमारी विशेष जिम्मेदारी है । जिनके पास पैसा होता है वह तो कहीं भी पढ लेते हैं, उनको पढाने की हमारी जिम्मेदारी है । लेकिन एक आंकडा आप देखेंगे तो आप आश्चर्य चकित करेंगे पहली क्लास में इस समय 28.68 लाख बच्चे हमने इस साल भर्ती किये हैं, आज राजस्थान में है उनमें 5.36 लाख एससी के हैं और 3.9 लाख एसटी के हैं । बाकी आंकडे देखेंगे तो आठवीं क्लास में आज के दिन 13 लाख बच्चे हैं, कितना बड़ा गैप है । पहली क्लास में 28 लाख है और आठवीं क्लास में 13 लाख । पर यह 28 लाख जब पांचवीं तक जायेंगे 10-5 परसेंट ड्राप आउट को जोडकर तो यह संख्या 20-22 लाख के आस पास पहुंचेगी । उस समय इस प्राइमरी स्कूल का मतलब क्या है । एक गांव में, ढाणी में आजादी के बाद प्राइमरी स्कूल रखते हो इसका मतलब क्या है । इसलिए सरकार ने सिद्धांत: फैसला किया है कि 5 हजार प्राथमिक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पाठशालाओं को उच्च प्राथमिक में बदला जाये । 5 हजार एक साल में और 15 हजार पाठशालाओं को हम आने वाले तीन साल में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में बदलकर हर जगह यह संदेश देंगे कि आठवीं तक पढने का तो सबको अधिकार है, यह बात हमने निश्चित रूप से तय की है यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है लडकियों के बारे में की गई, गरीब लडकियों के बारे में की गई । हमने 186 ब्लाक छांटे हैं । उन 186 ब्लाकों को चयनित किया कि महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है और जहां पर जेंडर गैप भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है । ऐसे ब्लाक राजस्थान में 184 है । पिछले साल हमने इन 184 में से 56 में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोले थे । लेकिन इस बार हमने तय कर के और भारत सरकार से भी बात कर के तय कर लिया सभी माननीय सदस्यों को मैं सूचित करना चाहूंगा कि जितने 186 ब्लाक हैं उन सभी में इस बार कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हम खोल देंगे और इसके लिये जो भी पैसा खर्च होगा उस पैसे की व्यवस्था सरकार ने की है । 20 लाख रुपये तो भवन निर्माण में आयेगा और बाकी उन बच्चियों के रहने, खाने और किताबों की सारी व्यवस्था भी राज्य सरकार के द्वारा की जायेगी । इस प्रकार जो लड़कियों की शिक्षा का गैप है उसको कम करने के लिये प्रयास किया गया है।

माननीय सदस्यों ने डाइट के बारे में एक प्रश्न उठाया था । हमने डाइट के लिये स्पेशल सलेक्शन रूल बना दिये हैं । तीन साल के लिये उनका चयन होगा और तीन साल के पहले उनका कोई ट्रांसफर नहीं किया जायेगा । मलसीसर के लिये अभी धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, प्रतिपक्ष के माननीय नेता नहीं है, वहां राज्य सरकार की भी एक स्कूल है । मलसीसर माध्यमिक स्तर का राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय है और एक विद्यालय 12वीं तक का है जो 80 परसेंट गवर्नमेंट के द्वारा एडेड है इसलिए उसमें इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने यह खड़ा है कि अध्यापकों की कमी है । सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि अध्यापकों की कमी है । अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों की कमी क्यों है, इस सरकार के टाइम में अध्यापकों का रिटायरमेंट नहीं हुआ । 58 साल से बढाकर 60 कर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिया तो रिटायरमेंट तो जून के बाद प्रारंभ होगा और भिन्न-भिन्न माध्यमों से हमने 45 हजार से लेकर 50 हजार तक नियमित नियुक्तियां दी, वह नियुक्तियां भी हो गई हैं । उनमें 1800 की अभी वैकेंसी ऐसी है जो दो जगह हो गई। सैकिण्ड ग्रेड में हो गई, थर्ड ग्रेड में हो गई। उनको आरपीएससी को भेज दी।

(समय 22.00 बजे)

उनकी भी नियुक्ति कर दी गई। और वह नियुक्ति भी इस प्रकार से की है इनमें एक भी, शहरी क्षेत्र में कोई नहीं लगा वह सारे ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैं। भारत सरकार ने तीन कामों के लिए राजस्थान सरकार की तारीफ करते हुए सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिखा। पहला पत्र इन्होंने लिखा कि राजस्थान सरकार ने भर्ती की योजना जिस ढंग से की है उसी प्रकार की ट्रांसपेरेंट भर्ती की योजना दूसरे राज्य लागू करें। एक उन्होंने ट्रान्सफर पालिसी को साथ में लगाकर, मानव संसाधन मंत्री ने सभी राज्यों को भेजा है। एक हमने एसीआर भरने का तरीका बदला है उस तरीके को उन्होंने सभी राज्यों को भेजा है। तीन बातों में राजस्थान को मॉडल उन्होंने माना है, इस प्रकार का काम उन्होंने किया है।

यह जो भर्ती की हमारी प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के माध्यम से हमने लोगों को भर्ती किया। अब मेरे मित्र और विधायक नंदलाल जी की लड़की का ट्रान्सफर भी मैं नहीं कर सकता, अर्जुन लाल जी एमएलए की पत्नि का ट्रान्सफर नहीं कर सकता तो आप अंदाज लगा लें कि नियुक्ति में और वहां तक जाने में किस प्रकार का सहारा लिया गया है, लेकिन इसमें कोई ज्यादती नहीं है।

शिडयूल कास्ट की जहां-जहां जगह थी, शिडयूल ट्राइब की, बच्चियां वहीं आ गई, तो अध्यक्ष महोदय हम जो एकल लड़कियां है, जो दूरस्थ लड़कियां हैं, जो विधवा हैं या जो एकल हैं उन सारी बच्चियों का स्थानान्तरण उनके गृह जिले में निश्चित रूप से हम कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार एक बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर उठाया गया बार-बार कि इनकी समस्या, इनकी समस्या, पैराटीचर्स की समस्या है। बहुत सी समस्याएं हमारे सामने थी। पैराटीचर्स की समस्या का समाधान करने के लिए रास्ता निकालने की कोशिश की, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया किसी भी कीमत पर बैकडोर एंट्री नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कर सकते। जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो गया तो हम उनको नियमित तो कर नहीं सकते, तो इसके बाद हमने एक फैसला किया कि पहले उनको, पिछली बार भी हमने भर्ती में एज छूट दी थी उसके कारण से 13000 के करीब पैराटीचर्स नियमित सलेक्शन हो गया। फिर भी अभी 22000 पैराटीचर्स हमारे पास हैं। उन पैराटीचर्स की हर हालत को हम सुधारना चाहते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमने तय किया कि इस बार जो भर्ती होगी, मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री नहीं बनाया, मुझे लखपति बना दिया। एक जगह मैंने कहा कि मैं लखपति हूं तो लोगों ने कहा कि क्यों असत्य बोलते हो आप तो करोड़पति हो। बात सही है, हूं तो वैसे मैं करोड़पति लेकिन मुख्यमंत्री जी ने लखपति बना दिया। 50,000 लोगों की नियुक्ति तो हो गई। 42,000 मास्टरों की नियुक्ति इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान में होगी। एक लाख लोगों को नौकरी देने वाला लखपति मंत्री मुझे बना दिया। इसके अलावा में मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

यह जो 42,000 की जो भर्ती होगी इस भर्ती को इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा और भर्ती की, अध्यक्ष महोदय, पुनः पैराटीचर्स की समस्या का समाधान करने के लिए और जो बैरोजगार नौजवान हैं उनकी समस्या का समाधान करने के लिए, 98 में जो कुछ लोग बच गए थे उनकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं कि 1 जनवरी, 1999 को जो एज थी उसी एज को मानकर इस बार भी फार्म भराया जाएगा और एक-एक व्यक्ति को 7-7, 8-8 साल का एज में रिलेक्सेशन दिया जाएगा इसके कारण से उनका बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा।

42,000 लोगों की नौकरी और 1जनवरी,99 को आधार मानकर, उसी एज को मान लिया हमने, जो छोड़कर गये थे। पैराटीचर्स हैं उनकी मानदेय के बारे में हमने सिद्धान्तः फैसला कर लिया है। भारत सरकार से और एसएसए से मैंने परमीशन ले ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ए.के. पाण्डे अतिरिक्त मुख्य सचिव है उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। 15-20 दिन में जब भी समय होगा उस कमेटी की रिपोर्ट आयेगी उसके बाद उनका मानदेय भी बढ़ायेंगे। पैराटीचर्स को हम कोई कमी नहीं रहने देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कर रहा था 42,000 की, इनकी भर्ती में हमने छूट दे दी है और यह भर्ती भी हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के माध्यम से कराएंगे और उसी प्रकार से भर्ती होगी, उसी प्रकार से विज्ञापन निकलेगा, उसी प्रकार से कार्यवाही होकर हम इस काम को पूरा करेंगे।

इसी प्रकार से जो टीचर्स की समस्या है, उसका करीब-करीब समाधान हो गया लेकिन एक और बीच में मैंने रास्ता निकाला है जिसके कारण से एक जुलाई से जब स्कूल खुलेगी उसके पहले-पहले हम उसका समाधान करेंगे। उसका रास्ता है कि आज तक 50 प्रतिशत प्रमोशन आरपीएससी के माध्यम से होते थे और 50 प्रतिशत वैसे होते थे लेकिन आज मैं मान रहा हूं सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी इनमें बहुत कमी है। हमने राजस्थान पब्लिक कमीशन को भेज रखा है पब्लिक सर्विस कमीशन से एक वर्ष पहले व्याख्याताओं की, सीनियर लैक्चरर्स की भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। इसलिए राज्य सरकार ने वन टाइम इमरजेंसी स्कीम निकाली है, उसके नियम बना लिये हैं औरे वह नियम स्वीकृत हो गये हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक जुलाई से पहले-पहले 20,000 अध्यापकों को प्रमोट करके सारे खाली स्थान सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी में भर्ती हो जाएंगे और यह जो स्थान बाकी रिक्त होंगे उनमें भर्ती के दौरान इनको भरकर, इस साल हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान की स्कूलों में किसी प्रकार से वैकेन्सी नहीं रहे, उस काम को भी हम पूरा कर देंगे।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): 98 में जो अध्यापक लिये थे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं। कृपया स्थान ग्रहण कर लें। नौ, स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): 98 में जो अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी, (व्यवधान) जिला परिषद के माध्यम से और वह नहीं लिये थे, दो-ढाई हजार थे, क्या उनको भी....

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उनके बारे में मैंने कहा ना, उनको भी एज में रिलेक्सेशन देकर छूट दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्योंकि एक फैसला दिया, मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया है कि किसी भी प्रकार की बैकडोर एंट्री नहीं होगी। राजस्थान सरकार कोई बैकडोर एंट्री नहीं करेगी। पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से परीक्षा होगी। किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कम्प्यूटर के द्वारा जांच होगी। कम्प्यूटर के द्वारा ही काम होगा। भर्ती में यह भी तय कर दिया अध्यक्ष महोदय, अब तो नियुक्ति वाले आदमी को यह अधिकार भी नहीं होगा कि नियुक्ति कहां होगी। जिला के हिसाब से नियुक्ति आयेगी। जिला की वेकेन्सी होगी, एक,दो, तीन, चार, पाँच, और जिसकी मैरिट एक नम्बर आई उस जिले में वह एक नम्बर की वेकेन्सी पर जायेगा, दो नम्बर आया वह दो नम्बर की वेकेन्सी पर जाएगा। इस प्रकार से लास्ट तक जब तक नियुक्ति होगी किसी व्यक्ति का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। टोटल ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती को किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि हमने, हमारे जो मित्र हैं वह बार-बार कहते हैं कि भारत सरकार से पैसा ले लिया। भारत सरकार दूसरे की है क्या, हमारी ही सरकार है। मैंने धन्यवाद भी दे दिया है। आपको भी धन्यवाद दे रहा हूं। राजीव गांधी पाठशाला नहीं बनती तो मुझे इनको कन्वर्ट करने का टाइम कहां मिलता, तो इसके आप धन्यवाद के पात्र हो लेकिन जो कमी छोड़ दी उसका लाभ मैं नहीं उठाऊं तो यह भी नहीं होगा। वह भी उठाना पड़ेगा, तो वह लाभ उठा रहा हूं और काम भी कर रहा हूं। आजकल शेरो-शायरी का दौर है, मैं समझता नहीं हूं, गांव का आदमी हूं इसलिए मैंने चार लाइनें लिखी हैं।

'काम किया है परिणाम दिया है, जिससे लेने का अधिकार था उससे अधिकार पूर्वक लिया है। बात-बात में आप दिल्ली की बात करते हो, सच को सच कहने से डरते हो। चुनौतियों को अवसर मानकर किये हैं काम, हम बना रहे हैं स्वच्छ, हरित, शिक्षित, विकसित राजस्थान'।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही दो-तीन बातें और जो महत्वपूर्ण हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं। राज्य में अगले वर्ष हम अंकों की बजाए ग्रेडिंग प्रणाली लागू कर रहे हैं। छठी से आठवीं तक और नवीं में इस बार, 2008 से दसवीं में, बोर्ड में भी अब ग्रेडिंग प्रणाली लागू करेंगे, अंकों की प्रणाली थी उसकी जगह ताकि विघार्थियों पर जो प्रेशर होता है ग्रेडिंग प्रणाली लागू करके एक नया काम करेंगे।

बोर्ड की परीक्षा में जो ढाई घंटे का समय था उसको तीन घंटे किया जाएगा और 15 मिनिट प्रश्न पत्र को अलग से पढ़ने के लिए दिया जाएगा। उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में पहले तीन घंटे का समय था उसको 15 मिनिट

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अतिरिक्त समय पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा और परीक्षाओं में हम ग्रेडिंग प्रणाली लागू कर रहे हैं। इस प्रकार जो प्रेशर आया था बच्चों पर, उसी प्रकार कम किया जाएगा।

11वीं विज्ञान वर्ग में हम ने भू विज्ञान नाम से नये विषय को शामिल कर लिया है। इसी प्रकार से मार्कलिस्ट में, खेलकूद, खेलों के बारे में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। खेलों में कोई सांप की लकीर पीटता हो वह हालत स्कूलों की है। खेलों के बारे में बहुत कमजोरी है, उसको दूर करने के लिए हमने वहां पर मूल्यांकन का पास-फैल में योगदान नहीं होगा लेकिन योगा, खेलकूद का और नैतिक शिक्षा का मूल्याकंन भी ग्रेडिंग में लिखा जाएगा ताकि उस पर भी लोगों का ध्यान जाए।

अध्यक्ष महोदय, ओपन स्कूल में इस बार हमने 28,000 पहली साल में ओपन स्कूल, ओपन स्कूल हिन्दुस्तान में सातवीं तक की ओपन स्कूल सबसे पहले राजस्थान में खोली गई। इस बार 28,000 लोगों ने परीक्षा दी। इस बार हमारा लक्ष्य ओपन स्कूल का 40,000 का है जो हम पूरा करेंगे और शिक्षा में विशेष गुणवत्ता के लिए चार से सातवीं तक की अध्ययनरत बालिकाओं का शिक्षा स्तर सुधारने के लिए काम किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के 750 विद्यालयों में कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सूचना देना चाहूंगा, माननीय सदस्यों को बहुत दिनों से यह कम्प्यूटर शिक्षा, इसकी फीस और उसके बारे में बात चल रही थी, पिछली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 14 करोड़ रुपये अतिरिक्त देकर आधी फीस माफ करी। आधी माफ कर दी तो आधा सरकार ने वहन किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस बार क्योंकि महिला सशक्तीकरण वर्ष है। सामने आप बैठी हैं, मुख्य मंत्रीजी भी कहीं न कहीं सुन रही होंगी तो राजस्थान में पढ़ने वाली सभी लड़कियां चाहे वह किसी भी वर्ग की हैं, उनको टोटल कम्प्यूटर एजुकेशन अब कल से फ्री हो जाएगी। शिक्षा क्षेत्र से ... (व्यवधान) उनको कोई कम्प्यूटर एजुकेशन का सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी और इस प्रकार से हम जो राजस्थान एजुकेशन इन्शिएटिव स्कीम प्रारम्भ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे कई बातों का दु:ख होता है। ... (व्यवधान) वह भी आ रहा हूं। अभी मैं सारे राजस्थान पर घूम रहा हूं। फिर एक जगह केन्द्रित होऊंगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ बातों की तकलीफ हुई और तकलीफ भी बहुत हुई। आलोचना की तकलीफ नहीं है लेकिन हम खड़े कहां हैं? अभी मैं जोर्डन गया था उसकी बात हुई कि जोर्डन तो एक पिद्दी सा राष्ट्र है। छोटा ही है। मैं गया। डबलिंग गया। ट्यूनिशिया गया। शिक्षा में बड़ा चेंज हो गया है। हम अभी साक्षरता की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में जो कम्प्यूटर नहीं जानेंगे वे निरक्षर की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए कम्प्यूटर का प्रोग्राम जब तक प्रारम्भ नहीं होगा, जब तक हम इस काम को पूरा नहीं करेंगे। और इसीलिए हिन्दुस्तान में हमने फिर पहले राज्य की, चाहे इस बात की आलोचना की जाए कि जोर्डन क्यों गये, चाहे इस बात की आलोचना की जाए की डावोस क्यों गये, चाहे इस बात की आलोचना की जाए कि ट्यूनिशिया क्यों गये? लेकिन हम इस बात के लिए गये थे कि राजस्थान में अभी तक तो 10वीं तक है और 5वीं से 8वीं तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए कम्प्यूटर एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। हम कहां खड़े हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हम केवल यह क,ख,ग,घ ड., और अ, आ, इ, ई ही पढ़ाना चाहते हैं। और अभी शहरों में कई स्कूलों में मैं देखता हूं कि जहां पर बच्चे स्क्रीन के ऊपर सलेबस पढ़ते हैं। तो अमीर आदमी का बच्चा तो वहां पढ़ेगा और गरीब के बच्चे के लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर सकती? सरकार ने व्यवस्था करने का तय किया इसलिए राजस्थान इन्शिएटिव स्कीम हमने प्रारम्भ की। उसके अन्तर्गत हमने बहुत सी बातों पर एम.ओ.यू. किया है। आठ हजार टीचर्स को ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया है, माइक्रोसाफ्ट से दस एम.ओ.यू. हमने किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एजुसेट के माध्यम से काम किया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले दो-तीन वर्ष में हम कल्प के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में पांचवीं से लेकर आठवीं तक के बच्चों को यह कम्प्यूटर वहां तक पहुंच जाए, इस बात की व्यवस्था करने का प्रयत्न हम करेंगे। सरकारी स्कूलों में अगर इसको नहीं पहुंचा पाएंगे तो हम वही राजस्थान को फिर पीछे रखने की बात करेंगे। जो आप शिक्षा के बारे में अभी आंकड़े दे रहे थे। मैं संयम लोढ़ाजी को कह रहा हूं कि बिलकुल ठीक दे रहे थे। हम किस स्थान पर खड़े हैं? बिलकुल पीछे खड़े हैं। टेक्निकल एजुकेशन में तो हम और भी पीछे खड़े हैं। लेकिन वह एक आदमी काम नहीं कर पायेगा। हम सब मिलकर काम करेंगे। पिछली बार हमने ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): शिक्षा मंत्रीजी, एक मिनट। आप जोर्डन की बात कर रहे हो। आपने पिछले साल की तुलना में इस साल सैकण्डरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, दोनों में लेबोरेटरी में आपने बजट प्रोविजन घटाया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बताता हूं विराजिये।

इस बार राज्य में पिछली बार हमने शिक्षा सम्बल महा अभियान चलाया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों ने कहा कि यह क्यों चला रहे हो? हमने चलाया। 65 लाख बच्चों का हमने मेडिकल का कार्ड बनाया। पांच हजार बच्चों की आंखें खराब थीं, उनको मुफ्त में चश्मा दिलाया। दो-तीन लाख बच्चे ऐसे थे जिनको विटामिन की कमी थी उनको दवाई देने का काम किया। यह काम आज तक नहीं हुआ, वह काम हमने किया इसलिए हमने इस बार भी तय किया है कि पिछले वर्ष की भांति इस बार भी 5 जुलाई से 5 सितम्बर तक मुख्य मंत्री शिक्षा सम्बल महा अभियान चलाया जाएगा, दो महीने तक और अन्त में 5 सितम्बर को शिक्षक मेले का आयोजन डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस, शिक्षक दिवस के अवसर पर किया जाएगा। और उसमें उन उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और पैराटीचर्स को और जो नये शिक्षक अभी लगे हैं उनका सम्मेलन करके उनका प्रशिक्षण का काम भी उस दिन प्रारम्भ किया जाएगा। और इस बार हमने यह भी तय किया है कि इन चार कामों के अलावा इस बार शाला भवनों की बाउण्ड्रीज बनाने, उनका एनक्रोचमेंट हटाने और उनकी सीमा तय करने का काम भी शिक्षा सम्बल महा अभियान के अन्दर हम करेंगे, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अब नयी योजना शुरू कर रहे हैं विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए यह बीमा योजना लागू होगी। इसमें प्रति बालक 10 रुपये का अंशदान होगा, छात्राओं के लिए यह राशि 5 रुपये होगी। दुर्घटना होने पर इससे विद्यार्थियों के समुचित इलाज के लिए व्यवस्था होने के साथ ही मृत्यु होने पर पचास हजार रुपये की बीमित राशि का भुगतान किया जाएगा। यह हमने सभी के लिए यह बीमा का, सुरक्षा बीमा का काम चालू कर दिया है।

एक हजार शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को हम अच्छे विद्यालयों में शिक्षण की व्यवस्था करवाएंगे और चार हजार शारीरिक अक्षम बच्चों को उपकरण श्रवण, ट्राइसिकल इत्यादि उपलब्ध करायी जाएगी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के लिए मैं विशेष रूप से एक घोषणा करना चाहता हूं। जितनी भी बच्चियां हैं उनकी यह बहुत बड़ी समस्या रहती है, गांवों में कि बच्ची आठवीं के बाद दसवीं में नहीं जाती। दसवीं के बाद बारहवीं में नहीं जाती है। तो हमने यह तय किया है कि चाहे शहर से गांव में आना हो, चाहे गांव से शहर में जाना हो और चाहे गांव से गांव में जाना हो, बच्ची जो आठवीं पास करके या चाहे पांचवीं पास करके किसी दूसरे गांव में रोज पढ़ने के लिए या साप्ताहिक रूप से या मासिक रूप से, जैसे भी आना-जाना चाहेगी राजस्थान की सभी बच्चियों को शिक्षा विभाग रोडवेज से फ्री पास उपलब्ध करवाएगा और बच्चियां फ्री और स्वतंत्र रूप से राजस्थान के किसी भी हिस्से में आने-जाने के लिए, पढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगी। इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, नेत्रहीन, मूक-बधिर बालिकाओं को 2000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक रूप से भी सहायता देने का हमने तय किया है और इसी प्रकार से नि:शुल्क का वैसे तो बता दिया, पी.एम.टी. और पी.ई.टी. की परीक्षा के लिए भी बालिकाओं के ... (व्यवधान) नि:शुल्क की व्यवस्था की गयी है। कस्तूरीरंगनजी की अध्यक्षता में राज्य में शिक्षा आयोग का गठन कर दिया गया है जो स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और उन सभी के लिए काम करेगा।

एक बात मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि बार-बार यह शिकायत आती है, इस बार हमने यह तय कर लिया है कि सारी स्कूलों को खोलने का काम एक जुलाई से पहले-पहले कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि आप उन स्थानों के लिए जहां पर पांचवीं से आठवीं और आठवीं से दसवीं का भी आप दे तो दीजिए। देखते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करते हैं। उनका मानस बन जाए तो ... (व्यवधान) हां, जो भी खोलनी हो वह लिस्ट आप मुझे जल्दी भेजें और मैं आश्वस्त करूंगा कि उसमें राजनीति में शिक्षा लाकर काम करेंगे ताकि आप सबको उससे तसल्ली मिल सके। एक जुलाई के पहले-पहले स्कूल खोल दिये जाएंगे। एक जुलाई से पहले-पहले ट्रांसफर हो जाएंगे और एक जुलाई से पहले-पहले पोस्टिंग का काम कर देंगे। फिर 5 जुलाई से यह काम चालू हो जाएगा। अब इस कलेण्डर को मैं समझता हूं कि ठीक प्रकार से करेंगे।

ऐसे शारीरिक शिक्षक, दो वर्ष से जिन शारीरिक शिक्षकों के यहां से किसी भी खेलकूद प्रतियोगिता में किसी भी खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह हमने तय कर दिया है। सबसे पहला काम उनसे हमने लिस्ट भी मंगा ली है। ऐसे की लिस्ट भी आ गयी है और बहुत से माननीय सदस्यों की मांग थी कि शारीरिक शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है। शारीरिक शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है। पांच सौ शारीरिक शिक्षकों की भर्ती के लिए हमने कार्यक्रम बनाकर एस.एस.ओ. को भेज दिया है। मैं समझता हूं कि इस भर्ती के लिए ज्यों ही मंजूरी आयेगी उनकी, भर्ती का काम भी हम प्रारम्भ करेंगे। इसी प्रकार से उनका काम भी हम करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी मेरा आपसे निवेदन है। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में तो आप नहीं बोलें । आप उन्हें कम्प्लीट कर लेने दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उनसे परमिशन लेकर साहब, 914 अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं राजस्थान में और 75 अनुदानित कालेज हैं और उनमें 1,32,641 अध्यापक हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें यह बड़ी गलतफहमी है, यह आतंक है कि हमारे अनुदान में कटौती होने जा रही है और इस संबंध में प्रिंसिपल सैक्रेटरी, एजुकेशन ने 24 मार्च, 2006 को एक परिपत्र भी जारी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आज अपने जवाब में आप उनको भी आश्वस्त करें क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में छात्र उन अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा अगर उनके अनुदान में आप कटौती करेंगे तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह बहुत बढ़िया बात कह दी। एक गलतफहमी दो बातों में सब जगह फैल गयी। एक यह फैल गयी कि अनुदानित शिक्षाओं का 10 प्रतिशत कटौती हो रही है। मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूं कि पिछली साल जितना रुपया अनुदानित संस्थाओं को मिला था, उतना ही रुपया उनको मिलेगा, एक पैसे की भी कटौती नहीं होगी, एक और कालेज एजुकेशन में 2 करोड़ 68 लाख रुपया पहले से ज्यादा मिलेगा इसलिए इसमें किसी भी प्रकार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की कटौती प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के अनुदान में नहीं की गयी है। एक और दूसरा, एक यह प्रचार जबरदस्ती कि आई.टी.आई. का प्राइवेटाइजेशन होगा। आई.टी.आई. का प्राइवेटाइजेशन होगा। किसी भी आई.टी.आई. का कोई प्राइवेटाइजेशन करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। यह मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस साल हमने शिक्षक सम्मान वर्ष मनाने का तय किया है। इसके लिये शिक्षकों से परिवेदनाएं मांग दी गयी हैं और उनके जितने भी काम प्रमोशन के और पोस्टिंग के रूके हुए हैं, उनको इस शिक्षा सम्बल महा भियान में हम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे और शिक्षकों को इस बार पूरा सम्मान करके हम इस काम को पूरा करेंगे।

पुस्तकालय अधिनियम राज्य में नहीं था, इस बार हमने पेश कर दिया है । अगर आप इजाजत देंगे तो राजस्थान ऐसा 14वां राज्य बन जाएगा जिसमें पुस्तकालय भवन का काम कर देंगे। पांच हजार महिला शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे ताकि उनकी पढ़ाई का काम हम कर सकें। धौलपुर जिले का मामला उठाया था माननीय सदस्य ने, धौलपुर जिले को भी अब सतत शिक्षा कार्यक्रम में ले लिया गया है और अब राज्य के सभी 32 जिले इस कार्यक्रम में आ गये हैं। एक मांग उठी थी, माननीय सदस्यों ने कहा था कि यह सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जो बिल्डिंगें बन रही हैं और जो स्कूल भवन बन रहे हैं उनमें हमारी कोई देखरेख नहीं है। इसलिए हमने कल एक आदेश, जैसा मैंने कहा था, जारी कर दिया है। उसमें प्रधानाध्यापक होगा और तीन जन प्रतिनिधि होंगे। एक जन प्रतिनिधि माननीय सदस्य द्वारा अभिशंसित होगा और वह हर विद्यालय में होगा। इसलिए आप जितने माननीय सदस्य हैं सदन के, अपने क्षेत्र के हर विद्यालय में एक-एक कार्यकर्ता, जिसको आप ठीक समझते हो जो ठीक ढंग से काम करा सकता है, उनका नाम देंगे ताकि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बनने वाले मकानों की निगरानी कर सकेगा। वह नाम आप सीधे बीईओ को भी भेज सकते हैं और मुझे भी दे सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आपके क्षेत्र की पूरी लिस्ट बनाकर भेज दें। सभी माननीय विधायकों का हर स्कूल में विकास समिति में एक-एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनको शामिल किया जाएगा ताकि उनकी निगरानी हो सके।

इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी एक सतर्कता समिति का गठन कर दिया गया है जो शिकायत आने पर सतर्कता समिति उसकी जांच करेगी। अध्यक्ष महोदय, करीब-करीब शिक्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक प्रशासनिक ढांचे को चेंज करने के लिये बहुत आवश्यक हो गया। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि इतना बड़ा विभाग है, उस विभाग में हम किस प्रकार से कंट्रोल करें। हमारे पास इस समय 80074 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, एक लाख 74 हजार उसमें शिक्षक हैं, एक करोड़ 33 लाख उसमें विद्यार्थी हैं और मुझे खुशी है कहते हुए कि पहली से आठवीं तक जो हमारे स्कूल में विद्यार्थी हैं एक करोड़ 33 लाख उनमें एस.सी. 20.8 प्रतिशत हैं, जनसंख्या 16 प्रतिशत है और ये 20.8 प्रतिशत हैं और एस.टी. के 14.58 प्रतिशत हैं। इसका कारण यह है कि खाते-पीते प्राइवेट संस्थाओं की तरफ गये। इसलिए सरकारी शिक्षण संस्थानों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि जिनको पढ़ाना है वह सब सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार हमारे पास 10751 सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं इनमें 95 हजार टीचर्स हैं और 18.66 लाख बच्चे हैं और 1555 हमारे पास कालेज और टैक्नीकल एजूकेशन है। इस सारे ढांचे को चेंज करने के लिये हमको शिक्षा का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करना है। इसी प्रकार से हमको गुणात्मकता के लिये परिवर्तन करना है इसलिए हमने तय किया है कि एक कमेटी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेट्री सी.के. मैथ्यू साहब की अध्यक्षता में बनाई गई है जिसमें मूल रूप से यह तय है । शिवचरण जी माथुर साहब आज नहीं है यहां, प्रशासनिक सुधार आयोग ने उसमें कुछ सिफारिश की थी, उन सिफारिशों को भी शामिल किया है। एक डायरेक्टर जनरल आफ स्कूल एजूकेशन का पद राजस्थान में क्रियेट किया जाय और जितने भी डिविजन हैं उन सारे डिविजनों पर एक डायरक्ट्रेट का दफ्तर हो। इस प्रकार से शिक्षा के पूरे ढांचे को परिवर्तित करने का काम करके उस ढांचे को ठीक करने के लिये हम व्यवस्था करें, यह हमने सोचा है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, एक जो 93 परित्यक्ता महिलाएं हैं इनमें 23 एस.सी;एस.टी. की हैं और 60 मुसलिम महिलाएं हैं। एडवोकेट जनरल की राय आने के बाद भी अभी तक उन परित्यक्ताओं को आपने नियुक्ति नहीं दी, इसका बता दो आप। (व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बता रहा हूं आप बैठो। दो बात थी परित्यक्ता और विधवाओं में एक तो विधवाओं के बारे में यहां गलतफहमी का प्रचार किया गया कि विधवाओं में एस.सी;एस.टी. की जगह दूसरों को दे दी गयी है, वह नहीं दी गयी है। एस.सी;एस.टी. की जगह खाली है, जब भी आना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहे, आये, जबरदस्ती किसी को विधवा बनाकर नौकरी तो नहीं दी जा सकती। भगवान को मैं यह भी नहीं कह सकता कि इतने तो एस.सी. के मारना, इतने एस.टी. के मारना और इतने ओ.बी.सी. के मारना, यह मेरे बस का नहीं है, लेकिन जब विधवा है.. (व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने आपसे परित्यक्ता महिलाओं का पूछा है। (व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बता रहा हूं। आ रहा हूं उस पर भी। हमने तय किया, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। हमने उनको नौकरी दी। उस उसमें अध्यक्ष महोदय, अनुकम्पात्मक नियुक्ति है। मैं उसमें किसी प्रकार की बैकलाग या किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन एक विधवा आती है तो उनको नौकरी हम देंगे और पिछली बार तो हमने एक साथ इंटरव्यू लेकर दिया था। इस बार हमने अब तय कर दिया है अध्यक्ष महोदय, कि जब भी हमारे विभाग में क्वालिफाइड 12वीं पास कोई लड़की भगवान की क्रूर दृष्टि से, किसी भी कारण से अगर विधवा हो जाती है और हमको आवेदन करती है तो परमानेंट कमेटी कर दी है, आवेदन करते ही सात-दस दिन में हम उसकी नौकरी की व्यवस्था कर देंगे।

दूसरा प्रश्न अभी माननीय सदस्य ने उठाया परित्यक्ता महिलाओं का। परित्यक्ता महिलाओं में करीब-करीब हमने नौकरी दे दी, लेकिन हमारे सामने एक विधिक प्रश्न है, वह प्रश्न यह है कि हम डिक्री किसको माने। वेयर कस्टम अलाउज कहकर जहां कस्टम अलाउ करता है, उसमें ओ.बी.सी. की वह जातियां हैं जो कोर्ट तक नहीं जातीं और तलाक हो जाता है। हमने तय किया तलाक हम उसी को मानेंगे जो जुडिशियल डिक्री लेकर आयेगा। सरकार नियमों में ऐसे प्रावधान कर सकती है। सरकार ने अपने नियमों में प्रावधान किया है कि बाई गेमी होगी चाहे वह हिन्दू हो, चाहे मुसलमान, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार ने दो बच्चों का प्रमोशन में प्रावधान किया है, वह सब पर लागू है इसलिए हमने वह जगह खाली रखी है। 38 या 25 जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी जगह हमने खाली रखी हैं। उनको कहा है हमने या तो ऐसी डिक्री लाओ जो आपके इस्लाम की शरीयत के हिसाब से मान्यता हो, केवल तलाक, तलाक, तलाक कहने से मुझे तलाक हो गया है और उस कारण से हम नौकरी दे दें, यह हम नहीं कर सकते तो हमने तय कर दिया। डिक्री

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इस्लामिक शरीयत के हिसाब से रजिस्टर्ड डिक्री लेकर आ जाये या जुडिशियल डिक्री लेकर आ जाये। इस्लामिक शरीयत के आधार पर लेकर आ जाएंगे तो उनको नियुक्ति दे देंगे। लेकिन तीन साल या दो साल का टाइम देकर जुडिशियल डिक्री लेने के लिये उनको कहेंगे। इसी प्रकार ओ.बी.सी. या हिन्दू की जो अन्य बातें हैं उनको जुडिशियल डिक्री के अलावा नहीं लायेंगे तो ... (व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने एडवोकेट जनरल की राय ली (व्यवधान)...माननीय अध्यक्ष महोदय, एडवोकेट जनरल ने राय दे दी कि इनको नियुक्ति दी जाए। इनके पर्सनल ला के मामले में और ट्राइबल के मामले में (व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, उस राय को मान रहे हैं, वह राय मान रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: यह नियमों के खिलाफ है। (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कोई क्राइट एरिया तो करना पड़ेगा न। (व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एडवोकेट जनरल ने कह दिया अध्यक्ष महोदय, कि डिक्री की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): चलो कर लेंगे उसको। समस्या का समाधान मुझे करना है और सरकार उससे सम्बद्ध है, सरकार उस समस्या का समाधान करेगी। आपने याद दिलाई, उसका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा में मैं आज एक नई घोषणा करना चाहता हूं। बहुत लोग यह कहते हैं कि उच्च शिक्षा में अभी 20 प्रतिशत लोग पढ़ते हैं, 30 प्रतिशत लोग पढ़ते हैं। हमने तय किया इस बार उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण के दौर में त्वरित परिवर्तनों को देखते हुए पाठ्यक्रमों में तत्सम्मत परिवर्तन किये जायेंगे। अब जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा प्रणाली तथा प्रश्न पत्रों के निर्माण में भी इस प्रकार परिवर्तन किये जायेंगे जिससे विद्यार्थी को पूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा। यह हमने चेंज कर दिया, पांच प्रश्न देकर पास नहीं होगा। अब 200 या 300 नम्बर का पेपर आयेगा और एक-एक नम्बर का पेपर तीन घंटे में बैठकर उसको पूरा करना पड़ेगा और यह वही कर पायेगा जो कालेज को अटेण्ड करेगा और इस प्रकार से कालेज में अटेंडेंस बढ़ेगी। हायर एजूकेशन के क्षेत्र में हमने 456 व्याख्याताओं की नियुक्ति

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की बात की है पर विश्वविद्यालयों में हमने इस बार 25 प्रतिशत पद भरने का निर्णय कर लिया है जो 1989 के बाद पद नहीं भरे गये थे उन पदों को भरने का और कैरियर एडवांसमेंट की स्कीम को लागू करने का, जिसमें सांवरमल जी को भी लाभ मिलेगा, वह करने का हमने तय कर लिया है। सभी महाविद्यालयों में डी.पी.सी. (व्यवधान)...

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कर रहे हो? (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सब कह दिया। आपको सिंडिकेट में इसलिए भेजा है। (व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उनकी समस्या का समाधान अभी देखा नहीं था क्या दोपहर में, उनका सदन के बाहर ही समाधान होगा। अध्यक्ष महोदय, 52 उप खण्ड ऐसे थे जहां हमारे कालेज नहीं थे। अब हमारे केवल 9 उप खण्ड ऐसे बचे हैं जहां पर कालेज नहीं है और इससे 3 लाख 27 हजार विद्यार्थी कालेज एजूकेशन में हो गये1 एक लाख से अधिक दो वर्ष में बढ़े हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि प्राइवेट जितने कालेज खुले हैं उनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो लड़कियां दूर तक नहीं जा सकती थीं तो उनकी संख्या बढ़ गयी है। उसमें 48 हजार एस.सी. हैं और 36 हजार एस.टी. हैं। अब अगर अपन यह कहें यह खुशी की बात है कि राजस्थान में 3 लाख 27 हजार जनसंख्या के अनुपात में एस.सी. और एस.टी. के लोग आज कालेज में पहुंच गये हैं। इसका कारण प्राइवेटाइजेशन नये कालेजों को खोलने का जो सिस्टम चला है उसके कारण से यह सारी बात हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमने और भी कई एक ज्ञान तंत्र...

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): मंत्री महोदय, महिला कालेज जहां भी खोले जाएं, उनको अगर भूमि उपलब्ध हो जाए तो ज्यादा काम हो पाएगा।

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): महिला महाविद्यालय राजस्थान के किसी भी कोने में खोलें वहां पर भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, अब आ गयी सब आ गयी, आ गया जवाब सब बातों का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रमुख घोषणा करना चाहता हूं, महाविद्यालयों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से, नालेज नेटवर्क सिस्टम, ज्ञानतंत्र, भारत में पहली बार, राज्य में ज्ञान तंत्र स्थापित किया जाएगा। जिससे सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान, डिजिटल लाइब्रेरी, एडुसिएट वीडियो कांफ्रेंसिंग के अन्तर्गत कम्प्युटराइजेशन का लाभ सभी स्तरों पर मिलेगा। ज्ञान तंत्र पूरे देश में अपने ढंग का प्रथम अनोखा होगा। राज्य के समस्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सचिवालय, कालेज निदेशालय आदि इससे जुड़ सकते हैं। छात्रों को भी इससे अनवरत इन्टरनेट की सुविधा मिल सकेगी। यह एक अनूठा काम शिक्षा के क्षेत्र में, हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं और मैं अध्यक्ष महोदय, एक बात जो मैं करना चाहता था...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: मेडिकल कालेज का तो निकल गया।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : फिजीकल कालेज का बताइये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी: फिजीकल कालेज का भी माननीय सदस्यों ने कटमोशन दिया है और उस कटमोशन का मैं संतोषजनक, सहानुभूतिपूर्वक और आपको आनन्द आने वाला जवाब लिखकर मैं उसमें भेजूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में आपको एक बात कहना चाहूंगा, शिक्षा हमारा मूलभूत एक काम है जो शिक्षा में आगे है, वह सब में आगे होगा और राज्य सरकार ने शिक्षा के प्रति जिस प्रकार का काम किया है, वह अपने आप में ही सब जगह प्रशंसनीय है। मैं केवल मेरे ऊपर ही चद्दर नहीं ओढ़ रहा हूं। यह हमारा मिशन है। मतलब शिक्षा देना आज सबसे बड़ा काम है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, शिक्षित जो हो जाएगा, पांच करोड़ लोगों की यूरोप में आवश्यकता है। और इसलिये हमने पहली क्लास से अंग्रेजी प्रारम्भ की। अंग्रेजी के लिये सभी महाविद्यालयों में हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की और स्पेनिश प्रोफिशिएंसी की हम क्लासेज लगाएं ताकि लोग विदेश भी जा सकें। विदेश में जाकर काम कर सकें और 5 करोड़ लोगों की सर्विस सेक्टर में आवश्यकता है, उस तरफ भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। बार-बार जो लोग हमको कहते हैं, हम परम्परागत रूप से नहीं चलेंगे। मुझे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कहा गया कि यह प्राइवेट युनिवर्सिटीज का आप क्यों बिल ला रहे हो। सब ला रहे हैं। हमने यशपाल वाले निर्णय को, छत्तीसगढ़ वाले को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में हमने उसकी व्यवस्थाओं को बदल दिया और हम कोई युनिवर्सिटी नहीं खोलेंगे। युनिवर्सिटी जो खुलेगी वह राजस्थान की विधान सभा में बिल आने के बाद ही खुलेगी, सरकार कोई नोटिफिकेशन से युनिवर्सिटी नहीं खोलेगी। जो भी लाएंगे, बिल लाएंगे, यहां पर लाकर खोलेंगे और यहां पर चर्चा होगी, उसके बाद ही खुलेगी। यहां पर इतने प्रपोजल आये हैं कि 17 को हमने लैटर आफ इंटेंड जारी किया है। एक युनिवर्सिटी ने हमको आकर दिखाया । मैं उसका आपको नाम नहीं बता रहा हूं। वे अपना शो देकर गये । एक हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट वे एक विश्वविद्यालय के लिये करना चाहते हैं। हम इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को छोड़कर आज पिछड़ना नहीं चाहते हैं। आज के 20 वर्ष पहले दक्षिण के राज्यों में प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज खोल दिये, प्राइवेट मेडिकल कॉलाज खोल दिये। सारे राजस्थान के लोग बैंग्लोर, चैन्नई और पूना पढ़ने के लिये जाते हैं। हम क्यों नहीं ला सकते, इसलिये हमने यहां पर खोला है। हम राजस्थान को हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों के बराबर लाकर रहेंगे। इसी प्रकार हम विश्वविद्यालय भी खोलेंगे। हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उनको हम मजबूत करेंगे। लेकिन प्राइवेट विश्वविद्यालय भी खोलेंगे। जो इन्वेस्टमेंट आयेगा, उस इन्वेस्टमेंट को हम लेकर रहेंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह कर समाप्त करना चाहूंगा,

कुछ लोग थे कि वक्त के सांचें में ढल गये,
और कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचें बदल गये।

हम वक्त का सांचा बदलना चाहते हैं । (व्यवधान) अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करुंगा कि इस मांग को पारित किया जाए ।

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय एक, एक, माननीय शिक्षा मंत्रीजी एक एक..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: इसका जिस एम.ए.टी. के साथ इंटेंट किया गया, (व्यवधान) (व्यवधान) आपने जिस एम.ए.टी. के साथ इंटेंट साइन....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): शिक्षा मंत्रीजी, सब काम कर दिये किन्तु उर्दू अकादमी का और बना दो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और

(श्री अध्यक्ष)

संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47,77,21,84,000/- (सैंतालीस अरब सततर करोड़ इक्कीस लाख चौरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मुखबन्द

अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या-1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1-राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,40,74000/- (सत्रह करोड़ चालीस लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2-मंत्री परिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,30,63000/- (पांच करोड़ तीस लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3-सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,57,54,14,000/-(एक अरब सतावन करोड़ चौवन लाख चौदह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4-जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,33,08,09,000/- (एक अरब तैंतीस करोड़ आठ लाख नौ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,76,41,000/- (उन्चास करोड़ छिहत्तर लाख इकतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,43,94,60,000/-(एक अरब तेतालीस करोड़ चौरानवे लाख साठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7-निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,35,86,000/-(तेरह करोड़ पैंतीस लाख छियासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,74,49,000/- (तेरह करोड़ चौहत्तर लाख उनचास हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,00,41,000/- बारह करोड़ इक्तालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-12

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,96,55,000/- (पचास करोड़ छियानवे लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 58,53,42,000/- (अठावन करोड़ तिरेपन लाख बयालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14–बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 74,81,15,000/- (चौहत्तर करोड़ इक्यासी लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,27,98,56,000/- (तेइस अरब सत्ताइस करोड़ अठानवे लाख छप्पन हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-18, जनसम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,38,37,000/- (दस करोड़ अड़तीस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19, लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,79,45,45,000/- (तीन अरब उनयासी करोड़ पैंतालीस लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-21, सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,10,67,89,000/- (बारह अरब दस करोड़ सड़सठ लाख नवासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-22, क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,08,91,96,000/- (दो अरब आठ करोड़ इक्यानवें लाख छियानवें हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-23, श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 64,47,13,000/- (चौंसठ करोड़ सैंतालीस लाख तेरह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-25, कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,52,37,000/- (इक्यावन करोड़ बावन लाख सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-31, पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में

(श्री अध्यक्ष)

31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,02,000/- (तेरह लाख दो हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-32

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-32, नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 41,98,22,000/- (इकतालीस करोड़ अट्ठानवे लाख बाइस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-34

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-34, प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,75,14,65,000/- (आठ अरब पिचहत्तर करोड़ चौदह लाख पैंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-35, विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,34,90,86,000/- (एक अरब चौंतीस करोड़ नब्बे लाख छियासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-36

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-36, सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च,

(श्री अध्यक्ष)

2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 74,30,21,000/- (चौहत्तर करोड़ तीस लाख इक्कीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-38

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-38, लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,34,88,31,000/- (एक अरब चौंतीस करोड़ अठ्यासी लाख इक्कतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-39

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-39, पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,57,82,11,000/- (एक अरब सत्तावन करोड़ बयासी लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-40, राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,17,000/- (उनसठ लाख सत्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी। ...(व्यवधान)...

गुलेटिन लगा हुआ है, आप बोल नहीं सकते।

मांग संख्या-41

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-41, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,46,26,36,000/- (दस अरब छियालीस करोड़ छब्बीस लाख छत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-44, लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,02,81,000/- (चौदह करोड़ दो लाख इक्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-45

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-45, राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-47

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-47, पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 46,81,30,000/- (छियालीस करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-48, विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,22,60,85,000/- (सत्रह अरब बाइस करोड़ साठ लाख पिच्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-49

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-49, स्थानीय निकायों और पंचायती राज

(श्री अध्यक्ष)

संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,41,000/- (तेरह लाख इकतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-50

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-50, ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 52,45,08,000/- (बावन करोड़ पैंतालीस लाख आठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2006

श्री वीरेन्द्र मीणा।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

पुर:स्थापित भी करें।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक बुधवार, 29 मार्च, 2006 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.50 बजे बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2006 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कपासन के शिक्षित बेरोजगारों हेतु लम्बित ऋण आवेदन-पत्र

287. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना के आवेदन से लेकर भुगतान तक की कार्यवाही के प्रत्येक स्तर की समय-सीमा के मानदण्ड तय कर रखे हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऋण पर उद्योग विभाग की स्वीकृति उपरान्त प्रेषित आवेदन पत्रों को सम्बन्धित बैंकर्स अनुदान राशि प्राप्त नहीं होने के बहाने भुगतान नहीं करते हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र कपासन के बैंकर्स के पास कितने आवेदन भुगतान हेतु लम्बित हैं तथा कितनों को भुगतान कर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा इस योजना हेतु बैंकों को प्रार्थना पत्रों के प्रायोजन (Sponsor) तथा बैंकों द्वारा प्रार्थना पत्रों की स्वीकृति एवं ऋण वितरण हेतु मानदण्ड निर्धारित है। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाकर इनके आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंकों को प्रेषित किये जाते हैं। ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण की कार्यवाही बैंकों द्वारा की जाती है। ऋण वितरण के बाद बैंक अपने स्तर पर ही भारतीय रिजर्व बैंक से अनुदान क्लेम करते हैं। विधान सभा क्षेत्र कपासन के बैंकर्स के पास 3 आवेदन स्वीकृति हेतु लम्बित है तथा स्वीकृति उपरान्त ऋण वितरण हेतु 18 आवेदन पत्र लम्बित है। विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''क''

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रार्थना पत्रों के प्रयोजन, ऋण स्वीकृत एवं वितरण के लिये मानदण्ड

तिमाही	जि.उ.के. द्वारा बैंकों को प्रयोजित आवेदन पत्र	बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत	बैंकों द्वारा ऋण वितरण
प्रथम	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत	10 प्रतिशत
द्वितीय	100 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
तृतीय	125 प्रतिशत	90 प्रतिशत	75 प्रतिशत
चतुर्थ	—	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत

परिशिष्ट ''ख''

विधान सभा क्षेत्र कपासन के लिये, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लक्ष्य ऋण स्वीकृत एवं ऋण वितरण तथा ऋण वितरण/ऋण स्वीकृति से शेष की स्थिति

बैंक का नाम	**लक्ष्य**	**स्वीकृति**	**स्वीकृति हेतु शेष**	**वितरण**	**वितरण हेतु शेष**
बैंक आफ बड़ौदा, कपासन	24	24		23	01
बैंक आफ बड़ौदा, कांकरवा	8	8		7	01
एस.बी.बी.जे. कपासन	24	23	1	23	00
एस.बी.बी.जे. आकोला	15	15		6	09
पंजाब नेशनल बैंक, सिंहपुर	8	8		6	02
पंजाब नेशनल बैंक, भूपालसागर	8	8		5	03
पंजाब नेशनल बैंक, जाशमा	6	4	2	2	02
योग :-	**93**	**90**	**3**	**72**	**18**

विश्व व्यापार संगठन की शर्तों का कृषकों में प्रचार/प्रसार

292. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विश्व व्यापार संगठन व कृषि पर हुये समझौते के बाद प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभदायक बाजार नहीं मिल रहा है?

(2) क्या यह सही है कि गत कुछ वर्षों से जहां कृषि की लागत लगातार बढ़ रही है वही किसानों की आमद घट रही है?

(3) क्या कृषि विभाग ने कभी प्रदेश के गरीब किसानों को विश्व व्यापार संगठन क्या है व इसकी क्या शर्तें हैं, सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब प्रदेश के किसानों को इस विषय में शिक्षित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। कृषि उत्पादों का बाजार भाव कम होने की स्थिति में सरकार

(कृषि मंत्री)

द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कृषि उत्पादों की खरीद कर काश्तकारों को लाभान्वित किया जाता है। इसके अलावा जिन जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किये जाते हैं उन जिन्सों को बाजार हस्तक्षेप योजनान्तर्गत खरीद की जा सकती है।

(2) यह सही है कि मूल्य वृद्धि के कारण लागत कुछ बढ़ रही है परन्तु साथ ही साथ कृषकों की आमदनी भी बढ़ रही है। विभिन्न फसलों की विभाग द्वारा सुझाये गये उन्नत तकनीकी सिफारिशों के अनुसार खेती किये जाने पर निश्चित रूप से अधिक लाभ प्राप्त होता है। विभिन्न फसलों की लाभ लागत निकालने पर ऐसा पाया गया है कि सभी फसलों में कृषकों को औसतन लाभ प्राप्त हो रहा है। मुख्य फसलों की लाभ लागत का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। कृषि विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों, गोष्ठियों एवं कृषि योजनायें आपके द्वार अभियान के तहत किसानों को विश्व व्यापार संगठन के सम्बन्ध में जानकारी दी जा रही है।

परिशिष्ट-1

मुख्य फसलों की औसतन लाभ लागत का विवरण

क्र. सं.	फसल मौसम	फसल	कुल आय रुपये प्रति हैक्टर	लागत रुपये प्रति हैक्टर	शुद्ध लाभ रुपये प्रति हैक्टर
1.	खरीफ	बाजरा	15550	10350	5150
		ग्वार	18360	10133	8227
		मूंगफली	27000	17500	9500
		सोयाबीन	21700	13678	8022
		दलहन	15200	8248	6952
		कपास	28160	16303	11857
		अरण्डी	21600	11826	9774
2.	रबी	गेहूं	30000	17540	12460
		जौं	23250	16040	7210
		चना	21525	13543	7982
		सरसों	25725	12234	13491

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

फुलेरा के विद्यालयों हेतु भवन/खेल मैदान

297. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्ष 2004 व 2005 में विभिन्न सरकारी विद्यालयों में खेल मैदान व भवन के लिए भूमि आबंटित किये जाने के कितने आवेदन किस-किस विद्यालय से प्राप्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राप्त आवेदनों में से किस-किस विद्यालय को जिला प्रशासन द्वारा भूमि आबंटित की गई तथा किस-किस विद्यालय को भूमि आबंटित किये जाने के प्रकरण राजस्व विभाग को भिजवाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राजस्व विभाग द्वारा उक्त विद्यालयों को भूमि आबंटित कर दी गई? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(4) जिन विद्यालयों को खेल मैदान के लिए भूमि आबंटित की गई है उन विद्यालयों में खेल मैदान के विकास व खेल सामग्री के लिए क्या वित्तीय प्रावधान उपलब्ध हैं और भविष्य के लिए क्या वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्ष 2004 व 2005 में कुल मिलाकर विभिन्न प्रारम्भिक सरकारी विद्यालयों में खेल मैदान के लिए भूमि आबंटित किए जाने हेतु 5 आवेदन (प्रस्ताव) तथा भवन के लिए भूमि आबंटित किए जाने हेतु 5 आवेदन (प्रस्ताव) प्राप्त हुए है। विद्यालयों के नाम की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) सभी प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार सभी विद्यालयों को भूमि आबंटित कर दी गई है। राजस्व विभाग से प्राप्त उक्त सूची परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(3) जी हां। वर्ष 2004 एवं 2005 में ही भूमि आबंटित हो चुकी है।

(4) राज्य के सभी जिलों को खेल उपकरणों की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित बजट आबंटित किया जाता है।

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र भी इस वित्तीय प्रावधान में सम्मिलित है।

परिशिष्ट ''क''

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्ष 2004 व 2005 में विभिन्न सरकारी विद्यालयों में खेल मैदान व भवन के लिए भूमि आबंटन हेतु प्राप्त/ भेजे गये प्रस्तावों एवं भूमि आबंटन की सूची

(I) खेल मैदान आबंटन हेतु भेजे गये प्रस्तावों की सूची

1. राज. प्राथमिक विद्यालय, सापों की ढाणी (डूंगर सी का बास)
2. राज. प्राथ. विद्यालय, मूण्डियागढ़।
3. राज. प्राथ. विद्यालय, डोडवाडियों का बास (मूण्डवाडा)
4. राज. प्राथ. विद्यालय, दीपपुरा (अनतपुरा)
5. राज. प्राथ. विद्यालय, ढाणी मीणान् (बासड़ी खुर्द)

(II) विद्यालय भवन हेतु भूमि आबंटन हेतु भेजे गये प्रस्तावों की सूची

1. राज. प्राथ. विद्यालय, काजीपुरा।
2. राज. प्राथ. विद्यालय, खेड़ी मिल्क।
3. रामापा भीक मीणा की ढाणी (भैंसलाना)
4. शिक्षाकर्मी प्रा. वि. नाड़ी तलाई (मूण्डियागढ़)
5. रा. प्रा. वि., ढाणी मीणान् (बासड़ी खुर्द)

सुमेरपुर तहसील (पाली) के फसल खराबा प्रभावित ग्राम

298. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सुमेरपुर तहसील के पूरे क्षेत्र में मौसम खरीफ 2005 में, अभावग्रस्त गांवों की संख्या शून्य दर्शाई गई हैं? यदि हां, तो किन-किन गांवों में कितनी-कितनी फसल मौसम खरीफ 2005 में किसानों को प्राप्त हुई?

(2) क्या यह सही है कि तहसील सुमेरपुर की सीमा क्षेत्र से लगते हुये तहसील बाली, देसूरी व पाली के ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है? यदि हां, तो सीमा से लगते हुये सुमेरपुर तहसील के अभावग्रस्त गांवों को अभावग्रस्त घोषित क्यों नहीं किया जा सका? इस प्रकार लापरवाही से आंकड़ा शून्य दिखा देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं तथा अधिकारियों की लापरवाही से वंचित ग्रामों में राहत देने का क्या विकल्प हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है। तहसील सुमेरपुर के 37 ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है।

(2) जी हां। यह सही है कि तहसील सुमेरपुर की सीमा से लगते हुये तहसील बाली, देसूरी व पाली के ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है। लेकिन यह सही नहीं है कि उक्त तहसीलों की सीमा से लगते हुये सुमेरपुर तहसील के अभावग्रस्त गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया। उक्त तहसीलों से लगते हुए तहसील सुमेरपुर के ग्राम बिरामी, वेनपुरा, देवतरा, सिन्दरू, खिन्दारा गांव, पराखिया, जाखोड़ा, कोलीवाड़ा, गलथनी, बलयना को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। गिरदावरी नियमानुसार की गई है। अत: किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही नहीं की गई है।

राजस्थान को आपरेटिव डेयरी फैडरेशन के संचालक मण्डल का चुनाव

299. श्री रामलाल (बनेड़ा) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा क्रय किये जाने वाले दुग्ध का क्रय मूल्य निर्धारण किसके द्वारा किया जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि नये सहकारिता विधेयक में संचालक मण्डल दुग्ध के खरीद एवं विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिये सक्षम है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राजस्थान को आपरेटिव डेयरी फैडरेशन के संचालक मण्डल के चुनाव करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? क्या इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो दिशा-निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा दूध के क्रय मूल्य निर्धारण हेतु सम्बन्धित जिला दुग्ध संघ, संघ स्तर पर बाजार में प्रचलित दर, दूध की मांग एवं आपूर्ति तथा संघ की आर्थिक स्थिति के आधार पर समुचित प्रस्ताव तैयार कर शीर्षस्थ संस्था को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि. जयपुर से औपचारिक अनुमोदनोपरान्त दूध क्रय कर निर्धारित कर प्रसारित की जाती है।

(2) जी नहीं। दुग्ध खरीद मूल्य का निर्धारण नये सहकारिता अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्था के उपनियमों में संचालक मण्डल को प्रदत्त शक्तियों के अधीन है, जो निम्न प्रकार है :-

"संघ की समस्त नीतियों को निर्धारित करने की शक्ति संचालक मण्डल में

(डेयरी मंत्री)

निहित हैं। नियमों के जो राज्य सरकार के द्वारा पारित किये जावें तथा उपविधियों के या ऐसी उपविधियों के जो कि संघ के द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत की जाये, के अधीन रहते हुए संघ के हितों को प्राप्त करने तथा उसकी अभिवृद्धि करने का अधिकार होगा।"

(3) जी हां। सहकारी संस्थाओं को निर्वाचन एक सतत् प्रक्रिया है जिसके तहत समितियों के निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा कराये जाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैडरेशन के संचालक मण्डल के चुनाव समुचित समायावधि में कराने जाने के आदेश जारी किये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रसारित आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL ORIGINAL JURISDICTION
CONTEMPT PETITION NO 118 OF 2005 IN D.L.P. [C] NO 11000/04

RAM LAL & ORS. ….PETITIONER (S)

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN & ANR. ……..RESPONDENTS(S)

ORDER

Heard both sides.

The Secretary, Co-operation Department, Rajasthan, has filled an affidavit stating that out of sixteen District milk Producers Unions, elections have already been held in fifteen District Milk Producers Unions and an regards one District Milk Producers Unions Kota, there is a law and order problem and the authorities are awaiting for the peaceful situation to conduct the election and as and when the situation is normal, the authorities shall conduct the elections.

As regards the elections of the Apex Societies, it was stated that some amendment has to be carried out pursuant to the direction issued by the Registrar of Co-operative Societies and the matter is pending consist ration. As soon as this is over, the elections to the Apex Societies be conducted within a reasonable time.

The contempt petition is disposed of accordingly.

Sd./-
K.G. BALAKRISHNAN
Sd./-
R.V. RAVEENDRAN

NEW DELHI,
21st OCTOBER, 2005

नगरपालिका टोडाभीम का जीर्ण-शीर्ण उच्च जलाशय

300. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर पालिका टोड़ाभीम में पीने के पानी की टंकी के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग होने के कारण टंकी पानी भरने से पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है?

(2) क्या यह सही है टंकी के गिरने का खतरा बना हुआ है और टंकी को हटाया नहीं गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस टंकी के स्थान पर दूसरी टंकी बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उच्च जलाशय के निर्माण की नीव की मिट्टी सही नहीं होने के कारण इसका झुकाव होने के कारण पानी भरना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। नई टंकी का निर्माण 31.12.2006 तक किया जाना प्रस्तावित है।

बोरानाडा (जोधपुर) औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयां

301. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा जिला जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत कुल कितने भूखण्ड कब-कब आबंटित किए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या समस्त आबंटित भूखण्डों पर औद्योगिक इकाइयां नियमानुसार निर्धारित अवधि में स्थापित हो चुकी हैA? यदि नहीं, तो नियमों की अवहेलना करने वाली इकाइयों/आबंटियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा जिला जोधपुर में विभिन्न योजनाओं के तहत आबंटित भूखण्डों का विवरण निम्न प्रकार है :-

औद्योगिक क्षेत्र का नाम	आबंटित भूखण्डों की संख्या
बोरानाडा प्रथम चरण	126
बोरानाडा द्वितीय चरण	93
बोरानाडा तृतीय चरण	237

(उद्योग मंत्री)

औद्योगिक क्षेत्र का नाम	आबंटित भूखण्डों की संख्या
बोरानाडा चतुर्थ चरण	236
ई.पी.आई.पी.	247
एग्रो फूड पार्क	211
एस.ई.जैड	178
कुल	**1328**

भूखण्ड आबंटियों की सूची परि. 1 से 7 तक संलग्न है।

(2) जी नहीं। आबंटित भूखण्डों पर निर्धारित समयावधि में औद्योगिक इकाईयां स्थापित नहीं करने वाले 32 आबंटियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। 4 आबंटियों के भूखण्ड निरस्त किये जा चुके हैं। इकाइवार कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 8 एवं 9 पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर शहर का प्रदूषण स्तर मापने हेतु प्रशिक्षित कार्मिक

302. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने घनी आबादी वाले शहरों का समय-समय पर प्रदूषण स्तर मापने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर में भी प्रदूषण स्तर समय-समय पर दर्ज किया जाता है? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में जयपुर शहर में प्रदूषण स्तर के लिए कब-कब कितने-कितने नमूने लिए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस कार्य के लिए प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किये जाने के निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) जयपुर शहर में इस कार्य के लिए किस-किस स्थान पर कितने-कितने और किस-किस योग्यता के अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर में प्रशिक्षित स्टाफ के स्थान पर ठेके

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पर या अनुबन्ध पर अप्रशिक्षित स्टाफ लगाया गया है? यदि हां, तो क्यों और सरकार इसके लिए किस अधिकारी को जिम्मेदार मानती है?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त निर्देशों की प्रति संलग्नक-I (पृष्ठ संख्या 1 से 18) पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। पिछले तीन वर्षों में जयपुर शहर में लिये गये नमूनों का विवरण संलग्नक-II पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(4) इस कार्य को सम्पादित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा संलग्नक-III पर उपलब्ध है।

(5) जी नहीं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रतापगढ़ जिला कारागार में आवश्यक सुविधाएं

303. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला कारागृह प्रतापगढ़ का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी पर्याप्त नहीं है तथा पीने के पानी व स्टाफ की भी कमी है? क्या सरकार इन कमियों को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

यह सही नहीं है कि जिला कारागृह, प्रतापगढ़ का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी पर्याप्त नहीं है। जिला कारागृह, प्रतापगढ़ पर स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्न भांति है :-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5
1.	उपाधीक्षक	1	1	—
2.	चिकित्साधिकारी	1	—	1

(कारागार मंत्री)

1	2	3	4	5
3.	कारापाल	1	—	1
4.	मुख्य प्रहरी	3	3	—
5.	प्रहरी	13	10	3
6.	मैलनर्स	1	1	—
7.	वरिष्ठ लिपिक	1	1	—
8.	हरिजन	1	1	—

रिक्त पदों को भरने के लिए निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है :-

1. अंशकालिक चिकित्सक की व्यवस्था
2. प्रहरी के 3 पदों पर होमगार्ड स्वयं सेवक लगाये गये है
3. रिक्त कारापाल पद की पूर्ति पदोन्नति के माध्यम से शीघ्र की जा रही है

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनेक्शन से पीने के पानी की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पाने के कारण दो नये कनेक्शन और लिये जाकर कमी को दूर किया जा रहा है।

नागौर जिले के क्रमोन्नत विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति

304. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत सात वर्षो में जिला नागौर में नवीन प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो स्वीकृत विद्यालयों की वर्षवार/ तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं? यदि हां, तो तहसीलवार/वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा नवीन एवं क्रमोन्नत विद्यालयों में वर्षवार अध्यापकों की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला नागौर में गत सात

(शिक्षा मंत्री)

वर्षों में खोले गये नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का वर्षवार एवं तहसीलवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजकीय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गत सात वर्षों में नागौर जिले में क्रमोन्नत विद्यालयों का वर्षवार एवं तहसीलवार सूची परिशिष्ट "ख" तथा उच्च प्राथमिक से माध्यमिक व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(3) नागौर जिले में विगत सात वर्षों में नवीन/क्रमोन्नत किये गये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट "घ" एवं "ड़" संलग्न है, तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट "च" संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केकड़ी में बाढ़ राहत कार्यान्तर्गत स्वीकृत सड़कें

305. श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्ष 2004-05 व 2005-06 में बाढ़ राहत कार्य के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गई? इस हेतु कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत राशि में से राशि कम कर दी गई? यदि हां, तो कितनी एवं कम करने का क्या कारण रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) स्वीकृत सड़कों में से कौन-कौनसी सड़कें पूर्ण हो गई एवं कौन-कौनसी अपूर्ण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2004-05 व 2005-06 में बाढ़ राहत अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की सूची संलग्न है। परिशिष्ट "अ"।

बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगर पालिका केकड़ी को आबंटित राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

सा.नि.वि.	58 कार्य	59.10 लाख
नगर पालिका	11 कार्य	39.99 लाख

(2) जी नहीं। स्वीकृत राशि में से कोई राशि कम नहीं की गयी।

(अकाल राहत मंत्री)

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। नगरपालिका केकड़ी के स्वीकृत कार्यों में से निम्न 3 कार्य अपूर्ण हैं :-

1. सीमेन्ट एवं डब्ल्यू बी एम सड़क मरम्मत कार्य रोडवेज बस स्टेण्ड पर, तहसील केकड़ी।
2. पालिका क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर नाला मरम्मत कार्य, तहसील केकड़ी।
3. पालिका क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर नाली मरम्मत कार्य, तहसील केकड़ी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि जिन्स राइडा के औद्योगिक उपयोग नीति हेतु

571. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत में होने वाले कृषि जिन्स राइडा की फसल का कृषि आधारित किन-किन उद्योगों में और कितना-कितना उपयोग हो रहा है?

(2) सरकार द्वारा इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये और आगे क्या कदम उठाने का विचार है?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को इस कृषि जिन्स का उपयोग बढ़ाने हेतु नीति निर्धारित करने के लिए कोई सुझाव दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, पाली, नागौर, बीकानेर, सिरोही, चुरू, जोधपुर, जालौर एवं बाड़मेर जिलों में राइडा से तेल निकालने के लिए 200 तेल मिलें स्थापित हैं। इन तेल मिलों द्वारा लगभग 4100 मैट्रिक टन राइड़ा की पिराई की जाती है। जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 2006-07 के बजट में समस्त प्रकार के आयल सीड पर मण्डी शुल्क को 1.6 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया है। इसके अतिरिक्त नान एसएसआई आयल मिलों द्वारा सरसों की खरीद पर देय क्रय कर को 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया है। सरसों के तेल को राज्य से बाहर बेचे जाने पर केन्द्रीय बिक्री कर को 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट ''क''

क्र. सं.	पश्चिमी राजस्थान के जिलों का नाम	राइड़ा उद्योग इकाईयों की संख्या	राइड़ा कच्चा माल के उपयोग की मात्रा मै. टन
1	2	3	4
1.	जैसलमेर	1	8000
2.	पाली	12	15000

1	2	3	4
3.	नागौर	7	7000
4.	बीकानेर	—	—
5.	सिरोही	13	5000
6.	चुरू	—	—
7.	जोधपुर	167	6000
8.	जालौर	—	—
9.	बाड़मेर	—	—
योग		**200**	**41000**

राजस्थान हैण्डलूम डवलपमैन्ट कार्पोरेशन एवं बुनकर सहकारी संघ के अधिकारियों की विदेश यात्रा

572. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड के कौन-कौन अधिकारी पिछले दस वर्षों में निर्यात प्रोत्साहन के लिये विदेश यात्रा पर गये? नाम व पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अधिकारियों के विदेश यात्रा पर कितना तथा इनके द्वारा ले जाये गये सेम्पलिंग पर कितना व्यय हुआ? अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विदेश यात्रा में प्रोत्साहन के बाद कितनी राशि के निर्यात आदेश प्राप्त हुए और कितने आयातकों से पत्र व्यवहार किया गया तथा कितनों के उत्तर प्राप्त हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा के नाम से ली गई अग्रिम राशि का समायोजन करा दिया गया? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का कोई भी अधिकारी विदेश यात्रा पर नहीं गया। राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि. के चार

(उद्योग मंत्री)

अधिकारियों द्वारा पिछले दस वर्षों में निर्यात प्रोत्साहन के लिए विदेश यात्रा की गई जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर हैं।

(2) उपरोक्त अधिकारियों की विदेश यात्रा पर यात्रा व्यय रुपये 3,34,972/- तथा सैम्पलिंग पर रुपये 17,223/- व्यय हुये हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(3) वर्ष 2000 में हैम टैक्सटाइल प्रदर्शनी फ्रैंकफर्ट में बुनकर संघ द्वारा भाग लेकर लगभग 25 हजार रुपये का निर्यात आदेश जर्मनी के आयातक से प्राप्त कर निर्यात किया गया। जिन आयातकों से पत्र व्यवहार किया गया उनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर है।

(4) 1- वर्ष 1997 में श्री दामोदर शर्मा, पूर्व प्रशासक द्वारा विदेश यात्रा हेतु प्राप्त अग्रिम राशि 2,50,300 रुपये में से तत्समय समायोजन के पश्चात् राशि रु. 93,985/- का समायोजन शेष है। इसका कारण श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत यात्रा बिल तथा प्रायोजक संस्था "आकाश" द्वारा स्वीकृत राशि में अन्तर है।

2- श्री अमित बोहरा, उत्पादन अधिकारी द्वारा वर्ष 2002 में की गई विदेश यात्रा हेतु अग्रिम राशि रुपये 3.00 लाख में से वर्ष 2005-06 में "आकाश" द्वारा स्वीकृत राशि रुपये 1,08,930 समायोजित की गई। बकाया राशि रुपये 1,91,070 में से रुपये 1,87,913 वसूलने के पश्चात् रुपये 3,157/- बकाया है। उक्त राशि श्री बोहरा के वेतन से वसूल की जावेगी।

परिशिष्ट "क"

निर्यात प्रोत्साहन के लिए विदेश यात्रा पर गये अधिकारियों का विवरण व्यय सहित

अधिकारियों का विवरण				व्यय का विवरण		
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	अवधि	प्रदर्शनी	यात्रा व्यय	सैम्पलिंग व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री दामोदर शर्मा	प्रशासक	दि. 8-23 जनवरी, 1997	हैम टैक्सटाइल प्रदर्शनी फ्रेकफर्ट वर्ष 1997	1,06,108	7,920

(उद्योग मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7
2.	श्रीमती प्रमिला सुराणा	प्रबन्ध संचालक	दि. 11-23 जनवरी, 2000	हैम टैक्सटाइल प्रदर्शनी फ्रेकफर्ट वर्ष 2000	1,19,934	9,303
3.	श्री राधेश्याम सिंह तंवर	सभापति	दि. 7-14 जनवरी, 2002	हैम टैक्सटाइल प्रदर्शनी फ्रेकफर्ट वर्ष 2002	1,08,930	निल
4.	श्री अमित बोहरा	उत्पादन अधिकारी				

परिशिष्ट "ख"

आयतकों का विवरण जिनसे वर्ष 2000 में टैक्सटाइल प्रदर्शनी हेतु बुनकर संघ द्वारा पत्र व्यवहार किया गया

1. HOR FUNKSTUDIO AN DER MESSE
   VERRRENTRAPPSTRA BE 69
   60486, FRANFURT AM MAIR, FRANKRURT
2. TRIADIS TSAMOLTAS
   IMPORT EXPORT
   26, ARISTERIDOU OIKONOMOUSTR,
   KPASTISSIAGR 10445 ATHENS, GREECE
3. GLOBAL IMPEX INC
   141, WEST 36th STREET, 8th FLOOR, NEWYORK-10018
4. MARTINE BARB EOCH
   DESOGNER TEXTILE
   2 PUEPAUL GAUGUIN 91600
   SAVIGNY SURORGE FRANCE

संघ द्वारा इसके पश्चात् वर्ष 2002 में टैक्सटाइल प्रर्दशनी में भाग लेकर म्यूनिख जर्मनी, स्पेन एवं अमरीका से पत्र व्यवहार किया गया

1. MODA ENCASH
   AEASECTOR-4
   C/RIO GUADAL QUIVIR 28906
   GATATE (MORDRID), SPAIN

2. REGENBOGENLAND
HYALINTHENSTOR 19
D-80935, MONCHEN

3. PRINTERMPS
SAPACE PRINTEMPS 29,
RUE-DEU TROISFONTANOT 92000, NANTERRE

4. SURYLA
35037, MARBURG GERMANY
BARFUI BERTOR 36, GERMANY

रीको में जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ पर क्षेत्रीय प्रबन्धक का पदस्थापन

573. श्री विनोद कुमार (हनुमानगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ में रीको में क्षेत्रीय प्रबन्धक का पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार की जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ में औद्योगिक विकास की क्या योजनाएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रीको में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक का पद रिक्त है? यदि हां, तो सरकार इस पर कब तक नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सभी जिला मुख्यालयों पर रीको के क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद सृजित नहीं है। रीको का हनुमानगढ़ कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक श्रीगंगानगर के क्षेत्राधिकार में आता है।

(2) जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ में दो चरणों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। जिसमें द्वितीय चरण में 46 भूखण्ड आबंटन हेतु रिक्त है। राज्य में औद्योगिक विकास हेतु राजस्थान निवेश नीति 2003 व अन्य सुविधायें पूरे राज्य में लागू है। उनका लाभ हनुमानगढ़ के उद्यमियों द्वारा भी लिया जा सकता है। हनुमानगढ़ में किसी विशेष प्रकृति के उद्योग स्थापित नहीं होने के कारण जिला मुख्यालय, हनुमानगढ़ के लिए पृथक से औद्योगिक विकास की कोई योजना नहीं है।

(उद्योग मंत्री)

(3) रीको में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक का हनुमानगढ़ के लिए पृथक से कोई पद स्वीकृत नहीं है। श्रीगंगानगर इकाई कार्यालय में पदस्थापित सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा हनुमानगढ़ स्थित औद्योगिक क्षेत्रों का कार्य निष्पादित किया जाता है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक का मुख्यालय हनुमानगढ़ किया जाता है।

फतहनगर-सनवाड़ (उदयपुर) में उच्च जलाशय निर्माण

574. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि फतहनगर एवं सनवाड़ में पिछले वर्षों में रेल मार्ग से पानी टैंकरों द्वारा बीसलपुर से पिलाया जाता रहा है?

(2) क्या यह सही है कि फतहनगर एवं सनवाड़ दोनों क्षेत्रों की आबादी 20,000 से ज्यादा है एवं इन स्थानों पर पानी की टंकियां 2-2 लाख लीटर की हैं जो वर्ष 1970-72 में बनाई गई थी?

(3) क्या सरकार फतहनगर-सनवाड़ में पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए बड़गांव बांध से पीने के पानी की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार सनवाड़ व फतहनगर में 5-5 लाख लीटर की क्षमता वाली पानी की टंकियों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2002 व 2003 ग्रीष्म में फतहनगर सनवाड़ को रेलमार्ग से पेयजल परिवहन कर सुलभ करवाया गया था। मीटर गेज पर नसीराबाद से पानी ले जाया गया था।

(2) फतहनगर सनवाड़ की वर्ष 2001 के आधार पर जनसंख्या 19648 है। वर्तमान में कुल 3 उच्च जलाशय क्षमता 4.0 लाख, 0.50 लाख तथा 0.50 लाख लीटर क्रमश: विद्यमान है। ये उच्च जलाशय वर्ष 1970-72 में बनाये गये हैं।

(3) जी नहीं। बड़गांव बांध आवश्यक पेयजल मात्रा के सन्दर्भ में उपयुक्त नहीं है।

(4) जी नहीं। वर्तमान आवश्यकता के अनुसार आवश्यक भण्डारण क्षमता उपलब्ध है।

सरदारशहर उपखण्ड की डीजल चालित पेयजल योजनाओं में व्याप्त अनियमितताएं

575. श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरदार शहर के ग्रामीण उपखण्ड में डीजल घोटाले का प्रकरण सरकार के सामने आया है? यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितने डीजल का घोटाला हुआ एवं कितने वर्षों से यह घोटाला हुआ है क्या वर्ष 2001 से 2004 तक डीजल चलित पेयजल योजनाओं की लागबुक जमा हुई है? यदि हां, तो कितनी व नहीं तो क्यों? क्या सरकार इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरदार शहर अधिशासी अभियन्ता द्वारा नियम विरुद्ध पंजीकृत किये गये "डी" श्रेणी के कान्ट्रेक्टर मैसर्स एम.एस.आर. कान्ट्रेक्टर एवं सप्लायर्स के द्वारा सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचाया गया है? यदि हां, तो कितना? क्या सरकार फर्म के मालिक व दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभागीय आंतरिक अंकेक्षण दल द्वारा 10/2001 से 9/2003 के अंकेक्षण से प्रकरण सामने आया है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार यह राशि लगभग रुपये 32.90 लाख प्रति वर्ष है। वर्ष 2001 से 2004 काल की डीजल परियोजनाओं की लोगबुक प्राप्ति बाबत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। शेष लोगबुक प्राप्त करने हेतु विभाग प्रयासरत है।

इस प्रकरण में प्राथमिक जांच में दोषी पाए 5 अधिशासी अभियन्ता, 7 सहायक अभियन्ता तथा 3 कनिष्ठ अभियन्ताओं के विरुद्ध आरोप पत्र स्वीकृत व जारी किए जाने से पूर्व जांच प्रक्रिया में है। दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकता पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(2) सन्दर्भित फर्म मैसर्स एम.एस.आर. कान्ट्रेक्टर को वर्ष 2000-2005 तक किए गए भुगतान बाबत विशेष जांच दल से जांच करवाई गई है। जांच दल द्वारा दिए गए प्रतिवेदन का सक्षम स्तर पर विश्लेषण किया जा रहा है तदुपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	अवधि जिनकी लाग बुक कार्यालय में जमा हुई है।	अवधि जिनकी लाग बुक कार्यालय में जमा नहीं हुई है।
1.	धीरासर मलसीसर	—	1.4.2001 से 31.3.2004
2.	कंवरलासर	—	1.4.2001 से 31.3.2004
3.	ढाणी ईशरदास	1.1.2004 से 8.4.2004	1.4.2001 से 31.12.2003
4.	दाढवाना जोहडा	17.2.2004 से 5.11.2004	1.4.2001 से 16.2.2004
5.	ढाणी कालेरा	—	1.4.2001 से 31.3.2004
6.	ढाणी सुहाणा	18.2.2004 से 8.2.2004	1.4.2001 से 17.2.2004
7.	ढाणी राणासर	—	1.4.2001 से 31.3.2004
8.	ढाणी रायकान	20.2.2004 से 15.6.2004	1.4.2001 से 13.11.2004 7.5.2003 से 20.3.2004
9.	ढाणी तेतरवाल	14.11.02 से 6.5.03 21.3.04 से 19.4.04	1.4.2001 से 31.3.2004
10.	करणसर	—	1.4.2001 से 31.3.2004
11.	कीकसर	—	1.4.2001 से 31.3.2004

बनीपार्क की आर.यू.आई.डी.पी. योजनान्तर्गत पेयजल योजनाएं

576. प्रो. बीरू सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में आर.यू.आई.डी.पी. की पेयजल योजना के माध्यम से महेश नगर, झोटवाड़ा, महारानी फार्म, विद्युत नगर व दुर्गापुरा क्षेत्र की योजनाओं को स्वीकृत/अधूरे कार्यों को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में भी उक्त क्षेत्र की जलप्रदाय

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

योजना को शुरू किये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उन्हें अब तक शुरू नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में आर.यू.आई.डी.पी. के अन्तर्गत स्वीकृत पेयजल योजनाओं को संलग्न परिशिष्ट-"अ" में दी गई तिथि के अनुसार पूर्ण कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सम्भलाया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। निर्माण कार्यों हेतु भूमि अवाप्ति में अधिक समय लगने, पाइप लाईन की खुदाई में भूमिगत केवल लाइन होने, उच्च जलाशयों के स्थान एयर पोर्ट के नजदीक होने के कारण एयरपोर्ट प्राधिकरण से अनुमति में अधिक समय लगने तथा स्टील व सीमेन्ट आदि की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि इत्यादि कारणों से कार्यों की गति धीमी होने के कारण निर्धारित तिथि पर योजनाएं पूर्ण होकर प्रारम्भ नहीं हो सकी।

वर्णित योजनाओं को संलग्न परिशिष्ट-"अ" में दी गई तिथि तक चालू करना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-"अ"

बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति का विवरण

क्रम संख्या	योजना का नाम	योजनाओं की वर्तमान स्थिति एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तान्तरित करने की सम्भावित तिथि
1	2	3
1.	महेश नगर क्षेत्र	योजना पूर्ण। योजना अधिग्रहण से पूर्व संधारण के सन्दर्भ में आधारभूत आवश्यकताओं का प्रबन्धन किया जा रहा है ताकि जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा योजना संभालने के पश्चात् संधारण सुचारू रूप से हो सके।
2.	महारानी फार्म क्षेत्र	योजना पूर्ण। योजना अधिग्रहण से पूर्व संधारण के सन्दर्भ में आधारभूत आवश्यकताओं का प्रबन्धन किया जा रहा है ताकि जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा योजना संभालने के पश्चात् संधारण सुचारू रूप से हो सके।

1	2	3
3.	झोटवाड़ा	स्वीकृत योजना के कार्य प्रगति पर है। झोटवाडा उत्तर क्षेत्र (दादी के फाटक के पास का) एवं शेष झोटवाडा क्षेत्र के कार्य क्रमश: मई, 2006 एवं जुलाई, 2006 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।
4.	विद्युत नगर	स्वीकृत योजना के कार्य प्रगति पर है एवं माह मई, 2006 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।
5.	दुर्गापुरा	इस क्षेत्र में होटल क्लार्क आमेर के पास की कुछ कालोनियों में लगभग 5.0 किलोमीटर पाइप लाइन डालकर जन स्वा. अभि. विभाग के उच्च जलाशय से जोड़कर चालू कर दी गई है।

अमानीशाह नाला क्षेत्र, जयपुर के पेयजल का विश्लेषण

577. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर के अमानीशाह नाला क्षेत्र में पेयजल हेतु कितने ट्यूबवैल का उपयोग किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त पेयजल का कब-कब विश्लेषण किया गया? विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त पेयजल में नाइट्रेट, फ्लोराइड व अन्य प्रदूषित हानिकारक तत्वों की मात्रा निर्धारित मानक स्तर से अधिक पाई गई? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर के अमानीशाह नाला क्षेत्र में 11 नलकूप उपयोग में लिये जा रहे हैं। सूची संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) इन नलकूपों के जल का रासायनिक विश्लेषण आवश्यकतानुसार करवाया जाता रहा है। दिनांक 8.11.2001, 24.2.2003, 28.12.2005 तथा 22.3.2006 को किए गए विश्लेषण की प्रति संलग्न परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कठूमर के नाकारा हैण्डपम्प

578. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कठूमर, जिला-अलवर में खारे पानी से काफी गांव प्रभावित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे गांव व ढाणियां?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के गांवों व ढाणियों का सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) सरकार अब कब तक इन गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में खराब व नाकारा पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत कराकर पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा कठूमर के 65 गांव और 100 ढाणियां खारे पानी से प्रभावित (टी.डी.एस. 3000 मिलीग्राम/लीटर से अधिक) हैं। सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इन गांव/ढाणियों हेतु योजना बनाने का कार्य प्रगति पर है।

(3) उपरोक्तानुसार योजना बनाई जा रही है। सक्षम स्तर पर इन प्रस्तावों के प्राप्त होने एवं तकनीकी जांच में सही पाये जाने के उपरान्त प्राथमिकता एवं संसाधन उपलब्धि के आधार पर स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय उपरान्त क्रियान्वयन सम्भव होगा।

(4) जी हां। मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्पों को 32वें हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के अन्तर्गत सुधारा जा रहा है। अभियान के दौरान मरम्मत योग्य खराब पाये गये 330 हैण्डपम्पों में से 301 हैण्डपम्प सुधार कर क्रियाशील कर दिये गये हैं। शेष हैण्डपम्पों को सतत् प्रक्रिया के रूप में सुधारा जा रहा है। नकारा हैण्डपम्प मरम्मत योग्य नहीं होने के कारण इनकी मरम्मत सम्भव नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

खेतड़ी में स्वीकृत हैण्डपम्प

579. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में वर्ष 2004 से फरवरी, 2006 तक कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी स्वीकृत हैण्डपम्प खोद दिये गये? यदि नहीं, तो कितने हैण्डपम्प खोदे जाने बाकी हैं तथा शेष रहे हैण्डपम्पों को कब तक खोद दिया जायेगा? खोदे गये हैण्डपम्पों में से कितने हैण्डपम्प सूखे रहे?

(3) क्या सूखे रहे हैण्डपम्पों के स्थान पर सरकार पुन: नये हैण्डपम्प खुदवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में वित्तीय वर्ष 2004-05 से माह फरवरी, 2006 तक विभिन्न मदों में कुल 272 हैण्डपम्प स्वीकृत हुए। सूची संलग्न परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। उपरोक्तानुसार स्वीकृत 272 हैण्डपम्पों में से 159 हैण्डपम्प निर्मित कर क्रियाशील कर दिये गये हैं। प्रधानमंत्री घोषणा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 5 हैण्डपम्पों का निर्माण उक्त कार्यक्रम के 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने के कारण अब नहीं किया जाना है।

शेष रहे 108 हैण्डपम्पों को निम्नानुसार पूर्ण करना प्रस्तावित है:-

मार्च, 2006 तक	40
अप्रैल, 2006 तक	40
मई, 2006 तक	28

उपरोक्तानुसार निर्मित किये गये समस्त 159 हैण्डपम्प सफल रहे हैं एवं कोई हैण्डपम्प सूखा नहीं रहा है।

(3) जी नहीं। उपरोक्तानुसार निर्मित समस्त हैण्डपम्प सफल रहे हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर जिले में खनन लीज हेतु लम्बित आवेदन

580. डा. श्री गोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में प्रधान व अप्रधान खनिज के कुल कितने पट्टे स्वीकृत हैं? इन पट्टेधारी/फर्मों के मालिक/पार्टनर का नाम, खनिज का नाम, निकट ग्राम, तहसील, क्षेत्रफल एवं अवधि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन सभी स्वीकृत फर्म/पट्टेधारियों ने खनिज विभाग में किस दिनांक को आवेदन किया? इनकी आवेदन की दिनांक और स्वीकृति की दिनांक तथा सबको स्वीकृत होने में कितना समय लगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अजमेर में इनके अलावा शेष रहे लम्बित आवेदकों (पी.एल. व एम.एल.) फर्म और उनके मालिक/पार्टनर के नाम तथा इनके द्वारा लगाई गई अर्जी की दिनांक तथा फाइल विभाग में किस स्तर पर रुकी हुई है, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार फैल्सपार और क्वार्टज खनिज के खनन पट्टे अजमेर में ही स्वीकृत किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में प्रधान खनिज के 234 व अप्रधान खनिज के 199 कुल 433 खननपट्टे स्वीकृत है। इन पटटेधारियों/फर्मों के मालिक/पार्टनर का नाम, खनिज का नाम, निकट ग्राम, तहसील, क्षेत्रफल एवं अवधि का सम्पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ-1" "अ-2" के अनुसार है।

(2) इन सभी स्वीकृत फर्म/पट्टेधारियों ने खनिज विभाग में जिस दिनांक को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं स्वीकृति जारी करने की दिनांक व स्वीकृत होने में लगा समय का विवरण परिशिष्ट "अ-1" "अ-2" के अनुसार है।

(3) अजमेर जिले में प्रधान खनिज के 852 तथा अप्रधान खनिज के 114 आवेदन पत्र शेष लम्बित है। प्राप्त आवेदन-पत्रों की तिथि व उन पर की गई वर्तमान कार्यवाही जहां पर फाइल विभाग में कार्यवाही हेतु लम्बित है, का पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब-1" "ब-2" में वर्णित है।

(4) जी नहीं। राज्य में जहां-जहां पर भी क्वार्टज-फैल्सपार उपलब्ध होने पर एवं उस स्थान पर नियमानुसार आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमों के अन्तर्गत सक्षम

(खनिज मंत्री)

अधिकारी निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग होने से इस खनिज हेतु विभिन्न कार्यालय में प्राप्त प्रस्तावों को उचित पाए जाने पर स्वीकृति निदेशालय उदयपुर से जारी की जाती है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हनुमानगढ़ जिले में जिप्सम खनन हेतु लम्बित आवेदन

581. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्लास्टर आफ पैरिस उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, धनासर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ द्वारा खनिज जिप्सम के अनुज्ञा पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया गया था? क्या सरकार उक्त समिति को पट्टा जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त आवेदित क्षेत्र में पूर्व में राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड ने भी आवेदन विस्तृत परिक्षेत्र हेतु कर रखा है, जिस पर केन्द्रीय खान विभाग, नई दिल्ली में कार्यवाही लम्बित है?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में सरकार द्वारा एम.सी.डी.आर. नियमों के तहत खान एवं भू-विज्ञान विभाग के पास 5 हैक्टेयर तक खनन अनुज्ञा पट्टा जारी करने के अधिकार है?

(4) क्या राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड को पूर्व में आवेदित विस्तृत परिक्षेत्र में ही 5 हैक्टेयर में खनन अनुज्ञा पट्टा जारी किया गया है?

(5) क्या सरकार इसी अनुरूप 5 हैक्टेयर में खनन अनुज्ञा पट्टा प्लास्टर आफ पैरिस उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, धनासर को जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्लास्टर आफ पैरिस उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड धनासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ द्वारा खनिज जिप्सम के खनन पट्टे चाहने हेतु दो आवेदन पत्र दिनांक 4.2.2006 को क्रमशः निकट ग्राम नूरे की ढाणी व निकट ग्राम शेख चुलिया तहसील रावतसर के लिए प्रस्तुत किये हैं। आवेदन पत्र का

(खनिज मंत्री)

निस्तारण प्रधान खनिज रियायत नियमावली 1960 के नियमों व नीतियों के अनुसार किया जावेगा।

(2) जी हां। उक्त सहकारी समिति द्वारा आवेदित क्षेत्र में से एक क्षेत्र निकट ग्राम नूरे की ढाणी राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा आवेदित खनन पट्टा एम.एल. नं. 2/01 क्षेत्र में आता है तथा राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के आवेदन पर भारत सरकार के स्तर पर कार्यवाही लम्बित है।

(3) जी हां। एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 के अनुसार 4 हैक्टेयर व अधिक क्षेत्र के लिए खनन पट्टा जारी किया जा सकता है।

(4) जी नहीं। राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड को नूरे की ढाणी में पूर्व में आवेदित विस्तृत क्षेत्र 191 हैक्टेयर परिक्षेत्र में 5 हेक्टेयर में खनन अनुज्ञा पट्टा (एम.एल./पी.एल.) जारी नहीं किया गया है।

(5) प्रचलित नियमों एवं नीति के अनुसार उक्त समिति के आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जायेगा।

वर्ष 2005-06 में प्राप्त खनन राजस्व

582. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में खनिज विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 में किस-किस कार्य के किस-किस स्थान पर किस-किस को ठेके किए गए? विवरण मय सूची सदन की मेज पर रखें। कितने मामलों में अदालत में वाद विचाराधीन है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

(2) इन ठेकों से सरकार को प्रत्येक माह कितना-कितना भुगतान प्राप्त होना था और कितना-कितना भुगतान प्राप्त हुआ? प्रत्येक ठेके का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें। जिनका भुगतान बकाया है उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? ठेकेदारों की सूची सहित बकाया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2005-06 से पूर्व के ठेकों में किस-किस कार्य का ठेकेदारों से कितना भुगतान प्राप्त होना बाकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें। इन्हें वसूलने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? वसूली में शिथिलता के लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा राज्य में वर्ष 2005-06 में अधिशुल्क संग्रहण एवं अधिक अधिशुल्क संग्रहण के ठेके विभिन्न कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में दिये हैं। जिनका विस्तृत विवरण, कार्यालयवार, परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। 6 मामलों में ठेका अनुदान के सम्बन्ध में अदालत में वाद-विचाराधीन है। जिनकी सूची मय वर्तमान स्थिति के परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) इन ठेकों से सरकार को प्राप्त होने वाले भुगतान, बकाया एवं बकाया वसूली हेतु की गई कार्यवाही मय ठेकेदारों की सूची के परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2005-06 से पूर्व के ठेकों में जिन ठेकेदारों से भुगतान प्राप्त होना बाकी है। उसका विवरण मय वसूली हेतु की गई कार्यवाही के परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। बकाया वसूली नियमानुसार की जा रही है। इसके लिए कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिरोही रोड स्थित वाल्के इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फिक्स रैफरेन्स पाइंट में परिवर्तन की जांच

583. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में सिरोही रोड स्थित वाल्के इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने फिक्सड रेफरेन्स पाइंट में परिवर्तन किया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस-किस स्तर पर शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सम्बन्ध में किसके द्वारा किसको जांच के आदेश दिये गये? जांच आदेश व मौके की कार्यवाही एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पट्टाधारी का पड़ोसी पट्टेधारी के मध्य सीमा विवाद चल रहा है। प्राप्त शिकायतों की प्रति परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) सीमा विवाद हल करने हेतु निदेशक, खान द्वारा दिनांक 15.10.2005 को एक कमेटी विभाग के अधिकारी श्री ए.के. वैश्य अतिरिक्त निदेशक भू-विज्ञान, जयपुर श्री डी.एस. मारू, अति. निदेशक, खान, उदयपुर श्री पी. आर. आमेटा, खनि अभियन्ता

(खनिज मंत्री)

उदयपुर, श्री जे.पी. जाखड़, खनि. अभियन्ता, सिरोही को जांच हेतु गठित की गई है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सरिस्का बाघ परियोजना का हवाई सर्वेक्षण

584. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खनिज विभाग द्वारा सरिस्का बाघ परियोजना के क्षेत्र का हवाई सर्वे करवाया गया था? यदि हां, तो उक्त सर्वे किसके आदेश से व किस उद्देश्य से सरिस्का के अन्दर व अभ्यारण के आस-पास करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हवाई सर्वे का क्या परिणाम रहा? तथ्यात्मक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। खान विभाग द्वारा सरिस्का बाघ परियोजना के क्षेत्र का हवाई सर्वे नहीं करवाया गया था।

(2) बिन्दु संख्या 1 में वर्णित सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में हवाई सर्वेक्षण का कार्य नहीं करवाया गया है।

जालौर जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्य-योजना

585. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (खारची) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले में गत 05 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कितने घायल हुए? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा दुर्घटनाग्रस्त एवं मृतकों के आश्रितों को मुआवजा

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

राशि प्रदान की गई? यदि हां, तो कब-कब, किस-किसको एवं कितनी-कितनी? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं? क्या दुर्घटनाओं को रोकने एवं यात्रियों हेतु परिवहन की सुचारू व्यवस्था के लिए जालौर जिले में कोई कारगर कदम उठाये गये? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बढ रही सड़क दुर्घटनाओं व यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जालौर जिले में गत पांच वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु एवं घायलों का विवरण वर्षवार निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	वर्ष	कुल दर्ज अपराध	मरे व्यक्तियों की संख्या	घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	वृद्धि या कमी
1.	2000	237	70	291	वृद्धि
2.	2001	259	54	296	वृद्धि
3.	2002	325	76	339	वृद्धि
4.	2003	306	70	361	वृद्धि
5.	2004	306	71	423	वृद्धि
6.	2005	316	96	463	वृद्धि

(2) जी हां। इस जिले में गत पांच वर्षों में सड़क दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के परिजनों तथा घायलों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया गया। वर्षवार एवं व्यक्तिवार सूची (परिशिष्ट- "अ") है। इसके अलावा तोषण निधि योजना के तहत पिछले पांच वर्षों में जो आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है, सूची (परिशिष्ट-"ब") है।

(3) जिले में सड़क दुर्घटनाओं में वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने, वाहन चालकों द्वारा वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाने के कारण व वाहन को

(गृह मंत्री)

संचालित करने की अज्ञानता व यातायात नियमों का पालन नहीं करने के कारण बढ़ोत्तरी हुई है। दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यात्रियों के परिवहन की सुचारू व्यवस्था के लिये जिले के वृत्ताधिकारीगण व थानाधिकारीगणों एवं यातायात प्रभारी को निर्देशित किया गया है।

(4) समस्त राज्य में दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये पुलिस मुख्यालय द्वारा राजस्थान पुलिस प्राथमिकताऐं 2006 में यातायात नियमों की सख्त पालना एवं अन्य एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित कर मारक एवं गम्भीर दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर समितियां गठित है जो सड़क दुर्घटना के कारणों पर विचार करती है तथा दुर्घटना होने की दशाओं, कारणों, परिस्थितियों के सम्बन्ध में आवश्यक उपाय सुझाकर उनकी क्रियान्विति करवाती है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जैतारण पुलिस थाना में दर्ज बलात्कार प्रकरण की जांच

586. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना जैतारण, जिला पाली में राजकीय चिकित्सालय, सोजत सिटी के डा. अशोक सर्राफ तथा अन्य स्टाफ के विरुद्ध वर्ष 2001 में केस दर्ज हुआ था? यदि हां, तो प्रकरण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार की एम.एल.सी. रिपोर्ट में उक्त चिकित्सक की रिपोर्ट को बोर्ड द्वारा गलत पाया गया?

(3) क्या यह सही है कि डाक्टरों के दबाव में इस प्रकरण को बन्द कर दिया गया? यदि नहीं, तो उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तथ्य यह है कि अ.सं. 25/2001 दिनांक 17.2.2001 अन्तर्गत धारा 376, भा.द.सं. व 3 (1)(10)(12) एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त किशोर के विरूद्ध दर्ज हुआ था। इस अभियोग से सम्बन्धित पीड़िता की एम.एल.सी. रिपोर्ट जो इन डाक्टर्स ने तैयार की थी तथा दूसरे बोर्ड द्वारा एम.एल.सी. करने पर भिन्नता आने पर इसी अभियोग में इन डाक्टरों के विरुद्ध धारा 218 आई.पी.सी. व 4 एससी/एसटी एक्ट जोड़कर अनुसंधान किया गया था।

(गृह मंत्री)

(2) तथ्य यह है कि उक्त अभियोग में नाबालिग लड़की के साथ हुये बलात्कार में इन डाक्टरों द्वारा बनाई गई एम.एल.सी. रिपोर्ट में पुन: मेडीकल बोर्ड द्वारा दी गई एम.एल.सी. रिपोर्ट से भिन्नता पायी गई थी जिसके कारण उक्त अभियोग में इन डाक्टरों के विरुद्ध अनुसंधान किया गया था।

(3) यह सही नहीं है कि डाक्टरों के दबाव में इस प्रकरण को बन्द कर दिया गया हो। उक्त अभियोग में साक्ष्य के अभाव में डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तथा रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत कर दी गयी थी।

झुड़ा व खापा का बंगला (फलासिया) में पुलिस चौकी की स्थापना

587. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलासिया के कोटड़ा स्थित झुड़ा व खापा का बंगला क्षेत्र अति संवेदनशील है?

(2) क्या सरकार इन क्षेत्रों में पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलासिया के कोटड़ा स्थित ग्राम जुड़ा व खापा का बंगला क्षेत्र अतिसंवेदनशील है।

(2) जी हां। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर नयी चौकियां स्थापित की जा सकेंगी।

बाड़मेर जिले में पुलिस कर्मियों के बालक/बालिकाओं हेतु छात्रावास

588. **श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बाड़मेर जो पिछड़ा एवं सीमावर्ती जिला है, के मुख्यावास पर पुलिस कर्मियों के बालक/बालिकाओं के लिए किसी प्रकार का अलग से छात्रावास नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे बालक/बालिकाओं के लिए अलग से छात्रावास निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने पर निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

पर्यटन लपकों के विरुद्ध कार्यवाही

589. श्री अमराराम 'धोद' (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर जगह-जगह पर्यटकों की गाडियां रोकने की कार्यवाही होती रही है?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 6 जनवरी से 25 जनवरी, 2006 तक सरकार द्वारा जयपुर में दूसरे प्रान्त की गाडियों के नम्बर लगाकर खासी संख्या में पर्यटकों को परेशान करने वाले लपकों को पकड़ा गया था? यदि हां, तो उस कार्य को रोकने के क्या कारण है?

(3) क्या सरकार पर्यटकों को परेशान करने वाले लपकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों को परेशान करने वाले लपकों के विरुद्ध समय-समय पर शिकायत प्राप्त होने पर कानूनी कार्यवाही की जाती रही है। माह जनवरी में जयपुर शहर में ऐसे 37 लपकों को गिरफ्तार किया गया।

वर्ष 2006 में पुलिस प्राथमिकताओं में संगठित पर्यटन माफिया के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का लक्ष्य रखा गया है तथा समस्त वृत्ताधिकारी एवं थानाधिकारियों को विशेष निर्देश दिये गये हैं कि जिले के पर्यटन अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क रखा जावे। इसके अलावा सभी पर्यटक स्थलों पर पर्यटन विभाग द्वारा सहायता बल एवं पर्यटक सूचना केन्द्रों की स्थापना की गई है। पुलिस द्वारा पर्यटक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, टैक्सी स्टेण्ड एवं होटलों आदि में विशेष निगरानी रखी जाती है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-590

(स्थगित)

खानपुर में नवीन पुलिस थानों की स्थापना

591. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर के खानपुर थाने में हर साल कितने मुकदमे ओसतन दर्ज होते हैं?

(श्री नरेन्द्र नागर)

(2) क्या यह सही है कि उक्त थाने में दर्ज प्रकरण अत्यधिक हैं? यदि हां, तो क्या सरकार खानपुर क्षेत्र में नया थाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कहां पर व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर के खानपुर थाने में विगत पांच वर्षों में क्रमश: वर्ष 2001 में 475, वर्ष 2002 में 469, वर्ष 2003 में 512, वर्ष 2004 में 402, वर्ष 2005 में 343 प्रकरण दर्ज हुये हैं।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र खानपुर में नया थाना खोले जाने का कोई विचार नहीं है।

उदयपुर सम्भाग में नारकोटिक्स के दर्ज प्रकरण

592. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला डूंगरपुर में वर्ष 2003 से 2006 में नारकोटिक्स व स्मैक से सम्बन्धित कितने प्रकरण दर्ज किये गये? प्रत्येक थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उदयपुर सम्भाग में नारकोटिक्स एवं स्मैक से सम्बन्धित प्रकरणों में कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में वर्ष 2003 से 2006 में नारकोटिक्स से सम्बन्धित कुल 8 अभियोग दर्ज किये गये। दर्ज अभियोगों की थानेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त अवधि में स्मैक से सम्बन्धित कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

(2) पुलिस रेंज उदयपुर में नारकोटिक्स एवं स्मैक से सम्बन्धित प्रकरणों में कुल 820 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। नामजद सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुलिस थाना भादरा में कातिलाना हमले का दर्ज प्रकरण

593. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 को हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे में एक वकील पर आदतन अपराधियों ने कातिलाना हमला किया था?

(डा. सुरेश चौधरी)

यदि हां, तो उक्त वकील की तरफ से भादरा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी किन-किन धाराओं में दर्ज की गई? एफ.आई.आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस प्रकरण में किस-किस अधिकारी ने अनुसंधान किया ओर अनुसंधान करने के बाद नामजद अपराधियों में से कितनों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया? चालान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वारदात से पहले और वारदात के बाद अभियुक्तों द्वारा उपयोग में लाये गये वाहन पुलिस द्वारा बरामद किये गये? क्या हमले के समय काम में लिये गये और प्राथमिकी में दर्ज हथियारों की बरामदगी की गई? यदि हां, तो कौन-कौन से वाहन व हथियार व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पीडित वकील ने प्राथमिकी में हमलावर आदतन अपराधियों व असामाजिक तत्वों की तरफ से स्थानीय विधायक व कस्बे में कार्यरत सरकारी विभाग के एक राजपत्रित अधिकारी को भी जान से मारने की धमकी देने का उल्लेख किया था?

(5) प्राथमिकी में दर्ज अभियुक्तों के विरुद्ध भादरा, भिरानी, नोहर सहित विभिन्न थानों में कितने मुकदमे कौन-कौन सी धाराओं में दर्ज हैं? वर्ष व तारीखवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि इस प्रकरण में किसी भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्राथमिकी में दर्ज स्थानीय विधायक व राजपत्रित अधिकारी से किसी तरह की कोई पूछताछ की गई? यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वकील श्री त्रिलोक चन्द द्वारा मु.नं. 334/05 दिनांक 1.10.2005 धारा 307, 341, 323, 325, 34 भा.द.सं. थाना भादरा में दर्ज कराया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरण का अनुंसधान श्री रणवीर सिंह उप निरीक्षक थाना भादरा, श्री ताराचन्द निरीक्षक थानाधिकारी भादरा, श्री हरिशचन्द्र सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़, श्री देवेन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक सूरतगढ़ द्वारा किया गया। एफ.आई.आर. में नामजद आरोपियों में से 3 के विरूद्ध अदालत में चालान पेश किया गया। आरोप पत्र की प्रति परिशिष्ट- "ब" पर संलग्न है।

(3) वारदात से पहले और वारदात के बाद अभियुक्तों द्वारा किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी वाहन के बारे में

(गृह मंत्री)

उल्लेख है एवं ना ही पुलिस द्वारा कोई वाहन बरामद किया गया है। अभियोग में मुस्तगीस ने बलवन्त पुत्र बद्री माली के पास पिस्तोल होना बताया है। अनुसंधान से बलवन्त मुल्जिम नहीं पाया गया है, जिस कारण से कोई हथियार भी बरामद नहीं किया गया है एवं ना ही मुस्तगीस के पिस्तोल फायर से कोई चोट आना पाया गया है।

(4) जी हां। यह सही है कि पीड़ित वकील श्री त्रिलोक चन्द द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्थानीय विधायक एवं श्री राजेन्द्र कुलडिया ए.ई.एन. पी.डब्ल्यू.डी. विभाग भादरा को श्री बद्रीमाली जो एफआईआर में नामजद है, द्वारा जान से मारने की धमकी का उल्लेख किया है। परन्तु अनुसंधान से बद्री माली का अभियोग में अभियुक्त होना नहीं पाया गया है।

(5) प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज अभियुक्त विनोद कुमार माली के विरुद्ध 17 मुकदमे, अभियुक्त सुरेश उर्फ डैनी के विरुद्ध 10 मुकदमे तथा अभियुक्त विनोद कुमार जाट के विरुद्ध 5 मुकदमे पुलिस थाना भादरा, भिरानी, नोहर आदि विभिन्न थानों में विभिन्न धाराओं में दर्ज हुये हैं, जिनकी वर्ष व तारीखवार सूची परिशिष्ट- "स" पर संलग्न है।

(6) किसी भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज स्थानीय विधायक व राजपत्रित अधिकारी से किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं की गई, क्योंकि अनुसंधान से इस प्रकरण में बद्रीमाली का अभियुक्त होना नहीं पाया गया है। घटना के समय भी उसकी उपस्थिति घटना स्थल पर नहीं पाई गई। अतः बद्री माली के द्वारा घटना के समय धमकी दिये जाने का आरोप भी सही नहीं पाया गया है। इस कारण किसी भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा स्थानीय विधायक व राजपत्रित अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

देवगढ़ पुलिस थाने पर कार्यरत पुलिस बल

594. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) देवगढ़ पुलिस स्टेशन में कितनी नफरी का स्टाफ है एवं इनका क्या मानदण्ड है?

(2) क्या सरकार देवगढ़ पुलिस स्टेशन पर एस.एच.ओ. पद पर सी.आई. का पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवगढ़ पुलिस स्टेशन की नफरी निम्नानुसार है :-

1. उपनिरीक्षक-1

2. सहायक उपनिरीक्षक-5

3. हैड कानि.-4

4. कानि.-419

राज्य सरकार द्वारा थानों की नफरी स्वीकृत करने के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(2) बजट की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार किया जायेगा।

राज्य की जेलों में बन्द विदेशी नागरिक

595. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य की जेलों में दिनांक 31 जनवरी, 2006 को कितने सजायाफ्ता कैदी बन्द हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जेलों में बन्द सजायाफ्ता कैदियों/बंदियों में से कितने कैदी/बंदी विदेशी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जेलों में बन्द अन्य देशों के कौन-कौन सजायाफ्ता कैदी को कितने-कितने वर्ष की सजा किन-किन अपराधों में प्राप्त है? कैदीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य की कारागृहों में दिनांक 31.1.2006 को 5616 दण्डित बंदी निरूद्ध थे, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) दिनांक 31.1.2006 को कारागृहों में बन्द सजायाफ्ता बंदियों में से 13 बंदी विदेशी हैं। विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जेलों में बन्द विदेशी सजायाफ्ता बंदियों का अपराध व सजावार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मोईखुर्द ग्राम (कोटा) की वन भूमि पर अतिक्रमण

596. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की सांगोद तहसील के मोईखुर्द गांव की 1000 बीघा वन भूमि पर अवैध रूप से काश्त की जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि अतिक्रमियों में वन विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त भूमि से अतिक्रमियों की बेदखली के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले के सांगोद तहसील के मोईखुई गांव की कुल 194.5 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया।

(2) अतिकर्मियों में वन विभाग के कर्मचारी शामिल नहीं है। मोईखुर्द गांव की वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत 29 मुकदमें न्यायालय सहायक वन संरक्षक में दर्ज किए गये जिनमें उक्त 194.5 बीघा से बेदखली के आदेश किये जाकर 27,727/- रुपये की शास्ती आरोपित की गई हैं तथा 9 व्यक्तियों को दो-दो माह तथा 1 प्रकरण में तीन माह का सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है। निर्णित 26 प्रकरणों में 140 बीघा 15 बिस्बा से अतिकर्मियों को बेदखल किया जा चुका है। शेष 3 प्रकरणों में बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

मृत राज्य कर्मी आश्रित को नियुक्ति के लम्बित प्रकरण

597. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का सेवाकाल, के दौरान देहान्त होने पर मृतक के आश्रित को राज्य सेवा में लेने का प्रावधान है? यदि हां, तो कितने आश्रितों को वर्ष 1980 से अब तक नियुक्ति दी गई? नियुक्ति के नियमों की प्रति सहित नियुक्त व्यक्तियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा कुछ प्रकरणों में मृतक के आश्रितों को नियुक्ति नहीं दी गई है? यदि हां, तो किन-किन को व क्यों? क्या अब सरकार शेष रहे आवेदकों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1990 से अब तक 475 मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों

(वन मंत्री)

को वन विभाग में अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी गई है। विभाग में कनिष्ठ लिपिक, अध्यापक एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के आवेदित पद रिक्त नहीं होने से 489 प्रकरणों को अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु कार्मिक विभाग को भेजा गया है। मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 की प्रति संलग्न 'क' तथा वन विभाग द्वारा नियुक्ति किये गये आश्रितों का श्रेणीवार विवरण संलग्नक 'ख' के अनुसार विधान सभा की मेज पर रख दिया गया है। वर्ष 1980 से वर्ष 1989 तक की अवधि की सूचना संकलित कराई जा रही है।

(2) जी हां। 68 प्रकरण नियमान्तर्गत नहीं होने से मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति नहीं दी गई है। प्रकरणवार विवरण परिशिष्ट 'ग' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

फुलेरा में स्वीकृत कार्य

598. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत तीन वर्षों में कृषि विभाग द्वारा किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत राशि से क्या-क्या कार्य कहां-कहां व कितनी-कितनी राशि के कराये गये? उक्त कार्यों में कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुए और कौन-कौनसे कार्य अपूर्ण है? इन कार्यों के अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं और इन्हें अब कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत तीन वर्षों में कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में कृषकों को स्वीकृत अनुदान राशि का योजनावार वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) स्वीकृत राशि कृषकों को कृषि सम्बन्धित यंत्र/उपकरण क्रय करने तथा फव्वारा संयंत्र स्थापित करने पर सम्बन्धित को अनुदान राशि के रूप में दी गई थी। विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

स्वीकृत अनुदान राशि कृषकों को दी जा चुकी है, अत: कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

परिशिष्ट-''अ''

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में कृषि विभाग की योजनाओं से लाभान्वित कृषक एवं वर्षवार स्वीकृत राशि का विवरण

कृषि विभाग **(लाभान्वित कृषक संख्या में एवं राशि रुपये में)**

क्र. सं.	मद का नाम	वर्ष वार भौतिक एवं वित्तीय विवरण					
		2002-03		2003-04		2004-05	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फव्वारा संयंत्र अनुदान	26	178902	44	240000	60	274244
2.	पाइप लाइन अनुदान	30	65530	07	27355	08	38260
3.	पानी का हौज-अनुदान	—	—	—	—	01	5000
4.	पौध संरक्षण यंत्र अनुदान	17	14816	93	90350	37	20900
5.	टेक्टर अनुदान	02	60000	07	210000	01	30000
6.	कृषि यंत्र अनुदान	13	4000	08	2200	05	9000
7.	जिप्सम वितरण	171	—	118	—	78	—
8.	बायो फर्टिलाइजर	2950	10325	5150	18025	3625	12600
9.	पौध संरक्षण रसायन	119	11900	39	3900	—	—
10.	फसल प्रदर्शन	94	141000	89	13350	81	121500

परिशिष्ट-''अ''

उद्यान विभाग

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत तीन वर्षों में उद्यान विभाग द्वारा मदवार राशि निम्नांकित अनुदान राशि स्वीकृत की है

मद का विवरण/मदवार स्वीकृति राशि (लाख रुपये)

वर्ष	फल क्षे.वि.	ड्रिप सिंचाई	मसाला मिनि./ प्रर्द.	फूल विकास	सब्जी विकास
2002-03	0.50	1.00	1.85	0.04	0.17
2003-04	0.56	0.18	0.75	0.16	0.02
2004-05	1.30	0.99	1.00	0.15	0.09
योग	**2.36**	**2.17**	**3.60**	**0.35**	**0.28**

स्वीकृत राशि से सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र में निम्नानुसार कृषि पर्यवेक्षकवार कार्य करवाये गये हैं जिनमें निम्नानुसार स्वीकृत अनुदान राशि कृषकों को दी गई है। सभी कार्य पूर्ण करवा लिये गये हैं।

(A) फल क्षेत्र विस्तार

	(i) कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र-जोबनेर (खेजडावास, भोजपुरा, कालख, प्रतापुरा, पचकोडिया, मुरलीपुरा आदि)			(ii) कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र-करणसर (हिंगोनिया, खेडी, जोरपुरा, कुडियों का बास, भैंसावा, आदि)			(iii) कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र-फुलेरा (त्योद, सांभर, माल्यावास, काचरोदा, काजीपुरा, आदि)			योग		
वर्ष	पौधों का वितरण	क्षेत्रफल	अनुदान राशि	पौधों का वितरण	क्षेत्रफल	अनुदान राशि	पौधों का वितरण	क्षेत्रफल	अनुदान राशि	पौधों का वितरण	क्षेत्रफल	अनुदान राशि
2002-03	3139	15.89	0.26	1814	9.70	0.170	624	4.0	0.070	5577	29.59	0.50
2003-04	2250	13.20	0.23	2394	13.80	0.240	1022	5.0	0.085	5666	32.00	0.56
2004-05	9031	53.10	0.77	3780	20.0	0.335	1992	11.8	0.200	14803	84.80	1.30
	14420	**82.19**	**1.26**	**7988**	**43.50**	**0.74**	**3638**	**20.80**	**0.36**	**26046**	**146.49**	**2.36**

(B) ड्रिप/फव्वारा सिंचाई अनुदान

	(i) कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र-जोबनेर		(ii) कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र-करणसर		(iii) कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र-फुलेरा		योग		कार्य पूर्ण/अपूर्ण
वर्ष	क्षेत्रफल	अनुदान राशि	क्षेत्रफल	अनुदान राशि	क्षेत्रफल	अनुदान राशि	क्षेत्रफल	अनुदान राशि	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2002-03	5.30	0.27	3.00	0.16	—	—	8.30	0.43	अपूर्ण25% अनुदान के कारण
2003-04	—	—	—	—	1.60	0.18	1.60	0.18	पूर्ण
2004-05	—	—	—	—	8.00	0.95	8.00	0.95	पूर्ण
योग	**5.30**	**0.27**	**3.00**	**0.16**	**9.60**	**1.13**	**17.90**	**1.56**	
(C) मसाला मिनिकट प्रदर्शन									
2002-03	271	0.76	75	0.21	308	0.87	654	1.84	पूर्ण
2003-04	119	0.36	66	0.20	64	0.19	249	0.75	पूर्ण
2004-05	157	0.43	80	0.22	128	0.35	365	1.00	पूर्ण
योग	**547**	**1.55**	**221**	**0.63**	**500**	**1.41**	**1268**	**3.59**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(D) फूल विकास (गैंदा प्रदर्शन)									
2002-03	3	0.037	—	—	—	—	3	0.04	पूर्ण
2003-04	6	0.075	5	0.06	2	0.02	13	0.16	पूर्ण
2004-05	4	0.05	4	0.05	4	0.05	12	0.15	पूर्ण
योग	**13**	**0.17**	**9**	**0.11**	**6**	**0.07**	**28**	**0.35**	
(E) सब्जी विकास									
2002-03	13	0.07	2	0.01	19	0.09	34	0.17	पूर्ण
2003-04	6	0.02	—	—	—	—	6	0.02	पूर्ण
2004-05	4	0.04	3	0.03	2	0.02	9	0.09	पूर्ण
योग	**23**	**0.13**	**5**	**0.04**	**21**	**0.11**	**49**	**0.28**	

खैरवाड़ा के कृषि सेवा केन्द्रों द्वारा खाद बीज का वितरण

599. श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में कितने कृषि सेवा केन्द्र संचालित हैं?

(2) क्या इन कृषि सेवा केन्द्रों द्वारा किसानों को खाद, बीज का वितरण किया गया है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में किन-किन गांवों में कितने किसानों को? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के अन्तर्गत 38 किसान सेवा केन्द्र स्वीकृत है। इनमें से वर्तमान में 18 कृषि सेवा केन्द्र संचालित हैं।

(2) जी नहीं। कृषि-सेवा केन्द्र किसानों को कृषि से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान एवं सलाह देते हैं।

चौमूं (जयपुर) में टमाटर/आंवला की विशेष मण्डी निर्माण

600. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चौमूं को टमाटर व आंवले हेतु विशेष मण्डी का दर्जा दिया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि विशेष मण्डी बनाने के लिए बजट की स्वीकृति भी जारी हो चुकी है? यदि हां, तो कितनी? अब विशेष मण्डी का कार्य कब तक प्रारम्भ कर पूर्ण कर दिया जावेगा।

उत्तर

(1) चौमूं मण्डी को केवल 'आंवला' मण्डी हेतु विशिष्ट मण्डी का दर्जा दिया गया है। टमाटर मण्डी हेतु विशिष्ट मण्डी का दर्जा नहीं दिया गया है।

(2) जी हां। आंवला मण्डी प्रांगण हेतु कृषि विपणन विभाग द्वारा 216.10 लाख की प्रशासनिक एवं 129.66 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2005-06 हेतु जारी की जा चुकी है, मण्डी विकास हेतु कार्यों की निविदाएं प्रक्रियाधीन है। मण्डी विकास का कार्य वर्ष 2006-07 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

सहाड़ा में उचित मूल्य की दुकानें

601. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कितनी-कितनी सहकारी समितियां/उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं?

(2) इनमें से कितने सेन्टर चालू हैं, व कितने बन्द हैं? बन्द सेन्टरों के स्थान पर वितरण व्यवस्था क्या है?

(3) उक्त क्षेत्र में नियंत्रित वस्तुएं वितरण हेतु वर्ष 2002 से कितने नये प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त हुए हैं? उनमें से कितने आवेदनों का निस्तारण किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार नई दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील सहाड़ा में 52 उचित मूल्य दुकानें स्वीकृत है इनमें से 21 सहकारी समितियां व 28 निजी क्षेत्र की दुकानें कार्यरत हैं। इसी प्रकार सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील रायपुर में 49 उचित मूल्य दुकानें स्वीकृत हैं जिनमें से 10 दुकानें सहकारी समितियां एवं 37 दुकानें निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं।

(2) तहसील सहाड़ा में 49 उचित मूल्य दुकानें चालू है। 3 दुकानें रिक्त है। तहसील रायपुर क्षेत्र में 47 उचित मूल्य दुकानें चालू है 2 दुकानें रिक्त है।

इन सभी रिक्त दुकानों पर पास के उचित मूल्य दुकानदारों के जरिये वितरण की अस्थाई व्यवस्था है।

(3) वर्ष 2002-03 से वर्ष 2004-05 के मध्य उचित मूल्य दुकान खोलने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए है। वर्ष 2005-06 के दौरान सहाडा तहसील क्षेत्र की 6 दुकानों के लिए 22 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, इनमें से 3 दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी कर 11 आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है।

रायपुर तहसील क्षेत्र की 3 दुकानों के लिये कुल 10 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, इनमें से एक दुकान का प्राधिकार पत्र जारी कर 4 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है।

तहसील क्षेत्र सहाड़ा की 3 दुकानों के लिए 11 आवेदन पत्र और तहसील क्षेत्र रायपुर की 2 दुकानों के लिये 6 आवेदन पत्र निस्तारण हेतु विचाराधीन है। इन प्रार्थना पत्रों की जांच माह मार्च, 2006 में ही सम्पन्न हुई है। आवेदकों के साक्षात्कार हेतु आबंटन सलाहकार समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कर निस्तारण कराया जा रहा है।

(4) जी नहीं। नई अथवा। अतिरिक्त उचित मूल्य दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं है।

कोलाहेड़ा ग्राम पंचायत (नैनवां) में राशन डीलर की नियुक्ति

602. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्रवार तथा नगरपालिका क्षेत्रों में वार्डवार उचित मूल्य की दुकानें निर्धारित है? यदि हां, तो किस आदेश के अन्तर्गत? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या नियम बनाए हुए हैं?

(2) क्या तहसील क्षेत्र नैनवां में ग्राम पंचायत वार तथा नगरपालिका क्षेत्र में वार्डवार उचित मूल्य की दुकानें संचालन के लिए पृथक-पृथक व्यक्ति अधिकृत किये हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ग्राम पंचायत क्षेत्र कोलाहेडा (नैनवां) में राशन की दुकान के संचालन के लिए डीलर की नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये गये थे? यदि हां, तो इस हेतु जारी की गई विज्ञप्ति की प्रति सहित आवेदन कर्ताओं की नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत के लिए राशन सामग्री विक्रय हेतु डीलर की नियुक्ति के आदेश जारी किये जा चुके हैं? यदि हां, तो किसे नियुक्त किया गया व नहीं, तो क्यों?

(5) सरकार द्वारा उक्त ग्राम पंचायत कोलाहेडा के लिए पृथक से डीलर की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा प्रति 2000 उपभोक्ताओं पर (भोगोलिक स्थिति के आधार पर इसमें शिथिलता दी जा सकती है) एक उचित मूल्य दुकान खोले जाने का सुझाव दिया गया है। इस आधार पर विभागीय परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर, 2002 सपठित संशोधन परिपत्र दिनांक 27.9.2003 के द्वारा जिला कलक्टर को राशन की दुकानों की संख्या के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रचलित निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) तहसील क्षेत्र नैनवां में आबंटित उचित मूल्य दुकानों के अधिकृत डीलरों की ग्राम पंचायतवार एवं नगरपालिका क्षेत्र की सूची परिशिष्ट “2” और “3” पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिला कलक्टर, (रसद) बूंदी की विज्ञप्ति क्रमांक-रसद/

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

उमूदु/2004/650-700 दिनांक 4.6.2005 से ग्राम पंचायत कोलाहेडा (नैनवा) के उचित मूल्य दुकान के डीलर नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे। विज्ञप्ति की प्रति एवं ग्राम पंचायत कोलाहेडा (नैनवा) के उचित मूल्य दुकान के डीलर की नियुक्ति के लिए आवेदन कर्ताओं की नामजद सूची क्रमश: परिशिष्ट "4" और "5" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। ग्राम पंचायत कोलाहेडा के उचित मूल्य दुकान के डीलर की नियुक्ति का प्रकरण उचित मूल्य दुकान आबंटन सलाहकार समिति के समक्ष विचाराधीन है।

(5) ग्राम पंचायत कोलाहेडा के डीलर की नियुक्ति शीघ्र कर दी जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जसरासर ग्राम (नोखा) का भवन विहीन कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय

603. श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जसरासर गांव तहसील नोखा में रा.उ.प्रा. विद्यालय (कन्या) में भवन नहीं होने से छात्राओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। रा.उ.प्रा. विद्यालय (कन्या) जसरासर में भवन निर्मित है। 2 कमरे 10x15 साइज के व 3 कमरे (गैराज टाइप) 10x15 साइज के निर्मित है। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि उपलब्ध कराने पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण करवाया जा सकेगा।

सलूम्बर के विद्यालयों में रिक्त पद

604. श्री अर्जुनलाल मीणा (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं इनमें से कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उदयपुर जिले के आर.पी.एस.सी. चयनित

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

अभ्यर्थियों को उदयपुर सम्भाग में रिक्त पद होते हुए भी अन्य संभाग में पदस्थापित किया गया है? यदि हां, तो क्यों व क्या सरकार संभाग में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

स्वीकृत पद		रिक्त पद	
II ग्रेड	**III ग्रेड**	**II ग्रेड**	**III ग्रेड**
87	934	18	134

विद्यालयवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण (परिशिष्ट "क") संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थियों का पदस्थापन विभाग में रिक्त सर्व शिक्षा एवं योजना मदों के पदों पर नियुक्ति किये जाने के कारण उदयपुर संभाग में रिक्त उक्त मदों के पदों पर आशार्थियों के वरीयता क्रमानुसार नियुक्तियां की गई हैं। उदयपुर संभाग में शेष रिक्त पद उक्त मदों के नहीं होने के कारण संभाग के अभ्यार्थियों को उनके द्वारा वांछित वरीयता क्रमानुसार अन्य जिलों में पदस्थापन किया गया। संभाग के रिक्त पद आगे होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में भरे जा सकेंगे।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर, अजमेर में विज्ञान संकाय

605. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श नगर में कौन-कौन से विषय पढ़ाये जाते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालय में विज्ञान विषय प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श नगर, अजमेर में अनिवार्य विषयों के साथ-साथ कला वर्ग में ऐच्छिक हिन्दी, भूगोल, गृह विज्ञान विषय पढ़ाये जाते हैं।

(2) वित्तीय प्रावधानों के उपलब्ध होने, निर्धारित संख्या में विषय पढ़ने वाले छात्र उपलब्ध होने तथा उक्त विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति

606. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 20 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आयोग विज्ञापित रिक्त पदों के 50 प्रतिशत तक उपयुक्त व्यक्तियों के नाम आरक्षित सूची में रखेगा तथा नियुक्त अधिकारी को मूल सूची भेजी जाने की तारीख से छह माह या वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक रिक्तियां सूचित करने पर उसे योग्यताक्रम में ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने पन्द्रह सत्रह हजार नियुक्तियां सीधी भर्ती से भरी जाने हेतु पुन: राजस्थान लोक सेवा आयोग को नये सिरे से परीक्षा लिये जाने हेतु वेकेंसीज भेजने की घोषणा की है जबकि पहले से 35 हजार पदों के लिए ली गई परीक्षा में से 50 प्रतिशत की आरक्षित सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग के पास पूर्व से ही उपलब्ध है?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इसी शिक्षा सत्र में सभी विद्यालयों में तृतीय वेतन श्रृंखला के समस्त खाली पदों को भरने की घोषणा की है?

(4) क्या यह नियमान्तर्गत है कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियमों में कुल रिक्तियों से डेढ़ गुणा तक आरक्षित सूची सहित अभ्यार्थियों की सूची नियुक्ति हेतु भेजी जाने के नियमान्तर्गत प्रावधान के बावजूद 15-17 हजार पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को वेकेंसीज भेजी जावे?

(5) क्या सरकार इन पन्द्रह सत्रह हजार पदों को पैंतीस हजार रिक्तियों की घोषणा में डेढ़ गुणा तक की आरक्षित सूची में से इन अभ्यार्थियों को इसी सत्र में समस्त खाली पदों को भरने की घोषणा के क्रम में नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) तृतीय श्रेणी अध्यापकों की 26 हजार रिक्त पदों पर नियुक्तियां सीधी भर्ती से किये जाने की सदन में घोषणा की गई है।

वर्ष 2002-03 से वर्ष 2004-05 तक की रिक्तियों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रथम सूची विभाग को दिनांक 1.3.2005 को प्राप्त हुई थी। पंचायतीराज अधिनियम, 1994 एवं नियम, 1996 के संशोधित प्रावधानानुसार आरक्षित सूची विभाग को प्रथम सूची प्राप्त होने की दिनांक से 6 माह तक ही रखने का प्रावधान है।

(3) जी नहीं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सृजित पदों पर 26 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया है।

(4) विभाग द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों की समस्त नियुक्तियां पंचायतीराज अधिनियम, 1994 एवं नियम, 1996 के संशोधन में प्रावधानानुसार की जाती है। उक्त नियम में आरक्षित सूची प्रथम सूची प्राप्त होने की दिनांक से 6 माह तक ही रखी जाती है। चूंकि प्रथम सूची विभाग को दिनांक 1.3.2005 को प्राप्त हुई है व 6 माह से समय अधिक हो गया है। अत: वर्तमान में पुन: रिक्तियां विज्ञापित कर पद भरे जायेंगे।

(5) प्रश्न के भाग-4 के अनुसार।

किशनपोल के विद्यालयों में विज्ञान संकाय

607. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर नगर निगम क्षेत्र में विधान सभा, क्षेत्रवार किस-किस श्रेणी के कितने सरकारी विद्यालय कहां-कहां हैं? इन विद्यालयों में कितने-कितने छात्र/छात्रायें वर्ष 2003 से आज तक अध्ययनरत हैं? विवरण मय विद्यालयों की सूची व विद्यार्थियों की संख्या के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में से कितनों में विज्ञान संकाय की व्यवस्था है? क्या सरकार भविष्य में विज्ञान विषय के अध्ययन की शिक्षा और उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के कितने सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय के अध्ययन की व्यवस्था है? क्या सरकार शेष विद्यालयों में विज्ञान विषय के अध्ययन हेतु समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जयपुर नगर निगम क्षेत्र के विधान सभा में क्षेत्रवार संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं राजीव गांधी पाठशालाओं में वर्ष 2003 से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का विद्यालयवार विवरण (परिशिष्ट "क") पर सदन की पटल पर रख दी गयी है एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जयपुर नगर निगम क्षेत्र के विधान सभा में क्षेत्रवार संचालित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विवरण इस प्रकार से है :-

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	राउमावि	बाउमावि	योग	मावि	बामावि	योग
1.	बनीपार्क	12	02	14	8	03	11
2.	किशनपोल	04	02	06	03	04	07
3.	हवामहल	01	01	02	03	03	06
4.	सांगानेर	04	02	06	04	00	04
5.	जयपुर ग्रामीण	02	02	04	05	00	05
6.	जौहरी बाजार	05	03	08	08	02	10
7.	आमेर	03	01	04	01	00	01
	योग	**31**	**13**	**44**	**32**	**12**	**44**

विद्यालय छात्र संख्या के विवरण का परिशिष्ट "ख" पर सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) उक्त 44 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 17 विद्यालयों में विज्ञान संकाय के अध्ययन की व्यवस्था है, शेष विद्यालयों में आगामी वर्षों में विज्ञान संकाय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ निर्धारित मानदण्ड एवं वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता के आधार पर समग्र विचार किया जाकर निर्णय लिया जा सकेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के 02 राउमावि में विज्ञान संकाय के अध्ययन की व्यवस्था है। जिनका विवरण इस प्रकार से है :-

1. रा. महारानी बाउमावि. बनीपार्क, जयपुर

(शिक्षा मंत्री)

2. रा. महाराजा बाउमावि. छोटी चौपड़, जयपुर

शेष विद्यालयों में आगामी वर्षों में विज्ञान संकाय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ निर्धारित मानदण्ड एवं वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता के आधार पर समग्र विचार किया जाकर निर्णय लिया जा सकेगा।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला न्यायालयों में शीघ्रलिपिक/मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का सृजन

608. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के विभिन्न जिला अधीनस्थ न्यायालयों में शीघ्रलिपिक व कनिष्ठ लिपिकों के कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? अब कब तक रिक्त पदों को भर दिया जाएगा?

(3) क्या यह सही है कि जिला न्यायालयों में रिक्त मंत्रालयिक पदों को भरने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया गया था? यदि हां, तो कब? क्या इस कार्यक्रम की पालना जिला न्यायालय द्वारा अनवरत रूप से हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या जिला न्यायालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के अतिरिक्त पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कितने पद? क्या सरकार नये पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न जिला अधीनस्थ न्यायालयों में शीघ्रलिपिक के 18 पद एवं कनिष्ठ लिपिक के 83 पद रिक्त हैं। जिलेवार रिक्त पदों का विवरण हेतु परिशिष्ट “क” संलग्न है।

(2) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। जिला न्यायालयों में रिक्त मंत्रालयिक पदों को भरने के लिए मा. उच्च न्यायालय द्वारा परिपत्र दिनांक 6.12.2004 एवं दिनांक 11.12.2004 द्वारा जिला एवं सैशन न्यायाधीश को दिशा निर्देश जारी किये गये।

जिला न्यायालयों द्वारा उक्त परिपत्र के अनुसार पालना की जा रही है।

(4) जिला न्यायालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के अतिरिक्त पद सृजित किये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

परिशिष्ट-क

जिलेवार रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	न्यायिक क्षेत्र	कनिष्ठ लिपिक	शीघ्रलिपिक
1	2	3	4
1.	अजमेर	8	1
2.	अलवर	2	—
3.	बालोतरा	1	1
4.	भरतपुर	1	—
5.	बांसवाड़ा	—	—
6.	बारां	9	2
7.	भीलवाड़ा	2	—
8.	बीकानेर	—	—
9.	बूंदी	3	2
10.	चूरू	6	—
11.	दौसा	—	—
12.	धौलपुर	3	2
13.	डूंगरपुर	—	—
14.	श्रीगंगानगर	—	—
15.	हनुमानगढ़	2	1
16.	जयपुर नगर	—	—
17.	जयपुर जिला	7	—
18.	जैसलमेर	1	1
19.	जालौर	1	—
20.	झालावाड़	—	—

1	2	3	4
21.	झुन्झुनूं	—	—
22.	जोधपुर	—	—
23.	कोटा	—	—
24.	मेड़ता	3	—
25.	पाली	1	—
26.	प्रतापगढ़	4	2
27.	राजसमन्द	3	—
28.	सवाईमाधोपुर	—	1
29.	सीकर	—	—
30.	सिरोही	3	—
31.	टौंक	1	3
32.	उदयपुर	21	2
33.	करौली	1	—
योग		**83**	**18**

बाली के मरम्मत योग्य जल संसाधन

609. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के कौन-कौन से बांध, बांधों की मोरी, एनीकट, नहर, तालाब, बेसफ्लो, सरफेसफ्लों रपट, पुलिया नाला कब-कब से क्षतिग्रस्त टूटा फूटा या मरम्मत योग्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों की मरम्मत पुन: निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में इस विभाग के अधीन कार्यों में से कोट बांध व इसकी नहर तथा लाटाड़ा बांध वर्ष 2001 से क्षतिग्रस्त है।

(2) जी हां। कोट बांध के मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। क्षतिग्रस्त लाटाड़ा

(सिंचाई मंत्री)

बांध एवं कोट बांध की नहर मरम्मत कार्य लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। मरम्मत कार्य सक्षम स्वीकृति एवं आवश्यक वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पश्चात किया जाना प्रस्तावित है।

विश्व बैंक की सहायता से संचालित सिंचाई योजनाएं

610. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विश्व बैंक की सहायता से सिंचाई योजनाएं संचालित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी? प्रोजेक्ट वाइज विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन स्कीमों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो इन स्कीमों को कब से प्रारम्भ किया गया तथा इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

(3) इन स्कीमों पर कितना बजट खर्च करना तय किया गया है व अब तक कितना खर्च किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विश्व बैंक वित्तीय सहयोग से राजस्थान जल क्षेत्र पुन: संरचना परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी.) के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा बांधों का सुदृढ़ीकरण एवं नहरों को पुररूद्धार का कार्य करवाया जा रहा है विवरण क्रमश: परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त परियोजना मार्च, 2002 में प्रारम्भ की गई थी तथा इसको मार्च, 2008 तक पूर्ण किया जाना है।

(3) राज्य सरकार द्वारा उक्त परियोजना के लिए रुपये 733.58 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। अब तक इस परियोजना पर फरवरी, 2006 तक रुपये 307.43 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं विवरण परिशिष्ट- "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पांचना बांध (करौली) से आगेरी बांध हेतु जलापूर्ति

611. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला करौली में सिंचाई की कौन-कौनसी योजनाएं प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पांचना बांध से लिफ्ट द्वारा आगेरी के बांध के लिए पानी दिया जा सकता है?

उत्तर

(1) जिला करौली में एक लघु सिंचाई परियोजना तहसील सपोटरा में खोह लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है जिसकी परियोजना रिपोर्ट बनायी जा चुकी है। अनुमानित लागत 800 लाख रुपये है। वन विभाग की भूमि प्रभावित होती है। सहमति के लिए प्रकरण राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है। सहमति अपेक्षित है।

(2) जी नहीं।

घाटोल में नवीन पशु चिकित्सालय

612. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा व जिला डूंगरपुर में कहां-कहां पर कितने पशु चिकित्सालय व बहुउद्देशीय पशु औषधालय खोले गये हैं? तहसील ग्राम पंचायत व गांव के नाम सहित पशु चिकित्सालय व पशु औषधालय की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में गांव बामण पाडला व गांव केला मेला, गांव केसरपुरा, गांव वाडगून, गांव गोलीयावाडा व गांव डागल में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा व डूंगरपुर में खोले गये बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयो एवं पशु औषधालय की तहसीलवार, पंचायत समितिवार व गांववार सूची अनुसंलग्नक-क एवं ख सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आगामी वित्तीय वर्ष 2006-07 में पूरे प्रदेश में निजी सहभागिता के आधार पर 50 नये पशु चिकित्सालय खोले जाने प्रस्तावित हैं। तहसील घाटोल में नये चिकित्सालय के प्रस्ताव निजी सहभागिता के आधार पर प्राप्त होने पर गुणावगुण पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा।

अनुसंलग्नक-क

बांसवाड़ा जिले में कार्यरत पशु चिकित्सालयों/औषधालयों की सूचना

क्र. सं.	तहसील	पंचायत समिति	पशु चिकित्सालय	औषधालय
1	2	3	4	5
1.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	तलवाडा	सालिया
2.	”	”	कुण्डला	सुरवानिया
3.	”	”		छोटी बदरेल
4.	”	”		तेजपुर
5.	”	पीपलखुंट	दानपुर	
6.	”	”	कटुम्बी	
7.	बागीदौरा	बागीदौरा	छोच	बुडवा
8.	”	”	बडोदिया	
9.	”	”	बागीदौरा	
10.	”	”	कलिन्जरा	
11.	”	”	शेरगढ़	
12.	”	”	गांगड तलाई	
13.	घाटोल	घाटोल	घाटोल	खमरा
14.	”	”	सेनावासा	डूंगरिया
15.	”	”	जगपुरा	नरवाली
16.	”	”	भुगडा	मुडासेल
17.	”	”	मोटा गांव	
18.	”	पीपलखुंट	पीपलखुंट	
19.	”	”	डूंगलावानी	
20.	गढ़ी	गढ़ी	अरथुना	गोपीनाथ का गढा

1	2	3	4	5
21.	”	”	जैलाना	रैयाना
22.	”	”	पादेडी	बीलोदा
23.	”	”	गढ़ी	बस्सी
24.	”	”	डडूका	बजवाना
25.	”	”	खोडन	सरेडी बडी
26.	”	”	लोहारिया	आसोडा
27.	”	”	भीमपुर	मोर
28.	”	”	खेड़ा	पालोदा
29.	”	”		रोहिड़ा
30.	”	”		परतापुर
31.	”	”		बोरी
32.	बागीदौरा	बागीदौरा	आनन्दपुरी	
33.	”	”	नाहरपुरा	
34.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	बहु.प.चि. बांसवाड़ा	घलकिया
35.	”	”	चिडियावासा	
36.	”	”	निचला घंठाला	
37.	कुशलगढ़	कुशलगढ़	कुशलगढ़	ठकाला
38.	”	”	रामगढ़	
39.	”	”	बस्सी	
40.	”	”	बडी सरवा	
41.	कुशलगढ़	सज्जनगढ़	सज्जनगढ़	कसारवाडी
42.	”	”	छोटा डूंगरा	ताम्बेसरा

अनुसंलग्नक-ख

डूंगरपुर जिले में कार्यरत पशु चिकित्सालयों/औषधालयों की सूचना

क्र. सं.	तहसील	पंचायत समिति	पशु चिकित्सालय	औषधालय
1	2	3	4	5
1.	डूंगरपुर	बांसवाड़ा	डूंगरपुर	खेडा
2.	”	बिछिवाड़ा	कनवा	साबली
3.	”	”	माडा	—
4.	”	”	बिछिवाड़ा	—
5.	”	”	देवल खास	—
6.	”	डूंगरपुर	पुनाली	धावडी
7.	”	”	फ्लोज	—
8.	”	”	पीपलादा	—
9.	”	”	रघुनाथपुरा	—
10.	”	”	आंतरी	—
11.	आसपुर	आसपुर	आसपुर	बोडीगामा बड़ा
12.	”	”	निठाउवा गामडी	भेखरेड
13.	”	”	बडोदा	पिण्डावल
14.	”	”	पूजपुर	—
15.	”	”	रामगढ़	—
16.	”	”	मूंगेड	—
17.	”	”	बनकोडा	—
18.	सीमलवाड़ा	सीमलवाड़ा	सीमलवाड़ा	कुआ
19.	”	डूंगरपुर	झौथरी	—
20.	”	बिछीवाड़ा	कुरावाडा	—

1	2	3	4	5
21.	”	सीमलवाड़ा	चांडोली	डूंगरसारण
22.	”	”	दरीयाटी	—
23.	”	”	चिथली	—
24.	”	”	पीठ	—
25.	सागवाड़ा	सागवाड़ा	सागवाड़ा	भासोर
26.	”	”	सरोदा	डेचा
27.	”	”	वरदा	—
28.	”	”	बरबुदनिया	—
29.	”	”	भीलूडा	—
30.	”	”	बूचिया	—
31.	”	”	गडा झूमजी	—
32.	”	सीमलवाड़ा	चितरी	झासोवा
33.	”	”	जसेला	—
34.	”	सागवाड़ा	जेठाना	नांदिया
35.	”	”	ओबरी	कोकापुर

नागौर जिले के दुग्ध अवशीतन केन्द्रों की अजमेर डेयरी से सम्बद्धता

613. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में वर्तमान में कितने दुग्ध अवशीतन केन्द्र कार्यरत है? सूची क्षमता एवं स्थानवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला नागौर के उक्त अवशीतन केन्द्र जोधपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अधीन कार्यरत है? यदि हां, तो प्रतिदिन कितना दूध जोधपुर भेजा जा रहा है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिला नागौर का अधिकतर दूध प्रतिदिन

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

अजमेर डेयरी को सप्लाई किया जाता है? यदि हां, तो अजमेर सम्भाग में होते हुए जिला नागौर को जोधपुर डेयरी से सम्बन्धित क्यों रखा बया है?

उत्तर

(1) नागौर जिले में 3 अवशीतन केन्द्र क्रमश: मेडता सिटी, नागौर व कुचामन सिटी कार्यरत हैं, जिनकी अवशीतन क्षमता क्रमश: 20,000, 20,000 एवं 10,000 लीटर प्रतिदिन है।

(2) जी हां। नागौर जिले में कार्यरत तीनों अवशीतन केन्द्रों से औसतन 18,000 से 22,000 लीटर दूध प्रतिदिन जोधपुर डेयरी को भेजा जा रहा है।

(3) जी नहीं।

अग्नि पीड़ितों को देय सहायता नियमों में संशोधन

614. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अग्निपीड़ितों की सहायता के लिये सरकार द्वारा नियम बनाये हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अग्निपीड़ितों को सहायता प्रदान करने के नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा अग्निपीड़ितों के सहायता के लिए कोई नियम नहीं बनाये हुए हैं। भारत सरकार द्वारा CRF अन्तर्गत अग्निपीड़ितों को सहायता के नियम बनाये हुए हैं, जिनकी प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। क्योंकि CRF के नियम भारत सरकार के द्वारा बनाये जाते हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

निरन्तर अकाल प्रभावित क्षेत्र के किसानों को विशेष राहत

615. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2003, 2004, 2005 तथा 2006 में अकाल राहत कार्य कब-कब प्रारम्भ किये गये?

(2) वर्ष 2004 एवं 2005 में अकाल राहत कार्य देर से शुरू करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(3) वर्ष 2003, 2004, 2005 एवं 2006 में कितने श्रमिकों को अकाल राहत कार्य में लगाया गया? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य के ऐसे हिस्से जिसमें लगातार 5 से अधिक सालों से अकाल पड़ रहा है वहां सरकार द्वारा किसानों को राहत देने की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2003 (सम्वत 2059) में दिनांक 16.8.2002 से वर्ष 2004 (सम्वत 2060) में 25.5.2004 से वर्ष 2005 (सम्वत 2061) 1.12.2004 से व वर्ष 2006 (सम्वत 2062) में 1.1.2006 से अकाल राहत प्रारम्भ किये गये।

(2) यह सही नहीं है कि वर्ष 2004 एवं 05 में अकाल राहत कार्य देर से शुरू किये गये। 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक खरीफ फसल की गिरदावरी का समय है। 30 नवम्बर तक जिलों से रिपोर्ट प्राप्त होती है। प्राप्त रिपोर्ट का परिक्षण कर नियमानुसार 50 प्रतिशत या इससे अधिक खराबे वाले क्षेत्र/जिलों को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया जाता है। अकाल प्रभावित जिलों क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य प्रारम्भ किये जाते हैं। वर्ष 2004 व 2005 में तदानुसार दिनांक 1.12.2004 व 1.1.2006 से राहत कार्य प्रारम्भ किये गये।

(3) वर्ष 2003 में 37.96 लाख श्रमिक, 2004 में 0.67 लाख, 2005 में 16.74 लाख व 2006 में फरवरी तक 2.23 लाख अधिकतम तक श्रमिकों का नियोजन किया गया है।

(4) जहां लगातार 5 वर्ष या अधिक वर्षों से अकाल पड़ रहा है, ऐसे क्षेत्रों में राहत कार्य एवं विभिन्न गतिविधियों के संचालन में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाती है।

चिन्नु ग्राम पंचायत (जैसलमेर) के अकाल राहत कार्यों में व्याप्त अनियमितताएं

616. श्री सांग सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत अकाल में अकाल राहत कार्यों व खाला कवरिंग के कार्यों में ग्राम पंचायत चिन्नु पंचायत समिति जैसलमेर में भारी अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी शिकायतें ग्रामवासियों ने जिला कलक्टर, जैसलमेर को की हैं?

(श्री सांगसिंह भाटी)

(2) क्या यह सही है कि उक्त मामले की जांच तत्कालीन तहसीलदार उपनिवेशन, नाचना से करवाई गई थी व जांच में अनियमितताएं पाई गई थी एवं समाचार पत्रों में भी शिकायतों का प्रकाशन हुआ था? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? ग्रामवासियों की शिकायत व जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अनियमितताऐं नहीं हुई थी परन्तु अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि जांच तहसीलदार उपनिवेशन नाचना से करवायी गई थी। जांच सहायक अभियन्ता, पं. स. जैसलमेर द्वारा करवाई गई थी। हां, समाचार पत्रों में भी शिकायतों का प्रकाशन हुआ था। ग्रामवासियों द्वारा पूर्व सरपंच वर्तमान सरपंच एवं ग्राम सेवक के विरुद्ध लगाये गये अनियमितताओं के आरोप जांच के दौरान सही प्रतीत नहीं हुए। ग्रामवासियों द्वारा की गई शिकायत व अकाल राहत कार्यों व खाला कवरिंग के कार्यों में की गई जांच की रिपोर्ट संलग्न है।

(जांच रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बामनवास एवं खण्डार तहसील (सवाईमाधोपुर) के अकाल राहत कार्यों हेतु आबंटित राशि

617. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला सवाईमाधोपुर को वर्ष 2004, 2005 व 2006 में अकाल व आपदा प्रबन्ध हेतु कितनी राशि आबंटित की गई?

(2) सरकार द्वारा आबंटित राशि में से किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितनी -कितनी राशि कहां-कहां किस-किस कार्य हेतु व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2005-06 में अतिवृष्टि से ज्यादा नुकसान तहसील बामनवास व खण्डार में हुआ है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन दोनों तहसीलों में हुए क्षतिग्रस्त तालाब, एनीकट, सड़क आदि के पेटे कितनी-कितनी राशि आपदा प्रबन्ध हेतु आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा जिला सवाईमाधोपुर को अकाल आपदा प्रबन्धन हेतु वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में आबंटित की गई राशि का विवरण की सूचना परिशिष्ट-अ में संलग्न है।

(2) आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा जिला सवाईमाधोपुर को अकाल आपदा प्रबन्धन हेतु आबंटित की गई राशि में से विधान सभा वाइज किये गये व्यय की सूचना परिशिष्ट-ब में संलग्न है।

(3) जी हां। वर्ष 2005-06 में अतिवृष्टि से नुकसान तहसील बामनवास व खण्डार में ज्यादा हुआ है। इन दोनों तहसीलों में हुए क्षतिग्रस्त तालाब, एनीकट आदि के लिये तहसील बामनवास की 111.97 लाख रुपये तथा तहसील खण्डार में 104.09 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मन्दिर श्री गौतमजी (सिरोही) की नदी पर रपट निर्माण में व्याप्त अनियमितताएं

618. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2003-04 में मन्दिर श्री गौतमजी (जिला सिरोही) की नदी पर रपट का निर्माण कार्य ठेके पर करवाया गया था? यदि हां, तो ठेकेदार कौन था और कितने कार्यो का कितनी राशि का ठेका दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य में अकाल राहत के तहत श्रम एवं सामग्री मद केवल अलग-अलग दर्शा कर या किसी अन्य मद को डवटेल की स्वीकृति देकर, सभी मदों की राशि एक साथ खर्च कर दी गई? यदि हां, तो अकाल राहत कार्य का दुरूपयोग का दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त रपट निर्माण में अलग-अलग कार्यो का श्रम मद दर्शा कर, उनकी सामग्री मद एक कार्य में ही दर्शा दी गई? यदि हां, तो इस फर्जीवाड़े का दोषी कौन है?

(4) उक्त सड़क की आज की स्थिति क्या है? क्या यह सही है कि आज उक्त सड़क/रपट जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

उत्तर

(1) वर्ष 2003-04 में मन्दिर गौतमजी (जिला सिरोही) की नदी तट पर रपट के निर्माण हेतु सामग्री मद में होने वाला कार्य ठेकेदार से करवाया गया था। निम्नलिखित ठेकेदारों को सामग्री मद का कार्य आबंटित किया गया था :-

1. छीबा गांव गौतमजी मन्दिर 14 कि.मी. का कार्य श्री छगनलाल नारायणजी, सार्व.नि.वि. ठेकेदार, रामपुरा जिला सिरोही को 19,28,007 रुपये में ठेका दिया गया था।
2. छीबागांव गौतमजी मन्दिर 8 व 10 कि.मी. का कार्य श्री जहुरूदीन पठान, सा.नि.वि. ठेकेदार सुमेरपुर को 4,41,584 रुपये में ठेका दिया गया था।
3. छीबागांव गौतमजी मन्दिर 12 एवं 13 कि.मी. का कार्य श्री जहुरूदीन पठान, सा.नि.वि. ठेकेदार, सुमेरपुर को 3,22,594 रु. में ठेका दिया गया था।

(2) प्रश्न के भाग एक में वर्णित कार्यों को अकाल राहत मद से ही स्वीकृत किया गया था। कार्यवार स्वीकृत एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर है। अकाल राहत कार्य में दुरूपयोग के सम्बन्धी बिन्दु पर जिला कलक्टर, सिरोही को अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि. विभाग, पाली से जांच कराने के आदेश दिए गए हैं।

(3) जिला कलक्टर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तीनों ही कार्यों की अलग-अलग स्वीकृति जारी की गई थी और श्रम व सामग्री मद का व्यय भी प्रत्येक कार्य का अलग-अलग है, परन्तु इस बिन्दु पर भी जिला कलक्टर, सिरोही को अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि. विभाग, पाली से जांच करवाने के आदेश दिए गए हैं।

(4) उक्त रपट गत वर्ष की तेज वर्षा एवं पानी के तीव्र बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। इसके लिए कौन दोषी है, जिला कलक्टर, सिरोही को अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि. विभाग, पाली से जांच करवाने के आदेश दिए गए हैं तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी निश्चित की जाएगी।

परिशिष्ट "अ"

मन्दिर गौतमजी की नदी तट पर रपट निर्माण कार्यो हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का विवरण

क्र. सं.	राहत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)			व्यय राशि (लाखों में)		
		श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग
1.	पोसालिया छीबागांव सडक पर गौतमजी मन्दिर के पास नदी तट पर रपट निर्माण कार्य 14 कि.मी.	10.09	19.90	29.99	4.71	15.65	20.36
2.	पोसालिया छीबागांव सडक पर गौतमजी मन्दिर के पास 8 व 10 कि.मी. कार्य	2.20	4.63	6.83	1.71	4.32	6.03
3.	पोसालिया छीबागांव सडक पर गौतमजी मन्दिर 12 एवं 13 कि.मी. का रपट कार्य	1.65	3.48	5.13	1.39	3.12	4.51

नोट :-1. क्र. सं. 1 के कार्य का कुछ भाग अकाल राहत कार्य समाप्त होने के पश्चात शेष रह गया था, जिसे विधायक कोष से 0.33 लाख रुपये की स्वीकृति के अन्तर्गत पूर्ण करवाया गया था।

2. क्र. सं. 3 के कार्य का कुछ भाग अकाल राहत कार्य समाप्त होने के पश्चात शेष रह गया था, जिसे विधायक कोष से 0.07 लाख रुपये की स्वीकृति के अन्तर्गत पूर्ण करवाया गया था।

सवाईमाधोपुर जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में दोषपूर्ण निर्माण कार्य

619. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) यह सही है कि सरकार द्वारा क्या जिला सवाईमाधोपुर में अकाल राहत योजनान्तर्गत विगत दो वर्षो में नगरपालिका क्षेत्र सवाईमाधोपुर व गंगापुर सिटी एवं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जिला परिषद् सवाईमाधोपुर के कार्य क्षेत्र में कच्चे एवं पक्के कार्य कराये गये हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि के? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों के ठेके किन-किन ठेकेदारों को दिये गये एवं ठेके की क्या-क्या शर्तें थीं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों में ठेकेदारों द्वारा घटिया सामग्री उपयोग में ली गई है जिससे कार्य होने के बाद ही बिखरने लग गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त कार्यों की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विगत दो वर्षों में अकाल राहत के तहत केवल पच्चे कार्य कराये गये थे। पक्के कार्य नहीं कराये गये। कराये गये कच्चे कार्य एवं राशि का विवरण संलग्न है। परिशिष्ट "अ"

(2) कच्चे कार्य ठेके पर नहीं कराये जाते हैं। अत: ठेकेदारों के नाम व शर्त होने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) जब पक्के कार्य कराये ही नहीं गये तो घटिया सामग्री लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। क्योंकि जब पक्के कार्य कराये ही नहीं गये तो जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तिनकीरूड़ी (मुण्डावर) में कृषि महाविद्यालय

620. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में नये कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के तिनकीरूडी क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। नये कृषि महाविद्यालय वित्तीय प्रावधान होने पर ही खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं। वित्तीय प्रावधान होने पर विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के तिनकीरूड़ी क्षेत्र में नया कृषि महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

उप निरीक्षक, संस्कृत शिक्षा के पद पर नियुक्त अधिकारी

621. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में संस्कृत शिक्षा विभाग में उप निरीक्षक के कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पद राजपत्रित हैं? यदि हां, तो इस पद पर किस ग्रेड के शिक्षकों को लगाने का प्रावधान है?

(3) क्या इन पदों में से कुछ पदों पर वरिष्ठ अधिकारी II ग्रेड पाते वेतनमान I ग्रेड के शिक्षकों को लगा रखा है? यदि हां, तो कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इन पदों पर वरिष्ठ अधिकारी I ग्रेड के वरिष्ठतम व्यक्ति को लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा में उपनिरीक्षक के 8 पद स्वीकृत हैं।

(2) जी हां। इस पद पर प्रधानाध्यापक (प्रवेशिका) एवं वरिष्ठ अध्यापक प्रथम श्रेणी के शिक्षकों को लगाने का प्रावधान है।

(3) जी हां। इन पदों पर वरिष्ठ अध्यापक II ग्रेड पाते वेतनमान ग्रेड के 3 शिक्षकों को लगा रखा है, सूची निम्नानुसार है :-

1. श्री राजीव चौहान-निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
2. श्री मूलसिंह शेखावत-सम्भागीय कार्यालय, संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
3. श्री शशिकान्त शर्मा-सम्भागीय कार्यालय, संस्कृत शिक्षा, अजमेर।

(4) संस्कृत सेवा नियमों में संशोधन होने के उपरान्त इन पदों पर वरिष्ठ अध्यापक I ग्रेड/प्रधानाध्यापक (प्रवेशिका) के योग्य व्यक्ति को लगाया जा सकेगा।

इटावा कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़क मरम्मत कार्य

622. श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी इटावा में गत दो वर्षों में कितनी-कितनी आय हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

(2) क्या सरकार तहसील पीपल्दा की कृषि उपज मण्डी इटावा द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार कृषि उपज मण्डी की आय से गांवों को मण्डी से जोड़ने हेतु नई सड़कें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कृषि उपज मण्डी इटावा द्वारा भेजे गये प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति इटावा की गत दो वर्षों में हुई कुल आय का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	आय
2003-04	132.77 लाख रु.
2004-05	139.60 लाख रु.

(2) जी हां। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति इटावा से प्राप्त प्रस्तावों में निम्न दो सड़कों की स्वीकृति जारी की गई है :-

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
1.	स.स. इटावा पीपल्दा रोड से अल्लापुर	0.80 कि.मी.	20.80 लाख रु.	कार्य प्रगति पर
2.	स.स. कोटा इटावा रोड से डोली	2.50 कि.मी.	37.75 लाख रु.	कार्य प्रगति पर

चित्तौड़गढ़ जिले में सड़क निर्माण पर व्यय

623. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2003-04, 2004-05 व 2005-06 में जिला चित्तौड़गढ़ में कितनी नई सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

सड़क मरम्मत, नवीनीकरण एवं नये निर्माण पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्रामीण सम्पर्क सड़क निर्माण कराया जाता है। जिला चित्तौड़गढ़ में वर्षवार सड़क निर्माण की स्थिति निम्नानुसार है :-

वर्ष	**निर्मित सड़कों की लम्बाई**	**व्यय**
2003-04	5.00 कि.मी.	15.90 लाख
2004-05	—	—
2005-06	4.95 कि.मी. (निर्माणाधीन)	6.32 लाख

विस्तृत विवरण परिशिष्ट “क” पर संलग्न है।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक सड़क नवीनीकरण एवं नई सड़कों के निर्माण पर क्रमश: राशि रुपये 192.61 लाख व रुपये 22.22 लाख का व्यय हुआ। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	**व्यय की गई राशि (लाखों में)**		
	नवीनीकरण		**नये निर्माण**
	आर.यू.पी. द्वितीय	**विशेष मरम्मत**	
2003-04	106.09	59.61	15.90
2004-05	3.78	9.46	—
2005-06	0.08	13.59	6.32
योग	**109.95**	**82.66**	**22.22**

सड़कवार विवरण परिशिष्ट “क” व “ख” पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) द्वारा निरस्त अनुज्ञापत्र की बहाली

624. श्री बन्ने सिंह राठौड़ (ओसिया) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर के आदेश क्रमांक सम/05-06/1151-1312 दिनांक 20 अप्रैल, 2005 के द्वारा मैसर्स आंचल ट्रेडर्स सदर बाजार, फलौदी का मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा पत्र व्यापारी वर्ग संख्या 673 दिनांक 7 जून, 1999 एवं "क" वर्ग दलाल अनुज्ञा पत्र संख्या 26 दिनांक 17 मई, 2001 को निरस्त कर दिया एवं साथ ही फर्म की बैंक गारन्टी राशि रुपये 10000/- को जब्त किये जाने हेतु आदेशित कर दिया गया था? यदि हां, तो किस आधार पर एवं क्यों? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मैसर्स आंचल ट्रेडर्स सदर बाजार, फलौदी द्वारा आबंटन शुल्क बकाया राशि 44200/- रुपये का भुगतान रुपये 45000/- जरिये चैक नं. 368172 दिनांक 27 मार्च, 2004 द्वारा रसीद नम्बर 88 के जमा करा दिये थे एवं साथ ही विद्युत उपभोग की राशि एवं गृहकर वर्ष 2000-03 की राशि क्रमश: 5125/- व 8895/- कुल 14020, द्वारा रसीद नम्बर 89 के जमा करा दिये थे? यदि हां, तो दोनों रसीदों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मैसर्स आंचल ट्रेडर्स सदर बाजार, फलौदी द्वारा अपनी आबंटन शुल्क विद्युत उपभोग एवं गृहकर की राशि का भुगतान करने के उपरान्त भी जमा राशि के समायोजन नहीं करते हुए जान बूझकर व बदनियती से इन्हें नोटिस दिया जाकर इनका अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार गौण कृषि उपज मण्डी फलौदी एवं कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर के ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ-साथ मैसर्स आंचल ट्रेडर्स, सदर बाजार, फलौदी का अकारण निरस्त किया गया अनुज्ञा पत्र पुन: बहाल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। फर्म द्वारा मण्डी समिति को देय बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण उक्त कार्यवाही की गई।

(2) जी हां। रसीदों की प्रतियां क्रमश: अनुलग्नक-1 व अनुलग्नक-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। फर्म द्वारा जमा कराई गई राशि के समायोजन करने के पश्चात् भी फर्म में राशि रुपये 20958/- बकाया निकलती है, जो फर्म से वसूली योग्य है।

(कृषि विपणन मंत्री)

(4) मण्डी समिति की देय बकाया राशि समय पर जमा नहीं कराने हेतु फर्म ही जिम्मेदार है कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। मैसर्स आंचल ट्रेडर्स का अनुज्ञा पत्र मण्डी समिति द्वारा अकारण निरस्त नहीं किया गया अपितु मण्डी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निरस्त किया गया है मण्डी समिति के किसी आदेश के विरुद्ध कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावित पक्ष अपील करने को स्वतंत्र है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

625. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा वर्ष 1985-86 में सम्पर्क सड़क मस्जिद से सरदार शहर रोड़ तक एक किलोमीटर का निर्माण नगरपालिका क्षेत्र श्रीडूंगरपुर में करवाया गया है? यदि हां, तो इस सड़क के मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी किस संस्था की है?

(2) क्या सरकार इस टूटी हुई सड़क की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या इस सड़क के निर्माण के पश्चात् अब तक मरम्मत कार्य हुआ है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वर्ष 1985-86 में सम्पर्क सड़क मस्जिद से सरदारशहर मोड़ तक एक कि.मी. व लागत रुपये 2.93 लाख का निर्माण नगरपालिका क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में करवाया गया था। सड़क के निर्माण के समय नवीन मण्डी यार्ड निर्मित नहीं था तथा कृषि उपजों के क्रय-विक्रय का कार्य पुराने बाजार में ही हो रहा था। इस सड़क निर्माण के पश्चात् वर्ष 1997 में व्यापार नव निर्मित यार्ड में स्थानान्तरित हो गया। अत: अब सड़क कृषि मण्डी की नहीं है।

(2) जी हां। बोर्ड के पत्र क्रमांक प.1/तक सहा.प्रशा./05-06/1506 दिनांक 28.11.2005 द्वारा कुल 554 सड़कों के 1590 कि.मी. लम्बाई को सड़कों के 54.24 करोड़ रुपये राशि के विशेष मरम्मत प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं। जिसमें उक्त सड़क भी सम्मिलित है, वितीय संसाधनों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

(3) जी नहीं। सड़क निर्माण के पश्चात् अब तक इस सड़क पर मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। जिसका कारण मण्डी के पास धनराशि उपलब्ध नहीं होना रहा है।

मालाखेड़ा (अलवर) कृषि उपज मण्डी क्षेत्र पर अतिक्रमण

626. श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील मालाखेड़ा, अलवर में कृषि उपज मण्डी निर्माण किया गया है? यदि हां, तो क्या इसमें विपणन कार्य चालू है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि मण्डी प्रांगण में अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो किसके द्वारा कब से व कितनी भूमि पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मालाखेड़ा मण्डी में कृषि जिन्सों के आवागमन में रेलवे क्रासिंग का व्यवधान होने, अलवर मुख्य मण्डी नजदीक होने के कारण व्यापारियों द्वारा व्यापार अलवर मण्डी में ही किया जाने के कारण व्यापार नहीं हो रहा है।

(2) यह सही है कि गौणमण्डी यार्ड मालाखेड़ा में रियासत कालीन पट्टेधारियों के वारिसों तथा उनके क्रेताओं ने कुछ भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है।

क्र. सं.	नाम	कब से
1.	श्री गिरधारी लाल	सितम्बर, 1987
2.	श्री भगवान सहाय सैनी	सितम्बर, 1987
3.	श्री नत्थूलाल सैनी	सितम्बर, 1987
4.	श्रीमती आनन्दी सैनी	सितम्बर, 1987
5.	श्री सुल्तान सिंह	दिसम्बर, 1987
6.	श्री अडीसाल	दिसम्बर, 1987
7.	श्री गगनसिंह	दिसम्बर, 1987
8.	श्री मुरलीधर	दिसम्बर, 1987
9.	श्री शिवचरण	अगस्त, 1989
10.	श्री सीताराम	अक्टूबर, 1991
11.	श्री मांगीलाल	अक्टूबर, 1991
12.	श्री पूरणमल	अक्टूबर, 1991
13.	श्री शिवदयाल	अक्टूबर, 1991

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या —288 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

सीकर जिले वन मण्डल के रेंजों के कार्यक्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का विवरण

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>नाम रेंज</th><th>कार्यक्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सीकर</td><td>170033 है.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>फतेहपुर</td><td>25323 है.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>श्रीमाधोपुर</td><td>136107.72 है.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>नीमकाथाना</td><td rowspan="2">118822 है.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>पाटन</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>दांता</td><td>117688 है.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>लक्ष्मणगढ़</td><td>102893 है.</td></tr>
</table>

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या— 294 की सूची)

परिशिष्ट-1

वर्ष 2003-04

क्र. सं.	जिला	औद्योगिक क्षेत्र का नाम
1.	बीकानेर	ग्रौथ सेन्टर करणी, बीकानेर
2.	जोधपुर	ई.पी.आई.पी., बोरानाडा
3.	सीकर	श्री खाटू श्यामजी, रींगस
4.	कोटा	रानपुर (कुबेर), कोटा
5.	बून्दी	हट्टीपुरा

वर्ष 2004-05

क्र. सं.	जिला	औद्योगिक क्षेत्र का नाम
1.	अजमेर	सिलोरा प्रथम चरण, (किशनगढ़)
2.	कोटा	एग्रो फूड पार्क, रानपुर, कोटा
3.	सीकर	रामगढ़ शेखावाटी
4.	श्रीगंगानगर	एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर
5.	जोधपुर	एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा
6.	टोंक	आई.आई.डी सेन्टर, निवाई
7.	झालावाड़	ग्रौथ सेन्टर, झालावाड़

परिशिष्ट-3

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

संगरिया के कृषि विभाग से स्वामी केशवानन्द महाविद्यालय को अनुदान प्रदत्त किये जाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य के कृषि विभाग से दो महाविद्यालयों को 90 प्रतिशत की दर से सन् 1962 से अनुदान प्राप्त हो रहा है परन्तु राज्य की तत्कालीन सरकार ने मिलने वाले अनुदान का बकाया हिस्सा नब्बे प्रतिशत की अनुमोदित दर न देकर अपने आदेश 2002 से स्थिर कर दिया। यह अनुदान राशि 135 लाख है जिसमें स्वामी केशवानन्द महाविद्यालय ग्रा वि को 62-10 लाख तथा दयानन्द कालेज अजमेर को 72-90 लाख का हिस्सा आबंटन किया है। यह पूर्णतया अन्यायपूर्ण है। यहां उल्लेखनीय है कि कृषि संकाय में प्रवेश राज्य स्तरीय जेट कृषि आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण योग्यता मैरिट के आधार पर साठ आबंटित सीट पर दिए जाने के लिए राज्य सरकार की पाबन्दी है। इस प्रकार प्रथम वर्ष से चतुर्थ वर्ष तक कुल 240 छात्र ही महाविद्यालय में अध्ययन हेतु प्रवेश पा सकते हैं। इस प्रकार कर्मचारियों को देय वेतन भत्तों के भुगतान हेतु बहुत ही अल्प आयस्रोत है।

अत: मैं राज्य सरकार एवं माननीय कृषि मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि संगरिया स्थित स्वामी केशवानन्द महाविद्यालय (ग्रा.वि.) को अनुदान राशि पूर्व बकाया सहित अतिशीघ्र जारी करने का कष्ट करें ताकि शिक्षकों को भुगतान किया जा सके एवं अन्य आवर्ती व्यय वहन किये जा सके एवं छात्रों को समुचित अध्ययन की सुविधा प्राप्त हो सके।

धन्यवाद।

धर्मेन्द्र कुमार मोची
(टिब्बी)

मेड़ता (नागौर) के घटते जल स्तर से उत्पन्न स्थिति

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि विधान सभा क्षेत्र मेड़ता (नागौर) में कुओं का जलस्तर निरन्तर गिरता जा रहा है तथा पिछले 8-10 वर्षों में जल स्तर 15 से 60 फीट तक गहरा हो गया है तथा फ्लोराइड की मात्रा भी

बढ़ रही है। अत: इसकी वजह से सिंचाई और पेयजल की समस्याएं निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसलिये जल स्तर में वृद्धि करने हेतु क्षेत्र में जगह-जगह एनीकटों तथा छोटे बांधों का निर्माण कराने हेतु मैं माननीय सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं ताकि पेयजल की समस्या का निराकरण हो सके तथा जलस्थर में वृद्धि हो सके। पंचायत समिति रियांबड़ी में स्थिति अत्यन्त दयनीय है। इन्दिरा गांधी नहर का पानी भी क्षेत्र में पहुंचाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें।

रामचन्द्र जारोड़ा

(मेड़ता)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन में संविदा पर सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक की नियुक्ति

महोदय,

मैं, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्ध नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के आदेश क्रमांक मुख्या/कार्मिक/1-सी/05/1376 दिनांक 19.12.2005 के द्वारा दिनांक 31.10.2005 के द्वारा महाप्रबन्धक (क्रय भण्डार एवं संचालन) पुन: संविदा के आधार पर गुड्स ट्रान्सपोर्ट सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इस अधिकारी की नियुक्ति जिस उद्देश्य से की गई है उससे रोडवेज को अब तक कोई वित्तीय लाभ नहीं हुआ है तथा इस अधिकारी पर पुन: निगम द्वारा दिये जा रहे वेतन रु. 30,000/- एवं देय अन्य सुविधाओं पर लाखों रुपये का वित्तीय नुकसान प्रतिमाह हो रहा है। इस अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात् मुझे मिली जानकारी के अनुसार अब तक गुड्स बुकिंग से रोडवेज को काफी हानि हो रही है तथा होने की सम्भावना है, जिसका विवरण भी जनहित में आवश्यक है।

उक्त नियुक्ति अधिकारी जब निगम में महाप्रबन्धक (क्रय भण्डार एवं संचालन) के पद पर कार्यरत थे जब भी इनका तत्कालीन निजी सहायक भ्रष्टाचार ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। ऐसे अधिकारी की पुन: संविदा के आधार पर नियुक्ति देना सिर्फ इनको व्यक्तिगत आर्थिक लाभ पहुंचानेकी दृष्टि से की गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अनेक अधिकारी जो उक्त कार्य करने के लिए सक्षम हैं फिर भी नीहित स्वार्थी तत्वों द्वारा एक सेवानिवृत्त अधिकारी, जिसका पूर्व सेवाकाल भी निजी सहायक की मिलीभगत से भ्रष्ट एवं विवादास्पद रहा है फिर भी भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्ति की नियुक्ति कर हानि में चल रहे निगम को और

अधिक घाटे में जाने के लिए विवश किया जा रहा है तथा यह सम्पूर्ण प्रकरण वित्तीय घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्री भार के अतिरिक्त सामान उठाने का परमिट दिया जाता है फिर भी नियमों/आदेशों के विरूद्ध मैसर्स कल्पना कार्गो को रोडवेज में बिना यात्री सामान उठाने का परमिट विद्यमान नियमों के प्रतिकूल प्रदान किया गया जिसके कारण निगम को लाखों रुपयों का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है। निगम प्रशासन द्वारा मैसर्स कल्पना कार्गो को दिये गये परमिट पर पाबन्दी लगानी चाहिए ताकि निगम को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके।

अत: निगम हित में एवं जनहित में ऐसे गुड्स सलाहकार को तुरन्त हटा दिया जाना चाहिए ताकि निगम को हो रही हानि से रोका जा सके।

सुरेश मीणा
(करौली)

बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल के हालात

महोदय,

प्रकृति के अन्याय को झेल रहे पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए बिन पानी के सब सून के समान साबित हो रहा है। बीकानेर जिले में 26 लाख 12 हजार 148 हैक्टेयर भूमि कृषि योग्य है लेकिन पानी के बिना अभी तक मात्र लगभग 14 लाख हैक्टेयर में ही खेती हो सकी है। इससे स्पष्ट है कि लगभग आधे हिस्से में ही खेती हो पाई है जिसके कारण लगभग 4 लाख 24 हजार 766 लोग एवं लगभग 9 लाख 16 हजार 503 की संख्या में पशुधन प्रभावित हो अकाल की चपेट में आ गया है। लगातार चौथी बार अकाल की चपेट में आने से किसान पलायन को मजबूर हो रहे हैं। गरीबों ने अपने पशुधन को लावारिस खुला छोड़ दिया है। यह स्थिति तो सरकारी रिकार्ड की है, यदि हम मौके पर अवलोकन करें तो वास्तविकता इससे कहीं अधिक खराब है तथा आने वाले गर्मी के मौसम को देखते हुए इससे भी कई अधिक भयावह हो जाएगी।

इन सबके बावजूद वर्तमान में सरकार द्वारा 889 गांवों में से सिर्फ 352 गांवों को और वो भी दो हिस्सों में बांटते हुए अकालग्रस्त घोषित किया है, जिसके कारण अनेकों वास्तविक रूप से अभावग्रस्त गांव अकाल की श्रेणी में नहीं लिए गए हैं। कृषकों में गलत गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर अकालग्रस्त होने के बावजूद भी अनेकों गांवों को अकालग्रस्त न माने जाने को लेकर भयंकर रोष है।

अत: मेरा निवेदन है कि ऐसे अकाल प्रभावित गांवों जो अभावग्रस्त घोषित होने से वंचित रह गये हैं, पुन: सर्वे करवाकर उन्हें अभावग्रस्त गांवों की सूची में

शामिल करते हुए श्रमिक संख्या बढ़ाकर राहत कार्य शुरू करवाये तथा पशुधन को बचाये रखने के लिए सभी अभावग्रस्त गांवों में तत्काल प्रभाव से पशु सेवा शिविर और चारा डिपो खोले जावे।

सादर।

वीरेन्द्र बेनीवाल

(लूणकरणसर)

रायपुर जिला भीलवाड़ा में चरावण माता व भरक माता तक सड़क निर्माण

महोदय,

मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार का ध्यान जनता की धार्मिक भावनाओं से जुड़े अतिसंवेदनशील प्रकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ग्राम पंचायत बोराणा स्थिति चरावण माता एवं ग्राम पंचायत भरक तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित भरक माताजी राजस्थान की जनता की आराध्यदेव है, जहां प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में यात्री बच्चों का जडूला उतारने, धार्मिक कार्यों को करने व शादी विवाह की धोक दिलवाने जाते हैं। उक्त दोनों स्थान हजारों वर्ष पुराने ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल हैं।

अभी 3 मार्च, 2006 को निकटवर्ती ग्राम धूलखेड़ा के व्यक्तियों की चरावण माताजी के धोक लगवाने जाते समय ट्रेक्टर ट्रोली पलट जाने से नव विवाहित दुल्हे श्री किशन पुत्र रामलाल बैरवा की मृत्यु हो गई एवं 24 अन्य यात्री घायल हो गए।

उक्त दोनों धार्मिक स्थानों पर जाने हेतु लगभग 2-2.5 किलोमीटर सड़क नहीं होने से आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिसे वहां जाने वाले यात्रियों की अकाल मृत्यु हो जाती है एवं अन्य दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इस स्थान हेतु उक्त सड़क बनवाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने की घोषणा की गई है।

अत: उक्त योजना में इन दोनों धार्मिक स्थानों को जो सड़क मार्ग से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है पर अविलम्ब डामर सड़क बनवाये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

कैलाश त्रिवेदी

(सहाड़ा)

परिवहन कार्यालय के परिपत्र हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराने बाबत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत राज्य सरकार एवं माननीय परिवहन मंत्रीजी का ध्यान परिवहन विभाग के विभिन्न आवेदन-पत्रों, प्रपत्रों के हिन्दी भाषा की बजाय अंग्रेजी भाषा में होने से उत्पन्न दुविधा की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार किये जाने के लिए बहुत कुछ कहा और समय-समय पर अनेक प्रकार के नारे लगाये। परन्तु राज्य का परिवहन विभाग हिन्दी भाषा को तुच्छ भाषा ही मान रहा है, इसका प्रत्यक्ष नमूना परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले विभिन्न आवेदन-पत्र, प्रपत्र हैं जो कि अंग्रेजी भाषा में ही विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। स्थिति तब अत्यन्त दयनीय हो जाती है जब चालन अनुज्ञा पत्र हेतु भी आवेदन-प्रपत्र अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि भारी वाहनों यथा ट्रेक्टर, ट्रक चलाने वालों को तो अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध प्रपत्रों को भरा जाना भारी दुश्वारी का कार्य लगता है और इसी के चलते आमजन, विशेषकर ग्रामीण अंचल का व्यक्ति एजेन्टों के जाल में फंसने को मजबूर हो जाता है। स्थिति तब और भी हास्यास्पद नजर आती है कि आवेदन-प्रपत्र तो अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराया जाता है और जो अनुज्ञा पत्र अपना पंजीयन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है परिवहन विभाग द्वारा वह हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराया जाता है।

अतः मैं राज्य सरकार एवं माननीय परिवहन मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि राज्य के समस्त परिवहन कार्यालयों के समस्त प्रपत्र हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराये जाने के आदेश आज ही जारी करने का कष्ट करें जिससे हिन्दी भाषा का सम्मान बढ़े, उसका प्रचार-प्रसार हो सके एवं साथ ही आम जनता को सुविधा हो सके तथा एजेन्टों के जाल में न फंसे।

धन्यवाद, जयहिन्द।

केसरदेव बाबर

(लक्ष्मणगढ़)

नवलगढ़ के विद्यालयों का शहीदों के नाम से नामकरण

मान्यवर,

राज्य सरकार के निर्देशानुसार सरकारी स्कूलों के नामकरण शहीदों को नाम

करने का प्रावधान है उसी प्रावधान के अनुरूप विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सौंथली का नामकरण आपरेशन पराक्रम (जे.के.के.) के शहीद नायक दिनेश कुमार पूनिया के नाम करने का प्रस्ताव जिला कलक्टर झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक: न्याय/2002/8464-66 दिनांक 10.5.2002 निदेशक सैनिक कल्याण विभाग के पत्रांक 15310-11 दिनांक 6.11.2003 जिला कलक्टर झुंझुनूं के कार्यालय के पत्रांक न्याय/4951-57 दिनांक 11.6.2004 स्मरण पत्र 17123-27 दिनांक 8.11.2002 पत्र क्रमांक: 9777-80 दिनांक 30.9.2004, 10274-77 दिनांक 23.10.2004 व 11913-16 दिनांक 13.12.2004 1181-84 दिनांक 28.2.2005, 3139-41 दिनांक 28.3.2005 शहीद की बेवा द्वारा भी राज्य सरकार को स्कूल का नामकरण हेतु पत्र व्यवहार किया है परन्तु सचिव शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया गया है जो कि शहीदों के सम्मान के प्रति कोताही बरती गई है इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केमरी की ढाणी का नाम शहीद रामजीलाल कटेवा के नाम से करने का प्रस्ताव भी जिला कलक्टर, झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 4896-99 दिनांक 26.5.2005 द्वारा सचिव, शिक्षा ग्रुप-6 विभाग राजस्थान जयपुर को भेजे गये थे उसकी भी कोई कार्यवाही की जानकारी नहीं मिल पाई है एवं इसी प्रकार राजकीय प्राथमिक विद्यालय धींवा की ढाणी पंचायत समिति नवलगढ़ का प्रस्ताव भी शहीद के नाम से करने का भेजा गया था परन्तु उसकी भी की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई।

मान्यवर, एक तरफ पूरा सम्पूर्ण राष्ट्र एवं राज्य शहीदों के सम्मान में अनेक योजनाएं चलाते है तथा शहीदों की विधवाओं का सम्मान किया जाता है वहीं बार-बार पत्र व्यवहार के बाद भी अधिकारियों द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं की जाती है। अत: इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जावे।

प्रतिभा सिंह

(नवलगढ़)

भरतपुर में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय खोलने बाबत

महोदय,

मैं निम्नलिखित समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भरतपुर सम्भाग के जिला भरतपुर में आर.टी.ओ. (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी) का कार्यालय खोलने हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं :-

भरतपुर सम्भाग में अभी तक आर.टी.ओ. कार्यालय नहीं खुला है। इस सम्भाग में भरतपुर-धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर जिले हैं अलवर में आर.टी.ओ.

कार्यालय होने के कारण सम्भाग की जनता को काफी परेशानी होती है। माननीय जयपुर सम्भाग में जयपुर, अलवर, दौसा में आर.टी.ओ. कार्यालय खुले हुये हैं।

अत: मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन है कि सम्भाग के भरतपुर जिले में भी आर.टी.ओ. कार्यालय इसी बजट में खुलवाकर भरतपुर सम्भाग की जनता को राहत प्रदान करें।

धन्यवाद।

विजय बंसल

(भरतपुर)

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रवेश

मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा दिनांक 23.2.2003 को अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदत्त पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सम्पूर्ण राजस्थान में जिलों पर परीक्षाऐं आयोजित की गई थी। जिसमें शिक्षा विभाग के कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शिक्षा विभाग टोंक द्वारा रोल नं. 25-23 अनु. जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदत्त पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दिनांक 23.2.2003 को परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रवेश पत्र छात्रा कुमारी पूजा हाथीवाल पुत्री श्री शंकर लाल हाथीवाल जाति अनुसूचित जाति का द्वितीय 1 से 5 तक का विद्यार्थी है तो भाषा का प्रश्न पत्र हिन्दी (हिन्दी या अंग्रेजी) लेगा/जिला शिक्षा अधिकारी (मा. प्रथम) द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करने की अभिषंशा की जाती है। छात्रा पूजा पुत्री श्री शंकर लाल हाथीवाल कक्षा II परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित करने का पात्र है।

कुमारी पूजा ने वर्ष 23.2.2003 को परीक्षा दी। उसका परीक्षा परिणाम आज तक घोषित नहीं किया। इस प्रकार जिले के सैकड़ों छात्र/छात्राओं ने उक्त पूर्व परीक्षा में सम्मिलित हुये। जिनका परीक्षा परिणाम आज तक घोषित नहीं हुआ। जबकि अनु. जनजाति के छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया और प्रतिवर्ष अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं के लिये 2006-07 में भी विज्ञापन जारी किया गया है जिसके अन्तर्गत कक्षा 6 में प्रवेश हेतु चयन के लिये पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत परीक्षा हेतु क्रमांक शिविरा माध्य./मा./ई-1/22450/विज्ञप्ति/2006-07 दिनांक 1.3.2006 जारी किया है। परन्तु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिये 2003 के बाद कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जा रही है।

साथ ही मेरा आपके माध्यम से शिक्षा विभाग राजस्थान से जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिये पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत कक्षा 6 में प्रवेश के चयन हेतु विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी की जा रही है तथा वर्ष फरवरी, 2003 में आयोजित अनुसूचित जाति की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा में प्रवेश हेतु तुरन्त परीक्षा परिणाम जारी करावे तथा 2003 के बाद से अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिये पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विज्ञापन जारी कराने की कार्यवाही करावें।

हीरालाल

(निवाई)

रायसिंहनगर के गंगनहर क्षेत्र में बारानी/असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने हेतु नीति-निर्धारण

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में गंग नहर परियोजना के विभिन्न क्षेत्र में काफी बड़ा भू-भाग जो बारानी/असिंचित है तथा ऐसा रकबा सर्वे उपरान्त सिंचित घोषित किये जाने योग्य भी पाया गया है। यदि राज्य सरकार ऐसे बड़े भू-भाग को एक मुश्त सिंचित घोषित करती है तो क्षेत्र के ऐसे अधिकतम लोग लाभान्वित होंगे जिन्हें पहले सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अत: राज्य सरकार को ऐसे बड़े भू-भाग को सिंचित घोषित करने की नीति निर्धारित करनी चाहिये ताकि पहले से सिंचाई से वंचित कृषकों को सिंचाई प्राप्त हो सके। वर्तमान में राज्य सरकार के नीति अनुसार गंग नहर परियोजना में विभिन्न चकों में सिंचित रकबे के मध्य स्थित छोटे-छोटे टुकड़ों को सिंचित किया जाता है जबकि उसके रकबे के मासिका का पहले से उस चक में रकबा सिंचित होता है।

सर्वे उपरान्त सिंचित घोषित किये जाने वाले रकबे का विवरण निम्न है :-

1.	ग्राम जीवन देसर बारानी व 46 एल.एन.पी. बारानी क्षेत्र का रकबा	-1017 बीघा
2.	समेजा नहर के 26-27-28 व 41-42 एन.पी.	-1124 बीघा
3.	ई.ई.ए. बारानी क्षेत्र 1 ई ई ए/I व II, 4 ई ई ए	-1025 बीघा
4.	उड़सर बारानी क्षेत्र (1एम के)	-1275 बीघा
5.	रिड़मलसर बारानी क्षेत्र	-1200 बीघा

लाल चन्द मेघवाल

(रायसिंहनगर)

लोक जुम्बिश कार्मिकों को सर्व शिक्षा अभियान में समाहित करने बाबत

माननीया अध्यक्ष महोदयाजी,

मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान लोक जुम्बिश परियोजना के कार्मिकों को जून, 2004 में सर्व शिक्षा अभियान में समाहित किये जाने पर कार्मिकों की स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

शिक्षा मंत्रीजी के जून, 2004 में लिये गये निर्णय अनुसार लोक जुम्बिश कार्मिकों को सर्व शिक्षा अभियान में योग्यता एवं अनुभव के अनुसार समाहित किया गया था। इन कार्मिकों को इस प्रक्रिया में पूर्व में देय परिलाभों जैसे वार्षिक वेतन वृद्धि, उपार्जित अवकाश एवं प्रसूति अवकाश आदि से वंचित किया गया है। साथ ही इन्हें सर्व शिक्षा अभियान के स्वीकृत पदों पर समायोजित तो नहीं किया गया परन्तु इनसे इन पदों का कार्य अवश्य लिया जा रहा है। इससे कार्मिकों में अपनी योग्यता एवं अनुभव अनुसार पद एवं परिलाभ नहीं मिलने से हीन भावना बढ़ रही हैं।

इन कार्मिकों में से अधिकांश महिला कार्मिक है जिनमें से भी अधिकांश विधवा, परित्यक्ता एवं समाज से पहले ही प्रताड़ित महिलाएं हैं। इनके साथ राजकीय कार्यों पर इस प्रकार का व्यवहार अत्यन्त पीड़ाजनक है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध है कि इन कार्मिकों की स्थिति सुधारने के बारे में ठोस कदम उठाये जाये। मेरा सुझाव है कि इन्हें न्यायोचित सभी उपरोक्त परिलाभ प्रदान किये जाये साथ ही पद भी योग्यता एवं अनुभव अनुसार ही दिये जाये। साथ ही मेरा आपसे अनुरोध है कि ये कार्मिक जो कि कई वर्षो से इस कार्य एवं पद के अनुभवी है के स्थान पर शिक्षा विभाग से अपेक्षाकृत अनुभवहीन कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित करने से दोनों ही विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे है। अत: उपरोक्त प्रक्रिया में इन दोनों ही तथ्यों को ध्यान में रखा जाय जिससे मानव श्रम का सदुपयोग एवं विभागों की कार्यकुशलता बढ़ेगी तथा इससे ये कार्मिक राजकीय कार्यों को अधिक निष्ठा एवं उत्साह से सम्पादित कर पायेंगे।

सधन्यवाद।

सूर्यकान्ता व्यास
(जोधपुर)

खेतड़ी के सिंधी व्यापारियों को दुकानों के पट्टे

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं राज. विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की निम्न समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा:-

भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आये सिंधी शरणार्थियों में से कुछ सिंधी परिवार खेतड़ी आ गये थे तथा अपने रोजगार हेतु खेतड़ी में काठ की स्टालें लगा रखी थी जिन्हें तत्कालीन नगर पालिका प्रशासन ने अन्यत्र स्थान उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर सन् 1971 में हटा दी थी। लगभग दो वर्ष तक पालिका प्रशासन द्वारा अन्यत्र स्थान उपलब्ध नहीं कराने पर सिंधी व्यापारियों ने नगर पालिका से खेतड़ी बाजार में खाली पड़ी नगर पालिका की भूमि पर उनको दुकानें बनाने के लिये देने का अनुरोध किया। इस तत्कालीन नगरपालिका प्रशासन ने स्वयं के खर्चे पर दुकानें निर्माण कर उन्हें नगरपालिका के सुपुर्द कर मासिक किराया देने की शर्त पर दुकान निर्माण करने की सहमति दी। सिंधी व्यापारियों ने इस पर सहमति व्यक्त कर दुकानों का निर्माण किया एवं नगरपालिका को सुपुर्द कर दी तथा मासिक किराया जमा कराने लग गये जो आज तक करा रहे है। अब सम्बन्धित किरायेदारों ने उक्त दुकानों के पट्टे नियमन करने के लिये नगरपालिका में आवेदन प्रस्तुत कर रखे हैं।

अत: मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि लम्बित इस प्रकरण को नियमन कर सम्बन्धित किरायेदारों को भूमि आबंटन के पट्टे जारी किये जावे। इस बाबत मैं माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

दाताराम गुर्जर

(खेतड़ी)

परिशिष्ट-4

मांग संख्या-24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

1. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में पालिटेक्निक महाविद्यालय, चेचट में आई.टी.आई. व विभिन्न स्कूलों को माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) :

2. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में आई.टी.आई. एवं कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

3. राज्य में शिक्षा में और सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम कोली (रेवदर) :

4. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

5. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पर्यवेक्षण या जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. राज्य में माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिककरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार के आधे से ज्यादा रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. राज्य के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले के दुर्गों, कोटो एवं प्राचीन स्थलों को पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत सौंपने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

10. सीनियर सैकेण्डरी, सैकेण्डरी, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री जोगाराम पटेल)

11. लूणी व अन्य सरकारी विद्यालयों के पुराने भवनों का जीर्णोद्वार, नव निर्माण एवं मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र लूणी में सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र लूणी में सैकेण्डरी विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में जीव विज्ञान, गणित एवं विज्ञान के ऐच्छिक विषय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

15. राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, बायतु जिला बाड़मेर में एन.सी.सी. (N.C.C.) पाठ्यक्रम शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. राजकीय बालिका सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय बायतु जिला बाड़मेर में विज्ञान वर्ग तथा संस्कृत एवं गृह विज्ञान विषय शुरू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. राजकीय बालिका महाविद्यालय, बाड़मेर में वाणिज्य वर्ग के विषय शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

20. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र खोले जाने के मापदण्ड पूर्ण होते हुए भी बोर्ड परीक्षा केन्द्र के अभाव में परीक्षार्थियों/अभिभावकों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र बाली के सभी स्तर के सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्रा अनुपात में शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक स्टाफ की चल रही कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में गत चार वर्षो से निजी क्षेत्र के विद्यालयों के अनुपात में न्यूनतम परिणाम आने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह बाली)

23. विधान सभा क्षेत्र बाली में पोलोटेक्निक कालेज खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र बाली के सरकारी स्कूलों में पेयजल, बिजली, शौचालय, पेशाबघर एवं क्षतिग्रस्त, अपूर्ण, अपर्याप्त स्कूल भवन के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

25. राज. उर्दू अकादमी का पुनर्गठन करने एवं मेवाती भाषा अकादमी का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. नगर तहसील के भैरू व सैमला कलां, भटपुरा, मूण्डिया लाडमका, रसिया रामसिंहपुर पालकी, थून आदि स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. राज्य में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. राज्य में उर्दू अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरे जाने के कारण उर्दू शिक्षार्थियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. नगर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

30. सिरोही जिले में वर्ष 2003-04 वर्ष 2004-05 व वर्ष 2005-06 में लक्ष्य से कम प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में गत सात वर्ष में क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान व वाणिज्य विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. सिरोही जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सड़क मार्ग से दूर के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. जावाल व पोसालिया के बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को बालिका माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. सिरोही शहर के कुम्हारवाड़ा में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

35. उप खण्ड मुख्यालय दूदू में सरकारी कालेज खोलने एवं राजकीय

(श्री बाबूलाल नागर)

महाविद्यालय सांभर के प्राचार्य को हटाकर अन्यत्र लगाने व उसके खिलाफ शिकायतों की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम सुरपुरा में चन्द्रभानपुरा, बैरवा की ढाणी, मौखमपुरा के केरिया गांव में गोनिया में, ग्राम दूदू में मीनों की ढाणी, मोजमाबाद में बल्लुखां की ढाणी, रेटा में बागरियों की ढाणी, रोशनपुरा बनेडिया में बैरवों की ढाणी, चैनपुरा में चारनवास, ईटाखोई में बागरियों की ढाणी, रसीली में बैरवों की ढाणी पर नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र दूदू में प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र दूदू के मौजमाबाद, दूदू, नरेना, साखून कस्बों में राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में उर्दू विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. राजीव गांधी पाठशाला में पेरा अध्यापक व पेरा शारीरिक शिक्षकों को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

40. राज्य में राजकीय विधि महाविद्यालयों की मान्यता रद्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. राज्य में निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का शोषण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. जिला सीकर के जिला मुख्यालय में सरकारी महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

45. बार कौंसिल आफ इण्डिया राजस्थान द्वारा सरकार के 5 विधि महाविद्यालय एवं 11 निजी विधि महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

46. राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने एवं शैक्षणिक माहौल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली, तहसील बूंदी के गुढानाथावत माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. हिण्डौली उप खण्ड स्तर पर महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. राज्य की समग्र शिक्षा नीति पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

50. मेडिकल शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र तारानगर के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र तारानगर के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. पैराटीचर्स के समायोजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. ग्रामीण शिक्षा को शहरी शिक्षा के समकक्ष करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

प्रो. बीरू सिंह राठौड़ (बनीपार्क) :

55. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के नव क्रमोन्नत राजकीय विद्यालयों में छात्र-छात्रानुपात में शैक्षणिक स्टाफ व स्कूल भवन की कमी से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के सरकारी स्कूलों में क्षतिग्रस्त, अपूर्ण, खिड़की दरवाजों रहित, खेल मैदान, बाउण्ड्री के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क की कच्ची बस्तियों में संचालित प्राथमिक सरकारी स्कूलों को किराये के भवनों में चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

58. अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उस्ता कला को संरक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

59. राजस्थान पर्यटन विकास निगम की सम्पत्ति के निजीकरण/किराये पर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. लूणकरणसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के विभिन्न सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों के संकायों में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

63. राज्य में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के रख रखाव व अव्यवस्था को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. राज्य के विद्यालयों में सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक स्कूलों की तर्ज पर पाठ्यक्रम लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

66. राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों को अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में गर्ल्स कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में संस्कृत कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में सैकेण्डरी तथा हायर सैकेण्डरी विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण की तहसील जमवारामगढ़ में कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

71. शिक्षा विभाग में अध्यापकों की अत्यधिक कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. स्कूलों में चारदीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

73. विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाला के जर्जर कमरों के स्थान पर नये कमरे निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम गुडा बालोतान के विद्यालय में विज्ञान संकाय विषय पुन: शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय व राजकीय माध्यमिक विद्यालय सांकरणा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

76. राज्य में शिक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

77. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में माध्यमिक विद्यालय चित्रावास को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिणित करने व राजकीय माध्यमिक विद्यालय चित्रावास में बोर्ड सेंटर स्थापित करने के लिए चर्चा के लिये।

78. पंचायत चित्रावास (गोगुन्दा) में शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय कक्षों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. पंचायत समिति कोटड़ा में सर्व शिक्षा अभियान के तहत चल रहे स्कूल के कक्षा-कक्ष एवं निर्माण कार्यों को ठेके पर दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

80. पंचायत समिति कोटड़ा में बन्द स्कूल के पोषाहार को बेचे जाने एवं प्रेरक सहप्रेरक के वेतन का भुगतान न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

81. राज्य के अनुदानित विद्यालयों को राजकीय विद्यालय का दर्जा देकर छात्रों एवं शिक्षकों को समुचित सुविधाऐं देने हेतु चर्चा के लिये।

82. लक्ष्मणगढ़ (जिला सीकर) की ऋषिकुल संस्कृत कालेज की भूमि एवं भवन का समुचित उपयोग पर चर्चा के लिये।

83. ग्राम नौसाल (ग्राम पंचायत कांकरा) पंचायत समिति दांतारामगढ़ जिला सीकर की उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त करवाने पर चर्चा के लिये।

(श्री केसरदेव बाबर)

84. सीकर जिला मुख्यालय पर महिला महाविद्यालय हेतु भवन बनवाकर टोकन लीज पर उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

85. शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

86. विधान सभा क्षेत्र खारची के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र खारची में विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र खारची में महिला विद्यालय नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र खारची के मगरा क्षेत्र में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

90. राज्य में शिक्षा के गिरते हुए स्तर को रोकने के लिए चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम शिवलालपुरा (छारसा) में कोई भी नियमित शिक्षा का केन्द्र नहीं होने एवं प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. संस्कृत शिक्षा के कालेज एवं स्कूल व्याख्याताओं को 9,18 एवं 27 वर्ष का लाभ नहीं दिये जाने एवं डी.पी.सी. वर्षों से नहीं करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. प्रारम्भिक शिक्षा में अप्रशिक्षित अध्यापक लगाये जाने एवं अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

94. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की माध्यमिक शाला में विज्ञान विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. एस.आई.आर.टी. सेंटर को उदयपुर में ही यथावत रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

96. हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक स्कूल की अनिवार्यता व शिक्षा में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

97. अजमेर स्थित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज में नये पद सृजित करने व रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. अजमेर स्थित तोपदडा सीनियर सैकण्ड्री विद्यालय को अन्यत्र स्थान पर ले जाने के प्रस्ताव से जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

99. अजमेर सम्भाग मुख्यालय में एक ओर विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. अजमेर स्थित विभिन्न विद्यालयों, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में विषय बढ़ाने, विज्ञान विषय खोलने एवं भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) :

101. विधान सभा क्षेत्र देसूरी के सादड़ी में निजी सहयोग में महाविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र देसूरी के सादड़ी में स्थित परशुराम महादेव तीर्थस्थल की पहाडियों में पर्यटन की संभावनाओं के मध्य नजर, रोप-वे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र देसूरी के धाणेराव कस्बे में पुरातत्व महत्व की आई हुई बावडियों के रख रखाव हेतु चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र देसूरी में नाडोल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व अन्य विद्यालयों में विज्ञान (जीव विज्ञान) विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. सादड़ी कस्बे को पर्यटन कस्बा घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

106. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में बालिका महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(डा. कन्हैया लाल मीणा)

107. शिक्षकों के समानीकरण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में अध्यापक लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) :

110. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य संवर्ग के रिक्त पड़े पदों के कारण विद्यार्थियों के अध्ययन में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गूंताशाहपुर (बानसूर) में विज्ञान विषय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

112. राजकीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य संवर्ग के रिक्त पड़े पदों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के कस्बा बड़ौद में औद्योगिक महिला प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के किशोरपुरा गांव में तथा अन्य गांवों में राजकीय संस्कृत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

115. विभाग द्वारा मेवात संस्कृति को संरक्षित करने हेतु कारगर कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

116. राजकीय महाविद्यालय, गोविन्दगढ़ (अलवर) के लिए पर्याप्त भवन निर्माण करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

117. ग्राम कडोदिया पंचायत समिति सुनेल झालावाड़ के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

118. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय को आचार्य में क्रमोन्नत एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागडावाली व नाडिया को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री रामलाल शर्मा)

119. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के वीर हनुमान मन्दिर सामोद को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

120. विधान सभा क्षेत्र टिबी में अध्यापकों के रिक्त पदों की आपूर्ति करने एवं कस्बा रावतसर के सीनियर माध्यमिक बालक/बालिका विद्यालयों में विज्ञान संकाय/वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

121. झुंझुनूं जिले की शालाओं में शिक्षकों की कमी एवं कस्बा नवलगढ़ में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

122. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों के कारण शिक्षार्थियों को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

123. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े शारीरिक शिक्षकों के पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम बबाई उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय न होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

126. राजकीय सीनियर कन्या विद्यालय खेतड़ी में विज्ञान विषय न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पड़े व्याख्याताओं के पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

128. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के राजकीय महाविद्यालय के विखण्डन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. भंवर लाल राजपुरोहित (मकराना) :

129. विधान सभा क्षेत्र मकराना में कन्या महाविद्यालय, बोरावड कन्या माध्यमिक शाला, कालवा, गेलासर माध्यमिक शाला को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

130. विभाग द्वारा शिक्षा के स्तर को सुधारने व रोजगारोन्मुख शिक्षा पर बल देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

131. राज्य में विद्यालयों में यौन शिक्षा के स्थान पर योग शिक्षा आवश्यक करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. पाली जिले के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक व अन्य स्टाफ के रिक्त पदों पर नियुक्ति करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के कई जीर्णशीर्ण विद्यालय भवनों की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. उप खण्ड केन्द्र सुमेरपुर में महिला महाविद्यालय स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

135. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के भामोनी उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत को निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

136. किशनगंज में फूल डोल महोत्सव को सहायता राशि प्रदान करने एवं लोकात्सव को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के माध्यमिक विद्यालय एवं सीनियर हायर सैकेण्ड्री विद्यालय में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

138. किशनगंज पंचायत समिति व शाहबाद पंचायत समिति में प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

139. सरकार द्वारा मीणा बस्ती देई रोड, ग्राम खजूरी तहसील नैनवां में प्राथमिक विद्यालय नहीं खोलकर भेदभाव बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

140. राजकीय माध्यमिक विद्यालय समीधी (जिला बूंदी) को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण मीणा)

141. विधान सभा क्षेत्र नैनवां के प्राथमिक विद्यालय मानपुरा (डोडी), कालामाल, खोलाड़ा (सुवान्या), हरिपुरा (बच्छ राजजी की झौंपडिया) को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

142. जोधपुर शहर में जर्जर हालत में चल रहे विद्यालय भवनों की दशा सुधारने हेतु बजट प्रावधान में पर्याप्त राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

143. सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय क्रमोन्नयन के समय पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. जोधपुर शहर के प्राचीन ऐतिहासिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

145. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत एवं नये भवन बनाने पर चर्चा के लिये।

146. संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजकीय संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय राशमी एवं राजकीय संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय गंगरार को क्रमोन्नत कराने पर चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय (बालिका) को उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका) में क्रमोन्नत कराने एवं बालिका माध्यमिक विद्यालय को बालिका उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कराने पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के सभी माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने पर चर्चा के लिये।

149. ग्राम पंचायत मुख्यालय के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेडा) :

150. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों, व्याख्याताओं आदि के रिक्त पदों को भरने पर चर्चा के लिये।

151. जनजाति बाहुल्य क्षेत्र तहसील छोटी सादड़ी के राजकीय माध्यमिक

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

विद्यालय धोलापानी एवं करजू को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुराने भवनों के जीर्णोद्धार एवं नव क्रमोन्नत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण पर चर्चा के लिये।

153. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

154. ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई)

155. विधान सभा क्षेत्र निवाई में शिक्षकों के रिक्त पदों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र निवाई में सर्व शिक्षा अभियान के तहत भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

157. निवाई शहर में राजकीय बालिका महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र निवाई के श्री सनातन धर्म संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय को राज्याधीन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमंद) :

159. राजसमंद विधान सभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. राजसमंद विधान सभा क्षेत्र में सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के रेलमगरा एवं राजसमंद के तीनों राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में भूगोल एवं विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के रेलमगरा तहसील के जुगदा गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री बंशीलाल खटीक)

163. राजकीय महाविद्यालय राजसमंद में प्राचार्यों के रिक्त पदों की पूर्ति के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

164. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र दीगोद के ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र दीगोद के ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों के समय पर शाला में नहीं पहुंचनेकी समस्या पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र दीगोद के ग्राम धूलेट के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुरा) :

167. विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर के कस्बे मिर्जेवाला में महिला कला राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली) :

168. विधान सभा क्षेत्र करौली के प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

169. विभाग द्वारा रामपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

170. विभाग द्वारा विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

171. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में रामपुर में कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर) :

172. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के सीनियर माध्यमिक विद्यालय रोनीजाथान व खोखर तथा दांतिया सालवाड़ी माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने, समस्त विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

173. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने एवं नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

174. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में भवन विहीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं वैकल्पिक पाठशालाएं (डी.पी.ई.पी.) के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

175. रेलमगरा जिला राजसमंद में आई.टी.आई. खोलने एवं मावली आई.टी.आई. में सीटें बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

176. मेवाड़ काम्पलैक्स में धन आबंटन कराने हेतु चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र मावली में हायर सैकेण्डरी व सैकण्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. मातृ कुडिया तहसील हाशमी जिला चित्तौड़गढ़ को पर्यटन स्थल घोषित करने हेतु चर्चा के लिये।

179. श्रृंग ऋषि मावली जो सांस्कृतिक स्थान है, उसे पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने व सड़क सुविधा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) :

180. विधान सभा क्षेत्र नोखा के ग्राम साधुना में सैकेण्डरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

181. शिक्षा, कला एवं संस्कृति में सुदृढ़ विकास करने के लिये शिक्षकों एवं अन्य को सुविधा हेतु चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

182. पाली विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) :

183. विधान सभा क्षेत्र बून्दी में लाइब्रेरी और संगृहालय के लिये जमीन या भवन आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) :

184. माध्यमिक विद्यालय नोरंगपुरा (विराटनगर, जयपुर) को उच्च माध्यमिक में एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, भाबोद (विराटनगर, जयपुर) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

185. राजकीय माध्यमिक विद्यालय धांसोली, अलवर को राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

186. राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय जगता बसई, अलवर में जीव विज्ञान रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

187. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तखाला (किशनगढ़ बास) को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. राजकीय बीबी रानी महाविद्यालय में गृह विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

189. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के ग्राम मंगलाना में माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. परबतसर उपखण्ड मुख्यालय पर लोक कला केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में नवीन संस्कृत प्राथमिक विद्यालय खोलने पर चर्चा के लिये।

192. राज्य में पोषाहार कार्यक्रम का सक्रिय निरीक्षण हेतु अलग से समिति (उपखण्ड स्तरीय) का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

193. सीकर क्षेत्र में स्थित गोठड़ा भूकरान, कटराथल, राजपुरा, दुग्ली व हरदयालपुरा ग्राम में स्थित विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

194. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के बागोड़ा तहसील मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय खोलने पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के धाणसा, मोदरा, सेवड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(डा. समरजीत सिंह)

196. जालोर जिले के भीनमाल राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

197. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद सन 2006-07 में पदस्थापन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

198. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पदों के सृजन तथा रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में छात्र-छात्राओं के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक पदों पर सन् 2006-07 में पदस्थापन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

200. नाथद्वारा की विशेष कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु विशेष कला, संस्कृतिक की स्थापना पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर-पूर्व) :

201. राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के बजट को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

202. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने, राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

203. विधान सभा क्षेत्र कपासन के गांव आकोला में रंगाई, छपाई (हस्तकला) को प्रोत्साहन व उद्योग का दर्जा दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र कपासन में कपासन, सिंहपुर, आकोला, भोपालसागर, भारसोड़ा एवं भण्डफीया में खेल स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

205. विधान सभा क्षेत्र कपासन में समस्त विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र कपासन में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय,

(श्री बद्रीलाल जाट)

माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने व नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र कपासन में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

208. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत पंचायत समिति कोटड़ा में प्राथमिक विद्यालय थल, पलाया पिपला, पदमावडी, राई व चांपा की नाल पोषाहार केन्द्रों की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

209. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में गणित, अंग्रेजी एवं म्यूजिक विषय के प्राध्यापकों के रिक्त पद भरने तथा संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र एवं कम्प्यूटर व्यवसायिक शिक्षा विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में पी.जी कक्षाओं में राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थशास्त्र व हिन्दी विषयों की कक्षायें प्रारम्भ किये जाने एवं विज्ञान वर्ग खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्राम उमरारा, भागीरथपुरा, ठेकुली, नगलादानी, रतन का पुरा वर खेड़ा, नटपुरा (तसीमा) डाबरी मौरोली, बड़ापुरा मौरोली, खनुपरा, हिन्नौदा का पुरा (छावनी) गुन्नापुरा (विशनोदा) तिघरा, सहनपुर, वादरपुर (जाटोली), फूलपुरा (टहरी), पूठपुरा (सरानी), हरियापुरा, कोलारी ग्रामों के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

212. धौलपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापकों के पद रिक्त होने से जिले की जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

213. राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में पेयजल साईकिल स्टेण्ड, केन्टीन, फर्नीचर, कामन रूम तथा अन्य संसाधनों की कमी के कारण विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

214. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में सर्व शिक्षा अभियान व डीपीईपी के तहत कराये गये निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री नवरतन राजोरिया)

215. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभरलेक स्थित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति करने महाविद्यालय के विकास व विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा कस्बे में राजकीय बालिका महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

218. राजकीय माध्यमिक विद्यालय जाजोद पंचायत समिति खण्डेला जिला सीकर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

219. राजकीय माध्यमिक विद्यालय दादीया (रामपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

220. राजकीय माध्यमिक विद्यालय आभावास, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पनिहारवास पंचायत समिति खण्डेला जिला सीकर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

223. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

224. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के मुख्यालय में नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में प्राथमिक एवं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवनों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

226. सूरजगढ़ (झुंझुनूं) के ग्राम लाम्बी अहीर विद्यालय के मृत राज्य अध्यापकों के

(श्री सुन्दर लाल)

आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

227. बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण पी.एस. व यू.पी.एस. विद्यालयों में एक-एक चपरासी लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

228. बांसवाड़ा जिले के प्रत्येक पंचायत मुख्यावास पर एक सैकण्डरी विद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

229. जिला बांसवाड़ा के ग्रामीण विद्यालयों में मिड-डे-मील योजना को स्वतंत्र एजेन्सी या पंचायतों को सुपुर्द करने या स्वयं सेवी संस्था को सुपुर्द कर शिक्षक समाज को मुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

230. बांसवाड़ा जिले की स्वयं सेवी संस्था असेफा के छात्रा एवं अभिभावकों से गैर जिम्मेदारान राशि हड़पने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के माध्यमिक एवं सीनियर सैकण्डरी के शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

232. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम गुडाबालोतान में विज्ञान संकाय विषय पुन: शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र आहोर की राजकीय माध्यमिक विद्यालय उण व राजकीय माध्यमिक विद्यालय सांकरणा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

234. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरवासी, पारोली एवं शक्करगढ़ में विज्ञान संकाय विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. जहाजपुर कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) :

236. बाड़मेर जिले में चौहटन मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

237. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौहटन में विज्ञान विषयों की शिक्षा आरम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री गंगाराम चौधरी)

238. बाड़मेर जिले में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. प्राथमिक शाला में शिक्षा का स्तर सुधारे जाने हेतु पांचवी कक्षा के परीक्षा समान परीक्षा पद्धति कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

240. बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चौहटन में गत चार वर्ष से द्वितीय श्रेणी की एक अध्यापिका के अनुपस्थित रहने एवं वेतन प्राप्त करने हेतु ही उपस्थित होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नानालाल आहारी (खैरवाड़ा) :

241. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऋषभदेव (कन्या), नया गांव (छात्र) एवं खैरवाड़ा (छात्र) में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

242. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के सभी स्तर के राजकीय विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक विद्यालयों की क्रमोन्नति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

244. विधान सभा क्षेत्र चौरासी व जिला डूंगरपुर के नव नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापक/अध्यापिका को गृह जिले में ही रिक्त पदों पर स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. सर्व शिक्षा अभियान के तहत किये जा रहे विद्यालय कक्षा-कक्षों व शौचालय व भवन निर्माण में कार्यकारी एजेन्सी विद्यालय विकास समिति से हटाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग या पंचायत समिति को एजेन्सी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

246. विधान सभा क्षेत्र चौरासी एवं जिला डूंगरपुर के रिक्त चल रहे शारीरिक शिक्षकों के पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. राज्य के प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. सर्व शिक्षा अभियान की राशि उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय को भी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) :

249. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के सभी स्तर के राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत शुदा रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के कोटडा पंचायत समिति में ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी व शिक्षा प्रसार अधिकारी के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों (छात्र-छात्रा) में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

252. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुररा में संस्कृत व भूगोल विषय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

253. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा में अंग्रेजी व अर्थशास्त्र विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा में नवीन वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय एवं कला वर्ग में समाज शास्त्र, लोक प्रशासन विषय खुलवाने तथा स्नोकोत्तर स्तर पर भूगोल व राजनीति विज्ञान विषय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

255. विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के भवन रहित वैकल्पिक विद्यालय एवं राजीव गांधी पाठशालाओं में भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

256. डेगाना जंक्शन (नागौर) में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257. राजकीय माध्यमिक विद्यालय कितलसर (नागौर) को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

258. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के विभिन्न विद्यालयों में लम्बे समय से चले आ रहे अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

259. राजकीय माध्यमिक विद्यालय डोडियाना (नागौर) को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) :

260. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेड़ूली (नागौर) को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

261. राजकीय माध्यमिक विद्यालय लापालाई (नागौर) को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

262. मेड़ता (नागौर) में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

263. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की विभिन्न पाठशालाओं में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

264. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दत्ताणी (नागौर) को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

265. महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

श्री जीतराम (मालपुरा) :

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर) :

266. प्रत्येक राजस्व ग्राम में कम से कम एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

267. राज्य में एक करोड़ से अधिक की आय वाले समस्त मन्दिरों के सर्वांगीण विकास हेतु सांवलियाजी एवं नाथद्वारा की तर्ज पर सार्वजनिक ट्रस्टों का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :

268. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ (बीकानेर) में दिनांक 15.7.2005 को क्रमोन्नत राजकीय प्राथमिक विद्यालय सडू बडी पंचायत समिति सुजानगढ़ को दिनांक 21.1.2006 को निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

269. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बम्बू, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कातर पंचायत समिति सुजानगढ़, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बिगा एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

(श्री मंगलाराम गोदारा)

राजेडू पंचायत समिमि श्रीडूंगरगढ़ को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

270. राज्य में बालिका शिक्षा संस्थानों का अभाव होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

271. तहसील लक्ष्मणगढ़ के विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।